वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

सत्यमेव जयते

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 (भारत)

वेबसाइटः www.ugc.ac.in

पृष्ठभूमि

प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक, उच्चतर शिक्षा का भारतीय इतिहास में सदैव प्रमुख स्थान रहा है। प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे, जहाँ न केवल पूरे देश से बल्कि कोरिया, चीन, बर्मा (अब म्यांमार), सीलोन (अब श्रीलंका), तिब्बत और नेपाल जैसे सुदूर देशों से भी छात्र उच्चत्तर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आकर्षित होते थे। आज, भारत दुनिया की सबसे बड़ी उच्चतर शिक्षा प्रणालियों में से एक का प्रबंध व संचालन करता है।' उच्चतर शिक्षा की वर्तमान प्रणाली की गूँज सन् 1823 के माउंटस्टुआर्ट एलफिंस्टन के कार्यवृत्त में पाई जाती है, जिसने अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञानों को पढ़ाने के लिए स्कूलों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया था। तदुपरांत, लॉर्ड मैकाले ने 1835 के अपने कार्यवृत्त में कहा कि "देश के मूल निवासियों को पूर्णतया अच्छा अंग्रेजी विद्वान बनाने के प्रयास" किए जाने चाहिए। सन् 1854 के सर चार्ल्स वुड के डिस्पैच, जिसे 'भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा' के रूप में जाना जाता है, ने प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा की एक उचित परिकल्पित योजना बनाने की अनुशंसा की थी। उन्होंने स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की मांग की और एक सुसंगत शिक्षा नीति तैयार करने की योजना बनाई। तत्पश्चात, सन् 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे (अब मुंबई) और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसके बाद सन् 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। शिक्षा, संस्कृति, खेल और संबद्ध क्षेत्रों में जानकारी साझा करके और सहयोग करके, विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सन् 1925 में अंतर-विश्वविद्यालय बोर्ड (जिसे बाद में भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के रूप में जाना गया) की स्थापना की गई थी। भारत में शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली को रूपरेखा देने का पहला प्रयास सन् 1944 में किया गया था जब भारत में युद्धोत्तर शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे सार्जेंट रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट ने एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की अनुशंसा की थी। इसका गठन तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के कार्य की देखरेख के लिए सन् 1945 में किया गया था। सन् 1947 में, समिति को सभी मौजूदा विश्वविद्यालयों से व्यवहार (dealing) करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आजादी के तुरंत बाद, 1948 में 'भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट करने और ऐसे सुधारों एवं विस्तारों का सुझाव देने के लिए डॉ. एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी जो देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप वांछनीय हो सकते थे।' इस आयोग ने अनुशंसा की कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति को यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल के अनुरूप पुनर्गठित किया जाए जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों में से नियुक्त किया जाए। सन् 1952 में, संघ सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सार्वजनिक निधियों से सहायता अनुदानों के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाएं। परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का औपचारिक उद्घाटन 28 दिसंबर, 1953 को तत्कालीन शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री, स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। किंतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से नवंबर, 1956 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के निर्धारण, समन्वय और अनुरक्षण के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय दिल्ली में तीन स्थानों पर स्थित हैंः नई दिल्ली में बहादुरशाह जफर मार्ग, 35, फिरोज शाह रोड और दिल्ली विश्वविद्यालय का दक्षिणी परिसर।

वार्षिक रिपोर्ट

2022-23

(अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (अध्याय–III) की धारा 18 के अनुपालन में वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट को भारत की संसद में रखने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करता है)

सत्यमेव जयते

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

बहादुर शाह ज़फर मार्ग

नई दिल्ली-110002 (भारत)

वेबसाइटः www.ugc.ac.in

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संरचना

(1) आयोग में निम्न पदाधिकारी सन्निहित होंगेः—
*(**i**) एक अध्यक्ष, (**ii**) एक उपाध्यक्ष, और (**iii**) सात अन्य सदस्यगण, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।*

(2) अध्यक्ष को ऐसे व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी न हों।

*(3) उप–धारा (1) के खंड (**iii**) में उल्लिखित अन्य सदस्यगणों में से (1) – (क) दो सदस्यों को केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों में से चयनित किया जाएगा (ख) कम से कम चार सदस्यों को उन व्यक्तियों में से चयनित किया जाएगा जो चयनित किए जाने के समय पर किसी विश्वविद्यालय के शिक्षक हों और (ग) शेष सदस्यों को उन व्यक्तियों में से चयनित किया जाएगाः— (**i**) जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान अथवा अनुभव हो (**ii**) जो अभियांत्रिकी, विधिशास्त्र, चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित व्यवसाय से संबद्ध होंय अथवा (**iii**) जो विश्वविद्यालयों के कुलपति हों, अथवा जो विश्वविद्यालय के अध्यापक न हो परंतु केंद्र सरकार की राय के अनुसार प्रख्यात शिक्षाविद् हों अथवा जिनके पास उच्च अकादमिक योग्यताएँ हों।*
बशर्ते कि इस खंड के तहत चयनित कम से कम आधी संख्या के सदस्यगण ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधिकारी न हों।

(4) उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का निवर्हन करेंगे जो अध्यक्ष के लिए विहित की गई हों।

(5) इस धारा के तहत प्रत्येक नियुक्ति उस तिथि से प्रभावी होगी जिस दिन उसे केंद्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग के सदस्यों की सूची

1.	**अध्यक्ष** प्रो. म. जगदीश कुमार	
2.	**उपाध्यक्ष** प्रो. दीपक कुमार श्रीवास्तव (*)	
	अन्य सदस्यगण	
3.	श्री के. संजय मूर्ति	*सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय (एमओई), 127–ग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली*
4.	श्री विनीत जोशी (@)	*अपर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, 128–ग–शास्त्री भवन, नई दिल्ली*
5.	श्री संजय प्रसाद (#)	*अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली*
6.	प्रो. (सुश्री) सुषमा यादव	*प्रो–कुलपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा एवं पूर्व कुलपति, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलाँ, हरियाणा*
7.	प्रो. ई. सुरेश कुमार	*उप कुलपति, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, तमका, हैदराबाद–तेलंगाना*
8.	प्रो. एम. के. श्रीधर, पीएच. डी,	*पूर्व प्रोफेसर एवं संकायाध्यक्ष, प्रबंधन अध्ययन, बैंगलोर विश्वविद्यालय, बैंगलोर*
9.	डॉ. शिवराज	*प्रोफेसर एवं संकायाध्यक्ष, रसायन विज्ञान, विज्ञान एवं विकास और यूजीसी मामले संकाय, ओस्मांनिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद*
	सचिव	
	प्रो. रजनीश जैन ($)	
	प्रो. मनिष आर. जोशी (%)	

(*) 02 सितंबर, 2022 के प्रभाव से
(@) 29 अप्रैल, 2022 के प्रभाव से 31 अक्तूबर, 2022 तक
(#) 01 नवंबर, 2022 के प्रभाव से
($) 08 फरवरी, 2023 तक
(%) 09 फरवरी, 2023 के प्रभाव से

प्रतिलिप्याधिकारः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

दिसंबर, 2023

मुद्रक एवं प्रकाशक : सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली–110002

डिजाईन एवं मुद्रण : **दीया मीडिया आर्ट**
: डी–41/ए, मेट्रो पिलर 33 के सामने, विकास मार्ग,
: लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092
: फोनः 9312550335, 011–22504042 | ई–मेल : infodma07@gmail.com

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

	प्राक्कथन		vii
	कार्यकारी सारांश: 2022–23		1
1.	**प्रस्तावना**		**19**
	1.1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन	19
	1.2	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ	22
	1.3	प्रकाशन	29
	1.4	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त	29
	1.5	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालय संस्थानों हेतु संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जेसीआरसी)	69
	1.6	वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा लिए गए मुख्य निर्णय	69
	1.7	विशेष क्रियाकलाप/पहल (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सार्वजनिक सूचना/ उच्चतर शिक्षा संस्थानों का पत्र)	89
	1.8	राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 (एनईपी) के तहत पहल	96
2.	**सांख्यिकी: उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकास**		**99**
	2.1	उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) (18–23 वर्ष) (2020–21)	100
	2.2	विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों से संबंधित आंकड़े	101
	2.3	छात्रों का नामांकन	142
	2.4	आउट टर्न/पास आउट	145
	2.5	शिक्षण स्टाफ	146
	2.6	शिक्षणेत्तर स्टाफ	148
	2.7	संस्थाओं के लिए अवसंरचना	149
3.	**विकास योजनाएं और विश्वविद्यालयों को सहायता**		**151**
	3.1	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता	151
	3.2	राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को सहायता	159
	3.3	सम विश्वविद्यालय संस्थानों को सहायता	160
	3.4	राज्य निजी विश्वविद्यालयों को सहायता	162
4.	**विकास योजनाएं और महाविद्यालयों को सहायता**		**164**
	4.1	महाविद्यालयों का विकास	164
	4.2	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12 ख के तहत महाविद्यालय	164
	4.3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान	166
	4.4	दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों को अनुदान	167
5.	**गुणवत्ता और उत्कृष्टता**		**175**
	5.1	उत्कृष्टता की संभाव्यता–शिक्षण और शोध	175
	5.2	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)	176
	5.3	स्वायत्त महाविद्यालय	178
	5.4	मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी)	181
	5.5	मानवाधिकार और मूल्यों की शिक्षा (एचआरवीई)	181
	5.6	राजभाषा का संवर्धन	182
	5.7	द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम	183

	5.8	राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षा (एनईटी) : शिक्षण तथा शोध हेतु मानव संसाधन विकास	189
	5.9	यात्रा अनुदान	193
	5.10	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी)	194
	5.11	राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र (एनएफसी)	219
6.	**शोध को प्रोत्साहन**		**225**
	6.1	शिक्षकों के लिए वृहद शोध परियोजनाएं	225
	6.2	शोध अवार्ड / शोध वैज्ञानिक	226
	6.3	पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	226
	6.4	शोध अध्येतावृत्तियाँ (एम.फिल./पीएच.डी हेतु)	228
	6.5	स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां	230
	6.6	स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियां	232
	6.7	विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध (बीएसआर) कार्यक्रम (मूलभूत वैज्ञानिक शोध का सुदृढीकरण)	233
7.	**लिंग तथा सामाजिक समानता**		**235**
	7.1	भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास	235
	7.2	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग (सम्पन्न वर्ग के अलावा), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक छात्रों तथा निशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम	236
8.	**प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा**		**246**
	8.1	विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र	246
	8.2	भारतीय युग प्रवर्तक समाजिक चिंतकों पर विशेष अध्ययन	247
9.	**सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) का समेकन**		**248**
	9.1	ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ/ई–कार्यालय/ विअआ वेबसाइट	248
	9.2	ऑनलाइन ज्ञानअर्जन के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि	250
	9.3	राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी)	252
	9.4	एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी):	253
	9.5	ई–समाधान	254
10.	**कौशल विकास पहलें**		**256**
	10.1	राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढ़ांचा (एनएसक्यूएफ)	256
	10.2	उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रशिक्षुता/शिक्षुता समामेलित उपाधि कार्यक्रम हेतु दिशानिर्देश	257
11.	**मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन और ऑनलाइन माध्यम से ज्ञानअर्जन**		**258**
	11.1	मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन	258
	11.2	ऑनलाइन माध्यम से ज्ञानअर्जन	261
	11.3	राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता	263
12.	**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–गुणवत्ता अधिदेश– शैक्षिक क्रियाकलाप संबंधी पहल**		**265**
	12.1	ज्ञानअर्जन परिणाम आधारित पाठ्यचर्या ढांचा (एलओसीएफ)	265
	12.2	मूल्यांकन सुधार	265
	12.3	छात्रों के लिए जीवन संबंधी कौशल (जीवन कौशल)	266
	12.4	भारतीय विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्विधा शोध हेतु योजना (स्ट्राइड)	266
	12.5	शैक्षिक शोध और आचार हेतु संघ (केयर)	266
	12.6	परामर्श– अप्रत्यायित संस्थानों का मार्गदर्शन	269
	12.7	पर्यावरण शिक्षा के लिए दिशानिर्देश और पाठ्यचर्या ढांचा	269
	12.8	छात्रों की प्रगति की निगरानी करना और पूर्व छात्र नेटवर्क	269
	12.9	गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	270

प्राक्कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ./यूजीसी) की 2022–2023 की वार्षिक रिपोर्ट यूजीसी द्वारा उच्चतर शिक्षा मानकों के अनुरक्षण एवं समन्वयन की दिशा में की गई प्रमुख पहलों को परिलक्षित करती है। रिपोर्ट यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सामान्य विकास को बढ़ावा देने, समानता, प्रासंगिकता एवं उत्कृष्टता पर सकेंद्रित रहते हुए हेतु उच्चतर शिक्षा से अभिगम्यता व पहुंच को बढ़ाने के लिए की गई पहलों को भी प्रदर्शित करती है।

वर्ष 2022–23 की अवधि के दौरान, जो एनईपी 2020 की दूसरी वर्षगांठ का वर्ष भी था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में प्रगत उच्चतर शिक्षा हेतु विभिन्न पथ–परिवर्तक पहले की हैं। इन पहलों में, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी–नेट) में एक विषय के रूप में 'भारतीय ज्ञान प्रणाली' और आईकेएस में संकाय के प्रशिक्षण के लिए मसौदा दिशानिर्देशों का अनुमोदन सम्मिलित है। यूजीसी ने शैक्षिक व अकादमिक लचीलेपन एवं वैश्विक मानकों पर जोर देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की संगतता में, दोहरी, संयुक्त डिग्री, और ड्यूअल डिग्री कार्यक्रमों के लिए पुरोगामी विनियमों का क्रियान्वयन भी किया। इसके अतिरिक्त, आयोग का एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) को शुरु करने का निर्णय अकादमिक गतिशीलता एवं लचीलेपन को बढ़ाने में उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी (मेती) के कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) के साथ ई–संसाधन पोर्टल की स्थापना भी डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति यूजीसी की प्रतिबद्धता उसकी शोध अनुदान/अध्येतावृत्ति योजनाओं तथा पहलों, जैसे कि "दो अकादमिक कार्यक्रमों की पढ़ाई एक ही साथ करने के लिए दिशानिर्देश' और 'विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति व अनुबंधन के लिए दिशानिर्देश' से भी परिलक्षित होती है। इसके अलावा, ई–समाधान पोर्टल ने शिकायत निवारण प्रक्रिया को और भी अधिक कार्यक्षम बना दिया है। इस प्रकार के गहन समर्पण ने नए शैक्षिक क्षेत्रों की नींव रखी है और भारत में उच्चतर शिक्षा के भविष्य को मूर्त रूप देने में यूजीसी की अहम भूमिका को उजागर किया है।

मुझे आशा है कि इस वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध डेटा/सूचना उच्चतर शिक्षा से जुड़े अध्यापकों, छात्रों, शोधकर्ताओं एवं प्रकाशकों के लिए उपयोगी एवं लाभप्रद होगी।

इस अवसर पर, मैं, आयोग के सभी सदस्यों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एजेंडा को आगे बढ़ाने में दृढ़ सहयोग देने हेतु उनका आभारी हूँ।

मैं, वार्षिक रिपोर्ट को इसके वर्तमान स्वरूप में प्रकाशित करने में मेरे सहयोगियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करने हेतु मूल्यवान योगदान एवं अथक प्रयासों के लिए, मैं, डॉ. मधुकर मारुती वावरे, संयुक्त सचिव, यूजीसी डॉ. दीक्षा राजपूत, उप सचिव, यूजीसी, राज कुमारी, अनुभाग अधिकारी, यूजीसी, अभिषेक कुमार आनंद, आई.टी. सलाहकार, इनफिलिब्नेट, यूजीसी, डॉ. प्राची जैन अग्रवाल, यंग प्रोफेशनल, यूजीसी, डॉ. प्रतिभा शुक्ला, यंग प्रोफेशनल, यूजीसी, विक्की वत्स, लिपिकीय सहायक, यूजीसी, योगेश कुमार तंवर, लिपिकीय सहायक, यूजीसी, और अनिता कुमारी, लिपिकीय सहायक, यूजीसी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ।

वार्षिक रिपोर्ट की विषय–वस्तु में सुधार लाने के लिए बहुमूल्य सुझावों का स्वागत है।

नई दिल्ली
दिसंबर 2023

प्रो. म. जगदीश कुमार
अध्यक्ष

कार्यकारी सारांशः 2022–2023

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की वार्षिक रिपोर्ट 2022–2023 के कार्यकारी सारांश में आयोग के अनिवार्य उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु 2022–2023 में निष्पादित की गई गतिविधियों का वर्णन किया गया है। आयोग के अनिवार्य उद्देश्य हैं – विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों का निर्धारण, समन्वय और अनुरक्षण करना। आयोग द्वारा 2022–2023 के दौरान कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत प्राप्त वास्तविक लक्ष्यों और तत्संबंध में किए गए व्यय को इस रिपोर्ट में विस्तार से दर्शाया गया है। इस सारांश में यूजीसी की संरचना एवं भूमिका, उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में आंकड़ों की दृष्टि से वृद्धि व प्रगति, वर्ष में लिए गए प्रमुख निर्णय, विभिन्न योजनाओं के तहत विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को दिए गए वित्तीय परिव्ययों तथा कौशल शिक्षा, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा एवं ऑनलाइन शिक्षा सहित गुणवत्ता और उत्कृष्टता, शोध/अनुसंधान, अधिगम्यता (ऐक्सेस) और समानता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में संक्षेप में सूचना उपलब्ध कराई गई है।

1. परिचय

- आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नौ सदस्य (शिक्षा सचिव, अपर सचिव–व्यय, सात अन्य सदस्य) हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किया जाता है। आयोग के सचिवालय के प्रमुख, सचिव महोदय हैं, जबकि सचिवालय के तहत 69 समूह 'क' एवं 151 समूह 'ख' अधिकारी, 84 समूह 'ग' अधिकारी और 5 कैंटीन कर्मचारियों सहित 309 कार्यरत कर्मचारीगण हैं। कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में, 26.53ः महिलाएं, 24.91ः अनुसूचित जाति, और 5.82ः अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं।
- यूजीसी ने वर्ष 1994 से यूजीसी में छह क्षेत्रीय कार्यालय और एक ब्यूरो कार्यालय स्थापित करके अपने कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण किया। आयोग की 06.05.2022 को आयोजित 558वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, यूजीसी क्षेत्रीय कार्यालयों को यूजीसी, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- वर्ष 2022–2023 के दौरान यूजीसी ने 16337 आरटीआई आवेदन प्राप्त किए, 10,427 आवेदनों को निपटाया गया, जबकि प्राप्त 2104 अपीलों में से 1408 का निपटारा किया गया। सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ द्वारा संग्रहीत आरटीआई शुल्क 25812 रुपये है और सूचना प्रदान करने हेतु आरटीआई नियमों के अनुसार प्राप्त अतिरिक्त शुल्क 13366 रुपये है।
- वेतनमान अनुभाग को केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर गठित वेतन समीक्षा समितियों के कार्य में और अध्यापकों एवं अन्य समकक्ष संवर्गों यथा, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षा निदेशकों के वेतनमान और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में समन्वय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिपोर्टाधीन वर्ष 2022–2023 के दौरान, निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनसे शिक्षा मंत्रालय को अवगत कराया गया।

  (i) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विशेषज्ञता–प्राप्त प्रोफेसरों (professors of practice) को नियुक्त करने के लिए 14 नवंबर, 2022 को दिशानिर्देश जारी किए गए [सं.एफ.9–1/2010 (पीएस/विविध) पीटी–1]। चूँकि एनईपी 2020 की सिफारिशों में से एक का आशय उच्चतर शिक्षण संस्थानों में समग्र एवं बहु–ज्ञानानुशासनिक (multidisciplinary) शिक्षा प्रदान करना है, इसलिए यूजीसी ने "प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस" नामक एक नया पद सृजित किया ताकि शिक्षण–अधिगम के क्षेत्र में अनुभवी वृत्तिकों/ व्यावसायिकों / उद्योग, आदि की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

- वर्ष 2022–2023 के दौरान, सतर्कता प्रकोष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से एक शिकायत, शिक्षा मंत्रालय से तीन, सीबीआई से आठ, सीवीसी द्वारा भेजी गई पांच शिकायतें जिन्हें शिक्षा मंत्रालय द्वारा अग्रेषित किया गया था और विभिन्न विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों एवं अन्य एजेंसियों से पंद्रह शिकायतें प्राप्त हुईं। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें आवश्यक कार्रवाई करने हेतु यूजीसी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों के संबंधित ब्यूरो को भेजी गईं। सतर्कता प्रकोष्ठ में दो आरटीआई/अपील आवेदन ऑफलाइन भी प्राप्त हुए और एक संसदीय प्रश्न सहित सात आरटीआई/अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं।
- यूजीसी को भारत के विभिन्न न्यायालयों में 2022–2023 के दौरान दर्ज 1024 मामलों में प्रतिवादी बनाया गया था जिनके प्रतिवाद अथवा पैरवी करने हेतु अधिवक्ताओं के बिलों पर 238.27 लाख रुपये का खर्च किया गया।

- संसदीय प्रकोष्ठ ने 2022–2023 के दौरान 611 संसदीय प्रश्न प्राप्त किए। तारांकित प्रश्नों की संख्या 67 थी, जबकि शेष प्रश्नों को निपटाया गया।

- कदाचार–रोधी प्रकोष्ठ फर्जी विश्वविद्यालयों और डिग्रियों की बढ़ती संख्या की समस्या का निराकरण करता है। इस प्रकोष्ठ ने ऐसे कुल 20 संस्थानों की पहचान की है और उनके विरूद्ध कार्रवाई की है। वर्तमान में, 20 फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कायम किया गया है। इस सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट (*www.ugc.ac.in*) पर उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में समाचार पत्रों में जनसाधारण/ छात्रों की जागरुकता के लिए सार्वजनिक सूचनाएं/प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं जिनमें आकांक्षी छात्रों को फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश न लेने की सलाह दी जाती है।

- रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में यूजीसी की आंतरिक शिकायत समिति के संज्ञान में कोई भी नया मामला नहीं आया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संयुक्त सचिव को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया है जिन्हें आरक्षित श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और उनकी निगरानी के लिए शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायता दी जाती है।

- 2008 में स्थापित रैगिंग–रोधी प्रकोष्ठ उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग की समस्या का निराकरण करने के लिए जिम्मेदार है। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को रैगिंग के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों का पालन करने को कहा गया है। इस संबंध में 12 भाषाओं में कॉल सेंटर सुविधाओं के साथ एक राष्ट्रव्यापी 24x7 निःशुल्क रैगिंग–रोधी हेल्पलाइन 1800–180–5522 स्थापित की गई है, जिसे रैगिंग के पीड़ितों की सहायता के लिए कॉल सेंटर सुविधाओं के साथ यूजीसी द्वारा कार्यशील बनाया गया है तथा सभी संबंधितों द्वारा प्रभावकारी समन्वित कार्रवाई भी की जाती है। शिकायतें ईमेल helpline@antiragging.in के माध्यम से भी दर्ज की जा सकती हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान राष्ट्रीय रैगिंग–रोधी हेल्पलाइन द्वारा रैगिंग की 858 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 797 शिकायतों का निपटान किया गया, और 61 शिकायतों पर कार्रवाई चल रही है। रैगिंग–रोधी हेल्पलाइन के 24x7 परिचालन, निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु 2,02,03,723 रुपये का खर्च किया गया।

- शून्य सहिष्णुता की नीति को लागू करने हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के कैम्पसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए और लैंगिक जागरुकता कार्यक्रम चलाए।

- यूजीसी वर्ष में एक बार सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को एक एडवाइजरी भेजता है कि वे जेंडर चैंपियंस के दिशानिर्देशों को लागू करें और अपने संबद्ध महाविद्यालयों को इस अनुरोध के साथ सूचित करें कि वे जेंडर चैंपियन के अनुपालन की स्थिति को 'सक्षम' वेब पोर्टल पर ऑनलाइन भरें/भेजें। पिछली एडवाइजरी 10–06–2022 को अपलोड की गई थी।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का लोक शिकायत प्रकोष्ठ सभी शिकायतें शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से हार्ड कॉपी के रूप में ऑनलाइन मोड के जरिए प्राप्त करता है। प्राप्त शिकायतों का तत्काल उत्तर देने हेतु उन्हें ब्यूरो प्रमुख को भेज दिया जाता है। वर्ष के दौरान 2491 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 2438 शिकायतों का निपटान किया गया।

- प्रकाशन ब्यूरो विभिन्न प्रकाशनों को प्रकाशित करता है, जैसे कि यूजीसी की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा और यूजीसी अधिनियमितियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश, यूजीसी सम्मेलन रिपोर्ट, समिति रिपोर्ट, ब्रोशर एवं लीफलेट आदि। 2022–23 के दौरान, प्रकाशन ब्यूरो ने 13,48,396/– रुपये का व्यय किया गया।

यूजीसी का बजट

एवं वित्तीय पहलु – वित्त वर्ष 2022–23 के लिए बजट और सहायता अनुदान की प्राप्ति का विवरण निम्न प्रकार हैः

- सामान्य बजट शीर्ष के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त कुल अनुदान (राजस्व और पूँजी) 18069.86 करोड़ रुपए था। 2022–23 के दौरान अव्ययित शेष (2022–2023) के रूप में 36.72 करोड़ रुपये की राशि का भी उपयोग किया गया।

- 2022–2023 के दौरान राजस्व और पूँजी (सामान्य) बजट के तहत मंत्रालयों से प्राप्त अनुदान निम्नानुसार हैंः – (1) शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य): 18069.86 करोड़ रुपये (2) सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्लीः 74.59 करोड़

रुपयेय (अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए) (3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्लीः 51.61 करोड़ रुपये।

- राजस्व और पूँजीगत अनुदान (प्राप्त निधि = 18069.86. 2022–23 का अव्ययित शेष = 36.72 करोड़) वर्ष 2022–23 के दौरान संस्थानों को 17067.11 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई। इसमें से केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 10426.97 करोड़ रुपये, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को 3041.53 करोड़ रुपये, राज्य विश्वविद्यालयों को 403.1 करोड़ रुपये, सम विश्वविद्यालय संस्थानों को 397.97 करोड़ रुपये, राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को 15.04 करोड़ रुपये, अंतर विश्वविद्यालय केंद्रों को 227. 96 करोड़ रुपये, क्षेत्रीय केंद्रों को 0.05 करोड़ रुपये, छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के लिए 1449.07 करोड़ रुपये, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (डीईबी) को 9.00 करोड़ रुपये, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस (आईओई) को 976.56 करोड़ रुपये, विविध/गैर–विश्वविद्यालयों/संस्थानों को 1.18 करोड़ रुपये/प्रशासनिक शुल्कों (मुख्या.) और (क्षे.का.) हेतु 118.76 करोड़ रुपये दिए गए थे।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, यूजीसी द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली में स्थित महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (समूह क, ख और ग) हेतु समान सेवा शर्तों के पूर्ण फ्रेमवर्क की सिफारिश करने के उद्देश्य से एक संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जेसीआरसी) का गठन किया है। 2022–23 के दौरान, जेसीआरसी ने सीयू/डीयू (100ः वित्तपोषित) से प्राप्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 58 मामलों का समाधान किया।

- 2022–23 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 11 बैठकें आयोजित कीं, जिनमें से 08 बैठकें ई–सर्कुलेशन द्वारा आयोजित की गई थीं। शिक्षा मानकों से संबंधित मामलों पर लिए गए प्रमुख निर्णय सरकार और अन्य राष्ट्रीय निकायों के संदर्भ/रेफरेंस; विशेष कार्यक्रमों; विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को प्रदान किए गए गुणवत्ता कार्यक्रम और अनुदानों के विवरण अध्याय 1 में पृष्ठ संख्या 57 से पृष्ठ संख्या 87 तक दिए गए हैं।

- वर्ष 2022–23 के दौरान, निष्पादित की गई विशेष गतिविधियों/पहलों का विवरण अध्याय –1 में पृष्ठ संख्या 88 से पृष्ठ संख्या 98 तक दिया गया है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में शिक्षा संरचना एवं प्रणाली को नया रूप प्रदान करने और नई शैक्षिक प्रथाओं व रीतियों के आधार पर, भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आमूल–चूल परिवर्तन करने की कल्पना की गई है। एनईपी 2020 के तहत परिवर्तन हेतु सुधारों के एक वर्ष के भाग के रूप में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शिक्षा मंत्रालय, खेल विभाग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के सहयोग से एनईपी के विभिन्न विषयों पर आठ वेबिनार आयोजित किए। इन वेबिनारों की थीमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि समानता एवं समावेशन; बहु–ज्ञानानुशासनिक (multidisciplinary) एवं समग्र शिक्षा; कौशल, उद्यमशीलता विकास एवं नियोजनीयता; युवा सशक्तिकरण एवं खेल विकास; भारतीय ज्ञान प्रणाली, भाषा, कला एवं संस्कृति; गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रत्यायन और अध्यापक विकास; अनुसंधान/शोध, नवोन्मेष और रैंकिंगय शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित थीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स पर विनियम, अकादमिक कार्यक्रमों में बहुप्रवेश और बहिर्गमन (एंट्री एण्ड एग्जिट) के लिए दिशानिर्देश, सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी), संयुक्त और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों के लिए विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग पर विनियम, विशेषज्ञता प्राप्त व्यावसायिक प्रोफेसरों के लिए दिशानिर्देश, एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों की पढ़ाई करने संबंधी दिशानिर्देश, इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के लिए दिशानिर्देश, भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातक–पूर्व एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश एवं अधिसंख्यक सीटों के लिए दिशानिर्देश, स्नातक–पूर्व कार्यक्रमों हेतु पाठ्यचर्या और क्रेडिट फ्रेमवर्क, पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और कार्यविधियां, बहु–ज्ञानानुशासनिक संस्थानों में परिवर्तन के लिए दिशानिर्देश, उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए अभिगम्यता दिशानिर्देश और मानक, ऑनलाइन और ओडीएल शिक्षा पर विनियम, स्वयम (SWAYAM) के माध्यम से क्रेडिट फ्रेमवर्क पर विनियम, उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशानिर्देश, उच्चतर शिक्षा में वैश्विक नागरिकता शिक्षा के लिए फ्रेमवर्क, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिलाओं और

महिलाओं हेतु संरक्षित व सुरक्षित वातावरण के लिए बुनियादी सुविधाओं एवं पर स्नातक–पूर्व शिक्षा के संबंध में पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (सुग्राहीकरण, नीति कार्यान्वयन, निगरानी एवं शिकायत निवारण के लिए), भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने संबंधी दिशानिर्देश 2.0 शामिल हैं।

28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आने के बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों में मानकों के निर्धारण और समन्वय के अधिदेश के साथ अपने अस्तित्व से 69 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अतः, आयोग ने देश में उच्चतर शिक्षा के गुणतात्मक सुधार के लिए अपनी यात्रा के 69 मील के पत्थर हासिल किए हैं।

2. सांख्यिकी: उच्चतर शिक्षा का विकास

- आयोग को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 (एच) और धारा 12 (आई) के तहत भारत और अन्य देशों में विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर सूचना एकत्र करने की शक्ति प्राप्त है, जो वह उचित समझे। अधिनियम आयोग से यह भी अपेक्षा करता है कि वह किसी विश्वविद्यालय से ऐसी सूचना प्रस्तुत करने के लिए निदेश दे सकता है जो तथाकथित विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के संबंध में आवश्यक हो। उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में समय पर और गुणत्तात्मक डेटा प्राप्त करने के लिए (जो मानव विकास के लिए अहम है), शिक्षा मंत्रालय ने एक डेटाबेस बनाने और देश में उच्चतर शिक्षा की समग्र तस्वीर का निर्धारण करने के लिए उच्चतर शिक्षा पर एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण शुरु किया।
- आंकड़ों के संग्रह और संकलन के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की सहायता से एक समर्पित पोर्टल (***http://aishe.gov.in***) विकसित किया गया है। सभी संस्थानों को पोर्टल का उपयोग करने तथा डेटा अपलोड करने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करने की आवश्यकता है। यूजीसी, सूचना एवं सांख्यिकी ब्यूरो ने 2014–15 से भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर विश्वविद्यालयों / संस्थानों / महाविद्यालयों से सीधे डेटा एकत्र करना बंद कर दिया था। शिक्षा क्षेत्र में समय पर और गुणवत्तापूर्ण डेटा प्राप्त करने के लिए, अखिल भारतीय स्तरों पर डेटा का संकलन और आकलन पोर्टल ***http://aishe.gov.in*** के माध्यम से किया जा रहा है। इससे हमें कागजरहित प्रक्रिया की ओर परिवर्तित होने में सहायता मिली। एआईएसएचई पोर्टल विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों के नामांकन, विदेशी छात्रों, आउटटर्न/ पासआउट और अध्यापक कर्मचारी–वर्ग के संबंध में शैक्षिक आंकड़े तैयार करने के लिए सूचना का एकमात्र स्रोत है। एआईएसएचई 2021–22 रिपोर्ट मुद्रण के अंतिम चरण में है, इसलिए वर्ष 2022–2023 के लिए उच्चतर शिक्षा पर वास्तविक सांख्यिकीय आंकड़े तैयार नहीं किए जा सके। एआईएसएचई 2022–23 के लिए डेटा संग्रह की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए सांख्यिकीय आंकड़ों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 में सन्निहित नहीं किया जा सका।
- भारत में उच्चतर शिक्षा में, 2020–21 में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 27.30ः है जिसका परिकलन 18–23 वर्ष आयु वर्ग के लिए किया गया है। पुरुष आबादी का जीईआर 26.7ः है और महिलाओं के संदर्भ में यह 27.9ः है। एआईएसएचई रिपोर्ट 2021–22 अभी प्रकाशित नहीं हुई है।
- 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 (एफ) के तहत यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की संख्या 1085 विश्वविद्यालय है – 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 465 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 433 राज्य निजी विश्वविद्यालय, 127 सम विश्वविद्यालय, राज्य विधान के तहत स्थापित 4 संस्थान तथा उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में धारा 2 (एफ) के तहत 13523 महाविद्यालय सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 10403 महाविद्यालय धारा 12 बी के तहत हैं।
- 01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 15 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, 24 राज्य निजी विश्वविद्यालयों और 1 सम विश्वविद्यालय संस्थान को विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया, जबकि राज्य विधानमंडल के तहत कोई भी संस्थान स्थापित नहीं किया गया था।
- 01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान, 2 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और 2 राज्य निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 बी के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया गया।
- 2022–2023 के दौरान 47844* महाविद्यालय (संबद्ध 44184, संघटक 2023, पीजी/ऑफ कैंपस केंद्र 218, मान्यता प्राप्त केंद्र 1419) विद्यमान हैं। (*आंकड़े अनंतिम)।

- शैक्षणिक सत्र 2021 के दौरान 2021–22 नियमित और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में सभी पाठ्यक्रमों एवं स्तरों में कुल छात्र नामांकन (साधारण औसत के आधार पर अनुमानित) 41843704 था।
- वर्ष 2020–21 के दौरान, विदेशी छात्रों का नामांकन (वास्तविक सूचना के आधार पर) 48035 था।
- वर्ष 2021–22 के दौरान, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में आउट–टर्न/पास–आउट की कुल संख्या 10277472* थी (अनंतिम आंकड़ा)।
- वर्ष 2021 के दौरान–22, उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में कुल 1510957' अध्यापकों में से, 848552 पुरुष अध्यापक, 662228 महिला अध्यापक और 177 ट्रांसजेंडर अध्यापक (*अनंतिम आंकड़े) एआईएसएचई पोर्टल पर वास्तविक सूचनाओं के आधार पर थे।
- वर्ष 2021–22 के दौरान, उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में 1138779' शिक्षणेत्तर स्टाफ की कुल संख्या में, 635502 पुरुष शिक्षणेत्तर स्टाफ, 502951 महिला शिक्षणेत्तर स्टाफ और 326 ट्रांसजेंडर शिक्षणेत्तर स्टाफ था ('एआईएसएचई पोर्टल पर वास्तविक सूचना के आधार पर आंकड़े (अनंतिम)।

3. विकास योजनाएं और विश्वविद्यालयों को सहायता

केंद्रीय, राज्य और सम–विश्वविद्यालयों को उनके समग्र विकास के लिए सामान्य विकास अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वे सभी पहलुओं, जैसे कि अभिगम्यता को बढ़ाना, समानता सुनिश्चित करना, संबद्ध शिक्षा प्रदान करना, गुणवत्ता में सुधार करना, प्रशासन को प्रभावी बनाना, छात्रों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करना, अनुसंधान व शोध सुविधाओं में वृद्धि करना तथा विश्वविद्यालयों की कोई अन्य योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें। सीमित संख्या में विश्वविद्यालयों को शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, भवनों के रखरखाव और करों, टेलीफोन एवं बिजली बिलों, डाक आदि जैसे अनिवार्य भुगतानों के लिए उनके आवर्ती व्यय की पूर्ति करने हेतु रखरखाव के लिए भी अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कुछ सम–विश्वविद्यालयों को पूँजी और राजस्व (वेतन और आवर्ती व्यय) दोनों अनुदानों का भुगतान किया जा रहा है जबकि राज्य विश्वविद्यालयों को केवल पूँजी अनुदान का भुगतान किया जा रहा है। निजी विश्वविद्यालय केवल अध्यापकों और छात्रों की योजनाओं के लिए अनुदान देते हैं।

- 2022–23 के दौरान, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालयों सहित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 56 थी। इनमें से दस विश्वविद्यालय नामतः, (i) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (iii) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई (iv) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (v) नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार (vi) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (vii) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश (viii) डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर–848003 (ix) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, कौतरुक, मणिपुर–795146 और (x) **गति शक्ति विश्वविद्यालय, वडोदरा** यूजीसी द्वारा वित्तपोषित नहीं किए जाते हैं।
- 2022–23 के दौरान, आवर्ती अनुदान (31) के तहत 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान जारी किए गएः 374411.50 लाख रुपये, वेतन अनुदान (36)ः 661085.00 लाख रुपये और पूँजीगत संपत्तियां (35)ः 63725.00 लाख रुपये।
- वर्ष 2022–23 के दौरान आवर्ती, पूँजीगत परिसंपत्तियों और वेतन के तहत आयुर्विज्ञान संस्थान (आईएमएस, बीएचयू) को क्रमशः 21000.00 लाख रुपये, 2625.00 लाख रुपये और 7875.00 लाख रुपये के अनुदान जारी किए गए।
- एम.फिल./पीएच.डी. के लिए गैर–नेट अध्येतावृत्ति योजना के तहत 2022–2023 के दौरान सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 15912.94 लाख रुपये की राशि जारी की गई।
- वर्ष 2022–2023 के दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ को 99.56 लाख रुपये की राशि जारी की गई और वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं हेतु आवासीय कोचिंग अकादमियों के लिए कोचिंग योजना के तहत 754 छात्र लाभान्वित हुए।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विलुप्त हो रही भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्वदेशी भाषा केंद्रों की स्थापना की है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विद्यमान आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए उन सभी विश्वविद्यालयों को निधियां प्रदान कर रहा है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(एफ) और 12बी के अधीन हैं।
- भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 25.05.2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय नामक एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा यथा–संशोधित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2022–23 से लद्दाख के तुरा गांव संघ राज्य क्षेत्र में

एक अस्थायी परिसर से कार्य कर रहा है। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की डीपीआर तैयार करने के लिए एडसिल (EdCIL) को 850 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

- सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सहभागिता करने वाले अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) की शुरुआत राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2022—2023 में की गई। सीयूईटी कम से कम 13 भाषाओं में आयोजित की जाती है।
- केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर दिशानिर्देश। भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं और संसाधनों की स्थापना हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सहायता करता रहा है। अवसंरचनात्मक सुविधाओं के रखरखाव और अनुरक्षण के लिए सतत वित्तपोषण की आवश्यकता है और इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि एक मामूली राशि वसूल करके उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए उनकी अवसंरचना को अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ साझा किया जाए। यह अतिरिक्त राजस्व इन संस्थानों को अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से कायम रखने में भी सहायता करने के अलावा, जरूरतमंदों को अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध कराएगा। इसके लिए, उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने संसाधनों, जैसे कि पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, उपकरणों आदि को अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्रों और शोधकर्ताओं को खाली समय के दौरान साझा / उपयोग करने की अनुमति दे सकते हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान या उसके संकाय, विद्यापीठों, विभाग, केंद्रों या उनमें कोई अन्य इकाइयां, चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाए, 31 दिसंबर को या उससे पहले मूल्यांकन और प्रत्यायन से गुजरे बिना 1 अप्रैल, 2016 से आयोग की किसी भी योजना के तहत उससे वित्तीय सहायता प्राप्त करने या आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से, 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त कर लिया है। तथापि, आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम और सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख एनएएसी (नैक) प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं हैं और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी को अब तक प्रत्यायन प्राप्त नहीं हुआ है।
- 31 मार्च, 2023 तक, विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत 465 राज्य सार्वजनिक और 433 राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12बी के अंतर्गत 267 राज्य सरकारी विश्वविद्यालय और 26 राज्य निजी विश्वविद्यालय केंद्रीय सहायता के लिए पात्र हैं।
- 11वीं योजना अवधि के लिए सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के रूप में 37,56,174/— रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, और 11वीं योजना के साथ विलय की गई स्कीम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के रूप में 16,02,471/— रुपए स्वीकृत किए गए थे।
- 12वीं योजना अवधि के लिए सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों को प्रतिपूर्ति के रूप में 29,40,34,792/— रुपये (अर्थात 01.04.2022 से 31.03.2023) की राशि स्वीकृत की गई है।
- पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ को वेतन मद के तहत गैर—योजना अनुदान के रूप में 278,09,10,000/— रुपये (अर्थात 01.04.2021 से 31.03.2022) की राशि स्वीकृत की गई थी।
- श्री गुरु नानक देव जी के 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब को 9,00,00,000/— रुपये (अर्थात 01.04.2021 से 31.03.2022 तक) की राशि स्वीकृत की गई।
- 30.03.2023 की स्थिति के अनुसार, देश में 127 सम—विश्वविद्यालय संस्थान हैं। इन सम—विश्वविद्यालय संस्थानों में से, 49 सम—विश्वविद्यालय संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12बी के अंतर्गत हैं।
- 127 सम—विश्वविद्यालय संस्थानों में से, 8 सम—विश्वविद्यालय संस्थानों की पहचान की गई है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जीडीए/अनुरक्षण/नियत अनुरक्षण निधियां प्राप्त कर रहे हैं।

  यूजीसी ने वर्ष 2022—23 के दौरान 8 सम विश्वविद्यालय संस्थानों को 39325.00 लाख रुपये (सहायता अनुदान सामान्य/पेंशन (31): 5500.00 लाख रुपये और वेतन शीर्ष (36): 33825.00 लाख रुपये) की राशि जारी की है।

  31 मार्च, 2023 तक 433 निजी विश्वविद्यालय थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12बी के अंतर्गत 26 राज्य निजी विश्वविद्यालय अध्यापक—छात्र केन्द्रित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान के लिए पात्र हैं। निजी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग द्वारा यूजीसी (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और अनुरक्षण) विनियम, 2003 के माध्यम से विनियमित किया जाता है।

4. विकास योजनाएं और महाविद्यालयों को सहायता

- महाविद्यालयों के लिए विकास सहायता का फोकस उनके बुनियादी ढांचे का उन्नयन कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समर्थन करने पर रहा है। मौजूदा संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार और समेकन, आधुनिकीकरण के माध्यम से मानकों में सुधार, यूजी पाठ्यक्रमों के युक्तिकरण एवं विविधीकरण, विशेष रूप से जो कैरियर अवसरों से संबंधित हैं, पर जोर दिया गया है।
- 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, देश में 46207 महाविद्यालय' (संबद्ध और संघटक) ('एआईएसएचई पोर्टल के अनुसार अनंतिम आंकड़े) थे। इनमें से केवल 3120 महाविद्यालयों को यूजीसी अधिनियम की धारा 2 (एफ़) के तहत 31.03.2023 तक मान्यता प्रदान की गई है। कुल 13523 महाविद्यालयों में से, 10403 महाविद्यालय यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12बी के तहत यूजीसी से अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। महाविद्यालय क्षेत्र से संबंधित सभी स्कीमें/कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। आयोग की 06.05.2022 को आयोजित 558वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, यूजीसी क्षेत्रीय कार्यालयों को नई दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- वर्ष 2022–23 के दौरान, दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 महाविद्यालयों को रखरखाव अनुदान के रूप में 300382.53 लाख रुपये का कुल राजस्व अनुदान प्रदान किया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय के 18 महाविद्यालयों को भवन परियोजनाओं और संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं के निर्माण के लिए 58184959 करोड़ रुपये का पूँजीगत अनुदान प्रदान किया गया।
- वर्ष 2022–2023 के दौरान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले 4 महाविद्यालयों को रखरखाव अनुदान के रूप में 9614.00 लाख रुपये का कुल राजस्व अनुदान प्रदान किया गया।

5. गुणवत्ता और उत्कृष्टता

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए चयनित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विभिन्न योजनाओं, जैसे कि कॉलेजि विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस (सीपीई), सेंटर विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस इन पार्टिकुलर एरियाज (सीपीईपीए), यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस (यूपीई) और नई योजना के माध्यम से पर्याप्त सहायता प्रदान कर रहा है ताकि उन्हें विश्व स्तरीय स्तर तक पहुंचने और देश में अन्य संस्थानों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके।

- मुख्य रूप से शिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करने और महाविद्यालयों में शोध एवं अनुसंधान संस्कृति शुरु करने के लिए, यूजीसी ने कॉलेजिज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस (सीपीई) नामक योजना चलाई है। यह स्कीम XIIवीं योजना अवधि के दौरान जारी रखी गई थी और इस स्कीम के अंतर्गत 314 अनुमोदित संस्थाएं थीं। इनमें से 295 महाविद्यालयों को सीपीई का दर्जा प्राप्त था और 19 महाविद्यालयों को सीपीई योजना के तहत कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस (सीई) का दर्जा प्राप्त था। वर्ष 2022–2023 के दौरान सीपीई योजना के तहत 03 महाविद्यालयों/लाभार्थियों को 23,46,000/– रुपये की राशि जारी की गई।
- यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस (यूपीई) योजना के अंतर्गत 12वीं योजना के दौरान अब तक 16 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है और 16 विश्वविद्यालयों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान, किसी भी यूपीई विश्वविद्यालय को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों में गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता और अंतर–ज्ञानानुशासनिक उपागम को बढ़ावा देने के लिए "सेंटर विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस इन पार्टिकुलर एरियाज'' (सीपीईपीए)" योजना शुरु की। इस पहल को 12वीं योजना अवधि में भी जारी रखा गया था और 29 संस्थान ऐसे थे जिन्हें सेंटर विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस इन पार्टिकुलर एरियाज (सीपीईपीए) के तहत सीपीईपीए का दर्जा प्राप्त था। वित्त वर्ष 2022–2023 के दौरान सीपीईपीए योजना के तहत किसी भी केंद्र को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया।

- बायोसाइंस, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान सहित विश्वविद्यालय विज्ञान विभागों को अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करने और स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 31.03.2023 तक, एसएपी समर्थित विभागों की संख्या 582 थी। वर्ष 2022–23 के दौरान 42 लाभार्थी विभागों पर 2.13 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।
- यूजीसी अधिनियम की धारा 2 (एफ) और 12 बी के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों को शैक्षणिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन्हें स्वायत्त महाविद्यालय का दर्जा प्रदान कर रहा है। 31.03.2023 तक वर्ष 2022–23 के दौरान 25 राज्यों में फैले 118 विश्वविद्यालय और 903 स्वायत्त महाविद्यालय थे।
- अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिए विभिन्न विषयों में एक व्यापक कार्यक्रम मानव संसाधन विकास केंद्रों (एचआरडीसी) (अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय एएससी) के माध्यम से चलाया गया है। यूजीसी ने 66 एचआरडीसी में से, 50 को अनुदानों की मंजूरी दी है। 16 एचआरडीसी को अनुदान जारी नहीं किया जा सका क्योंकि वर्ष 2019–20, 2020–2021, 2021–22 और 2022–23 के लिए उनके लेखाओं की लेखापरीखा नहीं हुई थी/एआरडीसी द्वारा टीएसए को क्रियाशील नहीं किया था। लगभग 95311 अध्यापक–प्रतिभागियों ने 66 यूजीसी एचआरडीसी द्वारा संचालित कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया है। वर्ष 2022–23 के लिए 50 एचआरडीसी को 32,86,21,758/– रुपये (32.86 करोड़ रुपये) की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1985 में विश्वविद्यालय क्षेत्र में मानवाधिकार शिक्षा की योजना शुरु की। तब से, उच्चतर शिक्षा क्षेत्र को आर्थिक रूप से तथा मानव अधिकारों एवं मूल्यों और मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्थन दिया गया है। मानव अधिकार शिक्षा योजना के तीन घटक हैं (i) मानव अधिकार एवं कर्तव्य (ii) मानव अधिकार एवं मूल्य (iii) मानव अधिकार एवं मानव विकास।
- हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा अनुभाग ने अपने कर्मियों के लिए निबंध, टिप्पण एवं प्रारूपण और हिंदी टंकण प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं / हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया तथा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान हिंदी दिवस मनाया। वर्ष 2022–2023 में, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार चार बैठकें 28.04.2022, 06.09.2022, 22.12.2022 और 24.03.2023 को हाइब्रिड मीडियम के माध्यम से आयोजित की गईं। 3 अधिकारियों को हिंदी प्रवीण प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया और तीनों (3) अधिकारियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की। इन अधिकारियों को एक–बारगी वेतन वृद्धि के रूप में एकमुश्त रु. 10,000/– (दस हजार रुपये केवल) का भुगतान किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय /सम विश्वविद्यालयों/ राज्य विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग की स्थापना एवं उन्नयन योजना के तहत लेखाओं का निपटान करने हेतु मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को 25 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया और कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि को हिंदी विभाग स्थापित करने के लिए 12.50 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूएसए, यूके, इजरायल, नॉर्वे और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा है और उसने भारतीय शोधार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनुसंधान कार्यक्रमों आदि के माध्यम से अपने शोध कार्य को पूरा करने में भी सुविधा प्रदान की है।
- भारत–इजरायल संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम, यूजीसी और इजराइल साइंस फाउंडेशन (आईएसएफ) के तहत, अब तक कार्यक्रम के तहत 43 परियोजनाएं अवार्ड की गई हैं। कार्यक्रम सभी ज्ञानानुशासनों के लिए खुला है।
- यूजीसी–यूकेआईईआरआई थीमेटिक भागीदारियां यूके और भारत में प्रमाणिक अनुसंधान क्षमता वाले संस्थान–आधारित अनुसंधान टीमों के बीच की जानी हैं। यूकेआईईआरआई चरण–III के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक स्टाफ के लिए उच्चतर शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था। कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित किया गया था। दूसरा चरण मार्च, 2022 में संपन्न हुआ।
- उच्च शिक्षा में भारत–जर्मन भागीदारी (आईजीपी): मंत्रालयों और संयुक्त आशय घोषणा पत्र (जेडीआई) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), भारत और जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा (डीएएडी), जर्मनी के बीच उच्च शिक्षा में भारत–जर्मन भागीदारी (आईजीपी) पर 5 अक्टूबर, 2015 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और भारत

के माननीय प्रधानमंत्री तथा जर्मनी के महामहिम चांसलर की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान किया गया। पहले चक्र में, 1 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2020 तक चार वर्षों के लिए 2016 में 8 संस्थागत भागीदारियां अवार्ड की गई थीं, जिन्हें 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया गया था। दूसरे चक्र में, 2020 में 4 वर्षों की परियोजना अवधि यानी 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2024 तक 9 संस्थागत भागीदारियां अवार्ड की गई थीं। 2022–23 के दौरान उच्चतर शिक्षा में भारत–जर्मन भागीदारी (आईजीपी) पर 121.99 लाख रुपये का व्यय किया गया।

- जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा (डीएएडी) और नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मुख्य रूप से मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सहकारी अनुसंधान परियोजनाओं में भाग लेने वाले शोधार्थियों के वित्तपोषण के माध्यम से वैज्ञानिक सहयोग को गति प्रदान करने हेतु एक कार्यक्रम तैयार किया है। इसमें युवा पीएच.डी. और पोस्ट–डॉक्टरल वैज्ञानिकों एवं शोधार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है।
- शिक्षा के क्षेत्र में भारत–अमेरिका रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि के रूप में, भारत–अमेरिका 21वीं शताब्दी ज्ञान पहल की घोषणा 2009 में की गई थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये अध्येतावृत्तियां युवा भारतीय शोधकर्ताओं और सभी ज्ञानानुशासनों के अध्यापकों को उभरते क्षेत्रों में उन्नत तकनीकों एवं प्रौद्योगिकियों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु एक उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदान की हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पोस्ट–डॉक्टरल रिसर्च के लिए रमन अध्येतावृत्ति पर 2022–23 में 3.98 लाख रुपये का खर्च किया गया।
- भारत–हंगेरी शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, वर्ष 2022–2023 में, हंगेरियन छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत 173 भारतीय छात्रों का चयन किया गया। यूजीसी के माध्यम से भारत सरकार हंगरी के छात्रों के लिए 35 छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। स्टाइपेंडियम हंगरीकम छात्रवृत्ति कार्यक्रम पर 14.45 लाख रुपये का खर्च किया गया।
- सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के अनुसार, चार भारतीय शोधार्थियों को "St. Kliment Ohridski: सोफिया यूनिवर्सिटी एवं "सेंट सिरिल और सेंट मेथोडियस" वेलिको टर्नोवो यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित बुल्गेरियन भाषा एवं संस्कृति में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए नामांकित किया गया।
- उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान में भारत–नॉर्वेजियन सहयोग कार्यक्रम (आईएनसीपी) एक नई पहल है जिसका उद्देश्य 2022–23 के दौरान भारत और नॉर्वे के बीच उच्चतर शिक्षा लिंक को बढ़ाना है।
- विदेशी भाषा अध्यापकः यूजीसी के पास सहयोगात्मक कार्यक्रम हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ, विदेशी भाषाओं को पढ़ाने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषा अध्यापकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ईईपी और सीईपी के अनुसार, भारत में विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 22 विदेशी भाषा अध्यापकों की नियुक्तियों को मंजूरी दी गई है।
- एनईपी, 2020 के विजन के अनुरूप और भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में प्रयास करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न पहल की हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय मामले कार्यालय की स्थापना के लिए सभी विश्वविद्यालयों को आवश्यक दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। अब तक, 167 विश्वविद्यालयों ने अंतर्राष्ट्रीय मामले कार्यालय की स्थापना की है।
- राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी–नेट) का आयोजन सहायक प्रोफेसर और कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है ताकि मानविकी (भारतीय और कुछ विदेशी भाषाओं सहित), योग, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान के कई विषयों में शिक्षण व्यवसाय में और अनुसंधान में प्रवेश करने वालों के लिए न्यूनतम मानक सुनिश्चित किए जा सकें। परीक्षा सामान्यतः जून और दिसंबर माह में 83 विषयों में, प्रत्येक वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है, दिसंबर 2022 के विअआ–नेट की परीक्षा में, कुल 5,46,679 उम्मीदवार बैठे, जिनमें से 43,917 उम्मीदवार अर्थात् 8.03 प्रतिशत उत्तीर्ण हुए।
- यूजीसी की ओर से सीएसआईआर, विज्ञान के पांच मुख्य विषयों में नेट का आयोजन करता है। दिसंबर 2021 एवं जून 2022 (संयुक्त मोड में) और दिसंबर 2022 एवं जून 2023 (संयुक्त मोड में) में संयुक्त सीएसआईआर–यूजीसी परीक्षा में 14791 उम्मीदवार सहायक प्रोफेसर की पात्रता के लिए उत्तीर्ण हुए, जिसमें यूजीसी योजना के तहत जेआरएफ के लिए पात्र 3300 उम्मीदवार शामिल हैं।

- राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी) को यूजीसी द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए सम्यक् प्रत्यायित किया गया है। एसईटी का पैटर्न यूजीसी–नेट जैसा ही है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 22.09.2022 को आयोजित अपनी 561वीं बैठक में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पहचान की गई राज्य नोडल एजेंसियों को यूजीसी से प्रत्यायन के बिना राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी) आयोजित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया।
- यात्रा अनुदान योजना के तहत, 37 महाविद्यालयी अध्यापकों/पुस्तकालयों ने 2022–23 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठाया। वर्ष 2022–23 के दौरान लाभार्थियों को 39.55 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खंड 12 (सीसीसी) के तहत स्वायत्त केंद्रों के रूप में स्थापित नौ अंतर–विश्वविद्यालय केंद्र (आईयूसी) भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली में कार्य कर रहे हैं जो प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करके विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों आदि को सामान्य सुविधाएं, सेवाएं और कार्यक्रम उपलब्ध कराते हैं तथा अत्याधुनिक उपकरण एवं उत्कृष्ट पुस्तकालय सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध करा रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष 2022–2023 के दौरान, यूजीसी ने आठ अंतर–विश्वविद्यालय केंद्रों और दो ईएमएमआरसी/एनएफसी केंद्रों को 36, 31 और 35 शीर्ष के तहत 15441.15 लाख रुपये, 9608.02 लाख रुपये और 5498.00 लाख रुपये की राशि जारी की थी। ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चुनिंदा विश्वविद्यालयों में 4 राष्ट्रीय सुविधा केंद्रों की स्थापना की है और उन्हें नियमित रूप से सहायता प्रदान की है। वर्ष 2022–23 के दौरान, यूजीसी ने 36, 31 और 35 शीर्ष के तहत वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर को 550.35 लाख रुपये का अनुदान जारी किया।

6. शोध को बढ़ावा

- "अध्यापकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएं" योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालयी / महाविद्यालयी अध्यापकों के अनुसंधान कार्यक्रमों हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करके उच्चतर शिक्षा में शोध में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। ऐसे क्षेत्रों पर जोर दिया जा रहा है जो स्वास्थ्य, जेरोन्टोलॉजी, पर्यावरण, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, तनाव प्रबंधन, डब्ल्यूटीओ आदि जैसे विषयों और अन्य क्षेत्रों से संबद्ध हैं। ऐसे विषयों एवं क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है और इनकी पहचान विषय–विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। 'प्रमुख अनुसंधान परियोजना' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक पहल है जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्थायी, नियमित, कार्यरत/सेवानिवृत्त अध्यापकों को उनके चुने हुए क्षेत्रों में शोध करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2022–23 के दौरान 120 लाभार्थियों को कुल 1.28 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- इस योजना के अंतर्गत डॉक्टरेट डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों के स्थायी अध्यापकों को दो वर्ष की अवधि के लिए, असाधारण मामलों में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर एक वर्ष के विस्तार के साथ, कोई शोध निर्देशन के बिना अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में शोध करने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सभी विषयों व ज्ञानानुशासनों के लिए वैकल्पिक वर्षों में 100 सीटों के लिए चयन किया जाता है। वर्ष 2022–23 के दौरान लाभार्थियों को भुगतान के लिए 0.24 लाख रुपये का व्यय किया गया।
- भारतीय मूल के मेधावी वैज्ञानिकों, जो विदेशों में काम कर रहे हैं, को आकर्षित करने हेतु, उच्चतर गुणत्तात्मक शोध को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान वैज्ञानिक योजना (स्कीम ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट) 1983 में शुरु और क्रियान्वित की गई थी। वर्ष 2022–23 के दौरान इन अनुसंधान वैज्ञानिकों के वेतन और आकस्मिक व्यय पर 4.95 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।
- एससी/एसटी योजना के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति का उद्देश्य उन उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिन्होंने डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त की है और अपने चुने हुए क्षेत्रों में उन्नत शोध के लिए अपने नाम से शोध कार्य प्रकाशित किए हैं। इस योजना के तहत उपलब्ध कुल सीट संख्या प्रति वर्ष 100 थी। 2022–23 के दौरान, इस योजना को नई शुरु की गई योजना "डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति" के साथ विलय कर दिया गया। अब इस योजना के तहत केवल पुराने मामलों का निपटारा किया जा रहा है। अध्येतावृत्ति पांच वर्षों के लिए है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 2.05 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।
- इस योजना का आशय पीएच.डी. डिग्री धारकों और विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में पोस्ट–डॉक्टरेट शोध करने की इच्छुक बेरोजगार महिला उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करना था। इस योजना के तहत उपलब्ध सीटों की कुल संख्या प्रति वर्ष 100 थी। 2022–23 के दौरान, इस योजना को नई शुरु की गई योजना "डॉ एस राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति" के साथ विलय किया गया है। केवल पुराने मामलों का निपटारा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 2.34 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

- भारतीय भाषाओं सहित मानविकी और सामाजिक विज्ञान में डॉ. एस. राधा कृष्णन पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उन्नत अध्ययन एवं शोध करने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत उपलब्ध सीटों की कुल संख्या प्रति वर्ष 200 है। इस योजना को नई शुरु की गई योजना "डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति" के साथ विलय किया गया है। केवल पुराने मामलों का निपटारा किया जा रहा है। 2022–23 के दौरान 2.21 लाख रुपये का व्यय किया गया।

- डी.एस. कोठारी पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति मौलिक विज्ञानों/आयुर्विज्ञान/अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी में पोस्ट–डॉक्टोरल शोध करने के लिए प्रदान की जाती है। वर्ष 2022–23 के दौरान, विभिन्न संस्थानों में कार्यरत 506 अध्येताओं को 25.99 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस योजना को नई शुरु की गई योजना "डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति" के साथ विलय किया गया है। केवल पुराने मामलों का निपटारा किया जा रहा है।

- राज्य विश्वविद्यालयों में अधिवर्षिता के समीप की आयु वाले प्रतिभाशाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्यापकों द्वारा मौलिक विज्ञान शोध में योगदान को जारी रखने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी–बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति नामक एक योजना शुरु की। विश्वविद्यालयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर के अध्यापक इसके लिए पात्र हैं। 2022–23 के दौरान, 01.01.2022 से 31.12.2022 तक 78 बीएसआर संकाय अध्येताओं को 6.01 करोड़ रुपये जारी किए गए।

- सेवानिवृत्त अध्येतावृत्ति योजना का उद्देश्य सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के 70 वर्ष की आयु तक के सेवानिवृत्त अध्यापकों को अपने–अपने विशेषज्ञता क्षेत्रों में सक्रिय शोध करने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत उपलब्ध सीटों की संख्या विज्ञान शाखाओं के लिए 100 और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए किसी भी समय–आधार पर प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष 100 है। 2022–23 के दौरान 1766/– रुपये का व्यय किया गया। इस योजना को "सेवानिवृत्त संकाय सदस्य अध्येतावृत्ति" के रूप में फिर से शुरु किया गया है। केवल पुराने मामलों का निपटारा किया जा रहा है।

- जूनियर रिसर्च अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) (भारतीय नागरिकों के लिए) जेआरएफ योजना उन भारतीय उम्मीदवारों के लिए है जो यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। जेआरएफ को पहले दो वर्षों के लिए 31,000 रुपये प्रति माह और शेष अवधि के लिए 35,000 रुपये प्रति माह की अध्येतावृत्ति वार्षिक आकस्मिकता राशि के साथ दी जाती है।

- रिपोर्टाधीन वर्ष में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के लिए जेआरएफ योजनाओं के तहत 1144.59 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। वर्तमान में लगभग 27,050 शोधार्थी जेआरएफ के तहत एम.फिल/पीएचडी कर रहे हैं।

- उच्चतर शिक्षा में सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को एम.फिल./पीएच.डी. डिग्री प्राप्त करने हेतु उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए प्रतिवर्ष 2000 राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां प्रदान करता है। 2022–23 के दौरान, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के 3132 अध्येताओं को 69.24 करोड़ रुपये का व्यय वितरित किया गया।

- अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के कार्यान्वयन का दायित्व 2009 से यूजीसी को सौंपा और वित्तपोषण उपलब्ध कराया। इस योजना के तहत अध्येतावृत्ति दर अन्य यूजीसी अध्येतावृत्ति के बराबर होगी। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सितंबर माह तक 2145 लाभार्थियों को 49.79 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

- महिला उम्मीदवारों के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के विचारों को ध्यान में रखते हुए और कन्याओं को शिक्षा ग्रहण करने में सहायता करने तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यूजीसी ने 2014–15 के दौरान सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानंद एकल कन्या अध्येतावृत्ति शुरु की थी। वर्ष 2022–23 के दौरान 187 लाभार्थियों को 6.15 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

- "मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान में अनुसंधान अध्येतावृत्ति (आरएफएसएमएस) (बीएसआर अध्येतावृत्ति) योजना का कार्यान्वयन मेधावी अभ्यर्थियों को विज्ञान में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त करने के लिए उन्नत अध्ययन और शोध करने के अवसर प्रदान करने के लिए क्रियान्वित की गई है। इसके लिए वे उम्मीदवार पात्र हैं जो यूजीसी द्वारा पहचान किए गए विशेष सहायता विभागों और उत्कृष्टता/ उन्नत अध्ययन केंद्रों के साथ विश्वविद्यालयों में विज्ञान विषयों में पीएच.डी. के लिए पंजीकृत हैं। 2022–23 के दौरान, 75 जेआरएफ/एसआरएफ उम्मीदवारों को कुल 0.54 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया।

- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां समाज के वंचित वर्गों के अभ्यर्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए और उन्हें स्नातकोत्तर स्तर का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 1212 लाभार्थियों को 9.45 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

- इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर एकल कन्या छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य कन्याओं को (जो अपने परिवारों में एकमात्र संतान हैं) छात्रवृत्तियों के माध्यम से सहायता प्रदान करके ऐसी उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में सहायता प्रदान करने तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना और उसके माता–पिता को छोटे परिवार के मानदंडों का पालन करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। जिन कन्याओं को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या पीजी महाविद्यालय में मास्टर डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश मिला है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष है और छात्रवृत्ति राशि 3,100 रुपये प्रति माह (वर्ष में दस महीने के लिए) है। सभी पात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलेगी। यह योजना 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑन–बोर्ड उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान वर्तमान 3839 लाभार्थियों को 13.90 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

- प्रतिभाशाली छात्रों को स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए स्नातक–पूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति योजना लागू है। इस योजना के तहत लाभार्थी अपने पीजी पाठ्यक्रमों (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को कवर नहीं किया गया है) की पढ़ाई किसी भी विशेषज्ञता क्षेत्र में तथा देश में उच्चतर शिक्षा के किसी भी संस्थान में कर सकते हैं। सामान्य पाठ्यक्रमों में प्रथम और द्वितीय रैंक धारक और ऑनर्स पाठ्यक्रमों में केवल प्रथम रैंक धारक छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष की होती है और छात्रवृत्ति राशि 3100/– रुपये प्रति माह (वर्ष में दस महीने के लिए) दी जाती है। यह योजना 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध है। 2022–2023 की अवधि के दौरान, वर्तमान 1564 लाभार्थियों को 5.81 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

- स्नातक छात्रों को उच्चतर शिक्षण संस्थानों में पीजी अध्ययन करने में सहायता करने हेतु, यूजीसी एम.ई. / एम.टेक./ एम. फार्मा के गेट/GATE–अर्हक छात्रों के लिए 12,400/– रुपये प्रति माह (गेट/जीपैट में 60ः से अधिक अंक) और 1550/– रुपये प्रति माह (प्रथम सेमेस्टर में 60ः से कम अंक) की छात्रवृत्ति राशि के साथ पीजी छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 1100 लाभार्थियों को 10.43 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में यूजीसी ने शैक्षणिक सत्र 2014–15 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए "ईशान उदय" विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरु करने का निर्णय लिया है। छात्रवृत्ति की दर सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 5,400 रुपये प्रति माह और तकनीकी एवं व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 7,800 रुपये प्रति माह है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजना के तहत 10,000 उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान वर्तमान 25131 लाभार्थियों को 142.43 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

भारतीय विश्वविद्यालयों में मौलिक वैज्ञानिक शोध के लिए अधिकार–प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं

- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर विज्ञान से संबंधित ज्ञानानुशासनों में उच्चतर गुणत्तात्मक शोध को संबल प्रदान करने और एक अकादमिक संकाय में नई प्रतिभाओं को नियुक्त कर विश्वविद्यालयों में नवोन्मेषी व नवप्रवर्तन शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, फैकेल्टी रिचार्ज प्रोग्राम शुरु किया गया है। इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2011 में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी और अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया शुरु करने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया था। वर्तमान में योजना के तहत चयनित कुल 373 संकायों में से 145 संकाय कार्यरत हैं। 2022–2023 के दौरान 149 चयनित संकाय सदस्यों को वेतन के रूप में 47.99 करोड़ रुपये जारी किए गए।

- नई भर्ती किए गए संकाय सदस्यों के लिए स्टार्ट–अप अनुदान योजना के तहत, वे सभी अध्यापक जो अनुमोदित /उद्धृत जर्नलों में न्यूनतम दो शोध प्रकाशनों के साथ पीएच.डी. डिग्री के साथ सहायक प्रोफेसर के स्तर पर नवनियुक्त हैं, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि 10 लाख रुपये है। 28 जनवरी, 2022 तक प्राप्त आवेदनों पर चयन के लिए विचार किया गया, जबकि परिणाम सितंबर 2021 में घोषित किया गया था। इसके बाद, योजना के तहत कोई नया चयन

नहीं किया गया। विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए वर्ष 2022–23 के दौरान 161 संकाय सदस्यों को 9.12 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

- मिड–करियर अवार्ड योजना के तहत एक अध्यापक को शोध करने के लिए 10.00 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। अनुदान का उपयोग छोटे उपकरण, रसायन, आकस्मिकता और फील्ड वर्क के लिए किया जा सकता है। 28.01.2021 तक प्राप्त आवेदनों पर चयन के लिए विचार किया गया, जबकि परिणाम सितंबर 2021 में घोषित किया गया था। उसके बाद, योजना के तहत कोई नया चयन नहीं किया गया। विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कर रहे 17 अध्यापकों को वर्ष 2022–23 के दौरान 0.76 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

- सेवारत संकाय–सदस्य अनुसंधान अनुदान योजना का उद्देश्य स्थायी रूप से नियुक्त संकाय सदस्यों को अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में शोध करने के लिए अवसर प्रदान करना है। 50 वर्ष की आयु तक के संकाय सदस्य, जिनकी विश्वविद्यालय में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा शेष है, इस योजना के तहत पात्र हैं। अध्येतावृत्ति का कार्यकाल दो वर्ष है और इसमें 200 सीटें हैं या, जैसा कि आयोग द्वारा तय किया जा सकता है। चयनित उम्मीदवारों को 10.00 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना सितंबर 2022 में शुरु की गई जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। वर्ष 2022–23 के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है।

- नव नियुक्त संकाय सदस्यों के लिए डॉ. डी. एस. कोठारी अनुदान योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/ महाविद्यालयों (जिन्हें इसके बाद "संस्थान" कहा गया है) के स्थायी रूप से नियुक्त संकाय सदस्यों को अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में शोध करने के लिए अवसर प्रदान करना है। विश्वविद्यालय में स्थायी पदों पर सहायक प्रोफेसर के स्तर पर नवनियुक्त सभी अध्यापक इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस योजना के तहत 132 सीटें हैं और अध्येतावृत्ति की अवधि दो वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को 10.00 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना सितंबर 2022 में शुरु की गई थी जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। वर्ष 2022–23 के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है।

7. लैंगिक और सामाजिक समानता

- भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययन विकास योजना का आशय शिक्षण, अनुसंधान और फील्ड एक्शन के माध्यम से महिलाओं हेतु शिक्षा का विस्तार करना और फील्ड एक्शन कार्यक्रम के माध्यम से फील्ड की वास्तविकता के साथ निरंतर बातचीत को प्रोत्साहित करना है। 31.03.2023 तक, विश्वविद्यालय प्रणाली में 159 महिला अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं जो परिचालन में हैं। इस योजना के तहत 12.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जिसमें से 10.57 करोड़ रुपये का अनुदान 2022–23 के दौरान जारी किया गया था।

- भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के पदों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और दिव्यांगजनों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की प्रगति तथा विश्वविद्यालयों में सभी स्तर के पाठ्यक्रमों में उनके प्रवेश की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उपर्युक्त पैरामीटरों पर सूचना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग अनुभाग द्वारा नियमित रूप से एकत्र की जाती है जिसे शिक्षा मंत्रालय को सूचनार्थ तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।

- सामाजिक बहिर्वेशन और समावेशन के मुद्दे पर शोध में सहायता प्रदान करने के लिए, जिसका सैद्धांतिक और नीतिगत महत्व है, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में शिक्षण–सह–अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की, जिन्हें सामाजिक बहिर्वेशन और समावेशन नीति अध्ययन केंद्र कहा जाता है। 31.03.2023 तक, विभिन्न विश्वविद्यालयों में 35 केंद्र कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान 1.20 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

- उच्चतर शिक्षा प्रणाली में दिव्यांगजनों की अनदेखी न करने के उद्देश्य से और दिव्यांगजनों को पढ़ाने वाले अध्यापकों एवं काउंस्लरों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने तथा दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न रूपों में सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, यूजीसी एक योजना यानी दिव्यांगजन उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन) कार्यान्वित कर रहा था। इन योजनाओं का कार्यभार अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक पृथक प्रकोष्ठ द्वारा निष्पादित किया जाता है और प्रकोष्ठ द्वारा अनुदान जारी किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में रोजगार और प्रवेश हेतु दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी केंद्रीय/राज्य/सम–विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त अनुदान संस्थानों को (i) सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी/अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए (ii) डीओपीटी द्वारा जारी किए गए का.ज्ञा. सं. 36012/2/96–स्था. (रिस.) दिनांक 2 जूलाई, 1997 के अनुसार आरक्षण रोस्टर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने और (iii) शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर पदों में इन श्रेणियों की शेष अभिज्ञात बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए समय–समय पर अनुदेश जारी करता है। इस संबंध में दिनांक 29.11.2021 के पत्र सं. 1–8/2014 (एससीटी) के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को भारत के संविधान के 103वें संशोधन के अनुसार उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन के बारे में सूचित किया ताकि संशोधन का तत्काल कार्यान्वयन और अनुपालन किया जाए।

8. प्रासंगिक और मूल्य–आधारित शिक्षा

बाह्य देशों में भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों और रणनीतिक विशिष्टताओं के समग्र अध्ययन को बढ़ावा देने और नीति निर्माताओं, विशेष रूप से भारत के आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक हितों से संबद्ध महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के लिए, यूजीसी ने 2022–2023 के दौरान क्षेत्र अध्ययन केंद्रों की स्थापना करने के लिए समय–समय पर विश्वविद्यालयों की पहचान की।

भारत के महान सामाजिक विचारकों के दृष्टिकोणों एवं विचारों से अध्यापकों और छात्रों को परिचित कराने के लिए विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में 'भारत के युगांतकारी विचारक' यानी 'Epoch Making Thinkders of India* योजना के तहत 394 अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

9. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एकीकरण (आईसीटी)

- ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ की स्थापना 2019 में इनफ्लिबनेट सेंटर (यूजीसी का एक आईयूसी) की सहायता से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के कार्यालय में की गई थी। यूजीसी में ई–गवर्नेंस की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ में समर्पित तकनीकी कर्मचारियों की एक टीम नियुक्त की गई है। कार्य वातावरण को पारदर्शी एवं कागज रहित बनाने के लिए यूजीसी की विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने और सूचना प्राप्त करने के लिए वेब पोर्टल और अनुप्रयोग विकसित किए गए हैं।
- यूजीसी के कार्यालय में एक सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के ई–ऑफिस प्रीमियम संस्करण सॉफ्टवेयर को एनआईसी की सहायता से क्रियान्वित किया गया है।
- एनआईसी के ई–ऑफिस मॉड्यूल (ई–नोटिंग सहित) का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, यूजीसी ने एनआईसी ई–ऑफिस सुविधाओं की सहायता से सभी यूजीसी अधिकारियों और अधिकारियों के लिए समय–समय पर एक ई–ऑफिस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है।
- यूजीसी की वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य अंतिम उपयोगकर्ताओं / हितधारकों को विभिन्न यूजीसी योजनाओं पर महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराना है। हितधारक यूजीसी पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय की रिपोर्ट, योजनाओं के प्रस्ताव, छात्रवृत्तियों / अध्येतावृत्तियों / नौकरियों आदि के लिए आवेदन सहित अपनी विभिन्न प्रकार की सूचना को प्रस्तुत / अपलोड कर सकते हैं। यूजीसी की वेबसाइट को नियमित आधार पर अद्यतित किया जा रहा है। यूजीसी की एक नई वेबसाइट विकसित की जा रही है। यूजीसी अपनी वेबसाइट को उपयोगकर्ता के लिए और भी अधिक हितैषी, सूचनात्मक और गतिशील बनाने के लिए इसे पुनः नव रूप दिया जा रहा है।
- यूजीसी का विश्वविद्यालय क्रियाकलाप निगरानी पोर्टल (यूएएमपी) उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा समय–समय पर संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों / क्रियाकलापों के लिए एक–सूत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह पोर्टल विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा संचालित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों का ब्यौरा अपलोड करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालयों से अनुरोध

है कि वे इस पोर्टल पर यूजीसी विश्वविद्यालय पोर्टल के लिए यूजीसी द्वारा प्रदान किए गए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग–इन करें। इसके अलावा, विश्वविद्यालय इस पोर्टल पर अपने संपर्क विवरण नियमित रूप से अद्यतित कर सकते हैं।

- वर्ष 2022–2023 के दौरान परियोजना (इनफ्लिबनेट ई–सामग्री) के अंतर्गत किया गया कुल व्यय 28,02,100/– रुपये है।

- सरकार ने स्वयम (SWAYAM) पोर्टल शुरु किया है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रयोग कर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। इसके माध्यम से, कोई भी छात्र देश के सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों द्वारा प्रदान किए गए वर्चुअल पाठ्यक्रमों में शामिल हो सकेगा, अध्यापक के साथ बातचीत कर सकेगा, परीक्षा दे सकेगा, अकादमिक क्रेडिट अर्जित करके उन्हें अपने अकादमिक रिकॉर्ड में स्थानांतरित कर सकेगा।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लोकल चैप्टर्स एक्टिविटी (अर्थात स्थानीय स्तर पर एक मंच में विचार–विमर्श करना) शुरु करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसमें स्वयम पर प्रदान किए गए मूक (MOOK) पाठ्यक्रमों को अंगीकृत एवं बढ़ावा देना शामिल है।

  स्वयम मंच के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए दो सौ नवासी (289) विश्वविद्यालय क्रेडिट ट्रांसफर स्वीकार करने हेतु ऑनबोर्ड आए हैं।

  भाषा की बाधा को दूर करने, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और मातृभाषा में शिक्षण प्राप्त करने में लचीलेपन के लिए, यूजीसी 8 क्षेत्रीय भाषाओं (हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल और तेलुगु) में 27 पीजी स्वयम गैर–इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों का अनुवाद करने की प्रक्रिया में है।

- यूजीसी ने दर अनुबंध आधार पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की स्वयम परियोजना के लिए मल्टीमीडिया से संबंधित कार्यों हेतु छह विक्रेताओं/वेंडरों को सूचीबद्ध किया है। वर्ष 2022–2023 के दौरान परियोजना (स्वयम के लिए मूक्स) पर किया गया कुल व्यय 16227889.62/– रुपये है।

- राष्ट्रीय अकादमिक रिपोजिटरी (एनएडी) सभी अकादमिक पुरस्कारों का 24 × 7 ऑनलाइन संग्रह हैं, जिन्हें अकादमिक संस्थानों/ बोर्डों / पात्रता मूल्यांकन निकायों द्वारा अधिष्ठापित किया गया है तथा उन्हें विधिवत रूप से डिजिटीकृत किया गया है। शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने यूजीसी को सूचित एवं प्राधिकृत किया है कि वह डिजीलॉकर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सहयोग से एनएडी को एक स्थायी योजना के रूप में लागू करे। 31 मार्च, 1937 तक, शैक्षणिक संस्थानों को एनएडी पर एनएडी–डिजी लॉकर पोर्टल पर ऑन–बोर्ड लाया गया है और उन्होंने इसके माध्यम से 12.94 करोड़ शैक्षणिक अवार्ड संबंधी डेटा अपलोड किया है।

- एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिटः राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में एक एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) की स्थापना करने की सिफारिश की गई है, जो विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों से प्राप्त शैक्षणिक क्रेडिटों को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा ताकि प्राप्त क्रेडिटों पर विचार करते हुए उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा डिग्री प्रदान की जा सके। एबीसी के प्रमुख कार्यों में एबीसी योजना के तहत एचईआई का पंजीकरण करना और छात्रों के शैक्षणिक खातों को खोलना, बंद करना एवं सत्यापन करना, क्रेडिट का सत्यापन करना, छात्रों के क्रेडिट को स्थानांरित/मोचन करना तथा हितधारकों के बीच एबीसी को बढ़ावा देना शामिल है। एबीसी पोर्टल (*https://www.abc.gov.in/*) छात्रों और विश्वविद्यालयों, दोनों के पंजीकरण के लिए खुला है। एबीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और आईआईटी के निदेशकों के साथ 29 दिसंबर 2022 को एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की। इस वेबिनार में राज्य विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों के कुछ प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। एबीसी पर संस्थानों की कुल संख्या 1182 है और छात्रों की आईडी 84 लाख (लगभग) है।

- यूजीसी ई–समाधान पोर्टल को मौजूदा छात्र शिकायत निवारण पोर्टल का प्रतिस्थापन करते हुए आधिकारिक तौर पर 5 सितंबर 2022 को शुरु किया गया था, क्योंकि मौजूदा पोर्टल में विभिन्न हितधारकों द्वारा व्यक्त की गई कुछ चिंताएं एवं समस्याएं थीं। एकल खिड़की प्रणाली अर्थात सिंग्ल विंडो सिस्टम की अनुपलब्धता के कारण, हितधारक विभिन्न स्थानों पर कई शिकायतें दर्ज करा रहे थे। इसके कारण, निवारण तंत्र धीमी गति से चल रहा था, जो हितधारकों के लिए और भी अधिक चिंताएं उत्पन्न कर रहा था। उपर्युक्त मुद्दों को हल करने के लिए, यूजीसी ने "ई–समाधान ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और निगरानी प्रणाली" (*https://samadhaan.ugc.ac.in/*) शुरु की। यह एकल खिड़की प्रणाली सभी हितधारकों को शिकायतें दर्ज करने में सहायक होगी, जो माउस क्लिक

करते हुए 24x7 उपलब्ध रहेगी। यूजीसी की वेबसाइट पर एक टोल फ्री नंबर 1800–111–656 भी उपलब्ध रहेगा, जिस पर हितध ाारक किसी भी समस्या के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

10. कौशल विकास पहलें

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा, बी. वोके., एम.वोके. और पीएच.डी. स्तर पर कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को सुविधा प्रदान कर रहा है। एनएसक्यूएफ के तहत कौशल आधारित कार्यक्रम प्रदान करने हेतु यूजीसी द्वारा 1560 संस्थानों को मंजूरी दी गई थी। वर्ष 2022–23 के दौरान योजना–वार व्यय के संदर्भ में, वर्ष 2022–23 के दौरान एनएसक्यूएफ के तहत विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों को 11.70 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य डिग्री छात्रों की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए दिशानिर्देश भी अधिसूचित किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सभी ज्ञानानुशासनों में कोई भी यूजी डिग्री कार्यक्रम में अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप को एम्बेड करने के लिए पात्र है।

11. मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा

- पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए गए और अधिसूचित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उन पर कार्रवाई की गई। तदनुसार, यूजीसी–डीईबी द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2022–23 के लिए ओडीएल कार्यक्रम प्रदान करने हेतु 72 उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता दी गई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, 3 उच्चतर शिक्षा संस्थानों को 2022–23 के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से कार्यक्रम प्रदान करने हेतु मान्यता दी गई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के अनुसार, उच्चतर शिक्षा संस्थान यूजीसी की पूर्व अनुमति के बिना परिपूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम शुरु करने के हकदार हैं और उनसे अपेक्षा की गई है कि वे एक शपथ–पत्र अथवा हलफनामा प्रस्तुत करें कि अधिसूचित विनियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। चार प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया अर्थात, एचईआई के हकदारी पात्रता मानदंड, ऑनलाइन मोड के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों की स्वीकार्यता, डिग्रियों के विनिर्देश पर यूजीसी अधिसूचना, 2014 का अनुपालन और उसके संशोधन तथा नियामक प्राधिकरणों का पूर्व अनुमोदन, जहां भी लागू हो। तदनुसार, 68 उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) (जिन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत किए थे और जिन्होंने उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन किया था, वे ऑनलाइन कार्यक्रम प्रदान करने के हकदार थे) की एक सूची यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।
- यूजीसी ने वर्ष 2022–23 के दौरान पाठ्यक्रम सामग्रियों के विकास, नई प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग, मूक्स के विकास, डिजिटलीकरण, आईसीटी और गुणवत्ता आश्वासन उपायों, नेटवर्किंग आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु 09 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को 9.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।
- यूजीसी (ओडीएल कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) द्वितीय संशोधन विनियम, 2022 को 18 जुलाई 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।

12. यूजीसी–गुणत्ता अधिदेश – अकादमिक गतिविधियों से संबंधित पहलें

- अधिगम परिणाम–आधारित पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क अथवा लर्निंग आउटकम–बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गुणत्ता अधिदेश ने छात्रों में ज्ञान, कौशल, मूल्यों और अभिवृत्तियां विकसित करने के उद्देश्य से अधिगम परिणाम–आधारित उपागम

पर पाठ्यचर्या में सुधार लाने पर जोर दिया है। 31 विषयों में एक नई पाठ्यचर्या विकसित की गई है जो अधिगम परिणाम–आधारित पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एलओसीएफ) पर आधारित है, और इसे यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि विश्वविद्यालयों को पाठ्यचर्या संशोधित करने में सुविधा मिल सके।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सतत मूल्यांकन के साथ मूल्यांकन–प्रेरित अधिगम को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली में सुधार लाने की शुरुआत की है। सतत और व्यापक मूल्यांकन एकल ऊर्ध्वाधर मोड के बजाय, क्षैतिज मूल्यांकन मोड का अनुसरण करता है। इसका उपयोग छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, उनकी गहन सोच, समस्या सुलझाने की क्षमता, ज्ञान का सही प्रयोग, और नैतिकताओं का पालन। तदनुसार, यूजीसी ने "नवप्रवर्तन शैक्षणिक उपागम और मूल्यांकन सुधार" शुरु किए हैं जिन्हें 22.12.2022 को प्रकाशित किया गया।

- उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की सुनश्चित्ता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरु की गई गुणता अधिदेश पहलों में से एक यह है कि छात्रों को जीवन कौशल शिक्षण/अधिगम प्रदान किया जाए। देश में नए वृत्तिक/प्रोफेशनल के लिए महत्वपूर्ण कौशलों, ज्ञान, मूल्यों, और नैतिकताओं के साथ असाधारण प्रदर्शन करने वाले स्नातकों हेतु रोजगार की विशाल मांग है। गैर–तकनीकी स्नातक शिक्षा में जीवन कौशल पाठ्यचर्या शुरु करने के लिए, यूजीसी ने जीवन कौशल (लाइफ स्किल्स) के लिए एक समिति की सहायता से 2018 में एक पाठ्यचर्या विकसित की है। इस पाठ्यचर्या को एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया गया है। इस पाठ्यचर्या को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यूजीसी ने "जीवन कौशल पर पाठ्यचर्या के लिए सुविधाकर्ता दिशानिर्देश" भी तैयार किए हैं। "जीवन कौशल पर मसौदा पाठ्यचर्या 2.0" और "जीवन कौशल पाठ्यचर्या के लिए मसौदा सुविधाकर्ता दिशानिर्देश" 24 फरवरी 2023 को यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए ताकि अध्यापकों, छात्रों, शोधकर्ताओं और संबंधित क्षेत्र में कार्यरत लोगों सहित हितधारकों से 10.03.2023 तक विचार/सुझाव प्राप्त किए जा सकें।

- भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए परा–ज्ञानानुशासनिक शोध – भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए परा–ज्ञानानुशानिक शोध योजना (स्ट्राइड) का उद्देश्य भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में सामान्य रूप से शोध क्षमता को बढ़ाना और विशेष रूप से परा–ज्ञानानुशासनिक शोध के लिए अनुसंधान संस्कृति को विकसित व पोषित करना है ताकि राष्ट्रीय विकास एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान जारी अनुदान 2.17 करोड़ है। अब तक इसके लाभार्थियों की संख्या 14 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय हैं।

- अकादमिक शोध एवं नैतिकता सहसंघ अथवा कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एण्ड एथिक्स– यूजीसी ने केयर लिस्ट के लिए जर्नल के विश्लेषण की जिम्मेदारी सेंटर फॉर पब्लिकेशन एथिक्स, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे और यूजीसी द्वारा चिह्नित किए गए गए चार क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों (जिन्हें इसके बाद केयर यूनिवर्सिटीज के नाम से कहा गया है) को सौंपी है। इस वर्ष जर्नल के विश्लेषण के लिए एसपीपीयू में स्थित यूजीसी–केयर प्रकोष्ठ और चार क्षेत्रीय यूजीसी–केयर विश्वविद्यालयों को एक वित्तीय अनुदान जारी किया गया था। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर पब्लिकेशन एथिक्स को दो वर्षों यानी 2021–2023 के लिए कुल 50,00,000 रुपये और प्रत्येक क्षेत्रीय विश्वविद्यालय के लिए 5,00,000 रुपये का अनुदान जारी किया गया। शैक्षिक सत्यनिष्ठा में सुधार लाने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहलों का प्रसार करने के लिए, यूजीसी–केयर क्वालिटी जर्नल की संदर्भ सूची की वर्तमान स्थिति/आंकड़े यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

- परामर्श – गैर–प्रत्यायित संस्थानों का निर्देशन– यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए एनएएसी प्रत्यायन के लिए इच्छुक संस्थानों को सलाह देने हेतु एक नई पहल "परामर्श" योजना क्रियान्वित की है। यूजीसी ने 167 मेंटर संस्थानों को मंजूरी दी है।

- ग्लासगो में यूएनएफसीसीसी सीओपी 26 ग्लोबल लीडर्स शिखरवार्ता में अपने राष्ट्रीय वक्तव्य में, माननीय प्रधानमंत्री का मंत्र था 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली', और उन्होंने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करने पर भी जोर दिया।

- छात्रों की प्रगति की निगरानी – यूजीसी ने अपनी 550वीं बैठक में पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद छात्रों की कैरियर प्रगति को ट्रैक करने के लिए "छात्र कैरियर प्रगति और भूतपूर्व छात्र नेटवर्क" पर रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भूतपूर्व छात्र संपर्क प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए सभी विश्वविद्यालयों को आवश्यक दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। अब तक, 164 विश्वविद्यालयों ने भूतपूर्व छात्र संपर्क प्रकोष्ठ की स्थापना कर ली है।

- एनईपी 2020 के प्रमुख सुधारों में से एक को प्रभाव में लाने के लिए, यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक कार्यक्रमों में बहु प्रवेश एवं बहिर्वेशन (एंट्री एण्ड एग्जिट) के लिए दिशानिर्देश विकसित किए और 29 जुलाई 2021 को अधिसूचित किए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नए यूजीसी (पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और कार्यविधि) विनियम, 2022 को राजपत्र में 07 नवंबर 2022 को अधिसूचित किया। ये नए विनियम शोधार्थियों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित शोधकर्ता और जिज्ञासु खोजकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु तैयार किए गए हैं। मसौदा फ्रेमवर्क को प्रतिक्रिया व प्रतिपुष्टि के लिए सार्वजनिक किया गया और इनपुट प्राप्त करने हेतु आईआईटी, आईआईएसईआर, एनआईटी, आईआईएम, सांविधिक परिषदों और उद्योग निकायों के साथ साझा किया गया। प्राप्त इनपुट के आधार पर, फ्रेमवर्क को संशोधित किया गया जिसे ई–सर्कुलेशन के माध्यम से आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। आयोग ने उसे अनुमोदित किया। स्नातक–पूर्व कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क यूजीसी की वेबसाइट पर 12.12.2022 को प्रकाशित किया गया था। एनईपी 2020 द्वारा सुझाई गई समय सीमा के भीतर उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहु–ज्ञानानुशासनिक संस्थानों में बदलना एक चुनौती है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहु–ज्ञानानुशासनिक संस्थानों में परिवर्तित करने के लिए यूजीसी ने प्रोफेसर आर. पी. तिवारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने एक बहु–ज्ञानानुशासनिक संस्थान की विशेषताएं प्राप्त करने के लिए संस्थानों के बीच सहयोग, विलय और समूहीकरण जैसे कई उपायों का सुझाव दिया है।

*****

प्रस्तावना

अध्याय 1

1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन
1.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ/अनुभाग
1.3 प्रकाशन
1.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त
1.5 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा विअआ द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)
1.6 वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा लिए गए मुख्य निर्णय
1.7 विशेष क्रियाकलाप/ पहल
1.8 नई शिक्षा नीति, 2020 तथा उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण

1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिनांक 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आया तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा में समन्वय करने तथा मानकों के निर्धारण तथा अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय बन गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12 उपबंध करती है कि आयोग संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श से ऐसे सभी कदम उठाएगा जो विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन और समन्वय तथा शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए उचित समझेगा।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 18 के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सटीक एवं संपूर्ण ब्योरा देते हुए प्रत्येक वर्ष एक बार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसकी प्रतियों को केन्द्र सरकार को भेजेगा तथा सरकार उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखेगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्र, राज्य सरकारों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने की भूमिका के साथ–साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार करने के लिए आवश्यक उपायों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को भी परामर्श देता है। यह शिक्षकों के लिए शिक्षण के न्यूनतम मानदण्ड तथा योग्यता हेतु विनिमय भी तैयार करता है।
- उच्चतर शिक्षा के बहु–आयामी उद्देश्यों की प्राप्ति तथा उच्चतर शिक्षा के स्तर को बनाये रखने तथा उसके समन्वय के मुख्य कार्यों के निवर्हन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विविध कार्यक्रम तैयार किए है तथा कार्यान्वित किए हैं।

1.1 (i) संगठनात्मक ढांचा

आयोग में एक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दस अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष पद के चयन के लिए व्यक्ति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए दस सदस्यों में से दो सदस्यों का चयन, केन्द्र सरकार के अधिकारियों में से किया जाता है। कम से कम चार सदस्यों का चयन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से किया जाता है। शेष सदस्यों का चयन निम्नलिखित व्यक्तियों में से किया जाता है:

जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान अथवा अनुभव हो;

जो अभियांत्रिकी, विधिक, चिकित्सा अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे से संबंद्ध हों, अथवा

जो विश्वविद्यालय के कुलपति हो, अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हो परंतु केन्द्र सरकार के मत में प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हों अथवा जिनकी उच्च अकादमिक योग्यता हो, बशर्ते यह कि चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुल सदस्यों के आधे से अधिक नहीं हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकारी शीर्ष, सचिव महोदय हैं। सचिव महोदय ने तालिका 1.1 में उल्लिखित निम्नलिखित कर्मचारियों के साथ वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग के सचिवालय की अध्यक्षता की:–

तालिका 1.1: वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग के सचिवालय की संस्वीकृत और वास्तविक संख्या

समूह	संस्वीकृत संख्या	कर्मचारियों की कुल संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या में		
			महिला (प्रतिशत)	अनुसूचित जाति (प्रतिशत)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिशत)
समूह 'क'	105	69 (65.71 प्रतिशत)	25 (36.23 प्रतिशत)	08 (11.59 प्रतिशत)	04 (05.79 प्रतिशत)
समूह 'ख'	315	151 (47.93 प्रतिशत)	46 (30.46 प्रतिशत)	43 (28.47 प्रतिशत)	09 (05.96 प्रतिशत)
समूह 'ग'	319	84 (26.33 प्रतिशत)	11 (13.09 प्रतिशत)	24 (28.57 प्रतिशत)	05 (05.95 प्रतिशत)
जलपानगृह के कर्मचारी	19	05 (26.31 प्रतिशत)	षून्य	02 (0.40 प्रतिशत)	शून्य
कुल	758	309 (40.76 प्रतिशत)	82 (26.53 प्रतिशत)	77 (24.91 प्रतिशत)	18 (05.82 प्रतिशत)

रेखाचित्र 1.1: वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग के सचिवालय की संस्वीकृत और वास्तविक संख्या

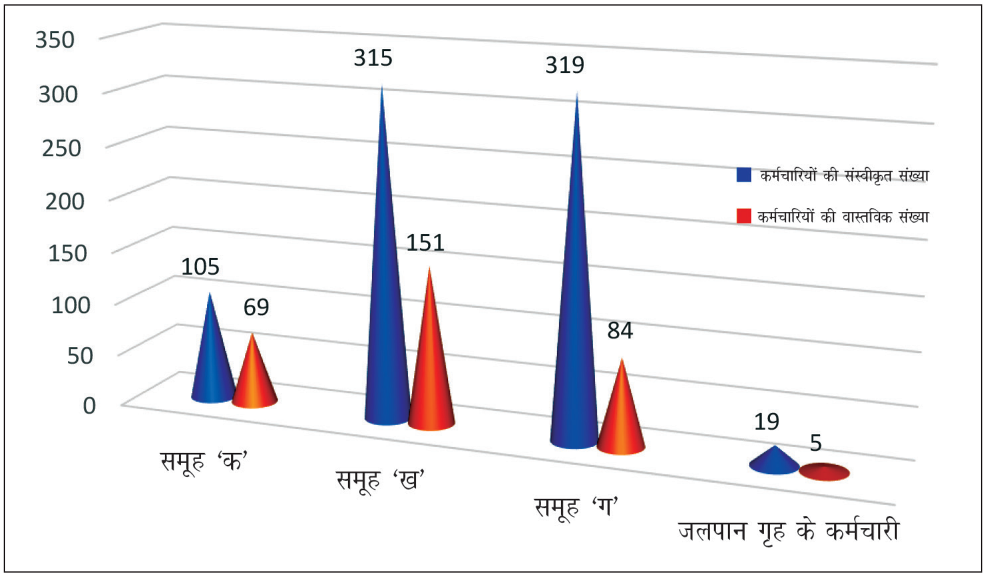

रेखाचित्र 1.1: वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग के सचिवालय की स्तर–वार वास्तविक संख्या

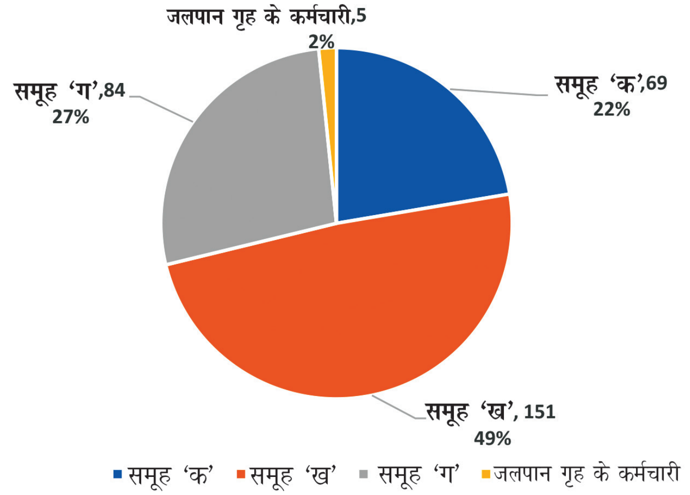

कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका मूल्यांकन करने अथवा निगरानी करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य संस्थानों से विषय विशेषज्ञों की मदद प्राप्त करता है।

1.1 (i) (क) संगठनात्मक चित्र

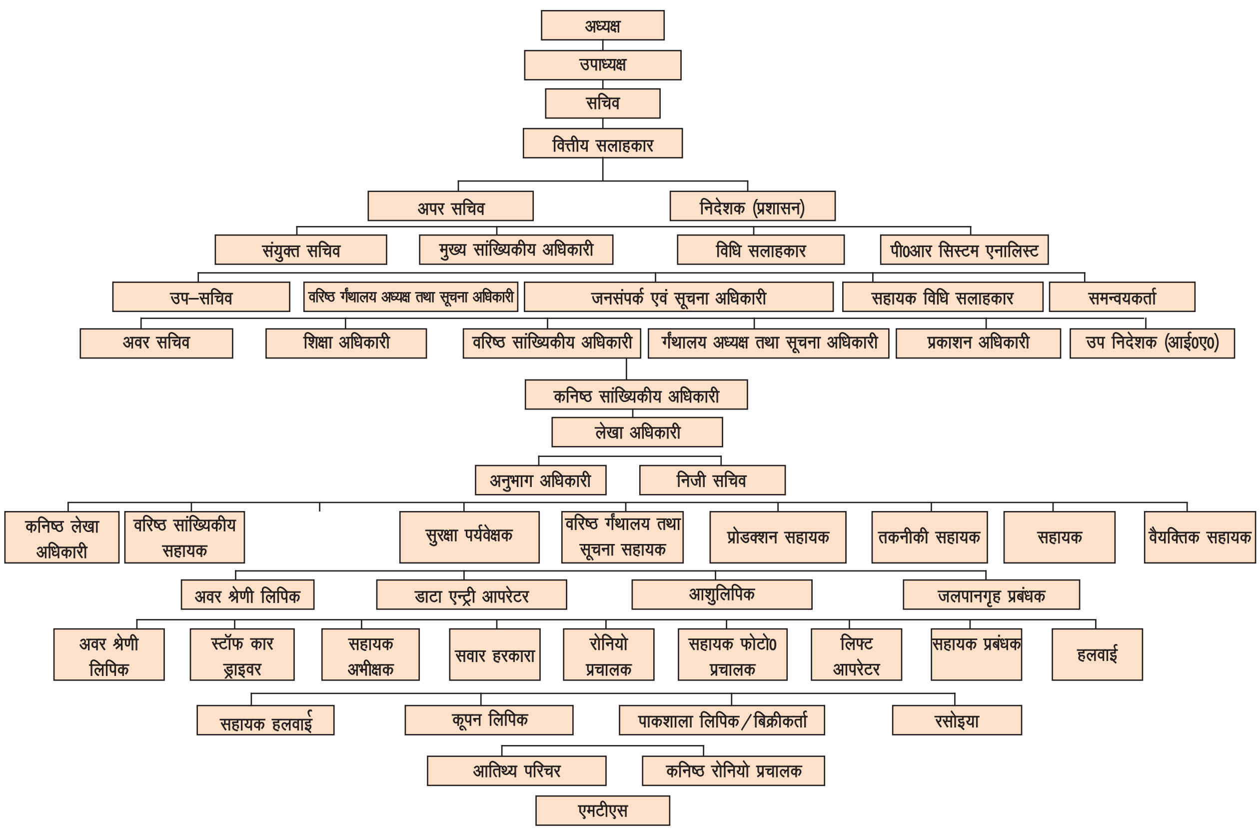

1.1(i) (ख) क्षेत्रीय कार्यालय

आयोग की दिनांक 06 मई, 2022 को आयोजित 558वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों को निम्नानुसार नई दिल्ली स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है:

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्थान जहां पुनर्स्थापित किया गया	ब्यूरो का नाम
1.	हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु तथा एनआरसीबी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली– 110001	महाविद्यालय विकास ब्यूरो– I
2.	पुणे, भोपाल तथा कोलकाता	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेट ब्यूरो, दिल्ली विश्वविद्यालय का दक्षिणी परिसर, बेनिटो जुआरेज़ मार्ग, नई दिल्ली–110021	महाविद्यालय विकास ब्यूरो– II

1.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में चल रहे विशेष प्रकोष्ठ

1.2 (i) सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आई.ए.) प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनकर्ताओं को जानकारी प्रदान करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम प्रकोष्ठ की अध्यक्षता एक नोडल अधिकारी करते हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदनों/अपीलों को प्राप्त करते हैं तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदनों/अपीलों को संबंधित सीपीआईओ/ अपीलीय प्राधिकारियों को भेजते हैं और विभिन्न सीपीआईओ/ अपीलीय प्राधिकारियों को विधिवत् रूप से भेजते हैं, जिनके पास संगत जानकारी होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यालय, शाखा कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को मिलाकर 23 अपीलीय प्राधिकारी तथा 36 सीपीआईओ हैं। आवेदक से प्राप्त सूचना के अधिकार के तहत आवेदन/ अपील तथा केन्द्रीय सूचना आयोग से प्राप्त नोटिस/ निर्णयों को केन्द्रीयकृत रूप से नोडल अधिकारी के नाम पर मुख्य कार्यालय में प्राप्त किया जाता है तथा उन्हें संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को अग्रेषित किया जाता है, जिसके पास संगत जानकारी होती है। आवेदक द्वारा भेजे गए आरटीआई आवेदन तथा केन्द्रीय सूचना आयोग आदि से प्राप्त नोटिस/निर्णयों को मुख्य कार्यालय में सीपीआईओ के नाम पर प्राप्त किया जाता है तथा संबंधित सीपीआईओ को भेजा जाता है जिनके पास संगत जानकारी होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदनों/अपीलों/ नोटिसों / निर्णयों की एक प्रति को अभिलेख हेतु आरआईए अनुभाग में रखा जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में स्वतंत्र प्रभार के साथ ब्यूरो प्रमुख/उप सचिव को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा उनके तहत ब्यूरो में तैनात उप सचिव/ लेखा अधिकारी/ अवर सचिव/ शिक्षा अधिकारियों को केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है। प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों/शुल्क आदि की त्रैमासिक रिपोर्ट को आरआईए प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किया जाता है तथा सीआईसी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। आवेदकों से संग्रहित आरटीआई शुल्क का भी लेखा–जोखा आरआईए प्रकोष्ठ द्वारा रखा जाता है। केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/ अपीलीय प्राधिकारियों की सूची समय– समय पर अद्यतन की जाती है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर अपलोड की गई है।

वर्ष 2022–23 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदनों/ प्राप्त अपीलों/ निपटान किए गए आवेदनों/प्राप्त किए गए शुल्क का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक) का विवरण निम्नवत है :–

प्राप्त हुए आरटीआई आवेदनों	निपटान किए गए आवेदन	प्राप्त हुई अपीलें	निपटान की गई अपीलें	प्राप्त आरटीआई शुल्क (रुपये में)	प्राप्त हुआ अतिरिक्त शुल्क (रुपये में)
16337	10427	2104	1408	25812	13366

आरआईए अनुभाग ने वर्ष 2022–23 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों के लिए दो कार्यशालाओं/ प्रशिक्षणों का आयोजन किया था, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण द्वारा दिनांक 12 और 14 सितंबर, 2022 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उपबंधों और प्रक्रियाओं, छूट और अपवर्जन और तीसरे पक्ष की जानकारी'' विषय पर दो अर्ध दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 51 अधिकारियों ने भाग लिया।

दिनांक 16 और 17 जनवरी, 2023 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ''संगठन विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम'' पर दो दिवसीय आईएसटीएम प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम से 25 प्रतिभागी लाभान्वित हुए।

1.2 (ii) वेतनमान अनुभाग

वेतनमान अनुभाग की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी तथा इसे केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की गई वेतन समीक्षा समितियों के कार्य का समन्वय करने साथ ही साथ शिक्षकों महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में अन्य समकक्ष संवर्गो अर्थात्

पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षा के निदेशकों के वेतनमान तथा सेवा शर्तों से संबंधित मामलों का समन्वय करने का कार्य सौपा गया है। यह अनुभाग शिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर के संगठन तथा अन्य समकक्ष संवर्गों के साथ भी बातचीत करता है। रिपोर्टाधीन अवधि, वर्ष 2022–23 के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिए गए तथा उनके बारे में शिक्षा मंत्रालय को जानकारी दी गईः–

1. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' को नियुक्त करने के लिए दिनांक 14 नवंबर, 2022 को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं **{संख्या एफ. 9–1/2010 (पीएस/विविध) पीटी–I}**, चूंकि एनईपी 2020 की एक सिफारिशों में से एक उच्चतर शिक्षण संस्थानों में समग्र और बहु– विषयक शिक्षा प्रदान करना है, इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस'' नामक एक नए पद का सृजन किया है जिसमें शिक्षण–ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में अनुभवी 'प्रेक्टिशनरों'/ पेशेवरों/ उद्योग आदि की भागीदारी सुनिश्चित की जानी है।
2. विश्वविद्यालय शिक्षकों की शैक्षणिक स्तर 12 से शैक्षणिक स्तर 13 क और शैक्षणिक स्तर 13 क से शैक्षणिक स्तर 14 तक सीएएस पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंडों के संबंध में दिनांक 23 दिसंबर, 2022 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। **{संख्या एफ. 9–1/2010 (पीएस/विविध) }**
3. मार्गदर्शक पीएचडी विद्वानों के संबंध में सीएएस के तहत पदोन्नति के मानदंडों के बारे में दिनांक 06 मार्च, 2023 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था **{संख्या एफ. 9–1/2020 (पीएस/विविध) }**।
4. विश्वविद्यालय के शिक्षकों की शैक्षणिक स्तर 12 से शैक्षणिक स्तर 13 क और शैक्षणिक स्तर 13 क से शैक्षणिक स्तर 14 तक सीएएस पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में दिनांक 03 फरवरी, 2023 को सार्वजनिक सूचना जारी की गई। **{संख्या एफ. 9–1/2020 (पीएस/विविध)}**।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों **{संख्या एफ. 3–2/ 2022 (पीएस/ पीजी/ एमओई)}**, के अनुपालन में सफलतापूर्वक मौखिक परीक्षा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को पीएचडी डिग्री प्रमाणपत्र प्रदान करने के संबंध में दिनांक 08 फरवरी, 2023 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया।
6. ''प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस'' नामक एक योजना आरंभ करने के संबंध में दिनांक 14 जून, 2023 को सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी **{संख्या एफ. 9–1/2010 (पीएस/विविध) पीटी–I}**, । विशेषज्ञों के साथ–साथ उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कॉमन प्लेटफॉर्म के लिए पोर्टल बनाया गया है, जहां वे पंजीकरण कर सकते हैं और उचित अवसरों की तलाश कर सकते हैं।
7. दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक न्यायालयों में लंबित 3000 मामलों में उत्तर दिया गया।

1.2 (iii) सतर्कता प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भ्रष्टाचार की प्रभावी ढ़ंग से रोकथाम करने के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार एक सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित किया है ताकि कार्यालय के कार्यो पर नजर रखी जा सके जिससे कोई भी कर्मचारी भ्रश्टाचार में संलिप्त न हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य सर्तकता अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने तथा भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने के लिए उत्तरदायी हैं और जहां कहीं भी आवश्यक होता है उनके द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाती है। केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी को आगे निम्नवत सुनिश्चित करना होता हैः

- संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों पर उचित निगरानी बनाए रखना।
- (i) परिसम्पत्तियों तथा अर्जनों का विवरण (ii) उपहार (iii) निजी फर्मों नियोजित रिष्तेदार अथवा निजी व्यवसाय कर रहे रिश्तेदार (iv) बेनामी लेनदेन करने वालों को कवर करते हुए सत्यनिष्ठा से जुड़े हुए आचरण नियमों का त्वरित रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
- संवेदनशील स्थानों की अवस्थिति, ऐसे स्थानों का नियमित और औचक निरीक्षण और संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मियों की उचित संवीक्षा।
- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान के आवंटन और संवितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने तथा सुग्राही बनाने के लिए निवारक उपायों को लागू किया जाना।
- केन्द्रीय सर्तकता आयोग द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 31 अक्तूबर से 06 नवम्बर, 2022 की अवधि के दौरान सर्तकता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न क्रियाकलाप किए गए जैसे ''विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत'' विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, शपथ दिलवाई (ऑनलाइन) गई तथा इस अवधि के दौरान बैनर लगाए गए।

सतर्कता प्रकोष्ठ ने सभी विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का परामर्श दिया।

वर्ष 2022–23 के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ को केन्द्रीय सतर्कता आयोग से 01, शिक्षा मंत्रालय से 03, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से 08 और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा शिक्षा मंत्रालय को अग्रेषित की गई 05 शिकायतें तथा विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों तथा अन्य एजेन्सियों से 15 शिकायतें प्राप्त हुई। विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के विरूद्ध प्राप्त हुईं शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थानों से जुड़े विअआ ब्यूरो को भेज दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निधियों के दुरुपयोग के संबंध में जांच करने के लिए कतिपय मामलों में जांच समितियों का गठन किया गया है। प्रकोष्ठ, शिकायतों पर जांच के निष्कर्षों पर कार्यवाही करने के लिए संबंधित ब्यूरो को परामर्श देता है। शिकायतों के संबंध में वास्तविक रिपोर्टों को सीवीसी/शिक्षा मंत्रालय को भी भेजा गया था।

इसके अलावा, सर्तकता प्रकोष्ठ को ऑफलाइन पद्धति से 02 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन/ अपीलें तथा ऑनलाइन पद्धति से 07 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन/ अपीलें और 01 संसदीय प्रश्न भी प्राप्त हुए। जिनके उत्तर समय से दिए गए।

1.2 (iv) विधिक प्रकोष्ठ

विधिक प्रकोष्ठ, न्यायालय में दायर किए गए प्रकरणों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, देशभर में अन्य न्यायिक निकायों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अलग–अलग कार्यालयों में कार्यरत 'स्टैडिंग कांऊसिल'/ 'पेनल के अधिवक्ताओं' के बीच समन्वय करता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी ब्यूरो को विभिन्न मामलों में विधिक मत भी देता है। वर्तमान में, चल रहे अधिकांश प्रकरण मुख्यतः वेतनमान, अर्हता, अधिवर्षिता की आयु, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों की नियुक्तियों/ चयन, पेशेवर/ नेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश, सामान्य प्रवेश परीक्षा तथा विभिन्न संस्थानों/ फर्जी संस्थानों की स्थापना आदि से संबंधित होते हैं। कुछ प्रकरण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारिवृंदों से संबद्ध प्रशासनिक मामलों के संबंध में होते हैं। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भारत के उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ताओं का एक पेनल तैयार किया गया है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 1024 प्रकरण प्राप्त हुए तथा अधिवक्ताओं के बिल पर 238.27 लाख रुपये का व्यय हुआ।

1.2 (v) संसदीय मामलों से संबंधित डेस्क

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यालय में संसदीय मामलों से संबंधित डेस्क, उच्चतर शिक्षा के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषरूप से शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त हुए संसदीय प्रश्नों के उत्तर तैयार करने और उनका समन्वय करने का कार्य करता है।

वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान लोक सभा/ राज्य सभा के बजट, मानसून और शरदकालीन सत्र के दौरान प्राप्त हुए तथा उत्तरित प्रश्नों की संख्या नीचे दी गई है:–

वर्ष	संसदीय प्रश्नों की कुल संख्या	कुल प्रश्नों मे से तारांकित प्रश्नों की संख्या
2018–19	634	47
2019–20	801	49
2020–21	373	18
2021–22	619	58
2022–23	611	67

वर्ष 2022–23 (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023) के दौरान प्राप्त हुए संसदीय प्रश्नों की संख्या

सत्र की तिथि	प्राप्त हुए लोक सभा संसदीय प्रश्न		प्राप्त हुए राज्य सभा संसदीय प्रश्न		कुल ग्राह्य / अतारांकित	कुल तारांकित प्रश्न	कुल योग
	ग्राह्य / अतारांकित	तारांकित	ग्राह्य / अतारांकित	तारांकित			
18 जुलाई, 2022 से 12 अगस्त, 2022	82	82	82	82	82	82	174
07 दिसम्बर, 2022 से 29 दिसम्बर, 2022	75	75	75	75	75	75	184
31 जनवरी, 2023 से 06 अप्रैल, 2023	118	118	118	118	118	118	253
कुल	275	34	269	33	544	67	611

दिए गए आश्वासनों की संख्या = 12

1.2 (vi) कदाचार रोधी प्रकोष्ठ (एएमपीसी)

कदाचार रोधी प्रकोश्ठ की स्थापना दिनांक 30 मई, 1996 को हुई थी; और दिनांक 08 फरवरी, 2016 को इसका नाम बदलकर कदाचार रोधी प्रकोश्ठ (एएमपीसी) कर दिया गया था।

उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विस्तार के साथ अनेक प्रकार की कदाचार भी उभर कर सामने आए हैं जिन पर समाज के साथ– साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्चतर शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। एएमपीसी देश के उन फर्जी या गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ संस्थानों की मौजूदगी/ कार्यकरण से संबंधित मामलों का निपटान कर रहा है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करते हुए स्थापित हुए हैं/ उपाधियां प्रदान कर रहे हैं।

यह राज्य अधिनियम अथवा केंद्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम या विशेष रूप से उपाधि प्रदान करने अथवा देने के लिए ऐसे सशक्त संस्थान के तहत स्थापित नहीं हैं। इस प्रकार, फर्जी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और धारा 3 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है।

एएमपीसी का मूल उद्देश्य जनता/ छात्रों/ अभिभावक आदि से गैर–मान्यताप्राप्त संस्थानों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करना और साथ ही इसका प्रिंट/ इलेक्ट्रिानिक मीडिया में फर्जी संस्थानों के बारे में आने वाले समाचारों पर भी ध्यान दिया जाता है, और उन संस्थानों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही भी आरंभ की जाती है।

वर्तमान में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित जाली विश्वविद्यालयों की सूची में 20 जाली विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के नाम है और यह सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट ***www.ugc.ac.in*** पर भी उपलब्ध है।

1. दिनाक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक किए गए मुख्य क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं:

I. विश्वविद्यालयों/ संस्थानों की गैर–मान्यता प्राप्त स्थिति के बारे में जनता/ छात्रों को जागरूक करने और ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में प्रवेश न लेने के लिए चेतावनी देने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट और प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए थे।

II. प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में फर्जी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों की सूची के संबंध में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किए गए।

III. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट ***www.ugc.ac.in*** पर फर्जी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची अपलोड की गई।

IV. राज्यों के मुख्य सचिवों, शिक्षा सचिवों और प्रधान सचिवों को उनके क्षेत्राधिकार में स्थित फर्जी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखे।

2. निम्नलिखित गैर–अनुमोदित/ स्वघोषित संस्थानों को चेतावनी नोटिस जारी किए गए थे:

I. त्वीभुवनास्वी मुक्त विश्वविद्यालय, प्रोजेक्ट कार्यालय, दूसरा तल विजडम टॉवर, जफर खान कॉलोनी रोड, कोझीकोड–673004

II. इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेटिक मेडिसिन, कालीकट, केरल–673571

III. बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, मकान. नं. 49–35–26, एन.जी.ओ.कॉलोनी विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश–530016.

IV. सनस्टोन एजवर्सिटी, कॉर्पोरेट कार्यालय –तृतीय तल टॉवर –बी, अवफोस यूनिटेक साइबर पार्क, सेक्टर –39, गुरुग्राम, हरियाणा –122002

V. विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जमुनी मोड़, अंचल कटोरिया (बांका), बिहार–813101

VI. डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल रिसर्जेंस (एक वर्चुअल मेटा यूनिवर्सिटी), 54, सम्राट नगर, हिंदी विश्वविद्यालय के निकट, रिंग रोड, वर्धा (महाराष्ट्र) – 442001

VII. सर्व भारतीय शिक्षा पीठ, एस.के. चौलतारी के निकट, देवनूर मेन रोड, 6वां लिंक रोड, विजयनगर, तुमकुरु, कर्नाटक –572102

VIII. ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी, नम्बर 1035, चौथा ब्लॉक, गोल्डन हाइट्स के निकट, डॉ राजकुमार रोड, राजाली नगर, बेंगलुरु –560010 (कर्नाटक)।

IX. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नालॉजी (आईआईएफटी), प्लॉट नम्बर 6, गुजरावाला टाउन, पार्ट–II, करनाल रोड, नई दिल्ली–110009

X. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर निम्नलिखित गैर–मान्यता प्राप्त संस्थानों के संबंध में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की।

XI. इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेटिक मेडिसिन, कालीकट, केरल–673571।

XII. ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर अल्टरनेटिव मेडिसिन्स, 60, मेला चेट्टी स्ट्रीट, कुट्टलम –609801

XIII. बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, एच. नबर. 49–35–26, एन.जी.ओ.की कॉलोनी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश–530016

XIV. डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल रिसर्जेंस (एक वर्चुअल मेटा यूनिवर्सिटी), 54, सम्राट नगर हिंदी विश्वविद्यालय के निकट, रिंग रोड, वर्धा (महाराष्ट्र)–442001

1.2 (vi) (क) सूची में एक फर्जी विश्वविद्यालय को शामिल किया गया :

I. बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, एच. नबर. 49–35–26, एन.जी.ओ.की कॉलोनी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश–530016

1.2 (vi) (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार की गई फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची से निम्नलिखित संस्थानों के नाम हटाए गए।

I. नबभारत शिक्षा परिषद्, अनुपूर्णा भवन, प्लॉट नंबर 242, पानी टंकी रोड, शक्तिनगर, राउरकेला –769014

II. नॉर्थ ओड़िशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ओडिशा

1.2 (vii) कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी प्रकोष्ठ

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ''कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न'' संबंधी आंतरिक समिति है जिसकी अध्यक्षता, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संयुक्त सचिव करती हैं। समिति का व्यापक प्रचार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्यालय के मुख्य स्वागत कक्ष तथा क्षेत्रीय कार्यालय में नोटिस लगाए गए हैं। जनसाधारण की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर समिति की संरचना सहित संगत टेलीफोन नम्बर अपलोड किए गए हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आंतरिक शिकायत समिति को किसी नए मामले की जानकारी नहीं दी गई।

1.2 (viii) आरक्षण संबंधी विशेष प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरक्षित श्रेणी के अधिकारियों/ कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित बनाने के लिए एक संयुक्त सचिव को संपर्क अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है, और उन्हें शिक्षा अधिकारी सहायता देते हैं।

1.2 (ix) रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ

उद्देश्यः शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग की समस्या का समाधान पर अंकुश लगाना और भारत को रैगिंग मुक्त राष्ट्र बनाना निम्नानुसार हैः

1. यह कार्यक्रम संपूर्ण राष्ट्र को कवर करता है,

2. निम्नवत के माध्यम से रैगिंग की समस्या की रोकथाम की जाती है। :

   (क.) महाविद्यालयों के प्राधिकारियों, अभिभावकों और छात्रों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना;
   (ख.) विनियमों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी; और
   ग. लोगों में जागरूकता बढ़ाना।

3. यह कार्यक्रम छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी तंत्र भी प्रदान करता है।

4. आयोग ने सभी संस्थानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने प्रवेश विवरणिका में रैगिंग को निशिद्ध किए जाने और परिणामों के संबंध में सरकार के निदेशों को सम्मिलित करें।

- वर्ष 2022–23 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एआरसी अनुभाग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या से निपटने के लिए निम्नवत कदम उठाएः

- सभी संबंधितों द्वारा प्रभावी समन्वित कार्रवाई की सुविधा प्रदान करने के अलावा, रैगिंग पीड़ितों की मदद करने के लिए कॉल सेंटर सुविधाओं के साथ विअआ द्वारा 12 भाषाओं में रैगिंग रोधी निःशुल्क "हेल्पलाइन" 1800–180–5522 को चालू कर दिया गया है। शिकायतों को ***helpline@antiragging.in*** पर ईमेल के माध्यम से भी दर्ज कराया जा सकता है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 16 सितम्बर, 2022 को सभी विश्वविद्यालयों को एक परिपत्र जारी किया जिसमें रैगिंग के प्रति 'शून्य सहनशीलता' बरतने के लिए आवष्यक कदम उठाने और रैगिंग के दुश्प्रभावों के बारे में सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई पहल/ किए गए उपायों को अपनाने का अनुरोध किया गया।

- रैगिंग के मुद्दे की जांच करने और शैक्षिक संस्थानों में रोकथाम के उपायों पर सुझाव देने के लिए श्री राकेश कुमार मिश्रा (आईपीएस) सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में दिनांक 20 मई, 2022 को एक रैगिंग रोधी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को मुख्य रूप से चिकित्सा महाविद्यालयों में रैगिंग के मामलों को कम करने के लिए संवेदनशील बनाया गया। सभी परिषदों से अनुरोध किया गया था कि वे अन्य परिषदों की सर्वोत्तम पद्धतियों को लागू करें।

- उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग विरोधी उपायों की निगरानी के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अंतर परिषद् समिति की 14वीं बैठक दिनांक 12 अप्रैल, 2022 को आयोजित की गई। समिति ने रैगिंग–रोधी विनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया क्योंकि विनियम 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है।

5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ, निगरानी एजेंसी और हेल्पलाइन के समन्वय से पीड़ितों की संतुष्टि के साथ मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है/ उनका समापन करता है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक दर्ज की गई रैगिंग की शिकायत का विवरण

प्राप्त शिकायतें	बंद की गई शिकायतें	शिकायतें जिन पर कार्रवाई की जा रही है
858	797	61

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग की समस्या पर लगाम लगाने के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 2,02,03,723/– रुपये (दो करोड़ दो लाख तीन हजार सात सौ तेईस रुपये) व्यय किए।

1.2 (x) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ

महानिदेशक लेखापरीक्षा और राजस्व की संस्तुति पर मई, 1995 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में आंतरिक वित्त के उचित रखरखाव तथा पारदर्शिता करने के उद्देश्य से आन्तरिक लेखा प्रकोष्ठ गठित किया गया। तब से, यह कार्यालय उपनिदेशक की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है जिनकी सहायता के लिए भारत सरकार के कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेखापरीक्षा/ कनिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयी प्रणाली के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अंतर्विश्वविद्यालयी केन्द्रों की लेखापरीक्षा भी करता है। आंतरिक लेखा प्रकोष्ठ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विभिन्न वित्तीय मामलों के साथ– साथ प्रशासनिक मामलों पर भी परामर्श देता है। इस प्रकोष्ठ को पेंशन भुगतान के मामलों, जीपीएफ/ सीपीएफ अंतिम भुगतान के मामलों, वेतन निर्धारण, संविदा दस्तावेजों तथा समय–समय पर सौंपे गए अन्य मामलों तथा लेखों की बाद की लेखापरीक्षा, अनुदान सहायता रजिस्टर की परीक्षा जांच तथा संस्वीकृतियां, सांविधिक लेखापरीक्षा में उठाई गई आपत्तियों का विभाग से अनुपालना करवाना/ निपटान तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पैरा के संबंध में विभिन्न निकायों के साथ समन्वय करना। विश्वविद्यालयों तथा अन्य लाभार्थी संस्थानों को जारी की गई निधियों तथा उनके उपयोग की जांच करना तथा लेखों का निरीक्षण कार्य करने का कार्य भी प्रकोष्ठ को सौंपा गया है।

1.2 (xi) लिंग संवेदीकरण प्रकोष्ठ/ 'जेंडर चैम्पियन'

इस योजना के अंतर्गत, जीएस अनुभाग द्वारा दो योजनाओं पर कार्यवाही की जा रही हैं अर्थात् (i) लिंग संवेदीकरण और (ii) 'जेंडर चैंपियंस', जिनका विवरण निम्नानुसार हैः

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों की समीक्षा करने और लिंग संवेदीकरण के लिए कार्यक्रमों की समीक्षा'' करने के लिए दिनांक 08 जनवरी, 2013 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया था ताकि उच्चतर शिक्षा की सभी संस्थाओं में व्याप्त स्थिति का आकलन किया जा सके ताकि विशेषरूप से बालिकाओं और महिलाओं और सामान्य रूप से संपूर्ण युवाओं की स्वतंत्रता, संरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष में एक बार सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निम्नलिखित **परामर्श** पत्र जारी किए हैं (सभी परामर्श विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.ugc.gov.in और *saksham.ugc.ac.in* पर उपलब्ध है।

क. यौन उत्पीड़न के मामलों के संबंध में वार्षिक विवरणिकाः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्ष में एक बार सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस अनुरोध के साथ परामर्श भेजता है कि वे वर्षवार, यौन उत्पीड़न के मामलों पर वार्षिक विवरणिका के संबंध में जानकारी वार्षिक रूप से भेजें और एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करें और 'सक्षम' वेब पोर्टल पर लिंग संबंधी लेखापरीक्षा के ऑनलाइन अनुपालन को भरने के अनुरोध के साथ अपने संबद्ध महाविद्यालयों को सूचित करें। दिनांक 10 जून, 2022 को नवीनतम परामर्श अपलोड किया गया है।

ख. 'जेंडर चैंपियंस' संबंधी दिशानिर्देशों को लागू करना : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्ष में एक बार सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 'जेंडर चैंपियंस' के दिशानिर्देशों को लागू करने के अनुरोध के साथ परामर्श भेजता है और संबद्ध महाविद्यालयों को 'सक्षम' वेब पोर्टल पर 'जेंडर चैंपियंस' के ऑनलाइन अनुपालन को भरने का अनुरोध करता है। नवीनतम दिनांक 10 जून, 2022 को नवीनतम परामर्श अपलोड किया गया है।

ग. यह सुनिश्चित करने के लिए कि निम्नलिखित क्रियाकलापों के संबंध में स्वायत्त निकायों (एबीएस)/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/ उच्चतर शिक्षा संस्थानों में पर एक विशेष अभियान चलाया जाएः –

   i. अधिनियम के उपबंधों के बारे में अपने कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए उनके लिए संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित करना।
   ii. दिनांक 25 नवंबर को महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना;
   iii. दिनांक 25 नवंबर से 10 दिसंबर, 2022 तक महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव रोधी पखवाड़े के रूप में मनाना।
   iv. आंतरिक शिकायत समितियां, लंबित मामलों की समीक्षा करने के लिए एक विशेष अभियान चलाएंगी और 09 दिसंबर से पूर्व उचित कार्रवाई करेंगी। यह परामर्श दिनांक 22 नवम्बर, 2022 को जारी किया गया है।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिलाओं और महिला प्रकोष्ठों के लिए एक सुरक्षित परिवेश (संवेदीकरण, नीति कार्यान्वयन निगरानी और शिकायत निवारण के लिए) तैयार करने हेतु बुनियादी सुविधाओं और सुख– सुविधाओं संबंधी दिशानिर्देश (2022) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट अर्थात् *www.ugc.gov.in* पर उपलब्ध हैं।

1.2 (xii) लोक शिकायत प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का लोक शिकायत प्रकोष्ठ ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से सभी शिकायतें प्राप्त करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को आवेदक/ याचिकाकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से तत्काल उत्तर देने (30 दिनों के भीतर) के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित ब्यूरो प्रमुखों को भेज दिया जाता है। एक अवस्थिति रिपोर्ट तैयार की जाती है और समय– समय पर शिक्षा मंत्रालय को भेजी जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का लोक शिकायत प्रकोष्ठ, शिकायत प्राप्त होने के दिन ही ऑनलाइन प्राप्त सभी लोक शिकायतों को तत्काल उत्तर के लिए संबंधित ब्यूरो प्रमुखों को उनकी आधिकारिक आईडी पर अग्रेषित करता है। इस लोक शिकायत पोर्टल की निगरानी लोक शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा दैनिक रूप से की जाती है और शिकायतों के निपटान में तेजी लाने और लंबित शिकायतों की संख्या को कम करने के लिए अनुस्मारक के माध्यम से ब्यूरो से अनुरोध किया जाता है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (ऑनलाइन)

- आज तक प्राप्त लोक शिकायतों की कुल संख्या = 2491
- निपटाई गई लोक शिकायतों की कुल संख्या = 2438

- उत्तर देने के लिए अधीनस्थों के पास लंबित मामलों की संख्या = 53

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का लोक शिकायत प्रकोष्ठ शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से सभी शिकायतों को हार्डकॉपी के रूप में प्राप्त करता है। ऑफलाइन तरीके से प्राप्त शिकायतों को डायरी में पंजीकृत किया जाता है और 'ई–आफिस' के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित ब्यूरो प्रमुखों को अग्रेषित किया जाता है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (ऑफलाइन)

- प्राप्त लोक शिकायतों की कुल संख्या = 406
- संबंधित अनुभाग को अग्रेषित लोक शिकायतों की कुल संख्या = 406
- संबंधित अनुभाग को लौटाई गई लोक शिकायतों की कुल संख्या = षून्य

1.3 प्रकाशन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रकाशन ब्यूरो विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–सम्मेलनों पर रिपार्टें, समितियों की रिपोर्ट का प्रकाशन करता है।

वर्ष 2022–23 के दौरान दस्तावेजों की भाषा संपादन और लेखन सामग्री के मुद्रण कार्य भी किया गया। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दस्तावेजों के मुद्रण और भाषा संपादन के लिए 13,48,396 रुपये (केवल तेरह लाख अड़तालीस हजार तीन सौ छियानवे रुपये) व्यय किए।

दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 के दौरान मुद्रित किए गय दस्तावेज

क्रम संख्या	दस्तावेजों/ मदों का नाम
1.	षिक्षुता/ प्रषिक्षुता सन्निहित उपाधि कार्यक्रम (अंग्रेजी और हिंदी)
2.	अखिल भारतीय शिक्षा समागम (विवरण पत्र, कार्यक्रम)
3.	उच्चतर शिक्षा में वैश्विक नागरिक हेतु शिक्षा ढ़ांचा (अंग्रेजी)
4.	वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 (अंग्रेजी और हिंदी)
5.	वार्षिक लेखा 2021–22 (अंग्रेजी और हिंदी)

1.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, आयोग को अपनी निधि से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तथा अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों को आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों/ योजनाओं के माध्यम से अनुरक्षण (राजस्व) तथा विकास (पूंजीगत) अनुदानों के रूप में निधियाँ आवंटित और संवितरित करने हेतु शक्ति प्रदान करता है ताकि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में स्तरों को बनाए रखा जा सके और उनमें सुधार किया जा सके।

तालिका 1.4 (i) : वर्ष 2022–23 के लिए बजट आबंटन

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	बजट शीर्ष	आबंटन (राजस्व और पूंजीगत)	
		बजट अनुमान (ब.अ.)	संशोधित अनुमान (स.अ.)
1	सामान्य	16362.00	17562.00
कुल :		**16362.00**	**17562.00**

तालिका 1.4 (ii) : वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	बजट शीर्ष	प्राप्त अनुदान (राजस्व और पूंजीगत)
1	सामान्य	18069.86
कुल :		**18069.86**

तालिका 1.4 (iii) : वर्ष 2022–23 के दौरान राजस्व और पूंजीगत (सामान्य) बजट शीर्ष के तहत प्राप्त कुल अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	प्राप्त अनुदान (राजस्व और पूंजीगत)
1	शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य)	18069.86
2	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	
	(i) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	42.00
	(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	32.59
3	जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	51.61
कुल :		**18196.06**

रेखाचित्र 1.4 (iii): वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त अनुदान (पूंजीगत और राजस्व)

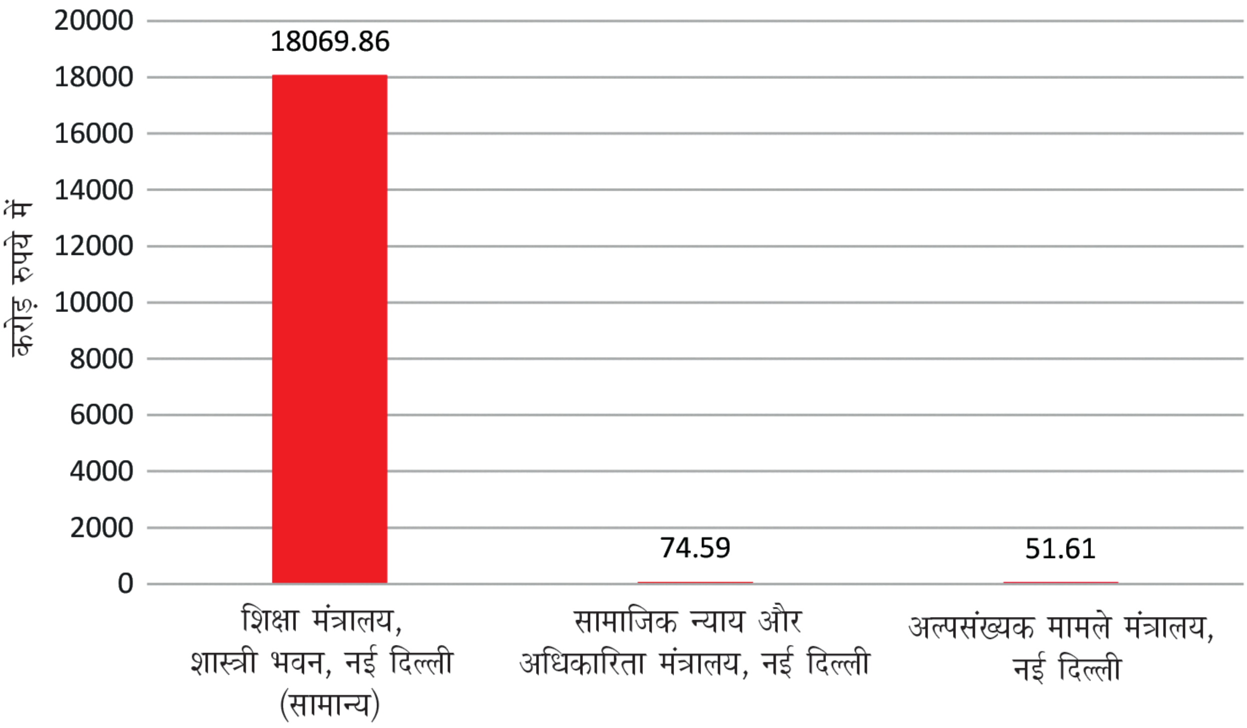

तालिका 1.4 (iv) : वर्ष 2022–23 के दौरान संस्थानों को जारी किए गए राजस्व और पूंजीगत अनुदान

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	संस्थानों का स्वरूप	राजस्व और पूंजीगत अनुदान	कुल राजस्व और पूंजीगत अनुदानों का प्रतिशत
1	राज्य विश्वविद्यालय	403.01	2.23
2	राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	15.04	0.08
3	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	10426.97	57.70
4	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	3041.53	16.83
5	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	227.96	1.26
6	सम विश्वविद्यालय संस्थान	397.97	2.20
7	विविध/ विश्वविद्यालयेत्तर और संस्थान	1.18	0.01
8	छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों द्वारा आनॅलाईन भुगतान	1449.07	8.02
9	क्षेत्रीय केन्द्र	0.05	0.00
10	प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	112.81	0.62
11	प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	5.95	0.03
12	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (डीईबी)	9.00	0.05
13	विश्व स्तरीय संस्थान अथवा उत्कृष्टता के संस्थान (आईओई)	976.56	5.40
	कुल योग :	**17067.11**	**94.45**

प्राप्त हुई कुल निधियां : 18069.86 करोड़ रुपये

वर्ष 2022–23 के दौरान शिक्षा मंत्रालय के निदेश के अनुसार व्यपगत निधियां 1008.70 करोड़ रुपये

अव्ययित शेष 36.72 करोड़ रुपये

तालिका 1.4(v): वर्ष 2022–23 के लिए अनुदान (राजस्व और पूंजीगत) का सारांश

(लाख रुपये में)

	क्षेत्रक–1	क्षेत्रक–2	क्षेत्रक–3	क्षेत्रक–4	कुल (क्षेत्रक–1 से 4)
विश्वविद्यालय					
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1038660.2		4036.54		1042696.72
सम विश्वविद्यालय		39063.88	733.57		39797.46
राज्य विश्वविद्यालय			40301.29		40301.29
अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र			22796.28		22796.28
विश्वविद्यालयेत्तर संस्थान			113.68		113.68
कुल (विश्वविद्यालय):	**1038660**	**39063.88**	**67981.36**	**0**	**1145705.42**
महाविद्यालय					
केन्द्रीय विश्वविद्यालय (यूसीएमएस)	20444.21		283709.14		304153.35
सम विश्वविद्यालय			0		0
राज्य विश्वविद्यालय			1404.2	100	1504.2
विश्वविद्यालयेत्तर संस्थान			4.41		4.41
कुल(महाविद्यालय):	**20444.21**	**0**	**285117.8**	**100**	**305661.97**
कुल (विश्वविद्यालय+ महाविद्यालय):	**1059104**	**39063.88**	**353099.1**	**100**	**1451367.39**

	क्षेत्रक–1	क्षेत्रक–2	क्षेत्रक–3	क्षेत्रक–4	कुल
					(क्षेत्रक–1 से 4)
छात्रवृत्तियों/ अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों द्वारा आनॅलाइन भुगतान			144907.18		144907.18
क्षेत्रीय केन्द्र			5.2		5.2
प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)			11280.63		11280.63
प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)			594.66		594.66
दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (डीईबी)				900	900
कुलः	1059104	39063.88	509886.8	1000	1609055.05
विश्वस्तरीय संस्थान अथवा उत्कृष्टता के संस्थान (आईओई)				97656.33	97656.33
कुल योगः	1059104	39063.88	509886.8	98656.33	1706711.39

रेखाचित्र 1.4(v): वर्ष 2022–23 के दौरान क्षेत्र–वार जारी किया गया पूंजीगत और राजस्व अनुदान (लाख रुपये में)

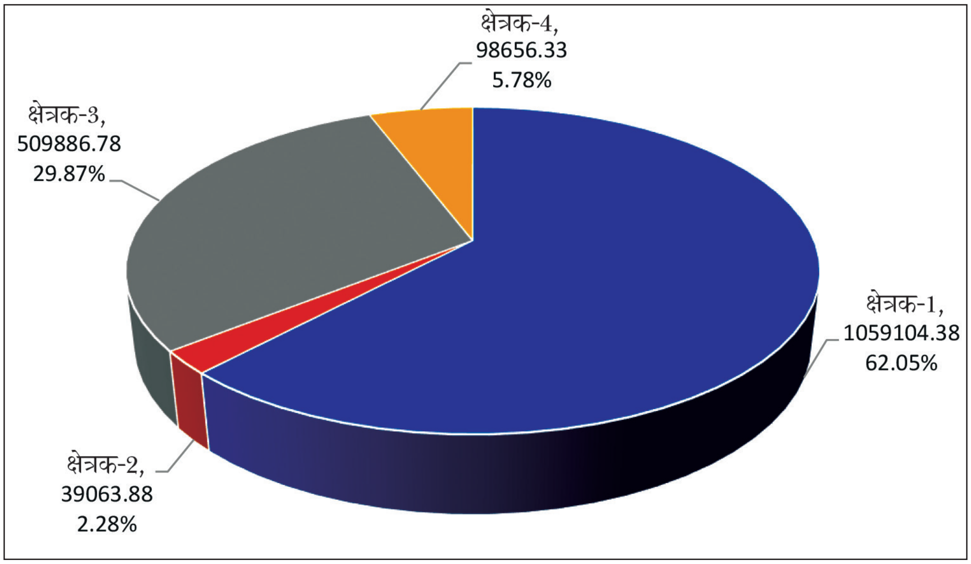

1.4(vi): राजस्व और पूंजीगत अनुदानों (वर्ष 2022–23) के तहत विश्वविद्यालयों/ संस्थानों' (क्षेत्रक 1,2,3 और 4) को राज्यवार जारी किया गया अनुदान

तालिका 1.4(vi): विश्वविद्यालयों/ संस्थानों (क्षेत्रक 1,2,3,4) को राजस्व और पूंजीगत अनुदानों (वर्ष 2022–23) के तहत राज्यवार जारी किया गया अनुदान ('ऑनलाइन, क्षेत्रीय कार्यालय, रैगिंग रोधी उपाय तथा प्रशासनिक प्रभारों को जारी अनुदानों के अलावा)

(लाख रुपये में)

राज्य	शीर्ष			कुल
	31	35	36	
आन्ध्र प्रदेश	3791.83	1324.72	3762.71	8879.26
अरूणाचल प्रदेश	3549.4	3104.47	6348.75	13002.61
असम	7563.48	1482.65	22014.55	31060.67
बिहार	2259.21	649.49	6462.34	9371.04
छत्तीसगढ़	4089.07	650	9360	14099.07

राज्य	शीर्ष			कुल
	31	35	36	
दिल्ली	86185.72	22157.18	131573.86	239916.77
गोवा	89.41	0	0	89.41
गुजरात	3411.72	6414.14	8656.59	18482.45
हरियाणा	2587.58	500	3244.16	6331.74
हिमाचल प्रदेश	1459.63	2350	3593	7402.63
जम्मू और कश्मीर	3138.35	745.48	4942.24	8826.07
झारखण्ड	1403.4	1295.34	3129.18	5827.93
कर्नाटक	3983.14	17288.38	3943	25214.52
केरल	1677.89	497.5	3873.67	6049.06
लद्दाख	0	8.5	0	8.5
मध्य प्रदेश	10643.41	2871.62	14847.25	28362.28
महाराष्ट्र	7568.38	2786.24	13353.56	23708.16
मणिपुर	5133.93	2951.12	10737.78	18822.83
मेघालय	9568	2873	14401	26842
मिजोरम	2617.8	1149.99	14706.37	18474.16
नागालैण्ड	3801.33	2225.75	11284.07	17311.15
ओड़िशा	1448.23	486.07	231	2165.3
पुदुचेरी	5963.66	700	16114	22777.66
पंजाब	2070.85	1599.96	31450.07	35120.88
राजस्थान	1974.27	640.41	3826.21	6440.88
सिक्किम	2945.05	4075	4642.86	11662.9
तमिलनाडु	4923.76	1464.35	15151.5	21539.61
तेलंगाना	24233.27	3579.74	43256.86	71069.87
त्रिपुरा	2798.31	749.98	5799.98	9348.26
उत्तर प्रदेश	149892.64	17734.42	258543.12	426170.18
उत्तरांखण्ड	4693.48	515.76	16674.65	21883.9
पश्चिम बंगाल	12287.07	674.33	22058	35019.41
कुल	377793.26	105545.59	707982.33	1191321.15
विश्वविद्यालयेत्तर संस्थान	11440.63	41500	0	52940.62
कुल योग	**389233.89**	**147045.59**	**707982.33**	**1244261.77**

31– अनुदान सहायता, 35– पूंजीगत परिसम्पत्तियां, 36– वेतन

रेखाचित्र 1.4 (vi): विश्वविद्यालयों/ संस्थानों' (क्षेत्रक 1,2,3 और 4) को राजस्व और पूंजीगत अनुदानों (वर्ष 2022–23) के तहत राज्यवार जारी किया गया अनुदान

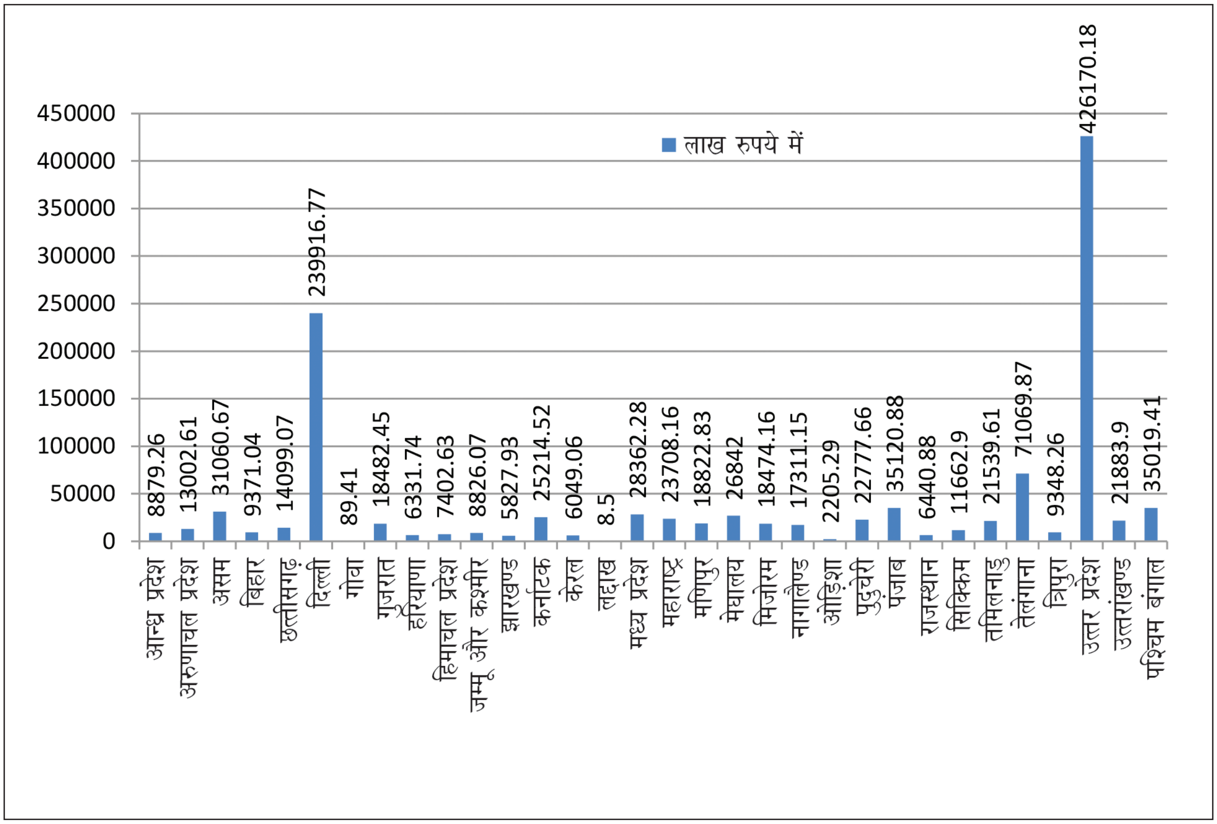

वर्ष 2022–23 के दौरान महाविद्यालयों को राजस्व और पूंजीगत अनुदानों के तहत राज्यवार जारी' किया गया अनुदान

तालिका 1.4(vii) : वर्ष 2022–23 के दौरान महाविद्यालयों को राजस्व और पूँजीगत अनुदानों के तहत राज्यवार जारी* किया गया अनुदान

राज्य	शीर्ष			कुल
	31	35	36	
आन्ध्र प्रदेश	52.37	34.87	0	87.24
असम	146.05	34.33	0	180.38
बिहार	26.81	24.9	0	51.71
छत्तीसगढ़	0.24	0	0	0.24
दिल्ली	87864.4	863.93	206212.37	294940.71
गोवा	3.76	0	0	3.76
गुजरात	4.58	0	0	4.58
हरियाणा	32.73	19.5	0	52.23
जम्मू और कष्मीर	0	100	0	100
झारखण्ड	5	0	0	5
कर्नाटक	4.74	11	0	15.74

राज्य	शीर्ष			कुल
	31	35	36	
केरल	24.39	19.99	0	44.38
मध्य प्रदेश	13.88	0	0	13.88
महाराष्ट्र	222.68	173.87	0	396.55
मणिपुर	214.54	68.62	0	283.16
मेघालय	3.33	0	0	3.33
मिजोरम	50	0	0	50
नागालैण्ड	15.42	0	0	15.42
ओड़िशा	0	2	0	2
पंजाब	40.19	0	0	40.19
राजस्थान	1	0	0	1
तमिलनाडु	44.19	0	0	44.19
तेलंगाना	10.51	0	0	10.51
उत्तर प्रदेश	1418.49	520.38	6924.71	8863.59
उत्तराखंड	2.11	0	0	2.11
पश्चिम बंगाल	167.97	0	277.69	445.66
कुल	90369.38	1873.39	213414.77	305657.56

रेखाचित्र 1.4 (vii) : वर्ष 2022–23 के दौरान महाविद्यालयों को राजस्व और पूंजीगत अनुदानों के तहत राज्यवार जारी' किया गया अनुदान (लाख रुपये में)

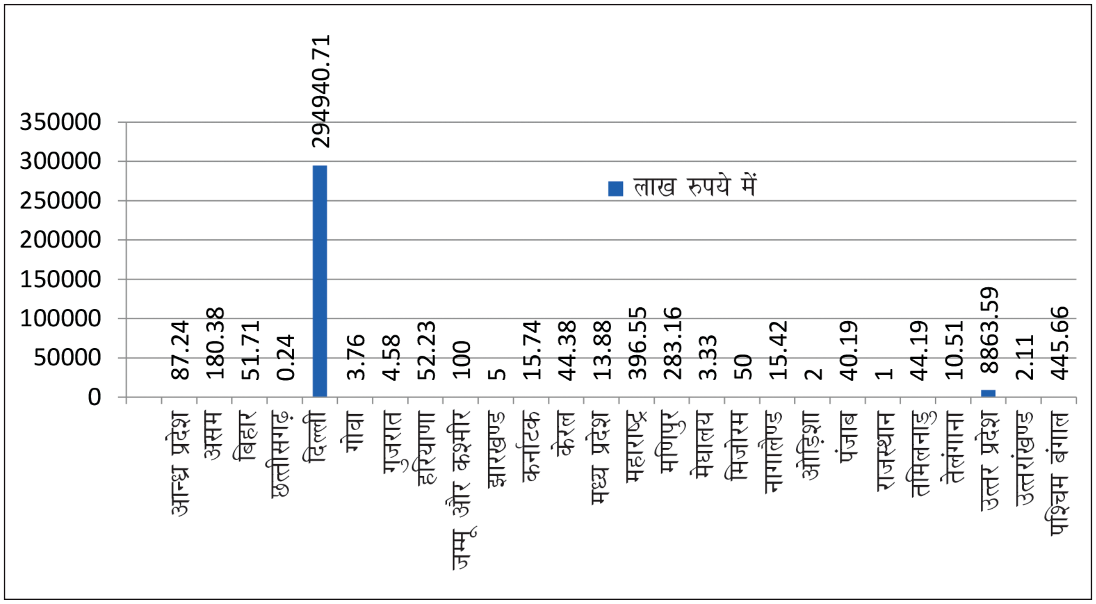

वर्ष 2022–23 के दौरान 31– अनुदान सहायता, 35– पूंजीगत परिसम्पत्तियां, 36– वेतन के तहत जारी किए गए कुल अनुदान (राजस्व और पूंजीगत) का ब्योरा

तालिका 1.4 (viii) : वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किए गए कुल अनुदानों (राजस्व और पूंजीगत) का ब्योरा

(लाख रुपये में)

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किए गए कुल अनुदानों (राजस्व और पूंजीगत) का ब्योरा				
उपयोगकर्ता	कुल			
	31	35	36	कुल
विश्वविद्यालय / संस्थान'	389233.89	147045.58	707982.3	1244261.75
महाविद्यालय	90373.81	1873.39	213414.78	305661.97
ऑनलाइन	144907.2	0	0	144907.2
क्षेत्रीय कार्यालय	5.2	0	0	5.2
रैगिंग रोधी उपाय	0	0	0	0
प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	6999.92	0	4280.71	11280.63
प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	300.82	0	293.84	594.66
उत्कृष्टता के संस्थान (आईओई)				
राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी)				
कुल	631820.84	148918.97	925971.63	1706711.41

'इसमें निजी विश्वविद्यालय और अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र शामिल हैं

31– अनुदान सहायता, 35– पूंजीगत परिसम्पत्तियां, 36– वेतन

रेखाचित्र 1.4 (viii) : वर्ष 2022–23 के दौरान 31– अनुदान सहायता, 35– पूंजीगत परिसम्पत्तियां, 36– वेतन के तहत जारी किए गए कुल अनुदान (राजस्व और पूंजीगत) का ब्योरा

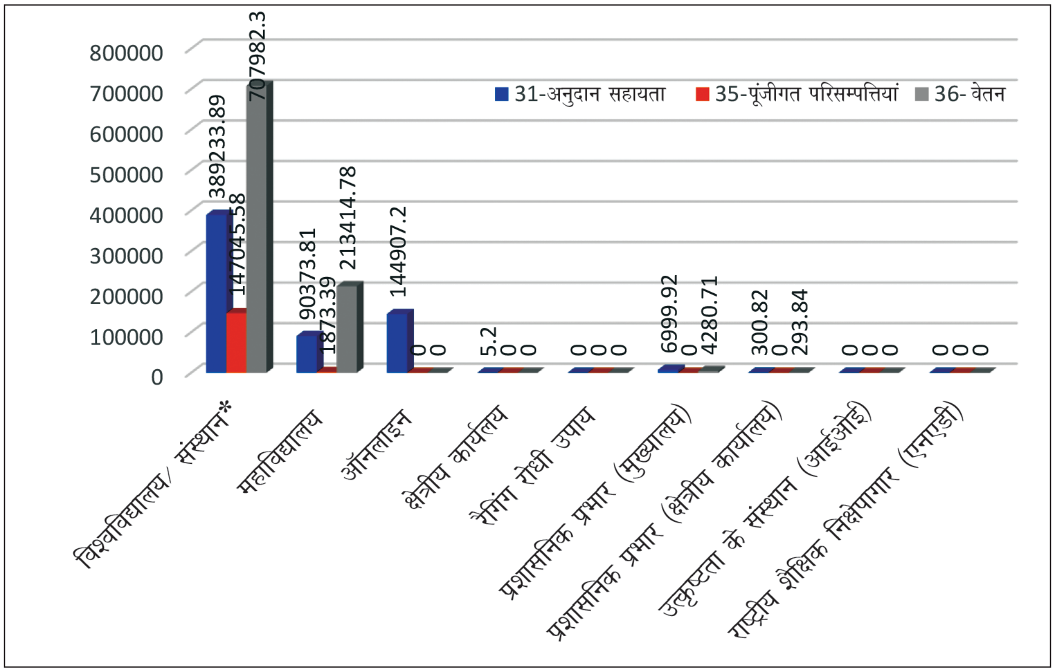

1.4 (ix): वर्ष 2022–23 के दौरान विश्वविद्यालय / संस्थानों को राजस्व और पूंजीगत अनुदान के तहत राज्य–वार, विश्वविद्यालय–वार, क्षेत्रक–वार जारी किया गया अनुदान

तालिका 1.4 (ix): वर्ष 2022–23 के दौरान विश्वविद्यालय/ संस्थानों को राजस्व और पूंजीगत अनुदान के तहत राज्य–वार, विश्वविद्यालय–वार, क्षेत्रक–वार जारी किया गया अनुदान

राज्य/ विश्वविद्यालय	क्षेत्रक-I			क्षेत्रक-II			क्षेत्रक-III			क्षेत्रक-IV			महाविद्यालय–वार योग (लाख रुपये में)			
	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	कुल
केन्द्रीय विश्वविद्यालय																
आन्ध्र प्रदेश																
आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	599.26	600	82.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**599.26**	**600**	**82.5**	**1281.76**
विश्वविद्यालय– वार योग	**599.26**	**600**	**82.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**599.26**	**600**	**82.5**	**1281.76**
आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	250	344.92	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**250**	**344.92**	**150**	**744.92**
विश्वविद्यालय– वार योग	**250**	**344.92**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**344.92**	**150**	**744.92**
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	2337.13	375	3530.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2337.13**	**375**	**3530.21**	**6242.34**
विश्वविद्यालय– वार योग	**2337.13**	**375**	**3530.21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2337.13**	**375**	**3530.21**	**6242.34**
राज्यवार योग	**3186.38**	**1319.92**	**3762.71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3186.38**	**1319.92**	**3762.71**	**8269.01**
असम																
असम विश्वविद्यालय	4683.23	648.97	12242.55	0	0	0	1.86	0	0	0	0	0	**4685.09**	**648.97**	**12242.55**	**17576.61**
विश्वविद्यालय– वार योग	**4683.23**	**648.97**	**12242.55**	**0**	**0**	**0**	**1.86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4685.09**	**648.97**	**12242.55**	**17576.61**
तेजपुर विश्वविद्यालय	2648	821.76	9772	0	0	0	51.91	4.61	0	0	0	0	**2699.91**	**826.37**	**9772**	**13298.28**
विश्वविद्यालय– वार योग	**2648**	**821.76**	**9772**	**0**	**0**	**0**	**51.91**	**4.61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2699.91**	**826.37**	**9772**	**13298.28**
राज्यवार योग	**7331.23**	**1470.73**	**22014.55**	**0**	**0**	**0**	**53.77**	**4.61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7385**	**1475.34**	**22014.55**	**30874.88**
अरूणाचल प्रदेश																
राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	3549.4	3104.47	6348.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3549.4**	**3104.47**	**6348.75**	**13002.61**
विश्वविद्यालय– वार योग	**3549.4**	**3104.47**	**6348.75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3549.4**	**3104.47**	**6348.75**	**13002.61**
राज्यवार योग	**3549.4**	**3104.47**	**6348.75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3549.4**	**3104.47**	**6348.75**	**13002.61**

बिहार																
दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1192.99	500	4404.27	0	0	0	8.75	0	0	0	0	0	1201.74	500	4404.27	6106.01
विश्वविद्यालय– वार योग	**1192.99**	**500**	**4404.27**	**0**	**0**	**0**	**8.75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1201.74**	**500**	**4404.27**	**6106.01**
महात्मा गाँधी बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय,	957.47	149.49	2058.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957.47	149.49	2058.07	3165.03
विश्वविद्यालय– वार योग	**957.47**	**149.49**	**2058.07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**957.47**	**149.49**	**2058.07**	**3165.03**
राज्यवार योग	**2150.46**	**649.49**	**6462.34**	**0**	**0**	**0**	**8.75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2159.21**	**649.49**	**6462.34**	**9271.04**
छत्तीसगढ़																
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	3952	650	9360	0	0	0	52.38	0	0	0	0	0	4004.38	650	9360	14014.38
विश्वविद्यालय– वार योग	**3952**	**650**	**9360**	**0**	**0**	**0**	**52.38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4004.38**	**650**	**9360**	**14014.38**
राज्यवार योग	**3952**	**650**	**9360**	**0**	**0**	**0**	**52.38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4004.38**	**650**	**9360**	**14014.38**
दिल्ली																
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	12493.63	6619.29	13296.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12493.63	6619.29	13296.32	32409.25
विश्वविद्यालय– वार योग	**12493.63**	**6619.29**	**13296.32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12493.63**	**6619.29**	**13296.32**	**32409.25**
जामिया मिलिया इसलामिया	14297.57	577.86	38526	0	0	0	414.71	0.09	0	0	0	0	14712.29	577.95	38526	53816.24
विश्वविद्यालय– वार योग	**14297.57**	**577.86**	**38526**	**0**	**0**	**0**	**414.71**	**0.09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14712.29**	**577.95**	**38526**	**53816.24**
दिल्ली विश्वविद्यालय	32225	3350	43915.82	0	0	0	221.24	0	0	0	6500	0	32446.24	9850	43915.82	86212.05
विश्वविद्यालय– वार योग	**32225**	**3350**	**43915.82**	**0**	**0**	**0**	**221.24**	**0**	**0**	**0**	**6500**	**0**	**32446.24**	**9850**	**43915.82**	**86212.05**
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	20424.98	3182.78	27678.16	0	0	0	329.65	0	0	0	0	0	20754.63	3182.78	27678.16	51615.58
विश्वविद्यालय– वार योग	**20424.98**	**3182.78**	**27678.16**	**0**	**0**	**0**	**329.65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20754.63**	**3182.78**	**27678.16**	**51615.58**
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	2194.5	338.97	4039.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2194.5	338.97	4039.12	6572.59

विश्वविद्यालय– वार योग	2194.5	338.97	4039.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2194.5	338.97	4039.12	6572.59
राज्यवार योग	81635.69	14068.91	127455.42	0	0	0	965.6	0.09	0	0	6500	0	82601.29	20569	127455.42	230625.72
गुजरात																
गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1667.87	6399.97	2721.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1667.87	6399.97	2721.93	10789.77
विश्वविद्यालय– वार योग	1667.87	6399.97	2721.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1667.87	6399.97	2721.93	10789.77
राज्यवार योग	1667.87	6399.97	2721.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1667.87	6399.97	2721.93	10789.77
हरियाणा																
हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2440.99	500	3244.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2440.99	500	3244.16	6185.15
विश्वविद्यालय– वार योग	2440.99	500	3244.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2440.99	500	3244.16	6185.15
राज्यवार योग	2440.99	500	3244.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2440.99	500	3244.16	6185.15
हिमाचल प्रदेश																
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1406	2350	3593	0	0	0	53.63	0	0	0	0	0	1459.63	2350	3593	7402.63
विश्वविद्यालय– वार योग	1406	2350	3593	0	0	0	53.63	0	0	0	0	0	1459.63	2350	3593	7402.63
राज्यवार योग	1406	2350	3593	0	0	0	53.63	0	0	0	0	0	1459.63	2350	3593	7402.63
जम्मू और कश्मीर																
कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1543	345.48	2033.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1543	345.48	2033.87	3922.35
विश्वविद्यालय– वार योग	1543	345.48	2033.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1543	345.48	2033.87	3922.35
जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1450	400	2600.55	0	0	0	24	0	0	0	0	0	1474	400	2600.55	4474.54
विश्वविद्यालय– वार योग	1450	400	2600.55	0	0	0	24	0	0	0	0	0	1474	400	2600.55	4474.54
राज्यवार योग	2993	745.48	4634.42	0	0	0	24	0	0	0	0	0	3017	745.48	4634.42	8396.9
झारखण्ड																
झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1304.72	1295.34	3129.18	0	0	0	42.98	0	0	0	0	0	1347.7	1295.34	3129.18	5772.23

विश्वविद्यालय– वार योग	**1304.72**	**1295.34**	**3129.18**	**0**	**0**	**0**	**42.98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1347.7**	**1295.34**	**3129.18**	**5772.23**
राज्यवार योग	**1304.72**	**1295.34**	**3129.18**	**0**	**0**	**0**	**42.98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1347.7**	**1295.34**	**3129.18**	**5772.23**
कर्नाटक																
कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1151	400	2420.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1151**	**400**	**2420.24**	**3971.24**
विश्वविद्यालय– वार योग	**1151**	**400**	**2420.24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1151**	**400**	**2420.24**	**3971.24**
राज्यवार योग	**1151**	**400**	**2420.24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1151**	**400**	**2420.24**	**3971.24**
केरल																
केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1483	475	3710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1483**	**475**	**3710**	**5668**
विश्वविद्यालय– वार योग	**1483**	**475**	**3710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1483**	**475**	**3710**	**5668**
राज्यवार योग	**1483**	**475**	**3710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1483**	**475**	**3710**	**5668**
लद्दाख																
सिंधु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	0	8.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**8.5**	**0**	**8.5**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**8.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.5**	**0**	**8.5**
राज्यवार योग	**0**	**8.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.5**	**0**	**8.5**
मध्य प्रदेश																
डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय	6792.63	270.13	7984.71	0	0	0	45.84	0	198.99	0	0	0	**6838.46**	**270.13**	**8183.7**	**15292.29**
विश्वविद्यालय– वार योग	**6792.63**	**270.13**	**7984.71**	**0**	**0**	**0**	**45.84**	**0**	**199**	**0**	**0**	**0**	**6838.46**	**270.13**	**8183.7**	**15292.29**
इन्दिरा गाँधी नेशनल ट्राईबल यूनिवर्सिटी	2382.99	800	4171	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	**2387.59**	**800**	**4171**	**7358.59**
विश्वविद्यालय– वार योग	**2382.99**	**800**	**4171**	**0**	**0**	**0**	**4.6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2387.59**	**800**	**4171**	**7358.59**
राज्यवार योग	**9175.62**	**1070.12**	**12155.71**	**0**	**0**	**0**	**50.44**	**0**	**199**	**0**	**0**	**0**	**9226.06**	**1070.12**	**12354.7**	**22650.88**
महाराष्ट्र																

महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	1884.27	600	3441.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1884.27**	**600**	**3441.63**	**5925.89**
विश्वविद्यालय– वार योग	**1884.27**	**600**	**3441.63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1884.27**	**600**	**3441.63**	**5925.89**
राज्यवार योग	**1884.27**	**600**	**3441.63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1884.27**	**600**	**3441.63**	**5925.89**
मणिपुर																
मणिपुर विश्वविद्यालय	4950.47	2951.12	10521.89	0	0	0	183.46	0	215.89	0	0	0	**5133.93**	**2951.12**	**10737.78**	**18822.83**
विश्वविद्यालय– वार योग	**4950.47**	**2951.12**	**10521.89**	**0**	**0**	**0**	**183.46**	**0**	**215.9**	**0**	**0**	**0**	**5133.93**	**2951.12**	**10737.78**	**18822.83**
राज्यवार योग	**4950.47**	**2951.12**	**10521.89**	**0**	**0**	**0**	**183.46**	**0**	**215.9**	**0**	**0**	**0**	**5133.93**	**2951.12**	**10737.78**	**18822.83**
मेघालय																
नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी	9528	2873	14401	0	0	0	40	0	0	0	0	0	**9568**	**2873**	**14401**	**26842**
विश्वविद्यालय– वार योग	**9528**	**2873**	**14401**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9568**	**2873**	**14401**	**26842**
राज्यवार योग	**9528**	**2873**	**14401**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9568**	**2873**	**14401**	**26842**
मिजोरम																
मिजोरम विश्वविद्यालय	2405.22	1149.99	14706.37	0	0	0	212.58	0	0	0	0	0	**2617.8**	**1149.99**	**14706.37**	**18474.16**
विश्वविद्यालय– वार योग	**2405.22**	**1149.99**	**14706.37**	**0**	**0**	**0**	**212.58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2617.8**	**1149.99**	**14706.37**	**18474.16**
राज्यवार योग	**2405.22**	**1149.99**	**14706.37**	**0**	**0**	**0**	**212.58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2617.8**	**1149.99**	**14706.37**	**18474.16**
नागालैण्ड																
नागालैण्ड विश्वविद्यालय	3801.33	2225.75	11284.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3801.33**	**2225.75**	**11284.07**	**17311.15**
विश्वविद्यालय– वार योग	**3801.33**	**2225.75**	**11284.07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3801.33**	**2225.75**	**11284.07**	**17311.15**
राज्यवार योग	**3801.33**	**2225.75**	**11284.07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3801.33**	**2225.75**	**11284.07**	**17311.15**
ओडिशा																
ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1121.9	486.07	231	0	0	0	7.5	0	0	0	0	0	**1129.4**	**486.07**	**231**	**1846.47**
विश्वविद्यालय– वार योग	**1121.9**	**486.07**	**231**	**0**	**0**	**0**	**7.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1129.4**	**486.07**	**231**	**1846.47**
राज्यवार योग	**1121.9**	**486.07**	**231**	**0**	**0**	**0**	**7.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1129.4**	**486.07**	**231**	**1846.47**

पुदुचेरी															
पुदुचेरी विश्वविद्यालय	5919	700	16114	0	0	0	44.66	0	0	0	0	0	**5963.66**	**700**	**16114**	**22777.66**
विश्वविद्यालय– वार योग	**5919**	**700**	**16114**	**0**	**0**	**0**	**44.66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5963.66**	**700**	**16114**	**22777.66**
राज्यवार योग	**5919**	**700**	**16114**	**0**	**0**	**0**	**44.66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5963.66**	**700**	**16114**	**22777.66**
पंजाब															
पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1590.88	700	3513	0	0	0	62.12	0	0	0	0	0	**1653**	**700**	**3513**	**5866**
विश्वविद्यालय– वार योग	**1590.88**	**700**	**3513**	**0**	**0**	**0**	**62.12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1653**	**700**	**3513**	**5866**
राज्यवार योग	**1590.88**	**700**	**3513**	**0**	**0**	**0**	**62.12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1653**	**700**	**3513**	**5866**
राजस्थान															
राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1825.5	561.82	3650.11	0	0	0	46.63	0	0	0	0	0	**1872.13**	**561.82**	**3650.11**	**6084.06**
विश्वविद्यालय– वार योग	**1825.5**	**561.82**	**3650.11**	**0**	**0**	**0**	**46.63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1872.13**	**561.82**	**3650.11**	**6084.06**
राज्यवार योग	**1825.5**	**561.82**	**3650.11**	**0**	**0**	**0**	**46.63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1872.13**	**561.82**	**3650.11**	**6084.06**
सिक्किम															
सिक्किम विश्वविद्यालय	2931.96	4075	4642.86	0	0	0	13.08	0	0	0	0	0	**2945.05**	**4075**	**4642.86**	**11662.9**
विश्वविद्यालय– वार योग	**2931.96**	**4075**	**4642.86**	**0**	**0**	**0**	**13.08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2945.05**	**4075**	**4642.86**	**11662.9**
राज्यवार योग	**2931.96**	**4075**	**4642.86**	**0**	**0**	**0**	**13.08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2945.05**	**4075**	**4642.86**	**11662.9**
तमिलनाडु															
तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1513	500	3760	0	0	0	38.53	5.7	0	0	0	0	**1551.53**	**505.7**	**3760**	**5817.23**
विश्वविद्यालय– वार योग	**1513**	**500**	**3760**	**0**	**0**	**0**	**38.53**	**5.7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1551.53**	**505.7**	**3760**	**5817.23**
राज्यवार योग	**1513**	**500**	**3760**	**0**	**0**	**0**	**38.53**	**5.7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1551.53**	**505.7**	**3760**	**5817.23**
तेलंगाना															
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	4101	471.74	13756.85	0	0	0	43.14	0	0	0	0	0	**4144.14**	**471.74**	**13756.85**	**18372.74**
विश्वविद्यालय– वार योग	**4101**	**471.74**	**13756.85**	**0**	**0**	**0**	**43.14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4144.14**	**471.74**	**13756.85**	**18372.74**

द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी	3828	450	6536	0	0	0	172.5	0	546.5	0	0	0	**4000.5**	**450**	**7082.5**	**11533**
विश्वविद्यालय– वार योग	**3828**	**450**	**6536**	**0**	**0**	**0**	**172.5**	**0**	**546.5**	**0**	**0**	**0**	**4000.5**	**450**	**7082.5**	**11533**
हैदराबाद विश्वविद्यालय	12074.84	457.08	22109.15	0	0	0	201.44	0	0	3427.4	2193.75	0	**15703.68**	**2650.83**	**22109.15**	**40463.66**
विश्वविद्यालय– वार योग	**12074.84**	**457.08**	**22109.15**	**0**	**0**	**0**	**201.44**	**0**	**0**	**3427.4**	**2193.75**	**0**	**15703.68**	**2650.83**	**22109.15**	**40463.66**
राज्यवार योग	**20003.84**	**1378.82**	**42402.01**	**0**	**0**	**0**	**417.08**	**0**	**546.5**	**3427.4**	**2193.75**	**0**	**23848.32**	**3572.57**	**42948.51**	**70369.4**
त्रिपुरा																
त्रिपुरा विश्वविद्यालय	2780.76	749.98	5799.98	0	0	0	17.55	0	0	0	0	0	**2798.31**	**749.98**	**5799.98**	**9348.26**
विश्वविद्यालय– वार योग	**2780.76**	**749.98**	**5799.98**	**0**	**0**	**0**	**17.55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2798.31**	**749.98**	**5799.98**	**9348.26**
राज्यवार योग	**2780.76**	**749.98**	**5799.98**	**0**	**0**	**0**	**17.55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2798.31**	**749.98**	**5799.98**	**9348.26**
उत्तर प्रदेश																
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	47711.75	1016.66	103756.62	0	0	0	119.08	0	0	0	0	0	**47830.83**	**1016.66**	**103756.62**	**152604.11**
विश्वविद्यालय– वार योग	**47711.75**	**1016.66**	**103756.62**	**0**	**0**	**0**	**119.08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47830.83**	**1016.66**	**103756.62**	**152604.11**
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	3020.35	863.31	5605.43	0	0	0	50.32	0	0	0	0	0	**3070.67**	**863.31**	**5605.43**	**9539.41**
विश्वविद्यालय– वार योग	**3020.35**	**863.31**	**5605.43**	**0**	**0**	**0**	**50.32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3070.67**	**863.31**	**5605.43**	**9539.41**
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	78514.59	3773.39	112181.78	0	0	0	307.82	15	0	2538.29	11369.95	0	**81360.71**	**15158.34**	**112181.78**	**208700.83**
विश्वविद्यालय– वार योग	**78514.59**	**3773.39**	**112181.78**	**0**	**0**	**0**	**307.82**	**15**	**0**	**2538.29**	**11370**	**0**	**81360.71**	**15158.34**	**112181.78**	**208700.83**
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	16671.07	696.11	32387.88	0	0	0	235.72	0	0	0	0	0	**16906.79**	**696.11**	**32387.88**	**49990.79**
विश्वविद्यालय– वार योग	**16671.07**	**696.11**	**32387.88**	**0**	**0**	**0**	**235.72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16906.79**	**696.11**	**32387.88**	**49990.79**
राज्यवार योग	**145917.77**	**6349.47**	**253931.71**	**0**	**0**	**0**	**712.94**	**15**	**0**	**2538.29**	**11370**	**0**	**149169**	**17734.42**	**253931.71**	**420835.13**
उत्तराखण्ड																

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	3741.65	512.01	12215.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3741.65**	**512.01**	**12215.95**	**16469.62**
विश्वविद्यालय– वार योग	**3741.65**	**512.01**	**12215.95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3741.65**	**512.01**	**12215.95**	**16469.62**
राज्यवार योग	**3741.65**	**512.01**	**12215.95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3741.65**	**512.01**	**12215.95**	**16469.62**
पश्चिम बंगाल																
विश्व भारती, शान्तिनिकेतन	11641	669.33	21058	0	0	0	2.09	0	0	0	0	0	**11643.09**	**669.33**	**21058**	**33370.42**
विश्वविद्यालय– वार योग	**11641**	**669.33**	**21058**	**0**	**0**	**0**	**2.09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11643.09**	**669.33**	**21058**	**33370.42**
राज्यवार योग	**11641**	**669.33**	**21058**	**0**	**0**	**0**	**2.09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11643.09**	**669.33**	**21058**	**33370.42**
कुल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	**344983.91**	**60990.28**	**632685.97**	**0**	**0**	**0**	**3049.76**	**25.4**	**961.4**	**5965.69**	**20063.7**	**0**	**353999.4**	**81079.38**	**633647.35**	**1068726.1**
	क्षेत्रक-I			**क्षेत्रक-II**			**क्षेत्रक-III**			**क्षेत्रक-IV**			**महाविद्यालय–वार योग (लाख रुपये में)**			
	31	**35**	**36**	**31**	**35**	**36**	**31**	**35**	**36**	**31**	**35**	**36**	**31**	**35**	**36**	**Total**
सम विश्वविद्यालय																
आन्ध्र प्रदेश																
गांधी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (जीआईटीएएम)	0	0	0	0	0	0	32.03	0	0	0	0	0	**32.03**	**0**	**0**	**32.03**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.03**	**0**	**0**	**32.03**
विज्ञान फाऊंडेशन फॉर सांइस, टेक्नालाजी एंड रिसर्च	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	**8**	**0**	**0**	**8**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**8**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.03**	**0**	**0**	**40.03**
दिल्ली																
जामिया हमदर्द	0	0	0	0	0	266.64	140.04	0	0	0	0	0	**140.04**	**0**	**266.64**	**406.68**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266.64**	**140.04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.04**	**0**	**266.64**	**406.68**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266.64**	**140.04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.04**	**0**	**266.64**	**406.68**
गुजरात																

गुजरात विद्यापीठ	0	0	0	678.56	0	5060.44	0	0	0	0	0	0	678.56	0	5060.44	5739
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**678.6**	**0**	**5060.44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**678.56**	**0**	**5060.44**	**5739**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**678.6**	**0**	**5060.44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**678.56**	**0**	**5060.44**	**5739**
कर्नाटक																
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2200	16800	0	**2200**	**16800**	**0**	**19000**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2200**	**16800**	**0**	**2200**	**16800**	**0**	**19000**
जेएसएस अकेडमी ऑफ हायर एजूकेषन एंड रिसर्च	0	0	0	0	0	0	9.11	0	0	0	0	0	**9.11**	**0**	**0**	**9.11**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.11**	**0**	**0**	**9.11**
एनआईटीटीई यूनिवर्सिटी	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	**16**	**0**	**0**	**16**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**16**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.11**	**0**	**0**	**2200**	**16800**	**0**	**2225.11**	**16800**	**0**	**19025.11**
मध्य प्रदेश																
लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	**100**	**0**	**0**	**100**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**
महाराष्ट्र																
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइस,																
मुंबई	0	0	0	928.36	0	7154.58	94.79	0	0	0	0	0	**1023.15**	**0**	**7154.58**	**8177.73**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**928.4**	**0**	**7154.58**	**94.79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1023.15**	**0**	**7154.58**	**8177.73**
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलाजी																
माटूंगा	0	0	0	0	0	0	157.48	0	0	0	0	0	**157.48**	**0**	**0**	**157.48**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.48**	**0**	**0**	**157.48**

राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**928.4**	**0**	**7154.58**	**252.27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1180.63**	**0**	**7154.58**	**8335.21**
ओड़ीशा																
शिक्षा 'ओ' अनुसंधान	0	0	0	0	0	0	39.99	0	0	0	0	0	**39.99**	**0**	**0**	**39.99**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.99**	**0**	**0**	**39.99**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.99**	**0**	**0**	**39.99**
राजस्थान																
जैन विश्व भारती संस्थान	0	0	0	0	0	0	13.06	0	0	0	0	0	**13.06**	**0**	**0**	**13.06**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.06**	**0**	**0**	**13.06**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.06**	**0**	**0**	**13.06**
तमिलनाडु																
अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन फॉर वीमेन	0	0	0	871.06	0	6093.52	24.97	0	0	0	0	0	**896.03**	**0**	**6093.52**	**6989.55**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**871.1**	**0**	**6093.52**	**24.97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**896.03**	**0**	**6093.52**	**6989.55**
गाँधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट	0	0	0	1810.1	0	4918.59	39.58	0	0	0	0	0	**1849.65**	**0**	**4918.59**	**6768.24**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**1810**	**0**	**4918.59**	**39.58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1849.65**	**0**	**4918.59**	**6768.24**
सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलाजी	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	**16**	**0**	**0**	**16**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**16**
एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलाजी	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	**16**	**0**	**0**	**16**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**16**

षणमुघा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी (एसएएसटीआरए)	0	0	0	0	0	0	5.64	0	0	0	0	0	**5.64**	**0**	**0**	**5.64**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.64**	**0**	**0**	**5.64**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**2681**	**0**	**11012.11**	**102.19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2783.32**	**0**	**11012.11**	**13795.43**
उत्तर प्रदेश																
दयालबाग एजूकेषनल इंस्टीट्यूट	0	0	0	426.66	0	4611.41	14.88	0	0	0	0	0	**441.54**	**0**	**4611.41**	**5052.95**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**426.7**	**0**	**4611.41**	**14.88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**441.54**	**0**	**4611.41**	**5052.95**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**426.7**	**0**	**4611.41**	**14.88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**441.54**	**0**	**4611.41**	**5052.95**
उत्तराखण्ड																
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,	0	0	0	785.29	0	4458.7	6	0	0	0	0	0	**791.29**	**0**	**4458.7**	**5249.99**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**785.3**	**0**	**4458.7**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**791.29**	**0**	**4458.7**	**5249.99**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**785.3**	**0**	**4458.7**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**791.29**	**0**	**4458.7**	**5249.99**
पश्चिम बंगाल																
रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द एजूकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट (एमवीईआरआई)	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**1000**	**1000**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1000**	**1000**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1000**	**1000**
कुल सम विश्वविद्यालय	**0**	**0**	**0**	**5500**	**0**	**33563.88**	**733.57**	**0**	**0**	**2200**	**16800**	**0**	**8433.57**	**16800**	**33563.88**	**58797.46**
	क्षेत्रक-I			**क्षेत्रक-II**			**क्षेत्रक-III**			**क्षेत्रक-IV**			**महाविद्यालय–वार योग (लाख रुपये में)**			
राज्य विश्वविद्यालय	**31**	**35**	**36**	**31**	**35**	**36**	**31**	**35**	**36**	**31**	**35**	**36**	**31**	**35**	**36**	**कुल**
आन्ध्र प्रदेश																
आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	36.21	0	0	0	0	0	**36.21**	**0**	**0**	**36.21**

विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.21**	**0**	**0**	**36.21**
आन्ध्रा विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	210.55	0	0	0	0	0	**210.55**	**0**	**0**	**210.55**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.55**	**0**	**0**	**210.55**
द्रविड़ विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	9.15	4.8	0	0	0	0	**9.15**	**4.8**	**0**	**13.95**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.15**	**4.8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.15**	**4.8**	**0**	**13.95**
जेएनटीयू, अनंतपुर	0	0	0	0	0	0	110.17	0	0	0	0	0	**110.17**	**0**	**0**	**110.17**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.17**	**0**	**0**	**110.17**
श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	127.2	0	0	0	0	0	**127.2**	**0**	**0**	**127.2**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.2**	**0**	**0**	**127.2**
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	72.14	0	0	0	0	0	**72.14**	**0**	**0**	**72.14**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.14**	**0**	**0**	**72.14**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.42**	**4.8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.42**	**4.8**	**0**	**570.22**
असम																
कॉटन विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	7.97	0	0	0	0	0	**7.97**	**0**	**0**	**7.97**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.97**	**0**	**0**	**7.97**
डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	65.06	0	0	0	0	0	**65.06**	**0**	**0**	**65.06**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.06**	**0**	**0**	**65.06**
गुवाहाटी विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	105.45	7.31	0	0	0	0	**105.45**	**7.31**	**0**	**112.76**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.45**	**7.31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.45**	**7.31**	**0**	**112.76**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.48**	**7.31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.48**	**7.31**	**0**	**185.79**
बिहार																
नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	**100**	**0**	**0**	**100**

विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**
छत्तीसगढ़																
पंडित रवि एस. शुक्ल विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	84.69	0	0	0	0	0	**84.69**	**0**	**0**	**84.69**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.69**	**0**	**0**	**84.69**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.69**	**0**	**0**	**84.69**
दिल्ली																
दिल्ली टेक्नालाजिकल विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	72.65	0	0	0	0	0	**72.65**	**0**	**0**	**72.65**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.65**	**0**	**0**	**72.65**
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, द्वारका	0	0	0	0	0	0	0	8.18	0	0	0	0	**0**	**8.18**	**0**	**8.18**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.18**	**0**	**8.18**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.65**	**8.18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.65**	**8.18**	**0**	**80.83**
गोवा																
गोवा विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	89.41	0	0	0	0	0	**89.41**	**0**	**0**	**89.41**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.41**	**0**	**0**	**89.41**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.41**	**0**	**0**	**89.41**
गुजरात																
गुजरात विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	331.91	0	136.51	0	0	0	**331.91**	**0**	**136.51**	**468.42**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331.91**	**0**	**136.5**	**0**	**0**	**0**	**331.91**	**0**	**136.51**	**468.42**
एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बडोदा	0	0	0	0	0	0	105.13	14.17	0	0	0	0	**105.13**	**14.17**	**0**	**119.3**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.13**	**14.17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.13**	**14.17**	**0**	**119.3**
सरदार पटेल विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	70.79	0	0	0	0	0	**70.79**	**0**	**0**	**70.79**

विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.79**	**0**	**0**	**70.79**
सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	92.04	0	0	0	0	0	**92.04**	**0**	**0**	**92.04**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.04**	**0**	**0**	**92.04**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**599.87**	**14.17**	**136.5**	**0**	**0**	**0**	**599.87**	**14.17**	**136.51**	**750.55**
हरियाणा																
भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	26.46	0	0	0	0	0	**26.46**	**0**	**0**	**26.46**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.46**	**0**	**0**	**26.46**
जे.सी. बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	**32**	**0**	**0**	**32**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**0**	**0**	**32**
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	68.21	0	0	0	0	0	**68.21**	**0**	**0**	**68.21**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.21**	**0**	**0**	**68.21**
एम.डी. यूनिवर्सिटी	0	0	0	0	0	0	19.92	0	0	0	0	0	**19.92**	**0**	**0**	**19.92**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.92**	**0**	**0**	**19.92**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.59**	**0**	**0**	**146.59**
जम्मू और कश्मीर																
कश्मीर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	102.35	0	307.82	0	0	0	**102.35**	**0**	**307.82**	**410.17**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.35**	**0**	**307.8**	**0**	**0**	**0**	**102.35**	**0**	**307.82**	**410.17**
विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस्लामिक विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**2**	**0**	**0**	**2**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**
झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	17.01	0	0	0	0	0	**17.01**	**0**	**0**	**17.01**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.01**	**0**	**0**	**17.01**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.35**	**0**	**307.8**	**0**	**0**	**0**	**121.35**	**0**	**307.82**	**429.17**

झारखण्ड																
रांची विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	55.7	0	0	0	0	0	**55.7**	**0**	**0**	**55.7**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.7**	**0**	**0**	**55.7**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.7**	**0**	**0**	**55.7**
कर्नाटक																
बेंगलुरु विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	173.96	38.38	0	0	0	0	**173.96**	**38.38**	**0**	**212.34**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.96**	**38.38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.96**	**38.38**	**0**	**212.34**
कन्नड़ विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	1.73	0	0	0	0	0	**1.73**	**0**	**0**	**1.73**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.73**	**0**	**0**	**1.73**
कर्नाटक विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	41.15	0	0	0	0	0	**41.15**	**0**	**0**	**41.15**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.15**	**0**	**0**	**41.15**
कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	57.13	0	0	0	0	0	**57.13**	**0**	**0**	**57.13**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.13**	**0**	**0**	**57.13**
मेंगलोर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	6.88	0	0	0	0	0	**6.88**	**0**	**0**	**6.88**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.88**	**0**	**0**	**6.88**
मैसूर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	182.75	0	391.26	0	0	0	**182.75**	**0**	**391.26**	**574.01**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.75**	**0**	**391.3**	**0**	**0**	**0**	**182.75**	**0**	**391.26**	**574.01**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**463.61**	**38.38**	**391.3**	**0**	**0**	**0**	**463.61**	**38.38**	**391.26**	**893.25**
केरल																
कालीकट विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	22.1	0	163.67	0	0	0	**22.1**	**0**	**163.67**	**185.77**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.1**	**0**	**163.7**	**0**	**0**	**0**	**22.1**	**0**	**163.67**	**185.77**
कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	36.69	12.5	0	0	0	0	**36.69**	**12.5**	**0**	**49.19**

विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.69**	**12.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.69**	**12.5**	**0**	**49.19**
कनन्नूर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	41.62	0	0	0	0	0	**41.62**	**0**	**0**	**41.62**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.62**	**0**	**0**	**41.62**
केरल विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	68.88	0	0	0	0	0	**68.88**	**0**	**0**	**68.88**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.88**	**0**	**0**	**68.88**
एमजी विश्वविद्यालय कोट्टायम	0	0	0	0	0	0	22.39	0	0	0	0	0	**22.39**	**0**	**0**	**22.39**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.39**	**0**	**0**	**22.39**
श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	3.21	10	0	0	0	0	**3.21**	**10**	**0**	**13.21**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.21**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.21**	**10**	**0**	**13.21**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.89**	**22.5**	**163.7**	**0**	**0**	**0**	**194.89**	**22.5**	**163.67**	**381.06**
मध्य प्रदेश																
राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,																
भोपाल	0	0	0	0	0	0	25.34	0	0	0	0	0	**25.34**	**0**	**0**	**25.34**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.34**	**0**	**0**	**25.34**
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	145.1	0	159.12	0	0	0	**145.1**	**0**	**159.12**	**304.22**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.1**	**0**	**159.1**	**0**	**0**	**0**	**145.1**	**0**	**159.12**	**304.22**
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	85.81	0	0	0	0	0	**85.81**	**0**	**0**	**85.81**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.81**	**0**	**0**	**85.81**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256.25**	**0**	**159.1**	**0**	**0**	**0**	**256.25**	**0**	**159.12**	**415.37**
महाराष्ट्र																

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	24.92	398.62	0	0	0	0	**24.92**	**398.62**	**0**	**423.54**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.92**	**398.62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.92**	**398.62**	**0**	**423.54**
मुम्बई विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	740.35	0	196.41	0	0	0	**740.35**	**0**	**196.41**	**936.76**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**740.35**	**0**	**196.4**	**0**	**0**	**0**	**740.35**	**0**	**196.41**	**936.76**
सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	843.51	0	387.25	0	0	0	**843.51**	**0**	**387.25**	**1230.76**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**843.51**	**0**	**387.3**	**0**	**0**	**0**	**843.51**	**0**	**387.25**	**1230.76**
एस.जी.बी. अमरावती विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	40	87.36	0	0	0	0	**40**	**87.36**	**0**	**127.36**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**87.36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**87.36**	**0**	**127.36**
शिवाजी विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	12.58	0	0	0	0	0	**12.58**	**0**	**0**	**12.58**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.58**	**0**	**0**	**12.58**
एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	39.84	0	0	0	0	0	**39.84**	**0**	**0**	**39.84**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.84**	**0**	**0**	**39.84**
आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	73.44	0	0	0	0	0	**73.44**	**0**	**0**	**73.44**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.44**	**0**	**0**	**73.44**
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	**100**	**0**	**0**	**100**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**
कवि कुलगुरू कालीदास विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	200.25	0	0	0	0	**0**	**200.25**	**0**	**200.25**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.25**	**0**	**200.25**

कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	33.87	0	0	0	0	0	33.87	0	0	33.87
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.87**	**0**	**0**	**33.87**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1808.51**	**686.24**	**583.7**	**100**	**0**	**0**	**1908.51**	**686.24**	**583.66**	**3178.4**
ओड़िशा																
बेहरामपुर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	17.92	0	0	0	0	0	**17.92**	**0**	**0**	**17.92**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.92**	**0**	**0**	**17.92**
सम्बलपुर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	72.68	0	0	0	0	0	**72.68**	**0**	**0**	**72.68**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.68**	**0**	**0**	**72.68**
उत्कल विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	25.18	0	0	0	0	0	**25.18**	**0**	**0**	**25.18**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.18**	**0**	**0**	**25.18**
वीर सुरेन्द्र साईं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	3.05	0	0	0	0	0	**3.05**	**0**	**0**	**3.05**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.05**	**0**	**0**	**3.05**
ओड़िशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	**200**	**0**	**0**	**200**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**200**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.83**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**318.83**	**0**	**0**	**318.83**
पंजाब																
जीएनडीयू	0	0	0	0	0	0	20.79	899.96	0	0	0	0	**20.79**	**899.96**	**0**	**920.75**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.79**	**899.96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.79**	**899.96**	**0**	**920.75**
पंजाब विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	374.58	0	27809	0	0	0	**374.58**	**0**	**27809.1**	**28183.68**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**374.58**	**0**	**27809**	**0**	**0**	**0**	**374.58**	**0**	**27809.1**	**28183.68**
पंजाबी विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	22.48	0	127.97	0	0	0	**22.48**	**0**	**127.97**	**150.45**

विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.48**	**0**	**128**	**0**	**0**	**0**	**22.48**	**0**	**127.97**	**150.45**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**417.85**	**899.96**	**27937**	**0**	**0**	**0**	**417.85**	**899.96**	**27937.07**	**29254.88**
राजस्थान																
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	33.14	0	176.1	0	0	0	**33.14**	**0**	**176.1**	**209.24**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.14**	**0**	**176.1**	**0**	**0**	**0**	**33.14**	**0**	**176.1**	**209.24**
एमडीएस विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	1.41	0	0	0	0	0	**1.41**	**0**	**0**	**1.41**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.41**	**0**	**0**	**1.41**
मोहन दास सुखाड़िया विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	7.41	78.59	0	0	0	0	**7.41**	**78.59**	**0**	**86**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.41**	**78.59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.41**	**78.59**	**0**	**86**
राजस्थान विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	47.11	0	0	0	0	0	**47.11**	**0**	**0**	**47.11**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.11**	**0**	**0**	**47.11**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.08**	**78.59**	**176.1**	**0**	**0**	**0**	**89.08**	**78.59**	**176.1**	**343.76**
तमिलनाडु																
अलगप्पा विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	21.85	363.36	0	0	0	0	**21.85**	**363.36**	**0**	**385.2**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.85**	**363.36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.85**	**363.36**	**0**	**385.2**
अन्नामलाई विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	0.04	0	0	0	0	0	**0.04**	**0**	**0**	**0.04**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.04**	**0**	**0**	**0.04**
अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	0	0	0	0	0	0	72.98	0	86.02	0	0	0	**72.98**	**0**	**86.02**	**158.99**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.98**	**0**	**86.02**	**0**	**0**	**0**	**72.98**	**0**	**86.02**	**158.99**
भरथियार विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	67.23	0	0	0	0	0	**67.23**	**0**	**0**	**67.23**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.23**	**0**	**0**	**67.23**

भारथीदासन विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	77.16	0	0	0	0	0	**77.16**	**0**	**0**	**77.16**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.16**	**0**	**0**	**77.16**
मदुराई कामराज विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	97.46	0	293.37	0	0	0	**97.46**	**0**	**293.37**	**390.83**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.46**	**0**	**293.4**	**0**	**0**	**0**	**97.46**	**0**	**293.37**	**390.83**
एम. सुंदरनार विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	2.57	528.75	0	0	0	0	**2.57**	**528.75**	**0**	**531.33**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.57**	**528.75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.57**	**528.75**	**0**	**531.33**
मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	20.12	66.54	0	0	0	0	**20.12**	**66.54**	**0**	**86.66**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.12**	**66.54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.12**	**66.54**	**0**	**86.66**
पेरियार विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	36.4	0	0	0	0	0	**36.4**	**0**	**0**	**36.4**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.4**	**0**	**0**	**36.4**
तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	**100**	**0**	**0**	**100**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**
मद्रास विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	93.12	0	0	0	0	0	**93.12**	**0**	**0**	**93.12**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.12**	**0**	**0**	**93.12**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**488.91**	**958.65**	**379.4**	**100**	**0**	**0**	**588.91**	**958.65**	**379.39**	**1926.95**
तेलंगाना																
ओस्मानिया विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	384.95	7.17	308.35	0	0	0	**384.95**	**7.17**	**308.35**	**700.47**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.95**	**7.17**	**308.4**	**0**	**0**	**0**	**384.95**	**7.17**	**308.35**	**700.47**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.95**	**7.17**	**308.4**	**0**	**0**	**0**	**384.95**	**7.17**	**308.35**	**700.47**

उत्तर प्रदेश															
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	17.54	0	0	0	0	0	**17.54**	**0**	**0**	**17.54**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.54**	**0**	**0**	**17.54**
लखनऊ विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	96.02	0	0	0	0	0	**96.02**	**0**	**0**	**96.02**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.02**	**0**	**0**	**96.02**
वीबीएस पूर्वांचल विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	68.54	0	0	0	0	0	**68.54**	**0**	**0**	**68.54**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.54**	**0**	**0**	**68.54**
यू.पी. राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	**100**	**0**	**0**	**100**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.1**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**282.1**	**0**	**0**	**282.1**
उत्तराखण्ड															
दून विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	18.35	3.75	0	0	0	0	**18.35**	**3.75**	**0**	**22.1**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.35**	**3.75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.35**	**3.75**	**0**	**22.1**
कुमांऊ विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	42.19	0	0	0	0	0	**42.19**	**0**	**0**	**42.19**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.19**	**0**	**0**	**42.19**
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	**100**	**0**	**0**	**100**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.54**	**3.75**	**0**	**100**	**0**	**0**	**160.54**	**3.75**	**0**	**164.29**
पश्चिम बंगाल															
कल्याणी विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	8.23	0	0	0	0	0	**8.23**	**0**	**0**	**8.23**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.23**	**0**	**0**	**8.23**
बर्धवान विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	43.97	0	0	0	0	0	**43.97**	**0**	**0**	**43.97**

विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.97**	**0**	**0**	**43.97**
कोलकाता विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	80.17	0	0	0	0	0	**80.17**	**0**	**0**	**80.17**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.17**	**0**	**0**	**80.17**
उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	60.96	0	0	0	0	0	**60.96**	**0**	**0**	**60.96**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.96**	**0**	**0**	**60.96**
जाधवपुर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	141.46	0	0	0	0	0	**141.46**	**0**	**0**	**141.46**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.46**	**0**	**0**	**141.46**
प्रेजीडेंसी विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	89.69	0	0	0	0	0	**89.69**	**0**	**0**	**89.69**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.69**	**0**	**0**	**89.69**
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नॉलाजी, शिबपुर, आईआईईएसटी																
	0	0	0	0	0	0	158.35	0	0	0	0	0	**158.35**	**0**	**0**	**158.35**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.35**	**0**	**0**	**158.35**
मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोलकाता	0	0	0	0	0	0	6.65	0	0	0	0	0	**6.65**	**0**	**0**	**6.65**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.65**	**0**	**0**	**6.65**
विद्यासागर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	7.49	0	0	0	0	0	**7.49**	**0**	**0**	**7.49**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.49**	**0**	**0**	**7.49**
काजी नजरूल विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	39	5	0	0	0	0	**39**	**5**	**0**	**44**

विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39**	**5**	**0**	**44**
रानीगंज विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	**8**	**0**	**0**	**8**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**8**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**643.98**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**643.98**	**5**	**0**	**648.99**
राज्य विश्वविद्यालयों का योगः	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7023.64**	**2734.7**	**30543**	**700**	**0**	**0**	**7723.64**	**2734.7**	**30542.94**	**41001.29**
	क्षेत्रक-I			**क्षेत्रक-II**			**क्षेत्रक-III**			**क्षेत्रक-IV**			**महाविद्यालय–वार योग (लाख रुपये में)**			
अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	**31**	**35**	**36**	**31**	**35**	**36**	**31**	**35**	**36**	**31**	**35**	**36**	**31**	**35**	**36**	**कुल**
दिल्ली																
कन्सोंटियम फॉर एजूकेशनल कम्यूनीकेशन	0	0	0	0	0	0	556.34	55	814.55	0	0	0	**556.34**	**55**	**814.55**	**1425.89**
अंतर्विश्वविद्यालय इंटर युनिवर्सिटी एक्सिलेरेशन सेन्टर (आईयूएसी)	0	0	0	0	0	0	2815.4	1525	3037.3	0	0	0	**2815.4**	**1525**	**3037.25**	**7377.65**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3371.74**	**1580**	**3852**	**0**	**0**	**0**	**3371.74**	**1580**	**3851.8**	**8803.54**
गुजरात																
इंर्फोमेशन एण्ड लाईब्रेरी नेटवर्क सेंटर (इनफ्लिबनेट)	0	0	0	0	0	0	465.42	0	737.71	0	0	0	**465.42**	**0**	**737.71**	**1203.13**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**465.42**	**0**	**737.7**	**0**	**0**	**0**	**465.42**	**0**	**737.71**	**1203.13**
कर्नाटक																
राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्	0	0	0	0	0	0	143.42	50	1131.5	0	0	0	**143.42**	**50**	**1131.5**	**1324.92**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.42**	**50**	**1132**	**0**	**0**	**0**	**143.42**	**50**	**1131.5**	**1324.92**
मध्य प्रदेश																
यूजीसी–डीएई कंसोर्टियम फोर साइंटिफिक रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च	0	0	0	0	0	0	1061.1	1801.5	2333.4	0	0	0	**1061.1**	**1801.5**	**2333.43**	**5196.03**

राज्यवार योग	0	0	0	0	0	0	1061.1	1801.5	2333	0	0	0	1061.1	1801.5	2333.43	5196.03
महाराष्ट्र																
इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजीक्स (आईयूसीएए) एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजीक्स (आईयूसीएए)	0	0	0	0	0	0	2594.97	1500	2173.7	0	0	0	2594.97	1500	2173.69	6268.66
राज्यवार योग	0	0	0	0	0	0	2594.97	1500	2174	0	0	0	2594.97	1500	2173.69	6268.66
कुल आईयूसीः	0	0	0	0	0	0	7636.65	4931.5	10228	0	0	0	7636.65	4931.5	10228.13	22796.28
विश्वविद्यालयेत्तर योगः	0	0	0	0	0	0	113.68	0	0	11326.95	41500	0	11440.63	41500	0	52940.62
केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का योगः	344983.91	60990.28	632685.97	0	0	0	3049.76	25.4	961.4	5965.69	20063.7	0	353999.4	81079.38	633647.35	1068726.1
सम विश्वविद्यालयों का योगः	0	0	0	5500	0	33563.88	733.57	0	0	2200	16800	0	8433.57	16800	33563.88	58797.46
राज्य विश्वविद्यालयों का योगः	0	0	0	0	0	0	7023.64	2734.7	30543	700	0	0	7723.64	2734.7	30542.94	41001.29
ऑनलाइन	0	0	0	0	0	0	144907.2	0	0	0	0	0	144907.2	0	0	144907.18
क्षेत्रीय कार्यालय	0	0	0	0	0	0	5.195	0	0	0	0	0	5.2	0	0	5.2
रैगिंग रोधी उपाय							0	0	0				0	0	0	0
प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)							6999.92	0	4281				6999.92	0	4280.71	11280.63
प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)							300.82	0	293.8				300.82	0	293.84	594.66
कुल योगः	344983.91	60990.28	632685.97	5500	0	33563.88	170770.4	7691.6	46307	20192.64	78363.7	0	541447	147045.58	712556.86	1401049.42

1.4 (x): वर्ष 2022–23 के दौरान राजस्व और पूंजीगत अनुदानों के तहत महाविद्यालयों को राज्य–वार, विश्वविद्यालय–वार और क्षेत्रक–वार जारी किया गया अनुदान

तालिका 1.4 (x): वर्ष 2022–23 के दौरान राजस्व और पूंजीगत अनुदानों के तहत महाविद्यालयों को राज्य–वार, विश्वविद्यालय–वार और क्षेत्रक–वार जारी किया गया अनुदान

राज्य / विश्वविद्यालय	क्षेत्रक-I			क्षेत्रक-II			क्षेत्रक-III			क्षेत्रक-IV			महाविद्यालय–वार योग (लाख रुपये में)			
	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	Total
केन्द्रीय विश्वविद्यालय																
असम																
असम विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	1.88	0	0	0	0	0	1.88	0	0	1.88
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	1.88	0	0	0	0	0	1.88	0	0	1.88
राज्यवार योग	0	0	0	0	0	0	1.88	0	0	0	0	0	1.88	0	0	1.88
दिल्ली																
दिल्ली विश्वविद्यालय	3053.28	299.93	17091	0	0	0	84811.12	564	189121.37	0	0	0	87864.4	863.93	206212.37	294940.71
विश्वविद्यालय– वार योग	3053.28	299.93	17091	0	0	0	84811.12	564	189121.37	0	0	0	87864.4	863.93	206212.37	294940.71
राज्यवार योग	3053.28	299.93	17091	0	0	0	84811.12	564	189121.37	0	0	0	87864.4	863.93	206212.37	294940.71
मणिपुर																
मणिपुर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	214.54	68.62	0	0	0	0	214.54	68.62	0	283.16
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	214.54	68.62	0	0	0	0	214.54	68.62	0	283.16
राज्यवार योग	0	0	0	0	0	0	214.54	68.62	0	0	0	0	214.54	68.62	0	283.16
मेघालय																
नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी	0	0	0	0	0	0	3.33	0	0	0	0	0	3.33	0	0	3.33
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	3.33	0	0	0	0	0	3.33	0	0	3.33
राज्यवार योग	0	0	0	0	0	0	3.33	0	0	0	0	0	3.33	0	0	3.33
मिजोरम																
मिजोरम विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	50
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	50
राज्यवार योग	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	50
नागालैण्ड																
नागालैण्ड विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	15.42	0	0	0	0	0	15.42	0	0	15.42
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	15.42	0	0	0	0	0	15.42	0	0	15.42

राज्यवार योग	0	0	0	0	0	0	15.42	0	0	0	0	0	15.42	0	0	15.42
उत्तर प्रदेश																
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	1412.02	520	6924.71	0	0	0	1412.02	520	6924.71	8856.74
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	1412.02	520	6924.71	0	0	0	1412.02	520	6924.71	8856.74
राज्यवार योग	0	0	0	0	0	0	1412.02	520	6924.71	0	0	0	1412.02	520	6924.71	8856.74
उत्तराखण्ड																
हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	2.11	0	0	0	0	0	2.11	0	0	2.11
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	2.11	0	0	0	0	0	2.11	0	0	2.11
राज्यवार योग	0	0	0	0	0	0	2.11	0	0	0	0	0	2.11	0	0	2.11
कुल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3053.28	299.93	17091	0	0	0	86510.43	1152.62	196046.09	0	0	0	89563.72	1452.55	213137.09	304153.35
	क्षेत्रक-I			क्षेत्रक-II			क्षेत्रक-III			क्षेत्रक-IV			महाविद्यालय वार योग (लाख रुपये में)			
	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36	Total
राज्य विश्वविद्यालय																
आन्ध्र प्रदेश																
आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	3.05	16.42	0	0	0	0	3.05	16.42	0	19.47
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	3.05	16.42	0	0	0	0	3.05	16.42	0	19.47
आन्ध्रा विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	9.21	0	0	0	0	0	9.21	0	0	9.21
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	9.21	0	0	0	0	0	9.21	0	0	9.21
जेएनटीयू, अनंतपुर	0	0	0	0	0	0	25.85	0	0	0	0	0	25.85	0	0	25.85
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	25.85	0	0	0	0	0	25.85	0	0	25.85
जेएनटीयू, काकीनाड़ा	0	0	0	0	0	0	1.21	0	0	0	0	0	1.21	0	0	1.21
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	1.21	0	0	0	0	0	1.21	0	0	1.21
कृष्ण विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	13.04	18.45	0	0	0	0	13.04	18.45	0	31.49
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	13.04	18.45	0	0	0	0	13.04	18.45	0	31.49
राज्यवार योग	0	0	0	0	0	0	52.37	34.87	0	0	0	0	52.37	34.87	0	87.24
असम																
डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	123.2	30	0	0	0	0	123.2	30	0	153.2
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	123.2	30	0	0	0	0	123.2	30	0	153.2

गुवाहाटी विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	20.97	4.33	0	0	0	0	20.97	4.33	0	25.3
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.97**	**4.33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.97**	**4.33**	**0**	**25.3**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.17**	**34.33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.17**	**34.33**	**0**	**178.5**
बिहार																
बी.बी.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुज्जफरनगर	0	0	0	0	0	0	25.94	2.4	0	0	0	0	**25.94**	**2.4**	**0**	**28.34**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.94**	**2.4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.94**	**2.4**	**0**	**28.34**
बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	22.5	0	0	0	0	**0**	**22.5**	**0**	**22.5**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.5**	**0**	**22.5**
पटना विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0.87	0	0	0	0	0	**0.87**	**0**	**0**	**0.87**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.87**	**0**	**0**	**0.87**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.81**	**24.9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.81**	**24.9**	**0**	**51.71**
छत्तीसगढ़																
पंडित रवि एस. शुक्ल विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0.24	0	0	0	0	0	**0.24**	**0**	**0**	**0.24**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.24**	**0**	**0**	**0.24**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.24**	**0**	**0**	**0.24**
गोवा																
गोवा विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	3.76	0	0	0	0	0	**3.76**	**0**	**0**	**3.76**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.76**	**0**	**0**	**3.76**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.76**	**0**	**0**	**3.76**
गुजरात																
केएसकेवी कच्छ विश्वविद्यालय, भुज	0	0	0	0	0	0	3.95	0	0	0	0	0	**3.95**	**0**	**0**	**3.95**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.95**	**0**	**0**	**3.95**
गुजरात विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0.54	0	0	0	0	0	**0.54**	**0**	**0**	**0.54**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.54**	**0**	**0**	**0.54**
सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0.09	0	0	0	0	0	**0.09**	**0**	**0**	**0.09**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.09**	**0**	**0**	**0.09**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.58**	**0**	**0**	**4.58**
हरियाणा																
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	2.01	4.5	0	0	0	0	**2.01**	**4.5**	**0**	**6.51**

विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.01**	**4.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.01**	**4.5**	**0**	**6.51**
एमडीयू विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	30.72	15	0	0	0	0	**30.72**	**15**	**0**	**45.72**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.72**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.72**	**15**	**0**	**45.72**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.73**	**19.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.73**	**19.5**	**0**	**52.23**
जम्मू और कश्मीर																
जम्मू विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	**0**	**100**	**0**	**100**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**
झारखण्ड																
रांची विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	**5**	**0**	**0**	**5**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**5**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**5**
कर्नाटक																
बेंगलुरु विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	**0**	**10**	**0**	**10**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**10**
कर्नाटक विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**0**	**1**	**0**	**1**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
कुवेम्पु विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	1.39	0	0	0	0	0	**1.39**	**0**	**0**	**1.39**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.39**	**0**	**0**	**1.39**
मैसूर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	3.36	0	0	0	0	0	**3.36**	**0**	**0**	**3.36**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.36**	**0**	**0**	**3.36**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.74**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.74**	**11**	**0**	**15.74**
केरल																
कालीकट यूनिवर्सिटी	0	0	0	0	0	0	20.71	19.99	0	0	0	0	**20.71**	**19.99**	**0**	**40.7**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.71**	**19.99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.71**	**19.99**	**0**	**40.7**
केरल विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	3.16	0	0	0	0	0	**3.16**	**0**	**0**	**3.16**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.16**	**0**	**0**	**3.16**
एमजी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	0	0	0	0	0	0	0.51	0	0	0	0	0	**0.51**	**0**	**0**	**0.51**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.51**	**0**	**0**	**0.51**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.39**	**19.99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.39**	**19.99**	**0**	**44.38**

मध्य प्रदेश																
जीवाजी विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0.18	0	0	0	0	0	**0.18**	**0**	**0**	**0.18**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.18**	**0**	**0**	**0.18**
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	13.7	0	0	0	0	0	**13.7**	**0**	**0**	**13.7**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.7**	**0**	**0**	**13.7**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.88**	**0**	**0**	**13.88**
महाराष्ट्र																
डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	2.31	0	0	0	0	0	**2.31**	**0**	**0**	**2.31**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.31**	**0**	**0**	**2.31**
मुम्बई विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	89.55	22.32	0	0	0	0	**89.55**	**22.32**	**0**	**111.87**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.55**	**22.32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.55**	**22.32**	**0**	**111.87**
नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी	0	0	0	0	0	0	20.55	0	0	0	0	0	**20.55**	**0**	**0**	**20.55**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.55**	**0**	**0**	**20.55**
सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	98.33	62.44	0	0	0	0	**98.33**	**62.44**	**0**	**160.77**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.33**	**62.44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.33**	**62.44**	**0**	**160.77**
एस.जी.बी. अमरावती विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	4.62	25.21	0	0	0	0	**4.62**	**25.21**	**0**	**29.83**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.62**	**25.21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.62**	**25.21**	**0**	**29.83**
शिवाजी विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	4.45	15	0	0	0	0	**4.45**	**15**	**0**	**19.45**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.45**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.45**	**15**	**0**	**19.45**
एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	1.55	1.4	0	0	0	0	**1.55**	**1.4**	**0**	**2.95**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.55**	**1.4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.55**	**1.4**	**0**	**2.95**
एसआरटीएम विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	17.5	0	0	0	0	**0**	**17.5**	**0**	**17.5**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.5**	**0**	**17.5**
आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	1.33	30	0	0	0	0	**1.33**	**30**	**0**	**31.33**
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.33**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.33**	**30**	**0**	**31.33**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222.68**	**173.87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222.68**	**173.87**	**0**	**396.55**

ओड़ीशा																
फकीर मोहन विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**
पंजाब																
जीएनडीयू	0	0	0	0	0	0	13.1	0	0	0	0	0	13.1	0	0	13.1
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.1**	**0**	**0**	**13.1**
पंजाब विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	24.63	0	0	0	0	0	24.63	0	0	24.63
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.63**	**0**	**0**	**24.63**
पंजाबी विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	2.46	0	0	0	0	0	2.46	0	0	2.46
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.46**	**0**	**0**	**2.46**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.19**	**0**	**0**	**40.19**
राजस्थान																
राजस्थान विश्वविद्यालय,	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**
राज्यवार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**
तमिलनाडु																
अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	0	0	0	0	0	0	3.59	0	0	0	0	0	3.59	0	0	3.59
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.59**	**0**	**0**	**3.59**
भरथियार विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	2.76	0	0	0	0	0	2.76	0	0	2.76
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.76**	**0**	**0**	**2.76**
भारतीदासन विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	2.5	0	0	2.5
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.5**	**0**	**0**	**2.5**
मदुराई कामराज विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	26.15	0	0	0	0	0	26.15	0	0	26.15
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.15**	**0**	**0**	**26.15**
एम. सुंदरनार विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0.48	0	0	0	0	0	0.48	0	0	0.48
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.48**	**0**	**0**	**0.48**
पेरियार विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0.47	0	0	0	0	0	0.47	0	0	0.47
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.47**	**0**	**0**	**0.47**
थिरूवल्लुर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	2.39	0	0	0	0	0	2.39	0	0	2.39
विश्वविद्यालय– वार योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.39**	**0**	**0**	**2.39**

मद्रास विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	5.85	0	0	0	0	0	5.85	0	0	5.85
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	5.85	0	0	0	0	0	5.85	0	0	5.85
राज्यवार योग	0	0	0	0	0	0	44.19	0	0	0	0	0	44.19	0	0	44.19
तेलंगाना																
जेएनटीयू हैदराबाद	0	0	0	0	0	0	1.47	0	0	0	0	0	1.47	0	0	1.47
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	1.47	0	0	0	0	0	1.47	0	0	1.47
ओस्मानिया विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	9.04	0	0	0	0	0	9.04	0	0	9.04
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	9.04	0	0	0	0	0	9.04	0	0	9.04
राज्यवार योग	0	0	0	0	0	0	10.51	0	0	0	0	0	10.51	0	0	10.51
उत्तर प्रदेश																
बुंदेलखंड वश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0.97	0	0	0	0	0	0.97	0	0	0.97
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	0.97	0	0	0	0	0	0.97	0	0	0.97
सीएसजेएम कानपुर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	1.99	0	0	0	0	0	1.99	0	0	1.99
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	1.99	0	0	0	0	0	1.99	0	0	1.99
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0.38	0	0	0	0	0	0.38	0	0.38
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	0	0.38	0	0	0	0	0	0.38	0	0.38
डॉ. बी.आर.ए. विश्वविद्यालय, आगरा	0	0	0	0	0	0	0.87	0	0	0	0	0	0.87	0	0	0.87
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	0.87	0	0	0	0	0	0.87	0	0	0.87
डॉ आर.एम.एल.ए. विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	2.64	0	0	0	0	0	2.64	0	0	2.64
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	2.64	0	0	0	0	0	2.64	0	0	2.64
राज्यवार योग	0	0	0	0	0	0	6.47	0.38	0	0	0	0	6.47	0.38	0	6.85
पश्चिम बंगाल																
बर्दवान विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	1.06	0	0	0	0	0	1.06	0	0	1.06
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	1.06	0	0	0	0	0	1.06	0	0	1.06
कोलकाता विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	165.51	0	277.69	0	0	0	165.51	0	277.69	443.2
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	165.51	0	277.69	0	0	0	165.51	0	277.69	443.2
विद्यासागर विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	1.4	0	0	0	0	0	1.4	0	0	1.4
विश्वविद्यालय– वार योग	0	0	0	0	0	0	1.4	0	0	0	0	0	1.4	0	0	1.4

राज्यवार योग	0	0	0	0	0	0	167.97	0	277.69	0	0	0	167.97	0	277.69	445.66
सम विश्वविद्यालय– वार योग :	0	0	0	0	0	0	805.68	320.83	277.69	0	100	0	805.68	420.83	277.69	1504.2
विश्वविद्यालयेत्तर योग :	0	0	0	0	0	0	4.41	0	0	0	0	0	4.41	0	0	4.41
केन्द्रीय विश्वविद्यालय योग:	3053.28	299.93	17091	0	0	0	86510.43	1152.62	196046.09	0	0	0	89563.72	1452.55	213137.09	304153.35
राज्य विश्वविद्यालय योग:	0	0	0	0	0	0	805.68	320.83	277.69	0	100	0	805.68	420.83	277.69	1504.2
कुल योग:	3053.28	299.93	17091	0	0	0	87320.52	1473.46	196323.78	0	100	0	90373.81	1873.39	213414.78	305661.97

1.5 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालय संस्थानों हेतु संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जेसीआरसी)

जेसीआरसी अनुभाग का उद्देश्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सभी शिक्षणेत्तर पदों के लिए आदर्श संवर्ग भर्ती नियम तैयार करना और केंद्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित सम विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन विसंगति के मामलों का समाधान करना है। इस प्रयोजनार्थ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित सम विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की विसंगति संबंधी मामलों की जांच करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया है। इस अवधि के दौरान, स्थायी समिति ने विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/पूर्णत वित्तपोषित सम विश्वविद्यालयों से प्राप्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 58 मामलों का समाधान किया। स्थायी समिति की बैठकें आवधिक रूप से आयोजित की गईं। कुछ मामलों में, समिति की सिफारिशों को शिक्षा मंत्रालय को उनकी सहमति के लिए भेज दिया गया था। इस अवधि के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कुल सचिव, वित्त अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों'' को भी अंतिम रूप दिया। उक्त विनियम अभी भी शिक्षा मंत्रालय के विचाराधीन हैं। इस अवधि के दौरान, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए 58 शिक्षणेत्तर पदों के लिए आदर्श संवर्ग भर्ती नियम अधिसूचित किए गए हैं। शेष पदों के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आदर्श संवर्ग भर्ती नियम तैयार कर रहा है जिसके लिए नियम बनाने हेतु एक समिति का पुनर्गठन किया गया है।

1.6 वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा लिए गए मुख्य निर्णय

1.6 (i) वर्ष 2022–23 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ई– परिचालन के माध्यम से 05 आपात बैठकें आयोजित की साथ ही ई –परिचालन के माध्यम से 8 आपात बैठकें आयोजित की गई (1) दिनांक 11 जुलाई, 2022 (2)दिनांक 02 अगस्त, 2022 (3) दिनांक 07 अक्तूबर, 2022 (4) दिनांक 10 नवंबर, 2022 (5) दिनांक 06 दिसंबर, 2022 (6) दिनांक 28 दिसंबर, 2022 (6) दिनांक 28 दिसंबर, 2022 (7) दिनांक 04 जनवरी, 2023 (8) दिनांक 01 फरवरी, 2023।

बैठक के दौरान लिए गए निर्णय निम्नवत हैं:

11 जुलाई, 2022; ई–परिचालन बैठक

- आयोग ने ''उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए पहुंच संबंधी दिशानिर्देश और मानक'' पर विचार किया और अनुमोदित किया।

02 अगस्त, 2022; ई–परिचालन बैठक

- आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 लागू होने पर सेवानिवृत्त हुए विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों को अर्जित अवकाश को भुनाने के संबंध में शिक्षा मंत्रालय के निर्णय पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

07 अक्तूबर, 2022; ई–परिचालन बैठक

- आयोग ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी), नई दिल्ली से प्राप्त आवेदन पर नए पहलू से विचार करने के लिए गठित **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली और केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली मुख्य परिसर और अजमेर, भोपाल (दो), मैसूर, भुवनेश्वर और शिलांग शामिल हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम–विश्वविद्यालय का दर्जा (नई श्रेणी) प्रदान किया गया है।

10 नवम्बर, 2022; ई–परिचालन बैठक

- **आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उसके अंतर्विश्वविद्यालय केंद्रों के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।**

06 दिसम्बर, 2022; ई–परिचालन बैठक

- **आयोग ने प्रारूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2022 और सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर विचार किया और अनुमोदित किया जिन्हें विनियमों में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा।**

28 दिसम्बर, 2022; ई–परिचालन बैठक

- आयोग ने गुरुकुल कांगड़ी विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय), हरिद्वार के कुलपति (निलंबित) प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री के विरूद्ध वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों की जांच करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और और उसे अनुमोदित किया।
- जांच समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के खंड 10.12.3.ङ में निर्धारित उपबंधों के अनुरूप, आयोग ने गुरुकुल कांगड़ी विद्यापीठ के कुलाधिपति को श्री रूप किशोर शास्त्री, कुलपति को तत्काल प्रभाव से कुलपति पद से हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने संबंधी निदेश देने हेतु संकल्प लिया।

04 जनवरी, 2023; ई–परिचालन बैठक

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 के मसौदे पर विचार किया और उसे मंजूरी दी और मसौदा विनियमों को हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए, जन साधारण के समक्ष रखने का संकल्प लिया।

01 फरवरी, 2023; ई–परिचालन बैठक

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुछ स्थापना संबंधी मामलों पर विचार किया जिन्हें पृथक रूप से से दर्ज किया गया हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निम्नवत ग्यारह बैठकें हुईं :

दिनांक 19 अप्रैल, 2022 को आयोजित 557वीं बैठक

दिनांक 06 मई, 2022 को आयोजित 558वीं बैठक

दिनांक 13 जून, 2022 को आयोजित 559वीं बैठक

दिनांक 18 अगस्त, 2022 को आयोजित 560वीं बैठक

दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को आयोजित 561वीं बैठक

दिनांक 28 अक्तूबर, 2022 को आयोजित 562वीं बैठक

दिनांक 22 नवम्बर, 2022 को आयोजित 563वीं बैठक

दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 को आयोजित 564वीं बैठक

दिनांक 20 जनवरी, 2023 को आयोजित 565वीं बैठक

दिनांक 23 फरवरी, 2023 को आयोजित 566वीं बैठक

दिनांक 23 मार्च, 2023 को आयोजित 567वीं बैठक

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा निम्नवत मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

- मानदंडों से संबंधित मामले
- सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय निकायों से प्राप्त संदर्भ
- विशेष कार्यक्रम, गुणवत्ता कार्यक्रम आदि
- विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान

दिनांक 19 अप्रैल, 2022 को आयोजित 557वीं बैठक

- आयोग ने दिनांक 10 मार्च, 2022 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 556 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई को नोट किया और आगे यह संकल्प लिया गया कि कार्यसूची मद संख्या 2.01 के संबंध में, 'स्ट्राइड 2.0' की घोषणा से पूर्व 'स्ट्राइड' के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सकती है। 'स्ट्राइड 2.0' की घोषणा से पूर्व 'स्ट्राइड' के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सकती है।

आयोग ने कतिपय मामलों में निम्नलिखित 'की गई कार्रवाई' की अभिपुष्टि कीः–

I. दिनांक 12 फरवरी, 2022 को आयोजित आयोग की 555वीं बैठक में आयोग के निर्णय के आधार पर अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु के संबंध में की गई कार्रवाई।

II. आयोग द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2011 को आयोजित बैठक में दिए गए प्राधिकार के अनुसार दिनांक 01 जनवरी,

.2021 से 31 मार्च, 2022 के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12ख के तहत 178 महाविद्यालयों (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित) को शामिल करना।

(मानकों सें संबंधित मामले)

- आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (विअआ–नेट) में एक नए विषय के रूप में 'भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस)' आरंभ करने की संभावना की जांच करता है।
- आयोग ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (विअआ–नेट) में एक विषय के रूप में 'भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस)' को शामिल करने को अनुमोदित किया। इस विषय पर पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए। इसके अलावा, आयोग ने अगले वि.अ.आ.–नेट से 'भारतीय ज्ञान प्रणालियों' में वि.अ.आ.–नेट के संचालन को लागू करने के लिए पाठ्यक्रम और तौर–तरीकों को अंतिम रूप देने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को प्राधिकृत किया।

(विशेष कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम आदि)

- आयोग, केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एक साथ दो उपाधियां, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग) विनियम, 2022 के संशोधित मसौदे की अधिसूचना पर विचार करता है.

शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 04 अप्रैल, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से निम्नवत परामर्श दिया है:

''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उप–धारा (2) के उपबंधों के उल्लेख किया गया है कि केवल उप–धारा (1) की खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ज), (झ) अथवा (ञ) के तहत बनाए जा रहे विनियमों के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उप–धारा (1) के खंड (च) और (छ) के उपबंधों के तहत अधिसूचित किए जा रहे विनियमों के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अधिदेशित नहीं है।''

आयोग ने यह अनुमोदित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना विनियमों को अधिसूचित करेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (च) और (छ) के उपबंधों के अंतर्गत आते हैं।

आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एक साथ दो उपाधियां, संयुक्त उपाधि और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग) विनियम, 2022 को अनुमोदित किया, जिसमें निम्नलिखित खंड को विनियमों में उपयुक्त रूप से सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है:

''शुल्क ढांचा तर्कसंगत होना चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा, समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ और पहुंच योग्य हो सके।''

आयोग ने यह भी संकल्प किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना इन विनियमों को अधिसूचित करेगा।

आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निम्नवत परियोजनाओं के समेकन पर विचार किया:

(क) ई–पीजी पाठशाला परियोजना के अंतर्गत विकसित ई–विषयवस्तु

(ख) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर गैर–इंजीनियरी के अंतर्गत पहले से ही विकसित 'स्वयं पाठ्यक्रम'; और

(ग) 08 क्षेत्रीय भाषाओं में 27 स्नातकोत्तर गैर–इंजीनियरी 'स्वयं पाठ्यक्रम'।

ग्रामीण भारत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी)/विशेष प्रयोजन हेतु बनाई गई कंपनियों (एसपीवी) के पोर्टल ***digitalseva.csc.gov.in*** के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक विषयवस्तु पहुंचाने के लिए, जिसका प्रबंधन और संचालन ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई)* द्वारा किया जाता है।

आयोग ने निम्नलिखित पर विचार किया और अनुमोदित किया:–

1. सीएससी के ***digitalseva.csc.gov.in*** पोर्टल के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ई–विषयवस्तु/ एमओओसी के एकीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को विनिर्दिश्ट करने हेतु सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)।
2. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) में सीएससी टीम के साथ मासिक आधार पर छात्रों से उचित शुल्क लेने पर चर्चा करना।

दिनांक 06 मई, 2022 को आयोजित 558वीं बैठक

आयोग ने दिनांक 19 अप्रैल, 2022 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 557 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च), 12 (ख) के तहत संस्थानों के अनुमोदन और धारा 13 के तहत अनुपालन के संबंध में आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों से संबंधित कतिपय मामलों पर की गई कार्रवाई की पुष्टि की।
- आयोग ने उपरोक्त की पुष्टि करते हुए, सुझाव दिया कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा जानकारी के स्व–प्रकटीकरण के लिए एक 'टेम्पलेट' विकसित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया जा सकता है।

कोई अन्य मद

- आयोग ने एनईपी 2020 के साथ संरेखित करने के लिए स्वायत्त महाविद्यालय विनियमों पर विचार किया और उस पर पुनः मनन करने का संकल्प लिया।
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) द्वारा अनिवार्य स्व–प्रकटीकरण के लिए एक तंत्र विकसित करने हेतु एक समिति गठित करने पर विचार किया गया और इसके लिए संकल्प लिया गया।
- एनईपी, 2020 के साथ संरेखित करने के लिए सभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों की समीक्षा करने हेतु आयोग द्वारा विचार किया गया और संकल्प लिया गया।
- एमफिल/पीएचडी के शोध प्रबंध जमा करने की तिथि को बढ़ाने से संबंधित मामले पर आयोग द्वारा विचार किया गया और यह संकल्प लिया गया कि शोध सलाहकार समिति द्वारा और पर्यवेक्षक और विभाग के प्रमुख द्वारा प्रत्येक मामले की समीक्षा के आधार पर की गई सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मामला–दर–मामला आधार पर छात्रों को उनके संबंधित उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 से आगे छह माह तक का समय विस्तार दिया जा सकता है।

दिनांक 13 जून, 2022 को आयोजित 559वीं बैठक

- आयोग को दिनांक 06 मई, 2022 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 558 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई संबंधी जानकारी प्राप्त हुई। यह संकल्प लिया गया कि विनियमों/ दिशानिर्देशों और अन्य महत्वपूर्ण संप्रेशणों पर विभिन्न समितियों के गठन की एक प्रति आयोग के सदस्यों के साथ उनकी जानकारी के लिए साझा की जाए।
- आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेखों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।

(मानकों सें संबंधित मामले)

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उन नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के संगत उपबंधों में संशोधन करने के संबंध में मामले पर विचार किया जिनमें संस्थाओं के वास्तविक निरीक्षण की आवश्यकता होती है और उनके संबंध में वैकल्पिक उपायों का सुझाव दिया है।
- आयोग ने इस पर विचार किया तथा संकल्प लिया कि विअआ के विभिन्न नियमों, विनियमो और दिशानिर्देशों के तहत विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के वास्तविक मुद्दे निरीक्षण को वर्चुअल दौरो से प्रतिस्थापित किया जाए। केवल आवश्यकता होने पर, मामला–दर–मामला आधार पर वास्तविक निरीक्षण किया जा सकता है। आयोग ने इस बात पर विचार किया और संकल्प किया कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का आवश्यकता के अनुसार वास्तविक निरीक्षण किया जाए।
- आगे यह भी संकल्प लिया गया कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनिवार्य प्रकटीकरण के रूप में अपनी वेबसाइट पर सभी प्रासंगिक जानकारी का रखरखाव करना चाहिए।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं हेतु एनएएसी प्रत्यायन को अनिवार्य माना।
- आयोग ने आगे इसे बात पर विचार किया और इसे अनुमोदित करते हुए संकल्प किया कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों, जिन्हें पहले ही 12ख का दर्जा दिया जा चुका है, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत अपनी मान्यता बनाए रखने के लिए एनएएसी मान्यता प्राप्त करने के लिए अधिकतम पांच वर्ष का समय दिया जा सकता है।
- आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएं) विनियम, 2022 के मसौदे पर विचार करता है।
- आयोग ने आगे यह संकल्प लिया गया कि अधिसूचना से पूर्व पीएचडी विनियमों के मसौदे में निम्नलिखित मामूली

परिवर्तन और अन्य मामूली सुधार शामिल किए जा सकते हैंः

1. खंड 11 में, शीर्षक को ''अंषकालिक के माध्यम से पीएचडी'' में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए।
2. खंड 11.1, खंड 11.2 प्रतीत होनी चाहिए।
3. खंड 11.2, खंड 11.1 प्रतीत होनी चाहिए।

आयोग, दिनांक 31 मई, 2022 को आयोजित अपनी तेरहवीं बैठक में डीईबी कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया।

क. आयोग ने विचार किया और अनुमोदित किया कि विशेषज्ञ समिति द्वारा नए उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए आभासी दौरे जारी रहेंगे। केवल विशिष्ट मामलों में, यदि आवश्यकता होती है तो, मामला दर मामला आधार पर वास्तविक यात्रा/स्थल पर दौरे किए जा सकते हैं।

ख. वर्चुअल दौरे के पूरा होने के बाद, 'प्रणाली द्वारा सृजित यादृच्छिक प्रतिदर्श आधार पर चुने गए कुछ संस्थानों को दस्तावेजों/ सुविधाओं की विश्वसनीयता का पता लगाने और सत्यापन करने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा वास्तविक/ स्थल का दौरा किया जाएगा।

ग. न्यास/ सोसायटी द्वारा निजी रूप से प्रबंधित किए जाने वाले छह सम–विश्वविद्यालयों के वित्तपोषण पैटर्न में कमी।

घ. आयोग ने प्रस्ताव पर विचार किया और संकल्प किया कि एचआरडीसी के आचार्य–निदेशक के स्तर पर कोई नियुक्ति स्थायी आधार पर नहीं की जाएगी।

ङ. आगे यह भी संकल्प लिया गया कि एचआरडीसी के सुचारू प्रबंधन के लिए एचआरडीसी का प्रभार, अकादमिक प्रषासनिक उत्तरदायित्व के रूप में संबंधित विश्वविद्यालय के एक स्थायी रूप से नियुक्त आचार्य को दिया जा सकता है।

च. आयोग ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता ढ़ांचा (एनएचईक्यूएफ) पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

छ. आयोग ने माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 07 मई, 2022 के आदेश के अनुसार महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश से प्राप्त छूट आवेदन पर निर्णय लेने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।

कोई अन्य मदः–

क. विअआ–केयर पत्रिकाओं की सूची से संबंधित मामले को आयोग के एक माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया था।

ख. बैठक में यह भी चर्चा की गई तथा संकल्प लिया गया कि विअआ –केयर सूची के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 16 सितम्बर, 2019 के पत्र की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।

दिनांक 18 अगस्त, 2022 को आयोजित 560वीं बैठक

- आयोग ने दिनांक 13 जून, 2022 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 559 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बैठक के कार्यवृत्त (दिनांक 11 जुलाई, 2022 को ई–परिचालन के माध्यम से) की पुष्टि की।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बैठक के कार्यवृत्त (दिनांक 02 अगस्त, 2022 को ई–परिचालन के माध्यम से) की पुष्टि की।

आयोग ने निम्नवत को नोट कियाः–

1. आयोग को दिनांक 13 जून, 2022 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 559वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई प्राप्त हुई।
2. आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बैठक के कार्यवृत्त (दिनांक 11 जुलाई, 2022 को ई–परिचालन के माध्यम से) पर की गई कार्रवाई प्राप्त हुई।
3. आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बैठक के कार्यवृत्त (दिनांक 02 अगस्त, 2022 को ई–परिचालन द्वारा) पर की गई कार्रवाई प्राप्त हुई।

आयोग ने निम्नलिखित कतिपय मामलों पर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की और नोट कियाः–

(i) दिनांक 24 अगस्त, 2011 को आयोजित आयोग की बैठक में दिए गए प्राधिकार के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल, .2022 से 31 जुलाई, 2022 के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के अंतर्गत 132 महाविद्यालयों (अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा अनुमोदित) को सम्मिलित किए जाने की जानकारी देना।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) द्वितीय संशोधन विनियम, 2022 की अधिसूचना की जानकारी देना।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च), 12ख के अंतर्गत संस्थानों के अनुमोदन और धारा 13 के तहत अनुपालन के संबंध में आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जानकारी देना।

मानकों से संबंधित मामले

- आयोग ने खातों के निपटान के प्रयोजनार्थ विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के कुछ उपबंधों में छूट देने पर विचार किया।
- आयोग ने कार्यसूची पर विचार किया और इसे अनुमोदित करने का संकल्प लिया। तथापि, शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने शिक्षा मंत्रालय के वित्त अनुभाग से जानकारी के लंबन के कारण परामर्श देने में असमर्थता व्यक्त की। इसके मद्देनजर, कार्यसूची को आस्थगित किया गया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त महाविद्यालयों में मानकों का रखरखाव) विनियम, 2022 के मसौदे पर विचार किया।
- आयोग ने विचार किया और संकल्प लिया कि आयोग के सदस्यों से मसौदा विनियमों पर सुझाव प्राप्त किए जाएं और सुझाव को उपयुक्त रूप से शामिल करने के बाद, उन्हें हितधारकों और जनता से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए जन साधारण के बीच रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने प्रतिक्रिया को उपयुक्त रूप से शामिल करने के बाद विनियमों को अंतिम रूप देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को प्राधिकृत किया।
- आयोग ने विचार किया और संकल्प लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत मान्यता के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों हेतु अनिवार्य अपेक्षा के रूप में एनएएसी या एनबीए मान्यता अथवा एनआईआरएफ रैंकिंग के मुद्दे की एक समिति की सहायता से जांच की जा सकती है। समिति की सिफारिशों को आयोग के समक्ष, विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग {ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण (केवल)} विनियम, 2018, के अनुसार श्रेणी–1 के तहत षिवाजी विश्वविद्यालय को सम्मिलित करने पर विचार किया और संकल्प लिया।
- आगे यह भी संकल्प किया गया कि पेरियार विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय के बारे में टिप्पणियां प्राप्त की जाएं और संबंधित ब्यूरो द्वारा उनकी जांच की जाए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग {ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण (केवल)} विनियम, 2018, के अनुसार श्रेणी–I के तहत विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।
- आयोग ने दिव्यांगजन और विशिष्ट ज्ञानअर्जन संबंधी निशक्तता (एसएलडी) के शिक्षण हेतु शैक्षणिक पहलुओं पर क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम के लिए दिशानिर्देशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने दिनांक 31 मई, 2022 को आयोजित अपनी 13वीं बैठक में डीईबी कार्य समूह द्वारा संदर्भित मामलों पर विचार किया।

कार्यसूची की मदें:

1. श्रेणी –I, एचईआई से संबंधित मामले।
   आयोग ने विस्तृत विचार–विमर्श के बाद इस मामले को आयोग के विचारार्थ रखने हेतु स्पष्ट सिफारिशें करने के लिए डीईबी कार्य समूह को वापस भेजने का निर्णय लिया।
2. उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा ओडीएल पद्धति के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों का उल्लंघन करने परंतु पात्र श्रेणी के तहत ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने तथा प्रतिलोमतः से संबंद्ध मामले।
   आयोग ने निर्णय लिया कि दंडात्मक कार्रवाई केवल पद्धति, ओडीएल अथवा ऑनलाइन, जैसा भी मामला हो, के संबंध में की जाएगी जहां उल्लंघन की पुष्टि की गई है। इसका अभिप्राय यह है कि ओडीएल पद्धति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान तथा प्रतिलोमतः, ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश जारी रख सकते हैं केवल संबंधित पद्धति में उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
3. गुवाहाटी विश्वविद्यालय से संबंद्ध मामला।

आयोग ने राज्य सरकार से प्राप्त प्रतिक्रिया और डीईबी कार्य दल की सिफारिशों पर विचार किया। विस्तार से विचार–विमर्श के बाद और ओडीएल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, आयोग ने निम्नलिखित निर्णय लिए:

i. गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम को जनवरी–फरवरी, 2023 से आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र के लिए नए सिरे से आवेदन करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

ii. गुवाहाटी विश्वविद्यालय के लिए आवेदन जमा करने हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा करने वाला पोर्टल तदनुसार दिनांक 30 सितंबर, 2022 तक खोला जा सकता है, ताकि शिक्षा सत्र की षुरुआत से कम से कम तीन माह पूर्व आवेदन प्राप्त करने संबंधी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

iii. गुवाहाटी विश्वविद्यालय को निर्धारित समय–सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उपर्युक्त अनुसार सूचित किया जा सकता है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत छात्रों का निवारण) विनियम, 2019 के तहत लोकपाल की नियुक्ति संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम।
- आयोग ने एनईपी 2020 के मद्देनजर एक समिति के माध्यम से विनियमों की जांच करने हेतु विचार किया और संकल्प लिया।
- आयोग ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. नीलिमा मंडल को अधिक भुगतान और अनुचित वित्तीय लाभ शीर्षक वाली लेखापरीक्षा टिप्पणी के मामले पर आयोग के निर्णय पर पुनर्विचार किया।
- आयोग ने विचार किया और संकल्प लिया कि मामले को लेखापरीक्षा के साथ परामर्श करते हुए पुनर्विचार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय को वापस भेजा जाए।
- लेखों के निपटान के प्रयोजनार्थ उत्कृष्टता (सीपीई/ यूपीई/ सीपीईपीए)।

आयोग ने कार्यसूची पर विचार किया और इसे अनुमोदित करने का संकल्प लिया। तथापि, शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने शिक्षा मंत्रालय के वित्त अनुभाग से जानकारी के लंबन के कारण अपनी राय देने में असमर्थता व्यक्त की। इसे देखते हुए कार्यसूची को आस्थगित कर दिया गया।

- भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा करना।

आयोग ने इस सुझाव के साथ सैद्धांतिक रूप से दिशानिर्देशों पर विचार किया और अनुमोदित किया कि उच्चतर शिक्षा संस्थान अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश देने के लिए एक पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया अपना सकते हैं। आयोग ने आगे यह भी संकल्प लिया कि हितधारकों और जनता से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए इन दिशानिर्देशों को जनसाधारण के मध्य रखा जाए। इसके अतिरिक्त, आयोग ने प्रतिक्रिया को उपयुक्त रूप से शामिल करने के बाद दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राधिकृत किया।

आयोग ने मसौदा दिशानिर्देशों पर विचार किया और निम्नानुसार संकल्प कियाः

क. खंड संख्या 2 में (i) पात्रता में, अंतिम वाक्य को निम्नानुसार आशोधित किया जाना चाहिएः

जिन व्यक्तियों ने कम से कम 15 साल की सेवा/ अनुभव के साथ अपने विशिष्ट पेशों अथवा भूमिका में विशेषज्ञता साबित की है, वे 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के लिए पात्र होंगे।

ख खंड संख्या 8 में, कार्यकाल में, दूसरे पैरा को निम्नानुसार आषोधित किया जाना चाहिएः

किसी संस्थान में 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' की सेवा की अधिकतम अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसे एक और वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

ग. अंतिम वाक्य में ''प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने या किसी संस्थान में चार वर्ष पूर्ण करने के बाद, इनमें से जो भी पहले हो, संस्थान में सेवा नहीं दे सकते हैं'' का लोप कर दिया जाना चाहिए।

घ. दिशानिर्देशों का मसौदा हितधारकों से जानकारी/सुझाव प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है।

- आयोग ने 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएं) विनियम, 2022 के मसौदे पर विचार किया।

दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को आयोजित 561वीं बैठक

आयोग ने निम्नवत की पुष्टि की और नोट कियाः –

- आयोग ने दिनांक 18 अगस्त, 2022 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 560वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।
- दिनांक 18 अगस्त, 2022 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 560वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई प्राप्त करना।

आयोग ने निम्नलिखित कतिपय मामलों पर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की :–

(i) आयोग द्वारा दिनांक 24.08.2011 को आयोजित आयोग की बैठक में दिए गए प्राधिकार के अनुसार, दिनांक 01.08.2022 से 31.08.2022 के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के अंतर्गत 40 महाविद्यालयों (अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा अनुमोदित) को सम्मिलित किए जाने की जानकारी देना।

(ii) महाविद्यालयों को नया स्वायत्त दर्जा देने/स्वायत्त दर्जे का विस्तार करने के लिए स्वायत्त महाविद्यालयों संबंधी स्थायी समिति के निर्णयों का अनुसमर्थन करना।

(मानकों सें संबंधित मामले)

- आयोग ने कार्यसूची विषय पर विस्तार से चर्चा और विचार किया और विधिवत् रूप से विचार–विमर्श के पश्चात्, विद्यालय के शिक्षकों और कृषि कर्मचारियों के पद के अलावा, जहां भी आवश्यक हो, उपयुक्त संशोधनों के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए 'मॉडल' संवर्ग भर्ती नियमों को अनुमोदित किया। इसके अलावा, आगे यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को, जहां उनके सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सीआरआर उपलब्ध नहीं हैं, उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए 'मॉडल' सीआरआर भेज सकता है। सीआरआर अनुमोदित करने वाले विश्वविद्यालय, अपने अनुमोदित सीआरआर के अनुसार शिक्षणेत्तर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। साथ ही, समाप्त संवर्ग के पदों को भी नहीं भरा जाए।
- आयोग ने जेसीआरसी अनुभाग में प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/ सम–विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों की विसंगति संबंधी मामलों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया तथा उनका समाधान किया।
- आयोग ने भारत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम पर विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।
- **आयोग निम्नलिखित दिशानिर्देशों पर विचार किया:**
  1. आयोग ने महिलाओं के लिए सुरक्षित, महफूज़ परिवेश हेतु बुनियादी सुविधाओं और सुख–साधनों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।
  2. आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में महिला प्रकोष्ठ (संवेदीकरण, नीतिगत कार्यान्वयन, निगरानी और शिकायत निवारण के लिए) पर विचार किया और अनुमोदित किया।
  3. समग्र और बहु–विषयक शिक्षा के लिए कृषि, स्वास्थ्य और विधि पर पाठ्यक्रमों की आरंभ किया जाना।
  4. आगे यह संकल्प लिया गया कि समग्र और बहु–विषयक शिक्षा के लिए कृशि; स्वास्थ्य और विधि पर एमओओसी एक ही विशेषज्ञ समिति द्वारा विकसित किए जाने चाहिए। जहां भी आवष्यक हो, समिति द्वारा अतिरिक्त विषय विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है।
  5. आयोग ने बाल शिक्षा के दृष्टिकोण और मूल्यांकन/आंकलन के लिए दिशानिर्देशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।
  6. आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत विश्वविद्यालयों में पीएचडी में प्रवेश के लिए सीईईडी को प्रवेश परीक्षा से छूट प्रदान करने पर विचार किया और अनुमोदित किया।
  7. आयोग ने दिनांक 01 सितंबर, 2022 को आयोजित अपनी चौदहवीं बैठक में डीईबी कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।

क. चर्चा हेतु मदें:

i) श्रेणी–I उच्चतर शिक्षा संस्थानों से संबंधित मामला।
आयोग ने नोट किया कि यह मामला अभी भी कार्य दल के विचाराधीन है।

(ii) पेरियार विश्वविद्यालय, तमिलनाडु और भरतियार विश्वविद्यालय, तमिलनाडु द्वारा उल्लंघन के संबंध में प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु से प्राप्त पत्र

क. पेरियार विश्वविद्यालय

आयोग ने डीईबी कार्य समूह की निम्नलिखित सिफारिशों को अनुमोदित किया:

i. राज्य सरकारों से यथा अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई के साथ–साथ तथ्यान्वेषण हेतु पुनः अनुरोध किया जा सकता है।

ii. आयोग के पूर्व निर्णय के अनुसार, दंडात्मक उपाय के रूप में '2' वर्ष, 2022–23 और 2023–24 की अवधि के लिए मान्यता की प्रक्रिया के लिए विश्वविद्यालय से किसी नए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख. भरतियार विश्वविद्यालय

आयोग ने डीईबी कार्य समूह की निम्नलिखित सिफारिशों को अनुमोदित किया:

i. राज्य सरकारों से यथा अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई के साथ–साथ तथ्यान्वेषण हेतु पुनः अनुरोध किया जा सकता है।

ii. दंडात्मक उपाय के रूप में वर्तमान शिक्षा वर्ष 2022–23 के लिए मान्यता की प्रक्रिया हेतु विश्वविद्यालय से किसी नए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग. दिनांक 28 जून, 2022 को आयोजित शिकायत निवारण समिति की बैठक की सिफारिशों पर विचार करना।

आयोग ने निम्नलिखित के संबंध में डीईबी कार्य समूह की सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया:

1. भारती विद्यापीठ, महाराष्ट्र
2. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, तमिलनाडु
3. कल्याणी विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल

घ. आयोग ने शिक्षा सत्र जनवरी–फरवरी, 2023 के लिए ओडीएल/ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु सभी पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डीईबी वेब पोर्टल खोलने के लिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) और जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर से प्राप्त पत्रों पर विचार किया और निर्णय लिया।

आयोग ने कार्य समूह की सिफारिश को अनुमोदित किया कि वर्तमान में केवल जुलाई–अगस्त शिक्षा सत्र के लिए हर वर्ष आवेदन आमंत्रित करने की पद्धति जारी रह सकती है।

अध्यक्षपीठ की अनुमति से कोई अन्य मद

i. राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों पर लागू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ओडीएल कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के कुछ उपबंधों पर पुनर्विचार करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से प्राप्त पत्र।

आयोग ने नोट किया कि यह मामला अभी भी कार्य समूह के विचाराधीन है।

ii. उच्चतर शिक्षा संस्थानों के वास्तविक/ स्थल दौरे की पद्धति जहां आभासी दौरे किए गए हैं।

आयोग ने कार्य दल की निम्नलिखित सिफारिशों को अनुमोदन प्रदान किया:

आभासी दौरे के आधार पर मान्यता प्रदत्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों में से 10 प्रतिशत को ऑन–साइट यात्राओं के लिए यादृच्छिक रूप से चुना जा सकता है। इस श्रेणी में आने वाले 10 प्रतिशत उच्चतर शिक्षा संस्थानों का यादृच्छिक रूप से चयन करके, शिक्षा सत्र 2020–21, 2021–22 और 2022–23 को ध्यान में रखते हुए यह पद्धति आरंभ की जाएगी।

शेष 90 प्रतिशत उच्चतर शिक्षा संस्थानों को नए उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ अगले शिक्षा वर्ष में आगे ले जाया जाना है और शिक्षा वर्ष 2023–24 के लिए 10 प्रतिशत उच्चतर शिक्षा संस्थानों को लघुसूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा। यही पद्धति आने वाले वर्षों तक जारी रहेगी।

iii. शिक्षा सत्र सितंबर, 2022 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्रदान करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाना।

आयोग ने निम्नलिखित मदों पर निर्णय लिए:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्रदान करने की अंतिम तिथि – दिनांक 15 अक्तूबर, 2022
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि– दिनांक 15 नवंबर, 2022
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा पोर्टल पर प्रवेश संबंधी विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि –दिनांक 30 नवंबर, 2022

iv. स्टाफिंग मानदंडों सहित विनियमों के संबंध में राज्य सरकारों को जानकारी।

आयोग ने कार्य समूह की सिफारिशों को अनुमति प्रदान की है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को पत्र लिखकर राज्य में विश्वविद्यालयों द्वारा ओडीएल और/अथवा ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश के लिए स्टाफिंग मानदंडों सहित विनियमों और अनिवार्य अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है।

इसके अलावा, आयोग ने विशेषरूप से मुक्त विश्वविद्यालयों और दोहरी पद्धति वाले विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा विभागों में संकाय से संबंधित मुद्दों पर भी विचार–विमर्श किया। आयोग ने पाया कि ओडीएल और/ अथवा ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए पूर्णकालिक समर्पित आधार पर सक्षम और योग्य संकाय सदस्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। यह तंत्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन/ लाभ संबंधी मानदंडों का अनुपालन भी सुनिश्चित कर सकता है। आयोग ने निर्णय लिया कि मामले के महत्व को ध्यान में रखते

हुए, कार्य समूह विचार–विमर्श कर सकता है और आयोग के विचारार्थ एक तंत्र की सिफारिश कर सकता है।

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और ऑनलाइन (ओएल) पद्धति के माध्यम से योग कार्यक्रमों की पेशकश की व्यवहार्यता पर सिफारिश करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करना।

आयोग ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया। इसके अलावा, आयोग ने विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया।

आयोग ने यह भी संकल्प लिया कि योग पर 'मॉडल' पाठ्यक्रम को तेजी से विकसित किया जाए और यथा शीघ्र उसकी अधिसूचना जारी की जाए।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएं) विनियम, 2022 के मसौदे पर विचार किया और अनुमोदित किया। आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 'फैकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम' (एफआरपी) के तहत काम कर रहे संकाय सदस्यों के मुद्दों पर विचार किया, जिसमें प्रदर्शन और मूल्यांकन की सहकर्मी समीक्षा, विस्तार/ पदोन्नति अथवा कार्यकाल की समाप्ति और समय पर वेतन जारी करने से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
- आयोग ने इस मुद्द पर विचार किया और अनुमोदित किया कि ऐसे एफआरपी संकाय सदस्यों के कार्यकाल को समान नियमों और शर्तों पर दिनांक 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाया जा सकता है, जिनका पांच वर्ष का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है अथवा दिनांक 31 मार्च, 2023 से पहले समाप्त होने जा रहा है।
- आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पहचान की गई राज्य नोडल एजेंसियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रत्यायन संबंधी आवश्यकता के बिना राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी) आयोजित करने की अनुमति देने पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- उन योजनाओं के संबंध में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रतिपूर्ति आधार पर अनुदान जारी करना बंद करने पर विचार करना जिनका कार्यकाल 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में या पिछली योजना अवधियों के अंत में समाप्त हो गया था लेकिन लेखों के निपटान के प्रयोजनार्थ वर्ष–दर–वर्ष आधार पर बढ़ाया गया था।
- आगे, प्रतिपूर्ति बंद करने के लिए अंतिम तिथि निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राधिकृत करने का भी संकल्प लिया गया।
- आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 'प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस' को नियुक्त करने के लिए मसौदा दिशानिर्देशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय, 2018 पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों में विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने लेखाओं के निपटान के प्रयोजनार्थ विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशानिर्देशों के कतिपय उपबंधों में छूट देने पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने इस बात पर विचार किया और अनुमोदन प्रदान किया कि लेखों का निपटान, अनुमोदित आबंटन के भीतर आवर्ती और अनावर्ती अनुदान, दोनों के तहत जारी की गई राशि के उपयोग प्रमाणपत्र के साथ किया जाए, लेकिन व्यय के वर्ष–वार विवरण पर बल देने की बजाय, परियोजना के अनुमोदित कार्यकाल के भीतर अनुमोदित मदों और शीर्षों के लिए किया जाए।
- आगे यह भी संकल्प लिया गया कि संस्थान की आधिकारिक ई–मेल आईडी से ई–मेल के माध्यम से प्राप्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण पत्र और व्यय विवरण सहित दस्तावेजों की डिजिटल प्रति को स्वीकार किया जाएगा।
- आयोग ने लेखों के निपटान के प्रयोजनार्थ उत्कृष्टता योजनाओं (सीपीई/ यूपीई/ सीपीईपीए) के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधी दिशानिर्देशों के कतिपय उपबंधों में छूट देने पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

विचार किया और अनुमोदित किया किः

(i) लेखों का निपटान, अनुमोदित आबंटन के भीतर आवर्ती और अनावर्ती अनुदान, दोनों के तहत जारी की गई राशि के उपयोग प्रमाणपत्र के साथ किया जाए, लेकिन व्यय के वर्ष–वार विवरण पर बल देने की बजाय, परियोजना के अनुमोदित कार्यकाल के भीतर अनुमोदित मदों और शीर्षों के लिए किया जाए।

(ii) परियोजना की अनुमोदित अवधि तक अनावर्ती अनुदानों के उपयोग के लिए 18 माह की अवधि में इस षर्त के अध्यधीन छूट देना कि सहायता अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिस प्रयोजनार्थ उसे आबंटित किया गया था।

(iii) सार्वजनिक सूचना(ओं) के माध्यम से योजनाओं के लिए बढ़ाई गई समयावधि और कोविड–19 महामारी के दौरान संस्थान के बंद होने के मद्देनजर, व्यय को 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के बाद लेकिन अनुमत विस्तार की अवधि तक स्वीकार करने की अनुमति देना।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि संस्थान की आधिकारिक ई–मेल आईडी से ई–मेल के माध्यम से प्राप्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण पत्र और व्यय विवरण सहित दस्तावेजों की डिजिटल प्रति को स्वीकार किया जाएगा।

कोई अन्य मदः

महिला छात्रावास

महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहायता से निर्मित महिला छात्रावासों का अन्य शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के कुछ अनुरोधों के संबंध में मामले पर चर्चा की गई। यह संकल्प लिया गया कि असाधारण परिस्थितियों में, जहां कोई महाविद्यालय को छात्राओं द्वारा छात्रावास सुविधाओं के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, उस स्थिति में, यदि आवश्यक हो तो, महिला छात्रावास को पुरूशों हेतु छात्रावास के रूप में केवल तब तक उपयोग किया जा सकता है, जब तक छात्रावास सुविधाओं के लिए छात्राओं से नए अनुरोध प्राप्त नहीं होते हैं।

एनईपी 2020 निगरानी पोर्टल

एनईपी 2020 कार्यान्वयन पहल की निगरानी के लिए एक को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पोर्टल विकसित किया जा रहा है। पोर्टल का लिंक आयोग के सदस्यों के साथ साझा किया जाएगा।

संकाय सामान्य भर्ती पोर्टल

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ''समर्थ'' द्वारा एक संकाय सामान्य भर्ती पोर्टल विकसित किया जा रहा है, ताकि एक निर्बाध भर्ती प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके और संकाय भर्ती की स्थिति के मानचित्रण के लिए एक एकीकृत मंच उपलब्ध कराया जा सके।

विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा देश में पहली बार केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। अनेक राज्य विश्वविद्यालयों, सम–विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों ने भी इसमें भाग लिया। आयोग ने एनटीए और प्रक्रिया में शामिल अन्य सभी संगठनों और अधिकारियों की प्रषंसा की।

दिनांक 28 अक्तूबर, 2022 को आयोजित 562वीं बैठक

मद संख्या 2.01 और मद संख्या 2.15 में निम्नलिखित संशोधनों के साथ 561वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई थीः

मद संख्या 2.01ः

चूंकि पुस्तकालय संवर्ग पहले से ही ''विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय, 2018'' के तहत शामिल है, आयोग ने संकल्प लिया कि–

''पुस्तकालय संवर्ग को शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए 'मॉडल' सीआरआर से बाहर रखा गया है।''

मद संख्या 2.15ः

आयोग ने संकल्प लिया कि–

''ओसी/ आरसी अपेक्षाओं को दिनांक 31 दिसंबर, 2023 तक अथवा आयोग द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित पूर्ण किया जाना चाहिए।''

आयोग ने संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राधिकृत किया।

- **आयोग की 559वीं बैठक की मद संख्या 2.02 में निम्नलिखित संशोधन भी किया गया हैः**

559वीं बैठक की मद संख्या 2.02ः

''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत मान्यता हेतु पात्र बनने हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त करना अनिवार्य है और जिन उच्चतर शिक्षा संस्थानों को पहले ही 12ख का दर्जा दिया जा

चुका है, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत अपनी मान्यता को बनाए रखने के लिए एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए अधिकतम पांच वर्ष का समय दिया जा सकता है। आयोग ने आगे संकल्प लिया कि–

''यह निर्णय आयोग के निर्णय लेने की तिथि अर्थात् 13 जून, 2022 को अथवा उसके बाद प्राप्त प्रस्तावों पर लागू होगा। इस तिथि से पूर्व प्राप्त प्रस्तावों को पूर्व के 12ख नियमों द्वारा अभिशासित किया जाएगा।''

- आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यवृत्त की पुष्टि करता है (दिनांक 07 अक्तूबर, 2022 को ई–परिचालन द्वारा)
- आयोग ने दिनांक 22 सितंबर, 2022 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 561वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई को नोट किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बैठक के कार्यवृत्त (दिनांक 07 अक्तूबर, 2022 को ई–परिचालन द्वारा) पर की गई कार्रवाई को नोट किया
- **आयोग ने निम्नलिखित कतिपय मामलों पर की गई कार्रवाई की पुष्टि की और नोट कियाः –**
  - (i) आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च), धारा 12ख के अंतर्गत संस्थानों के अनुमोदन और धारा 13 के अनुपालन के संबंध में आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को संसूचित करता है।
  - (ii) आयोग, शिक्षा सत्र–सितंबर, 2022 (जुलाई–अगस्त, 2022 से संशोधित) के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लिए गए मान्यता और पात्रता संबंधी निर्णयों की अभिपुष्टि करता है।
  - (iii) आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2022 में किए गए परिवर्तन को संसूचित करता है।

(मानकों सें संबंधित मामले)

- आयोग ने नए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ओडीएल कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण (केवल) विनियम, 2018 में संशोधन पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।
- आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के आलोक में जामिया हमदर्द (सम विश्वविद्यालय), नई दिल्ली की प्रायोजक सोसाइटी से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए गठित विशेषज्ञों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति की रिपोर्ट पर विचार करता है.।
- आयोग ने जामिया हमदर्द (सम विश्वविद्यालय), नई दिल्ली से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए गठित समिति की दिनांक 20 जनवरी, 2022 की रिपोर्ट पर विचार किया और पाया कि समिति ने सम विश्वविद्यालय संस्थान, के संस्थागत अभिशासन ढांचे में व्यापक कमियों को इंगित किया है.। इन कमियों से पता चलता है कि जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान), विनियम, 2019 के उपबंधों का उल्लंघन कर रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए, आयोग ने निम्नानुसार संकल्प कियाः
  - (i) जामिया हमदर्द को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति (जिसने प्रायोजक सोसायटी से संबंधित मुद्दों की जांच की है) द्वारा इंगित कमियों को दूर करना चाहिए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
  - (ii) जामिया हमदर्द द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तथ्यान्वेशण समिति, जिसने फरवरी, 2021 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए अभी ठोस कदम उठाए जाने हैं। सम–विश्वविद्यालय संस्थान को इस संबंध में भी तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी।
  - (iii) जब तक कि जामिया हमदर्द सम–विश्वविद्यालय संस्थान के अभिशासन के साथ–साथ वि.अ.आ. तथ्यान्वेषण समिति द्वारा चिह्नित की गई सभी कमियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के अनुपालन से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पहचान की गई सभी कमियों को दूर नहीं कर देता, तब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जामिया हमदर्द को दिए जाने वाले सभी अनुदानों को तत्काल प्रभाव से रोक देगा।
  - आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत 'डॉ. भारती राव सेंट मैरी

एडवांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेषन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, देशमुखी' (वी), पोचमपल्ली (एम), यादाद्री भुवनगिरी जिला, तेलंगाना के नाम पर नई श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा दिए जाने के लिए प्राप्त आवेदन के नवीन पहलू पर विचार करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने को स्वीकृति प्रदान की।
- आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय के रूप में सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंसेज (सम विश्वविद्यालय), (एसएचआईएटीएस), प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के निष्पादन और कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए और ओड़िशा लिफ्ट इरीगेशन कारपोरेशन बनाम रवि शंकर पात्रो और अन्य के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 03 नवम्बर, 2017 के आदेश और निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया।
- **आयोग ने सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंसेज, (सम विश्वविद्यालय), (एसएचआईएटीएस), प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के निष्पादन और कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए गठित समिति की दिनांक 04 सितंबर, 2021 की रिपोर्ट पर विचार किया। आयोग ने पाया कि एसएचआईएटीएस को उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के अधिनियम के माध्यम से पहले ही राज्य निजी विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जा चुका है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने निम्नानुसार संकल्प किया कि:**

1. एसएचआईएटीएस को वि.अ.आ./एआईसीटीई विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।
2. यह संकल्प लिया गया कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को शिक्षा मंत्रालय (एमओई) को भेजा जाए ताकि 'सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंसेज' (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) के संबंध में 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) संबंधी निर्णय लिया जा सके, जो कि डीटीबीयू विनियमों पर खरा उतरने और एसएचआईएटीएस को डीटीबीयू के रूप में गैर–अधिसूचित किए जाने के अध्यधीन है।

- आयोग ने ''जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की सह आचार्य, डॉ नीलिमा मंडल को अधिक भुगतान और अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाने'' के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी के मामले पर आयोग के निर्णय पर पुनर्विचार किया।

1. दिनांक 14 जुलाई, 2022 और 07 अक्तूबर, 2022 के पत्र संख्या 5–8/2017–सीयू.II के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के निर्णय पर विचार किया गया और उससे सहमति व्यक्त की गई।
2. आगे यह संकल्प लिया गया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को तदनुसार सूचित किया जाना चाहिए।

(विशेष कार्यक्रम, गुणवत्तायुक्त कार्यक्रम आदि)

- आयोग ने कोलकाता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग –डीएई, सीएसआर की प्रयोगशाला भवन के निर्माण के लिए संशोधित लागत पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

(कोई अन्य मद)

आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2022 के मसौदे पर विचार किया।

- मसौदा विनियमों पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- हितधारकों की टिप्पणियों प्राप्त करने के लिए मसौदा विनियमों को जन साधारण के बीच रखने का संकल्प लिया गया।
- आयोग ने विनियमों को अंतिम रूप देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया। सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री के पंच प्राण और एलआईएफई (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) अभियान के संबंध में आह्वान हेतु पहल करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया।

दिनांक 28 अक्तूबर, 2022 को आयोजित 563वीं बैठक

प्रारंभ में, आयोग ने नए सदस्य श्री संजय प्रसाद, अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का स्वागत किया। आयोग ने निवर्तमान सदस्य, डॉ. विनीत जोषी, अपर सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के योगदान की भी प्रशंसा की।

- आयोग ने दिनांक 28 अक्तूबर, 2022 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 562 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यवृत्त (दिनांक 10 नवंबर, 2022 को ई–परिचालन के माध्यम से) की पुष्टि की।
- तथापि, व्यय विभाग की टिप्पणियों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022–23 से, व्यय विभाग द्वारा जारी निधियों के प्रवाह हेतु संशोधित प्रक्रिया का पालन किया जाना है।
  - क. आयोग ने दिनांक 28 अक्तूबर, 2022 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 562 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई को प्राप्त किया और उसे नोट किया।
  - ख. आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बैठक के कार्यवृत्त (दिनांक 10 नवंबर, 2022 को ई–परिचालन के माध्यम से) पर की गई कार्रवाई को प्राप्त किया और उसे नोट किया।

आयोग ने निम्नलिखित कतिपय मामलों पर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की और उसे नोट किया:–

(i) दिनांक 24 अगस्त, 2011 को आयोजित आयोग की बैठक में दिए गए प्राधिकार के अनुसार दिनांक 01 सितम्बर, 2022 से 31 अक्तूबर, 2022 के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के तहत 87 महाविद्यालयों (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय द्वारा यथा अनुमोदित) को शामिल किए जाने की जानकारी प्रदान करना।

(ii) महाविद्यालयों को नया स्वायत्त दर्जा देने/स्वायत्त दर्जे का विस्तार करने के लिए स्वायत्त महाविद्यालयों संबंधी स्थायी समिति के निर्णयों का अनुसमर्थन करना।

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के भवन संबंधी प्रस्तावों की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थायी समिति को भंग करने पर विचार किया।

आयोग ने निम्नलिखित पर विचार किया और निर्णय लियाः

(i) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के भवन संबंधी प्रस्तावों की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थायी समिति को भंग कर दिया जाएगा। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भवन परियोजनाओं पर विचार करने की मौजूदा प्रक्रिया को भी बंद कर दिया गया है।

(ii) इसके उपरांत, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय भवन समिति, वित्त समिति और कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन के उपरांत, सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के साथ–साथ सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियम पुस्तिका और सीवीसी दिशानिर्देशों सहित कार्यों के निश्पादन से संबंधित जीएफआर 130 से 141 के अनुदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए भवन परियोजनाओं को निश्पादित करेंगे।

(iii) तदनुसार, सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सूचित किया जाना चाहिए; अब से भवन परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्ताव भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

  - आयोग ने दिनांक 26 अक्तूबर, 2022 को आयोजित अपनी पंद्रहवीं बैठक में डीईबी कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।
  - विनायक मिषनस् अनुसंधान प्रतिश्ठान (सम विश्वविद्यालय), सेलम (तमिलनाडु) के निश्पादन और शैक्षिक परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया।
  - आयोग ने इस पर विचार किया और इसे अनुमोदित किया। आगे यह भी संकल्प लिया गया कि शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने से पूर्व, विनायक मिषनस् रिसर्च फाउंडेषन (सम विश्वविद्यालय), सेलम (तमिलनाडु) के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों और सीबीआई के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
  - आयोग ने (i) सम–विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदनों को संसाधित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए जाने वाले प्रोसेसिंग शुल्क में संशोधन पर विचार किया (ii) नए कार्यक्रम षुरू करना (iii) 'ऑफ–कैंपस सेंटर' आरंभ करना और (पअ) ऑफ–षोर कैंपस सेंटर षुरू करना।

- आयोग ने (i) सम–विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने (ii) नए कार्यक्रम आरंभ करने (iii) 'ऑफ–कैंपस' केन्द्र आरंभ करने, और (iv) 'ऑफ–षोर कैंपस' केन्द्र आरंभ करने के लिए संसाधन शुल्क पर विचार किया।
- आयोग ने निम्नवत अर्थात् (i) सम–विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने (ii) नए कार्यक्रम षुरू करने (iii) 'ऑफ–कैंपस' केन्द्र आरंभ करने, और (iv) 'ऑफ–षोर कैंपस' केन्द्र आरंभ करने के लिए संसाधन शुल्क पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया, जिसे संसाधन शुल्क में वर्तमान वृद्धि की तिथि से वार्षिक आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), तारामणि, चेन्नई (तमिलनाडु) से प्राप्त

आवेदन के नवीन पहलू पर विचार करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया।

- आयोग ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनआईटीटीआर के संबंध में नीतिगत निर्णय के बाद ही शिक्षा मंत्रालय (एमओई) को विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग ने भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) पर संकाय के प्रशिक्षण के लिए मसौदा दिशानिर्देशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने विचार किया और अनुमोदित किया हितधारकों की टिप्पणियों प्राप्त करने के लिए मसौदा दिशानिर्देशों को जन साधारण के बीच में रखने का संकल्प लिया गया।
- आयोग ने दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत किया।
- आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चिह्नित राज्य नोडल एजेंसियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर्यवेक्षकों के बिना राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी) आयोजित करने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञों के बिना संचालन समिति तथा 'मॉडरेशन' समिति की बैठकें आयोजित करने की अनुमति देने पर विचार किया और अनुमोदित किया।
- आयोग कॅरियर प्रोन्नति योजना के तहत विश्वविद्यालय के शिक्षकों की पदोन्नति देने के लिए डॉक्टोरल उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 में विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित स्पष्टीकरण पर विचार किया।
- आयोग ने संकल्प पर विचार किया और अनुमोदित किया कि सीएएस के तहत पदोन्नति के लाभ का दावा करने के लिए, पर्यवेक्षकों हेतु ''मार्गदर्शक डॉक्टोरल उम्मीदवार'' अथवा ''डॉक्टोरल उम्मीदवार को पीएचडी अवार्ड'' करने संबंधी अपेक्षा निम्नानुसार होगीः

  मुख्य पर्यवेक्षक के लिए – एक डॉक्टोरल अभ्यर्थी
  सह–पर्यवेक्षक के लिए – दो डॉक्टोरल अभ्यर्थी
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग {ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण (केवल)} विनियम, 2018 के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थानों के वर्गीकरण पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने के लिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से प्राप्त आवेदन के 'नवीन पहलू' पर विचार करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।

दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 को आयोजित 564वीं बैठक

- आयोग ने संशोधनों के साथ निम्नलिखित मद की पुष्टि कीः –
- *आयोग ने कार्यवृत्त में निम्नलिखित संशोधन करने का संकल्प लियाः*

''इसके अलावा, आयोग ने व्यय विभाग के निदेशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया है, जिसके कारण निधियां एकत्रित हो रही हैं। इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए टीएसए खाते से वाणिज्यिक बैंक खातों में स्थानांतरित की गई सभी धनराशियों को तुरंत वापस किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इसकी पुनरावृत्ति न हो।

- *आयोग ने कार्यवृत्त में निम्नलिखित संशोधन करने का संकल्प लियाः ''कार्यान्वयन की तिथि दिनांक 01 जनवरी, 2023 होगी।''*
- आयोग ने संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को प्राधिकृत किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (दिनांक 06 दिसंबर, 2022 को ई–परिचालन के माध्यम से) के कार्यवृत्त पर विचार किया.

आयोग के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नलिखित संशोधनों के साथ की गई थीः

- *आयोग ने संकल्प किया कि शिक्षा मंत्रालय की टिप्पणियों को उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।*
- *विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय को शिक्षा मंत्रालय की टिप्पणियों को शामिल करने के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम विश्वविद्यालय संस्थान विनियम, 2022) को अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकृत है।*
- *आयोग ने दिनांक 22 नवंबर, 2022 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 563वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई प्राप्त करने हेतु नोट किया।*

आयोग ने निम्नलिखित कतिपय मामलों पर की गई कार्रवाई की पुष्टि की और नोट किया:—

1. स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या और 'क्रेडिट फ्रेमवर्क' को अंतिम रूप देने हेतु जानकारी प्रदान करना।
    - आयोग ने दिनांक 24 अगस्त, 2011 को आयोजित अपनी 480वीं बैठक में आयोग द्वारा दिए गए प्राधिकार के अनुसार 01 नवम्बर, 2022 से 30 नवम्बर, 2022 के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12ख के तहत 50 महाविद्यालयों (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय द्वारा यथा अनुमोदित) को सम्मिलित करने पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।

(मानकों सें संबंधित मामले)

- उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के लिए संस्थागत विकास योजना के दिशानिर्देशों पर विचार करना।
- आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के लिए संस्थान विकास योजना हेतु दिशानिर्देशों पर विचार किया और संकल्प किया कि दिशानिर्देशों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है और संशोधन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में अंतर्निहित विचारों पर आधारित होना चाहिए। संशोधित दिशानिर्देश, निदेशात्मक होने के बजाय सक्षमकारी और सषक्त बनाने वाले होने चाहिए।

  आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा संसाधनों के इष्टतम उपयोग के संबंध में दिशानिर्देशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।
- शिक्षा सत्र जनवरी से फरवरी, 2023 के लिए ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने की अंतिम तिथि और प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना।
- **आयोग ने इस विषय पर विचार किया और संकल्प किया कि शिक्षा सत्र जनवरी से फरवरी, 2023 के लिए ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने की अंतिम तिथि और प्रवेश की अंतिम तिथि निम्नानुसार होगी:**

  क. मान्यता प्रदान करने की अंतिम तिथि: दिनांक 28 फरवरी, 2023 ।

  ख. प्रवेश की अंतिम तिथि : दिनांक 31 मार्च, 2023 ।
    - पोर्टल पर छात्र डेटा जमा करने की अंतिम तिथि: 15 अप्रैल, 2023 तक
    - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 'फैकल्टी रिचार्ज' कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत संकाय सदस्यों की सहकर्मी समीक्षा मूल्यांकन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करना।

आयोग ने फैकल्टी रिचार्ज' कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित के अध्यधीन संकाय की सहकर्मी समीक्षा मूल्यांकन के संबंध में चयन समितियों की सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया :

(क) भावी तिथि से पदोन्नति अर्थात् चयन समिति की बैठक की तिथि से पदोन्नति से संबंधित सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था।

(ख) दो संकाय सदस्यों को कार्यकाल को बढ़ाए नहीं जाने की स्थिति में, यह निर्णय लिया गया था कि चयन समितियों से अनुरोध किया जाए कि वे इन संकाय सदस्यों का कार्यकाल न बढ़ाने के अपने निर्णय का समर्थन करते हुए विस्तृत सिफारिशें दें। इस प्रकार प्राप्त विस्तृत सिफारिश को आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(विशेष कार्यक्रम, गुणवत्तायुक्त कार्यक्रम आदि)

- कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के निदेशक की नियुक्ति के लिए खोज समिति की सिफारिशों पर विचार करना।
- आयोग ने आचार्य, जगत भूषण नड्डा को कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए खोज समिति की सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें अनुमति प्रदान की।
- आयोग ने आगे यह भी संकल्प लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय ऐसी सभी नियुक्तियों के लिए खोज समितियों की सिफारिशों को अनुमोदित करने, आदेश जारी करने और आयोग की अगली बैठक में इस संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है।

दिनांक 20 जनवरी, 2023 को आयोजित 565वीं बैठक

- आयोग ने दिनांक 23 दिसंबर, 2022 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 564वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (दिनांक 28 दिसंबर, 2022 को ई–परिचालन के माध्यम से) के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (दिनांक 04 जनवरी, 2023 को ई–परिचालन के माध्यम से) के कार्यवृत्त की पुष्टि की।
- आयोग ने दिनांक 23 दिसंबर, 2022 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 564वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई को प्राप्त किया और नोट किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बैठक के कार्यवृत्त (दिनांक 04 जनवरी, 2023 को ई–परिचालन के माध्यम से) पर की गई कार्रवाई को प्राप्त किया और नोट किया।
- **आयोग ने निम्नलिखित कतिपय मामलों पर की गई कार्रवाई की पुष्टि कीः–**

1. दिनांक 24 अगस्त, 2011 को आयोजित अपनी 480वीं बैठक में आयोग द्वारा दिए गए प्राधिकार के अनुसार दिनांक 01 दिसंबर, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12ख के तहत 55 महाविद्यालयों (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय द्वारा यथा अनुमोदित) को सम्मिलित करने की जानकारी प्रदान करना।

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम विश्वविद्यालय संस्थान विनियम, 2023 के मसौदे पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने शिक्षा मंत्रालय और सदस्यों से प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करके विनियमों को अंतिम रूप देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ दौरा समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे मंजूरी दी और सिफारिश की कि शिक्षा मंत्रालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर लर्निंग, पोर्ट ब्लेयर (यूटी) को 'नवीन श्रेणी' के तहत सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए आषय पत्र (एलओआई) देने पर विचार कर सकता है।
- आयोग ने पर्यावरण शिक्षा के लिए मसौदा दिशानिर्देशों और पाठ्यक्रम ढांचे पर विचार किया और अनुमोदित किया और हितधारकों की टिप्पणियों प्राप्त करने के लिए इसे जन साधारण के मध्य रखा।
- आयोग ने दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया।
- आयोग ने 'फैकल्टी रिचार्ज' कार्यक्रम (एफआरपी) के तहत कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल में नियुक्त सहायक प्रोफेसर डॉ0 रोनाल्ड बेंजामिन और रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई में नियुक्त सहायक प्रोफेसर, डॉ. दिव्या वी. के कार्यकाल को नहीं बढ़ाने के संबंध में चयन समितियों की सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें अनुमति प्रदान की। संकाय सदस्यों को कार्यमुक्त करने से पूर्व तीन माह का नोटिस दिया जाएगा।
- आयोग ने सीएएस के तहत मार्गदर्शन करने वाले पीएचडी विद्वानों की पदोन्नति के लिए के संदर्भ में पात्रता मानदंडों पर चर्चा की और निम्नानुसार संकल्प कियाः

1. सार्वजनिक सूचना में, मार्गदर्शन करने वाले डॉक्टोरल उम्मीदवारों हेतु अपेक्षाएं, जैसा कि नीचे दिया गया है, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय, 2018 संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों में संशोधन की अधिसूचना की तिथि से लागू होंगी।

   सीएएस के तहत पदोन्नति के लाभ का दावा करने हेतु, पर्यवेक्षकों के लिए ''मार्गदर्षक डॉक्टोरल उम्मीदवारों'' अथवा ''डॉक्टोरल उम्मीदवारों को पीएचडी की उपाधि प्रदान किया जाना'' संबंधी अपेक्षाएं निम्नानुसार होंगीः

   मुख्य पर्यवेक्षक के लिए – एक डॉक्टरेट अभ्यर्थी
   सह–पर्यवेक्षक के लिए – दो डॉक्टरेट अभ्यर्थी

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2022 में आवष्यक संशोधन किए जाने हैं।

3. इसके अलावा, आयोग ने यह भी संकल्प लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक सार्वजनिक सूचना जारी करनी चाहिए जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि पात्र स्थायी संकाय सदस्य, अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान पीएचडी विद्वानों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं।

(विशेष कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम आदि)

आयोग ने निम्नानुसार विचार किया और संकल्प किया:

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित भूमि पर अंतर्विश्वविद्यालय योग विज्ञान केन्द्र (आईयूसी–वाईएस) की स्थापना कर सकता है। इसके अलावा, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (एसवीवाईएएसए) को भी इस घटनाक्रम के बारे में लगातार जानकारी दी जाए।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आयोग द्वारा अनुमोदित संशोधित नियमों के अनुसार निदेशक, आईयूसी–वाईएस के पद के लिए विज्ञापन दे सकता है।

दिनांक 23 फरवरी, 2023 को आयोजित 566वीं बैठक

सर्वप्रथम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय ने आयोग के सदस्यों का स्वागत किया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अपना कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप विअआ के सचिव, प्रोफेसर रजनीश जैन के अपने मूल संगठन में वापसी के बारे में जानकारी दी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोफेसर रजनीश जैन का धन्यवाद किया। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए सचिव, प्रोफेसर मनीश आर0 जोशी का भी स्वागत किया।

- आयोग ने दिनांक 20 जनवरी, 2023 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 565वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

निम्नलिखित संशोधनों के साथ कार्यवृत्त की पुष्टि की गई:

- *आयोग ने दौरा करने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया और सिफारिश की कि शिक्षा मंत्रालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर लर्निंग, पोर्ट ब्लेयर (संघ राज्य क्षेत्र) को 'नवीन श्रेणी' के तहत सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए आशय पत्र (एलओएल) प्रदान करने पर विचार कर सकता है।*

आयोग ने निम्नानुसार विचार किया और संकल्प किया:

i) *विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयुश मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित भूमि पर अंतर्विश्वविद्यालय योग विज्ञान केन्द्र (आईयूसी–वाईएस) की स्थापना कर सकता है। इसके अलावा, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (एसवीवाईएएसए) को भी इस घटनाक्रम के बारे में लगातार जानकारी दी जाए।*

ii) *विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आयोग द्वारा अनुमोदित संशोधित नियमों के अनुसार निदेशक, आईयूसी–वाईएस के पद के लिए विज्ञापन दे सकता है।*

- आयोग ने दिनांक 01 फरवरी, 2023 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आपात बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।
- आयोग ने दिनांक 20 जनवरी, 2023 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 565वीं बैठक के कार्यवृत्त पर 'की गई कार्रवाई' को प्राप्त किया और उसे नोट किया।
- आयोग ने दिनांक 01 फरवरी, 2023 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आपात बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई को प्राप्त किया और नोट किया।
- **आयोग ने निम्नलिखित कतिपय मामलों पर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की और नोट किया: –**
- आयोग ने दिनांक 24 अगस्त, .2011 को आयोजित अपनी 480वीं बैठक में दिए गए प्राधिकार के अनुसार 01 जनवरी, .2023 से 31 जनवरी, .2023 के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12ख के तहत 64 महाविद्यालयों (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय द्वारा यथा अनुमोदित) को सम्मिलित करने की जानकारी प्रदान की।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से न्यायनिर्णयाधीन मामलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पक्ष रखने के लिए स्थायी और पैनलबद्ध अधिवक्ताओं के नए पैनल की जानकारी दी।
- आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों/पूर्णरूप से वित्तपोषित सम विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की विसंगति से जुड़े मामलों का समाधान करने के लिए शिक्षणेत्तर पदों के विसंगतिपूर्ण मामलों की जांच करने हेतु स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय की पुष्टि करता है।
- आयोग ने महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा देने के लिए स्थायी समिति के निर्णयों की अभिपुष्टि की।

- आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धारा 12ख के तहत राज्य सरकारी/निजी विश्वविद्यालयों के अनुमोदन और वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 की धारा 13 के तहत अनुपालन के संबंध में गठित स्थायी समिति की सिफारिशों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- आयोग, राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचे 'एनसीआरएफ' को अंतिम रूप बारे में जानकारी प्रदान करता है।

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने भारत में विदेषियों को आकर्षित करने के लिए समृद्ध भारतीय विरासत और संस्कृति पर आधारित पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए दिशानिर्देशों पर विचार किया जैसे सार्वभौमिक मानव मूल्य, वैदिक गणित, योग, आयुर्वेद, संस्कृत, भारतीय भाषाएं, संगीत और शास्त्रीय नृत्य रूप।
- **दिशानिर्देशों के शीर्षक पर विचार किया गया और मामूली सुधार के साथ अनुमोदित किया गया, जैसा कि नीचे दिया गया है,**

  ''सार्वभौमिक मानव मूल्यों, वैदिक गणित, योग, आयुर्वेद, संस्कृत, भारतीय भाषाओं, संगीत और शास्त्रीय नृत्य जैसी भारतीय विरासत और संस्कृति पर आधारित पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए दिशानिर्देश।''
- दिशानिर्देशों में उचित परिवर्तनों का सुझाव दिया जाता है ताकि यह धारणा न बने कि यह पाठ्यक्रम केवल विदेशी छात्रों के लिए है।
- हितधारकों की टिप्पणियों आमंत्रित करने के लिए मसौदा दिशानिर्देशों को जन साधारण के बीचं रखने का संकल्प लिया।
- आयोग ने दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया।
- मामूली संशोधनों/सुझावों के साथ विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।
- हितधारकों की टिप्पणियों आमंत्रित करने के लिए मसौदा दिशानिर्देशों को जन साधारण के बीच रखने का संकल्प लिया गया।
- आयोग ने दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया।
- आयोग ने दिनांक 06 फरवरी, 2023 को आयोजित अपनी सोलहवीं बैठक में डीईबी कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।
- सेवाओं को जीईएम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और डेटा को कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग (एलआईएमबीएस) पोर्टल पर अद्यतन किया जा सकता है।

  आयोग ने इस मामले में विस्तृत विचार–विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए:
- सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सभी स्नातकपूर्व कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीयूईटी अनिवार्य होगा। आयोग के निर्णय को अक्षरषः कार्यान्वयन के लिए सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सूचित किया जाना चाहिए।

दिनांक 23 मार्च, 2023 को आयोजित 567वीं बैठक

- आयोग ने दिनांक 23 फरवरी, 2023 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 566वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।
- आयोग ने दिनांक 23 फरवरी, 2023 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 566वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई को प्राप्त किया और नोट किया।

(मानकों से संबंधित मामले)

- आयोग ने इस मामले पर विचार किया और अनुमोदित किया कि दिशानिर्देशों के शीर्षक में 'व्यक्तियों के साथ' शब्द को जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए दिशानिर्देशों का शीर्षक निम्नवत पढ़ा जा सकता है:
- ''दिव्यांगजनों और ज्ञानअर्जन की विशिष्ट अक्षमता वाले व्यक्तियों (एसएलडी) के शिक्षण हेतु शैक्षणिक पहलुओं पर 'क्रेडिट' आधारित पाठ्यक्रम के संबंध में दिशानिर्देश।''
- आयोग ने दिनांक 09 मार्च, 2023 को आयोजित अपनी सत्रहवीं बैठक में डीईबी कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों का वर्गीकरण (केवल) विनियम, 2018) के अनुसार श्रेणी–1 के तहत डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात को शामिल करने के मामले पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

- आयोग ने ''उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए दिशानिर्देशों'' पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने उच्चतर शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली को सम्मिलित करने संबंधी दिशानिर्देशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।

1. हितधारकों की टिप्पणियों प्राप्त करने के लिए मसौदा दिशानिर्देशों को जन साधारण के बीच रखने का संकल्प लिया गया।
2. आयोग ने दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया।

- आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी) के अद्यतन दिशानिर्देशों पर विचार किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, सरिता विहार, नई दिल्ली को 'नवीन श्रेणी' के तहत सम–विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के लिए प्राप्त आवेदन पर नए पहलू से विचार करने के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने भारत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम पर विश्वविद्यालय में पीठ की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय विभागों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए पीएचडी के न्यूनतम योग्यता नहीं होने संबंधी आवश्यकता पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।
- आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के मसौदे पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

कोई अन्य मद

विभिन्न प्रशासनिक मामलों में हुई प्रगति/नवीन जानकारी

- आयोग, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्थानीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करता है, सभी विश्वविद्यालयों को एक पत्र भेजकर उनसे अनुरोध किया गया किः
  - क. स्थानीय भाषाओं में मूल लेखन के अनुवाद को बढ़ावा देना और विश्वविद्यालयों में शिक्षण– ज्ञानअर्जन की प्रक्रिया में स्थानीय भाषा का उपयोग करना,
  - ख. छात्रों को विश्वविद्यालयों में होने वाली परीक्षाओं में स्थानीय भाषाओं के उत्तर लिखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

1.7 विशेष क्रियाकलाप/पहल (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सार्वजनिक सूचना/ उच्चतर शिक्षा संस्थानों का पत्र)

योजनाओं/कार्यक्रमों के संदर्भ में वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग के महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/संकल्प :

आयोग ने दिनांक 31 मार्च, 2023 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं को जारी रखने की अनुमति प्रदान की है और दिनांक 07 अप्रैल, 2022 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना पटल (*https://www.ugc.gov.in/ugc_notices.aspx*) पर अपलोड कर दिया गया है।

अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी निम्नलिखित परामर्श जारी किए गए:

क्रम संख्या	सूचना शीर्षक	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की तिथि
1	सार्वजनिक सूचनाः छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रबंधन पोर्टल (एसएफएमपी) पर पुराने मामलों के डेटा को प्रस्तुत करना।	04 अप्रैल, 2022
2	एजुकेषन इंडिया पोर्टल पर पंजीकरण के बारे में पत्र	05 अप्रैल, 2022
3	योजनाओं को दिनांक 31 मार्च, 2023 तक जारी रखने के बारे में सार्वजनिक सूचना।	07 अप्रैल, 2022
4	(विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्रियों और अन्य पुरस्कार प्रदान किया जाना) विनियम, 2008 के अनुपालन के बारे में सार्वजनिक सूचना।	08 अप्रैल, 2022
5	"एक भारत श्रेष्ठ भारत" और आजादी का अमृत महोत्सव को एक नए तरीके से मनाने के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	08 अप्रैल, 2022
6	भारत की आर्कटिक नीति (आईएपी) के छह स्तंभों पर स्वयं प्लेटफॉर्म के लिए स्नातकपूर्व/ स्नातकोत्तर स्तर पर एमओओसी के विकास के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु पत्र।	12 अप्रैल, 2022
7	एक साथ दो शैक्षिक कार्यक्रमों का अध्ययन करने के संबंध में पत्र और दिशानिर्देश।	13 अप्रैल, 2022
8	एचआरडीसीः वर्ष 2022–23 के लिए कार्यक्रमों का आवंटन।	21 अप्रैल, 2022
9	पाकिस्तान में उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं करने के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	22 अप्रैल, 2022
10	सर्वोत्तम शैक्षिक पद्धतियांः कुछ मामलों का अध्ययन विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान में भाग लेने के लिए सभी केंद्रीय / राज्य/ निजी/ सम विश्वविद्यालयों को आमंत्रित करने के संबंध में पत्र।	22 अप्रैल, 2022
11	एआईसीटीई के प्रशिक्षण और ज्ञान अर्जन (अटल) के बारे में पत्र।	27 अप्रैल, 2022
12	एम.फिल/ पीएच.डी. परीक्षा के संबंध में पत्र।	04 मई, 2022
13	पत्र के बारे मेंः ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए विनियम के संबंध में पत्र।	05 मई, 2022
14	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2022 के लिए अनुस्मारक के संबंध में पत्र।	05 मई, 2022
15	जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार– 2022 के लिए सिफारिश पत्र के संबंध में पत्र।	06 मई, 2022
16	भारत के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शारीरिक फिटनेस, खेल, छात्रों के स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	06 मई, 2022
17	के संबंध में सार्वजनिक सूचनाः एनईआर के लिए ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	06 मई, 2022
18	भारत में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन (एचटीएआईएन) के बारे में पत्र	06 मई, 2022
19	उच्चतर शिक्षा संस्थानों/अनुसंधान संस्थानों में संकाय और शोधकर्ताओं के साथ अनुसंधान इंटर्नशिप के लिए मसौदा दिशानिर्देश के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	12 मई, 2022
20	तत्काल आधार पर 'अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी)' का कार्यान्वयन के संबंध में पत्र।	13 मई, 2022
21	डीईबी सार्वजनिक सूचना के संबंध मेंः सितंबर, 2022 से आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र 2022–23 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पद्धति और/ अथवा ऑनलाइन पद्धति के तहत कार्यक्रमों की पेशकश करने को मान्यता प्रदान करने हेतु पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) से आवेदन आमंत्रित करना (जुलाई– अगस्त, 2022 से संशोधित)	13 मई, 2022
22	टर्मिनल एम.फिल/पीएच.डी. छात्रों के लिए शोध पत्र जमा करने की तिथि को बढ़ाए जाने के बारे में सार्वजनिक सूचना।	17 मई, 2022
23	जुलाई, 2022 और उसके बाद से आरंभ होने वाले शिक्षा वर्ष 2022–23, के लिए पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए डीईबी पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अतिरिक्त सूची।	19 मई, 2022
24	अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (आईवाईओएम) के संबंध में पत्र।	24 मई, 2022
25	नोटिस रेगः क्वॉड अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन के लिए आहवान।	25 मई, 2022

26	अखिल भारतीय लोक और शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (एआईआईपीएचएस) राज्य सरकार विश्वविद्यालय, अलीपुर, दिल्ली 110036 द्वारा अधिनियम, 1956 के उल्लंघन के संबंध में सार्वजनिक नोटिस	27 मई, 2022
27	विश्व साइकिल दिवस के बारे में पत्र।	27 मई, 2022
28	(मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के अनुसार पेरियार विश्वविद्यालय, तमिलनाडु द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चलाने में उल्लंघन के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	30 मई, 2022
29	युवा संसद कार्यक्रम के बारे के बारे में पत्र।	03 जून, 2022
30	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युवा आकांक्षी मस्तिश्क हेतु सक्रिय ज्ञान अर्जकों के अध्ययन ताने– बाने के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान अर्जन पाठ्यक्रम हेतु क्रेडिट ढ़ांचा) विनियम, 2021 को अंगीकार करने संबंधी अनुरोध के संबंध में पत्र	03 जून, 2022
31	महिला और बाल विकास मंत्रालय के तीन नए मिषनों के संबंध में पत्र	04 जून, 2022
32	विश्व पर्यावरण दिवस, 2022 के संबंध में पत्र।	04 जून, 2022
33	आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में पत्र।	08 जून, 2022
34	सार्वजनिक सूचनाः दिनांक 10 मार्च, 2022 के विज्ञापन संख्या 03/2022 के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती के आधार पर संयुक्त सचिव और उप सचिव के पद के लिए लघुसूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थी।	13 जून, 2022
35	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2022 के संबंध में पत्र	14 जून, 2022
36	शैक्षिक संस्थानों में 'जेंडर चैंपियन' के लिए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में पत्र।	15 जून, 2022
37	आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) और 'लिंग संवेदीकरण' कार्यक्रम के संबंध में पत्र।	15 जून, 2022
38	वर्ष 2022 के जुलाई सेमेस्टर के लिए 'स्वयं' प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय समन्वयकों द्वारा पेशकश किए जाने हेतु तैयार एमओओसी की सूची के संबंध में पत्र।	28 जून, 2022
39	अखिल भारतीय शिक्षा समागम के संबंध में पत्र।	01 जुलाई, 2022
40	उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में पहुंच संबंधी दिशानिर्देश और मानक" संबंधी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन हेतु पत्र।	12 जुलाई, 2022
41	झंकृति, 2022– संस्कृति की झंकार के संबंध में पत्र।	12 जुलाई, 2022
42	सीबीएसई परिणाम घोषणा के परिणामस्वरूप उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के संबंध में पत्र।	12 जुलाई, 2022
43	डिजिटल कौशल पहल के संबंध में पत्र।	12 जुलाई, 2022
44	कृशि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अध्यक्ष, पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण हेतु प्राधिकरण (पीपीवी एंड एफआरए), नई दिल्ली के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।	14 जुलाई, 2022
45	आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में पत्र।	19 जुलाई, 2022
46	कौशल पुनरुत्थान (एक आभासी मेटा विश्वविद्यालय) के डिजिटल विश्वविद्यालय के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	19 जुलाई, 2022
47	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) द्वितीय संशोधन विनियम, 2022	21 जुलाई, 2022
48	'स्वयं' प्लेटफाम पर राष्ट्रीय समन्वयकों अर्थात् (सीईसी, इग्नू, आईआईएम–बी, एनआईटीईआर, एआईसीटीई) द्वारा पेशकश किए गए पाठ्यक्रमों के जनवरी, 2022 के सेमेस्टर के लिए परीक्षा पंजीकरण फॉर्म को खोले जाने के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	25 जुलाई, 2022
49	कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव के संबंध में पत्र।	26 जुलाई, 2022
50	सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के संबंध में पत्र।	26 जुलाई, 2022
51	राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 की दूसरी वर्षगांठ में भाग लेने हेतु निमंत्रण के संबंध में पत्र।	27 जुलाई, 2022
52	स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के संबंध में पत्र।	27 जुलाई, 2022
53	''आजादी की अमृत कहानियों" के संबंध में पत्र।	27 जुलाई, 2022
54	शुल्क प्रतिपूर्ति नीति 2022–2023 के संबंध में पत्र।	02 अगस्त, 2022
55	कोविड–19 महामारी के दौरान छात्रावास मेस बंद होने के दौरान छात्रावास मेस शुल्क के प्रतिदाय के संबंध में अनुदेश पत्र।	02 अगस्त, 2022
56	विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में युवा वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को–अल फोज़ान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के प्रथम संस्करण के लिए आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	02 अगस्त, 2022
57	प्याज के प्राथमिक प्रसंस्करण भंडारण और मूल्यवर्धन के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु बड़ी चुनौती के बारे में पत्र।	03 अगस्त, 2022
58	भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन/ध्वजारोहण/उपयोग, भारतीय ध्वज संहिता, 2002 और राष्ट्रीय सम्मान के राष्ट्र–गौरव अपमान–निवारण अधिनियम, 1971 द्वारा अभिशासित होने के संबंध में पत्र।	04 अगस्त, 2022
59	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान के लिए मुक्त विश्वविद्यालयों की फिटनेस) (संशोधन), नियम, 2022 के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	04 अगस्त, 2022

60	विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के संबंध में पत्र।	07 अगस्त, 2022
61	हर घर तिरंगा अभियान के एक भाग के रूप में हैषटैग #harghartiranga के प्रचार हेतु पत्र।	08 अगस्त, 2022
62	दिनांक 29 जुलाई, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सामान्य सेवा केंद्रों सीएससी के साथ "ई–संसाधन पोर्टल" के शुभारंभ के संबंध में पत्र।	08 अगस्त, 2022
63	आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में 'योजकों के विनिर्माण' (एनएसएएम) के संबंध में राष्ट्रीय कार्यनीति के संबंध में पत्र।	17 अगस्त, 2022
64	स्वराज–भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा के संबंध में पत्र।	17 अगस्त, 2022
65	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 'प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस' को नियुक्त करने के लिए प्रारूप दिशानिर्देशों के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	23 अगस्त, 2022
66	ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और/ अथवा ऑनलाइन ज्ञान अर्जन पद्धति के तहत पेशकश किए गए कार्यक्रमों में नामांकन से पूर्व छात्रों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में डीईबी संबंधी सार्वजनिक सूचना।	24 अगस्त, 2022
67	शिक्षक पर्व (शिक्षक दिवस) के उत्सव के संबंध में पत्र।	25 अगस्त, 2022
68	'बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एच नम्बर 49–35–26 एन.जी.ओ. कॉलोनी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश– 530016' द्वारा विअआ अधिनियम, 1956 का उल्लंघन किए जाने के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	25 अगस्त, 2022
69	'स्वयं' जनवरी 2022 सेमेस्टर परीक्षा के लिए परीक्षा प्रवेश कार्डों के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	25 अगस्त, 2022
70	दिनांक 25 अगस्त, 2022 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक सूचना	25 अगस्त, 2022
71	भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश और अतिरिक्त सीटों हेतु दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां/ सुझाव आमंत्रित करने के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	25 अगस्त, 2022
72	सभी एचआरडीसी में शिक्षक पर्व का आयोजन करने के संबंध में पत्र।	26 अगस्त, 2022
73	प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती के आधार पर संयुक्त सचिव और उप सचिव के पद हेतु नोटिस।	30 अगस्त, 2022
74	उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को बहु–विधा संस्थानों में बदलने हेतु दिशानिर्देशों के संबंध में पत्र।	02 सितम्बर, 2022
75	शिक्षक पर्व (शिक्षक दिवस) के उपलक्ष्य में दिनांक 05 से 09 सितंबर, 2022 तक पांच दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय स्तर की पैनल चर्चा के संबंध में पत्र।	03 सितम्बर, 2022
76	अध्येतावृत्ति तथा अनुसंधान अनुदान योजना, 2022 के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	05 सितम्बर, 2022
77	"शिक्षक पर्व– 2022" के भाग के रूप म दिनांक 06 सितंबर, 2022 को प्रौद्यागिकी सक्षमकारी शिक्षा" पर संकाय सदस्यों के क्षमता निर्माण के संबंध में ऑनलाइन और आईआईएमबीएक्स कार्यशाला हेतु पत्र।	05 सितम्बर, 2022
78	स्वच्छता पखवाड़ा मनाने के संबंध में पत्र।	07 सितम्बर, 2022
79	पारंपरिक पद्धति के माध्यम से प्राप्त डिग्री के साथ ओडीएल और ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से प्राप्त डिग्री की समानता के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	08 सितम्बर, 2022
80	राष्ट्रीय पर्यटन युवा क्लबों के बारे में पत्र।	13 सितम्बर, 2022
81	ऑनलाइन गेम की एक श्रृंखला– 'आजादी क्वेस्ट' के बारे में पत्र	13 सितम्बर, 2022
82	सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाए जाने के संबंध मे पत्र।	15 सितम्बर, 2022
83	हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का संदेश।	16 सितम्बर, 2022
84	''उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर अंकुश लगाने" के संबंध में पत्र।	16 सितम्बर, 2022
85	दिनांक 17 सितंबर, 2022 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के दीक्षांत समारोह में माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन की 'लाइव स्ट्रीमिंग'।	16 सितम्बर, 2022
86	चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के संबंध में पत्र।	16 सितम्बर, 2022
87	भारतीय ज्ञान प्रणाली के संबंध में पत्र।	19 सितम्बर, 2022
88	आठ भारतीय भाषाओं में दो और 'स्वयं' स्नातकोत्तर एमओओसी– न्याय और पर्यावरण कानून तक पहुंच तथा पर्यावरण ीय कानूनों को जोड़ने के संबंध में पत्र।	20 सितम्बर, 2022
89	उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के बीच क्रेडिट अंतरण के लिए 'अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (एबीसी) को लागू किए जाने के संबंध में पत्र।	22 सितम्बर, 2022
90	अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के संबंध में पत्र।	22 सितम्बर, 2022
91	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सीयूईटी– 2022 के आधार पर स्नातकपूर्व कार्यक्रमों में प्रवेश की अस्थायी समय–सीमा।	22 सितम्बर, 2022

92	मोटे अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के संबंध में पत्र।	23 सितम्बर, 2022
93	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर पदों के लिए आदर्श संवर्ग भर्ती नियम।	26 सितम्बर, 2022
94	दिव्यांगजनों के लिए शिक्षण विशिष्ट ज्ञान अर्जन अक्षमता (एसएलडी) के लिए शैक्षणिक पहलुओं पर क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम हेतु दिशानिर्देशों के मसौदे के संबंध में सार्वजनिक सूचना	28 सितम्बर, 2022
95	इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) के साथ 5जी सेवाओं का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 01 अक्तूबर, 2022 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया जाएगा।	29 सितम्बर, 2022
96	एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में पत्र।	30 सितम्बर, 2022
97	भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के दाखिले और अधिसंख्य सीटों के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में पत्र।	30 सितम्बर, 2022
98	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सीयूईटी– 2022 के आधार पर स्नातकपूर्व कार्यक्रमों में प्रवेश की संभावित समय सारणी।	30 सितम्बर, 2022
99	आईटी उद्योग के साथ जुड़ाव और उद्योग के नेतृत्व वाले मॉड्यूल के लिए 'क्रेडिट' मुहैया कराने के संबंध में पत्र।	30 सितम्बर, 2022
100	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' को नियुक्त करने के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में पत्र।	30 सितम्बर, 2022
101	सचिव/ वित्तीय सलाहकार के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि को बढ़ाए जाने के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	01 अक्तूबर, 2022
102	''उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर अंकुश लगाने'' के संबंध में पत्र।	03 अक्तूबर, 2022
103	'साइबर जागरुक दिवस' (सीजेडी) को मनाए जाने के संबंध में पत्र।	04 अक्तूबर, 2022
104	शिक्षा संस्थानों में अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में पत्र।	10 अक्तूबर, 2022
105	हर दिन, हर घर आयुर्वेद (आयुर्वेद रोजाना, आयुर्वेद, हर जगह) के संबंध में पत्र।	10 अक्तूबर, 2022
106	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त महाविद्यालयों में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2022 के प्रारूप पर टिप्पणिया/ सुझाव आमंत्रित करने के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	10 अक्तूबर, 2022
107	विद्यांजलि पहल के संबंध में पत्र।	12 अक्तूबर, 2022
108	स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या को लागू करने के संबंध में पत्र।	18 अक्तूबर, 2022
109	एकता दिवस का मनाने के संबंध में एआईसीटीई का पत्र।	20 अक्तूबर, 2022
110	उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, भय रहित परिवेश सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी सुविधाएं और सुख– साधन उपलब्ध कराने साथ ही संवेदीकरण, नीति कार्यान्वयन, निगरानी और शिकायत निवारण के लिए महिला प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए प्रारूप दिशानिर्देश के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	21 अक्तूबर, 2022
111	प्रारूप राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	21 अक्तूबर, 2022
112	शैक्षणिक पद्धतियों और मूल्यांकन आंकलन के लिए मसौदा दिशानिर्देशों के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	21 अक्तूबर, 2022
113	''सरदार पटेल– एकीकरण के वास्तुकार" विषय पर प्रदर्शनी के संबंध में पत्र।	24 अक्तूबर, 2022
114	"राष्ट्रीय एकता दिवस" (राष्ट्रीय एकता दिवस) की प्रतिज्ञा के बारे में एआईसीटीई का पत्र।	28 अक्तूबर, 2022
115	भारतीय भाषा दिवस के संबंध में पत्र।	28 अक्तूबर, 2022
116	केवल कर्मचारियों के लिए " सतर्कता जागरूकता सप्ताह" पर ई–प्रतिज्ञा	28 अक्तूबर, 2022
117	"अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष–2023" को मनाने के संबंध में पत्र।	31 अक्तूबर, 2022
118	छात्रों को शुल्क और मूल दस्तावेजों की वापसी के संबंध में पत्र।	01 नवम्बर, 2022
119	भारतीय ज्ञान परम्पराएं : पुनर्स्थापन और मुख्यधाराकरण विषयान्तर्गत शिक्षक विकास कार्यक्रम (संकाय विकास कार्यक्रम) के संबंध में पत्र।	01 नवम्बर, 2022
120	पंच प्राण और पर्यावरण के लिए जीवनशैली (एलआईएफई) अभियान के संबंध में पत्र।	02 नवम्बर, 2022
121	युवा लेखक (युवा) 2.0 के लिए 'पीएम मेंटरशिप स्कीम' के संबंध में पत्र।	02 नवम्बर, 2022
122	सम विश्वविद्यालय संस्थान विनियम, 2022 के प्रारूप पर टिप्पणियां सुझाव आमंत्रित करने के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	04 नवम्बर, 2022
123	दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने के संबंध में एआईसीटीई का पत्र।	05 नवम्बर, 2022

124	राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजनाओं को अन्य मंत्रालयों को अंतरित करने के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	07 नवम्बर, 2022
125	राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) – निक्षय 2.0 के संबंध में पत्र।	09 नवम्बर, 2022
126	अध्येतावृत्ति / छात्रवृत्ति के संवितरण के लिए छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रबंधन पोर्टल (एसएफएमपी) पर कार्यरत नोडल अधिकारियों के लिए कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	11 नवम्बर, 2022
127	चयन वर्ष 2021–21 के लिए 'निशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफपीडब्ल्यूडी) योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों की अनंतिम सूची।	11 नवम्बर, 2022
128	अपने संस्थानों में 'प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस' की नियुक्ति के संबंध में पत्र।	14 नवम्बर, 2022
129	जी–20 बैठकों के लिए अत्याधुनिक डिजिटल अनुभव करने के लिए विचारों को जानने हेतु संकाय सदस्यों और छात्रों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने के संबंध में पत्र।	14 नवम्बर, 2022
130	''भारतः लोकतंत्र की जननीं" विषय पर 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस का आयोजन करने हेतु पत्र।	15 नवम्बर, 2022
131	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर पदों के लिए आदर्श संवर्ग भर्ती नियम के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	15 नवम्बर, 2022
132	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2022	15 नवम्बर, 2022
133	दिनांक 16 नवंबर से 15 दिसंबर, 2022 तक वाराणसी में काशी तमिल समागम (केटीएस) के संबंध में पत्र।	16 नवम्बर, 2022
134	राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचे (एनसीआरएफ) के प्रारूप पर जागरूकता कार्यशालाओं के संबंध में पत्र।	16 नवम्बर, 2022
135	राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार के संबंध में पत्र।	16 नवम्बर, 2022
136	केंद्रीय सिविल सेवाएं (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के तहत विकल्प के संबंध में नोटिस।	17 नवम्बर, 2022
137	एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राष्ट्रीय एकता दिवस क्विज के संबंध में पत्र।	17 नवम्बर, 2022
138	दिनांक 16 नवंबर से 19 दिसंबर, 2022 तक वाराणसी में काशी तमिल संगमम (केटीएस) के संबंध में पत्र।	18 नवम्बर, 2022
139	हर घर ध्यान अभियान के संबंध में पत्र।	24 नवम्बर, 2022
140	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जनषक्ति सेवाओं की आपूर्ति के लिए निविदा में आवेदन करने वाली फर्मों के तकनीकी मूल्यांकन के संबंध में पत्र।	24 नवम्बर, 2022
141	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध और प्रतितोश) अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन के संबंध में पत्र।	25 नवम्बर, 2022
142	फिट इंडिया पोर्टल पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों के पंजीकरण के संबंध में पत्र।	28 नवम्बर, 2022
143	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (श्रेणीबद्ध स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का वर्गीकरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022	29 नवम्बर, 2022
144	भारतीय भाषा उत्सव के संबंध में पत्र।	02 दिसम्बर, 2022
145	वर्ष 2022–23 के लिए तथा सितंबर, 2022 से आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र (जुलाई– अगस्त, 2022 से संशोधित) और उसके पश्चात्, ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सूची।	02 दिसम्बर, 2022
146	भारत की आर्कटिक नीति : लक्ष्य और अवसर' विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार के संबंध में पत्र।	05 दिसम्बर, 2022
147	स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या और क्रेडिट ढ़ांचे के बारे में सार्वजनिक सूचना।	12 दिसम्बर, 2022
148	'भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस)' पर संकाय के प्रशिक्षण के लिए दिशानिर्देशों के मसौदे पर हितधारकों से प्रतिक्रिया / सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना।	14 दिसम्बर, 2022
149	विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी)– /स्नातकोत्तर 2023 के बारे में पत्र।	21 दिसम्बर, 2022
150	'स्पिक मैके' कार्यक्रम के बारे में जानकारी के प्रसार के संबंध में पत्र।	21 दिसम्बर, 2022
151	अभिनव शैक्षणिक पद्धतियों मूल्यांकन सुधारों संबंधी दिशानिर्देश।	22 दिसम्बर, 2022
152	उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, भय रहित परिवेश सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी सुविधाएं और सुख– साधन उपलब्ध कराने साथ ही संवेदीकरण, नीति कार्यान्वयन, निगरानी और शिकायत निवारण के लिए महिला प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश।	22 दिसम्बर, 2022
153	वीर बाल दिवस– आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में पत्र।	23 दिसम्बर, 2022
154	जैव विज्ञान और स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु आचार समितियों का स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के साथ पंजीकरण के संबंध में पत्र।	26 दिसम्बर, 2022
155	विश्वविद्यालय स्तर पर 'अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स' (एबीसी) के कार्यान्वयन के संबंध में पत्र।	26 दिसम्बर, 2022

156	जैविक अनुसंधान विनियामक अनुमोदन पोर्टल (बीआईओआरआरएपी) के संबंध में पत्र।	26 दिसम्बर, 2022
157	'नगर वन योजना (एनवीवाई)' के तहत नगर वैन/वाटिकाओं के विकास के संबंध में पत्र।	27 दिसम्बर, 2022
158	6वें सिद्ध दिवस समारोह को मनाए जाने के संबंध में पत्र।	29 दिसम्बर, 2022
159	भारत 2.0 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने पर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में पत्र।	29 दिसम्बर, 2022
160	'षोधगंगा' पहल में शामिल होने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को पत्र।	02 जनवरी, 2023
161	भारत की जी 20 की अध्यक्षता के दौरान ''ऑनलाइन– सुरक्षित रहें" अभियान के बारे में पत्र।	03 जनवरी, 2023
162	युवा लेखकों के लिए 'पीएम–युवा मेंटरशिप योजना' (युवा) 2.0 के बारे में पत्र।	03 जनवरी, 2023
163	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 के मसौदे पर टिप्पणियां/ सुझाव/ प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक सूचना।	05 जनवरी, 2023
164	जी–20 में भारत की अध्यक्षता के संबंध में पत्र।	05 जनवरी, 2023
165	शैक्षणिक स्तर 12 से शैक्षणिक स्तर 13क और शैक्षणिक स्तर 13क से शैक्षणिक स्तर 14 तक विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सीएएस पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड के बारे में स्पष्टीकरण के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	06 जनवरी, 2023
166	राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति के बारे में पत्र।	06 जनवरी, 2023
167	गणतंत्र दिवस समारोह, 2023– 'ट्राईबल टैटू' और आदिवासी नृत्य कार्यक्रम के संबंध में पत्र।	09 जनवरी, 2023
168	एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में पत्र।	10 जनवरी, 2023
169	दिनांक 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को 'राष्ट्रीय युवा दिवस" के रूप में मनाने के संबंध में पत्र।	11 जनवरी, 2023
170	उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) द्वारा संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु दिशानिर्देश के संबंध में पत्र।	12 जनवरी, 2023
171	दिनांक 12 जनवरी, 2023 को कर्नाटक के धारवाड़ के हुबली में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 के संबंध में पत्र।	12 जनवरी, 2023
172	एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) के एक भाग के रूप में मकर संक्रांति उत्सव को मनाए जाने के संबंध में पत्र।	12 जनवरी, 2023
173	पराक्रम दिवस के अवसर पर छात्रों के लिए प्रतियोगिता के संबंध में पत्र।	13 जनवरी, 2023
174	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 के प्रारूप पर टिप्पणियां/सुझाव/प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि का विस्तार किए जाने के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	16 जनवरी, 2023
175	(i) सम विश्वविद्यालय का दर्जा (ii) नए कार्यक्रम आरंभ करने (iii) 'ऑफ–कैंपस केंद्र' आरंभ करने और (iv) 'ऑफ–षोर कैंपस केंद्र' आरंभ करने के संबंध में आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए जाने वाले संसाधन शुल्क में संशोधन किए जाने के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	16 जनवरी, 2023
176	जनवरी सेमेस्टर 2023 के लिए 'स्वयं' पाठ्यक्रम के बारे में पत्र।	19 जनवरी, 2023
177	परीक्षा पर चर्चा– 2023 के बारे में पत्र।	19 जनवरी, 2023
178	देश के सभी विद्यालय/ महाविद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोहों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपपी)।	19 जनवरी, 2023
179	जी– 20 विश्वविद्यालय संपर्क कार्यक्रम के बारे में परामर्श।	23 जनवरी, 2023
180	केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों/ राज्य सरकारों और अन्य संस्थानों/ निकायों द्वारा प्रसारण और वितरण सेवाओं से संबंधित मुद्दों के संबंध में सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को परामर्श।	25 जनवरी, 2023
181	विश्वविद्यालयों द्वारा पर्यटन स्थलों को गोद लिए जाने के संबंध में पत्र।	25 जनवरी, 2023
182	''जिला स्तर पर नवाचार'' विषय पर प्रधानमंत्री की पुरस्कार विजेता पहल पर वेबिनार में सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी शिक्षा संस्थानों द्वारा भागीदारी किए जाने के संबंध में पत्र।	25 जनवरी, 2023
183	पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अतिरिक्त सूची (जनवरी से फरवरी 2023 के दौरान आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र के लिए) के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	25 जनवरी, 2023
184	कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) से वरिश्ठ शोध अध्येतावृत्ति (एसआरएफ) में उन्नयन इस संबंध में सार्वजनिक सूचना।	27 जनवरी, 2023
185	प्रौढ़ शिक्षा 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)' पर एनईपी 2020 सिफारिश के संबंध में पत्र।	27 जनवरी, 2023
186	नारी शक्ति पुरस्कारों के संबंध में पत्र।	01 फरवरी, 2023

187	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 के मसौदे पर टिप्पणियां/ सुझाव/ प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाएं जाने के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	02 फरवरी, 2023
188	जनवरी सेमेस्टर, 2023 के लिए 'स्वयं' प्लेटफॉर्म पर सीईसी, आईआईएम– बी, एनपीटीईएल और इग्नू द्वारा पेष किए जाने वाले एमओओसी के बारे में पत्र।	03 फरवरी, 2023
189	शैक्षिक स्तर 12 से शैक्षिक स्तर 13 क और शैक्षणिक स्तर 13 क से शैक्षिक स्तर 14 तक विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सीएएस पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड के स्पष्टीकरण के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	03 फरवरी, 2023
190	विनियमों के अनुपालन में सफलतापूर्वक मौखिक परीक्षा पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को पीएचडी उपाधि प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	08 फरवरी, 2023
191	सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले एकल बालिका अध्येतावृत्ति 2022–23 के परिणाम के संबंध में अधिसूचना।	08 फरवरी, 2023
192	स्नातकपूर्व स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के लिए प्रारूप दिशानिर्देशों और पाठ्यचर्या ढांचे के संबंध में टिप्पणियां/ सुझाव / प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक सूचना।	08 फरवरी, 2023
193	उद्यान उत्सव, 2023 के दौरान राष्ट्रपति भवन के उद्यानों के खुलने के संबंध में पत्र।	14 फरवरी, 2023
194	पत्र के संबंध मेंः आईसीएआर–एनएएचईपी का स्नातक आय सूचकांक (जीआईआई) सर्वेक्षण के संबंध में पत्र	15 फरवरी, 2023
195	विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी)– स्नातकोत्तर/ स्नातकपूर्व 2023 के संबंध में पत्र।	17 फरवरी, 2023
196	तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में शिक्षा संस्थानों– निजी और सार्वजनिक संस्थानों को सक्षम बनाने के लिए सामान्य दिशानिर्देशों के बारे में पत्र	21 फरवरी, 2023
197	कौशल/शिक्षा क्षेत्र के संबंध में बजट उपरांत वेबिनार के बारे में पत्र।	23 फरवरी, 2023
198	शिक्षा वर्ष 2023–24, जुलाई–अगस्त, 2023 से आरंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र और उसके बाद से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पद्धति और/ अथवा ऑनलाइन पद्धति के तहत कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यता के लिए पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों से आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	01 मार्च, 2023
199	पीएचडी विद्वानों के मार्गदर्शन के संदर्भ में सीएएस के तहत पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	07 मार्च, 2023
200	संस्कृत विषय में अभिरूचि की अभिव्यक्ति कें संबंध में सार्वजनिक सूचना।	13 मार्च, 2023
201	"मन की बात" की 100वीं कड़ी के संबंध में पत्र।	16 मार्च, 2023
202	भारतीय विरासत और संस्कृति पर आधारित पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए प्रारूप दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां/सुझाव/ प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक सूचना।	16 मार्च, 2023
203	अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष (आईवाईओएम)– 2023 के लिए क्रियाकलापों हेतु विषय और क्रियाकलापों की सूची	16 मार्च, 2023
204	अधिसंख्य (सुपरन्यूमरी) सीटों के सृजन से लाभान्वित होने वाले बच्चों की स्थिति के संबंध में पत्र।	16 मार्च, 2023
205	उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्थानीय कलाकारों/कारीगरों को 'आर्टिस्ट इन रेजीडेंस' के रूप में पेनलबद्ध करने के लिए प्रारूप दिशानिर्देशों के संबंध में टिप्पणियां/सुझाव/प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक सूचना।	16 मार्च, 2023
206	जनवरी–फरवरी, 2023 और उसके पश्चात् आरंभ होने वाले शिक्षा वर्ष 2022–23 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए पात्र श्रेणी–I के उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सूची।	17 मार्च, 2023
207	पाठ्यचर्या में अध्याय में सिकल सेल विकारों पर एक अध्याय को शामिल करने के संबंध में पत्र।	20 मार्च, 2023
208	शिकायतों के समाधान के लिए ई–समाधान पोर्टल को अपनाने के मद्देनजर ऑनलाइन शिकायत कार्यवाही प्रणाली (सीएचएम) पोर्टल को बंद करने के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	21 मार्च, 2023
209	युवा पर्यटन क्लब के लिए लोगो डिजाइन करने के लिए प्रतियोगिता के संबंध में पत्र।	23 मार्च, 2023
210	ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर अल्टरनेटिव मेडिसिन्स, 60, मेला चेट्टी स्ट्रीट, कुट्टलम– 609801 और नेशनल बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, 60, मेला चेट्टी स्ट्रीट, कुट्टलम – 609801 द्वारा अधिनियम, 1956 के उल्लंघन के संबंध में सार्वजनिक सूचना।	29 मार्च, 2023
211	राष्ट्रीय अंतर्महाविद्यालय क्रॉसवर्ड अभियान (एनआईसीई) 2023 के संबंध में पत्र।	29 मार्च, 2023
212	युवा उत्सव भारत/2047 के संबंध में पत्र।	31 मार्च, 2023

लाकार्पित की गई पुस्तकें/ दिशानिर्देश

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक साथ दो शैक्षिक कार्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। कोई छात्र दो शैक्षिक कार्यक्रमों में अध्ययन कर सकता है, एक पूर्णकालिक, वास्तविक पद्धति से और दूसरा मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन (ओडीएल)/ ऑनलाइन पद्धति से; अथवा एक साथ दो ओडीएल/ऑनलाइन कार्यक्रमों को एक साथ कर

सकता है। दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को सार्वजनिक सूचना और दिशानिर्देश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे और इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट ***www.ugc.gov.in*** पर अपलोड किया गया था।

2. भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीयकरण को सुकर बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत के उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के सुगम और सरल प्रवेश को सुकर बनाने, भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने और भारत को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के सृजन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों/ संस्थानों से अनुरोध है कि वे अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के सृजन के लिए उपर्युक्त दिशानिर्देशों को पारदर्शी तरीके से अपनाएं और कार्यान्वित करें। दिनांक 30 सितम्बर, 2022 को सार्वजनिक सूचना और दिशानिर्देश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे और इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट ***www.ugc.gov.in*** पर अपलोड किया गया था।

1.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 (एनईपी) के तहत पहल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020, संरचना और प्रणाली के साथ–साथ नई शैक्षिक पद्धतियों को पुनः संकल्पनाबद्ध करने के संबंध में भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली में एक व्यापक परिवर्तन की परिकल्पना करती है। दिनांक 29 जुलाई, 2020 को एनईपी 2020 को आरंभ किए जाने के बाद से, भारतीय शिक्षा प्रणाली, व्यापक युगांतकारी बदलावों से गुजर रही है। एनईपी 2020, भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए इक्कीसवीं सदी का एक अतिमहत्वपूर्ण, अभिनव विजन दस्तावेज है। यह नीति, शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और सिफारिशें देती है जिसमें बहु–विधायी और समग्र शिक्षा; अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता; अभिशासन और शिक्षकों की क्षमता निर्माण; गुणवत्ता, रैंकिंग, और प्रत्यायन; डिजिटल सशक्तिकरण और ऑनलाइन शिक्षा; समान और समावेशी शिक्षा; भारतीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देना; कौशल विकास और रोजगार क्षमता और उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण शामिल है।

नीति का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा के लिए "सरल परंतु सुदृढ़" विनियम के साथ–साथ पहुंच, समानता और समावेशन को बढ़ाना है। एनईपी में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2040 तक, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) का लक्ष्य बहु–विषयक संस्थान बनना होगा। इस नीति में "भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाषक्ति" बनाने की परिकल्पना की गई है। नीति का एक घोषित उद्देश्य न केवल विचार में बल्कि भावना, बुद्धि और कर्मों से भी भारतीय होने पर "ह्रदय से अगाध गर्व" पैदा करना है। यह ज्ञान, कौशल, मूल्यों और चरित्र विकसित करने पर केंद्रित है जो मानव अधिकारों, सतत विकास और जीवन और वैश्विक कल्याण के लिए उत्तरदायी प्रतिबद्धता का समर्थन करते हैं।

एनईपी 2020 की घोषणा के बाद, विभिन्न हितधारकों के बीच नीति के विवरण का प्रचार–प्रसार करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। नीति को लागू करने हेतु सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया षुरू की गई थी। साथ ही, पीएमओ और माननीय शिक्षा मंत्री ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन कें संबंध में समय–समय पर समीक्षा बैठकें की हैं।

इसके अलावा, एनईपी 2020 के विभिन्न विषयों पर इस नीति के प्रत्येक पहलू के लिए विशेषज्ञ समूहों का गठन किया गया था ताकि नीति के लक्ष्यों को स्पष्ट और चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सके। नीचे दिए गए विषयों पर ऐसे नौ विशेषज्ञ समूहों का गठन किया गया था, (i) बहु–विषयक और समग्र शिक्षा, (ii) उच्चतर शिक्षा में समानता और समावेश, (iii) अनुसंधान, नवाचार और रैंकिंग, (iv) उच्चतर शिक्षा की वैश्विक पहुंच, (v) प्रेरित, ऊर्जा संचारित और सक्षम संकाय, (vi) एकीकृत उच्चतर शिक्षा प्रणाली, (vii) अभिशासन और विनियमन, (viii) भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन, और (ix) प्रौद्योगिकी उपयोग और एकीकरण।

एनईपी 2020 के तहत युगांतकारी सुधारों के एक वर्ष होने पर उसके भाग के रूप में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा मंत्रालय, खेल विभाग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) के सहयोग से एनईपी के विभिन्न विषयों पर आठ वेबिनार आयोजित किए थे। यह विषय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं जैसे समानता और समावेशन; बहु–विषयक और समग्र शिक्षा; कौशल, उद्यमिता विकास और रोजगार क्षमता; युवा सशक्तिकरण और खेल विकास; भारतीय ज्ञान प्रणाली, भाषाएं, कला और संस्कृति; गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रत्यायन और शिक्षक विकास; अनुसंधान, नवाचार और रैंकिंग; शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग पर आधारित थे। विभिन्न प्रमुख हितधारकों, सरकारी अधिकारियों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संकाय, कर्मचारियों और छात्रों ने भाग लिया और अपने सुझाव दिए।

उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एआईसीटीई और उच्चतर शिक्षा संस्थानों ने शैक्षणिक उत्कृ श्टता की ओरं यात्रा आरंभ करने के लिए एनईपी, 2020 के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा और विचार–विमर्श करने के

लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता से वर्ष 2022 में संयुक्त रूप से क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया। व्यापक पैमाने पर परामर्श करने के लिए और इस व्यापक परिवर्तन को दिशा देने के लिए, संपूर्ण देश को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र को तीन क्षेत्रों में उप विभाजित किया गया था। प्रत्येक क्षेत्र में 4 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल थे।

कार्यशालाओं के रूप में क्षेत्रीय स्तर, अंतरा और अंतर–क्षेत्रीय स्तरों पर पहल, सर्वोत्तम पद्धतियों, चिंताओं और सुझावों पर चर्चा करने के लिए विस्तृत परामर्श सत्र आयोजित किए गए थे। इन कार्यशालाओं में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा) जैसे उच्च अधिकारी, विश्वविद्यालयों के कुलपति, आईआईटी, आईआईएम के निदेशक, संकाय, फिक्की, सीआईआई, एसोचैम से प्रतिनिधि, सांविधिक परिषद्‌ जैसे वीसीआई, पीसीआई, आईसीएआर, एनएमसी, एनसीटीई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इन कार्यशालाओं में तीन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया– पहुंच, गुणवत्ता और भविष्य की तैयारी। इन विषयों के विभिन्न पहलुओं को उप–विषयों में वर्गीकृत किया गया था, और उनमें से प्रत्येक को तीन मापदंड अर्थात्‌ पहल और सर्वोत्तम पद्धतियां, चिंता के क्षेत्र, और सुझाव और कार्यनीतियों के इर्द–गिर्द आयोजित किया गया था। संक्षेप में, इन परामर्शों ने एनईपी, 2020 के विभिन्न पहलुओं पर बल दिया, चिंताओं को पहचाना, और एनईपी, 2020 को लागू करने के लिए भविष्य की कार्यनीतियों को विकसित किया, जिससे भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हुआ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और अधिकारियों ने दिनांक 13 मई, 2022 को ई–संवाद कार्यक्रम में विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की। ऑनलाइन संवाद की कड़ी में, दिनांक 4 अक्तूबर, 2022 को एक दूसरा ऑनलाइन संवाद आयोजित किया गया, जिसमें कुलपतियों, शिक्षाविदों, संकाय सदस्यों और छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यह प्रसारण नए आरंभ किए गए ई–समाधान पोर्टल पर केंद्रित था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सीधा प्रसारण किया जा रहा था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऑनलाइन बातचीत के माध्यम से विभिन्न उच्चतर शिक्षा पहल के बारे में हितधारकों के प्रष्नों का उत्तर दिया।

एनईपी 2020 शिक्षकों को पुनः उच्च सम्मान दिए जाने और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को शिक्षण पेषे में आने के लिए प्रेरित करने पर बल देता है। इस संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानव संसाधन विकास केंद्रों सहित सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों से शिक्षक पर्व मनाने के लिए 05 से 09 सितंबर, 2022 तक कार्यक्रमों/ क्रियाकलापों का आयोजन करने का अनुरोध किया। सुझाए गए क्रियाकलापों में संकाय सदस्यों का सम्मान देना, प्रख्यात विद्वानों और व्यक्तित्वों द्वारा व्याख्यान, पैनल चर्चा, शैक्षिक फिल्मों को दिखाया जाना और आईकेएस पर प्रदर्षनियां शामिल थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 05 से 09 सितंबर, 2022 तक विभिन्न विषय विषयों पर 05 दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय स्तर की पैनल चर्चाओं का भी आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता अकादमिक क्षेत्र के प्रतिश्ठित पैनलिस्टों के साथ प्रतिश्ठित व्यक्तियों ने की। इस अवसर पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न हितधारकों के मुद्दों और चिंताओं का समाधान करने के लिए एकल खिड़की तंत्र के रूप में अनुसंधान अनुदान/ अध्येतावृत्ति योजनाओं और ई–समाधान पोर्टल का भी शुभारंभ किया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 07 जुलाई, 2022 को अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्‌घाटन किया, जिसमें 1200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कौशल और शिक्षा राज्य मंत्रियों की गरिमामय उपस्थिति में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के शुभ अवसर पर अपनी उद्‌घाटन टिप्पणियां की।

षिखर सम्मेलन ने एनईपी 2020 के प्रभावी, सुचारू और समय पर कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों के लिए एक साथ आने की गुंजाइष बनाई, विभिन्न उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच सुदृढ़ संबंध स्थापित किए, शिक्षा संस्थानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की और स्पष्ट समाधान प्रस्तुत किए। उच्चतर शिक्षा संस्थानों ने उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल को प्रदर्षित कर सर्वोत्तम पद्धतियों, सफलता के वृतांतों और पद्धतियों को साझा किया और भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भावी रुझानों को सीखने, पता लगाने और निश्पादित करने के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान किए। अखिल भारतीय शिक्षा समागम ने कार्यान्वयन को गति देने में मदद की है और सभी के लिए शैक्षणिक सर्वोत्तम पद्धतियों के नए क्षितिज खोले हैं।

एनईपी–2020 के विभिन्न पहलुओं और उनकी कार्यान्वयन संबंधी कार्यनीतियों और कार्य योजनाओं के लिए सावधानीपूर्वक और कड़ाई से विचार–विमर्श और सामंजस्य किए जाने की आवश्यकता है। एक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन करना और प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, बाधाओं को दूर करना भी महत्वपूर्ण है। एनईपी 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक रूपरेखा विकसित करने के लिए विश्वविद्यालयों को सुकर बनाने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 05 सितंबर, 2022 को केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ पांच क्षेत्रीय समितियों (दक्षिणी, उत्तरी, पष्चिमी, पूर्वोत्तर और पूर्वी और मध्य क्षेत्र) का गठन किया है। यह समितियां, अंचलों के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को एक साथ लाएंगी और उच्चतर शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न पहलों को अपनाने हेतु उनका मार्गदर्शन करेंगी,

एनईपी के कार्यान्वयन के लिए कार्यनीतियों और उनमें चुनौतियों पर विचार–विमर्श करेंगी और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करेंगी। यह क्षेत्र में विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा की गई पहल और प्रगति के प्रलेखन करने और संसूचित करने में भी मदद करेगा। समितियां, शीघ्र ही सभी हितधारकों के साथ नियमित रूप से परामर्श करेंगी। विभिन्न अंचलों में एनईपी 2020 को लागू करने के लिए कार्यनीतियों पर चर्चा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 22 दिसंबर, 2022 को क्षेत्रीय समितियों की पहली बैठक आयोजित की गई थी।

एनईपी, 2020 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों, विनियामक एजेंसियों और अन्य सभी संगत हितधारकों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। एनईपी को लागू किए जाने के बाद से ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एनईपी के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनेक पहलों का नेतृत्व कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों में 'अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' पर विनियम तैयार करना, शैक्षणिक कार्यक्रमों में बहु प्रवेश और निकास संबंधी दिशानिर्देश, विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी), संयुक्त और दोहरी उपाधि कार्यक्रमों के लिए विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ शैक्षिक सहयोग संबंधी विनियम, 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के लिए दिशानिर्देश, एक साथ दो शैक्षिक कार्यक्रमों में अध्ययन करने संबंधी दिशानिर्देश, 'इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम' संबंधी दिशानिर्देश, भारत में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के संबंध में दिशानिर्देश, स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या और 'क्रेडिट फ्रेमवर्क', पीएच.डी. उपाधि प्रदान किए जाने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएं, बहु–विषयक संस्थानों में परिवर्तन हेतु दिशानिर्देश, उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में पहुंच संबंधी दिशानिर्देश और मानक, ऑनलाइन और ओडीएल शिक्षा संबंधी विनियम, 'स्वयं' के माध्यम से 'क्रेडिट फ्रेमवर्क' पर विनियम, उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण संबंधी दिशानिर्देश, उच्चतर शिक्षा में वैश्विक नागरिकता शिक्षा संबंधी रूपरेखा, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठों की स्थापना संबंधी दिशानिर्देश, महिलाओं हेतु सुरक्षित परिवेश तैयार करने के लिए मूलभूत सुविधाओं और सुख–सुविधाओं पर स्नातकपूर्व शिक्षा संबंधी पाठ्यचर्या की रूपरेखा तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों में महिला प्रकोष्ठ (संवेदनशील बनाने, नीतिगत कार्यान्वयन, निगरानी और शिकायत निवारण के लिए), भारत 2.0 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने संबंधी दिशानिर्देश शामिल हैं।

सांख्यिकीः उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकास

अध्याय 2

2.1 उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात
2.2 विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों से संबंधित आंकड़े
2.3 छात्रों का नामांकन
2.4 आउट टर्न/पास आउट
2.5 शिक्षण स्टाफ
2.6 शिक्षणेत्तर स्टाफ
2.7 संस्थानों के लिए बुनियादी ढांचा

आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (एच) और धारा 12 (आई) के अधीन भारत तथा अन्य देशों में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर सूचना संग्रहीत करने की शक्ति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की गई है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति अथवा शुरु की गई विभिन्न अधिगम (learning) शाखाओं में अध्ययन की स्थिति तथा अधिगम की उक्त प्रत्येक शाखा के संदर्भ में अध्यापन एवं परीक्षा के मानकों से जुड़े सभी नियमों और विनियमों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करें।

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए प्रभावकारी और सूचनाप्रद नीति–निर्माण हेतु यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा क्षेत्र में समयबद्ध रूप से तथा गुणत्तात्मक डेटा प्राप्त किया जाए। उच्चतर शिक्षा सांख्यिकीय और जन सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस) योजना के तहत अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) का गठन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में किया गया था। उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों का सर्वेक्षण किया गया ताकि उच्चतर शिक्षा के विभिन्न मानदंडो पर एक ऑनलाइन वृहद सूचना संग्रहीत की जा सके। संपूर्ण सर्वेक्षण इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया गया और इसके लिए एक समर्पित पोर्टल (*http://aishe.gov.in*) विकसित किया गया, जिससे इस प्रक्रिया को पूरी तरह कागजरहित बना दिया। इस सर्वेक्षण का आशय उच्चतर शिक्षा प्रदान करने से जुड़े देश के सभी संस्थानों को कवर करना था। अध्यापकों, विद्यार्थियों के नामांकन, कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शिक्षण स्टाफ, शिक्षणेत्तर स्टाफ, वित्त अवसंरचना, आदि जैसे कई मापदंडों/पैरामीटर्स पर डेटा एकत्र किया जा रहा है। संस्थान में पंजीकृत कुल छात्रों की संख्या, सकल नामांकन अनुपात, छात्र–शिक्षक अनुपात, लैंगिक समानता सूचकांक आदि जैसे शैक्षिक विकास के संकेतकों का संगणन एआईएसएचई के माध्यम से एकत्रित किए गए आंकड़ों से किया जाता है। ये आंकड़े शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए नीतिगत निर्णय लेने और शोध करने में उपयोगी हैं। सर्वेक्षण वार्षिक आधार पर किया जा रहा है।

डेटा व आंकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिए नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की सहायता से एक समर्पित पोर्टल (*http://aishe.gov.in*) विकसित किया गया है। पोर्टल को ऐक्सेस करने तथा उसमें डेटा अपलोड करने के लिए सभी संस्थानों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होता है। संस्थानों के पंजीकरण को राज्य / केन्द्र स्तर पर उपर्युक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है और महाविद्यालय के मामले में विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। डीसीएफ (वितरित समन्वित कार्य) का ई–संस्करण संस्थान के ढ़ांचे / आकार के अनुसार बढ़ता रहता है। डेटा संग्रहित करने के लिए किसी भी अन्वेषक को संस्थान में नहीं भेजा जाता है। इसकी एक विशिष्ट विशेषता यह है कि भरे हुए डीसीएफ हमेशा पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं, जिन्हें संस्थान तथा उच्च स्तर के प्राधिकारियों द्वारा ऐक्सेस किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना तथा सांख्यिकी ब्यूरो ने सीधे विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों से डेटा संग्रहित करना बंद कर दिया है। अखिल भारतीय स्तर पर आंकड़ों का संकलन तथा आकलन *http://aishe.gov.in* पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष, सर्वेक्षण रिपोर्ट विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा स्टैंडालोन उच्चतर शिक्षा संस्थानों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बड़ी संख्या के मानदंडों पर आधिकारिक आंकड़े प्रकाशित करती है।

एआईएसएचई पोर्टल, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों के नामांकन, विदेशी छात्रों, आउट–टर्न/पास आउट्स और शिक्षण स्टाफ और शिक्षणेत्तर स्टाफ पर शैक्षिक आंकड़े तैयार करने के लिए एकमात्र सूचना स्रोत है। एआईएसएचई 2021–22 उच्चतर शिक्षा के विभिन्न मापदंडों पर सांख्यिकीय आंकड़े तैयार करने के अंतिम चरण में है। तथापि, वर्ष 2021–22 और 2022–23 के लिए एआईएसएचई रिपोर्ट को अभी प्रकाशित नहीं किया गया है। इसलिए, उच्चतर शिक्षा के सांख्यिकीय आंकड़े विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 में वर्ष 2022–23 के लिए तैयार नहीं किए जा सके।

नई शिक्षा नीति(एनईपी) 2020 के आलोक में तथा देश में संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में आमूल–चूल परिवर्तन करने हेतु नीति निर्धारण करने और देश में उच्चतर शिक्षा की स्थिति तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं वैश्विक संकेतकों का निर्धारण करने के लिए उच्चतर शिक्षा पर डेटा संग्रहण और सांख्यिकीय विश्लेषण अब पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

2.1 उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) (18–23 वर्ष) (2020–21)

भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 27.30% है, जिसका परिकलन 18–23 वर्ष आयु वर्ग के लिए किया गया है। पुरुष जनसंख्या के लिए जीईआर 26.7% और महिलाओं के लिए यह 27.9% है। (2021–22 और 2022–23 के संदर्भ में सकल नामांकन अनुपात उपलब्ध नहीं है)

तालिका 2.1 उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (2012–13 से 2020–21 के दौरान)

वर्ष	जीईआर
2012–13	21.50
2013–14	23.00
2014–15	24.30
2015–16	24.50
2016–17	25.20
2017–18	25.80
2018–19	26.30
2019–20	27.10
2020–21	27.30

(स्रोतः एआईएसएचई रिपोर्ट)

ग्राफ 2.1ः वर्ष 2012–13 से 2020–21 में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात

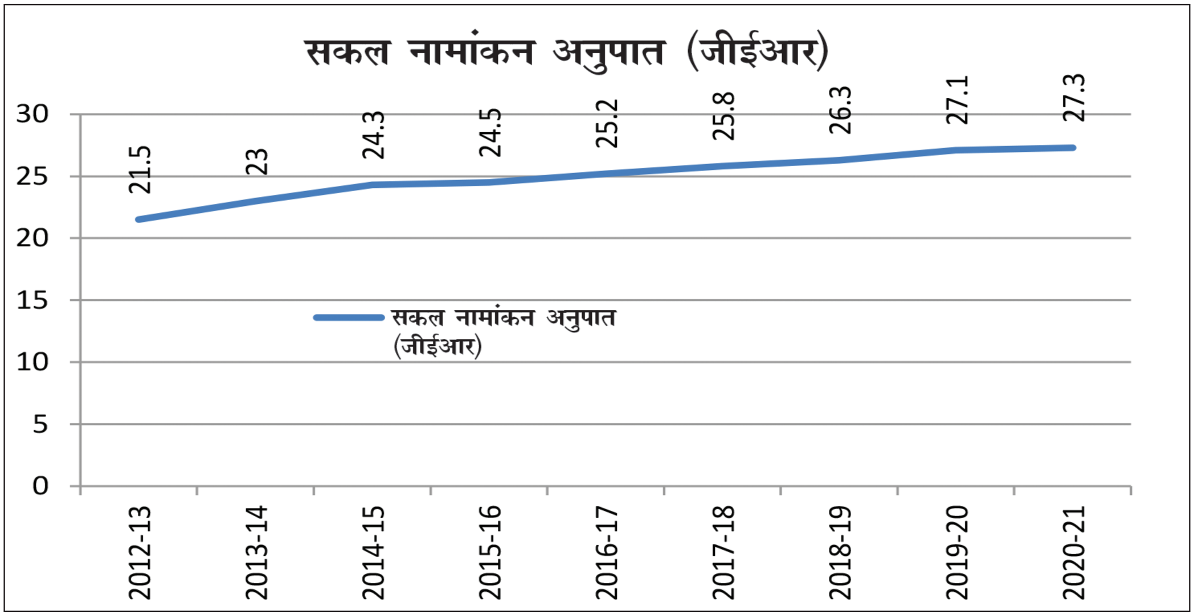

2.2 विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों से संबंधित आंकड़े

2.2 (i) विश्वविद्यालय

विभिन्न प्रकार के डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय–स्तरीय संस्थान हैं, अर्थात ऐसे संस्थान जिन्हें संसद या राज्य विधानमंडल के कुछ अधिनियम के तहत डिग्री प्रदान करने की शक्ति हैः (1) केंद्रीय विश्वविद्यालय (2) राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय (3) राज्य निजी विश्वविद्यालय (4) सम विश्वविद्यालय संस्थान (5) राज्य विधानमंडल के तहत स्थापित संस्थान (6) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और अन्य।

2.2 (i) (क): यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) और 12बी के तहत यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालय

31 मार्च 2023 तक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 56 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 465 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, 433 राज्य निजी विश्वविद्यालयों, राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत स्थापित 4 संस्थानों और 127 सम विश्वविद्यालय संस्थानों को सूचीबद्ध किया है।

01.04.2022 से 31.03.2023 तक, 15 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 24 राज्य निजी विश्वविद्यालय और 1 सम विश्वविद्यालय संस्थान को विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल तथा राज्य विधानमंडल के तहत स्थापित नहीं किए गए संस्थान को शामिल नहीं किया गया है।

तालिका 2.2(i)(क)(i) 01.04.2022 से 31.03.2023 तक विश्वविद्यालयों की यूजीसी सूची में जोड़ी गई राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की राज्य–वार सूची

क्र. सं.	राज्य विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तारीख	शामिल करने की तारीख
अरुणाचल प्रदेश			
1.	अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश	01.07.2022	21.07.2022
बिहार			
2.	बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना, बिहार–800001	01.07.2022	24.03.2023
गुजरात			
3.	गुजरात प्राकृतिक खेती और जैविक कृषि विश्वविद्यालय (पूर्व में गुजरात जैविक कृषि विश्वविद्यालय), एटीआईसी भवन, बोरसाद चोकड़ी, आनंद, गुजरात– 388001	09.05.2022	17.10.2022
हिमाचल प्रदेश			
4.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी, हिमाचल प्रदेश, वल्लभ राजकीय महाविद्यालय परिसर, प्रशासनिक ब्लॉक, मंडी सदर, मंडी– 175001, हिमाचल प्रदेश	01.04.2022	13.06.2022
झारखंड			
5.	जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर, झारखंड– 831001	15.02.2019	20.01.2023
महाराष्ट्र			
6.	सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वेलेस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे– 411005 महाराष्ट्र	21.06.2022	17.03.2023
7.	महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय, प्रथमतल, एलफिंस्टन तकनीकी उच्च स्कूल, 3 महापालिका मार्ग, मेट्रो चौक, मुंबई –400001, महाराष्ट्र	14.04.2021	10.10.2022
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली			
8.	दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय, पी 625 और 745, औटर्म लेन, नई दिल्ली	26.01.2022	29.04.2022
राजस्थान			
9.	एम.बी.एम विश्वविद्यालय, जोधपुर 342011, राजस्थान	24.09.2021	11.05.2022
त्रिपुरा			
10.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, त्रिपुरा, नरसिंहगढ़, त्रिपुरा– 799009	18.04.2022	06.02.2023
उत्तर प्रदेश			
11.	मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर, पुंवारका, सहारनपुर–247120, उत्तर प्रदेश	02.12.2021	16.09.2022

क्र. सं.	राज्य विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तारीख	शामिल करने की तारीख
12.	राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	15.06.2021	13.05.2022
पश्चिम बंगाल			
13.	बिस्वा बांग्ला बिस्वबिद्याले, बोलपुर बीरभूम– 731235, पश्चिम बंगाल	10.12.2020	08.04.2022
14.	दार्जिलिंग हिल्स विश्वविद्यालय, जोगीघाट मंगपु, जिला–दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल– 734313	13.09.2022	30.09.2022
पुदुचेरी			
15.	पुदुचेरी टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय, पिल्लैचावडी, पुदुचेरी– 605014	05.09.2020	02.05.2022

तालिका 2.2(i)(क)(ii) विश्वविद्यालयों की यूजीसी सूची में सम्मिलित की गई राज्य निजी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची (01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान)

क्र. सं.	राज्य निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	शामिल करने की तारीख
असम			
1.	गिरिजानंद चौधरी विश्वविद्यालय असम, हथखोवापारा, अजारा, गुवाहाटी – 781017, जिला कामरूप (मेट्रो), असम (निजी विश्वविद्यालय)	17.10.2022	24.11.2022
2.	प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय, हाजोंगबाड़ी, पीओ–पनबारी मौजा के अंतर्गत चंद्रपुर, कामरूप, मेट्रोपॉलिटन जिला, गुवाहाटी, असम– 781050	17.10.2022	25.11.2022
गोवा			
3.	इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च, उपासनगर, सांकोले, एयरपोर्ट रोड, साउथ गोवा, गोवा– 403710 (निजि विश्वविद्यालय)	15.09.2022	09.11.2022
गुजरात			
4.	अडानी विश्वविद्यालय, शांतिग्राम टाउनशिप, वैष्णोदेवी सर्कल के पास, एसजी राजमार्ग, अहमदाबाद– 382421, गुजरात	01.06.2022	21.07.2022
5.	डॉ सुभाष विश्वविद्यालय, डॉ सुभाष रोड, जूनागढ़– 362001, गुजरात	01.06.2022	30.08.2022
6.	गांधीनगर विश्वविद्यालय, गांवः मोती भोयन, खटराज–कलोल रोड, ताल–कलोल, जिला– गांधीनगर– 382721, गुजरात	01.06.2022	25.07.2022
7.	लोकभारती यूनिवर्सिटी फॉर रूरल इनोवेशन, सनोसारा, टी. सिहोर, जिला भावनगर– 364230, गुजरात	01.06.2022	12.08.2022
8.	मगनभाई अदनवाला महागुजरात विश्वविद्यालय, आई.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय, महाविद्यालय रोड, नडियाद– 387001, गुजरात	01.06.2022	25.07.2022
9.	नोबल विश्वविद्यालय, नोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, पार्थ वाटिका, भेसन रोड, रमंगम के पास, टीए. एवं जिला जूनागढ़– 362310, गुजरात (निजी विश्वविद्यालय)	01.06.2022	05.09.2022
10.	स्किप्स विश्वविद्यालय, प्लॉट नं. 411, सनावद, कलोल, गांधीनगर– 382721, गुजरात	01.09.2022	01.09.2022
11.	स्वामीनारायण विश्वविद्यालय, श्री स्वामीनारायण विश्वमंगल गुरुकुल, अहमदाबाद–मेहसाणा राजमार्ग, एटी एंड पीओ– सैज, ताल–कलोल, जिला– गांधीनगर– 382725, गुजरात	01.06.2022	20.07.2022
12.	ट्रांसस्टेडिया विश्वविद्यालय, कांकरिया गेट नंबर 3 के सामने, कांकरिया, अहमदाबाद– 380022, गुजरात	01.06.2022	15.09.2022
13.	विद्यादीप विश्वविद्यालय, एटी एंड पीओ अनीता (किम), ताल ओलपाड, जिला सूरत– 394110, गुजरात	01.06.2022	01.09.2022
कर्नाटक			
14.	चाणक्य विश्वविद्यालय, ब्रिगेड ऑर्चर्ड, रायसंद्रा गांव, कसाबा होबली, देवनहल्ली तालुक, बेंगलुरु ग्रामीण जिला, कर्नाटक	05.03.2022	26.04.2022
15.	श्री जगद्गुरु मुरुगराजेंद्र विश्वविद्यालय, एसजेएम कैमस, चित्रदुर्ग– 577502, कर्नाटक	13.06.2022	27.07.2022
16.	सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय, पीओ बॉक्स 27094, 36, लालबाग रोड, बेंगलुरु– 560027, कर्नाटक	02.07.2022	10.10.2022

क्र. सं.	राज्य निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि	शामिल करने की तारीख
17.	विद्याशिल्प विश्वविद्यालय, नंबर 125 बेट्टेनाहल्ली, कुंडाना होबली, चप्परकल्लू रोड, बेंगलुरु– 562110, कर्नाटक	20.06.2022	24.06.2022
महाराष्ट्र			
18.	एनआईसीएमएआर विश्वविद्यालय, बिल्डिंग न./प्लॉट नं.25/1, एनआईए डाकघर, बालेवाड़ी, तालुका हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र– 411045	09.06.2022	12.08.2022
मध्य प्रदेश			
19.	डॉ. प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ग्राम दिनारा, तेह–करेरा, जिला– शिवपुरी, मध्य प्रदेश 473665	17.10.2022	25.01.2023
20.	शुभम विश्वविद्यालय, सेमरा सैयद, तहसील– हुजूर, जिला– भोपाल– 462010, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	17.10.2022	20.01.2023
21.	विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर, गांव– रतवाई, चितोरा रोड, बड़ा गांव, मुरार, ग्वालियर– 474009, मध्य प्रदेश	17.10.2022	04.11.2022
मणिपुर			
22.	खोंगनांगथाबा विश्वविद्यालय, खुरई कोंसम लेइकाई, इंफाल पूर्व जिला– 795010, मणिपुर	23.02.2021	02.06.2022
सिक्किम			
23.	सिक्किम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, पी.ओ. श्रीबादम, पी.एस. कालुक, पश्चिम सिक्किम– 737121	07.07.2021	18.07.2022
उत्तर प्रदेश			
24.	आईआईएलएम विश्वविद्यालय, प्लॉट नं. 16–18, नॉलेज पार्क–2, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश– 201308	03.06.2022	20.07.2022

तालिका 2.2(i)(क)(iii): 01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान विश्वविद्यालयों की यूजीसी सूची में जोड़ी गई सम–विश्वविद्यालय संस्था की राज्यवार सूची

क्र. सं.	सम विश्वविद्यालयों का नाम	अधिसूचना की तिथि
तेलंगाना		
1.	अरोरा उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, उप्पल, हैदराबाद	28.10.2022

2.2 (i) (क) (iv) 01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान विश्वविद्यालयों की यूजीसी सूची में राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत स्थापित नहीं किए संस्थान को नहीं जोड़ा गया है।

01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान, 2 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, 2 राज्य निजी विश्वविद्यालय अधिनियमों को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 बी के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया गया था।

तालिका 2.2(i)(क)(v) 01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत शामिल राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना/ अधिसूचना की तिथि	यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 बी के तहत यूजीसी सूची में शामिल करने की तिथि
गुजरात			
1.	भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बिल्खा रोड, खाडिया, जूनागढ़ – 362640, गुजरात	28.09.2015	06.03.2023
2.	भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थान, सरकारी महाविद्यालय परिसर, महात्मा मंदिर के पास, जी–4, सेक्टर–15, गांधीनगर – 382016, गुजरात	2010	26.08.2022

तालिका 2.2 (i) (क) (vi) 01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 बी के तहत शामिल राज्य निजी विश्वविद्यालयों की सूची **

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम और पता	आयोग की बैठक	यूजीसी पत्र सं. और तारीख
1	मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर राजस्थान – 332311 (निजी विश्वविद्यालय)	560वी बैठक दिनांक 18.08.2022	एफ.एन.8–8/2014 (सीपीपी–आई/पीयू) दिनांक 26.08.2022 (**)
2.	चितकारा विश्वविद्यालय, चंडीगढ़–पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच –64), गांव झांसला, तहसील राजपुरा, जिला – पटियाला, पंजाब – 140401 (निजी विश्वविद्यालय)	560वीं बैठक 23.02.2023	एफ.एन.9–12/2008 (सीपीपी–आई/पीयू) दिनांक 04.03.2023 (**)

2.2(i) (क) (vii) 01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12बी के तहत कोई सम–विश्वविद्यालय संस्थान शामिल नहीं हैं।

2.2 (i) (क) (viii) 01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 बी के तहत राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत स्थापित नहीं किए गए संस्थान को शामिल नहीं किया गया है।

2.2 (i) (ख): 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों की प्रकृति–वार संख्या

तालिका 2.2 (i) (ख): 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों * की प्रकृति–वार संख्या

क्र. सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान का प्रकार	विश्वविद्यालयों/संस्थानों की संख्या (31.03.2022 तक)	यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 बी के तहत केंद्रीय सहायता के लिए पात्र विश्वविद्यालयों की संख्या (31.03.2023 तक)
1	केंद्रीय विश्वविद्यालय	56	
2	राज्य विश्वविद्यालय*	465	267
3	राज्य निजी विश्वविद्यालय*	433	26
4	राज्य विधान के माध्यम से स्थापित संस्थाएं	4	–
5	सम–विश्वविद्यालय संस्थाएं*	127	49
	कुल	1085	342

*यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के तहत यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालय/संस्थान

ग्राफ 2.2 (i) (ख): 31.03.2023 को विश्वविद्यालयों की प्रकृति–वार संख्या

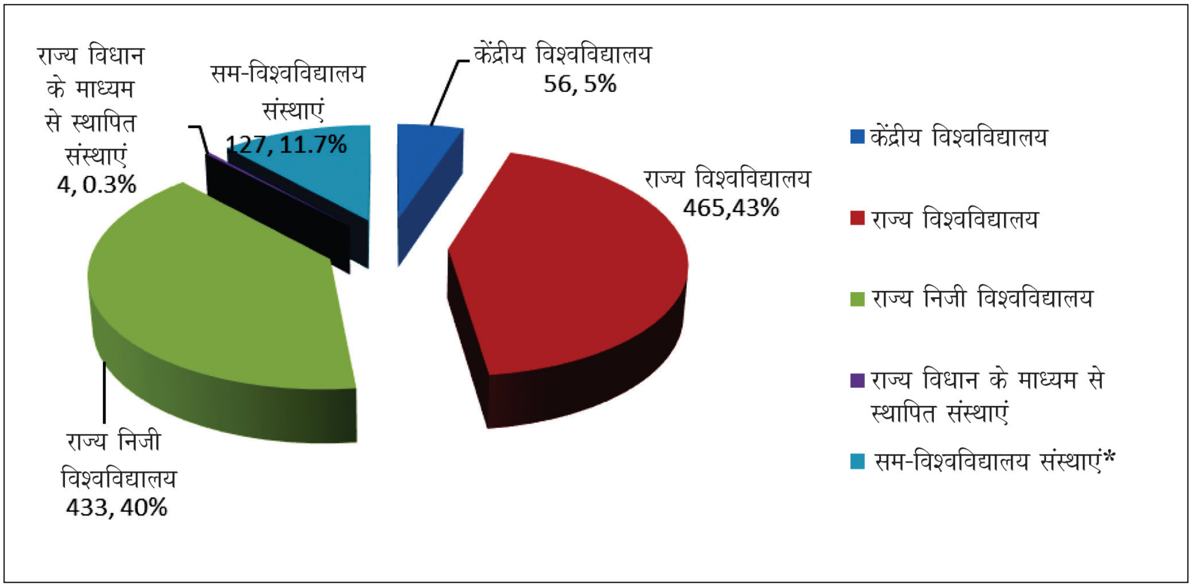

क्र. स.	राज्य / सं.रा.क्षे.	विश्वविद्यालय की स.						12 वी के तहत विश्वविद्यालय		
		कुल	केन्द्रीय विश्व विद्यालय	राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय	राज्य निजि विश्वविद्यालय	सम विश्वविद्यालय संस्थान	राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान	राज्य सार्वजनिक विश्व विद्यालय	राज्य निजि विश्वविद्यालय	सम विश्वविद्यालय संस्थान
1.	आंध्र प्रदेश	40	3	27	6	4	.	16	.	4
2.	अरूणाचल प्रदेश	11	1	1	8	1	.	.	.	
3.	असम	29	2	18	8	1	.	7	2	.
4.	बिहार	32	4	19	7	1	1	10	.	
5.	चंडीगढ़	2	.	1		1	.	1	.	
6.	छत्तीसगढ़	32	1	16	15	.	.	5	2	
7.	दिल्ली	27	7	11	.	9	.	7	.	5
8.	गोवा	2	.	1	1	.	.	1	.	
9.	गुजरात	95	2	30	60	3	.	17	1	2
10.	हरियाणा	52	1	20	25	6	.	12	2	1
11.	हिमाचल प्रदेश	26	1	8	17	.	.	3	.	
12.	जम्मू एवं कश्मीर	13	2	9	.	1	1	6	.	
13.	झारखंड	30	1	12	16	1	.	6	.	
14.	कर्नाटक	74	1	34	25	14	.	20	1	5
15.	केरल	19	1	15	.	3	.	10	.	1
16.	लद्धाख	2	1	1	.	.	.			
17.	मध्य प्रदेश	70	2	24	43	1	.	16	.	1
18.	महाराष्ट्र	71	1	27	22	21	.	19	1	10
19.	मणिपुर	11	3	3	5	.	.	.	.	
20.	मेघालय	10	1	.	9	.	.	.	.	
21.	मिजोरम	2	1	.	1	.	.	.	.	
22.	नागालैंड	5	1	.	4	.	.	.	.	
23.	ओडिशा	34	1	22	8	3	.	12	2	2
24.	पुदुचेरी	3	1	1	.	1	.	.	1	
25.	पंजाब	35	1	14	18	2	.	7	3	.
26.	राजस्थान	87	1	26	52	8	.	12	4	3
27.	सिक्किम	11	1	2	8	.	.			
28.	तमिलनाडु	52	2	22	4	28	1	21	.	10
29.	तेलंगाना	24	3	17	5	4	.	13	.	1
30.	त्रिपुरा	4	1	2	1	.	.	1	.	
31.	उत्तर प्रदेश	83	6	34	33	9	1	20	7	1
32.	उत्तराखंड	36	1	11	21	3	.	4	1	1
33.	पश्चिम बंगाल	51	1	37	11	2	.	21	.	1
कुल		**1085**	**56**	**465**	**433**	**127**	**4**	**267**	**26**	**49**

4 संघ राज्य क्षेत्रों नामतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप में कोई विश्वविद्यालय नहीं है।

ग्राफ 2.2 (i) (ख) (i): 31.03.2023 तक यूजीसी अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्य–वार संख्या

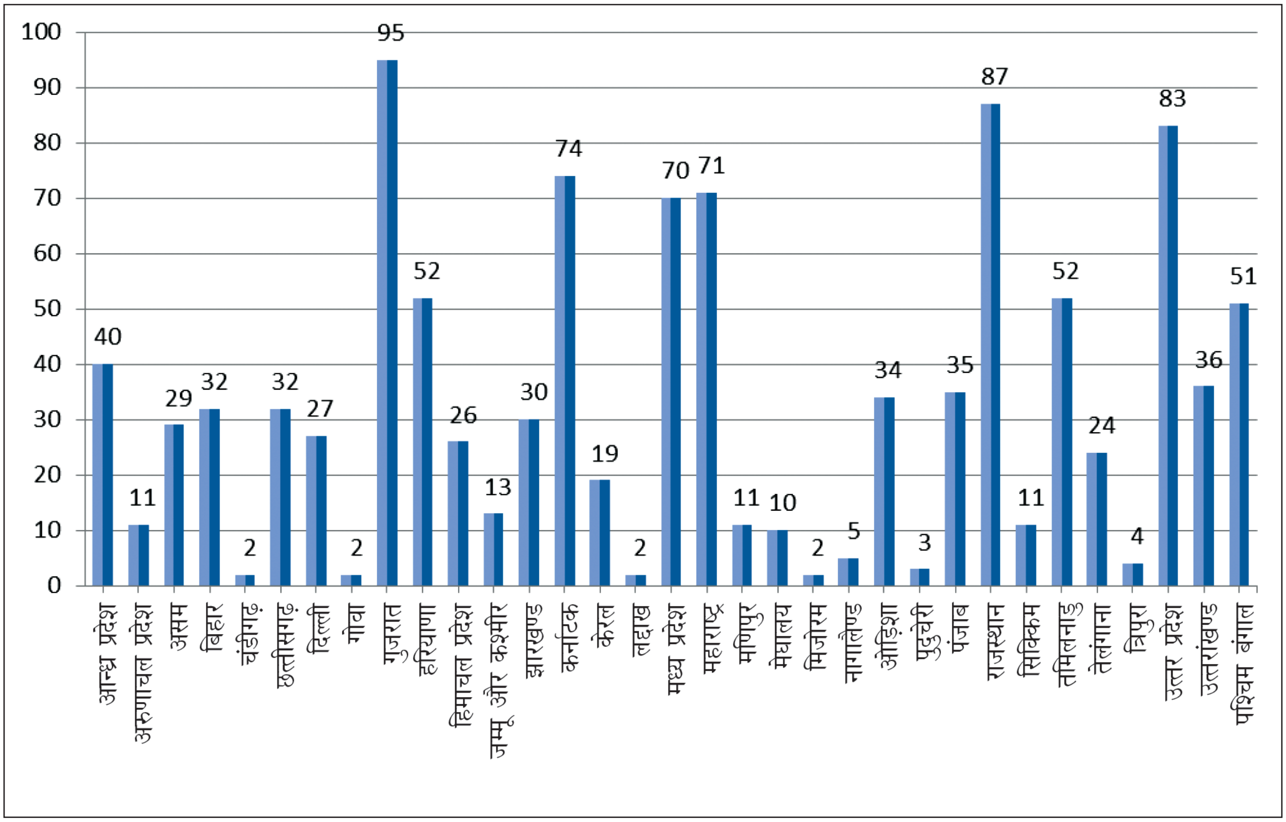

- 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची तालिका 2.2(i)(ख)(ii) में दी गई है।
- 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की सूची तालिका 2.2 (i) (ख) (iii) में दी गई है।
- 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार राज्य निजी विश्वविद्यालयों की सूची तालिका 2.2 (i) (ख) (iv) में दी गई है।
- 31.03.2023 तक राज्य विधायी अधिनियम के तहत स्थापित संस्थानों की सूची तालिका 2.2 (i) (ख) (v) में दी गई है।
- दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार सम–विश्वविद्यालय संस्थाओं की सूची तालिका 2.2 (i)(ख) (vi) में दी गई है।

तालिका 2.2(i)(ख) (ii) 31.03.2023 तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची

आंध्र प्रदेश			
1	आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम	2018	http://www.cuap.ac.in
2	आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश -535008	2019	http://www.ctuap.in
3	राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	1987 (केंद्रीय 2020 से)	http://nsktu.ac.in
अरुणाचल प्रदेश			
4	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, पी.ओ. दोईमुख, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश - 791 112	1985 (केंद्रीय 2007 से)	http://www.rgu.ac.in
असम			
5	असम विश्वविद्यालय, पीओ: असम विश्वविद्यालय, सिलचर - 788 011	1994	http://www.aus.ac.in
6	तेजपुर विश्वविद्यालय, जिला सोनितपुर, पी.बी.नं.72, नापाम, तेजपुर, असम - 784028	1994	http://www.tezu.ernet.in
बिहार			
7	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, एसएच -7, गया-पंचनपुर रोड, गांव-करहरा, डाक-फतेहपुर, पीएस-टेकारी, जिला गया, बिहार-824236	2009	http://www.cub.ac.in

8	डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर-848125, बिहार	1970 (केंद्रीय 2016 से)	http://www.rpcau.ac.in
9	नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला - नालंदा - 803 116, बिहार (केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित)	2010	http://www.nalandauniv.edu.in
10	महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, जिला - पूर्वी चंपारण, बिहार -845401	2014	http://www.mguniversity.ac.in
छत्तीसगढ़			
11	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, मुख्य परिसर, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495 009	1983 (केंद्रीय 2009 से)	http://www.ggu.ac.in
दिल्ली			
12	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110 068	1985	http://www.ignou.ac.in
13	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110025	1988	http://www.jmi.nic.in
14	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली - 110 067	1969	http://www.jnu.ac.in
15	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, कटवारिया सराय, नई दिल्ली	1987 (केंद्रीय 2020 से)	http://www.slbsrsv.ac.in
16	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली	2002, (केंद्रीय 2020 से)	http://www. Sanskrit.nic.in
17	दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, अकबर भवन चाणक्यपुरी, नई दिल्ली (केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित)	2010	http://www.southasianuniversity. Org
18	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 110 007	1922	http://www.du.ac.in
गुजरात			
19	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर -29, गांधीनगर -382 029	2009	http://www.cug.ac.in
20	गति शक्ति विश्वविद्यालय, वडोदरा		
हरियाणा			
21	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जांट - पाली, जिला -महेंद्रगढ़, हरियाणा-123029	2009	http://www.cuh.ac.in
हिमाचल प्रदेश			
22	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, पीओ बॉक्स नंबर 21, धर्मशाला, जिला- कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश -176215	2009	http://www.cuhimachal.ac.in
जम्मू और कश्मीर			
23	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, ट्रांजिट कैंपस, सोनवार, जीबी पंत अस्पताल के पास, श्रीनगर - 190 005 (जम्मू और कश्मीर)	2009	http://www.cukashmir.ac.in
24	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, बागला (रह्या-सुचानी), जिला सांबा, जम्मू - 181 143 (जम्मू और कश्मीर)।	2009	http://www.cujammu.ac.in
झारखंड			
25	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रातू लोहारगेज रोड, ब्राम्बे, रांची - 835 205, झारखंड	2009	http://www. cuj.ac.in
कर्नाटक			
26	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, कडगांची, अलंद रोड, आलैंड तालुक, गुलबर्गा (जिला) - 585 311, कर्नाटक	2009	http://www.cuk.ac.in
केरल			
27	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, तेजस्विनी हिल्स, पेरिये (पीओ) पीओ, कासरगोड - केरल -671316	2009	http://www. cukerala.ac.in
लद्दाख			
28	सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, मेलोग्नथांग लेह-लद्दाख, एफआरएल-194101 के पास		
मध्य प्रदेश			
29	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश-470 003	1946 (केंद्रीय 2009 से)	http://www.dhsgsu.ac.in
30	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मकल सदन, अमरकंटक, मध्य प्रदेश -484886	2008	http://www.igntu.nic.in
महाराष्ट्र			
31	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, मानस मंदिर पीओ, वर्धा, महाराष्ट्र - 442005	1997	http://www.hindivishwa.org
मणिपुर			
32	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल-795 004	1993	http://www. cau.org.in
33	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इम्फाल, मणिपुर - 795 003	1980 (केंद्रीय 2005 से)	http://www.manipuruniv.ac.in
34	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, कौत्रुक, मणिपुर -795146	2018	www.nsu.ac.in
मेघालय			
35	नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, एनईएचयू कैंपस, शिलांग, मेघालय - 793 022	1973	http://www.nehu.ac.in
मिजोरम			
36	मिजोरम विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नंबर 910, आइजोल, मिजोरम - 796 012	2000	http://www.mzu.edu.in

नागालैंड			
37	नागालैंड विश्वविद्यालय, कैंपस कोहिमा, मुख्यालय लुमानी, नागालैंड - 797001	1994	http://www.nagalanduniversity. ac.in
ओडिशा			
38	उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय, लांडीगुडा, कोरापुट, ओडिशा - 764 020	2009	http://www.cuo.ac.in
पुदुचेरी			
39	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, आर वेंकटरमन नगर, कालापेट, पुडुचेरी - 605 014	1985	http://www.pondiuni.edu.in
पंजाब			
40	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, मनसा रोड, बठिंडा, पंजाब - 151 001।	2009	http://www.cup.ac.in
राजस्थान			
41	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, 8, बंदर सिंदरी, जिला अजमेर - 305 801, राजस्थान	2009	http://www.curaj.ac.in
सिक्किम			
42	सिक्किम विश्वविद्यालय, 6 वां मील, समदुर, पीओ तडोंग, गंगटोक, सिक्किम -737102	2007	http://www.cus.ac.in
तमिलनाडु			
43	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, नीलाकुडी कैंपस, कंगालानचेरी (पोस्ट), तिरुवरूर - 610 101, तमिलनाडु	2009	http://www.cutn.ac.in
44	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, ईस्ट कोस्ट रोड, उत्तांडी चेन्नई - 600 119	2008	http://www.imu.edu.in
तेलंगाना			
45	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, ओयू कैंपस, हैदराबाद, तेलंगाना - 500 007	1973 (केंद्र 2007 से)	http://www. efluniversity. ac.in
46	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गाचीबोवली, हैदराबाद, तेलंगाना - 500 032	1998	http://www.manuu.ac.in
47	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना - 500 046	1974	http://www.uohyd.ac.in
त्रिपुरा			
48	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर, अगरतला, त्रिपुरा - 799 130	1987	http://www.tripurauniv.in
उत्तर प्रदेश			
49	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202 002	1920	http://www.amu.ac.in
50	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद-211 002	1887	http://www.allduniv. ac.in
51	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ-226 025	1996	http://www.bbau.ac.in
52	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221 005.	1916	http://www.bhu.ac.in
53	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश		
54	रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश-284003	2014	http://www.rlbcau.ac.in
उत्तराखंड			
55	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल - 246 174	1973 (केंद्र 2009 से)	http://www.hnbgu.ac.in
पश्चिम बंगाल			
56	विश्व भारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल - 731 235	1951	http://www.visva-bharati.ac.in

(+) यूजीसी द्वारा वित्तपोषित नहीं है क्योंकि ये विश्वविद्यालय सीधे भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं।

नोट: दस विश्वविद्यालय नामत: (i) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, (iii) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई-600119, (iv) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, (v) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (vi) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश (vii) नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार (viii) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार (ix) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, कौतरुक, मणिपुर (x) गति शक्ति विश्वविद्यालय, वडोदरा को विश्ववविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है क्योंकि ये सीधे भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित होते हैं।

तालिका 2.2 (i) (ख) (iii) 31.03.2023 तक राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की सूची

(* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत शामिल है और केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है)

क्र. सं.	स्थान/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना वर्ष	डब्ल्यूईबी
आंध्र प्रदेश			
1	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, गुंटूर -522 510*	1976	http://www.anu.ac.in
2	आंध्र केसरी विश्वविद्यालय, परनामित्ता, ओंगोल, प्रकाशम जिला 523225, आंध्र प्रदेश	11.01.2022	
3	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, गुंटूर -522034	1964	http://www.angrau.ac.in
4	आदिकवि नन्नाया विश्वविद्यालय, जया कृष्णपुरम, राजमुंदरी -533 105, आंध्र प्रदेश*	2006	http://www.nannayauniversity. info
5	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम -530 003*	1926	http://www.andhrauniversity.edu. in
6	क्लस्टर विश्वविद्यालय, बी-कैंप, सिल्वर जुबली सरकारी महाविद्यालय परिसर, कुरनूल- 518002, आंध्र प्रदेश	07.01.2020	
7	दामोदरम संजीवय्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (पूर्व में ए.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ), पैलेस लेआउट, पेडावाल्टेयर, विशाखापत्तनम -530 017 (ए.पी.)*	2008	http://www.dsnlu.ac.in

क्र. सं.	स्थान/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना वर्ष	डब्ल्यूईबी
8	डॉ अब्दुल हक उर्दू विश्वविद्यालय, कुरनूल- 518001, आंध्र प्रदेश	14.12.2018	http://ahuuk.ac.in/
9	डॉ. एन.टी.आर. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (पूर्व में आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय), विजयवाड़ा -520 008	1986	http://www.ntruhs.ap.nic.in
10	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, एचेरला - 532 410 श्रीकाकुलम*	2008	http://www.brau.in
11	द्रविड़ विश्वविद्यालय, कुप्पम -517 425*	1997	http://www.dravidianuniversity. ac.in
12	डॉ. वाई.एस.आर. बागवानी विश्वविद्यालय, पीओ बॉक्स नंबर 7, वेंकटरमन्नागुडेम, पश्चिम गोदावरी जिला - 536 101	2011	http://www.drysrhu.edu.in
13	डॉ. वाई.एस.आर. आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी, कडप्पा, आंध्र प्रदेश	07.01.2020	http://www.ysrafu.ac.in/
14	जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अनंतपुर *	2008	http://www.jntua.ac.in
15	जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काकीनाडा *	2008	http://www.jntuk.edu.in
16	जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय- गुरजाडा, विजयनगरम (जेएनटीयू-जीवी), विजयनगरम-535003, आंध्र प्रदेश	12.01.2022	
17	कृष्णा विश्वविद्यालय, आंध्र जतेय कलाशाला, कैंपस, राजूपेटा, मछलीपटनम - 521 001	2008	http://www.krishnauniversity. ac.in
18	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज आंध्र प्रदेश, वी.आर. मेंशन, कुंचनपल्ली, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश-522501*	01.06.2016	http://www.rguktn.ac.in
19	रायलसीमा विश्वविद्यालय, कुरनूल - 518 002 *	2008	http://rayalseemauniversity.ac.in
20	श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, अनंतपुर-515 003 *	1981	http://www. skuniversity.org
21	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालयम, तिरुपति-517 502. *	1983	http://www. spmvv. ac.in
22	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति-517 507. *	1954	http://www. svuniversity.in
23	श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय, पुरंदरदास परिसर, प्रकाशम रोड, तिरुपति	2006	http://www. svvedicuniversity. org
24	श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, प्रशासन कार्यालय, क्षेत्रीय पुस्तकालय भवन, तिरुपति - 517 502	2005	http://www.svvu.edu.in
25	श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तिरुपति - 517 507 *	1993	http://www.svimstpt.ap.nic.in
26	विक्रम सिम्हापुरी विश्वविद्यालय, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश-524320 *	2008	http://www. simhapuriuniv. ac.in
27	योगी वेमना विश्वविद्यालय, वेमनापुरम, कडप्पा -516 003*	2006	http://www. yogivemanauniversity. ac.in
अरुणाचल प्रदेश			
28	अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश	01.07.2022	
असम			
29	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट- 785 013 *	1968	http://www.aau.ac.in
30	असम राजीव गांधी सहकारी प्रबंधन विश्वविद्यालय, शिवसागर, गुवाहाटी, असम	2010	http://www. argucom.org.in
31	असम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काहिलीपारा, गुवाहाटी -19, असम	2011	http://www.astu.org.in
32	असम महिला विश्वविद्यालय, जोरहाट - 785004	2013	http://www. awu.ac.in
33	भट्टदेव विश्वविद्यालय, बजली, पाठशाला-785004, असम	25.10.2017	info@bhattadevuniversity.ac.in
34	बीरंगाना सती साधनी राज्यिक विश्वविद्यालय, गोलाघाट -785621, असम	19.10.2020	http://www.bssrv.ac.in/
35	बोडोलैंड विश्वविद्यालय, देबरागांव, पीओ रंगलीखाता, कोकराझार -783 370, बीटीसी, असम *	2009	http://www.bodolanduniversity. ac.in
36	कॉटन महाविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी, पानबाजार, गुवाहाटी, असम *	2011	http://www.ccsu.ac.in
37	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़-786 004 *	1965	http://www.dibru.ac.in
38	गौहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी- 781 014 *	1948	http://www.gauhati.ac.in
39	कृष्णा कांता हांडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, लास्ट गेट, दिसपुर, गुवाहाटी - 781 006	2007	http://www.kkhsou.in
40	कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत और प्राचीन अध्ययन विश्वविद्यालय नलबाड़ी - 781 337 *	2011	http://www.kbvsasu.in
41	माधवदेव विश्वविद्यालय, पीओ - दिकरोंग -784164, नारायणपुर, लखीमपुर, असम	01.06.2018	https://www.madhabdevuniversity. org.in
42	माजुली संस्कृति विश्वविद्यालय, माजुली, असम	01.06.2018	
43	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी, एनईजेओटी भवन, बी.के. ककाती रोड, भोलानाथ मंदिर पथ, उलुबारी, गुवाहाटी -781 007 *	2012	http://www.nluassam.ac.in
44	रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, होजई -782435, असम	25.10.2017	www.rntu.ac.in
45	श्रीमंत शंकरदेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नरकासुर हिलटॉप, भंगागढ़, गुवाहाटी, असम	2007	http://www.ssunhs.in
46	श्री श्री अनिरुद्धदेव खेल विश्वविद्यालय, छाबुआ, बिबूगढ़, असम	22.06.2020	http://www.sasu.ac.in
बिहार			
47	आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फार्म क्षेत्र, मीठापुर, पटना - 800 001, बिहार	2008	http://www.akubihar.ac.in
48	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर-842 001 *	1952	http://www.brabu.net
49	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर -813210	2010	http://www. bausabour.org.in

क्र. सं.	स्थान/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना वर्ष	डब्ल्यूईबी
50	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर, पटना- 800014, बिहार	29.08.2018	https://www.basu.org.in/
51	बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना, बिहार -800001	01.07.2022	
52	भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा -852 113 *	1993	http://www.bnmu.bih.nic.in
53	चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ए. एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज कैंपस, गांधी मैदान, पटना - 800 001 *	2006	http://www. cnlu.ac.in
54	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा -8410301 *	1995	http://www.jpv.bih.nic.in
55	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा-846 008 *	1961	http://www.ksdsu.edu.in
56	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा- 846008	1972	http://www.lnmu.in
57	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया-824 234 *	1962	http://www.magadhuniversity.org
58	मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय, 3 पोलो रोड, पटना- 800 001	2004	http://www.mmhapu.bih.nic.in
59	मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर, बिहार	06.01.2017	https://www.mungeruniversity.ac.in/
60	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना -800 001	1995	http://www. nalandaopenuniversity. Com
61	पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, कंकड़बाग रोड, राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास, पटना- 800020, बिहार	17.08.2018	http://www.ppup.ac.in/
62	पटना विश्वविद्यालय, पटना-800 005 *	1917	http://www.patnauniversity.ac.in
63	पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया – 854301, बिहार	17.08.2016	http://www.purneauniversity.ac.in/
64	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर- 812 007 *	1960	http://www.tmbu.org
65	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा- 802 301 *	1994	http://www.vksu-ara.org
चंडीगढ़			
66	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़-160 014. *	1947	http://www.puchd.ac.in
छत्तीसगढ़			
67	आयुष और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, जीई रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़	2008	http://www.cghealthuniv. com
68	बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, जिला - बस्तर	2008	http://www.bvyjdp.ac.in
69	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय (पूर्व में बिलासपुर विश्वविद्यालय), बिलासपुर, छत्तीसगढ़ *	2011	http://www.bilaspuruniversity. ac.in
70	छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग -491 001	2011	www.cgkv.ac.in
71	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, नॉर्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर - 8, भिलाई - 490 009	2004	http://www.csvtu.ac.in
72	दुर्ग विश्वविद्यालय, शासकीय वासुदेव वामन पाटणकर बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर, रायपुर नाका, दुर्ग, छत्तीसगढ़	2015	http://durguniversity.ac.in/
73	हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सिविल लाइंस, रायपुर- 492 001 *	2003	http://www.hnlu.ac.in
74	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर- 492 006. *	1987	http://www.igau.edu.in
75	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़-491 881 *	1956	http://www.iksvv.com
76	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 24, पुरखोटी के पास, मुक्तांगन, नया रायपुर-493661, छत्तीसगढ़	2014	http://www.iiitb.ac.in
77	कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता अवाम जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	2004	http://www.ktujm.ac.in
78	महात्मा गांधी उद्यानिनी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा-पाटन, जिला दुर्ग- 491111, छत्तीसगढ़	01.04.2020	
79	पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर-492 010 *	1964	http://www.prsu.ac.in
80	पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	2004	http://www.pssou.ac.in
81	संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय (फोरमेली सरगुजा विश्वविद्यालय) अंबिकापुर दर्रीपारा, सरगुजा -497001, छत्तीसगढ़	2008	http://www. sargujauniversity. in
82	शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, गढ़उमरिया, ओडिशा रोड रायगढ़-496001, छत्तीसगढ़	22.01.2020	http://www. Snpv.ac.in
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली			
83	भारत रत्न डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लोथियन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली - 110 006 *	2007	http://www.aud.ac.in
84	दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय, पी 625 और 745, औटर्म लेन, नई दिल्ली	26.01.2022	
85	दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, डीआईपीएसएआर कैंपस, सेक्टर -3, पुष्प विहार, नई दिल्ली	2010	http://www.dpsru.edu.in
86	दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, लुडलो कैसल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शामनाथ मार्ग, दिल्ली- 110054	15.08.2020	
87	दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, शाहबाद दौलतपुर, बवाना रोड, दिल्ली *	2009	http://www.dce.edu
88	दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय, एकीकृत प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर, सेक्टर -9, द्वारका, नई दिल्ली -110077		http://www.dseu.ac.in
89	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, सेक्टर -16 सी द्वारका, दिल्ली -110078	1998	http://www.ipu.ac.in
90	इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, कश्मीरी गेट, दिल्ली - 110 006 *	2013	http://www. igdtuw. ac.in

क्र. सं.	स्थान/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना वर्ष	डब्ल्यूईबी
91	इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-3, नई दिल्ली-110020 *		http://www. iiitd.ac.in
92	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सेक्टर, 14, द्वारका, नई दिल्ली *	2008	http://www.nludelhi.ac.in
93	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सेक्टर -3, द्वारका, नई दिल्ली 110078	26.09.2018	http://www.nsit.ac.in/
गोवा			
94	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा- 403 206 *	1985	http://www.unigoa.ac.in
गुजरात			
95	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आणंद	2004	http://www.aau.in
96	बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय, आदर्श निवासी स्कूल परिसर, वावडी रोड, राजपिपला, जिला नर्मदा, गुजरात	25.07.2018	http://www.bmtu.ac.in
97	भक्त कवि नरशिंग मेहता विश्वविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बिखना रोड, खड़िया, जूनागढ़-362640*	2015	http://www.bknmu.edu.in
98	महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर-364 002 *	1978	http://www.bhavuni.edu
99	बाल विश्वविद्यालय, सुभाष चंद्र बोस शिक्षण संकुल, सेक्टर -20, गांधीनगर, गुजरात *	2009	http://www. cugujarat.ac.in
100	धर्मसिंह देसाई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय रोड, नडियाद-387 001 *	2000	http://www.ddu.ac.in
101	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद - 380 003	1995	http://www.baou.edu.in
102	सरदार कृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषिनगर, बनासकंठा-385 506 *	1972	http://www.sdau.edu.in
103	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर-361 008. *	1968	http://www.ayurveduniversity. edu.in
104	गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गुजरात राज्य जैव प्रौद्योगिकी मिशन, ब्लॉक 11, 9 वीं मंजिल, उद्योग भवन, गांधीनगर -382011, गुजरात	23.10.2018	https://btm.gujarat.gov.in/
105	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अटालिका ऐवन्यू, नॉलेज कॉरिडोर, कोबा, गांधीनगर- 382 007 *	2003	http://www.gnlu.ac.in
106	गुजरात प्राकृतिक खेती और जैविक कृषि विश्वविद्यालय (फॉर्मली गुजरात ऑर्गेनिक एग्रुकल्चर यूनिवर्सिटी), एटीआईसी बिल्डिंग, बोरसाद चोकड़ी, अनाद, गुजरात -388001	09.05.2022	
107	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद- 380 009 *	1950	http://www.gujaratuniversity.org.in
108	गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जेएसीपीसी बिल्डिंग, एल.डी. महाविद्यालय ऑफ इंजीनियरिंग कैंपस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात *	2007	http://www.gtu.ac.in
109	गुजरात प्रत्यारोपण विज्ञान विश्वविद्यालय, आईकेडीआरसी-आईटीएस परिसर, सिविल अस्पताल परिसर, असारवा, अहमदाबाद-380016	2015	http://guts.education/
110	हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय, पीबी नंबर 21, यूनिवर्सिटी रोड, पाटन-384 265 *	1986	http://www.ngu.ac.in
111	भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थान, सरकारी महाविद्यालय परिसर महात्मा मंदिर के पास, जी -4 सेक्टर -15, गांधीनगर - 382 016 *	2010	http://www.iite.ac.in
112	इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट, खोखरा सर्कल के पास, मणिनगर (पूर्व), अहमदाबाद-380026	2013	http://iitram.ac.in/
113	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़ - 362001	2004	http://wwwjau.in
114	कामधेनु विश्वविद्यालय, "कृषिभवन", सेक्टर 10 ए, ब्लॉक बी, पोडियम स्तर, गांधीनगर - 382010	07.07.2009	http://www.ku-guj.org
115	"कौशल्या" कौशल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी श्रम संस्थान (एमजीएलआई), ड्राइव-इन रोड, मेमनगर, अहमदाबाद - 380052, गुजरात	20.10.2021	https://kaushalyaskilluniversity. ac.in/
116	क्रांतिगुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ विश्वविद्यालय, सीएस -60, जुबली ग्राउंड, भुज-कच्छ -370 001 *	2004	http://www.kskvku. digitaluniversity. ac.in
117	महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा-390 002 *	1949	http://www.msubaroda.ac.in
118	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी-396450	2004	http://www.nau.in
119	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर-388 120 *	1955	http://www. spuvvn.edu
120	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट - 360 005 *	1955	http://www.saurashtrauniversity. Edu
121	वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत-395 007 *	1965	http://www. vnsgu.ac.in
122	श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, ता: वेरावल, जिला जूनागढ़-362268 *	2005	http://www. shreesomnathsanskrituniversity. info
123	श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर, गडुकपुर, गोधरा, जिला पंचमहल-389001	2015	http://www.sggu.ac.in
124	स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सेक्टर -19, पुनीत वन रोड, पास - सुविधा केंद्र, पीटीसी बिल्डिंग कैंपस, गांधीनगर - 382 019	2011	http://www. sycd.gujarat.gov. in/
हरियाणा			
125	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां सोनीपत, हरियाणा *	2006	http://www.bpswomenuniversity. ac.in

क्र. सं.	स्थान/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना वर्ष	डब्ल्यूईबी
126	चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी - 127021	2014	http://www. cblu.ac.in
127	चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा *	2003	http://www. cdlu.in
128	चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद, हरियाणा	2014	http://www. crsujind.org
129	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार-125 004 *	1970	http://www.hau.ernet.in
130	दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल, हरियाणा *	2006	http://www. dcrusm.org
131	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (पूर्व में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा), राई, सोनीपत, हरियाणा	23.06.2012	http://www.dbranlu.ac.in/
132	गुरुग्राम विश्वविद्यालय, राव तुला राम महाविद्यालय ऑफ कॉमर्स एंड साइंस सेक्टर- 51, गुरुग्राम- 122018	07.06.2018	https://gurugramuniversity.ac.in/
133	पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा *	2008	http://www.uhsr.ac.in
134	गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार-125 001*	1995	http://www.gjust.ac.in
135	हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (दुधौला, पलवल), सेक्टर -18, गुरुग्राम, हरियाणा	2016	http://www.hvsu.ac.in
136	इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाड़ी - 122502	2013	http://www. igi.ac.in
137	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र- 136 119*	1956	http://www.kuk.ac.in
138	लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार - 125 004 *	2010	http://lwww.uvas.edu.in
139	महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल - 132001, हरियाणा	28.11.2016	http://www.mhu.ac.in
140	महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, मुंदरी, कैथल- 136027, हरियाणा	09.05.2018	http://www.mvsumktl.ac.in
141	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक-124 001 *	1976	http://www.mdurohtak.ac.in
142	श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, उमरी रोड, सेक्टर -8, कुरुक्षेत्र, हरियाणा -136118	25.092017	https://skau.ac.in/
143	स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, इंटीग्रेटेड कैंपस, सेक्टर-6, रोहतक, हरियाणा	2014	http://www. supva.ac.in
144	जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (फॉर्मली वाईएमसीए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय) फरीदाबाद -121006, हरियाणा *	2009	http://www.ymcaust.ac.in
हिमाचल प्रदेश			
145	अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश (पूर्व में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय) एसएलबीएस मेडिकल महाविद्यालय और अस्पताल परिसर, नेरचौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश -175008	11.06.2018	http://www.amruhp.ac.in
146	डॉ. वाई. एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी- 173 230 *	1986	http://www.yspuniversity. ac.in
147	हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, घंडल, शकराह, उप-तहसील धामी, जिला-शिमला -171011, हिमाचल प्रदेश	2016	http://www.hpnlu.ac.in
148	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-171 005 *	1970	http://www.hpuniv.ac.in
149	चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर-176062 *	1978	http://www. hillagric.ac.in
150	हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, गांधी चौक, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश - 177001	2010	http://www. himtu.ac.in
151	सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी, हिमाचल प्रदेश, वल्लभ राजकीय महाविद्यालय परिसर, प्रशासनिक ब्लॉक, मंडी सदर, मंडी-175001, हिमाचल प्रदेश	01.04.2022	
152	सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मंडी 175001, हिमाचल प्रदेश	01.11.2018	http://www. Svpcumandi.ac.in
	जम्मू और कश्मीर		
153	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजौरी कैंप कार्यालय, बाईपास रोड, चन्नी हिम्मत के सामने, जम्मू *	2005	http://www.bgsbuniversity.org
154	जम्मू के क्लस्टर विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट महाविद्यालय फॉर वुमन, गांधी नगर, जम्मू - 180004, जम्मू और कश्मीर	2016	http://www.clujammu.in
155	श्रीनगर क्लस्टर विश्वविद्यालय, एसपी महाविद्यालय, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	2016	http//www.cusrinagar.edu.in
156	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर-190 006 *	1949	http://www.kashmiruniversity.net
157	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर-191 121. *	1982	http://www. skuastkashmir.ac.in
158	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चट्ठा, जम्मू - 180009	1999	http://www.skuast.org
159	श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालय: 27 ए /डी, गांधीनगर, जम्मू -180 004 *	2004	http://www.smvdu.net.in
160	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एवेन्यू, अवंतीपोरा, पुलवामा - 192 122 (जम्मू और कश्मीर) *	2005	http://www.islamicuniversity. edu.in
161	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू तवी-180 006 *	1968	http://wwwjammuniversity. in
झारखंड			
162	बिनोद बिहार महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, झारखंड	23.03.2017	http://bbmku.ac.in/
163	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची-834 006 *	1980	http://www.baujharkhand.org
164	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड *	23.03.2017	www.spmuranchi.ac.in
165	जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर, झारखंड-831001	15.02.2019	

क्र. सं.	स्थान/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना वर्ष	डब्ल्यूईबी
166	झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, पुरानी न्यायिक अकादमी (श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान) मेयर रोड, रांची-834002	2016	http://www.rsu.ac.in
167	झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैंपस सिरखा टोल, नामकुम, रांची-838010, झारखंड	12.11.2015	http://www.sbtejharkhand.nic.in/
168	कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम (झारखंड)	2007	http://www.kolhanuniversity.ac.in
169	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, पॉलिटेक्निक कैंपस, बीआईटी मेसरा, रांची - 835 217 *	2010	http://www.nusrlranchi.ac.in
170	नीलांबर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मदीनीनगर, पलामू - 822 101.	2007	http://www.npu.ac.in
171	रांची विश्वविद्यालय, रांची-834 001 *	1960	http://www.ranchiuniversity.org
172	सिदोकान्हू विश्वविद्यालय, दुमका-814 101 *	1992	http://www.skmu.edu.in/
173	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग-825 301*	1993	http://www.vbu.co.in
कर्नाटक			
174	बैंगलोर विश्वविद्यालय, बैंगलोर-560 056*	1964	http://www.bub.ernet.in
175	बेंगलुरु नॉर्थ विश्वविद्यालय, देवराज उर्स एक्सटेंशन, तमाका, कोलार - 563103, कर्नाटक	2017	http://www.bnu.ac.in
176	बेंगलुरु सेंट्रल विश्वविद्यालय, सेंट्रल महाविद्यालय कैंपस, डॉ. अंबेडकर वीधी, बेंगलुरु - 560 001, कर्नाटक	29.06.2017	http://www.bcu.ac.in
177	अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, राजाजी हॉल, सेंट्रल महाविद्यालय कैंपस, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु - 560001, कर्नाटक	30.10.2019	https://base.ac.in/
178	दावणगेरे विश्वविद्यालय, शिवगनगोठड़ी, दावणगेरे -577 002 *	2009	http://www.devangereuniversity. org
179	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा -585 106 *	1980	http://www.gulbargauniversity. kar.nic.in
180	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी, बेल्लारी जिला, कमलापुरा-583 276*	1992	http://www.kannadauniversity.org
181	कर्नाटक जनपद विश्वविद्यालय, गटागोडी, एनएच -4, तालुक-शिगगांव, जिला-हावेरी, कर्नाटक -581197	2012	http://wwwjanapadauni.in
182	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़-580 003 *	1949	http://www.kud.ac.in
183	कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज विश्वविद्यालय, रायथा भवना, भूमरड्डी सर्कल, गडग - 582101, कर्नाटक	2016	http://www.ksrdpru.in
184	कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय, बीजापुर-586 101 *	2004	http://www.kswu.ac.in
185	कुवेम्पु विश्वविद्यालय, शंकरघट्टा -577 451 *	1987	http://www.kuvempu.ac.in
186	कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नंदीनगर, पीबी नंबर 6, बीदर -585 401	2004	http://www.kvafsu.kar.nic.in
187	कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी, हुबली -580025 *	2009	http://www.kslu.ac.in
188	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर-570 006 *	1996	http://www.ksoumysore.edu.in
189	कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय, बैंगलोर-580 018. *	2011	http://www.ksu.ac.in
190	कर्नाटक लोकगीत विश्वविद्यालय, गोटागोडी, शिग्गोन तालुक, हावेरी जिला -581197	2011	http://www.janapadauni.in
191	केएसजीएच संगीत और प्रदर्शन कला विश्वविद्यालय, एलजेबी रोड, अशोक सर्कल के पास, लक्ष्मीपुरम, मैसूर -570 004	2009	http://www.musicuniversity.ac.in
192	महारानी क्लस्टर विश्वविद्यालय, पैलेस रोड, बेंगलुरु-560001, कर्नाटक	02.03.2019	
193	मांड्या विश्वविद्यालय, एमसी रोड, मंड्या-571401, कर्नाटक	02.03.2019	http://www.mandyauniversity.ac.in/
194	मैंगलोर विश्वविद्यालय, मैंगलोर -574 199 *	1980	http://www.mangaloreuniversity. ac.in
195	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर-570 005 *	1916	http://www.uni-mysore.ac.in
196	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर -560 072 *	1992	http://www.nls.ac.in
197	नृपथुंगा विश्वविद्यालय, नरूपथुंगा रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक	19.06.2020	http://www.nrupathungauniversityblr. ac.in/
198	राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर -560 041	1994	http://www.rguhs.ac.in
199	रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय, विद्यासंगम, एनजी -4, पीबी राजमार्ग, बेलगावी - 591 156 कर्नाटक *	2010	http://www.rcub.ac.in
200	रायचुर विश्वविद्यालय, ज्ञान तुंगा परिसर, येरागेरा-584133, रायचूर, कर्नाटक	01.08.2020	
201	तुमकुर विश्वविद्यालय, प्रथम तल, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर भवन, एम.जी. रोड, तुमकुर -572 101 *	2004	http://www.tumkuruniversity.in
202	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर -560 065 *	1964	http://www.uasbangalore.edu.in
203	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ -580 005 *	1986	http://www.uasd.edu
204	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर, कर्नाटक-584104 *	2010	http://www.uasraichur.edu.in
205	बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, बागलकोट, उदयनगिरी, सीमिकेरी क्रॉस के पास, बागलकोट-587104	2010	http://www.uhsbagalkot.edu.in/
206	विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बेलगावी-590018 *	1999	http://www.vtu.ac.in

क्र. सं.	स्थान/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना वर्ष	डब्ल्यूईबी
207	विजयनगर श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, ज्ञान सागर परिसर, विनायक नगर, कंटोनमेंट, बेल्लारी - 583 104 *	2010	http://www. vskub.org
केरल			
208	ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सीईटी परिसर, तिरुवनंतपुरम -695016	2015	https://ktu.edu.in/
209	कालीकट विश्वविद्यालय, त्रिची पलारी, मलापुरम जिला, कोझीकोड-673 635*	1968	http://www.universityofcalicut. info.
210	कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि-682 022*	1971	http://www.cusat.ac.in
211	कन्नूर विश्वविद्यालय, कन्नूर -670 562 *	1997	http://www.kannuruniversity.ac.in
212	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर-680 656*	1972	http://www.kau.edu
213	केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम -695 034*	1937	http://www.keralauniversity.ac.in
214	केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, पननगढ़, कोच्चि - 682 506, केरल *	2011	http://www.kufos.ac.in
215	केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिशूर - 680 596	2011	http://www.kuhs.ac.in
216	केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोसिटी कैंपस, कुराकोड, मंगलापुरम, थोन्नाक्कल, पीओ तिरुवनंतपुरम -695317, केरल	28.09.2020	http://www.duk.ac.in
217	केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पूकोट, लक्किडी पीओ, वायनाड, केरल	2011	http://www.kvasu.ac.in
218	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम -686 560*	1983	http://www.mgu.ac.in
219	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज (एनयूएएलएस) कलूर, कोच्चि - 682 017, केरल *	2009	http://www.nuals.ac.in
220	श्रीनारायणगुरु ओपन यूनिवर्सिटी, कोल्लम, केरल-691606	23.09.2020	http://www.sreenarayanguru.edu.in
221	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी-683 574 *	1994	http://www. ssus.ac.in
222	थुनचाथ एझुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय, मोहन विलास, पुकायिल पीओ, तिरुर, मलप्पुरम जिला, केरल - 676 107 *	2013	http://www.malayamuniversity. edu.in
लद्दाख			
223	लद्दाख रेशम मार्ग विश्राम गृह, टीआरसी, लेह, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	16.12.2018	http://www. Universityofladakh. ac.in
मध्य प्रदेश			
224	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा-486 003 *	1968	http://www.apsurewa.nic.in
225	अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, एमपी भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर, कोलार मार्ग, भोपाल -462016	2011	http://www. abvhv.org
226	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल-462 026. *	1970	http://www.bubhopal.nic.in
227	छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा -480001, मध्य प्रदेश	14.08.2019	http://www.cuc.ac.in
228	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर-452 001 *	1964	http://www. dauniv. ac.in
229	धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भारत रत्न भीम राव अम्बेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान, रिज रोड, सिविल लाइंस, जबलपुर, मध्य प्रदेश	28.07.2018	https://www.mpdnlu.ac.in
230	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर, महू-453441, जिला- इंदौर, मध्य प्रदेश *	2016	http://www.brauss.in
231	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर-482 004*	1964	http://www.jnkvv.nic.in
232	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर-474011 *	1964	http://www.jwaji.edu
233	मध्य प्रदेश चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, एनएससीबी मेडिकल महाविद्यालय परिसर, भेड़ाघाट रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश	2011	http://www.mpmsu.edu.in
234	महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर, मध्य प्रदेश	2014	http://www. mchhatrasaluniversity. com
235	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट-485 331, जिला सतना *	1993	http://www.mgcgvchitrakoot.com
236	एमपी भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल-462 016 *	1995	http://www.bhovirtualuniversity. com
237	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल-462 039*	1993	http://www.mcu.ac.in
238	महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश-456010	2008	http://www. mpsvvuj_jain.org
239	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस, जबलपुर - 482 001	2009	http://www.mppcvv.org
240	राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भदभदा रोड, बरखेड़ी कलां, भोपाल-462044 *	1999	http://www.nliu.ac.in
241	पंडित एसएन शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल - 484001, मध्य प्रदेश *	15.09.2016	http://www.ptsns,university.ac.in
242	राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, महादाजीचोक, अचलेश्वर मार्ग, ग्वालियर - 474 009 *	2009	http://www. rmtmusicandartsuniversity.com
243	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल-462 036 *	1998	http://www.rgtu.net
244	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर-482 001*	1957	http://www.rdunijbpin.org

क्र. सं.	स्थान/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना वर्ष	डब्ल्यूईबी
245	राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड, ग्वालियर -474 002	2009	http://www.rvskvv.nic.in
246	सांची बौद्ध-इंडिक अध्ययन विश्वविद्यालय, दूसरी मंजिल, सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान, भदभदा स्क्वायर, भोपाल-462003 *	2013	http://www.sanchiuniv. edu.in
247	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन-456 010 *	1957	http://www.vikramuniversity.org
महाराष्ट्र			
248	सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वेलेस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-411005 महाराष्ट्र	21.06.2022	
249	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद-431 004.*	1958	http://www.bamu.net
250	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लोनेर-402 103*	1992	http://www.dbatu.ac.in
251	डॉ. होमीभाभा राज्य विश्वविद्यालय, मुंबई विज्ञान संस्थान, 15 मैडम कामा रोड, मुंबई-400032, महाराष्ट्र	15.02.2019	http://www.hbsu.ac.in
252	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला-444 104. *	1969	http://www.pdkv.mah.nic.in
253	गोंडवाना विश्वविद्यालय, एमआईडीसी रोड कॉम्प्लेक्स, गढ़चिरौली - 422 605 *	27.09.2011	http://www.gondwana. digitaluniversity.ac.in
254	अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र, खेल और युवा सेवाएं, शिवछत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, महालुंगे-बालेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र	21.01.2021	
255	कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर-441 106 *	1997	http://www.sanskrituni.net
256	कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जिला रत्नागिरी-415 712 *	1972	http://www.dbskkv.org
257	महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, फुटाला लेक रोड, नागपुर -440 001	2002	http://www.mafsu.in
258	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पोस्ट बॉक्स नंबर 8338, देवनार, मुंबई - 400088	2014	http://www.nlumumbai.edu.in
259	महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान (जोटी), सी.पी. क्लब रोड, नागपुर - 440001, महाराष्ट्र *	2015	http://www.nlunagpur.ac.in
260	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट बीएड महाविद्यालय कैंपस, पदमपुरा, औरंगाबाद - 431005, महाराष्ट्र	2017	http://www.mnlua.ac.in
261	महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय, प्रथम तल, एलफिंस्टन तकनीकी हाई स्कूल, 3 महापालिका मार्ग, मेट्रो चौक, मुंबई -400001, महाराष्ट्र	14..04.2021	
262	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक-424 004	2000	http://www.muhs.ac.in
263	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी-413 722 *	1968	http://www.mpkv.mah.nic.in
264	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी-431 402 *	1983	http://www.mkv2.mah.nic.in
265	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई -400 032.*	1857	http://www.mu.ac.in
266	कवयित्री बहिनबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (पूर्व में उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय) जलगांव-425001 *	1991	http://www.nmu.ac.in
267	सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे-411 007.*	1949	http://www.unipune.ac.in
268	संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती-444 602 *	1983	http://www.sgbau.ac.in
269	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर-416 004.*	1962	http://www.unishivaji.ac.in
270	श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे महिला विश्वविद्यालय, मुंबई-400 020	1951	http://www.sndt.digitaluniversity. ac
271	सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर पुणे रोड, केगांव, सोलापुर-413 255 *	2004	http://www. su.digitaluniversity. ac
272	स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड़-431 606.*	1995	http://www.srtmun.org
273	यशवंत राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक-422 222.*	1990	http://www.ycmou. digitaluniversity.ac
274	राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर-440 001*	1923	http://www.nagpuruniversity.org
मणिपुर			
275	धनमंजुरी विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर	06.04.2018	http://www.dmu.ac.in
276	मणिपुर तकनीकी विश्वविद्यालय तकीलपत, इम्फाल, मणिपुर	2016	http//www.mtu.ac.in
277	मणिपुर संस्कृति विश्वविद्यालय, पैलेस कंपाउंड, इंफाल पूर्व -795001, मणिपुर	2015	http//www.muc.ac.in
ओडिशा			
278	बेरहामपुर विश्वविद्यालय, बेरहामपुर-760 007 *	1967	http://www.bamu.nic.in
279	बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राउरकेला-769004	2003	http://www.bput.ac.in
280	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बालासोर -756020 *	1999	http://www.fmuniversity. nic.in
281	गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, फातक, बुढाराजा, संबलपुर, ओडिशा- 768004	2015	http://www.gmuniversity.ac.in
282	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गोथापर्णा, पीओ- मालीपाड़ा, भुवनेश्वर -751003	2014	http://www.iiit.bh.ac.in
283	कालाहांडी विश्वविद्यालय, भवानीपटना, जिला- कालाहांडी- 766001, ओडिशा	01.09.2020	https://kalahandiuniversity.ac.in/
284	खल्लीकोट विश्वविद्यालय, बरहामपुर, गंजम, ओडिशा	2015	http://www.khallikotecollege.org
285	मधुसूदन विधि विश्वविद्यालय, स्टेशन रोड, कटक, ओडिशा	28.04.2021	https://mlu.ac.in

क्र. सं.	स्थान/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना वर्ष	डब्ल्यूईबी
286	उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालय, बारीपदा, जिला मयूरभंज-757 003 *	1999	http://www.nou.nic.in
287	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पीओ बॉक्स -28, कटक - 753 001 *	2008	http://www.nluo.ac.in
288	ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, जी.एम. विश्वविद्यालय परिसर, बुधाराजा, संबलपुर - 768004, ओडिशा	2015	http//www.osou.ac.in
289	ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, टेक्नो कैंपस, घाटिकिया, पीओ महालक्ष्मी विहार, भुवनेश्वर- 751029, ओडिशा	08.10.2021	https://www.cet.edu.in/
290	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751 003*	1962	http://www. ouat.ac.in
291	राजेंद्र विश्वविद्यालय, बोलांगीर, ओडिशा	01.09.2020	www.rajendrauniversity.ac.in
292	रमा देवी महिला विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा *	2015	http://www.rdwuniversity.nic.in
293	रावेनशॉ विश्वविद्यालय, कटक - 753 003 *	2005	http://www.ravenshawuniversity. ac.in
294	संबलपुर विश्वविद्यालय, संबलपुर -768 019.*	1967	http://www.suniv.ac.in
295	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी-752 003 *	1981	http://www. sjsv.nic.in
296	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751 004.*	1943	http://www.utkal-university.org
297	उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751 009	1999	http://www.uuc.ac.in
298	वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बुर्ला, जिला संबलपुर ओडिशा 768018 *	2009	http://www.vssut.ac.in
299	वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, आयुरविहार, बुर्ला, संबलपुर - 768 017, ओडिशा	20.06.2014	http//www.vimsar.ac.in
पुदुचेरी			
300	पुदुचेरी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पिल्लैचावडी, पुदुचेरी -605014	05.09.2020	
पंजाब			
301	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, सादिक रोड, फरीदकोट-151 203 *	2002	http://www.bfuhs.ac.in
302	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर-143 005 *	1969	http://www.gndu.ac.in
303	गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना - 141 004 *	2005	http://www. gadvasu.in
304	गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधमाल, होशियारपुर, पंजाब-146001	2010	http://www. graupunjab.org
305	जगत गुरु नानक देव पंजाब राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब	20.12.2019	http://www.psou.ac.in
306	महाराजा रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, डबवाली रोड, बठिंडा - 151001	2015	http://www.mrsptu.ac.in
307	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना-141 004. *	1962	http://www.pau.edu
308	सरदार बेअंत सिंह राज्य विश्वविद्यालय, गुरदासपुर, पंजाब	01.04.2021	http://www.bcetgsp.ac.in/
309	शहीद भगत सिंह राज्य विश्वविद्यालय, फिरोजपुर, पंजाब	01.04.2021	www.sbsstc.ac.in
310	आई. के. गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, जालंधर-144 011	1998	http://www.ptu.ac.in
311	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला-147 002 *	1962	http://www.punjabiuniversity.org
312	श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, तरनतारन-143401, पंजाब	30.09.2020	
313	महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मोहिंद्रा कोठी, फव्वारा चौक के पास, पटियाला -147001, पंजाब	29.08.2019	http://mbspsu.pgsgcpe.com/
314	राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटियाला - 147 001 *	2006	http://www.rgnul.ac.in
राजस्थान			
315	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर- 342304, राजस्थान	14.09.2013	https://www.aujodhpur.ac.in/
316	बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी महाविद्यालय ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीकानेर कैंपस, करणी औद्योगिक क्षेत्र, पुगल रोड, बीकानेर- 334004	18.05.2017	https://www.btu.ac.in
317	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	26.02.2019	http://www.babasaheb. university. nic.in
318	गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय परिसर, बांसवाड़ा-327001	2012	http://www. ggtu.ac.in
319	हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, 213, राजीव गांधी विद्या भवन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर-302017	02.03.2019	http://www.hjuj.ac.in
320	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर-342011 *	1962	http://wwwjnvu.edu.in
321	जगदगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, 2-2 ए झालानाडूंगरी, जयपुर (राजस्थान)*	1998	http://www jrrsanskrituniversity. ac.in
322	वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय, कोटा-324010 *	1987	http://www. vmou.ac.in
323	एम.बी.एम विश्वविद्यालय, जोधपुर 342011, राजस्थान	24.09.2021	
324	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर-313 001	2000	http://www.mpuat.ac.in
325	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर-305 009 *	1987	http://www.mdsuajmer.com
326	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, एम.एस.जे. महाविद्यालय परिसर, भरतपुर - 321001	2012	http://www. brijuniversity. ac.in
327	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर-313001. *	1962	http://www.mlsu.ac.in

क्र. सं.	स्थान/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना वर्ष	डब्ल्यूईबी
328	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर -342 004. *	2004	http://www.nlujodhpur.ac.in
329	स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-334006 * (पूर्व में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय)	1987	http://www.raubikaner.org
330	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	2004	http://www.raujodhpur.org
331	राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय (आरआईएसयू), होटल खासा कोठी परिसर, जयपुर-302001, राजस्थान	30.03.2017	http://www.rajskills.edu.in
332	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस, सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, जोधपुर, राजस्थान-342304	2012	http://www.policeunviersity.ac.in
333	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर-302 004. *	1947	http://www.uniraj.ernet.in
334	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बी - 1, सवाई मान सिंह रोड (एसएमएस अस्पताल के सामने), जयपुर *	2005	http://www.ruhsraj.org
335	राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान *	2010	http://www.rajuvas.org
336	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. - 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर, राजस्थान *	2003	http://www.mgsubikaner.ac.in
337	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, अकेलगढ़, रावत भाटा रोड, कोटा-324010	2006	http://www.rtu.ac.in
338	राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, गर्ल्स हॉस्टल भवन, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स महाविद्यालय कैंपस, अलवर, राजस्थान	2012	http://www.rrbmuniv. ac.in
339	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय (पूर्व में शेखावाटी विश्वविद्यालय), श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय, सीकर के पीछे - 332001	2012	http://www.shekhauni.ac.in
340	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान) *	2003	http://www.uok.ac.in
सिक्किम			
341	खांगचेन्दोंगा स्टेट यूनिवर्सिटी, सिक्किम, (पूर्व में सिक्किम स्टेट यूनिवर्सिटी), गंगटोक ईस्ट सिक्किम, ताडोंग -737102, सिक्किम (स्टेट यूनिवर्सिटी)	19.04.2017	http://www.sikkimstateuniversity.in/
342	सिक्किम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सिक्किम गवर्नमेंट लॉ महाविद्यालय, बुर्तुक (कैंपस), गंगटोक-737101, सिक्किम	22.03.2018	
तमिलनाडु			
343	अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलगप्पा नगर, कराईकुडी -630 003 *	1985	http://www.alagappauniversity. ac.in
344	अन्ना विश्वविद्यालय, गिंडी, चेन्नई-600 025 *	1978	http://www.annauniv. edu
345	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाईनगर-608 002. *	1929	http://www.annamalaiuniversity. ac.in
346	भारतियर विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर-641 046.*	1982	http://www.b-u.ac.in
347	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली -620 024 *	1982	http://www.bdu.ac.in
348	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई-600 005. *	1857	http://www.unom.ac.in
349	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै-625 021. *	1965	http://www.mkuniversity.org
350	मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय, थिरुनेलवेली -627 12. *	1992	http://www.msuniv.ac.in
351	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडईकनाल-624 102. *	1984	http://www. motherterasawomenuniv.org
352	पेरियार विश्वविद्यालय, सलेम-613010 *	1998	http://www.periyaruniversity. ac.in
353	तमिल विश्वविद्यालय, तंजावुर-613 010.*	1981	http://www.tamiluniversity.ac.in
354	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर-641 003 *	1971	http://www.tnau.ac.in
355	तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, नंबर 577, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600 015 *	2004	http://www.tnou.ac.in
356	तमिलनाडु डॉ अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई-600 028 *	1998	http://www.tndalu.ac.in
357	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, अन्ना सलाई, चेन्नई-600 032.*	1989	http://www.tnmgrmu.ac.in
358	तमिलनाडु मत्स्य पालन विश्वविद्यालय, फर्स्ट लाइनबीच रोड, नागपट्टिनम - 611001 *	2012	http://www.tnfu.org.in
359	तमिलनाडु नेशनल लॉ स्कूल, नवलुर कुट्टापट्टू, श्रीरंगम तालुक, तिरुचिरापल्ली - 620 009 *	2012	http://www.tnnls.ac.in
360	तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 8 वीं मंजिल, ईवा संपत मालीगई, महाविद्यालय रोड, चेन्नई *	2005	http://www.tnpesu.org
361	तमिलनाडु संगीत और ललित कला विश्वविद्यालय, डॉ. डी.जी.एस. दिनाकरन सलाई, चेन्नई - 600028	2013	http://www.tnmfau.in
362	तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई-600 051.*	1990	http://www.tanuvas.ac.in
363	तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय, सर्क्काडु, वेल्लोर -632 115.*	2003	http://www.tvuni.in
364	तमिलनाडु शिक्षक शिक्षा विश्वविद्यालय, कामराजार सलाई, चेन्नई - 600 005 *	2008	http://www.tnteu.in
तेलंगाना			
365	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500 033. *	1982	http://www.braou.ac.in
366	जवाहरलाल नेहरू वास्तुकला और ललित कला विश्वविद्यालय, महावीर मार्ग, मसाब टैंक, हैदराबाद - 500 028 *	2008	http://www.jnafau.ac.in
367	जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद -500 085 *	1972	http://www.jntuh.ac.in

क्र. सं.	स्थान/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना वर्ष	डब्ल्यूईबी
368	कालोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, ककटिया मेडिकल महाविद्यालय परिसर, रंगमपेट, वारंगल, तेलंगाना-506002	26.09.2017	http://www.knruhs.in
369	काकतीय विश्वविद्यालय, वारंगल-506 009. *	1976	http://www.kakatiya.ac.in
370	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, येल्लारेड्डीगुडेम, नलगोंडा -508254*	2008	http://www.mguniversity.ac.in
371	नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जस्टिस, शमीरपेट, आरआर जिला, हैदराबाद- 500 101.	1999	http://www.nalsar.ac.in
372	निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पुंजागुट्टा, हैदराबाद -500082	1989	http://www.nims.ap.nic.in
373	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद -500 007 *	1918	http://www.osmania.ac.in
374	पलामुरू विश्वविद्यालय, अयप्पा कॉम्प्लेक्स, पुलिस मुख्यालय के सामने, महबूबनगर - 509 001 *	2008	http://www.palamuruuniversity. ac.in
375	पोट्टीश्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय, हैदराबाद -500 004 *	1985	http://www. teluguuniversity. ac.in
376	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030 *	2014	http://www.pjtsau.ac.in
377	राजीव गांधी ज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद *	2011	http://www.rgukt.in
378	सातवाहन विश्वविद्यालय, ज्योतिनगर, चिंताकुंटा, करीमनगर - 505001 *	2008	http://www. satavahana.ac.in
379	श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030	2014	http://www.skitshu.ac.in
380	श्री पी.वी. नरसिम्हा राव तेलंगाना पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030	2014	http//www.tsvu.nic.in
381	तेलंगाना विश्वविद्यालय, निजामाबाद - 503322 *	2006	http://www.telanganauniversity. ac.in
त्रिपुरा			
382	महाराजा बीर बिक्रम विश्वविद्यालय, अगरतला, त्रिपुरा *	2015	http://www. mbbuniversity. ac.in
383	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, त्रिपुरा, नरसिंहगढ़, त्रिपुरा-799009	18.04.2022	
उत्तर प्रदेश			
384	इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, सीपीआई परिसर, सिविल लाइंस, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	2016	http://www. alldstateuniversity. org
385	अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, 9 वीं मंजिल, अकादमिक ब्लॉक, डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विभूतिखंड, लखनऊ- 226210, उत्तर प्रदेश	15.10.2020	https://abvmuup.edu.in/
386	बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा - 210001, उत्तर प्रदेश	2010	http://www.buat.edu.in
387	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी-284 128. *	1975	http://www.bujhansi.org
388	चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर- 208002 *	1974	http://www.csauk.ac.in
389	छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर-208024. *	1965	http://www.kanpuruniversity. org
390	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ-250 005 *	1965	http://www. ccsuniversity. org
391	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009 *	1957	http://www. ddugu.edu.in
392	डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (पूर्व में उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय), लखनऊ-226031 *	2001	http://www. uptu.ac.in
393	डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद-224001 *	1975	http://www.rmlau.ac.in
394	डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश	12.09.2018	https://www.drrmlims.ac.in/
395	डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सेक्टर-डी-1, एल.डी.ए., कानपुर रोड योजना, लखनऊ-226012	2005	http://www.rmlnlu.ac.in
396	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा-282004. *	1927	http://www. dbrau.com
397	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201312 *	2002	http://www.gbu.ac.in
398	हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय, कानपुर-208002, उत्तर प्रदेश	2016	http://www.hbtu.ac.in
399	जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, उत्तर प्रदेश	2016	http://www.jncu.ac.in
400	ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी ~ फारसी विश्वविद्यालय, 619, इंदिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226013 *	2010	http://www. uafulucknow.ac.in
401	किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ-226 003 *	2004	http://www.kgmcindia.edu
402	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226 007 *	1921	http://www. lucknowuniv.org
403	मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर, पुंवारका, सहारनपुर-247120, उत्तर प्रदेश	02.12.2021	
404	मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर -273010 *	2013	http://www.mmmut.ac.in
405	एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली-243 006 *	1975	http://www.mjpru.ac.in
406	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-221 002 *	1974	http://www.mgkvp.ac.in
407	नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद-224 229.*	1974	http://www.nduat.ernet.in
408	राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	15.06.2021	
409	संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी-221 002 *	1958	http://www.ssvv.up.nic.in
410	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ- 250 110	2004	http://www.svbpmeerut.ac.in

क्र. सं.	स्थान/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना वर्ष	डब्ल्यूईबी
411	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर-272202	2015	http://www. sidunikapilvastu. edu.in
412	यूपी किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी ऑफ डेंटल साइंस, लखनऊ-226 003	2004	
413	उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा, उत्तर प्रदेश	2001	http://www. upvetuniv. edu.in
414	उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, 17, महर्षि दयानंद मार्ग, (थॉर्नहिल रोड), इलाहाबाद-211 001	2004	http://www.uprtou.ac.in
415	उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा -206130, उत्तर प्रदेश	2016	http//www.upums.ac.in
416	उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉ. शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, मोहन रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226017 *	2008	http://www.dsmru.up.nic.in
417	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर-222002 *	1987	http://www.vbspu.ac.in
उत्तराखंड			
418	दून विश्वविद्यालय, मोथरावाला रोड, केदारपुर, देहरादून-248001 *	2005	http://www.doonuniveristy.ac.in
419	जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर-263 145 *	1960	http://www.gbpuat.ac.in
420	हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, 124, गंगा विहार, रोडवेज वर्कशॉप के सामने, हरिद्वार रोड, देहरादून - 248001, उत्तराखंड	2014	http://www.hnbumu.ac.in
421	कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल-263001 *	1973	http://www.kuntl.in
422	सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखंड	22.06.2020	
423	श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249199	2011	http://www.sdsuv. ac.in
424	उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, 7-ए, प्लीसेंट वैली, राजपुर रोड, देहरादून - 248 009, उत्तराखंड	2009	http://www.uau.ac.in
425	उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार-249 401 (उत्तरांचल) *	2005	http://www.usvv.org
426	उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, ए -12, सरस्वती विहार, प्रेमी अघोवाला, पोस्ट-धलानवाला, देहरादून, उत्तराखंड	2008	http://www.uktech.ac.in
427	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, ट्रांसपोर्ट नगर के पास, तीनपानी बाईपास रोड, पीओ - इंडस्ट्रियल एस्टेट, हल्द्वानी-263139 (नैनीताल), उत्तराखंड (राज्य विश्वविद्यालय)	2005	http://www.uou.ac.in
428	वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, उत्तराखंड बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल - 246123	2011	http://www.uuhf.ac.in
पश्चिम बंगाल			
429	अलीपुरद्वार विश्वविद्यालय, पी.ओ. अलीपुरद्वार न्यायालय, जिला- अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल- 736122	07.01.2021	https://alipurduaruniversity.ac.in/
430	आलिया विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700091 *	2007	http://www.aliah.ac.in
431	बांकुड़ा विश्वविद्यालय, पुआबगान कैंप कार्यालय, पीओ भागाबंध, जिला, बांकुड़ा - 722146 *	2014	http://www.bankurauniv. ac.in
432	बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नादिया-741 252.*	1974	http://www.bckv.edu.in
433	बिस्वा बांग्ला बिस्वबिद्याले, बोलपुर बीरभूम-731235, पश्चिम बंगाल	10.12.2020	
434	बुर्दवान विश्वविद्यालय, राजबती, बुर्दवान -713 104. *	1960	http://www.buruniv.ac.in
435	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता-700 073 *	1857	http://www.caluniv.ac.in
436	कूचबिहार पंचानन बर्मा विश्वविद्यालय, विवेकानंद रोड, कूच बिहार - 736101	2012	http://www.cbpbu.ac.in
437	दक्षिण दिनाजपुर विश्वविद्यालय, उत्तर चकभाबनी (एलआईसी कार्यालय के पास) बालुरघाट, दक्षिण दिनाजपुर-733101, पश्चिम बंगाल	26.02.2021	https://www.dduniv.ac.in/
438	दार्जिलिंग हिल्स विश्वविद्यालय, जोगीघाट मंगपु, जिला-दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल -734313	13.09.2022	
439	डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय, फकीर चंद महाविद्यालय, डायमंड हार्बर, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल- 743331	2013	http://www.dheou.ac.in
440	हरिचंद गुरुचंद विश्वविद्यालय, उत्तर 24 परगना- 743245, पश्चिम बंगाल	03.02.2021	https://harichandguruchanduniversity.com/
441	हिंदी विश्वविद्यालय, हावड़ा, पश्चिम बंगाल	01.01.2021	http://www.hindiuniv.org.in
442	जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता-700 032. *	1955	http://www.jadavpur.edu
443	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी-741 235. *	1960	http://www.klyuniv.ac.in
444	कन्याश्री विश्वविद्यालय, कृष्णानगर, नादिया, पश्चिम बंगाल	10.11.2020	
445	काजी नज़रुल विश्वविद्यालय, पुराना अड्डा कार्यालय भवन (आसनसोल गर्ल्स महाविद्यालय के पीछे), पीओ - आसनसोल -713304, जिला - बर्दवान, पश्चिम बंगाल *	2012	http://www.knuedu.in
446	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय (पूर्व में पूर्व मेदिनीपुर विश्वविद्यालय), पूर्व मेदिनीपुर- 721628, पश्चिम बंगाल	10.12.2020	www.mguwb.org.in
447	मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय 1, सुरजयसेन रोड, बरहामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल- 742101	01.06.2021	https://www.murshidabaduniversity.ac.in/
448	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, राजा राम मोहनपुर, दार्जिलिंग -734 430 *	1962	http://www.nbu.ac.in
449	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता-700 020	1997	http://www.wbnsou.ac.in

क्र. सं.	स्थान/विश्वविद्यालय	अधिसूचना/ स्थापना वर्ष	डब्ल्यूईबी
450	प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय, 86/1 महाविद्यालय स्ट्रीट, कोलकाता -700073 *	2010	http://www.presiuniv.ac.in
451	रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता-700050 *	1962	http://www.rbu.ac.in
452	रायगंज विश्वविद्यालय, पीओ-रायगंज, जिला उत्तर दिनाजपुर-733134 *	2015	http://www.raiganjuniversity.ac.in
453	रानी रश्मोनी ग्रीन यूनिवर्सिटी, तारकेश्वर, हुगली, पश्चिम बंगाल	09.01.2018	http://www.rrgu.org
454	साधु राम चंद मुर्मू झारग्राम विश्वविद्यालय (पूर्व में झारग्राम विश्वविद्यालय) झारग्राम राज महाविद्यालय, झारग्राम- 721507, पश्चिम बंगाल	01.06.2021	https://jhargram.gov.in/
455	सिधो-कान्हो-बिरशा विश्वविद्यालय, 10 ए, ब्लॉक - एलए, प्रशासनिक भवन, रैंच रोड परिसर, सैनिक स्कूल के पास, पुरुलिया -723104 *	2010	http://www.skbu.ac.in
456	संस्कृत महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता- 700073	2016	http://www. sanskritcollegeanduniversity.org.in
457	पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस, एनयूजेएस भव, 12 एलबी ब्लॉक, सेक्टर -3, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता *	2004	http://www.nujs.edu
458	पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, डीडी -36, सेक्टर -1, साल्ट लेक, कोलकाता -700064*	2002	http://www.wbuhs.ac.in
459	पश्चिम बंगाल शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, 25/2 और 25/3, बालीगंज सर्कुलर रोड, कोलकाता - 700019	2015	http://www. wbuttepa.ac.in
460	गौर बंगा विश्वविद्यालय, रबिंद्र एवेन्यू, मालदा महाविद्यालय कैंपस, पीओ और जिला- मालदा - 732101 *	2007	http://www.ugb.ac.in
461	उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, जिला-कूच बिहार-736165.	2001	http://www.ubkv.ac.in
462	विद्या सागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर-721 102. *	1981	http://www. vidyasagar.ac.in
463	पश्चिम बंगाल पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बेलगछिया, कोलकाता -700 037 *	1995	http://www.wbuafscl.ac.in
464	पश्चिम बंगाल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बीएफ -142, साल्ट लेक, कोलकाता -700091 *	2001	http://www.wbut.net
465	पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय, बारासात सरकारी महाविद्यालय, एनेक्सी बिल्डिंग, 10, केएनसी रोड, कोलकाता- 700124 *.0	2007	http://www.wbsubregistration.org

तालिका 2.2 (i) (ख) (iv) 31.03.2023 तक राज्य निजी विश्वविद्यालय

(* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत शामिल)

क्र. सं.	राज्य/विश्व विद्यालय	अधिसूचना की तिथि	डब्ल्यूईबी
आंध्र प्रदेश			
1	भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार विश्वविद्यालय, गाउनीवारीपल्ली, गोरंटला मंडल, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	17.02.2019	http://www.bestiu.in
2	सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, गिदिजाला जंक्शन, आनंदपुरम मंडल, विशाखापत्तनम - 531173, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	http://www.cutm.ac.in
3	केआरईए विश्वविद्यालय, सेंट्रल एक्सप्रेसवे, श्री सिटी, आंध्र प्रदेश	30.04.2018	http://krea.edu.in/
4	सविता अमरावती विश्वविद्यालय, तीसरी मंजिल, वैष्णवी कॉम्प्लेक्स, कार्यकारी क्लब के सामने, विजयवाड़ा- 520008, आंध्र प्रदेश	30.04.2018	www.saveethaamaravati.university
5	एसआरएम विश्वविद्यालय, नीरूकोंडा-कुरागल्लू गांव, मंगलगिरी मंडल, गुंटूर जिला- 522502, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	http://www.srmap.edu.in
6	वीआईटी-एपी विश्वविद्यालय, अमरावती - 522237, आंध्र प्रदेश	23.05.2017	https://vitap.ac.in/
अरुणाचल प्रदेश			
7	एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पासीघाट, जिला पूर्वी सियांग, अरुणाचल प्रदेश - 791102	10.05.2013	http://www.apexuniversity.ac.in
8	अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, एनएच -52, नामसाई, जिला-नामसाई -792103, अरुणाचल प्रदेश	26.05.2012	http://www.arunachaluniversity.ac.in
9	अरुणोदय विश्वविद्यालय, ई-सेक्टर, निरजुली, ईटानगर, जिला-नामसाई-792103, अरुणाचल प्रदेश	21.10.2014	http://www.arunodayauniversity.ac.in
10	हिमालयन विश्वविद्यालय, 401, ताकर कॉम्प्लेक्स, नाहरलगुन, ईटानगर, जिला - पापुमपारे - 791110, अरुणाचल प्रदेश	03.05.2013	http://www.himalayanuniversity.com
11	नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सिबू-पुयी, आलो (पीओ), पश्चिम सियांग (जिला), अरुणाचल प्रदेश - 791001	03.09.2014	http://www.neftu.edu.in

क्र. सं.	राज्य/विश्व विद्यालय	अधिसूचना की तिथि	डब्ल्यूईबी
12	ग्लोबल यूनिवर्सिटी, होलोंगी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	18.09.2017	http://www.globaluniversity.edu.in
13	इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जीरो, अरुणाचल प्रदेश -791120	26.05.2012	http://www.indiragandhiuniversity.in
14	वेंकटेश्वर मुक्त विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	20.06.2012	http://www.vou.ac.in
असम			
15	असम डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय, अजारा, गुवाहाटी -781017 *	12.02.2009	http://www.dbuniversity.ac.in
16	असम डाउन टाउन विश्वविद्यालय, शंकर माधव पथ, गांधी नगर, पानीखैती, गुवाहाटी - 781 036 *	29.04.2010	http://www.adtu.in
17	गिरिजनंद चौधरी विश्वविद्यालय असम, हथखोवापारा, अजारा, गुवाहाटी-781017, जिला- कामरूप (मेट्रो), असम (निजी विश्वविद्यालय)	17.10.2022	
18	कृष्णगुरु आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, नासात्रा, बारपेटा, असम-781307	11.04.2017	http://www.kav.org.in/
19	महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय, श्रीमंतशंकरदेव संघ परिसर, हलधर भुइयां पथ, कालोंगपर, नगांव-782001, असम	14.08.2013	http://www.mssv.co.in
20	प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय, हाजोंगबाड़ी, पीओ-चंद्रपुर के अंतर्गत पंबारी मौजा, कामरूप, मेट्रोपॉलिटन जिला, गुवाहाटी, असम-781050	17.10.2022	
21	असम काजीरंगा विश्वविद्यालय, जोरहाट, असम -785006	11.04.2012	http://www.kazirangauniversity.in
22	असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बेटकुची, तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने, एनएच -37, गुवाहाटी -781035, असम	23.08.2013	http://www.rgu.ac.in
बिहार			
23	अल-करीम विश्वविद्यालय, कटिहार-पूर्णिया रोड के पास, सिरसा, करीम बाग, कटिहार – 854106 (बिहार)	15.06.2018	http://www.alkarimuniversity.edu.in/
24	एमिटी विश्वविद्यालय, रूपसपुर, बेली रोड, पटना – 801503, बिहार	18.08.2017	http://amity.edu/patna/
25	डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, ब्लॉक - भगवानपुर, एनएच -77 (पटना-मुजफ्फरपुर राजमार्ग), जिला-वैशाली - 844114, बिहार	29.01.2018	http://cvru.ac.in/
26	गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जमुहार, जिला - रोहतास – 821305, बिहार	15.06.2018	https://www.gnsu.ac.in/
27	माता गुजरी विश्वविद्यालय, पूरबपाली रोड, किशनगंज- 855107, बिहार	20.02.2019	http://www.matagujriuniversity.com
28	संदीप विश्वविद्यालय, गांव-सिजौल, जिला-मधुबनी-847235, बिहार	08.06.2017	http://www.sandipuniversity.edu.in
29	के.के. विश्वविद्यालय, बेरौती, नेपुरा, बिहारशरीफ, नालंदा, बिहार-803115	08.06.2017	http://www.kkuniversity.ac.in
छत्तीसगढ़			
30	एएएफटी मीडिया और कला विश्वविद्यालय, गांव-मठ, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़	17.04.2018	https://aaft.edu.in/
31	एमिटी विश्वविद्यालय, ग्राम-मांथ, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़	21.08.2014	http://www.amity.edu/raipur/
32	भारती विश्वविद्यालय, चंदखुरी, दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 491001	27.08.2021	https://bhartiuniversity.org/
33	डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कारगी रोड, कोटा, बिलासपुर-495001	03.11.2006	http://www.cvru.ac.in
34	देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ग्राम सांकरा कुम्हारी, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़- 490042	08.08.2018	http://www.dsvvsankara.com/
35	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, एनएच -6, रायपुर-भिलाई रोड, ग्राम-चोरहा, आरआई सर्कल, अहिवारा, धमधा, जिला - दुर्ग, छत्तीसगढ़	24.03.2011	http://www.iuraipur.edu.in
36	आईएसबीएम विश्वविद्यालय, ग्राम-नवापारा (कोसमी) ब्लॉक, तहसील - छुरा, जिला- गरियाबंद-493996, छत्तीसगढ़	09.09.2016	http://www.isbmuniversity.edu.in
37	आईटीएम विश्वविद्यालय, पीएच नंबर 137, उपरवाड़ा, नया रायपुर, जिला रायपुर - 493661, छत्तीसगढ़	03.02.2012	http://www.itmuniversity.org
38	के.के. मोदी विश्वविद्यालय, खसरा नं. 72,73,75,217 एवं 220 ग्राम मेहमारा, जलबंधा (रसमदा) रोड, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़	08.08.2018	https://kkmu.edu.in/
39	कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ *	24.03.2011	http://www.kalingauniversity.org
40	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, पदः मंगला, बिलासपुर - 495 001	17.04.2018	http://www.mumt.com
41	एम.ए.टी.एस. विश्वविद्यालय, आरंगखरोरा राजमार्ग, ग्राम पंचायत: गुल्लू, गांव: गुल्लू, तहसील: आरंग, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़	03.11.2006	http://www.matsuniversity.ac.in
42	ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, नॉलेज पार्क, घरघोड़ा रोड, पुंजीपथरा, रायगढ़-496001	21.08.2014	http://www.opju.ac.in
43	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ *	17.04.2018	http://sruraipur.ac.in/
44	श्री शंकराचार्य व्यावसायिक विश्वविद्यालय ग्राम जुनवानी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़-490020 (निजी विश्वविद्यालय)	09.06.2020	

क्र. सं.	राज्य/विश्व विद्यालय	अधिसूचना की तिथि	डब्ल्यूईबी
गोवा			
45	इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च, उपासनगर, सांकोले, एयरपोर्ट रोड, साउथ गोवा, गोवा-403710 (निजी विश्वविद्यालय)	15.09.2022	
गुजरात			
46	अडानी विश्वविद्यालय, शांतिग्राम टाउनशिप, वैष्णोदेवी सर्कल के पास, एसजी राजमार्ग, अहमदाबाद-382421, गुजरात	01.06.2022	
47	अहमदाबाद विश्वविद्यालय, एईएस बंगला # 2, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 009 *	07.07.2009	http://www.ahduni.edu.in
48	अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, संस्कारधाम परिसर, भोपाल घूमा-संसद रोड अहमदाबाद, गुजरात-382115	09.05.2016	http://www.anu.edu.in
49	आत्मीय विश्वविद्यालय, योगीधाम गुरुकुल, कालावाड रोड, राजकोट - 360005, गुजरात	13.04.2018	https://atmiyauni.ac.in/
50	ऑरो यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट, सूरत, गुजरात-394510	12.10.2011	http://www.aurouniversity.edu.in
51	भगवान महावीर विश्वविद्यालय, वीआईपी रोड, वेसू, सूरत, गुजरात	25.09.2019	http://www.bmvsurat.ac.in
52	भाईकाका विश्वविद्यालय, गोकल नगर, करमसद-388325, गुजरात	25.09.2019	http://www.bhaikakauniv.edu.in/
53	सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रोड, नवरंगपुरा अहमदाबाद-380 009	12.04.2015	http://www.cept.ac.in
54	चारोतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चंगा -388, 421, जिला - आणंद	04.11.2009	http://www.charusat.ac.in
55	चारुतर विद्या मंडल (सीवीएम) विश्वविद्यालय, शास्त्री मैदान के सामने बीवीएम महाविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर, जिला आनंद गुजरात के पास	25.09.2019	http://www.cvmu.edu.incept.ac.in
56	सी.यू. शाह विश्वविद्यालय, सुरेंद्रनगर-अहमदाबाद राज्य राजमार्ग, कोठारिया गांव के पास, वाधवान शहर -363030, जिला सुरेंद्रनगर, गुजरात	22.04.2013	http://www.cushahuniversity.ac.in
57	दर्शन विश्वविद्यालय, राजकोट-मोरबी राजमार्ग, हडाला, ता, जिला- राजकोट- 363650, गुजरात	01.06.2021	https://www.darshan.ac.in/
58	धीरूभाई अंबानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर, पोस्ट बॉक्स नंबर 4, गांधीनगर -382 007	06.03.2003	http://www.daiict.ac.in
59	डॉ. किरण और पल्लवी पटेल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (केपीजीयू), कृष्णा एजुकेशन कैंपस, ब्लॉक नंबर 136 पी, वडोदरा- मुंबई, एनएच 8, वरनामा, वडोदरा- 391243, गुजरात	01.06.2021	https://kpgu.ac.in/
60	डॉ सुभाष विश्वविद्यालय, डॉ सुभाष रोड, जूनागढ़-362001, गुजरात	01.06.2022	
61	गणपत विश्वविद्यालय, गणपत विद्यानगर, मेहसाणा, गोवाजरिया राजमार्ग, जिला मेहसाणा - 382711	23.03.2005	http://www.ganpatuniversity.ac.in
62	गांधीनगर विश्वविद्यालय, गांव: मोती भोयन, खटराज-कलोल रोड, ताल, कलोल, जिला- गांधीनगर-382721, गुजरात	01.06.2022	
63	जी.एल.एस. विश्वविद्यालय, गुजरात लॉ सोसाइटी कैंपस, लॉ गार्डन के सामने, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006	15.04.2015	http://www.glsuniversity.ac.in
64	गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गोकुल एजुकेशनल कैंपस, जीआरएसएल के पास, सुजानपुर पटिया, सिद्धपुर, जिला पाटन, गुजरात (निजी विश्वविद्यालय)	23.03.2018	http://gokuleducation.ac.in/
65	गुजरात समुद्री विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात	06.05.2017	https://gmu.edu.in/
66	जीएसएफसी विश्वविद्यालय, विज्ञान भवन, पीओ उर्वरकनगर - 391750, जिला वडोदरा, गुजरात	19.12.2014	http://www.gsfcuni.edu.in
67	इंडस विश्वविद्यालय, इंडस कैंपस, रंचर्दा, वाया-थलतेज, अहमदाबाद - 382115	02.05.2012	http://www.iiuedu.in
68	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ- गांधीनगर, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिसर्च कैंपस, ड्राइव-इन-रोड, थलतेज, अहमदाबाद - 380054	02.05.2015	http://www.iiphg.edu.in
69	इंद्रशील विश्वविद्यालय, रतनपुर, धांधुका, अहमदाबाद - 382465, गुजरात	31.03.2017	http://www.indrashiluniversity.educ.in
70	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च, इंस्टीट्यूशनल एरिया, कोबा, गांधीनगर - 382007	12.10.2011	http://www.iar.ac.in
71	आईटीएम-वोकेशनल यूनिवर्सिटी, प्लॉट 6512, अजवा निमेटा रोड, रावल तालुका, वाघोडिया, वडोदरा, गुजरात	08.05.2014	http://www.itm.ac.in
72	आईटीएम (एसएलएस) बड़ौदा विश्वविद्यालय, पालदी, जरोड के पास, वडोदरा- हलोल राजमार्ग, वडोदरा -391510 गुजरात	25.09.2020	http://www.itmbu.ac.in
73	जे.जी. विश्वविद्यालय, उवरसाद, जिला-गांधीनगर-380054, गुजरात	25.09.2019	
74	कड़ी सर्व विश्वविद्यालय, सर्व विद्यालय परिसर, सेक्टर 15/23, गांधीनगर-382015	16.05.2007	http://www.ksvuniversity.org.in
75	कर्णावती विश्वविद्यालय, 907/ए, उवारसाद - 382422, जिला गांधीनगर, गुजरात	31.03.2017	http://www.karnavatiuniversity.com

क्र. सं.	राज्य/विश्व विद्यालय	अधिसूचना की तिथि	डब्ल्यूईबी
76	लोकभारती युनिवेर्सिटी फॉर रूरल इनोवेशन, सनोसारा, ता.सिहोर, जिला भावनगर-364230, गुजरात	01.06.2022	
77	लकुलिश योग विश्वविद्यालय, "लोटस व्यू" निरमा विश्वविद्यालय के सामने, एसजी राजमार्ग, छारोडी, अहमदाबाद-382481	16.04.2013	http://www.lyu.ac.in
78	लोक जागृति केंद्र विश्वविद्यालय, एफपी नंबर 74, 100 + 113, टीपीएस नंबर 86 (सरखेज-ओकाफ-फतेहवाड़ी, मकरबा) जिला अहमदाबाद, गुजरात	25.09.2019	http://www.ljku..edu.in
79	मगनभाई अदनवाला महागुजरात विश्वविद्यालय, आई.एस. अयरुवेद महाविद्यालय, महाविद्यालय रोड, नडियाद-387001, गुजरात	01.06.2022	
80	मारवाड़ी विश्वविद्यालय, राजकोट-मोरबी राजमार्ग, राजकोट-360003	09.05.2016	http://www.marwadiuniversity.ac.in
81	मोनार्क विश्वविद्यालय, एट एंड पोस्ट वाहेलाल, नरोदा-दाहेगाम रोड, टीए. दसकरोई, जिला अहमदाबाद- 382330, गुजरात	01.06.2021	https://monarkuni.ac.in/
82	नवरचना विश्वविद्यालय, वासना-भायली रोड, वडोदरा -382015	07.07.2009	http://www.nuv.ac.in
83	निरमा विश्वविद्यालय, सरखेज, गांधीनगर राजमार्ग, गांव-छरोडी, अहमदाबाद-382481	12.3.2003	http://www.nirmauni.ac.in
84	नोबल विश्वविद्यालय, नोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, पार्थ वाटिका, भेसन रोड, रमंगम के पास, टीए. एवं जिला-जूनागढ़-362310, गुजरात	01.06.2022	
85	पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, रायसन, जिला गांधीनगर - 382 009	04.04.2007	http://www.pdpu.ac.in
86	पी.पी. सवानी विश्वविद्यालय, एनएच -8, गेटको, बिलटेक के पास, गांव -धमदोद, कोसांबा, ता - मंगरोल, जिला - सूरत - 394125, गुजरात	31.03.2017	www.ppsu.ac.in
87	पारुल विश्वविद्यालय, पीओ लिमडा, ताल - वाघोडिया, जिला वडोदरा -391760	21.04.2015	http://www.paruluniversity.ac.in
88	प्लास्टइंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, डुंगरा, जीआईडीसी, वीएपीआई, जिला-वलसाड- 396195	09.05.2016	http://www.plastindia.edu.in
89	आर.के. विश्वविद्यालय, राजकोट-भावनगर राजमार्ग, कस्तूरबाधाम, राजकोट, गुजरात-360020	14.10.2011	http://www.rku.ac.in
90	राय विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात-382260	02.05.2009	http://www.raiuniversity.edu
91	स्किप्स विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 411, सनावद, कलोल, गांधीनगर -382721, गुजरात	01.06.2022	
92	साबरमती विश्वविद्यालय (फॉर्मली कैलर्स टीचर्स यूनिवर्सिटी), अहमदाबाद-382481	07.07.2009	http://www.ctu.calorx.org
93	सांकलचंद पटेल विश्वविद्यालय, सांकलचंद पटेल विद्याधाम, विसानगर- 384315	09.05.2016	http://www.spceung.ac.in
94	सार्वजनिक विश्वविद्यालय, एमटीबी महाविद्यालय परिसर, चौपाटी के सामने, अठवालाइन्स, सूरत, गुजरात- 395001	01.06.2021	https://sarvajanikuniversity.ac.in/
95	श्रेयार्थ विश्वविद्यालय, सी/ओ गुजरात समाचार भवन, खानपुर, अहमदाबाद-380001, गुजरात	25.09.2019	http://www.shreyarthuni.ac.in
96	सिल्वर ओक विश्वविद्यालय एस.जी. हाईवे गोटा, अहमदाबाद 382481, गुजरात	25.09.2019	https://silveroakuni.ac.in/
97	सुरेंद्रनगर विश्वविद्यालय, श्री पंडित नाथूलालजी व्यास तकनीकी परिसर, सुरेंद्रनगर-अहमदाबाद राजमार्ग, एनआर कोठारिया गांव, वाधवान में - 363030, गुजरात	01.06.2021	https://suni.ac.in/
98	स्वामीनारायण विश्वविद्यालय, श्री स्वामीनारायण विश्वमंगल गुरुकुल, अहमदाबाद-मेहसाणा राजमार्ग, एटी एंड पीओ-सैज, ताल: कलोल, जिला-गांधीनगर-382725, गुजरात	01.06.2022	
99	स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी, भोयन राठौड़, इफको के सामने, अडालज-सेरथा रोड, गांधीनगर - 382420, गुजरात	31.03.2017	http://www.ssiu.ac.in
100	टीम लीज स्किल्स यूनिवर्सिटी, तरसाली-वडोदरा रोड, तरसाली बाईपास, वडोदरा - 390009	22.04.2013	http://www.teamleaseuniversity.org
101	ट्रांसस्टेडिया विश्वविद्यालय, कांकरिया गेट नंबर 3 के सामने, कांकरिया, अहमदाबाद-380022, गुजरात	01.06.2022	
102	यूकेए तरसाडिया विश्वविद्यालय, मालिबा कैंपस, गोपाल विद्यानगर, बरोली- महुवा रोड, जिला सूरत, गुजरात-394350	14.10.2011	http://www.utu.ac.in
103	यूपीएल यूनिवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, ब्लॉक नंबर 402, एटी एंड पीओ वतारिया, तालुका वालिया, जिला भरूच, गुजरात	01.06.2021	https://upluniversity.ac.in/
104	वनिता विश्राम महिला विश्वविद्यालय, वनिता विश्राम परिसर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, अठवा गेट, सूरत, गुजरात- 395001	01.06.2021	https://www.vvwusurat.in/
105	विद्यादीप विश्वविद्यालय, एटी एंड पीओ अनीता (किम), ताल ओलपाड, जिला सूरत-394110, गुजरात	01.06.2022	
हरियाणा			
106	अल-फलाह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा	02.05.2014	http://www.alfalahuniversity.edu.in

क्र. सं.	राज्य/विश्व विद्यालय	अधिसूचना की तिथि	डब्ल्यूईबी
107	एमिटी विश्वविद्यालय, एमिटी एजुकेशन वैली, पंचगांव, मानेसर, जिला - गुरुग्राम-122413, हरियाणा	26.04.2010	http://www.amity.edu/gurgaon
108	एपीजे सत्या विश्वविद्यालय, सोहना पलवल रोड, सोहना, गुरुग्राम -122103, हरियाणा*	02.11.2010	http://www.university.apeejay.edu.in
109	अशोका विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 2, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, कुंडली, एनसीआर, सोनीपत, हरियाणा-131028	02.05.2014	http://www.ashokaka.edu.in
110	बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा-124021	10.02.2012	http://www.babamastanathuniversity.com
111	बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय, 67 वें केएम स्टोन, एनएच -8, सिधरावली, जिला गुरुग्राम - 123413, हरियाणा	02.05.2014	http://www.bml.edu.in
112	गीता विश्वविद्यालय, 1326, हुडा सेक्टर 12, पानीपत -132103, हरियाणा	27.01.2022	https://www.geetauniversity.edu.in/
113	जीडी गोयनका विश्वविद्यालय, जीडी गोयनका एजुकेशन सिटी, गुरुग्राम सोहना रोड, गुरुग्राम, हरियाणा - 122 103	03.05.2013	http://www.gdgoenkauniversity.com
114	आईआईएलएम विश्वविद्यालय, 1, नॉलेज सेंटर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर -53, गुरुग्राम – 122003, हरियाणा (निजी विश्वविद्यालय)	06.04.2018	http://www.iilmlr.ac.in/
115	नॉर्थकैप विश्वविद्यालय, हुडा सेक्टर 23 ए, गुरुग्राम -122107, हरियाणा	21.10.2009	http://www.itmindia.edu
116	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, राज्य राजमार्ग 22, बहादुरगढ़-झज्जर रोड झज्जर - 124 507, हरियाणा	03.05.2013	http://www.jagannathuniversityncr.ac.in
117	के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुरुग्राम, हरियाणा - 122 103.	03.05.2013	http://www.krmangalam.edu.in
118	मानव रचना विश्वविद्यालय, सेक्टर - 43, दिल्ली-सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा	06.08.2014	http://www.manavrachna.edu.in
119	एम.वी.एन. विश्वविद्यालय, पलवल, हरियाणा-121105	10.02.2012	http://www.mvn.edu.in
120	महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय, सादोपुर, जिला अंबाला, हरियाणा- 134007	29.10.2010	http://www.mmumullana.org
121	एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय, 9 किमी माइलस्टोन, एनएच -65, कैथल -136027, हरियाणा	27.09.2011	http://www.niilmuniversity.in
122	ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी एनएच -65, कैथल -136027, हरियाणा	15.03.2019	https://www.osgu.ac.in/
123	ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा-131001 *	10.11.2006	http://www.jgu.edu.in
124	पीडीएम यूनिवर्सिटी पोस्ट बॉक्स नंबर 15, सेक्टर -3 ए, सराय औरंगाबाद, बहादुरगढ़-124507	14.01.2016	http://www.pdm.ac.in
125	ऋषिहुड विश्वविद्यालय एनएच -44 (जीटी रोड), दिल्ली के बहालगढ़ चौक एनसीआर के पास, सोनीपत, हरियाणा -131021	04.05.2020	http://www.rishihood.edu.in
126	सुशांत विश्वविद्यालय (फॉर्मली अंसल विश्वविद्यालय), गुरुग्राम, हरियाणा	10.02.2012	http://www.ansaluniversity.edu.in
127	श्री गुरु गोबिंद सिंह त्रिशताब्दी विश्वविद्यालय, फारुख नगर रोड, बुढेड़ा, जिला गुरुग्राम, हरियाणा	03.05.2013	http://www.sgtuniversity.org
128	एसआरएम यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 39, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, दिल्ली-एनसीआर, सोनीपत-कुंडली अर्बन कॉम्प्लेक्स, हरियाणा - 131 029	03.05.2013	http://www.srmuniveristy.ac.in
129	स्टारेक्स विश्वविद्यालय, एनएच -8, गांव - बिनोला, पीओ - भोराकलान, गुरुग्राम, हरियाणा	25.08.2016	http://www.starexuniversity.com
130	वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, प्लॉट नंबर 1, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, राई, दिल्ली-एनसीआर, सोनीपत - 131029, हरियाणा	07.02.2018	http://www.worlduniversityofdesign.ac.in
हिमाचल प्रदेश			
131	अभिलाषी विश्वविद्यालय, चैलचक (चचियोट), जिला, मंडी, हिमाचल प्रदेश	23.01.2015	http://www.abhilashiuniversity.in
132	ए.पी.जी. (अलख प्रकाश गोयल) विश्वविद्यालय, ग्राम-पुजारली, शोहगीमेहली बाईपास रोड, पंथाघाटी के पास, शिमला-171009	07.06.2012	http://www.apg.edu.in
133	अरनी विश्वविद्यालय, काठगढ़, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) -176401	03.11.2009	http://www.arni.in
134	बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, मखनुमाजरा, बद्दी, जिला - सोलन, हिमाचल प्रदेश-173205	15.10.2009	http://www.baddiuniv.ac.in
135	बाहरा विश्वविद्यालय, वीपीओ - वाकनाघाट, तहसील - कंडाघाट, जिला -सोलन, हिमाचल प्रदेश-173215	21.01.2011	http://www.bahrauniversity.edu.in
136	करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश-176041	03.05.2012	http://www.cpuniverse.in
137	चितकारा विश्वविद्यालय, हिमुडा एजुकेशन हब, कल्लूझंडा (बरोटीवाला), जिला-सोलन - 174 103	21.01.2009	http://www.chitkara.edu.in
138	ऐटरनल विश्वविद्यालय, बारूसाहिब, जिला सिरमौर, पिन-173101 (हिमाचल प्रदेश)	22.10.2009	http://www.eternaluniversity.edu.in

क्र. सं.	राज्य/विश्व विद्यालय	अधिसूचना की तिथि	डब्ल्यूईबी
139	आई.ई.सी. (भारत शिक्षा केंद्र) विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 7 और 10, अटल शिक्षा कुंज, बद्दी जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश	11.05.2012	http://www.iecuniversity.com
140	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, हिमुडा एजुकेशन हब, कालूझिंडा, पीओ मंधाला, वाया बरोटीवाला, बद्दी, सोलन जिला, हिमाचल प्रदेश - 174103	20.10.2011	http://www.iuhimachal.edu.in
141	इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वी.पी.ओ. बाथू, तहसील हरोली, जिला -ऊना, हिमाचल प्रदेश - 174 301	01.02.2010	http://www.iiuedu.in
142	जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पीओ वाकनाघाट, तहसील- कंडाघाट, जिला कांगड़ा सोलन, हिमाचल प्रदेश-173234	22.05.2002	http://www.juit.ac.in
143	महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय, कुमारहट्टी, सुल्तानपुर रोड, सोलन - 173 229	19.09.2010	http://www.mmusolan.org
144	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, अटल शिक्षा कुंज, जिला-सोलन - 174103, हिमाचल प्रदेश	15.01.2013	http://www.mau.ac.in
145	मानव भारती विश्वविद्यालय, लड्डू, सुल्तानपुर, कुमारहट्टी, सोलन-173229	22.09.2009	http://www.manavbhartiuniversity.edu.in
146	शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, सोलन, हिमाचल प्रदेश	15.10.2009	http://www.shooliniuniversity.com
147	श्री साई विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश	27.01.2011	http://www.srisaiuniversity.org
झारखंड			
148	अर्का जैन विश्वविद्यालय, केरल पब्लिक स्कूल के सामने, मोहनपुर, गम्हरिया, जिला - सरायकेला खरसावां - 832108, झारखंड	04.07.2017	http://www.arkauniversity.ac.in
149	एमिटी विश्वविद्यालय, रांची सिटी कैंपस, निवारनपुर, मेन रोड, रांची, झारखंड	13.05.2016	http://www.amity.edu.in
150	ऐआईएसईसीटी विश्वविद्यालय, मटवारी चौक, गांधी मैदान के सामने, हजारीबाग, झारखंड	13.05.2016	http://www.aisectuniversity.ac.in
151	राजधानी विश्वविद्यालय, रांची-पटना मेन रोड, कोडरमा, झारखंड	11.10.2018	http://www.capital.edu.in
152	झारखंड राय विश्वविद्यालय, कामरे, रातू रोड, रांची-835222	02.02.2012	http://www.jru.edu.in
153	नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय, पोखरी, पीओ- भिलाई पहाड़ी, पीएस- एमजीएम, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	19.09.2018	http://www.wbnsou.ac.in/
154	प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बोरातू रोड, बूटी मोरे, पीओ-आरएमसीएच, रांची-834009, झारखंड	16.05.2016	http://www.pragyanuniversity.edu.in
155	राधा गोविंद विश्वविद्यालय, राधा गोविंद नगर, लालकी, रामगढ़	11.10.2018	http://rguniversity.org/
156	राम कृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन विश्वविद्यालय, 604, 5 वीं मंजिल, गोपाल मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, अरगोरा चौक के पास, रांची-834002, झारखंड	06.12.2018	https://rkdf.ac.in/
157	रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय, नवाडीहकला, पीओ और पीएस बिश्रामपुर, पलामू- 822132, झारखंड	19.09.2018	https://www.rcu.edu.in/
158	साई नाथ विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड	27.04.2012	http://www.sainathuniversity.com
159	सरला बिड़ला विश्वविद्यालय, बिड़ला परिसर, गांव - आरा, पीओ - महिलोंग, रांची-पुरुलिया राजमार्ग, रांची - 835103, झारखंड	20.07.2017	http://www.sbu.ac.in
160	श्रीनाथ विश्वविद्यालय, डिंडली, आदित्यपुर, जमशेदपुर – 831013, झारखंड	03.09.2021	https://www.srinathuniversity.in/
161	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ग्रैंड एमराल्ड बिल्डिंग, रोड नंबर 1 और 2 के बीच, अशोक नगर, रांची - 834 202, झारखंड	17.06.2008	http://www.iujharkhand.edu.in
162	उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, 12 माइल, रांची खूंटी रोड, एनएच -95, रांची- 835221	20.01.2014	http://www.ushamartinuniversity.com
163	वाईबीएन विश्वविद्यालय, पंचवटी दक्षिण रेलवे कॉलोनी, रांची -834001, झारखंड	04.07.2017	http://www.ybnuniversity.in
कर्नाटक			
164	आदिचुनचनगिरी विश्वविद्यालय, एनएच-75, टीक्यू- नागमंगला, जिला-मांड्या, बी.जी.नगरा-571448, कर्नाटक (निजी विश्वविद्यालय)	22.01.2018	https://acu.edu.in/
165	एलायंस यूनिवर्सिटी, बैंगलोर (कर्नाटक)	16.09.2010	http://www.alliance.edu.in
166	अटरिया विश्वविद्यालय, एएसकेबी परिसर, 1 मेन रोड, एजीएस कॉलोनी आनंदनगर, हेब्बल, बेंगलुरु- 560024, कर्नाटक	07.01.2022	https://www.atriauniversity.edu.in/
167	अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, 134, डोड्डाकेनेली, विप्रो कॉर्पोरेट कार्यालय के बगल में, सरजापुर रोड, बैंगलोर, कर्नाटक	13.10.2010	http://www.azimpremjiuniversity.edu.in
168	सीएमआर विश्वविद्यालय, 2,3, 'सी', 6 वी मेन रोड, दूसरा ब्लॉक, बीआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बैंगलोर - 560 043	16.05.2013	http://www.cmr.edu.in

क्र. सं.	राज्य/विश्व विद्यालय	अधिसूचना की तिथि	डब्ल्यूईबी
169	चाणक्य विश्वविद्यालय, ब्रिगेड ऑर्चर्ड, रायसंद्रा गांव, कसाबा होबली, देवनहल्ली तालुक, बेंगलुरु ग्रामीण जिला, कर्नाटक	05.03.2022	
170	दयानंद सागर विश्वविद्यालय, देवरकागगलाहल्ली गांव, हरोहल्ली होबली, कनकपुरा तालुक, रामनगर जिला, कर्नाटक	16.05.2014	http://www.dayanandsagar.edu.in
171	गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी, जीसीसी हाउस, 340, 5 वीं मेन, इंदिरानगर डबल रोड, पहला चरण, इंदिरानगर, बैंगलोर - 560038, कर्नाटक	24.06.2013	http://www.gardencityuniversity
172	जेएसएस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जेएसएस तकनीकी संस्थान परिसर, मैसूरु – 570006, कर्नाटक	16.01.2016	http://www.jssstuniv.in
173	खाजा बंदनवाज विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन, खाजा बंदनवाज विश्वविद्यालय परिसर, रौजा-ए-बुजुर्ग, कलबुर्गी- 585104, कर्नाटक	21.04.2018	www.kbn.university.
174	के.एल.ई. टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बी.वी. भूमरद्दी महाविद्यालय कैंपस, विद्यानगर, हुबली - 580031 *	04.04.2015	http://www.kletech.ac.in
175	एम.एस. रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, न्यू बीईएल रोड, एमएसआरआईटी पोस्ट, बैंगलोर - 560 054	09.07.2013	http://www.msruas.ac.in
176	पीईएस विश्वविद्यालय, 100 फीट रिंग रोड, बीएसके तृतीय चरण, बैंगलोर -560 085	16.05.2013	http://www.pes.edu
177	प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय (कर्नाटक), दिब्बुर और इगलपुर गांव, हेसरघट्टा होबली, बैंगलोर (कर्नाटक)	16.05.2013	http://www.presidencyuniversity.in
178	राय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, डोड्डाबल्लापुर नेलमंगला रोड, एसएच -74, ऑफ हाईवे 207, डोड्डाबल्लापुर तालुक, बैंगलोर - 561204	09.07.2013	http://www.raitechnologyuniversity.in
179	रेवा विश्वविद्यालय, कट्टीगेनहल्ली, येलहंका, बैंगलोर -560 064	16.05.2013	http://www.reva.edu.in
180	आरवी विश्वविद्यालय, आरवीयू प्रशासनिक भवन, आरवी विद्यानिकेतन पोस्ट, मैसूर रोड, बेंगलुरु- 560059, कर्नाटक	16.06.2021	https://rvu.edu.in/
181	शरणबसवा विश्वविद्यालय, कलबुर्जी (गुलबर्गा)	29.07.2017	http://sharnbasvauniversity.edu.in
182	श्री धर्मस्थल मंजूनाथेश्वर विश्वविद्यालय, 6 वीं मंजिल, मंजूश्री भवन, एसडीएम महाविद्यालय ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, सत्तूर, धारवाड़-580009 कर्नाटक	19.12.2018	https://www.sdmuniversity.edu.in/
183	श्रीनिवास विश्वविद्यालय, श्रीनिवास ग्रुप ऑफ महाविद्यालय कैंपस, श्रीनिवास नगर, मुक्का, सुरथकल, मैंगलोर-574146	20.02.2015	https://www.srinivasuniversity.edu.in
184	श्री जगद्गुरु मुरुगराजेंद्र विश्वविद्यालय, एसजेएम कैमस, चित्रदुर्ग-577502, कर्नाटक	13.06.2022	
185	सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय, पीओ बॉक्स 27094, #36, लालबाग रोड, बेंगलुरु-560027, कर्नाटक	02.07.2022	
186	श्री सत्य साईं यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस, श्री सत्य साईं विद्यानिकेतनम कैंपस, नवनिहाला, पोस्ट-ओकाली, तालुककमालापुर, जिला-कलबुर्गी-585313, कर्नाटक	08.03.2019	https://sssuhe.ac.in/
187	ट्रांस-डिसिप्लिनरी हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय, 74/2, जराकाबांदे कवल, येलहंका, वाया अत्तूर पोस्ट, बैंगलोर -560064, कर्नाटक	26.06.2013	http://www.tdu.in
188	विद्याशिल्प विश्वविद्यालय, नंबर 125 बेट्टेनाहल्ली, कुंडाना होबली, चपरकल्लू रोड, बेंगलुरु -562110, कर्नाटक	20.06.2022	
मध्य प्रदेश			
189	अवंतिका विश्वविद्यालय, विश्वनाथपुरम, लेकोड़ा गांव, उज्जई - 456 006, मध्य प्रदेश	12.01.2017	http://www.avantikauniversity.edu.in
190	ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश-485001	31.12.2011	http://www.aksuniversity.ac.in
191	एकलव्य विश्वविद्यालय, ओजस्विनी नगर, सागर रोड, दमोह, मध्य प्रदेश	26.09.2020	http://www.eklavyauniversity.ac.in
192	रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, ग्राम मेंदुआ, भोपाल-चिकलोद रोड, तहसील-गौहरगंज, जिला-रायसेन, मध्य प्रदेश	30.12.2010	http://www.rntu.ac.in
193	एमिटी विश्वविद्यालय, महाराजपुरा डांग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश - 474005	30.12.2010	http://www.amity.edu/gwalior
194	भाभा विश्वविद्यालय, एनएच -12, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल - 462026, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	11.01.2018	https://www.bhabhauniversity.edu.in/
195	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इंदौर-देवास बायपास रोड, गांव- अरंदिया, पोस्ट-झलरिया, मध्य प्रदेश-452016	01/04/2016	http://www.aku.ac.in
196	डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, खंडवा-इंदौर रोड, डाक – छैगांव माखन, खंडवा – 450771 (मध्य प्रदेश)	28.07.2018	http://cvru.ac.in/

क्र. सं.	राज्य/विश्व विद्यालय	अधिसूचना की तिथि	डब्ल्यूईबी
197	डॉ. प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ग्राम दिनारा, दी-करेरा, जिला-शिवपुरी, मध्य प्रदेश 473665		
198	जी.एच. रायसोनी विश्वविद्यालय, गांव- साईखेड़ा, ढोडाबोरगांव ताह-सौंसर, जिला- छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	27.08.2016	http://www.ghru.edu.in
199	आई.ई.एस. विश्वविद्यालय, आईईएस परिसर, रातीबड़ मेन रोड, भोपाल-462044 मध्य प्रदेश	14.08.2019	http://www.iesuniversity.ac.in/
200	आईटीएम विश्वविद्यालय, आईटीएम कैंपस, सिथौली रेलवे स्टेशन के सामने, एनएच - 75, झांसी रोड, ग्वालियर -474 001	04.05.2011	http://www.itmuniversity.ac.in
201	जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत मुगालियाछाप, तहसील हुजूर, भोपाल - 462044	24.04.2013	http://www.jlu.edu.in
202	जेपी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एबी रोड, राघौगढ़, जिला गुना - 473 226	13.08.2010	http://www.juet.ac.in
203	एलएनसीटी विश्वविद्यालय, जेके टाउन, सर्वधर्म सी सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल -462042	08.01.2015	http://www.lnctu.ac.in
204	मध्यांचल व्यावसायिक विश्वविद्यालय, पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैंपस, रातीबड़, भोपाल - 462044, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	11.01.2018	https://www.mpu.ac.in/
205	महाकौशल विश्वविद्यालय, अंथाखेड़ा चरगवां रोड, पोस्ट-तिलवाड़ा, जबलपुर, मध्य प्रदेश	13.01.2021	https://www.mku.ac.in
206	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर - 482001	29.11.1995	http://www.mmyw.com
207	मालवांचल विश्वविद्यालय, इंडेक्स सिटी, एनएच-59ए, नेमावर रोड, खुडेल के पास, जिला-इंदौर-452016	04.01.2016	http://www.malwachaluniversity.com
208	मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गांव – गड़िया और रत्नाखेड़ी, ब्लॉक – बिलकिसगंज, सीहोर (मध्य प्रदेश)	11.01.2018	http://www.mguindia.com/
209	मंदसौर विश्वविद्यालय, रेवासदेवड़ा रोड, एसएच-31, मंदसौर-458001	19.08.2015	http://www.mandsauruniversity.edu.in
210	मंगलायतन विश्वविद्यालय, एनएच-30, मंडला रोड, शारदा देवी मंदिर के पास, रिचाई-बरेला, जबलपुर-483001, मध्य प्रदेश	14.08.2019	http://www.mangalayatan.in/
211	मेडी-कैप्स विश्वविद्यालय, एबी रोड, पिगडाम्बर, राऊ, इंदौर- 453331	22.07.2015	http://www.medicaps.ac.in
212	ओरिएंटल यूनिवर्सिटी, रेवती रेंज गेट नंबर 1 के सामने, सांवेर रोड, पीओ बॉक्स नंबर 311, विजय नगर पोस्ट ऑफिस, इंदौर - 452 010	04.05.2011	http://www.orientaluniversity.in
213	पीपुल्स यूनिवर्सिटी, भानपुर, भोपाल - 462 037	04.05.2011	http://www.peopleuniversity.edu.in
214	पी.के. विश्वविद्यालय, गांव-थानारा, तेह-करेरा, एनएच-27, शिवपुरी, जिला- शिवपुरी-473551	19.08.2015	http://www.pkuniversity.edu.in
215	पुनर्जागरण विश्वविद्यालय, सर्वेक्षण संख्या 34/2, 51/1/1, ग्राम रेवती, सांवेर रोड, अरबिंदो अस्पताल के पीछे, इंदौर – 452015, मध्य प्रदेश	24.08.2017	http://www.rnu.edu.ng/
216	आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, बाईपास रोड, आरजीपीसी परिसर के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश	19.07.2011	http://www.rkdf.ac.in
217	सेज विश्वविद्यालय, कैलोदकारताल, इंदौर-देवास बायपास रोड, राऊ, इंदौर-452020, मध्य प्रदेश	24.08.2017	http://www.sageuniversity.in
218	सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, अगरिया चोपडा, बिलखिरिया, भोपाल, मध्य प्रदेश	14.08.2019	http://www.samglobaluniversity.ac.in
219	संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, कटारा एक्सटेंशन, सहारा बाईपास रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश	14.08.2019	
220	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, सरदार पटेल नॉलेज सिटी, वारासिवनी रोड, डोंगरिया, बालाघाट	28.07.2018	http://www.spuvvn.edu/
221	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, एनएच -12, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल, मध्य प्रदेश	08.01.2015	http://www.srku.edu.in
222	श्री अरबिंदो विश्वविद्यालय, सैम्स कैंपस, इंदौर-उज्जैन राज्य राजमार्ग, एमआर -10 क्रॉसिंग के पास, सांवेर रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश -453555	30.03.2021	https://sriaurobindouniversity.edu.in/
223	श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, एनएच -86, ग्राम चौका, सागर रोड, छतरपुर- 471001, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	28.07.2018	http://www.skuindia.ac.in/
224	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, सांवेर रोड, इंदौर-453111	08.01.2015	http://www.svvv.edu.in
225	श्री सत्य साई प्रौद्योगिकी एवं आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, भोपाल-इंदौर रोड, पचामा ऑयल फेड प्लांट के सामने, पचामा, सीहोर - 466001	12.02.2014	http://www.ssutms.co.in
226	शुभम विश्वविद्यालय सेमरा सैयद, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल-462010, मध्य प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	17.10.2022	
227	स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	31.12.2011	http://www.svnuniversity.ac.in
228	सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, बड़ा बांगड़दा सुपर कॉरिडोर, इंदौर-452001	27.08.2016	http://www.suas.ac.in
229	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, लटेरी रोड, सिरोंज (गोशाला के पास), जिला - विदिशा, मध्य प्रदेश - 464228	09.01.2013	http://www.technoglobaluniversity.com

क्र. सं.	राज्य/विश्व विद्यालय	अधिसूचना की तिथि	डब्ल्यूईबी
230	वीआईटी भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल-इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग, कोठरीकलां, सीहोर-466114, मध्य प्रदेश	24.08.2017	http://www.vitbhopal.ac.in
231	विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर, गांव-रतवाई, चितोरा रोड बड़ा गांव, मुरार, ग्वालियर-474009, मध्य प्रदेश	17.10.2022	
महाराष्ट्र			
232	अजीन्क्या डी.वाई. पाटिल विश्वविद्यालय, चारहोली बद्रुक, वाया लोहेगांव, पुणे- 412105	25.02.2015	http://www.adypu.edu.in
233	एमिटी विश्वविद्यालय, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, भाटन, पोस्ट-सोमने, पनवेल, मुंबई, महाराष्ट्र-410206	25.07.2014	http://www.amity.edu/mumbai
234	एटलस स्किलटेक विश्वविद्यालय, बिल्डिंग ए, सीटीएस नंबर 83, 83/1 से 19 गांव कुर्ला, तालुकाकुर्ला, एलबीएस मार्ग, कुर्ला पश्चिम, मुंबई- 400070, महाराष्ट्र (निजी विश्वविद्यालय)	04.08.2021	https://atlasuniversity.edu.in/
235	छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, शेडुंग टोल प्लाजा के पास, पुरानी मुंबई पुणे राजमार्ग, पनवेल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	09.08.2018	https://www.csmu.ac.in/
236	डॉ. विश्वनाथ कराड एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, क्रम सं. 124, पौड रोड, कोथरुड, पुणे - 411038, महाराष्ट्र	05.06.2017	http://www.mitwpu.edu.in
237	डी.वाई. पाटिल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय, तलसांडे, कोल्हापुर, महाराष्ट्र -416112	04.02.2021	https://www.dyp-atu.org/
238	डी.वाई. पाटिल विश्वविद्यालय, क्र.सं. 124 और 126, अंबी, तालमावल, एमआईडीसी रोड, तालेगांव दाभाडे, पुणे -410507 महाराष्ट्र	16.07.2019	https://www.dypiu.ac.in
239	डीवाई पाटिल अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर - 29, प्राधिकरण, अकुर्दी, पुणे - 411044, महाराष्ट्र (निजी विश्वविद्यालय)	14.03.2018	https://www.dypiu.ac.in/
240	फ्लेम यूनिवर्सिटी, जीएटी सं. 1270, गांव लवले, तालुका मुलशी, पुणे- 411042	13.02.2015	http://www.flame.edu.in
241	जी.एच. रायसोनी विश्वविद्यालय, बडनेरा, अंजनगांव, बारी रोड, अमरावती-444701 महाराष्ट्र	20.07.2018	http://ghru.edu.in/
242	हैदराबाद (एसआईएनडी) नेशनल कॉलेजिएट यूनिवर्सिटी, डीएम हरीश बिल्डिंग, 47, डॉ. आर. जी. थडानी मार्ग, वर्ली, मुंबई, महाराष्ट्र	30.10.2019	www.hsncu.edu.in
243	एमजीएम विश्वविद्यालय, एमजीएम परिसर, एन -6, सिडको, औरंगाबाद -431003, महाराष्ट्र	09.09.2019	https://mgmu.ac.in/
244	एमआईटी आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, राजबाग, हडपसर लोनी कालभोर के बगल में, पुणे- 412201	13.10.2015	http://www.mituniversity.edu.in
245	एनआईसीएमएआर विश्वविद्यालय, बिल्डिंग नं/प्लॉट नंबर 25/1, एनआईए पोस्ट ऑफिस, बालेवाड़ी, तालुका हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र-411045	09.06.2022	
246	संदीप विश्वविद्यालय, त्र्यंबक रोड, महिरावणी, नासिक, महाराष्ट्र *	09.10.2015	http://www.sandipuniversity.com
247	स्पाइसर एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी, औंध रोड, गंधखिंड पोस्ट, पुणे-411004	25.07.2014	http://www.sau.edu.in
248	सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (पूर्व में सिम्बायोसिस स्किल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटी), गांव - किवाले, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे से सटे, ताल - हैवली, पुणे - 412101, महाराष्ट्र	05.05.2017	http://www.ssou.ac.in
249	संजय घोडावत विश्वविद्यालय, ए/पी- अटिग्रे - 416118, हातकणंगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	13.07.2017	http://www.sanjayghodawatuniversity.ac.in
250	सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय, सोमैया भवन, 45-47, महात्मा गांधी रोड, किला, मुंबई-400001, महाराष्ट्र	26.08.2019	https://www.somaiya.edu/en
251	श्री बालाजी विश्वविद्यालय, एस. नं. 55/2-7, ताथावड़े, मुंबई-बैंगलोर बाईपास, पुणे-411033, महाराष्ट्र	20.08.2019	sribalajiuniversity.org
252	विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, सर्वेक्षण संख्या 2,3,4, लक्ष्मी नगर, कोंधवा बुद्रुक, पुणे - 411048, महाराष्ट्र	05.05.2017	http://www.vupune.ac.in
253	विजयभूमि विश्वविद्यालय, जमरुंग, पोस्ट अंबिवली, तालुका कर्जत, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र -410201	13.09.2020	http://www.vijaybhoomi.edu.in
मणिपुर			
254	एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, लामसांग, मणिपुर- 795113	23.02.2021	https://aiu.edu.in/
255	बीर टिकेंद्रजीत विश्वविद्यालय, ब्लॉक ए, थौबाई लीशांगथेम वांगमाटाबा, जिला थौबल, इम्पाल, मणिपुर	26.03.2020	https://www.birtikendrajituniversity.ac.in
256	मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एमआईयू पैलेस, घारी, एयरपोर्ट रोड, इम्फाल- 795140, मणिपुर	14.02.2019	https://www.miu.ac/
257	खोंगनांगथाबा विश्वविद्यालय, खुरई कोंसम लेइकाई, इंफाल पूर्व जिला -795010, मणिपुर	23.01.2021	

क्र. सं.	राज्य/विश्व विद्यालय	अधिसूचना की तिथि	डब्ल्यूईबी
258	संगई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, चुराचंदपुर, मणिपुर	05.05.2015	http://www.sangaiinternationaluniversity.com
मेघालय			
259	सीएमजे विश्वविद्यालय, शिलांग (मेघालय)	20.07.2009	http://www.cmjuniversity.edu.in
260	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, पीओ अराइमाइल, माचाकोलग्रे, तुरा, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय	04.01.2011	http://www.mgu.edu.in
261	मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, केआईपीए सम्मेलन केंद्र, सेंट्रल वार्ड, शिलांग - 793 001	13.07.2005	http://www.mlcuniv.in
262	नॉर्थ ईस्ट एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी, खलीहटायर्शी, पीओ थडलास्कीन- 793151, पश्चिम जयंतिया हिल्स जिला, मेघालय	07.08.2020	https://www.neauniversity.in/
263	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिलांग पॉलिटेक्निक कैंपस, मावलाई, शिलांग - 793 022	02.12.2008	http://www.technologlobaluniversity.org
264	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, डांकाग्रे, पीओ अराइमाइल, तुरा, वेस्ट गारो हिल्स -793001	04.11.2009	http://www.iumeghalaya.edu.in
265	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, टेक्नो सिटी, किलिंग रोड, बारिदुआ, 9 वीं मिल, मेघालय -793101	02.12.2008	http://www.ustm.ac.in
266	प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, शिलांग, मेघालय-793003	27.05.2011	http://www.utm.ac.in
267	विलियम केरी विश्वविद्यालय, जोरम विला, बोम्फिल्डे रोड, शिलांग - 793 001	13.07.2005	http://www.wcu.co.in
मिजोरम			
268	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, डर्टलोंग नॉर्थ, आइजोल - 796025	21.03.2006	http://www.iumizoram.edu.in
नागालैंड			
269	नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, एंकर कॉम्प्लेक्स, ईस्ट ब्लॉक, बर्मा कैंप, पोस्ट बॉक्स-109, दीमापुर-797112, नागालैंड (प्राइवेट यूनिवर्सिटी)	05.06.2013	http://www.necu.ac.in
270	सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय, वर्जिन टाउन, खेकिहो-झिमोमी रोड, इकिशे मॉडल महाविद्यालय, पीएस-डिफ्यूपर, दीमापुर -797115	16.12.2016	http://www.stjosephuniversity.org
271	द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, वोखा - 797 111	18.09.2006	http://www.nagaland.net.in
272	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, 6 वें माइल्स सोविमा गांव, कोहिमा रोड, दीमापुर - 797112	04.11.2009	http://www.iunagaland.edu.in
ओडिशा			
273	एआईपीएच विश्वविद्यालय, पाहला, भुवनेश्वर-कटक एनएच -5 पर, भुवनेश्वर- 752101, ओडिशा	26.02.2018	http://aiph.ac.in/
274	एएसबीएम विश्वविद्यालय, शिक्षा विहार, पीओ-भोला, चंदका, जिला-खुर्दा, भुवनेश्वर-754012, ओडिशा	26.09.2019	https://www.asbm.ac.in/
275	बिड़ला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आईडीसीओ प्लॉट नंबर 2, संस्थागत क्षेत्र, गांव- गोथापटना, पीएस-चंदका, भुवनेश्वर-751029	17.02.2016	http://www.bgu.ac.in
276	सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, गांव अल्लूरी नगर, वाया-उप्पलाडा, परालाखेमुंडी -761211, गजपति, ओडिशा *	27.08.2010	http://www.cutm.ac.in
277	सी.वी. रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर-752054, ओडिशा	29.02.2020	http://www.cgu-odisha.ac.in
278	गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, गुनुपुर- 765022, जिला रायगढ़, ओडिशा	27.12.2018	http://www.giet.edu/
279	श्री श्री विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा*	26.12.2009	http://www.srisriuniversity.edu.in
280	जेवियर विश्वविद्यालय, जेवियर स्क्वायर, भुवनेश्वर, ओडिशा	13.05.2013	http://www.Ximb.ac.in
पंजाब			
281	आदेश विश्वविद्यालय, एनएच -7, बरनाला रोड, बठिंडा, पंजाब	10.07.2012	http://www.adeshuniversity.ac.in
282	अकाल विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो - 151302, जिला बठिंडा, पंजाब	04.06.2015	http://www.auts.ac.in
283	एमिटी विश्वविद्यालय, डी 4, ब्लॉक - डी, सेक्टर -82 अल्फा, आईटी सिटी, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब	30.03.2021	https://www.amity.edu
284	सीटी विश्वविद्यालय, फिरोजपुर रोड, लुधियाना-142024	23.12.2016	http://www.ctuniversity.in

क्र. सं.	राज्य/विश्व विद्यालय	अधिसूचना की तिथि	डब्ल्यूईबी
285	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, घरुआं, मोहाली - 140413 *	10.07.2012	http://www.chandigarhuniversity.ac.in
286	चितकारा विश्वविद्यालय, चंडीगढ़-पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच -64), गांव झांसला, तहसील राजपुरा, जिला - पटियाला, पंजाब - 140 401	07.12.2010	http://www.chitkara.edu.in
287	डी.ए.वी. विश्वविद्यालय, जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग -44, गांव- सरमस्तपुर, जालंधर, पंजाब	18.02.2013	http://www.@davuniversity.org
288	देश भगत विश्वविद्यालय, अमलोह रोड, मंडी गोबिंदगढ़, पंजाब *	18.02.2013	http://www.deshbhagatuniversity.in
289	जीएनए विश्वविद्यालय, गांव-श्री हरगोबिंदगढ़, फगवाड़ा, जिला कपूरथला - 144401	21.08.2014	http://www.gna.edu.in
290	गुरु काशी विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो, जिला भटिंडा, पंजाब	26.12.2011	http://www.gurukashiuniversity.in
291	लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी, पंजाब, चंडीगढ़-जालंधर एनएच 344 ए, चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर और चंडीगढ़-रोपड़-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोपड़ से 5 किमी, जिला शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब -144533	09.02.2021	https://ltsu.ac.in/
292	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर - लुधियाना, जी.टी. रोड, नर चेहरू रेलवे ब्रिज, फगवाड़ा, जिला - कपूरथला, पंजाब- 144 002	26.12.2005	http://www.lpu.in
293	प्लाक्षा विश्वविद्यालय, पंजाब, ब्लॉक बी, सेक्टर - 101, अल्फा, आईटी सिटी, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब -140306	20.08.2021	https://plaksha.edu.in/
294	रयात बाहरा विश्वविद्यालय, वीपीओ - सहौरन, तहसील - खरड़, जिला -मोहाली, पंजाब - 140105	13.08.2014	http://www.rayatbahrauniversity.edu.in
295	आरआईएमटी विश्वविद्यालय, फ्लोटिंग रेस्तरां के सामने, सरहिंद साइड, मंडी गोबिंदगढ़-147301	08.12.2015	http://www.rimt.ac.in
296	संत बाबा भाग सिंह विश्वविद्यालय, गांव-खियाला, पीओ-पढियाना, जिला-जालंधर-144030	12.02.2015	http://www.sbbs.edu.in
297	श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्व विश्वविद्यालय, श्री लालगीधर निवास, फतेहगढ़ साहिब- 140406	15.05.2008	http://www.sggswu.org
298	श्री गुरु राम दास स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मेहता रोड, वल्लाह, श्री अमृतसर - 143001, पंजाब	17.11.2016	http//www.sgrduhs.in
राजस्थान			
299	एमिटी विश्वविद्यालय, राजस्थान एनएच -11 सी, कांत कलवाड़, जयपुर- 303 002	29.03.2008	http://www.amity.edu/jaipur
300	एपेक्स यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 5, साइंस टेक सिटी, एनएच-48, लिंक रोड, 248 अचरोल, जयपुर, राजस्थान- 303002	05.10.2018	https://www.apexuniversity.co.in/
301	भगवंत विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नंबर 87, सीकर रोड, अजमेर-305 004	16.04.2008	http://www.bhagwantuniversity.com
302	भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, प्लॉट नं. एसआई/आईएनएसटी/001, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जोन, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, ऑफ अजमेर रोड, जयपुर-302037, राजस्थान	30.03.2017	http://www.ruj.bsdu.in
303	भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप स्टेशन रोड, सेवाश्रम सर्किल, उदयपुर-313001	05.10.2015	http://www.bnuniversity.ac.in
304	करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान	02.05.2012	http://www.cpur.in
305	डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय, प्लॉट-1, आरआईआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र फेज-2, नेवई, जिला टोंक, राजस्थान - 304 021	22.04.2010	http://www.dknmu.org
306	गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	25.01.2011	http://www.geetanjaliuniversity.com
307	होम्योपैथी विश्वविद्यालय, साईपुरा, सांगानेर, जयपुर - 302 029	03.04.2010	http://www.homoepathyuniversity.org
308	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, खसरा नंबर 505/1, गांव-जामडोली, आगरा रोड, जयपुर - 302031	23.08.2011	http://www.iujaipur.edu.in
309	आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय, 1, प्रभु दयाल मार्ग, सांगानेर हवाई अड्डे के पास, जयपुर - 302029	26.02.2014	http://www.iihmr.edu.in
310	जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	02.05.2012	http://wwwjecrcuniversity.edu.in
311	जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, ललिया का वास, पीओ महापुरा, अजमेर रोड, जयपुर- 302026	15.09.2011	http://www.jklu.edu.in
312	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, एनएच -12, चाकसू बाईपास, टोंक रोड, जयपुर -303901	16.04.2008	http://www.jagannathuniversity.org
313	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जगतपुरा, जयपुर - 302017	21.10.2007	http://www.jnujaipur.ac.in
314	जयोती विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, वेदांत ज्ञान घाटी गांव, झरना महला, जबनेर, लिंक रोड एनएच-8, जयपुर-303007*	21.04.2008	http://www.jvwomensuniv.com
315	जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नारनाडी झंवर रोड, जोधपुर-342 001	11.08.2008	http://www.jodhpurnationaluniversity.com

क्र. सं.	राज्य/विश्व विद्यालय	अधिसूचना की तिथि	डब्ल्यूईबी
316	लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, अलवर-तिजारा-दिल्ली राजमार्ग, चिकानी, अलवर, राजस्थान	05.10.2018	http://www.lordsuni.edu.in/
317	माधव विश्वविद्यालय, माधव हिल्स, बनास ब्रिज टोल के सामने, एनएच-14, गांव- वाडा/भुजेला, पंचायत समिति - भारजा, तहसील -पिंडवाड़ा, आबू रोड, जिला-सिरोही, राजस्थान -307026	04.03.2014	http://www.madhavuniversity.edu.in
318	महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012	http://www.mvgu.ac.in
319	महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय, मुंडियारामसर, बिंदायाका औद्योगिक क्षेत्र के पास, जयपुर-302012	05.10.2015	http://www.maujaipur.org
320	महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आरआईआईसीओ संस्थागत क्षेत्र, सीतापुर, टोंक रोड, जयपुर - 302 022	15.09.2011	http://www.MGUMST.ORG
321	महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय, एसपी -2 और 3, कांत कलवार, आरआईआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र, ताला मोड़, एनएच -1, अचरोल, जयपुर	03.02.2009	http://www.mjrpuniversity.com
322	मणिपाल विश्वविद्यालय, वाटिका इन्फोटेक सिटी, जीवीके टोल प्लाजा के पास, जयपुर अजमेर एक्सप्रेस वे, पोस्ट - ठीकरिया, जयपुर - 302 026	15.09.2011	http://www.jaipur.manipal.edu
323	मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, गांव - बुजावद, तहसील - लूनी, जोधपुर - 342802	16.09.2013	http://www.mauj.ac.in
324	मेवाड़ विश्वविद्यालय, एनएच 79, गंगरार, चित्तौड़गढ़-312901 *	22.09.2008	http://www.mewaruniversity.org
325	मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर राजस्थान *	16.09.2013	http://www.modyuniversity.ac.in
326	एनआईआईटी विश्वविद्यालय, नीमराना, राजस्थान	03.04.2010	http://www.niituniversity.in
327	निम्स विश्वविद्यालय, शोभा नगर, जयपुर-303001	29.03.2008	http://www.nimsuniversity.org
328	निर्वाण विश्वविद्यालय, एनएच -21, गांव झार, बस्सी के पास, मेन आगरा रोड, जयपुर -303705, राजस्थान	30.03.2017	http://nirwanuniversity.in/
329	ओपीजेएस विश्वविद्यालय, रावतसर, कुंजिला, तहसील-राजगढ़, जिला - चुरू, राजस्थान	16.09.2013	http://www.opjsuniversity.edu.in
330	पैसिफिक एकेडमिक ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, (पीएएचईआर) पैसिफिक हिल्स, एयरपोर्ट रोड, प्रताप नगर एक्सटेंशन, उदयपुर - 313 003	29.04.2010	http://www.pacific-university.ac.in
331	पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, भीलो का बेदला, बाय पास, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, उदयपुर, राजस्थान	04.03.2014	http://www.pacificmedicaluniversity.ac.in
332	पूर्णिमा विश्वविद्यालय, रामचंद्रपुरा, सीतापुरा एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान *	16.05.2012	http://www.poornima.edu.in
333	प्रताप विश्वविद्यालय, सुंदरपुरा (चंदवाजी), आमेर, दिल्ली-मुंबई राजमार्ग, जयपुर, राजस्थान	15.09.2011	http://www.pratapuniversity.in
334	रैफल्स विश्वविद्यालय, जापानी जोन, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, नीमराना-201705, राजस्थान	27.03.2011	http://www.rafflesunivrsity.,edu.in
335	आर.एन.बी. ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आरएनबी ग्लोबल सिटी, गंगानगर रोड, बीकानेर- 334601	27.04.2015	http://www.mbglobal.edu.in
336	संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा, राजस्थान	02.05.2012	http://www.sangamuniversity.ac.in
337	साई तिरुपति विश्वविद्यालय, आम्बुआ रोड, गांव-उमरदे, गिरवा, उदयपुर- 313015	21.04.2016	http://www.saitirupati.ac.in
338	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाला विश्वविद्यालय, विद्या नगरी, झुंझुनू-चूरू रोड, चुडेला जिला झुंझुनू-333001	03.02.2009	http://www.j_jtu.ac.in
339	श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कामधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़), राजस्थान	28.03.2018	http://www.kallajivedicuniversity.com
340	श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़, राजस्थान-335801	05.10.2018	https://skduniversity.com/
341	श्रीधर विश्वविद्यालय, पिलानी चिरावा रोड, पिलानी राजस्थान - 333 031	03.04.2010	http://www.shridharuniversity.ac.in
342	श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, जिला- दौसा, राजस्थान- 303511	05.10.2018	https://shyamuniversity.in/
343	सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरीबारी, झुंझुनू, राजस्थान-333515	29.03.2008	http://www.singhaniauniversity.co.in
344	सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, भटेवर, उदयपुर -313 601	29.03.2008	http://www.spsu.ac.in
345	सनराइज यूनिवर्सिटी, बगड राजपूत, टेक. रामगढ़, अलवर, राजस्थान	22.09.2011	http://www.sunrise.ac.in
346	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, महल, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान-302017	21.04.2008	http://www.gyanvihar.org
347	टांटिया विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ रोड, श्रीगंगानगर -335002	16.09.2013	http://www.tantiauniversity.com
348	इंजीनियरिंग और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012	http://www.uem.edu.in
349	प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाटिका, तहसील - सांगानेर, जयपुर, राजस्थान	18.05.2017	http://www.universityoftechnology.edu.in
350	विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेक्टर -36, एनआरआई रोड, सिसयावास, जगतपुरा, जयपुर - 303012	02.05.2012	http://www.vgu.ac.in
सिक्किम			
351	मेधावी कौशल विश्वविद्यालय, सिक्किम, सिंगतम कैंपस तोपाखानी लोअर चिसोपानी, सिंगतम बाजार, सिंगतम, जिला- पूर्वी सिक्किम, सिक्किम - 737134	07.07.2021	https://www.saylor.org

क्र. सं.	राज्य/विश्व विद्यालय	अधिसूचना की तिथि	डब्ल्यूईबी
352	श्री रामासामी मेमोरियल विश्वविद्यालय, 5 वां मील, ताडोंग, रानीपूल पीओ, गंगटोक, सिक्किम -737102	16.01.2014	http://www.srmus.ac.in
353	सिक्किम अल्पाइन विश्वविद्यालय (पूर्व में ईआईआईएलएम विश्वविद्यालय), कामरंग, नामची, जिला- दक्षिण सिक्किम - 737126	28.08.2021	https://sikkimalpineuniversity.edu.in/
354	सिक्किम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, पी.ओ. श्रीबादम, पी.एस. कालुक, पश्चिम सिक्किम -737121	07.07.2021	
355	सिक्किम- मणिपाल विश्वविद्यालय, 5 वां मील, पीओ ताडोंग, गंगटोक -737102	11.10.1995	http://www.smu.edu.in
356	सिक्किम व्यावसायिक विश्वविद्यालय (फार्मली विनायक मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय) प्लॉट संख्या 438, एन-312 सांग फाटक रोड, 30.07.2008, मध्य तडांग, पूर्वी सिक्किम -237102	30.07.2008	http://www.vmsu.in
357	सिक्किम कौशल विश्वविद्यालय, नामथांग, दक्षिण सिक्किम, सिक्किम -737137	10.01.2022	http://sikkimskilluniversity.com/
358	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, (आईसीएफएआई), रंका रोड, लोअर सिचे, गंगटोक -737101	04.10.2004	http://www.iusikkim.edu.in
तमिलनाडु			
359	धनलक्ष्मी श्रीनिवासन विश्वविद्यालय, समयपुरम, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु- 621112	25.02.2021	http://www.dsuniversity.ac.in/
360	जेपियार विश्वविद्यालय, राजीव गांधी सलाई, चेन्नई, तमिलनाडु- 600119	26.02.2021	
361	साई विश्वविद्यालय, सिटी कैंपस, एसएसपीडीएल टॉवर, चौथी मंजिल, बीटा ब्लॉक, नवलूर, ओएमआर रोड, चेन्नई, तमिलनाडु	28.04.2021	https://saiuniversity.edu.in/
362	शिव नादर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी सलाई (ओएमआर), कलावक्कम -603110, तमिलनाडु (निजी विश्वविद्यालय)	08.02.2021	
तेलंगाना			
363	अनुराग विश्वविद्यालय, वेंकटपुर (वी), घाटकेसर (एम) मेडचल (जिला), हैदराबाद, तेलंगाना- 500088	20.05.2020	http://www.anurag.edu.in
364	महिंद्रा विश्वविद्यालय बहादुरपल्ली (वी), कुदबुल्लापुर मंडल, मदचल-मलकाजगिरी जिला तेलंगाना (निजी विश्वविद्यालय)	20.05.2020	
365	मल्ला रेड्डी विश्वविद्यालय, मैसम्मागुडा, धुलापल्ली (कोमपल्ली के माध्यम से पोस्ट), मेडचल-मलकाजगिरी जिला, तेलंगाना -500100	20.05.2020	http://www.mallareddyuniversity.edu.in
366	एसआर विश्वविद्यालय अनंतसागर (वी), हसनपर्थी (एम), वारंगल -506371, तेलंगाना	20.05.2020	http://www.sru.edu.in
367	वोक्ससेन विश्वविद्यालय वोक्ससेन कैंपस, कामकोले सदाशिवपेट, मेडक जिला, तेलंगाना (निजी विश्वविद्यालय)	20.05.2020	http://www.woxsen.edu.in
त्रिपुरा			
368	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया अगरतला (आईसीएफएआई), पीओ कमलघाट, अगरतला - सिमना रोड, मोहनपुर- 799 210, त्रिपुरा	31.03.2004	http://www.iutripura.edu.in
उत्तर प्रदेश			
369	एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा, उत्तर प्रदेश	24.03.2005	http://www.amity.edu
370	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, 55, बाबू बनारसी दास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.bbdu.org
371	बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रुहेलखंड मेडिकल महाविद्यालय कैंपस, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली-243006	16.09.2016	http://www.biu.edu.in
372	बेनेट यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 8-11, टेक जोन II, ग्रेटर नोएडा-201301	16.09.2016	http://www.bennett.edu.in
373	एरा विश्वविद्यालय, सरफराजगंज, हरदोई रोड, लखनऊ-226003	16.09.2016	http://www.erauniversity.in
374	एफ.एस. विश्वविद्यालय, एनएच -19, बालाजी मंदिर के पास, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	12.04.2021	https://fsu.edu.in/
375	जी.एल.ए. विश्वविद्यालय, 17 कि.मी. स्टोन, एनएच -2, दिल्ली मथुरा रोड, पीओ चौमुहां, मथुरा -281406 *	01.09.2010	http://www.gla.ac.in
376	गलगोटिया विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर 17 ए, ग्रेटर नोएडा -201203 *	07.04.2011	http://www.galgotiauniversity.edu.in
377	आईएफटीएम विश्वविद्यालय, लोदीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद - 244102	12.10.2010	http://www.iftmuniversity.ac.in
378	आईआईएलएम विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 16-18, नॉलेज पार्क -2, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश -201308	03.06.2022	
379	आईआईएमटी यूनिवर्सिटी, ओ पॉकेट, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ-250001*	16.09.2016	http://www.iimtu.com
380	इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, कुर्सी रोड, लखनऊ- 226026 (उ.प्र.) *	26.02.2004	http://www.integraluniversity.ac.in

क्र. सं.	राज्य/विश्व विद्यालय	अधिसूचना की तिथि	डब्ल्यूईबी
381	इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, इन्वर्टिस गांव, बरेली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग - 24, बरेली - 243123	01.09.2010	http://www.invertisuniversity.ac.in
382	जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट धाम- 210204. (उ.प्र.) *	06.10.2001	http://www.jrhu.com
383	जेपी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ रोड, अनूपशहर, जिला बुलंदशहर - 203390, उत्तर प्रदेश	04.03.2014	http://www.jaypeeu.ac.in
384	जे.एस. विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फ़िरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	24.06.2015	http://www.jsu.edu.in
385	महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, आरोग्य धाम, बालापुर रोड, सोनबरसा, जिला- गोरखपुर-237007, उत्तर प्रदेश	09.06.2021	https://www.mgug.ac.in/
386	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202145	30.10.2006	http://www.mangalayatan.in
387	महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महर्षि बाल विद्या मंदिर एवं विश्वविद्यालय परिसर, सीतापुर रोड, पोस्ट-डिबुरिया, लखनऊ - 226020	24.09.2013	http://www.muit.in
388	मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश	19.06.2006	http://www.jauharuniversity.org
389	मोनाड विश्वविद्यालय, कासमाबाद, पीओ-पिलखुआ, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश- 245101	12.10.2010	http://www.monad.edu.in
390	नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी प्लॉट नंबर 1, सेक्टर -17 ए, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतम बुद्ध नगर, (यूपी) 201301	12.10.2010	http://www.niu.ac.in
391	रामा विश्वविद्यालय, रामा सिटी, जीटी रोड, मंधना, कानपुर -209217	10.01.2014	http://www.ramauniversity.ac.in
392	संस्कृति विश्वविद्यालय, 28 किमी स्टोर, मथुरा-दिल्ली राजमार्ग, छाता, मथुरा, उत्तर प्रदेश	16.09.2016	http://www.sanskriti.edu.in
393	शारदा विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 32-34, नॉलेज पार्क 3, ग्रेटर नोएडा - 201306	24.03.2009	http://www.sharda.ac.in
394	शिव नादर विश्वविद्यालय, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	06.04.2011	http://www.snu.edu.in
395	शोभित विश्वविद्यालय, आदर्श संस्थागत क्षेत्र, बाबू विजेंद्र मार्ग, गंगोह, जिला - सहारनपुर - 247 341	05.07.2012	http://www.shobituniversity.ac.in
396	श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, हदौरी, देवा-लखनऊ रोड, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	04.07.2012	http://www.srmu.ac.in
397	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, एनएच -24, रजबपुर, गजरौला, जेपी नगर, उत्तर प्रदेश	12.10.2010	http://www.svu.edu.in
398	स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, दिल्ली-हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश -250005	05.09.2008	http://www.subharti.org
399	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, एनएच -24 दिल्ली रोड, मुरादाबाद -244001 *	05.09.2008	http://www.tmu.ac.in
400	ग्लोकल विश्वविद्यालय, अली अकबरपुर, मिर्ज़ापुर पोल, तहसील - बेहट, सहारनपुर - 247001 *	05.07.2012	http://www.glocaluniversity.edu.in
401	यूनाइटेड यूनिवर्सिटी, रावतपुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश – 211012	12.04.2021	uniteduniversity.edu.in
उत्तराखंड			
402	भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ग्राम और पद – उत्तरी झंडी चौर, तहसील - कोटद्वार, जिला - पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड - 246149	19.12.2016	http://www.bgukotdwar.ac.in
403	देव भूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय, नवगांव, मंडूवाला, देहरादून, उत्तराखंड	24.09.2021	https://www.dbuu.ac.in/
404	देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्रीकुंज, शांतिकुंज, हरिद्वार-249 411	22.01.2002	http://www.dsvv.ac.in
405	डीआईटी विश्वविद्यालय, मसूरी डायवर्सन रोड, देहरादून -248 009	15.02.2013	http://www.dituniversity.edu.in
406	ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, 600, बेल रोड, क्लेमेंट टाउन, देहरादून - 248002	28.04.2011	http://www.gehu.ac.in
407	हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, धाइड गांव, पोखरा, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	07.12.2016	http://www.hgu.ac.in
408	हिमालैया विश्वविद्यालय, फतेहपुर टांडा, जीवनवाला, वाया डोईवाला, देहरादून - 248140, उत्तराखंड	27.06.2019	http://www.himalayiyauniversity.ac.in
409	हिमगिरी ज़ी विश्वविद्यालय, शीशमबाड़ा, पीओ-शेरपुर, वाया-सहसपुर, देहरादून-248197	11.07.2003	http://www.himgirizeeuniversity.edu.in
410	आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय, मक्कावाला ग्रीन्स, मसूरी डायवर्सन रोड, देहरादून - 248 009	15.02.2013	http://www.iuu.ac
411	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएफएआई), राजावाला रोड, सेंट्रल होप टाउन सेलाकुई, देहरादून-248197	10.07.2003	http://www.iuuttarakhand.edu.in
412	मदरहुड विश्वविद्यालय, गांव - करौंदी, पोस्ट - भगवानपुर, रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड	19.01.2015	http://www.motherhooduniversity.edu.in
413	क्वांटम विश्वविद्यालय, मंडावर (22 किमी मील का पत्थर), रुड़की-देहरादून राजमार्ग (एनएच -73), रुड़की - 247167, उत्तराखंड	07.04.2017	http://www.quantumuniversity.edu.in
414	रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय, सुभारतीपुरम, कोटड़ा संतौर, आमवाला रोड, पीओ - चंदनवाड़ी, नंदा की चौकी, प्रेम नगर, देहरादून -248007, उत्तराखंड	08.12.2016	http://www.rbbsu.edu.in
415	सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय, बालावाला, देहरादून- 248161, उत्तराखंड	03.08.2018	https://sbsuniversity.edu.in/
416	श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, पटेल नगर, देहरादून, उत्तराखंड	07.04.2017	http://www.sgrr.ac.in
417	सूरजमल विश्वविद्यालय, सिरौली, किच्छा, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड – 263148	05.08.2021	https://www.smu.ac.in/

क्र. सं.	राज्य/विश्व विद्यालय	अधिसूचना की तिथि	डब्ल्यूईबी
418	स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, स्वामी राम नगर, जॉली ग्रांट, पीओ - डोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड	12.03.2013	http://www.srhuedu.in
419	पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार	05.04.2006	http://www.universityofpatanjali.com
420	पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, बिधोली परिसर, ऊर्जा एकड़, पीओ डिधोली, देहरादून-248006	10.07.2003	http://www.upes.ac.in
421	यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, 7 किमी रुड़की-हरिद्वार रोड, वर्धमानपुरम, रुड़की- 247667, उत्तराखंड	25.03.2021	https://www.uetr.ac.in/
422	उत्तरांचल विश्वविद्यालय, आर्केडिया ग्रांट, पीओ चंदनवाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून -248007*	15.02.2013	http://www.uttranchaluniversity.ac.in
पश्चिम बंगाल			
423	अदामास विश्वविद्यालय, बारासात, बैरकपुर रोड, बारबेरिया, पीओ जगन्नाथपुर, पीएस बारासात, कोलकाता - 700126	11.04.2014	http://www.au.edu.et
424	एमिटी विश्वविद्यालय, राजरहाट, न्यू टाउन, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल	21.01.2015	http://www.amity.edu/kolkata/
425	ब्रेनवेयर विश्वविद्यालय, 398 रामकृष्णपुर रोड, कोलकाता- 700124	24.02.2016	http://www.brainwareuniversity.ac.in
426	जेआईएस विश्वविद्यालय, अगरपाड़ा, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल	03.02.2015	http://www.jisuniversity.ac.in
427	सीकॉम स्किल्स यूनिवर्सिटी, गांव - केंद्रदंगल, पीओ - सत्तोर, पीएस - पानरुई, जिला - बीरभूम - 731236	11.04.2014	http://www.seacomskillsuniversity.ore
428	सिस्टर निवेदिता विश्वविद्यालय, डीजी -1/2, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता – 700 156, पश्चिम बंगाल	22.02.2018	https://snuniv.ac.in/
429	सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय, परिसर सं. IIIB-1, प्लॉट नं. IIIB/1, एक्शन एरिया IIIB, पीएस न्यू टाउन, कोलकाता - 700156	16.01.2017	http://www.sxuk.edu.in
430	स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, बारा कंथालिया, सेवली तेलिनीप्रारा, उत्तर 24 परगना, बैरकपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700121	05.12.2019	http://www.swamivivekanandauniversity.ac.in
431	टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, ईएम - 4, सेक्टर -वी, साल्ट लेक, कोलकाता - 700 091	16.08.2012	http://www.technoinidauniversity.ac.in
432	नेवतिया विश्वविद्यालय, झिंगा, सरिसा, डीएच रोड, 24 परगना (एस), पश्चिम बंगाल -743368	03.02.2015	http://www.tnu.ac.in
433	इंजीनियरिंग और प्रबंधन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय क्षेत्र, प्लॉट नं. III- b/5, मुख्य धमनी रोड (पूर्व-पश्चिम), न्यू टाउन, एक्शन एरिया-III, कोलकाता- 700156	03.02.2015	http://www.uem.edu.in

तालिका 2.2 (i) (ख) (v) 31.03.2023 को राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष / मान्यता	वेबसाइट लिंक
बिहार			
1	इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान	1992	http://www.igims.org
जम्मू और कश्मीर			
2	शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1990	http://www.skmis.nic.in
तमिलनाडु			
3	मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अन्ना सेंटेनेरी के पीछे, पुस्तकालय, गांधी मंडपम रोड, चेन्नई -600025, तमिलनाडु	01.04.2021	htt://www.mse.ac.in
उत्तर प्रदेश			
4	संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1983	http://www.sgpgi.ac.in

तालिका 2.2 (i) (ख) (vi) 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार सम-विश्वविद्यालय संस्थान

(* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत शामिल)

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष/ मान्यता	वेबसाइट लिंक
आंध्र प्रदेश			
1	गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (जीआईटीएएम), गांधी नगर कैंपस, रुशिकोंडा, विशाखापत्तनम - 530045, आंध्र प्रदेश *	13.08.2007	http://www. gitam.edu

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष/ मान्यता	वेबसाइट लिंक
2	कोनेरुलक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, ग्रीनफील्ड्स, कुंचनपल्ली पोस्ट, वडेश्वरम, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश-522002 *	20.02.2009	http://www. kluniversity. edu.in
3	श्री सत्य साईं उच्चतम शिक्षा संस्थान, प्रशांति निलयम-515 134, जिला-अनंतपुर, आंध्र प्रदेश *	10.11.1981	http://www.sssihl.edu.in
4	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विग्नन फाउंडेशन, वाडलामुडी, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश -522313 *	19.12.2008	http://www. vignanuniversity. org
अरुणाचल प्रदेश			
5	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, निरजुली, ईटानगर, जिला - पापुम पारे - 791 109, अरुणाचल प्रदेश	31.05.2005	http://www.nerist.ac.in
असम			
6	केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी), बालागांव, बीटीएडी, कोकराझार, असम	13.12.2018	https://www.cit.ac.in/
बिहार			
7	नव नालंदा महाविहार, नालंदा - 803 111 (बिहार)	13.11.2006	http://www. navanalandmahavihara.org
चंडीगढ़			
8	पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सेक्टर - 12, चंडीगढ़ -160012	16.10.2003	http://www.pec.ac.in
दिल्ली			
9	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा संस्थान, पूसा, नई दिल्ली- 110012 *	22.08.1958	http://www.iari.res.in
10	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, बी -21, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल क्षेत्र, नई दिल्ली -110016 *	20.05.2002	http://www. iift.edu
11	भारतीय विधि संस्थान, भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001 *	29.10.2004	http://www. ili.ac.in
12	यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस), डी 1, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070 *	10.07.2009	http://www.ilbs.in
13	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली- 110062. *	10.05.1989	http://www. jamiahamdard. edu
14	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, 68, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001	18.06.2021	http://www.yogamdniy.nic.in/
15	कला, संरक्षण और संगीत विज्ञान के इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, राष्ट्रीय संग्रहालय, जनपथ, नई दिल्ली -110011	28.04.1989	http://www.nmi.gov.in
16	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 17-बी, श्री ओरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली 110016	11.08.2006	http://www.nuepa.org
17	टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, दरबारी सेठ ब्लॉक, हैबिटेट प्लेस, लोधी रोड, नई दिल्ली -110 003	05.10.1999	http://www.teriuniversity.ac.in
गुजरात			
18	गुजरात विद्यापीठ, पीओ नवजीवन, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 014, गुजरात *	16.07.1963	http://www. gujaratvidyapith. ac.in
19	राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (एनआरटीआई), एनएआईआर परिसर, लालबाग, वडोदरा, गुजरात	26.07.2018	https://nrti.edu.in/
20	सुमनदीप विद्यापीठ, गांव - पिपरिया, तालुका वाघोडिया, जिला - वडोदरा, गुजरात *	17.01.2007	http://www.sumandeepuniversity. co.in
हरियाणा			
21	लिंगाया विश्वविद्यालय, नचौली, ओल्ड फरीदाबाद - जसाना रोड, फरीदाबाद – 121002, हरियाणा	05.01.2009	http://www.lingayasuniversity. edu.in
22	महर्षि मारकंडेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट, मुलाना, अंबाला, हरियाणा- 133003	12.06.2007	http://www.mmumullana.org
23	मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 *	21.10.2008	http://www.mriu.edu.in
24	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुरुग्राम-122050, हरियाणा	20.05.2002	http://www.nbrc.ac.in
25	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल-132 001, हरियाणा	28.03.1989	http://www.ndri.res.in
26	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम), प्लॉट नंबर 97, सेक्टर 56, एचएसआईआईडीसी औद्योगिक एस्टेट, कुंडली, जिला सोनीपत, हरियाणा	08.05.2012	http://www.niftem.ac.in
झारखंड			
27	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची-835 215, झारखंड	28.08.1986	http://www.bitmesra.ac.in
लद्दाख			
28	केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलमसर, लेह (लद्दाख), जम्मू और कश्मीर	15.01.2016	http://cibs.ac.in/
कर्नाटक			
29	बी.एल.डी.ई. बीजापुर, कर्नाटक	29.02.2008	http://www.bldeuniversity.ac.in
30	क्राइस्ट, होसुर रोड, बैंगलोर - 560029	22.07.2008	http://www.christuniversity.in

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष/ मान्यता	वेबसाइट लिंक
31	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर-560012, कर्नाटक *	12.05.1958	http://www.iisc.ernet.in
32	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 26/सी, इंफोसिस के सामने (गेट - 1), इलेक्ट्रॉनिक सिटी, होसुर रोड, बैंगलोर - 560100	28.02.2005	http://www.iiitb.ac.in
33	जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जगद्गुरु डॉ. श्री शिवरात्रि राजेंद्र सर्कल, रामानुज रोड, मैसूर - 570004 *	28.05.2008	http://wwwjssuni.edu.in
34	जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, जक्कुर कैंपस, जक्कुर, बैंगलोर -560064 *	17.08.2002	http://wwwjncasr.ac.in
35	जैन, जैन ग्लोबल कैंपस, 45 वीं किमी, एनएच -209, जक्कासांद्रा पोस्ट, कनक पुरा तालुक, रामनगर जिला -562112	19.12.2008	http://wwwjainuniversity.ac.in
36	के.एल.ई. एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जे.एन. मेडिकल महाविद्यालय कैंपस, बेलगाम (कर्नाटक)-590010	13.04.2006	http://www.kleuniversity.edu
37	मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, माधव नगर, मणिपाल -576104	01.06.1993	http://www.manipal.edu
38	एनआईटीटीई, डेरलकट्टे, मैंगलोर - 575018 *	04.06.2008	http://www.nitte.edu.in
39	श्री देवराज उर्स उच्चतम शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, बी.एच. रोड, तमाका, कोलार - 563 101	25.05.2007	http://www.sduu.ac.in
40	श्री सिद्धार्थ उच्चतम शिक्षा अकादमी, तुमकुर जिला -572 102, कर्नाटक	30.05.2008	http://www.sahetumkur.ac.in
41	स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, नंबर 9, अप्पाजप्पा अग्रहारा, चामराजपेट, बैंगलोर -560 018, कर्नाटक *	08.05.2002	http://www.svyasa.org
42	येनेपोया, डेरलकट्टे, मैंगलोर -575018	27.02.2008	http://www.yenepoya.edu.morg
केरल			
43	चिन्मय विश्वविद्यापीठ, आदि शंकर निलयम, वेलियानाद, एर्नाकुलम-692313	16.01.2017	http://www.chinmayauniversity. ac.in
44	केरल कलामंडलम, वल्लाथोल नगर, चेरुथुरुथी -679 531, वाया त्रिशूर, केरल *	14.03.2006	http://www.kalamandalam.org
45	भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम, केरल -695547	03.07.2008	http://www.iist.ac.in
मध्य प्रदेश			
46	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, शक्ति नगर, ग्वालियर-474 002 *	21.09.1995	http://www.lnipe.gov.in
महाराष्ट्र			
47	भारती विद्यापीठ, भारती विद्यापीठ भवन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पुणे, महाराष्ट्र-412105 *	26.04.1996	http://www.bvuniversity.edu.in
48	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, फिशरीज यूनिवर्सिटी रोड, 7 बंगले, अंधेरी वेस्ट, मुंबई -400 061	27.03.1989	http://www.cife.edu.in
49	डी.वाई पाटिल एजुकेशनल सोसाइटी, लाइन बाजार, कसाबा, बावादा, कोल्हापुर - 416 006, (महाराष्ट्र)	31.05.2005	http://www.dypatilunikop.org
50	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सावंगी (मेघे) वर्धा- 442004	24.05.2005	http://www.dmimsu.edu.in
51	डेक्कन महाविद्यालय स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान, पुणे -411 006	05.03.1990	http://www.dsccancollegepune. ac.in
52	डॉ डी वाई पाटिल विद्यापीठ, संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे-411 018 *	11.01.2003	http://www.dpu.edu.in
53	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, बीएमसी महाविद्यालय रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे -411 004 *	07.05.1993	http://www.gipe.ac.in
54	होमीभाभा राष्ट्रीय संस्थान, रजि. कार्यालय: नॉलिज मैनेजमेंट ग्रुप, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय परिसर, मुंबई -400 085 *	03.06.2005	http://www. hbni.ac.in
55	इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, जनरल वैद्य मार्ग, संतोष नगर, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई-400 065	05.12.1995	http://www. igidr.ac.in
56	डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी (इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी), गिरिनगर, पुणे-411 025	10.09.1999	http://www. diat.ac.in
57	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, गोवंडी स्टेशन रोड, देवनार, मुंबई -400 088	31.07.1985	http://www. iipsindia.org
58	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नाथलाल पारेख मार्ग, माटुंगा, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 019 *	12.09.2008	http://www. ictmumbai.edu.in
59	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मलका पुर, कराड, जिला सतारा, महाराष्ट्र	24.05.2005	http://www.kimsuniversity.in
60	एमजीएम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, एमजीएम कैंपस, सेक्टर - 18, कामोठे, नवी मुंबई-410 209	30-08-2006	http://www.mgmuhs.com

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष/ मान्यता	वेबसाइट लिंक
61	नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वीएल मेहता रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई - 400 056 *	13.01.2003	http://www.nmims.edu
62	पद्मश्री डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, विद्या नगर, सेक्टर 7, नेरुल, नवी मुंबई - 400 706, महाराष्ट्र	20.06.2002	http://www.dypatil.ac.in
63	प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पी ओ लोनी बीके - 413 736, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	29.09.2003	http://www.pravara.com
64	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल, ग्राम लवले, तेल मुलशी, जिला पुणे-412115 *	06.05.2002	http://www.symbiosis.ac.in
65	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, होमी भाभा रोड, मुंबई - 400 005 *	07.05.2002	http://www.tifr.ac.in
66	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वीएन पूरव मार्ग, देवनार, मुंबई -400 088 *	29.04.1964	http://www.tiss.edu
67	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, विद्यापीठ भवन, गुलटेकेडी, पुणे- 411 037	28.04.1987	http://www.tmv.edu.in
ओडिशा			
68	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, एटी/पीओ केआईआईटी पाटिया, खुर्दा, भुवनेश्वर-751 024, ओडिशा *	26.06.2002	http://www. kiit.ac.in
69	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, भुवनेश्वर, ओडिशा	25.08.2017	
70	शिक्षा 'ओ' अनुसंधान, जे - 15, खंडगिरि, भुवनेश्वर, ओडिशा - 751 030 *	17.07.2007	http://www. soauniversity. ac.in
पुदुचेरी			
71	श्री बालाजी विद्यापीठ, महात्मा गांधी मेडिकल महाविद्यालय परिसर, पोंडी-कुड्डालोर मेन रोड, पिल्लयारकुप्पम, पुडुचेरी - 607 402*	04.08.2008	http://www.sbvuniversity.com
पंजाब			
72	संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (एसएलआईईटी), लोंगोवाल, जिला संगरूर - 148 106	10.04.2007	http://www. sliet.ac.in
73	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, थापर टेक्नोलॉजी कैंपस, भादसन रोड, पटियाला -147 004	30.12.1985	http://www. thapar.edu
राजस्थान			
74	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली-304 022 *	25.10.1983	http://www. banasthali.org
75	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी-333 031	27.06.1964	http://www.bits-pilani.ac.in
76	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर - 331 401, जिला चुरू, राजस्थान	25.06.2002	http://www.iaseuniversity. org.in
77	आई.आई.एस., गुरुकुल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान -302020*	02.02.2009	http://www. iisuniv. ac.in
78	जैन विश्व भारती संस्थान, बॉक्स नंबर 6, लाडनूं, नागौर -341306, राजस्थान *	20.03.1991	http://www.jvbi.ac.in
79	जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, प्रतापनगर, उदयपुर -313001	12.01.1987	http://www.jrnrvu.org
80	एलएनएम सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्राम - रूपा की नागल, डाक - सुमेल, वाया कानोता, जिला - जयपुर - 303 012	03.02.2006	http://www. lnmiit.ac.in
81	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए) जोराबार सिंह गेट, आमेर रोड, जयपुर-302002, राजस्थान	09.11.2020	http://www. nia.ac.in
तमिलनाडु			
82	समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, 135, ईस्ट कोस्ट रोड, कनाथुर, चेन्नई-603113	21.08.2007	http://www.ametuniv. ac.in
83	अमृता विश्व विद्यापीठम, एट्टीमदाई पोस्ट, कोयम्बटूर-641 112	13.01.2003	http://www.amrita.edu
84	अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वीमेन, भारती पार्क रोड, कोयम्बटूर -641 043, तमिलनाडु *	08.06.1988	http://www.avinashilingam.edu
85	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, 173, अघाराम रोड, सेलैयूर, चेन्नई-600 073 *	04.07.2002	http://www.bharathuniv.com
86	बी.एस. अब्दुर रहमान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, वंडालुर, चेन्नई, तमिलनाडु-600048	16.12.2008	http://www.bsauniv.ac.in
87	चेन्नई गणितीय संस्थान, प्लॉट एच 1, एसआईपीसीओटी आईटी पार्क, पादुर पोस्ट, सिरुसेरी-603 103, चेन्नई (तमिलनाडु)	15.12.2006	http://www.cmi.ac.in
88	चेट्टीनाड एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन (केयर), पादर, केलमबक्कम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु *	04.08.2008	http://www.chettinadhealthcity. com
89	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम, डिंडीगुल -624 302 *	03.08.1976	http://www.ruraluniv.ac.in
90	हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एचआईटीएस), पादर, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, केलमबल्लम, चेन्नई-603103	05.05.2008	http://www.hindustanuniv.ac.in

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष/ मान्यता	वेबसाइट लिंक
91	कलासलिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, आनंद नगर, कृष्णनकोइल, विरुधुनगर -626 190, वाया श्रीविल्लीपुथुर, तमिलनाडु	20.10.2006	http://www.kalasalingam.ac.in
92	करूण्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, करुणा नगर, कोयम्बटूर -641 114	23.06.2004	http://www.karunya.edu
93	करपागम एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, पोल्लाची मेन रोड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	25.08.2008	http://www.karpagamuniv.com
94	डॉ. एम.जी.आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, पेरियार ईवीआर सलाई (एनएच 4 राजमार्ग), मदुरावोयल, चेन्नई-600 095	21.01.2003	http://www.drmgrdu.ac.in
95	मीनाक्षी एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, नंबर 12, वेम्बुली अम्मन कोइल स्ट्रीट, वेस्ट केके नगर, चेन्नई -600 078	31.03.2004	http://www.maher.ac.in
96	नूरुल इस्लाम उच्चतम शिक्षा केंद्र, कुमारकोइल, थुकाले, जिला कन्याकुमारी, तमिलनाडु - 629 175	08.12.2008	http://www.niuniv.com
97	पेरियारमणिअम्माई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (पीएमआईएसटी), पेरियार नगर, वल्लम, तंजावुर-613 403	17.08.2007	http://www.pmu.edu
98	पोन्नैय्यारामजयम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (पीआरआईएसटी), यगप्पा चावड़ी, तंजावुर - 614 904	04.01.2008	http://www. prist.ac.in
99	एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एसआरएम नगर, कट्टनकुलथुर- 603203, कांचीपुरम जिला (तमिलनाडु) *	02.08.2002	http://www. srmuniv. ac.in
100	सत्यभामा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जप्पियार नगर, ओल्ड मामल्लापुरम रोड, चेन्नई - 600119	16.07.2001	http://www. sathyabamauniv. ac.in
101	सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 6 नंबर 162, पूनमल्ले हाई रोड, वेलाप्पंचवाडी, चेन्नई -600 077 *	18.03.2005	http://www.saveetha.com
102	शानमुघा कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी (एसएएसटीआरए), तिरुमलाई समुद्रम, तंजावुर - 613 401 *	26.04.2001	http://www.sastra.edu
103	श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, श्री जयेंद्र सरस्वती स्ट्रीट, एनाथुर, कांचीपुरम - 631 561	26.05.1993	http://www. kanchiuniv.ac.in
104	श्री रामचंद्र मेडिकल महाविद्यालय एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1, रामचंद्र नगर, चेन्नई -600116 *	29.09.1994	http://www.sruramachandra.edu. in
105	सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, अवाडी, चेन्नई - 600054	26.05.2008	http://www.atpetersuniversity.org
106	वेल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उन्नत अध्ययन संस्थान (विस्टास), पल्लवरम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600117 *	04.06.2008	http://www. velsuniv. ac.in
107	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर - 632 014	19.06.2001	http://www. vit.ac.in
108	विनायक मिशन का रिसर्च फाउंडेशन, शंकरी मणि रोड, एनएच 47, अरियानूर, सलेम- 636 308	01.03.2001	http://www. vinayakamission. com
109	वेल टेक रंगराजन डॉ. सगुनथला आर एंड डी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवाडी, चेन्नई-600062	15.10.2008	http://www. veltechuniv. edu. in
तेलंगाना			
110	अरोरा उच्चतम शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, उप्पल, हैदराबाद	28.10.2022	
111	चैतन्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हनमकोंडा, तेलंगाना	29.11.2019	http://www.cist.in
112	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सर्वेक्षण संख्या 25, गाचीबोवली, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद-500 032	21.08.2001	http://www. iiit.ac.in
113	आईसीएफएआई फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन, डोंटानापाली, शंकरपल्ली रोड, हैदराबाद - 501203, तेलंगाना *	16.12.2008	http://www.ifheindia.org
उत्तर प्रदेश			
114	सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, पीओ कृषि संस्थान, इलाहाबाद - 211 007	15.03.2000	http://www.shiats.edu.in
115	भातखंडे संगीत संस्थान, 1 कैसर बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001	24.10.2000	http://www.bharkhandemusic. edu.in
116	केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी-221 007, उत्तर प्रदेश	05.04.1988	http://www.cihts.ac.in
117	दयालबाग शिक्षण संस्थान, दयालबाग, आगरा-282 005 *	16.05.1981	http://www.dei.ac.in
118	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर-243 122	16.11.1983	http://www.ivri.res.in
119	जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ए -10, सेक्टर -62, नोएडा -201307	01.11.2004	http://www.jiit.ac.in

क्र. सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष/ मान्यता	वेबसाइट लिंक
120	नेहरू ग्राम भारती, कोटवा-जमुनीपुर, दुबवाली जिला, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	27.06.2008	http://www.ngbu.edu.in
121	शोबित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दुल्हेरा मार्ग, रुड़की रोड, मेरठ - 250 010	08.11.2006	http://www.shobhituniversity. ac.in
122	संतोष विश्वविद्यालय, नंबर 1, संतोष नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201 009	13.06.2007	http://www. santoshuniversity. com
उत्तराखंड			
123	वन अनुसंधान संस्थान, पी.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248 006	28.11.1991	http://www.icfre.org
124	गुरुकुल कांगड़ी विद्यापीठ, हरिद्वार-249 404*	19.06.1962	http://www.gkv.ac.in
125	ग्राफिक एरा, 566/6 बेल रोड, क्लेमेंट टाउन, देहरादून, उत्तराखंड	14.08.2008	http://www.gehu.ac.in
पश्चिम बंगाल			
126	इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस (आईएसीएस), 2 ए और 2 बी, राजा एससी मलिक रोड, जादवपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700032	08.05.2018	www.iacs.res.in
127	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, पीओ बेलूर मठ, जिला हावड़ा - 711 202, पश्चिम बंगाल *	05.01.2005	http://www. rkmvu.ac.in

2.2(ii) महाविद्यालय

महाविद्यालयों का अभिप्राय किसी संस्थान से है, चाहे उसे विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाए अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाए, जो किसी विश्वविद्यालय से कोई भी अर्हता प्राप्त करने हेतु ऐसे विश्वविद्यालयों के नियमों और विनियमों के अनुरूप अध्ययन पाठ्यक्रम चलता हो तथा उसे अध्ययन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए सक्षम माना गया हो और उक्त अर्हता प्रदान करने हेतु ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को अवसर प्रदान करता हो। यह ऐसे संस्थान होते हैं जिन्हें किसी विश्वविद्यालय के तहत स्थापित अथवा अनुरक्षित अथवा उक्त विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के तहत सम्मिलित किया जाता है।

सामान्यतः महाविद्यालय / संस्थान दो प्रकार के होते हैं: (1) संबद्ध महाविद्यालय (2) संघटक महाविद्यालय

ऑफ कैम्पस केन्द्र / स्नातकोत्तर केन्द्र विश्वविद्यालय का एक केंद्र है जिसकी स्थापना मुख्य परिसर के बाहर (राज्य के भीतर या बाहर) की गई है और जिसे विश्वविद्यालय की घटक इकाई के रूप में संचालित एवं अनुरक्षित किया जाता है और जहाँ सुविधाएं, संकाय और कर्मचारी होते हैं।

मान्यता प्राप्त केन्द्र एक ऐसी संस्था/संस्थान है जिसे संस्थान में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के संबंध में उपाधि प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए, आर्मी कैडेट कॉलेज विंग, भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं हैं लेकिन संस्थान में संचालित कार्यक्रमों को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जाती है।

अत:, चार प्रकार के महाविद्यालय / संस्थान होते है: (1) संबद्ध महाविद्यालय (2) संघटक महाविद्यालय (3) स्नातकोत्तर और ऑफ कैम्पस केन्द्र (4) मान्यता प्राप्त केंद्र

तालिका 2.2 (ii) (क) वर्ष 2021-22 में महाविद्यालयों/संस्थानों की राज्यवार और प्रकृति वार संख्या*

(*अनंतिम आंकड़े एआईएसएचई पोर्टल: महाविद्यालयों की सूची: 2021-22)

राज्य	महाविद्यालयों का प्रकार					स्टैन्डालोन# संस्थान#
	सम्बद्ध महाविद्यालय	संघटक/ विश्वविद्यालय महाविद्यालय	स्नाकोत्तर केंद्र / ऑफ-कैंपस सेंटर	मान्यता प्राप्त केंद्र	कुल	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9				9	1
आंध्र प्रदेश	2542	62	7		2611	722
अरुणाचल प्रदेश	42	2			44	20
असम	601	6	3	1	611	99
बिहार	811	286	3	28	1128	315
चंडीगढ़	26				26	10
छत्तीसगढ़	876	41	1	4	922	80
दिल्ली	107	83	1	6	197	107
गोवा	61	1	3	8	73	17
गुजरात	2317	398	29	49	2793	327
हरियाणा	1074	22	1	1	1098	258
हिमाचल प्रदेश	341	8	2	7	358	86
जम्मू और कश्मीर	317	24	12	1	354	164
झारखंड	285	89	2		376	115

राज्य	महाविद्यालयों का प्रकार					स्टैन्डालोन# संस्थान#
	सम्बद्ध महाविद्यालय	संघटक/ विश्वविद्यालय महाविद्यालय	स्नाकोत्तर केंद्र / ऑफ-कैंपस सेंटर	मान्यता प्राप्त केंद्र	कुल	
कर्नाटक	4350	147	42	55	4594	1715
केरल	1396	68	21	64	1549	408
लद्दाख	5	1	2		8	7
लक्षद्वीप			3		3	
मध्य प्रदेश	2706	118	2	911	3737	401
महाराष्ट्र	4607	179	11	128	4925	2237
मणिपुर	105	3			108	36
मेघालय	74	3	2	3	82	23
मिजोरम	37	3			40	52
नागालैंड	68	1		2	71	23
ओडिशा	1273	42	3	2	1320	521
पुदुचेरी	81	8	2		91	12
पंजाब	995	50	17		1062	367
राजस्थान	3910	56	3	78	4047	574
सिक्किम	22	9			31	8
तमिलनाडु	2742	126	12	1	2881	899
तेलंगाना	2042	43	12	2	2099	459
दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	19		1	1	21	1
त्रिपुरा	53	1	1		55	14
उत्तर प्रदेश	8337	69	11	47	8464	1194
उत्तराखंड	483	24	3	3	513	156
पश्चिम बंगाल	1470	50	6	17	1543	574
कुल योग	**44184**	**2023**	**218**	**1419**	**47844**	**12002**

*# **स्टैंडालोन संस्थान** (विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं) ऐसे संस्थान होते हैं जिन्हें उपाधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है इसलिए वे डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम संचालित करते हैं। इस प्रकार के 5 संस्थानों को कवर किया गया है। ये है: (1) तकनीकी संस्थान, जैसे कि पॉलीटेक्निक संस्थान (गुजरात और छत्तीसगढ़ में पॉलीटेक्निक संस्थानों को विश्वविद्यालय से संबद्ध है इसलिए, उन्हें स्टैण्डालोन संस्थानों के रूप में नहीं गिना गया है)। इन 2 राज्यों में पॉलीटेक्निक संस्थानों को महाविद्यालयों में सम्मिलित किया गया है) (2) एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (3) अध्यापक प्रशिक्षण, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (4) भारतीय परिचर्या महाविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त परिचर्या संस्थान (5.) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन संस्थान, देश में कुल **12002** स्टैंडालोन संस्थान एआईएसएचई के पोर्टल पर सूचीबद्ध हैं।*

*अनंतिम आंकड़े (स्रोत: एआईएसएचई पोर्टल रिपोर्ट 2021-22 संस्थानों की सूची)

तालिका 2.2(ii)(ख) वर्ष 2021-22 में स्टैंडअलोन संस्थानों की राज्यवार और टाइपवार संख्या*

राज्य	संस्थान का प्रकार							सकल योग
	होटल प्रबंधन और खानपान	मंत्रालयों के अधीन संस्थान	नर्सिंग	परा-चिकित्सा	पीजीडीएम संस्थान	अध्यापक प्रशिक्षण	तकनीकी/ पॉलिटेक्निक	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह						1		1
आंध्र प्रदेश		4	264	2	5	295	152	722
अरुणाचल प्रदेश			5			7	8	20
असम	1	3	28	1	1	37	28	99
बिहार	2	1	175	6	4	63	64	315
चंडीगढ़	2	1			1	3	3	10
छत्तीसगढ़		1	40		3	33	3	80
दिल्ली	3	2	24	1	20	41	16	107

राज्य	संस्थान का प्रकार							सकल योग
	होटल प्रबंधन और खानपान	मंत्रालयों के अधीन संस्थान	नर्सिंग	परा-चिकित्सा	पीजीडीएम संस्थान	अध्यापक प्रशिक्षण	तकनीकी/ पॉलिटेक्निक	
गोवा	1	1	1	2	1	3	8	17
गुजरात	1	6	193		9	108	10	327
हरियाणा	7	2	64		5	57	123	258
हिमाचल प्रदेश	2	1	25	1		19	38	86
जम्मू और कश्मीर	2	1	31	45		19	66	164
झारखंड	2	2	48	12	6	5	40	115
कर्नाटक	2	3	628	395	28	223	436	1715
केरल	2	14	135	6	7	153	91	408
लद्दाख				1		2	4	7
मध्य प्रदेश	5	2	126	5	76	123	64	401
महाराष्ट्र	2	14	676		60	748	737	2237
मणिपुर		1	16	3		11	5	36
मेघालय	1	1	9			9	3	23
मिजोरम			8	7		9	28	52
नागालैंड			3	1		9	10	23
ओडिशा	1	4	215	84	12	68	137	521
पुदुचेरी			1			2	9	12
पंजाब	2	3	129	5		56	172	367
राजस्थान	7	1	69	73	5	277	142	574
सिक्किम	1		1			4	2	8
तमिलनाडु	2	4	106		9	280	498	899
तेलंगाना	1	3	126		17	177	135	459
दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	1							1
त्रिपुरा		2	8			4		14
उत्तर प्रदेश	6	6	293	94	40	202	553	1194
उत्तराखंड	1	3	24	2	2	11	113	156
पश्चिम बंगाल	2	14	121	12	16	242	167	574
सकल योग	**59**	**100**	**3592**	**758**	**327**	**3301**	**3865**	**12002**

* अनंतिम आंकड़े (स्रोत एआईएसएचई पोर्टल: 2021-22 रिपोर्ट- संस्थानों की सूची)

तालिका 2.2 (ii) (ग): वर्ष 2010-2011 से 2021-22 में महाविद्यालयों की वर्ष-वार संख्या (संबद्ध/संघटक)

वर्ष	महाविद्यालयों की संख्या
2010-11	32974
2011-12	34852
2012-13	35525
2013-14	36634
2014-15	38498
2015-16	39071
2016-17	40026
2017-18	39527
2018-19	40489
2019-20	42343
2020-21	44454
2021-22	46207*

** अनंतिम आंकड़े (स्रोत एआईएसएचई पोर्टल: 2021-22 रिपोर्ट- संस्थानों की सूची)*

तालिका 2.2 (ii)(ग): वर्ष 2010-2011 से 2021-22 तक महाविद्यालयों की वर्ष-वार संख्या (संबद्ध/संघटक)

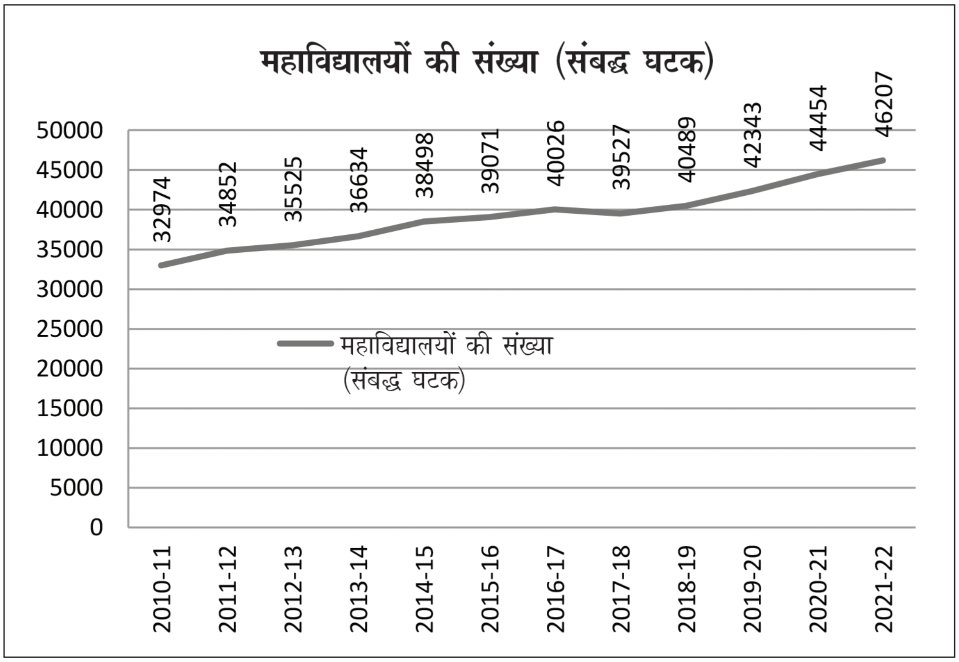

2.3 छात्र नामांकन

वर्ष 2021-22, के दौरान उच्चतम शिक्षा के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/स्टैंडालोन संस्थानों में सभी स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों (नियमित और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम) में 41843704* छात्रों का नामांकन (*) हुआ।

तालिका 2.3 (i) (क): अखिल भारतीय छात्र नामांकन वृद्धि (वर्ष 2010-11 से 2021-22)

वर्ष	कुल छात्रों का नामांकन	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
2010-11	27433749		
2011-12	29184331	1684582	6.13%
2012-13	30152417	968086	3.32%
2013-14	32336234	2183817	7.24%
2014-15	34211637	1875403	5.80%
2015-16	34584781	373144	1.09%
2016-17	35705905	1121124	3.24%
2017-18	36642378	936473	2.62%
2018-19	37399388	757010	2.07%
2019-20	38536359	1136971	3.04%
2020-21	41380713	2844354	7.38%
2021-22*	41843704	462991	1.11%

कवरेज: उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/स्टैंडालोन संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रमों और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में छात्रों के नामांकन के आंकड़े, एआईएसएचई की वर्ष 2010-11 से 2020-21 और वर्ष 2021-22 की रिपोर्टों पर आधारित है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान साधारण औसत वृद्धि पर नामांकन का अनुमान

ग्राफ 2.3 (i) (क): वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक छात्रों के नामांकन (उच्चतर शिक्षा संस्थानों एचईआई) की वर्ष-वार वृद्धि

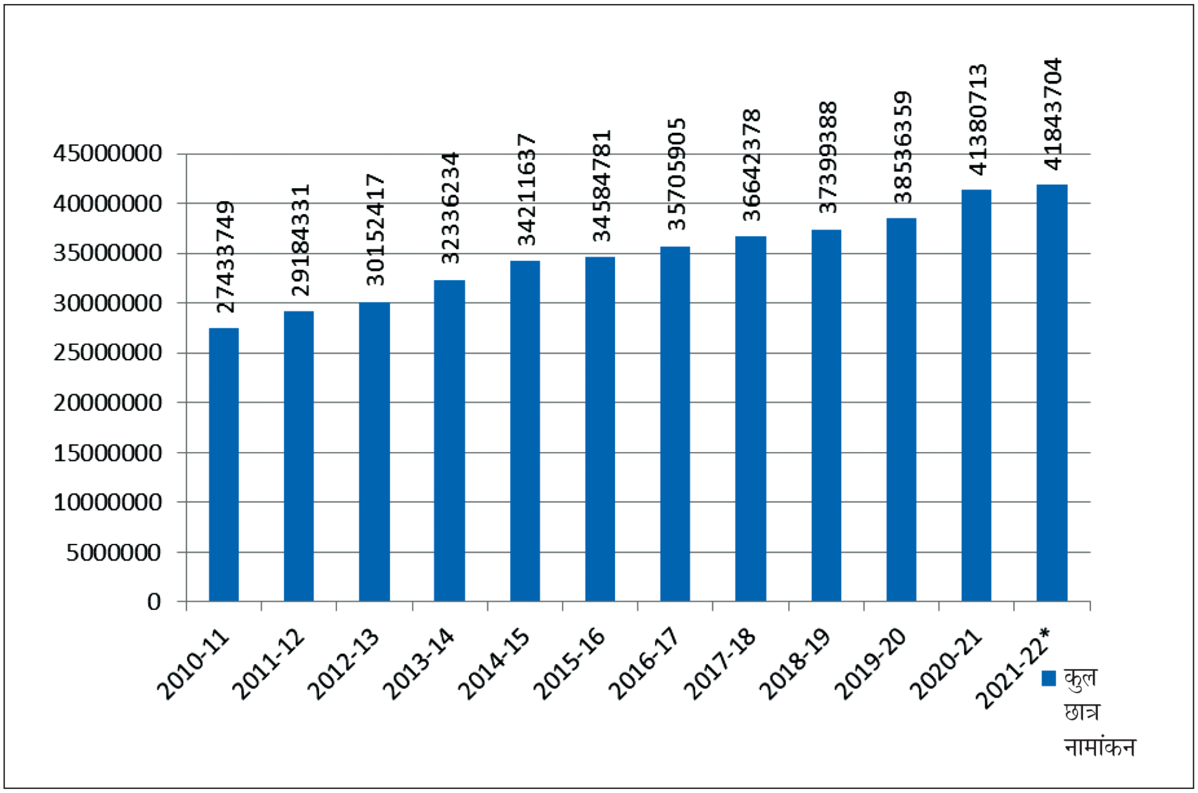

2.3(ii) विदेशी छात्र

विदेशी छात्रों का प्रतिनिधित्व (एआईएसएचई रिपोर्ट 2020-21) - भारत में नामांकित विदेशी नागरिकों के छात्रों की कुल संख्या 48,035 है। भारत में नामांकित विदेशी छात्र दुनिया के 163 विभिन्न देशों से आते हैं। विदेशी छात्रों का अधिकतम हिस्सा पड़ोसी देशों का है, जिसमें नेपाल का 28.25% अफगानिस्तान का 8.4%, बांग्लादेश का 5.7% और संयुक्त राज्य अमेरिका का 5.1% योगदान है। शीर्ष 10 देश जहां से छात्र भारत आते हैं, उनमें संयुक्त अरब अमीरात (4.8%), भूटान (3.8%), सूडान (3.3%), नाइजीरिया (2.9%), तंजानिया (2.7%), और यमन (2.3%) शामिल हैं।

सबसे अधिक विदेशी छात्र स्नातक पाठ्यक्रमों (75.9%) में नामांकित हैं, इसके बाद स्नातकोत्तर (16.2%) में है, बाकी स्तरों में नामांकन 7.9% है।

तालिका 2.3 (ii) (क) उच्चतर शिक्षा संस्थानों में वर्ष 2020-21 में राज्य-वार स्तर-वार विदेशी छात्र (वास्तविक संख्या के आधार पर)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएच. डी	एम. फिल	स्नातकोत्तर	स्नातक	पीजी डिप्लोमा	डिप्लोमा	सर्टिफिकेट	एकीकृत	कुल
1	आंध्र प्रदेश	26	-	478	1530	-	313	-	11	2358
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3	असम	21	-	121	56	-	3	-	-	201
4	बिहार	3	-	79	21	-	-	-	-	103
5	चंडीगढ़	31	-	106	185	-	-	-	42	364
6	छत्तीसगढ़	5	-	39	272	-	-	-	6	322
7	दिल्ली	217	21	639	1908	3	4	8	9	2809
8	गोवा	1	-	55	214	1	-	-	7	278
9	गुजरात	50	-	394	2115	6	51	1	29	2646

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएच. डी	एम. फिल	स्नातकोत्तर	स्नातक	पीजी डिप्लोमा	डिप्लोमा	सर्टिफिकेट	एकीकृत	कुल
10	हरियाणा	66	-	161	1299	26	272	-	15	1839
11	हिमाचल प्रदेश	35	-	53	383	-	1	-	30	502
12	जम्मू और कश्मीर	5	-	3	2	-	-	-	-	10
13	झारखंड	2	-	16	37	-	-	-		55
14	कर्नाटक	121	-	1109	6668	7	189	-	43	8137
15	केरल	29	-	88	147	-	-	-	2	266
16	लद्दाख	-			7	-	-	-		7
17	मध्य प्रदेश	2	-	43	473	1	18	-	1	538
18	महाराष्ट्र	109	-	918	3825	8	32	13	7	4912
19	मणिपुर	11	-	9	1	-	-	-	-	21
20	मेघालय	8	-	11	58	-	-	-	-	77
21	मिजोरम	1	-	-	-	-	-	-	-	1
22	नागालैंड	-	-	-	2	-	-	-	-	2
23	ओडिशा	10	-	179	1947	-	-	-	44	2180
24	पुदुचेरी	4	-	110	143	-	1	-	-	258
25	पंजाब	186	-	983	4927	-	323	1	137	6557
26	राजस्थान	25	-	158	1083	1	114	1	56	1438
27	सिक्किम		-	34	188	-	3	-	2	227
28	तमिलनाडु	125	2	561	2952	2	30	-	13	3685
29	तेलंगाना	42	-	215	1003	10	15	-	104	1389
30	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	-	-	-	1	-	-	-	-	1
31	त्रिपुरा	-	-	7	3	-	-	-	-	10
32	उत्तर प्रदेश	273	8	870	3316	5	94	-	88	4654
33	उत्तराखंड	20	-	191	1016	-	56	2	-	1285
34	पश्चिम बंगाल	26	1	152	680	3	22	8	10	902
अखिल भारतीय		**1454**	**32**	**7783**	**36462**	**73**	**1541**	**34**	**656**	**48035**

राज्यवार वितरण पर दृष्टिपात करते हुए यह पाया गया है कि सबसे अधिक संख्या में विदेशी छात्र कर्नाटक (8,137), पंजाब (6,557), महाराष्ट्र (4,912), उत्तर प्रदेश (4,654), तमिलनाडु (3,685), दिल्ली (2,809), गुजरात (2,646), आंध्र प्रदेश (2,385) और ओडिशा (2,180) में आते हैं।

तालिका 2.3 (ii) (ख) वर्ष 2016-17 से 2021-22 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में विदेशी छात्रों का नामांकन

वर्ष	पुरुष	महिला	कुल
2016-17	31779	15796	47575
2017-18	31394	14750	46144
2018-19	32398	15029	47427
2019-20	32836	16512	49348
2020-21	32603	15432	48035

ग्राफ 2.3 (ii) (ख) वर्ष 2017-18 से 2021-22 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में नामांकित विदेशी छात्रों की संख्या, वर्षवार: लिंग वार

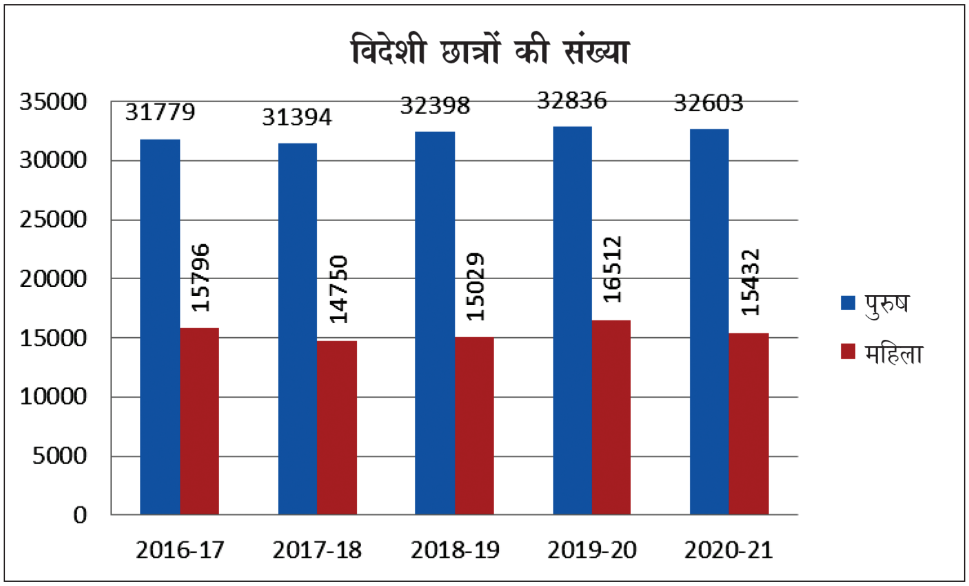

2.4 आउट टर्न/पास आउट

तालिका 2.4: वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक वर्षवार और स्तरवार: आउट-टर्न/पास-आउट*

स्तर	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
पीएच.डी.	34400	40813	38986	25550	32221
एम.फिल	28059	25787	18220	9897	5860
स्नातकोत्तर	1504403	1500064	1577704	1483828	1726810
स्नातकपूर्व	6419639	6474715	6650071	6909846	7419879
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	143176	159697	189608	131170	137967
डिप्लोमा	737077	783914	807330	848050	855919
सर्टिफिकेट	75383	75358	80927	85292	32692
एकीकृत	26409	31550	39064	47403	66124
कुल	**8968546**	**9091898**	**9401910**	**9541036**	**10277472**

* अनंतिम आंकड़ा स्रोत: एआईएसएचई पोर्टल 2021-22

ग्राफ 2.4: स्तर वार आउट टर्न/पास आउट: 2021-22 (एआईएसएचई पोर्टल)

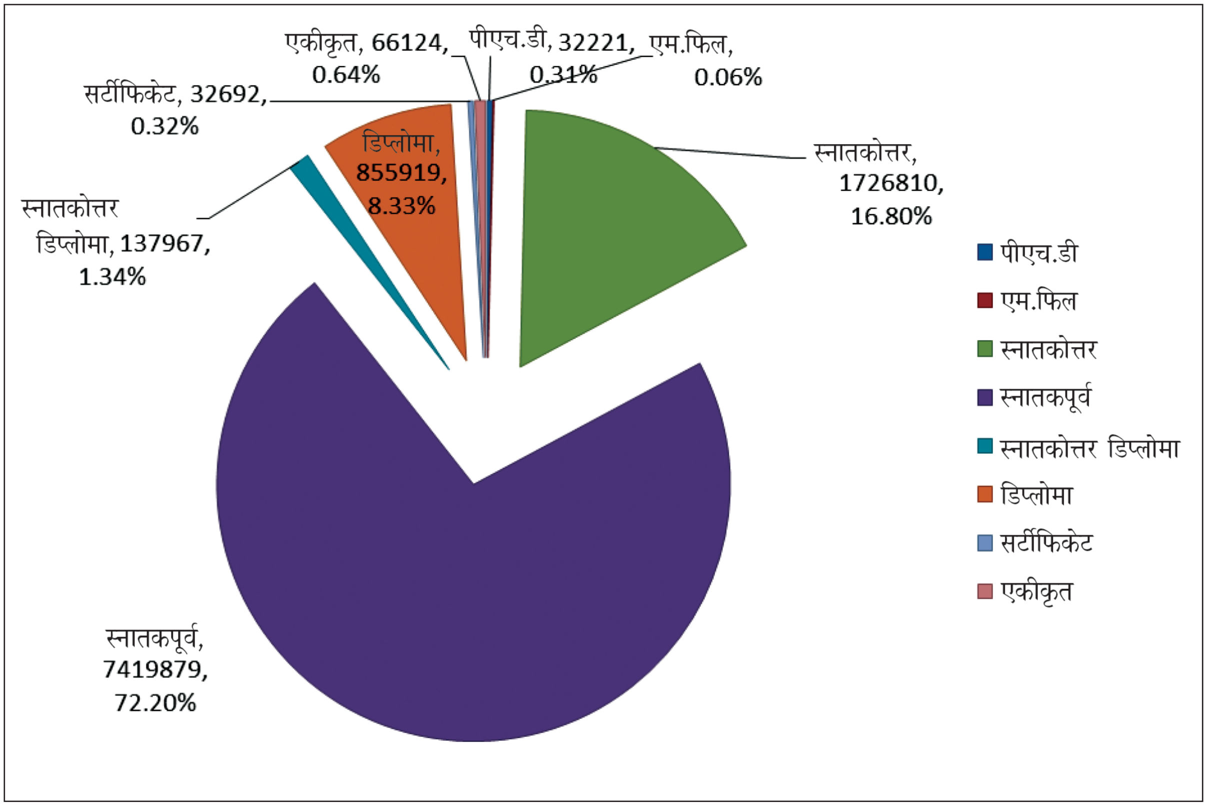

2.5 शिक्षण स्टाफ

तालिका 2.5 (i): वर्ष 2021-22* में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में शिक्षकों की राज्यवार संख्या:
(*अनंतिम आंकड़े एआईएसएचई पोर्टल 2021-22)

राज्य का नाम	सकल योग			
	पुरुष	महिला	ट्रांस जेंडर	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	62	61	-	123
आंध्र प्रदेश	64168	39679	13	103860
अरुणाचल प्रदेश	1270	1015	-	2285
असम	12132	8998	2	21132
बिहार	28248	9038	5	37291
चंडीगढ़	1554	2135	-	3689
छत्तीसगढ़	11430	11390	-	22820
दिल्ली	10231	11998	4	22233
गोवा	1755	2147	1	3903
गुजरात	35079	26292	9	61380
हरियाणा	19006	22082	5	41093
हिमाचल प्रदेश	5016	4882	1	9899
जम्मू और कश्मीर	6493	4607	1	11101
झारखंड	9880	5111	1	14992

राज्य का नाम	सकल योग			
	पुरुष	महिला	ट्रांस जेंडर	कुल
कर्नाटक	72789	66549	15	139353
केरल	21760	36721	10	58491
लद्दाख	159	115	-	274
मध्य प्रदेश	43852	33056	17	76925
महाराष्ट्र	93856	70267	18	164141
मणिपुर	2954	2917	-	5871
मेघालय	1610	2139	-	3749
मिजोरम	1167	1033	-	2200
नागालैंड	1082	1447	-	2529
ओडिशा	26633	17051	10	43694
पुदुचेरी	3386	2887	-	6273
पंजाब	19830	30491	8	50329
राजस्थान	49183	28368	6	77557
सिक्किम	884	604	0	1488
तमिलनाडु	101246	103278	20	204544
तेलंगाना	40773	31830	7	72610
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	304	222	-	526
त्रिपुरा	1539	890		2429
उत्तराखंड	10423	6960	4	17387
उत्तर प्रदेश	102023	49218	16	151257
पश्चिम बंगाल	46775	26750	4	73529
कुल	848552	662228	177	1510957

* अनंतिम आंकड़ा स्रोत: एआईएसएचई पोर्टल 2021-22

ग्राफ 2.5 (i) (क): वर्ष 2021-22 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में पुरुष, महिला और ट्रांस जेंडर शिक्षण स्टाफ

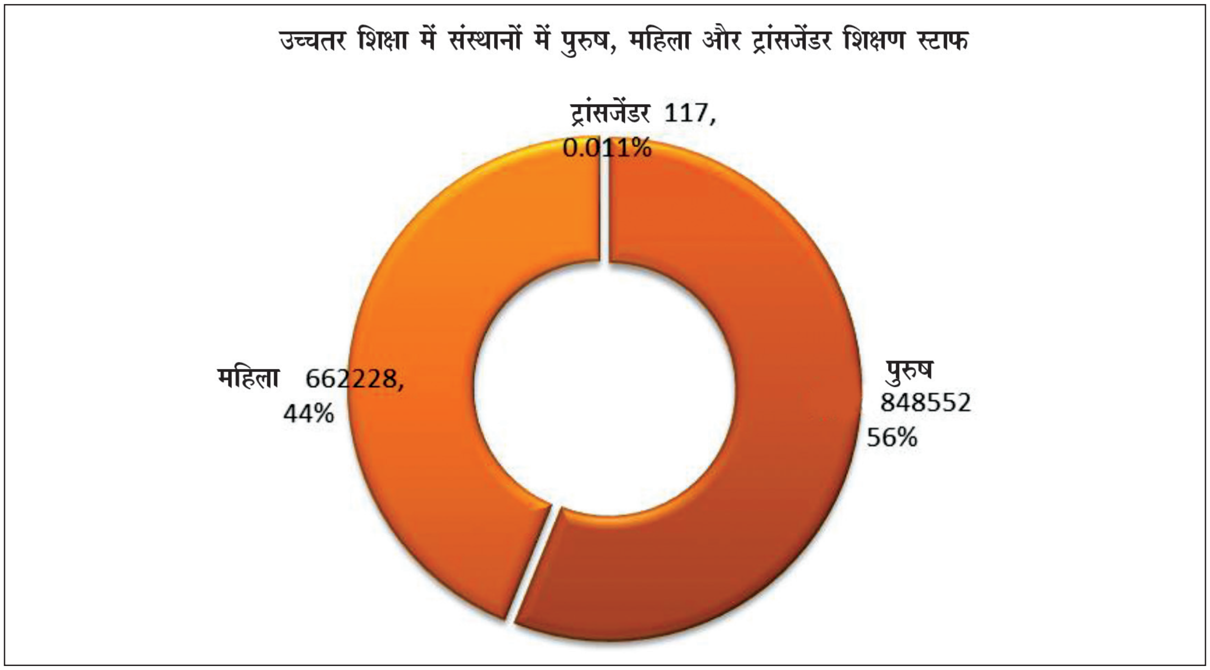

ग्राफ 2.5 (i)(ख) वर्ष 2021-22 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में अध्यापकों की राज्यवार संख्या

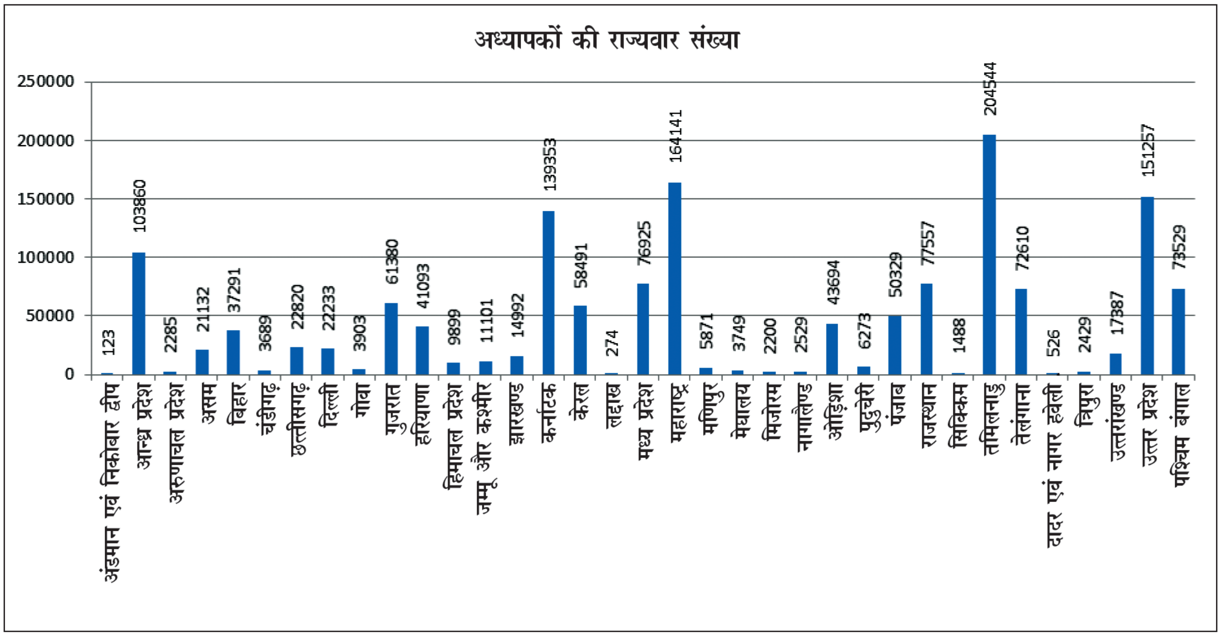

2.6 शिक्षणेतर स्टाफ

उच्चतम शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में वर्ष 2021-22 में शिक्षणेत्तर स्टाफ की संख्या 11,38,779 है और उन्हें चार समूहों क, ख, ग और घ में विभाजित किया गया है। समूह ग का हिस्सा 41% के साथ सबसे अधिक है, जबकि समूह घ 28% के साथ दूसरे स्थान पर है, समूह क और समूह ख में क्रमशः 13% और 18% शामिल हैं।

तालिका 2.6 (i) 2021-22 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में शिक्षणेत्तर स्टाफ *
(एआईएसएचई पोर्टल 2021-22*)

पद	पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	कुल
समूह-क	74217	73689	71	147977
समूह-ख	102731	104639	65	207435
समूह-ग	269272	195497	149	464918
समूह-घ	189282	129126	41	318449
कुल	**635502**	**502951**	**326**	**1138779**

*अनंतिम आंकड़े (स्रोत: एआईएसएचई पोर्टल 2021-22)

तालिका 2.6 (ii) वर्ष 2017-18 से 2021-22 में उच्चतर शिक्षा में शिक्षणेत्तर स्टाफ

वर्ग	वर्ष				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
समूह क	183352	187032	194678	200114	147977
समूह ख	209891	205982	221572	250589	207435
समूह ग	488997	477182	517540	557347	464918
समूह घ	334194	344106	356911	387818	318449
कुल	**1216434**	**1214302**	**1290701**	**1395868**	**1138779**

* अनंतिम आंकड़ा (स्रोत: एआईएसएचई पोर्टल 2021-22)

ग्राफ 2.6 (i) वर्ष 2021-22 में उच्चतर संस्थानों (एचईआई) में शिक्षणेत्तर स्टाफ

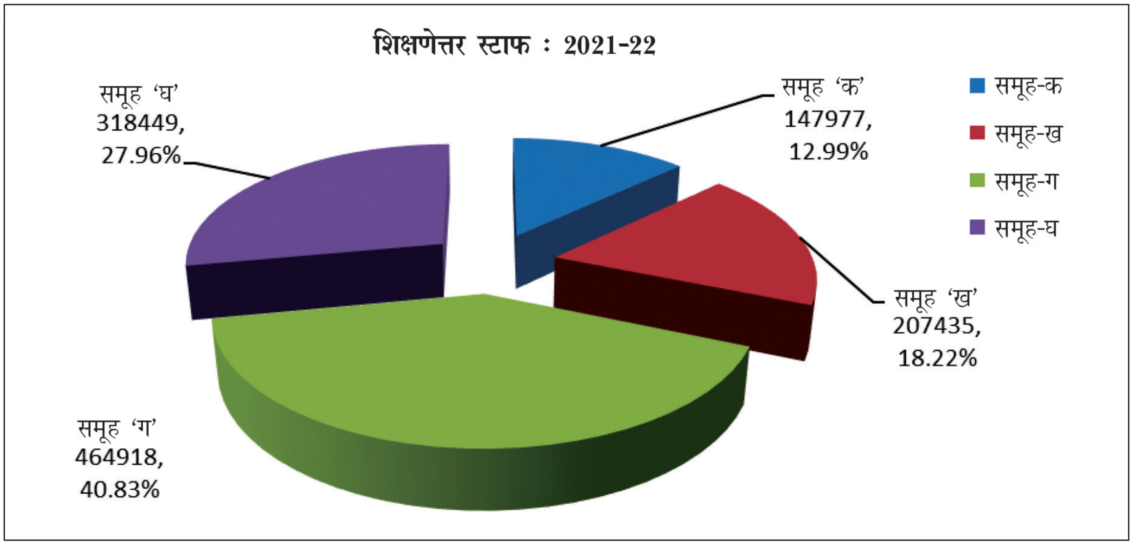

2.7 संस्थानों के लिए बुनियादी ढांचा

उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एआईएसएचई पोर्टल 2021-22) यानी अधिकांश विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्टैंडालोन संस्थानों में विभिन्न प्रकार का बुनियादी ढांचा है, जैसे कि खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सम्मेलन हॉल आदि।

तालिका 2.7: विभिन्न बुनियादी ढांचे वाले संस्थानों की संख्या (एआईएसएचई पोर्टल : 2021-22)*

विभिन्न बुनियादी ढांचे वाले संस्थानों की संख्या (एआईएसएचई पोर्टल: 2021-22*)			
अवसरंचना	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	स्टैंडालोन
खेल का मैदान	1063	37471	8302
सभागार	1014	27394	6454
थियेटर	625	9835	1939
पुस्तकालय	1121	39339	9069
प्रयोगशाला	1037	34562	8687
सम्मेलन केंद्र	1111	33955	7731
स्वास्थ्य केंद्र	963	21342	5099
व्यायामशाला/फिटनेस केंद्र	943	18084	3090
इंडोर स्टेडियम	683	15083	2973
कॉमन रूम	1036	37121	8550
कंप्यूटर केंद्र	1087	35738	8516
जलपान गृह	1061	26000	5946
अतिथि-गृह	998	18729	4474
लड़कियों के लिए अलग कमरा	988	36241	8007
सौर ऊर्जा उत्पादन	837	16224	3406
कनेक्टिविटी Nkn	666	10504	2183
कनेक्टिविटी Nmeict	517	9630	1988
परिसर अनुकूल	1008	25862	5471
शिकायत निवारण तंत्र	1084	27434	5980

विभिन्न बुनियादी ढांचे वाले संस्थानों की संख्या (एआईएसएचई पोर्टल: 2021-22*)			
सतर्कता प्रकोष्ठ	909	23633	5297
अवसर प्रकोष्ठ	883	24155	4956
दिव्यांग महिला के लिए अलग शौचालय	708	19839	3940
कक्षा से जुड़ा रैंप	977	23954	5367
यौन उत्पीड़न प्रकोष्ठ	1093	31952	6967
छात्रों के लिए काउंसलर	1019	30248	6987
प्राथमिक चिकित्सा कक्ष	1042	31145	7552
लड़कियों के लिए अलग शौचालय	1128	37610	8556
कौशल विकास केंद्र	850	24441	5428
महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण	651	21486	4389
संस्थान आपदा प्रबंधन सुविधाएं	913	24551	5614

* अनंतिम आंकड़ा स्रोत: एआईएसएचई पोर्टल 2021-22

******

अध्याय 3

विकास योजनाएं और विश्वविद्यालयों को सहायता

3.1 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता
3.2 राज्य निजी विश्वविद्यालयों को सहायता
3.3 सम विश्वविद्यालय संस्थानों को सहायता
3.4 राज्य निजी विश्वविद्यालयों को सहायता

3.1 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, 54 केन्द्रीय विश्वविद्यालय थे जिनमें से 9 विश्वविद्यालय नामतः (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, (iii) इंडियन मेरीटाइम युनिवर्सिटी, चेन्नई –600119 (iv) नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार– 803116 (v) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, चाणक्यपुरी में अकबर भवन परिसर, नई दिल्ली– 110021 (vi) राजीव गांधी नेशनल एवियेशन युनिवर्सिटी, राय बरेली, उत्तर प्रदेश (vii) रानी लक्ष्मीबाई केन्दीय कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग–75, पाउज बांध के निकट, ग्वालियर रोड, झांसी (उत्तर प्रदेश) –284003 (viii) डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर –848125, बिहार और (ix) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, कोउत्रुक, मणिपुर– 795146 (x) गति शक्ति विश्वविद्यालय, वदोदरा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है और इसलिए, इन दस केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को कोई अनुदान जारी नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार, ऐसे 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जिन्हें वर्ष 2022–23 की अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची अध्याय–2 की तालिका 2.2 (i) (ख) (ii) में दी गई है।

रेखाचित्र 3.1 : दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की राज्य–वार संख्या

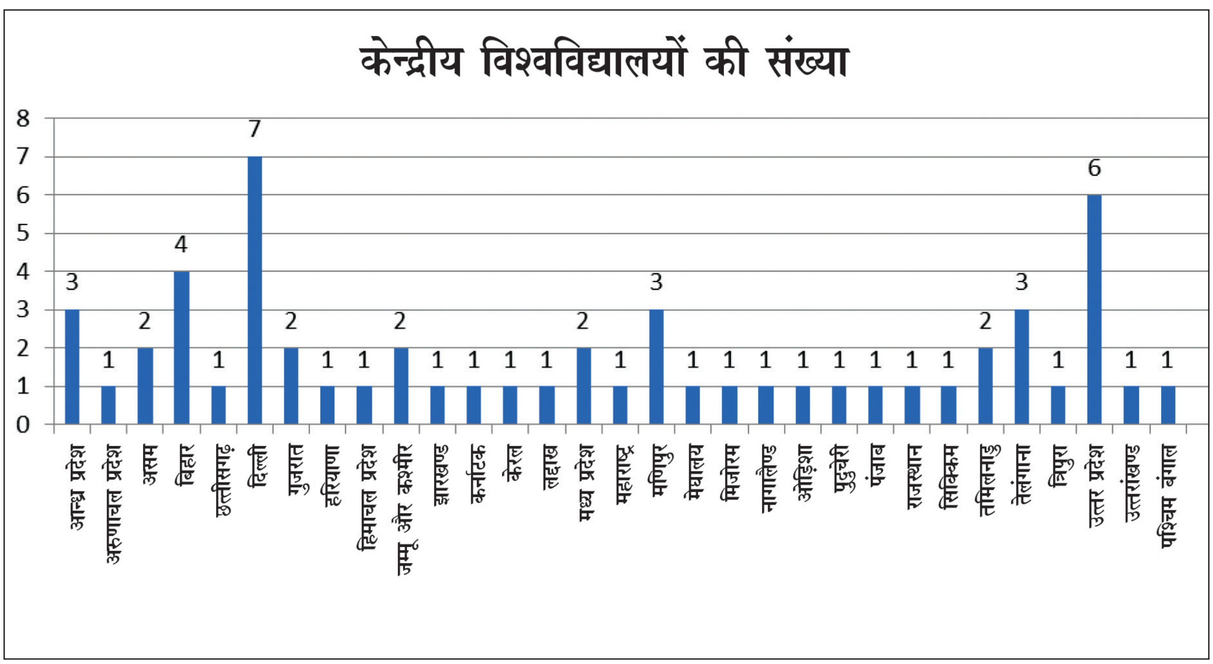

3.1 (i) ब्लॉक अनुदान के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान

वित्त वर्ष 2017—18 से बजट के योजना गत तथा गैर— योजनागत वर्गीकरण को बंद कर दिया गया है। वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ आदि पर व्यय को 'आब्जेक्ट' शीर्ष 36 के तहत आवंटित निधियों से पूरा किया जाता है और (क) पेंशन और पेंशन लाभों के भुगतान पर व्यय; (ख) किसी योजना के अंतर्गत नियुक्त परामर्शदाताओं को भुगतान किया जाने वाला वेतन और यात्रा भत्ता/ महंगाई भत्ता आदि तथा (ग) किसी योजना के अंतर्गत नियुक्त संविदागत कर्मचारियों को भुगतान किया जाने वाला वेतन/ मजदूरी आदि को 'आब्जेक्ट' शीर्ष 31 — सहायता अनुदान — सामान्य के अंतर्गत उपलब्ध की गई निधियों से पूरा किया जाता है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में वर्ष 2022—23 के लिए बजट का विवरण, संक्षेप में नीचे दिया गया है:—

तालिका 3.1 (i) (क) : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को बजट आबंटन (लाख रुपये में)

विश्वविद्यालय	बजटीय आबंटन			
	आवर्ती (31)	पूंजीगत परिसम्पत्तियां (35)	वेतन (36)	कुल
1	2	3	4	5
केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान	310862.00	41500.00	565300.00	917662.00
एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान	41700.00	18500.00	87652.00	147852.00
आईएमएस— बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	21000.00	2625.00	7875.00	31500.00
आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	600.00	4958.00	108.00	5666.00
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय	250.00	4000.00	150.00	4400.00
कुल	**374412.00**	**71583.00**	**661085.00**	**1107080.00**

तालिका 3.1(i) (ख) : वित्तीय वर्ष 2022—23 (दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक) के दौरान वेतन अनुदान— 36, आवर्ती अनुदान— 31 और पूंजीगत परिसम्पत्तियां— 35 के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान की स्थिति

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	वेतन अनुदान (36)		आवर्ती अनुदान (31)		पूंजीगत परिसम्पत्तियां (35)	
		आबंटन	जारी किया गया	आबंटन	जारी किया गया	आबंटन	जारी किया गया
गैर— एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालय							
1	राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	4629.00	4629.00	2690.00	2690.00	375.00	375.00
2	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	4415.00	4415.00	1543.00	1543.00	500.00	500.00
3	महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2245.00	2245.00	1153.00	1153.00	200.00	200.00
4	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	9360.00	9360.00	4452.00	4452.00	650.00	650.00
5	दिल्ली विश्वविद्यालय	44668.00	44668.00	33225.00	33225.00	3350.00	3350.00
5क	यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडीकल सांइसेज (यूसीएमएस)	17091.00	17091.00	3156.00	3156.00	300.00	300.00
6	जामिया मिलिया इस्लामिया	40201.00	40201.00	16798.00	16798.00	708.34	708.34
7	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	27822.00	27822.00	20425.00	20425.00	3550.00	3550.00
8	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली	4198.00	4198.00	2591.00	2591.00	375.00	375.00
9क	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	12949.00	12949.00	11996.00	11996.00	5254.00	5254.00
9ख	सीएसयू, एनईआर	357.00	357.00	499.00	499.00	1388.00	1388.00
10	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2722.00	2722.00	2018.00	2018.00	6400.00	6400.00
11	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3470.00	3470.00	2941.00	2941.00	500.00	500.00
12	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3593.00	3593.00	1406.00	1406.00	2350.00	2350.00
13	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2626.00	2626.00	1800.00	1800.00	400.00	400.00

14	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2897.00	2897.00	2243.00	2243.00	400.00	400.00
15	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3741.00	3741.00	1933.00	1933.00	1450.00	1450.00
16	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2491.00	2491.00	1601.00	1601.00	400.00	400.00
17	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3710.00	3710.00	1483.00	1483.00	475.00	475.00
18	डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय	8900.00	8900.00	7100.00	7100.00	700.00	700.00
19	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	4171.00	4171.00	3583.00	3583.00	800.00	800.00
20	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	3533.00	3533.00	2395.00	2395.00	600.00	600.00
21	ओडीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ओडीशा	231.00	231.00	1333.00	1333.00	500.00	500.00
22	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3513.00	3513.00	1825.00	1825.00	700.00	700.00
23	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	16114.00	16114.00	7089.00	7089.00	700.00	700.00
24	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	4726.00	4726.00	2629.00	2629.00	575.00	575.00
25	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3760.00	3760.00	2163.00	2163.00	500.00	500.00
26	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूयू)	14275.00	14275.00	5101.00	5101.00	475.00	475.00
27	हैदराबाद विश्वविद्यालय	22250.00	22250.00	13456.00	13456.00	700.00	700.00
28	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी	6536.00	6536.00	4728.00	4728.00	450.00	450.00
29	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	12310.00	12310.00	4113.00	4113.00	525.00	525.00
30	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	106123.00	106123.00	51290.00	51290.00	1016.66	1016.66
31 क	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	104308.00	104308.00	57515.00	57515.00	1150.00	1150.00
32	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	5776.00	5776.00	3075.00	3075.00	1034.50	1034.50
33	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	32388.00	32388.00	17372.00	17372.00	700.00	700.00
34	विश्व भारती	21058.00	21058.00	12641.00	12641.00	675.00	675.00
	कुल– (गैर–एनईआर विश्वविद्यालय)	562800.00	562800.00	310862.00	310862.00	39438.50	39438.50
एनईआर केन्द्रीय विश्वविद्यालय							
35	असम विश्वविद्यालय	12263.00	12263.00	4984.00	4984.00	650.00	650.00
36	तेजपुर विश्वविद्यालय	9772.00	9772.00	2698.00	2698.00	875.00	875.00
37	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	6362.00	6362.00	3595.00	3595.00	3109.00	3109.00
38	मणिपुर विश्वविद्यालय	10556.00	10556.00	6054.00	6054.00	3431.00	3431.00
39	नार्थ–इस्टर्न हिल यूनीवसिर्टी	14401.00	14401.00	11228.00	11228.00	2873.00	2873.00
40	मिजोरम विश्वविद्यालय	14713.00	14713.00	2607.00	2607.00	1150.00	1150.00
41	नागालैंड विश्वविद्यालय	11285.00	11285.00	4322.00	4322.00	2252.00	2252.00
42	सिक्किम विश्वविद्यालय	4643.00	4643.00	2932.00	2932.00	4075.00	4075.00
43	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	5800.00	5800.00	2781.00	2781.00	750.00	750.00
	कुल (एनईआर विश्वविद्यालय)	**90152.00**	**90152.00**	**41700.00**	**41700.00**	**20553.00**	**20553.00**
	कुल (गैर–एनईआर और एनईआर)	**652952.00**	**652952.00**	**352562.00**	**352562.00**	**59991.50**	**59991.50**
44	केन्द्रीय सिंधु विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	8.50
31 ख	आईएमएस–बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	7875.00	7875.00	21000.00	21000.00	2625.00	2625.00
45	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	108.00	108.00	600.00	599.50	4958.00	600.00
46	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	150.00	150.00	250.00	250.00	4000.00	500.00
	कुल (नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय)	**8133.00**	**8133.00**	**21850.00**	**21849.50**	**11591.50**	**3733.50**
	सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कुल योग	**661085.00**	**661085.00**	**374412.00**	**374411.50**	**71583.00**	**63725.00**

नोटः *–सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, लेहिस को अभी पूरी तरह से चालू किया जाना है और सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का डीपीआर तैयार करने के लिए एडसिल को 8.50 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।*

3.1 (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वित्तपोषित योजनाएं

3.1 (ii) (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एमफिल/ पीएचडी के लिए गैर–नेट अध्येतावृत्ति की योजना

दिनांक 27 दिसम्बर, 2006 को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 433वीं बैठक में आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् वर्ष 2006–2007 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गैर– नेट अध्येतावृत्ति योजना आरंभ की गई। अध्येतावृत्ति की दर नीचे दी गई हैः–

(i)	पूर्णकालिक पीएचडी हेतु अध्येतावृत्ति	5000 रुपये प्रतिमाह
(ii)	पूर्णकालिक एमफिल हेतु अध्येतावृत्ति	3000 रुपये प्रतिमाह
(iii)	आकस्मिक राशि	विज्ञान के विषयों के लिए 10,000/– रुपये प्रति माह और मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए 8,000/– रुपये प्रति माह

दिनांक 27 जनवरी, 2009 को आयोजित आयोग की बैठक की **मद संख्या 5.06 के माध्यम से** आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्येतावृत्ति की दर को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया था।

क्रम संख्या	अध्येतावृत्ति	मौजूदा अध्येतावृत्ति	संशोधित अध्येंतावृत्ति
(i)	पूर्णकालिक पीएचडी हेतु अध्येतावृत्ति	5000 रुपये प्रतिमाह	8000 रुपये प्रति माह
(ii)	पूर्णकालिक एमफिल हेतु अध्येतावृत्ति	3000 रुपये प्रतिमाह	5000 रुपये प्रति माह
(iii)	आकस्मिक राशि	विज्ञान के विषयों के लिए 10,000/– रुपये प्रति माह और मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए 8,000/– रुपये प्रति माह	कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

योजना के तहत वर्ष 2022–23 के दौरान सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को **15912.94 करोड़ रुपये** की राशि जारी की गई है।

3.1 (ii) (ख) : अल्पसंख्यकों/ अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की अनुशिक्षण योजना

अल्पसंख्यकों/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमी का उद्देश्य समान उन्नति के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है। निशुल्क/नाममात्र शुल्क, बिना शिक्षण शुल्क पर छात्रावास की सुविधा प्रदान कर केन्द्र/राज्य सरकार, निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रवेश के लिए तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उपर्युक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को निशुल्क शिक्षण की सुविधा प्रदान की जा सके।

यह योजना चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों यथा जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय और बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में चल रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 99.56 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 754 छात्र इस योजना के तहत लाभान्वित हुए।

3.2 (ii) (ग): लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लुप्तप्राय भाषाओं के परिरक्षण तथा उनके संवर्धन के लिए योजना के निम्नवत उद्देश्यों के साथ, दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्वदेशी भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना की हैः

1. लुप्तप्राय भाषाओं के संबंध में अंतर्विभागीय और अंतर्विधायी अनुसंधान शोध आरंभ करना।
2. सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य अर्थात प्रारूपों अर्थात् डिजीटाईज पाठ, श्रव्य और वीडियो प्रारूप में अत्याधुनिक भाषण और भाषा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके लघु लुप्तप्राय भाषाओं में क्षेत्रकार्य, अनुसंधान, विश्लेशण, पुरालेखन और दस्तावेजीकरण का कार्य करना।
3. मोनोग्राफ, व्याकरण, व्याकरणिक स्केच, शब्दकोश और शब्द संग्रह, नृजातीय– भाषाई और सैद्धांतिक विवरण, मौखिक और लोक साहित्य और लुप्तप्राय भाषाओं पर विद्वानों की पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन करना।
4. अल्पसंख्यक और लुप्तप्राय भाषाओं के विशेष संदर्भ के साथ भाषा और बोली एटलस को तैयार करना।
5. लुप्तप्राय भाषाओं से संबंधित कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करना ताकि लुप्तप्राय भाषाओं के संबंध में उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके।
6. क्षेत्रगत भाषा विज्ञान, कोष रचना और डॉटा प्रबंधन और प्रलेखन के लिए तकनीकों में अन्य विभागों/ केंद्रों से शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करना। क्षेत्रगत भाषा विज्ञान केंद्र का एक अनिवार्य भाग होना चाहिए।

7. केंद्र को केंद्र के अनुसंधान के निष्कर्षों, अर्थात् भाषाई डॉटा, भाषा शिक्षण सामग्री, और भाषा की कृतियों के डिजिटल और एनालॉग अभिलेखागार को सुलभ करवाकर, स्वदेशी और लुप्तप्राय भाषा समुदायों की सेवा करनी चाहिए।

8. लुप्तप्राय भाषाओं के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देना और उसके संपोशण का संवर्धन करना ताकि लिपियों, अक्षर ज्ञान की पुस्तकों जैसे वर्तनी विषयक संसाधनों का विकास सहित भाषायी जीवन शक्ति को बनाए रखने और संरक्षित करने में अल्पसंख्यक/ लुप्तप्राय भाषा समुदायों का संवर्धन सुनिश्चित किया जा सके।

9. केंद्र में अनुसंधान के दौरान एकत्र किए गए आंकड़े को डिजिटल करना और इसे इंटरनेट द्वारा जनता के लिए उपलब्ध कराना।

10. प्रारंभिक चरणों में यह केंद्र विश्वविद्यालय में भाषा, भाषाविज्ञान, लोककथाओं, नृविज्ञान, और साहित्य के अन्य केंद्रों से संसाधन (जैसे जनशक्ति, प्रयोगशाला, पुस्तकें, छात्र आदि) को प्राप्त कर सकता है लेकिन अंततः एक ऐसे स्वतंत्र केन्द्र के गठन के बारे में विचार करना चाहिए जो विशुद्ध रूप से लुप्तप्राय और स्वदेशी भाषाओं के मुद्दों के लिए समर्पित हो।

3.1 (ii) (घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन सभी विश्वविद्यालयों को निधियां प्रदान कर रहा है जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12ख हैं ताकि उनमें मौजूद आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना की जा सके और उन्हें सुदृढ़ बनाया जा सके।

3.1 (iii) वर्ष 2022–23 के दौरान की गई प्रमुख पहल

3.1 (iii) (क) सिंधु केन्द्रीय विश्वविद्यालय का संचालन

शिक्षा मंत्रालय/ भारत सरकार ने अपने दिनांक 25 मई, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय नामक एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के उपबंधों के अनुसार शिक्षा वर्ष 2022–23 से संघ राज्य क्षेत्र, लद्दाख के तुरा गांव केंद्र शासित प्रदेश में एक अस्थायी परिसर से विश्वविद्यालय कार्यात्मक हो गया है। सिंधु केन्द्रीय विश्वविद्यालय का डीपीआर तैयार करने के लिए एडसिल को 8.50 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

3.1 (iii) (ख) विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)– 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के माध्यम से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए शिक्षा सत्र 2022–2023 में विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) आरंभ की गई थी। सीयूईटी, न्यूनतम 13 भाषाओं में आयोजित किया जाता है।

3.1 (iii) (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिनांक 11 जनवरी, 2023 के पत्र के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए।

भारत सरकार/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं और संसाधनों की स्थापना हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ–साथ अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सहायता करता आ रहा है। अवसंरचनात्मक सुविधाओं के यथावत् बनाए रखने और उनके रखरखाव के लिए सतत् वित्तपोषण की आवश्यकता होती है और इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि मामूली राशि वसूल कर उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए उनकी अवसंरचना को अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ साझा किया जाए। यह जरूरतमंदों संस्थानों को अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने के अलावा, अतिरिक्त राजस्व के माध्यम से अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से बनाए रखने में भी मदद करेगा। इसके लिए, उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने संसाधनों, जैसे पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, उपकरणों आदि को अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्रों और शोधकर्ताओं को खाली समय के दौरान साझा/ उपयोग करने की अनुमति दे सकते हैं।

3.1(iv) प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एनएएसी का अनिवार्य प्रत्यायन

पारदर्शी और जानकारीप्रद बाह्रय समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में मूल्यांकन और मान्यता, उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन के प्रभावी साधन है ताकि छात्रों और अन्य लोगों को संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्देशों का एक सामान्य ढांचा उपलब्ध कराया जा सके, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में छात्र गतिशीलता में सहायता मिलती है।

किसी संस्थान में शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रारंभ होने से पहले मूल्यांकन किया जाता है। जब किसी संस्थान को अस्तित्व में आए कुछ वर्ष (6 वर्ष) हो जाते हैं तथा विनिर्दिष्ट बैच (दो बैच) उत्तीर्ण हो जाते हैं, इनमें से जो भी पहले हो, उस स्थिति में संस्थान का प्रत्यायन तब किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा उसके संकाय, विद्यालय, विभाग, केंद्र या उनमें कोई अन्य इकाई, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, 31 दिसंबर, 2015 को अथवा उससे पूर्व, मूल्यांकन और प्रत्यायन करवाए बिना दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से आयोग की किसी भी योजना के तहत आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने अथवा उसे प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।

46 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 43 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त कर लिया है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम और आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम और सिंधु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लद्दाख, एनएएसी प्रत्यायन के लिए पात्र नहीं है और महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी को अब तक प्रत्यायन प्राप्त नहीं हुआ है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयवार, एनएएसी प्रत्यायन की स्थिति निम्नानुसार है :–

शिक्षा मंत्रालय के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालय और उनके नैक प्रत्यायन की स्थिति :–

(i) प्रत्यायित = 43

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	सीजीपीए	ग्रेड	दिनांक तक वैधता अवधि
1	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	3.77	ए ++	29 अक्तूबर, 2022
2	राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	3.22	ए	07 जुलाई, 2028
3	जामिया मिलिया इस्लामिया	3.61	ए ++	13 दिसम्बर, 2026
4	तेजपुर विश्वविद्यालय	3.41	ए +	09 अगस्त, 2027
5	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	3.41	ए +	02 मार्च, 2020
6	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	3.36	ए +	19 दिसम्बर, 2027
7	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	3.35	ए +	02 मार्च, 2027
8	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	3.30	ए +	27 फरवरी, 2028
9	हैदराबाद विश्वविद्यालय	3.28	ए +	02 जनवरी, 2028
10	दिल्ली विश्वविद्यालय	3.28	ए +	29 नवम्बर, 2023
11	अंग्रेज़ी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	3.26	ए +	24 मई, 2021
12	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	3.61	ए ++	18 मई, 2028
13	नॉर्थ– ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी	3.20	ए	08 जून, 2022
14	मिजोरम विश्वविद्यालय	3.16	ए	19 मई, 2024
15	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	3.14	ए	26 सितम्बर, 2027
16	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	3.11	ए	28 मार्च, 2021
17	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	3.10	ए	30 अप्रैल, .2024
18	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	3.06	ए	02 मार्च, 2020
19	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय	3.38	ए +	01 जून, 2028
20	मणिपुर विश्वविद्यालय	2.63	बी +	30 अप्रैल, .2028
21	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	3.01	ए	30 अप्रैल, .2020
22	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	3.58	ए ++	09 जून, 2028
23	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय	3.54	ए ++	09 जून, 2028
24	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	3.01	ए	24 जून, 2020
25	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	2.95	बी ++	20 मार्च, 2028
26	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	2.88	बी ++	29 अक्तूबर, 2022
27	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	2.86	बी ++	31 मार्च, 2024

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	सीजीपीए	ग्रेड	दिनांक तक वैधता अवधि
28	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	2.80	बी ++	24 मई, 2021
29	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	2.80	बी ++	04 नवम्बर, 2021
30	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	2.80	बी ++	29 अक्तूबर, 2022
31	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	3.42	ए +	18 जुलाई, 2028
32	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	2.78	बी ++	15 सितम्बर, 2021
33	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	2.77	बी ++	09 अगस्त, 2027
34	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	2.76	बी ++	04 नवम्बर, 2021
35	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	2.72	बी +	20 फरवरी, 2019
36	विश्व भारती	2.65	बी +	29 नवम्बर, 2026
37	सिक्किम विश्वविद्यालय	2.60	बी +	24 जून, 2020
38	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय	2.59	बी +	29 अक्तूबर, 2022
39	नागालैंड विश्वविद्यालय	2.58	बी +	09 जुलाई, 2019
40	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	2.40	बी	24 जून, 2020
41	असम विश्वविद्यालय	2.39	बी	19 सितम्बर, 2026
42	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	2.34	बी	14 जुलाई, 2024
43	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	3.51	ए ++	07 जनवरी, 2026

(ii) एनएएसी प्रत्यायन हेतु पात्र नहीं = 3

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम
1	आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम
2	आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम
3	सिंधु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लद्दाख

(iii) अब तक प्रत्यायित नहीं हुए = 1

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम
1	महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी

3.1 (v) महाविद्यालयों हेतु महिला छात्रवासों का निर्माण:–

महिलाओं के स्तर का उन्नयन करने तथा व्यापक रूप से समाज के विकास के लिए उपलब्ध सक्षमता को प्राप्त करने साथ ही साथ लिंग समानता लाने तथा महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों के निर्माण की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

इस योजना के तहत निम्नवत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है:–

(लाख रुपये में)

महिलाओं का नामांकन	गैर महानगर	महानगर/ विशेष श्रेणी के राज्य'
500 तक	100.00	200.00
500 से अधिक	120.00	240.00

* विशेष श्रेणी के राज्यों में पूर्वोत्तर राज्य (सिक्किम सहित), जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।

लाभार्थियों (विश्वविद्यालयों, शिक्षकों, छात्रों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आदि) की संख्या सहित लक्षित समूह की कवरेज।

3.1 (v) (क) : शिक्षण/ शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंद

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या = 45

तालिका 3.1 (v) (क) : शिक्षण, शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों की संख्या तथा छात्र नामांकन

	कुल	मौजूदा	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	बैंचमार्क निशक्तता से ग्रसित व्यक्ति
शिक्षण कर्मचारिवृंदों की संख्या (दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार)	18956	13033	1416	634	1962	251	245
शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों की संख्या (दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार)	36382	20272	1924	1090	2309	124	259
छात्र नामांकन (दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार)	कुल	महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	बैंचमार्क निशक्तता से ग्रसित व्यक्ति
	294430	127152	35425	29256	78360	15635	3668
छात्रावासों में निवास करने वाले छात्र (दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार)	**86016**	39128	8673	7954	24182	7315	1336

वर्ष 2022–23 के दौरान छात्र तथा संकाय की संख्या

छात्रों की संख्या

स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कुल वास्तविक प्रवेश (श्रेणी–वार) (दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार)										
श्रेणी→ पाठ्यक्रम ↓		सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	बैंचमार्क निशक्तता से ग्रसित व्यक्ति	ट्रांसजेंडर	विदेशी	कुल
स्नातकपूर्व	117086	131033	35425	29256	78360	15635	3668	5	1048	117086
स्नातकोत्तर	109302									109302
05 वर्ष समेकित	14816									14816
एम.फिल./ एम. टेक.	4114									4114
पीएच.डी.	36422									36422
डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र	12690									12690
कुल योग	**294430**									**294430**

संकाय की संख्या

संकाय की संख्या – वर्ष 2022–23														
संकाय की कुल संस्वीकृत संख्या (श्रेणी वार).								कार्यरत संकाय (श्रेणी वार) (दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)						
श्रेणी → ↓	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	बैंचमार्क निशक्तता से ग्रसित व्यक्ति	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	बैंचमार्क निशक्तता से ग्रसित व्यक्ति	कुल
आचार्य	1545	307	142	374	114	71	2553	836	75	18	63	9	14	1015

संकाय की संख्या – वर्ष 2022–23														
संकाय की कुल संस्वीकृत संख्या (श्रेणी वार).								कार्यरत संकाय (श्रेणी वार) (दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)						
सह आचार्य	3047	620	302	767	237	137	5110	2328	230	75	193	22	25	2873
सहायक आचार्य	6063	1355	698	2330	503	344	11293	5361	1111	541	1706	220	206	9145
कुल योग	**10655**	**2282**	**1142**	**3471**	**854**	**552**	**18956**	**8525**	**1416**	**634**	**1962**	**251**	**245**	**13033**

गैर–संकाय की संख्या

गैर–संकाय की संख्या – वर्ष 2022–23														
	गैर–संकाय की कुल संस्वीकृत संख्या (श्रेणी वार)							गैर–संकाय की वास्तविक संख्या (श्रेणी वार) (दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार)						
श्रेणी→ ↓	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति	कुल
समूह क	1688	121	54	214	33	37	2147	997	72	50	97	1	14	1231
समूह ख	5961	734	374	854	231	122	8276	3646	529	262	591	72	42	5142
समूह ग	17072	2642	1541	3489	698	517	25959	9923	1323	778	1621	51	203	13899
कुल योग	**24721**	**3497**	**1969**	**4557**	**962**	**676**	**36382**	**14566**	**1924**	**1090**	**2309**	**124**	**259**	**20272**

3.2 : राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को सहायता

वर्श 2022–23 की अवधि के दौरान, 465 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय थे जिनमें से 267 विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत मान्यताप्राप्त हैं।

रेखाचित्र 3.2: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय बनाम विश्वविद्यालयों की राज्यवार कुल संख्या

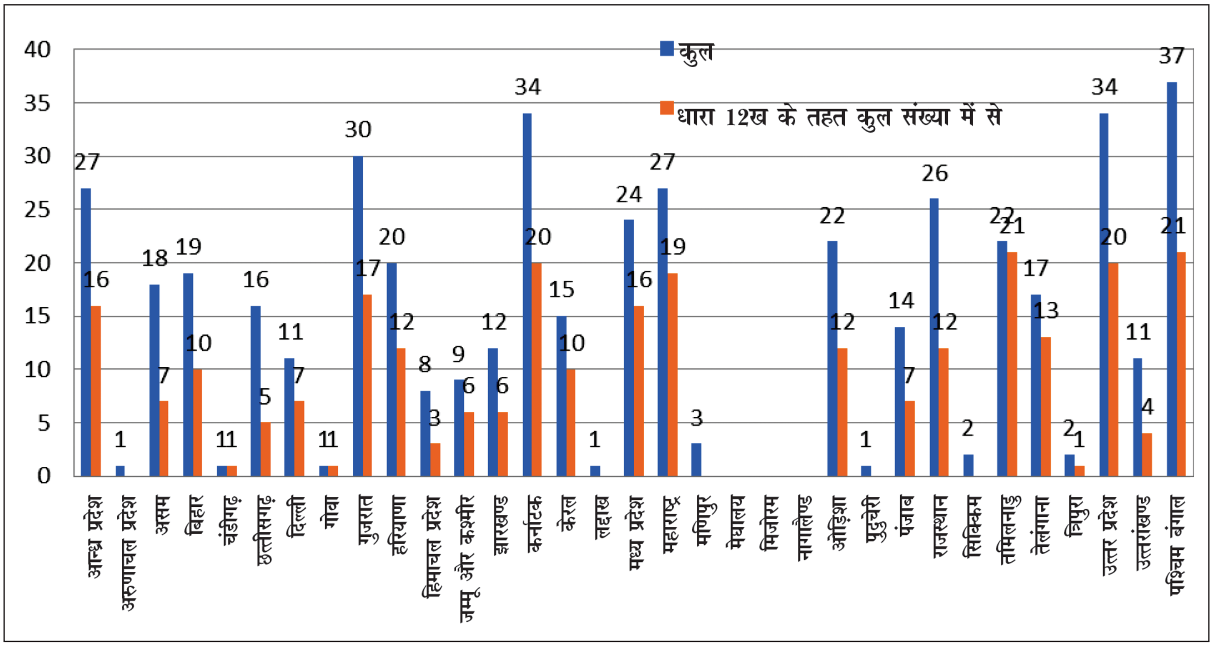

3.2 (i) राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के ढांचे तथा व्यापक परिव्यय के भीतर ऐसे सभी पात्र 161 राज्य विश्वविद्यालय को सामान्य विकास सहायता मुहैया करवाता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12 ख के तहत मान्यता प्राप्त हैं ताकि ऐसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की अधिप्राप्ति करने हेतु सुविधा प्रदान की जा सके, जो सामान्यतः उन्हें राज्य सरकार अथवा सहायता प्रदान करने वाले निकायों से प्राप्त नहीं होती है। भवन, कर्मचारिवृंदों, पुस्तकों तथा जर्नलों, उपस्करों, अन्य मदों आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता, योजनागत ब्लॉक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में, इसमें भवन का निर्माण, नवीकरण (विरासत भवनों का नवीकरण सहित) कैम्पस विकास, कर्मचारिवृंद, पुस्तकें तथा जर्नल, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अवसंरचना वार्षिक अनुरक्षण संविदा, नवोन्मेष शोध क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय– उद्योग संबंध, विस्तार क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य परिचर्या, छात्रावास सहित छात्र सुविधाएं, यात्रा अनुदान/ सम्मेलन/ संगोष्ठियां/ परिसंवाद/ कार्यशाला, प्रकाशन अनुदान, अभ्यागत आचार्य/ अभ्यागत अध्येता की नियुक्ति तथा वृत्ति और परामर्श प्रकोष्ठ, दिवसीय देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम, 'एनकोर', मानव अधिकार तथा कर्त्तव्य शिक्षा, आगंतुक शिक्षक– अंशकालिक शिक्षक की नियुक्ति/ मानदेय आदि शामिल होंगे।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के तहत सामान्य विकास सहायता स्कीम के अंतर्गत 37,56,174/– रुपये की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में संस्वीकृत की गई थी और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए आमेलित की गई योजना के अंतर्गत 16,02,471/– रुपये की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में संस्वीकृत की गई थी।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत 29,40,34,792/– रुपये की राशि, प्रतिपूर्ति राशि के रूप में संस्वीकृत की गई थी।
- पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ को गैर–योजनागत वेतन शीर्ष के अंतर्गत 278,09,10,000/– रुपये की राशि संस्वीकृत की गई थी।
- श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब को 9,00,00,000/– रुपये की राशि संस्वीकृत की गई थी।

3.3 सम विश्वविद्यालय संस्थानों को सहायता

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, देश में 127 सम विश्वविद्यालय संस्थान हैं, इन सम विश्वविद्यालय संस्थानों में से 49 सम विश्वविद्यालय संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत हैं।

रेखाचित्र 3.3: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान बनाम सम विश्वविद्यालयों की राज्यवार कुल संख्या

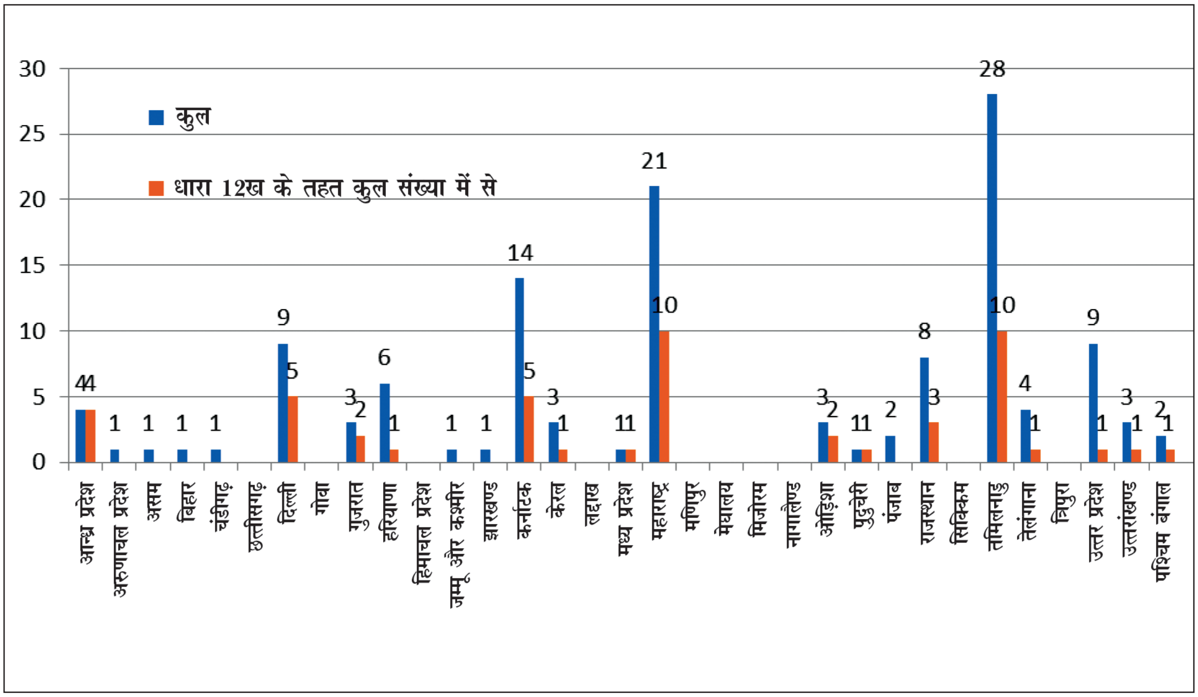

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के तहत चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को अनुरक्षण सहायता उपलब्ध कराता है।

अनुदान सहायता

चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों के विकास के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। विकास सहायता का उद्देश्य विश्वविद्यालय में मौजूदा अवसंरचना में सुधार तथा समेकन करना बल्कि कतिपय चिह्नित क्षेत्रों में उत्कृष्टता का विकास करना है।

सभी चिह्नित सम विश्वविद्यालयों में वेतन और भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन और पेंशन लाभ और अनुदान।

वर्ष 2022–23 के दौरान विश्वविद्यालयों को ओएच–36 वेतन 'आब्जेक्ट' और अनुदान सहायता ओएच–31 (पेशन) के रूप में सामान्य विकास सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के डीयू अनुभाग ने वर्ष 2022–23 के दौरान सम विश्वविद्यालय शीर्ष के तहत चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को **39325.00 लाख रुपये** की राशि जारी की। अनुदानों को संस्वीकत किए जाने का ब्योरा नीचे दिया गया हैः–

(लाख रुपये में)

वर्ष 2022–23 के दौरान चिह्नित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को जारि किया गया अनुदान				
क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	वेतन 'आब्जेक्ट' 36	अनुदान सहायता सामान्य/ पेंशन 31	कुल शीर्ष 31 और 36
गुजरात				
1.	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात – 380 014	5321.56	633.38	5954.94
महाराष्ट्र				
2.	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सांइस, सियोन, ट्राम्बे रोड, देवनार, मुम्बई, महाराष्ट्र– 400 088	7199.55	928.36	8127.91
तमिलनाडु				
3.	अविनाषलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एण्ड हॉयर एजूकेशन, कोयम्बतूर, तमिलनाडु– 641 043	6093.52	871.06	6964.58

4.	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम, डिडिगुल, तमिलनाडु– 624 302	4918.59	1810.07	6728.66
उत्तर प्रदेश				
5.	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा, उत्तरप्रदेश– 282 005	4611.41	471.84	5083.25
उत्तराखंड				
6.	गुरूकुल कांगड़ी– सम विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड– 249 404	4413.73	785.29	5199.02
	कुल -I	**32558.36**	**5500.00**	**38058.36**

निर्धारित वार्षिक अनुरक्षण अनुदान :–

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	वेतन 'आब्जेक्ट' 36	अनुदान सहायता सामान्य/ पेंशन 31	कुल शीर्ष 31 और 36
दिल्ली				
1.	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली– 110 062	266.64	0.00	266.64
पश्चिम बंगाल				
2.	रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद एजूकेशनल एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल– 711 202	1000.00	0.00	1000.00
	कुल -II	1266.64	0.00	1266.64
	कुल -I	32558.36	5500.00	38058.36
	कुल -II	1266.64	0.00	1266.64
	कुल योग (I+II)	33825.00	5500.00	39325.00

3.4 राज्य निजी विश्वविद्यालयों को सहायता

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार देश में 433 राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों में से 26 निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 ख के तहत हैं (तालिका 2.2 (i) (ख) (i))।

रेखाचित्र 3.4: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत निजी विश्वविद्यालय बनाम राज्य निजी विश्वविद्यालयों की राज्यवार कुल संख्या

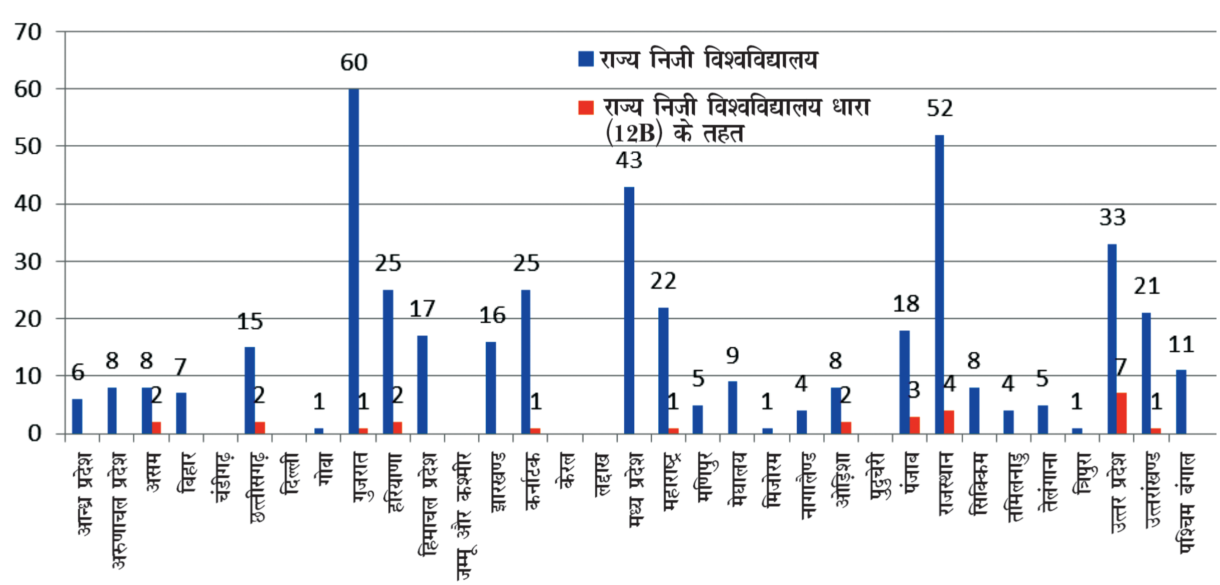

राज्य निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और अधिसूचना, संबंधित राज्य विधानमंडल के अधिनियम के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ऐसे सभी विश्वविद्यालय, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा स्थापित और अधिसूचित किया जाता है, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित विश्वविद्यालयों की सूची में सम्मिलित किया जाता है। ऐसे सभी विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य होता है कि वे संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए समय– समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करें।

निजी विश्वविद्यालयों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम

राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का रखरखाव और वित्तपोषण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य निजी विश्वविद्यालयों का प्रबंधन न्यासों/ सोसाइटियों/ निजी निकायों द्वारा किया जाता है और इनका विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और अनुरक्षण) विनियम, 2003 द्वारा किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत अनुरक्षित विश्वविद्यालयों की सूची के अंतर्गत शामिल किए गए राज्य निजी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संगत सांविधिक परिषद(दों) द्वारा निर्धारित मानदण्डों और मानकों के अनुसार, जहां कहीं भी आवश्यक हो, विश्वविद्यालय के सांविधिक निकायों और सांविधिक परिषद(दों) के अनुमोदन से उपाधियां प्रदान करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) के तहत किसी राज्य (सार्वजनिक/ निजी) विश्वविद्यालय का नाम सम्मिलित करने के बाद, वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 ख के तहत अपना नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन कर सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 ख के अनुसार, केन्द्र सरकार, आयोग अथवा कोई अन्य संगठन किसी विश्वविद्यालय को निधियां तभी प्रदान कर सकता है जब आयोग, विहित किए गए ऐसे मामलों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ऐसे विश्वविद्यालय को ऐसा अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित कर दे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण

- आयोग के 559वें निर्णय के अनुसार, इन निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विशेषज्ञ समिति (संबंधित सांविधिक परिषद्(दों) के प्रतिनिधियों सहित) की सहायता से किया जाता है ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम, संकाय अवसंरचना सुविधाओं, वित्तीय व्यवहार्यता आदि के संदर्भ में न्यूनतम मानदंडों की पूर्ति का मूल्यांकन किया जा सके।

अध्याय 4 विकास योजनाएं और महाविद्यालयों को सहायता

4.1 महाविद्यालयों का विकास
4.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12 ख के तहत महाविद्यालय
4.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान
4.4 दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों को अनुदान

4.1 महाविद्यालयों का विकास

महाविद्यालय जो कि व्यापक रूप से स्नातकपूर्व शिक्षा तथा वृहदरूप से स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए उत्तरदायी है, भारतीय उच्चतर शिक्षा से एक महत्तवपूर्ण कारक है। उच्चतर शिक्षा प्रणाली के स्तर को बनाए रखने, सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने, नवोन्मेष तथा परिवर्तन का संवर्धन करने, शिक्षा को उभरते करियर पैटर्न, पहुंच, से जोड़ने, समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराने महाविद्यालयों को प्रदान की जानी वाली विकास सहायता पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संपर्क सुलभता आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना का उन्नयन करके सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को सहयोग देने की दिशा में केन्द्रित होनी चाहिए। तथापि, मौजूदा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार तथा समेकन करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तर बढ़ाने, करियर की संभावनाओं से जोड़ने के लिए विशेषकर स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को तर्कसंगत बनाने और उनका विविधिकरण करने पर बल दिया जाना चाहिए।

4.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12 ख के तहत महाविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) के तहत महाविद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विनियम अधिसूचित किए थे। जब भी महाविद्यालयों से धारा 2 (च) के तहत शामिल करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और उन्हें विनियमों के तहत उपबंधों के अनुसार शामिल करने के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो इन विनियमों के संदर्भ में महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में लाया जाता है।

धारा 2 (च) के तहत महाविद्यालयों को शामिल करने के अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप महाविद्यालयों को धारा 12ख के तहत शामिल करता है। इससे महाविद्यालय केन्द्र सरकार से निधियां प्राप्त करने वाले भारत सरकार अथवा किसी भी संगठन से केंद्रीय सहायता के लिए पात्र हो जाते हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धारा धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत कुल 13523 महाविद्यालयों को मान्यता दी गई है, (धारा 2 (च) के तहत 3120 महाविद्यालय और धारा 12 (ख) के तहत 10403 महाविद्यालय) (ब्योरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है) जबकि दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत मान्यताप्राप्त कुल महाविद्यालयों की संख्या 13523 थी (धारा 2 (च) के तहत 3120 महाविद्यालय और धारा 12 (ख) के तहत 10403 महाविद्यालय)।

तालिका 4.2 (क) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों की संख्या

वर्ष	धारा 2 (च) और 12 ख के तहत महाविद्यालयों की संख्या	केवल धारा 2 (च) के तहत आने वाले महाविद्यालय की संख्या (जिन्हें धारा 12 (ख) के तहत सम्मिलित नहीं किया गया है)	कुल
31 मार्च, 2021 तक	10143	2574	12717
31 मार्च, 2022 तक	10305	2727	13032
31 मार्च, 2023 तक	10403	3120	13523

तालिका 4.2 (ख) : दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 ख के तहत सम्मिलित किए गए महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	महाविद्यालयों की संख्या		कुल
		धारा 2 (च) और 12 ख	धारा 2 (च) (धारा 12 (ख) के तहत सम्मिलित नहीं किए गए)	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	4	6
2	आन्ध्र प्रदेश	421	118	539
3	अरूणाचल प्रदेश	12	3	15
4	असम	311	26	337
5	बिहार	400	43	443
6	चण्डीगढ़	20	1	21
7	छत्तीसगढ़	177	105	282
8	दादरा और नगर हवेली	1	0	1
9	दमन और दीव	2	0	2
10	दिल्ली	78	20	98
11	गोवा	33	4	37
12	गुजरात	474	105	579
13	हरियाणा	186	46	232
14	हिमाचल प्रदेश	69	27	96
15	जम्मू और कश्मीर	100	119	219
16	झारखण्ड	129	19	148
17	कर्नाटक	753	431	1184
18	केरल	245	77	322
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	462	177	639
21	महाराष्ट्र	1340	272	1612
22	मणिपुर	66	5	71
23	मेघालय	30	12	42
24	मिजोरम	27	2	29
25	नागालैण्ड	36	14	50
26	ओड़िशा	490	50	540
27	पुदुचेरी	19	18	37
28	पंजाब	255	32	287
29	राजस्थान	291	123	414
30	सिक्किम	4	7	11
31	तमिलनाडु	575	228	803
32	तेलंगाना	240	134	374
33	त्रिपुरा	31	0	31
34	उत्तर प्रदेश	2592	768	3360
35	उत्तरांखण्ड	63	50	113
36	पश्चिम बंगाल	469	80	549
	कुल	**10403**	**3120**	**13523**

रेखाचित्र 4.2(ख) : दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 ख के तहत सम्मिलित किए गए महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या

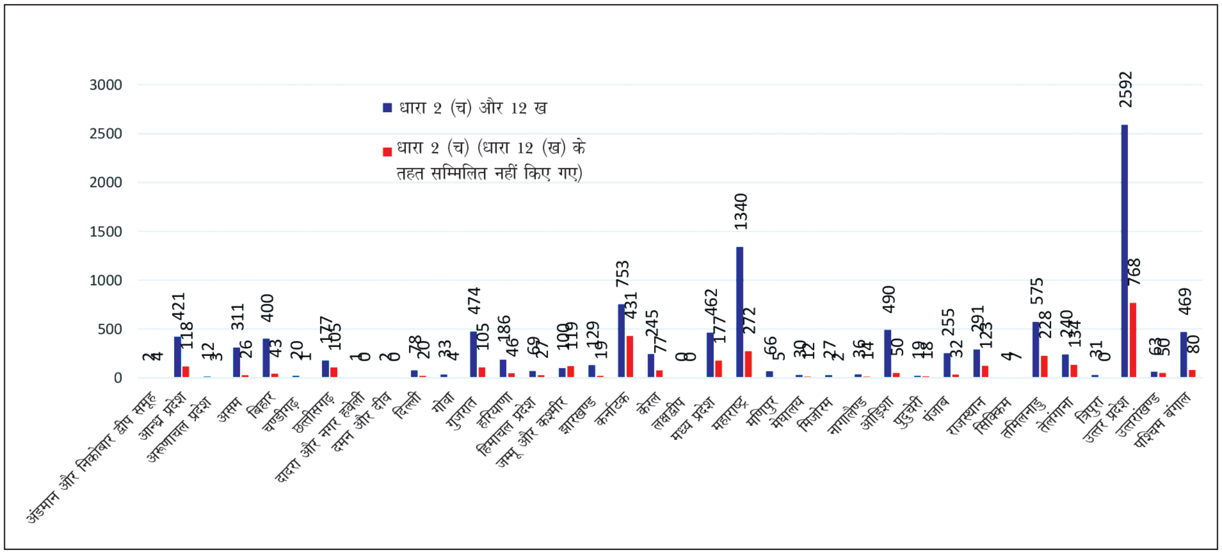

4.2 (i) वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 46207* ('एआईएसएचई पोर्टल से लिए गए अनंतिम आंकड़े) संबद्ध/संघटक महाविद्यालय हैं, जिनमें से केवल 13523 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त हैं। मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों में से केवल 10403 महाविद्यालय ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 ख के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत सरकारी महाविद्यालय (केंद्रीय/ राज्य), संघटक महाविद्यालय (केंद्रीय/ राज्य विश्वविद्यालय) और सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय, सभी योजनाओं के तहत सहायता के लिए पात्र हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, केवल छात्र/ शिक्षक केंद्रित योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

4.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान

आयोग की दिनांक 06 मई, 2022 को आयोजित 558वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निम्नवत क्षेत्रीय कार्यालयों को नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया हैः

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्थान जहां पुनर्स्थापित किया गया	ब्यूरो का नाम
1.	हैदराबार, गुवाहाटी, बेंगलुरु तथा एनआरसीबी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली– 110001	महाविद्यालय विकास ब्यूरो– I
2.	पुणे, भोपाल तथा कोलकाता	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेट ब्यूरो, दिल्ली विश्वविद्यालय का दक्षिणी परिसर, बेनिटो जुआरेज़ मार्ग, नई दिल्ली–110021	महाविद्यालय विकास ब्यूरो– II

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 में एक चरणबद्ध ढंग से देश में अपने सात क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर अपने कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण किया है, ताकि महाविद्यालय, क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अधीन आसानी से शीघ्र अनुदान प्राप्त कर सकें तथा उन्हें तुरन्त जारी और कार्यान्वित किया जा सके। तत्पश्चात्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात् उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (एनआरओ), गाजियाबाद को ''उत्तरी क्षेत्र महाविद्यालय ब्यूरो'' में परिवर्तित कर दिनांक 25 सितम्बर, 2001 से गाजियाबाद से दिल्ली में 35, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिया गया है। एसईआरओ, हैदराबाद, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (एनईआरओ) गुवाहाटी और एसडब्ल्यूआरओ को एनआरसीबी, दिल्ली सहित महाविद्यालय विकास ब्यूरो–1 के क्षेत्राधिकार के तहत दिसंबर, 2022 के माह के दौरान दिल्ली में अर्थात् 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके नाम, अवस्थिति, स्थापना की तिथि तथा राज्यों की कवरेज का ब्योरा निम्नवत हैः

तालिका 4.3 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो की सूची

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय	स्थान	स्थापना की तिथि	कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ)	हैदराबाद	28 सितम्बर, 1994	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी
2.	पष्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ)	पुणे	11 नवम्बर, 1994	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीव
3.	मध्य क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ)	भोपाल	01 दिसम्बर, 1994	मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर–पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनईआरओ)	गुवाहाटी	01 अप्रैल, 1955	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम
5.	पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ)	कोलकाता	03 सितम्बर, 1996	पष्चिम बंगाल, बिहार, ओडीशा, झारखण्ड
6.	दक्षिण–पष्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ)	बेंगलुरु	25 अप्रैल, 1999	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय महाविद्यालय ब्यूरो (एनआरसीबी)	गाजियाबाद, नई दिल्ली	03 दिसम्बर, 1994 25 सितम्बर, .2001	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड,

***वर्ष 2022–23 के दौरान छह क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कोई निधियां जारी नहीं की गई थी।**

4.4 दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राजस्व शीर्ष के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध 53 महाविद्यालयों, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के 4 महाविद्यालयों और पूंजीगत शीर्ष के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध 64 महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है। इसके अलावा, डीसी अनुभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध चिकित्सा महाविद्यालयों को राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय/ राज्य स्तर पर संगोष्ठियां/ सम्मेलन/ कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए अनुदान भी उपलब्ध कराता है।

4.4 (i) दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालय

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के संबंद्ध महाविद्यालयों को कुल 58485341.53 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया। राजस्व तथा पूंजीगत शीर्शों के तहत उपलब्ध कराए गए अनुदान का ब्योरा **तालिका 4.4** (i) में उपलब्ध कराया गया है।

तालिका 4.4 (i) वर्ष 2022-23 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान का ब्योरा

(लाख रुपये में)

राजस्व अनुदान				पूंजीगत अनुदान					कुल योग
वेतन	पेंशन/ आवर्ती	कुल	सामान्य विकास सहायता	भवन परियोजनाओं का निर्माण	आईक्यूएसी	संगोष्ठी/ सम्मेलन/ कार्यशाला	दृष्टिबाधित शिक्षकों को रीडर भत्ता	कुल	
			शीर्ष 31	शीर्ष 35	शीर्ष 31	शीर्ष 31	शीर्ष 31		
199049	101333.53	300382.53	1817288	56400000	159959	300000	1325000	58184959	58485341.53

रेखाचित्र 4.4(i) : वर्ष 2022–23 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को जारी किया गया योजनावार अनुदान

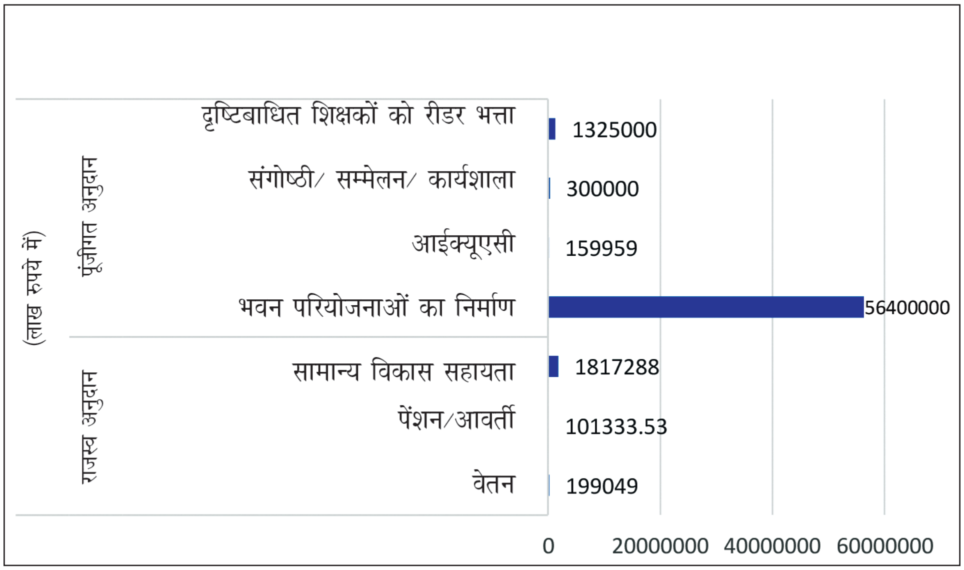

4.4 (i) (क): दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को राजस्व अनुदान

वर्ष 2022–23 के दौरान राजस्व शीर्ष के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 महाविद्यालयों और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 04 महाविद्यालयों को उपलब्ध कराए गए अनुदान का ब्योरा **तालिका 4.4 (i)(क)(i)** में उपलब्ध कराया गया है:

तालिका 4.4 (i) (क) (i) : वर्ष 2022–23 के दौरान राजस्व शीर्ष के तहत 11 छात्रावासों सहित दिल्ली के 53 महाविद्यालयों को आबंटित बजट और उन्हें जारी किया गया अनुदान

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	आबंटन	जारी किया गया अनुदान
1.	दिल्ली के 53 महाविद्यालय	300382.53	300382.53

53 महाविद्यालयों में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 36 महाविद्यालयों को 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है और 17 महाविद्यालयों को शतप्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है (08 साध्यंकालीन महाविद्यालय + 09 विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले इन 36 महाविद्यालयों के संबंध में शेष 5 प्रतिशत अनुदान दिल्ली के सरकार/ न्यास द्वारा प्रदान किया जाता है (16 महाविद्यालय– दिल्ली सरकार/ 20 महाविद्यालयों को न्यास द्वारा)।

तालिका 4.4 (i) (क) (ii) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले दिल्ली के महाविद्यालयों की श्रेणीवार सूची

क्रम संख्या	श्रेणी संख्या	1. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है)
1	1.1	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज
2	1.2	देशबन्धु कॉलेज (दिवसीय)
3	1.3	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)
4	1.4	किरोड़ी मल कॉलेज
5	1.5	मिरान्डा हॉउस
6	1.6	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)
7	1.7	जाकिर हुसैन महाविद्यालय

8	1.8	रामानुजन महाविद्यालय
9	1.9	आर्यभट्ट महाविद्यालय
10	1.10	दयाल सिंह कॉलेज (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)
11	1.11	जाकिर हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय (सांध्यकालीन) (भारत के प्रधानमंत्री, न्यास के आम निकाय के अध्यक्ष हैं)
उप योग : . 11		

क्रम संख्या	श्रेणी संख्या	2. दिल्ली प्रशासन के अधीन महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 95 प्रतिशत और दिल्ली प्रशासन द्वारा 5 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है)
12	2.1	भारती महाविद्यालय
13	2.2	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्टस एंड कामर्स
14	2.3	विवेकानन्द महाविद्यालय
15	2.4	गार्गी महाविद्यालय
16	2.5	कालिन्दी महाविद्यालय
17	2.6	कमला नेहरू महाविद्यालय
18	2.7	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय
19	2.8	मैत्रेयी महाविद्यालय
20	2.9	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)
21	2.10	राजधानी महाविद्यालय
22	2.11	सत्यवती सह–शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)
23	2.12	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)
24	2.13	शिवाजी महाविद्यालय'
25	2.14	श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय
26	2.15	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (दिवसीय)
27	2.16	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय
28	2.17	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन) (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत–प्रतिशत वित्तपोषित किया जाता है)
29	2.18	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन) (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत–प्रतिशत वित्तपोषित किया जाता है)
30	2.19	सत्यवती सह– शिक्षा महाविद्यालय (सांध्यकालीन) (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत–प्रतिशत वित्तपोषित किया जाता है)
31	2.20	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (सांध्यकालीन) (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत–प्रतिशत वित्तपोषित किया जाता है)
उप योग : . 20		

क्रम संख्या	श्रेणी संख्या	न्यास द्वारा प्रबन्धित महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 95 प्रतिशत और न्यास द्वारा 5 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जाता है।)
32	3.1	श्री गुरू गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स
33	3.2	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स
34	3.3	लेडी इरविन महाविद्यालय
35	3.4	श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स
36	3.5	सेंट स्टीफेन्स महाविद्यालय
37	3.6	आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय
38	3.7	दौलतराम महाविद्यालय
39	3.8	हंसराज महाविद्यालय
40	3.9	हिन्दू महाविद्यालय
41	3.10	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय
42	3.11	जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज
43	3.12	जीसस एण्ड मेरी कॉलेज
44	3.13	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय

45	3.14	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय
46	3.15	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय)
47	3.16	रामजस महाविद्यालय
48	3.17	श्यामलाल महाविद्यालय (दिवसीय)
49	3.18	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय)
50	3.19	श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज
51	3.20	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय
52	3.21	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन) (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत–प्रतिशत वित्तपोषित किया जाता है)
53	3.22	श्यामलाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन) (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत–प्रतिशत वित्तपोषित किया जाता है)
उप योग : – 22		
कुल योग : – 53		

दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध यह 53 महाविद्यालय, आयोग से प्राप्त अनुरक्षण अनुदान से अपने वेतन, पेंशन और वेतनेत्तर व्यय की पूर्ति करते हैं। प्रत्येक महाविद्यालय का बजट निर्धारित करने के लिए महाविद्यालयों से बजट अनुमान/ संशोधित बजट अनुमान संग्रहित किए जाते हैं साथ ही साथ महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

तालिका 4.4 (i) (क) (iii): वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 11 छात्रावासों सहित दिल्ली के 53 महाविद्यालयों को महाविद्यालय–वार जारी किया गया अनुदान

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वेतन	पेंशन/ आवर्ती	कुल
1	आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय	5619	1663.48	7282.48
2	भारती महाविद्यालय	3003	1932.66	4935.66
3	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्ट्डीज	1922	2400.57	4322.57
4	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)	6170	3365.85	9535.85
5	दयाल सिंह कॉलेज (सांध्यकालीन)	1806	1133	2939
6	दौलतराम महाविद्यालय*	3920	2823.45	6743.45
7	देशबंधु महाविद्यालय (दिवसीय)	5407	2646.93	8053.93
8	रामानुजन महाविद्यालय	1693	2607	4300
9	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्टस एंड कामर्स	2125	1172.2	3297.2
10	श्री गुरू गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स	2502	316	2818
11	गार्गी महाविद्यालय	5842	2339.29	8181.29
12	हंसराज महाविद्यालय*	5326	3360.71	8686.71
13	हिन्दू महाविद्यालय*	5235	1539.15	6774.15
14	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय*	3365	2728.34	6093.34
15	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स	2543	1226.88	3769.88
16	जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज	3509	1869.8	5378.8
17	जीसस एण्ड मेरी कॉलेज	3035	3071.79	6106.79
18	कालिन्दी महाविद्यालय	4324	1361.68	5685.68
19	कमला नेहरू महाविद्यालय	4191	1410.73	5601.73
20	किरोड़ी मल कॉलेज*	7290	2288.15	9578.15
21	लेडी इरविन महाविद्यालय*	2830	1937.2	4767.2
22	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	3922	2583	6505
23	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय*	4086	1426.46	5512.46
24	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय	4226	2983.38	7209.38

25	मिरान्डा हॉउस*	5916	2456.04	8372.04
26	मैत्रेयी महाविद्यालय	5118	2008.5	7126.5
27	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)	3706	2072.43	5778.43
28	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1715	1489.13	3204.13
29	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय)	3678	2107.82	5785.82
30	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2206	815.82	3021.82
31	रामजस विश्वविद्यालय*	6071	2360.49	8431.49
32	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)	2540	824	3364
33	आर्यभट्ट महाविद्यालय	2795	1552.71	4347.71
34	राजधानी महाविद्यालय	3873	2684.3	6557.3
35	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)	4448	2544	6992
36	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2596	526.34	3122.34
37	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज*	2934	729	3663
38	श्री राम कालेज ऑफ कामर्स*	2288	2013.27	4301.27
39	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय)	5261	2420	7681
40	श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज	1650	1155	2805
41	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय	6040	1797.24	7837.24
42	श्याम लाल महाविद्यालय (दिवसीय)	3148	1825.79	4973.79
43	श्याम लाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2613	614.53	3227.53
44	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय	5208	3960	9168
45	एस.पी.एम. कालेज फॉर वीमेन	5100	2726.7	7826.7
46	सत्यवती सह–शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)	3907	1160	5067
47	सत्यवती सह–शिक्षा महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	1757	1249	3006
48	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (दिवसीय)	2817	1776.42	4593.42
49	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2728	370.67	3098.67
50	शिवाजी महाविद्यालय	4675	2947.07	7622.07
51	विवेकानन्द महाविद्यालय	1905	1585	3490
52	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)	6249	1675	7924
53	जाकिर हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	2216	1699.56	3915.56
महाविद्यालयों का कुल योग		**199049**	**101333.53**	**300382.53**

* छात्रावासों सहित महाविद्यालयों को जारी किया गया अनुदान

4.4 (i) (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को पूंजीगत अनुदान

वर्ष 2022–23 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भवन निर्माण, संगोष्ठियां/ सम्मेलन आयोजित करने, दृष्टिबाधित शिक्षकों को रीडर भत्ते प्रदान करने तथा आईक्यूएसी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की सूची नीचे दी गई है।

इस योजना के तहत पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की सूची नीचे तालिका 4.4 (i)(ख)(i) में दी गई है।

तालिका 4.4 (i) (ख) (i) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम
1	आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय	33	राजधानी महाविद्यालय
2	भारती महाविद्यालय	34	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (दिवसीय)

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम
3	कॉलेज ऑफ वोकेषनल स्ट्डीज	35	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)
4	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)	36	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय (सांध्यकालीन)
5	दयाल सिंह कॉलेज (सांध्यकालीन)	37	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज
6	दौलतराम महाविद्यालय	38	श्री राम कालेज ऑफ कामर्स
7	देशबंधु महाविद्यालय (दिवसीय)	39	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज (दिवसीय)
8	रामानुजन महाविद्यालय	40	श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज
9	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्टस एंड कामर्स	41	श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय
10	श्री गुरू गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स	42	श्याम लाल महाविद्यालय (दिवसीय)
11	गार्गी महाविद्यालय	43	श्याम लाल महाविद्यालय (सांध्यकालीन)
12	हंसराज महाविद्यालय	44	स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय
13	हिन्दू महाविद्यालय	45	एस.पी.एम कालेज फॉर वीमेन
14	इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय	46	सत्यवती सह–शिक्षा महाविद्यालय (दिवसीय)
15	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स	47	सत्यवती सह–शिक्षा महाविद्यालय (सांध्यकालीन)
16	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय	48	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (दिवसीय)
17	जीसस एंड मेरी महाविद्यालय	49	श्री अरबिन्दो महाविद्यालय (सांध्यकालीन)
18	कालिन्दी महाविद्यालय	50	शिवाजी महाविद्यालय
19	कमला नेहरू महाविद्यालय	51	विवेकानन्द महाविद्यालय
20	किरोड़ी मल कॉलेज	52	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (दिवसीय)
21	लेडी इरविन महाविद्यालय	53	जाकिर हुसैन महाविद्यालय (सांध्यकालीन)
22	लक्ष्मीबाई महाविद्यालय	54	आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय
23	लेडी श्रीराम महिला महाविद्यालय	55	भगिनी निवेदिता महाविद्यालय
24	माता सुन्दरी महिला महाविद्यालय	56	भास्कराचार्य महाविद्यालय
25	मिरान्डा हॉउस	57	केशव महाविद्यालय
26	मैत्रेयी महाविद्यालय	58	शहीद राजगुरू कॉलेज फॉर एप्लाईड साइंस फॉर वीमेन
27	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)	59	भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय
28	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	60	दुर्गाबाई देशमुख कालेज ऑफ स्पेषल एजूकेशन
29	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (दिवसीय)	61	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय
30	पी.जी.डी.ए.वी. महाविद्यालय (सांध्यकालीन)	62	दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय
31	रामजस महाविद्यालय	63	अदिति महाविद्यालय
32	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)	64	सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज

वर्ष 2022–23 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तालिका 4.4 (i)(ख)(ii) में उल्लिखित योजनाओं के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों को पूंजीगत अनुदान जारी किया।

तालिका 4.4 (i) (ख) (ii) : दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को योजनावार जारी किया गया पूंजीगत अनुदान

(रुपये में)

विषय	जारी किया गया अनुदान		कुल
	शीर्ष– 31	शीर्ष– 35	
सामान्य विकास सहायता	1817288		1817288
भवन परियोजनाओं का निर्माण/ मरम्मत	.	56400000	56400000

विषय	जारी किया गया अनुदान		कुल
	शीर्ष– 31	शीर्ष– 35	
आईक्यूएसी अनुदान	159959	.	160000
संगोष्ठियां/ सम्मेलन/ कार्यशालाएं	300000	.	300000
दृष्टिबाधित शिक्षकों को रीडर भत्ता	1325000	.	1325000

तालिका 4.4 (i) (ख) (iii) : वर्ष 2022–23 के दौरान दिल्ली के महाविद्यालयों को महाविद्यालय–वार और योजना–वार जारी किया गया पूंजीगत अनुदान

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	जारी किया गया अनुदान (भवन–जीडीए) बारहवीं पंचवर्षीय योजना	जारी किया गया अनुदान (निर्माण/ मरम्मत/ नवीकरण/भवन)	जारी किया गया अनुदान (आईक्यूएसी) बारहवीं पंचवर्षीय योजना	दृष्टिबाधित शिक्षकों को रीडर भत्ता	संगोष्ठियां/ सम्मेलन
1	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज	18,17,200				
2	देशबन्धु कॉलेज				1,08,000	
3	रामानुजन महाविद्यालय		4,00,00,000			3,00,000
4	गार्गी महाविद्यालय			9,959	1,31,500	
5	किरोड़ी मल महाविद्यालय		64,00,000			
6	मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (दिवसीय)				1,44,000	
7	आर्यभट्ट महाविद्यालय		1,00,000	1,50,000		
8	राजधानी महाविद्यालय				90,000	
9	जाकिर हुसैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय (सांध्यकालीन)				8,52,000	
	कुल	18,17,200	5,64,00,000	1,59,959	13,25,500	3,00,000

4.4 (ii) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालय :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चार महाविद्यालयों को भी 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान उपलब्ध कराता है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 04 महाविद्यालयों की सूची नीचे तालिका 4.4 (ii) (क) में दी गई है :

तालिका 4.4 (ii) (क) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के 04 बीएचयू महाविद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम
1.	डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
2.	वसंत कन्या महाविद्यालय
3.	वसंत महिला महाविद्यालय
4.	आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय

वर्ष 2022–23 के दौरान पूंजीगत अनुदान के तहत 04 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान को दर्शाने वाला महाविद्यालय–वार और स्कीम– वार विवरण नीचे तालिका 4.4(ii) (ख) में दिया गया है :

तालिका 4.4 (ii) (ख) : वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 04 महाविद्यालयों को जारी किया गया अनुरक्षण अनुदान

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	वेतन	पेंशन	कुल
1	डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय	3337.00	445.00	3782.00
2	आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय	1710.00	365.00	2075.00
3	वसंत कन्या महाविद्यालय	1389.00	304.00	1693.00
4	वसंत महिला महाविद्यालय	1689.00	375.00	2064.00
कुल		**8125.00**	**1489.00**	**9614.00**

रेखाचित्र 4.4 (ii) (ख) : वर्ष 2022–23 के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को जारी किया गया अनुरक्षण अनुदान

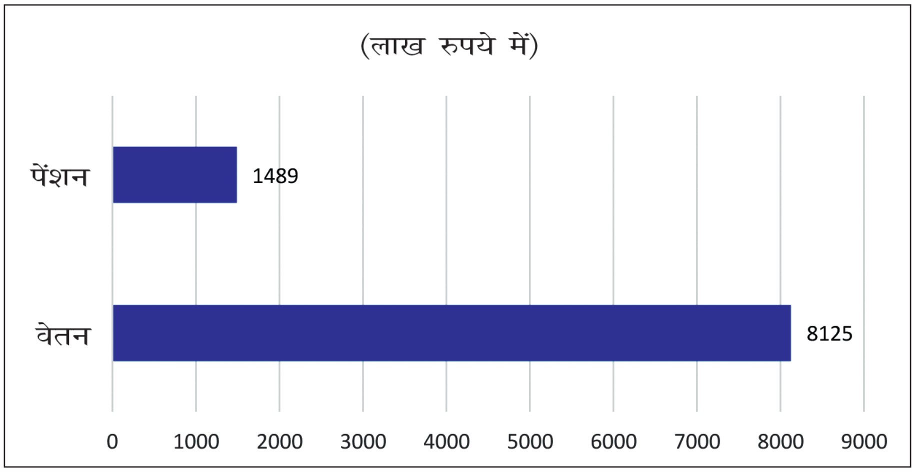

गुणवत्ता और उत्कृष्टता

अध्याय 5

5.1 उत्कृष्टता की संभाव्यता–शिक्षण और शोध
5.2 विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)
5.3 स्वायत्त महाविद्यालय
5.4 मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी)
5.5 मानवाधिकार और मूल्यों की शिक्षा (एचआरवीई)
5.6 राजभाषा का संवर्धन
5.7 द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम
5.8 राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षा : शिक्षण और शोध के लिए मानव संसाधन का विकास
5.9 यात्रा अनुदान
5.10 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी)
5.11 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र (एनएफसी)

5.1 उत्कृष्टता की संभाव्यता–शिक्षण और शोध

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में निम्नवत योजनाएं आरंभ की हैं। इन योजनाओं का ब्योरा निम्नवत हैः–

5.1(i) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)
5.1(ii) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (सीपीई)
5.1(iii) किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सीपीईपीए)

5.1(i) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई) योजना को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया। इस योजना के तहत महाविद्यालयों को उनकी शैक्षणिक अवसंरचना में सुधार लाने, शिक्षण, ज्ञानअर्जन और मूल्यांकन में नवोन्मेष को अपनाना तथा तथा डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों के चयन में एक लचीला दृष्टिकोण प्रस्तावित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य चयनित महाविद्यालयों को मुख्यतः उनके शिक्षण क्रियाकलापों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करना और ऐसे महाविद्यालयों में शोध की संस्कृति आरंभ करना है। यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जारी थी, और योजना के तहत 314 संस्थानों को अनुमोदित किया गया था। जिनमें से 295 महाविद्यालयों का सीपीई दर्जा था और 19 महाविद्यालयों का सीपीई योजना के तहत उत्कृष्टता के महाविद्यालय का दर्जा था।

5.1 (ii) किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीईपीए)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक ''विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केंद्र (सीपीईपीए)'' नामक एक योजना के रूप में एक और पहल की है, जिसका उद्देश्य विभागीय और विधायी अवरोधों से इतर, चयनित विश्वविद्यालय में चुने हुए विभागों को अपने समान विचारधारा वाले संकाय सदस्यों को नियमित आधार पर उनके कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में सहयोग और साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना है। यह पहल 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी जारी थी और किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सीपीईपीए) के अंतर्गत 29 संस्थाओं को सीपीईपीए का दर्जा प्राप्त था।

5.1(iii) उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई)

इसी प्रकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नौवी, दसवीं, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना योजना अवधियों के दौरान शिक्षण और अनुसंधान कार्यकलापों में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले कुछ विश्वविद्यालयों की पहचान करने की कार्यनीति अपनाई है। यह पहल बारहवीं योजना अवधि के दौरान जारी रही, उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों (यूपीई) योजना के अंतर्गत 16 विश्वविद्यालयों को यूपीई का

दर्जा प्राप्त था। कुछ और विश्वविद्यालयों की पहचान करने के लिए जो न केवल शिक्षण और अनुसंधान में बल्कि सभी संबंधित कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं जिससे वे विश्वविद्यालयों के समग्र विकास में योगदान दे सकते हैं।

नए विश्वविद्यालयों को योजना के तहत सम्मिलित करने के लिए उपर्युक्त योजनाओं की अवधि पूरी हो गई है और सीपीई, सीपीईपीए और यूपीई की योजनाओं को अब बंद कर दिया गया है।

(I) वर्ष 2022–2023 अर्थात (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, .2023) की अवधि के दौरान सीपीई योजना के तहत 03 महाविद्यालयों/लाभार्थियों को 23,46,000/– रुपये के भुगतान के लिए संस्वीकृति पत्र जारी किए गए थे।

(II) वित्तीय वर्ष 2022–2023 अर्थात् (01अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, .2023) की अवधि के दौरान किसी भी यूपीई विश्वविद्यालय को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था।

(III) वित्तीय वर्ष 2022–2023 अर्थात (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, .2023) की अवधि के दौरान सीपीईपीए योजना के तहत केवल किसी भी केंद्र को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था।

5.2 विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)

एसएपी कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 1963 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध और शिक्षण में कुछ संभाव्यता वाले चुनिंदा विश्वविद्यालय विभागों को सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। कार्यक्रम का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की शीघ्रातिशीघ्र प्राप्ति के लिए उन्नत शिक्षण और शोध में समूह के रूप में कार्य करने तथा उत्कृष्टता प्राप्ति को प्रोत्साहित करना है। सर्वप्रथम, ऐसे कार्यक्रम को **"उच्च अध्ययन केन्द्र (सीएएस)"** के रूप में 1963 में आरंभ किया गया था । ऐसे कुछ केन्द्रों को यूएनडीपी/यूनेस्को से भी मान्यता और वित्तीय प्राप्त हुई है। **"विशेष सहायता विभाग (डीएसए)"** और **"विभागीय शोध सहायता (डीआरएस)"** कार्यक्रमों को क्रमषः वर्ष 1972 और 1977 में सीएएस हेतु फीडर विभागों के संवर्ग का सृजन करने के लिए आरंभ किया गया था।

1. विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) के स्तर

क. विभागीय शोध सहायता (डीआरएस)

ख. विशेष सहायता विभाग (डीएसए)

ग. उच्च अध्ययन केन्द्र (सीएएस)

2. उद्देश्य–

विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैंः–

क) विश्वविद्यालय के उन विभागों की पहचान करना और उन्हें सहायता प्रदान करना जिनमें संबद्ध विषयों सहित विभिन्न शैक्षिक विधाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अनुसंधान करने की क्षमता है।

ख) विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति प्रासंगिक बनाना, समाज और उद्योग के बीच संपर्क बनाना।

ग) अनुसंधान को अच्छे शिक्षण के लिए उत्प्रेरक बनाना और चिह्नित बल दिए जाने वाले क्षेत्रों से संबंधित नए पाठ्यक्रम आरंभ करना।

घ) अनुसंधान के साथ संबंध रखना और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को सहायता प्रदान करने के लिए उनकी विशेषज्ञता का अभिनव रूप से उपयोग करना।

ङ) अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करना।

च) राष्ट्र और समाज के विकास के लिए अनुसंधान के निष्कर्षों का उपयोग करना।

छ) चिह्नित बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त मानव संसाधनों को प्रशिक्षित करना और उन्हें तैयार करना।

ज) अनुसंधान, उसके संवर्धन और पोषण के नए/ सामान्य क्षेत्रों की खोज करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डीएसटी, सीएसआईआर, डीआरडीओ, डीबीटी आदि जैसे अनुसंधान संगठनों के साथ संबंधों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सभी क्षेत्रों में अंतर्विषयी अनुसंधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

3. पात्रता

कोई भी विश्वविद्यालय विभाग जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत अर्हता प्राप्त करता है और गुणवत्तायुक्त शिक्षण और अनुसंधान आरंभ करने की क्षमता रखता है, एसएपी के तहत प्रवेश के लिए अपना

प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। एसएपी के तहत भर्ती के लिए पात्र होने के लिए विभाग में कम से कम छह शिक्षक (एक आचार्य सहित) होने चाहिए।

4. कार्यक्रम की अवधि

विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) की अवधि एक विशिष्ट चरण हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डीआरएस और डीएसए के समान स्तर पर तीन कार्यकाल (प्रत्येक 5 वर्ष) से अधिक के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा। यदि डीआरएस/ डीएसए के स्तर पर विभाग के प्रदर्शन में काफी सुधार होता है, तो विभाग को डीएसए/ सीएएस के अगले स्तर पर उन्नयन करने के लिए विचार किया जाएगा। यदि डीआरएस/ डीएसए के स्तर पर तीन कार्यकालों के लिए अनुदान प्राप्त करने के बाद विभाग के कार्य–निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार नहीं होता है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस कार्यक्रम को बंद कर देगा। अनुमोदित चरण/ कार्यकाल के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि आगामी वर्ष की 01 अप्रैल होगी। विभाग को निबंधन और शर्तों को स्वीकार करना होगा और अनुमोदन की तिथि अथवा अगले वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल, इनमें से जो भी पहले हो, से छह माह के भीतर कार्यक्रम को लागू करना होगा, अन्यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कार्यक्रम के अनुमोदन को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

5. सहायता का स्वरूप

कार्यक्रम के विभिन्न स्तरों पर पांच वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:

कार्यक्रम/ स्तर	विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी (लाख रुपये में)	गणित, सांख्यिकीय, मानविकी और सामाजिक विज्ञान (लाख रुपये में)
सीएएस	300	200
डीएसए	200	150
डीआरएस	150	120

वित्तीय सहायता में निम्नवत शामिल हैं –

1. परियोजना अध्येताओं का वेतन।
2. व्यय की अनावृत्ति और आवृत्ति मदें।

6. अंतरराष्ट्रीय सहयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर एसएपी विभागों से वर्ष में दो शिक्षकों को दो से छह माह की अवधि के लिए चिह्नित विदेशी विश्वविद्यालय/ अनुसंधान संस्थान में भेजने के लिए एक सुनिर्धारित सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम पर विचार कर सकती है।

7. चयन प्रक्रिया

विश्वविद्यालय द्वारा उपर्युक्त माध्यम से पात्र विश्वविद्यालय विभागों से प्राप्त और कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत्रूप से तैयार किए गए सभी प्रस्तावों की संवीक्षा की जाती है और विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उन्हें लधुसूचीबद्ध किया जाता है। लधुसूचीबद्ध किए गए प्रस्तावों पर विषय प्रवेशन समिति द्वारा विचार किया जाता है, जो अधिक संकीर्ण नहीं होते हुए, विभाग में उत्कृष्टता के आधार पर 02 अथवा 03 बल दिए जाने वाले क्षेत्रों अथवा समूह क्षेत्रों की पहचान करती है। समिति, संबंधित क्षेत्र से सलाहकार समिति के दो सदस्यों को भी चिह्नित करती है।

8. अनुदान जारी करना

प्रवेशन समिति की सिफारिशों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसकी स्वीकृति के आधार पर, वित्तीय अनुमोदन/ सहायता, संबंधित विश्वविद्यालय के चयनित विभाग को कतिपय निबंधन और शर्तों के अध्यधीन संसूचित की जाएगी। निबंधन और शर्तों की स्वीकृति प्राप्त होने पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कार्यक्रम के पहले वर्ष के लिए कुल अनावर्ती और आवर्ती अनुदान स्वीकृत करेगा। तथापि, चल रहे कार्यक्रमों के मामले में पूर्व चरण के लेखाओं के निपटान के बाद ही अनावर्ती अनुदान जारी किया जाता है, जिसे दो वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

9. विभागों की निगरानी/ मूल्यांकन

एसएपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त विभागों द्वारा की गई प्रगति, निष्पादन, उपलब्धियों की निगरानी/ मूल्यांकन और समीक्षा, सलाहकार समिति और अंतिम समीक्षा समिति के माध्यम से की जाती है।

10. एसएपी ब्यूरो की वर्तमान स्थिति

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार विभागों की कुल संख्या

एसएपी–I (विज्ञान)	एसएपी–II (विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी)	एसएपी–III (मानविकी और सामाजिक विज्ञान तथा भाषाएं)	कुल
147	188	247	582

1. वर्ष 2016–17 के बाद से नए विभागों की समीक्षा अथवा प्रवेशन नहीं हुआ है।

2. वर्ष 2022–23 के दौरान हुआ व्यय

*(30,82,094/– रुपये + 71,49,018/– रुपये + 1,10,86,340/– रुपये त्र **2,13,17,452/– रुपये अथवा 2.13 करोड़ रुपये**

3. लाभार्थी विभागों की संख्याः– 42

5.3 स्वायत्त महाविद्यालय

शिक्षा आयोग, वर्ष 1964–66 ने यह इंगित किया था कि शिक्षकों की शैक्षिक स्वतंत्रता, हमारे देश के बौद्धिक परिवेश के विकास के लिए परमावश्यक है। जब तक ऐसा परिवेश पैदा नहीं होगा तब तक उच्चतर शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता प्राप्त करना कठिन है। चूकि छात्र, शिक्षक तथा प्रबंधन उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता मे सुधार करने में सह–भागीदार हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी उठाने में सहयोग करना चाहिए। इसलिए, शिक्षा आयोग (1964–66) ने महाविद्यालयों को स्वायत्तता की प्रदान करने की सिफारिश की थी। मूलतः महाविद्यालयों को स्वायत्तता ही अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का एक माध्यम है।

1. **स्वायत्त महाविद्यालय की भूमिका, निबंधन और शर्तें**– सामान्य रूप से स्वायत्त महाविद्यालय की भूमिका, निबंधन और षर्तें, विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन निम्नानुसार होंगीः

   1.1 मौजूदा पाठ्यक्रमों/ कार्यक्रमों की समीक्षा करना और अपने स्वयं के अध्ययन तथा पाठ्यचर्या के पाठ्यक्रमों/ कार्यक्रमों का पुनर्गठन, पुनः डिजाईन और विहित करना।

   1.2 समय–समय पर यथासंशोधित उपाधियों की विशिष्टिता, 2014 के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नामकरण के दायरे में नए पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम तैयार करना।

   1.3 छात्रों के निष्पादन के मूल्यांकन, परीक्षाओं के संचालन और परिणामों की अधिसूचना की पद्धतियों को विकसित करना।

   1.4 परिणामों की घोषणा करना, अन्य प्रमाणपत्र और अंक तालिका जारी करना; तथापि, मूल विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा जिसपर महाविद्यालय के नाम अंकित होगा।

   1.5 स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा मूल विश्वविद्यालय को संबद्धता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

   1.6 आरक्षण नीति के संबंध में राज्य सरकार/ राष्ट्रीय नीति के अनुरूप के प्रवेश के लिए नियम निर्धारित करना।

   1.7 स्वायत्त महाविद्यालय अपने स्तर पर राज्य सरकार/ सांविधिक परिषद (दों) के मानदंडों के अनुरूप शुल्क निर्धारित कर सकते हैं।

   1.8 स्वयं के शासी निकाय, शिक्षा परिषद, वित्त समिति और अध्ययन बोर्ड का गठन करें।

   1.9 सभी स्वायत्त महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों और प्राचार्य की नियुक्ति, समय– समय पर यथा संशोधित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018 के अनुसार, अथवा इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किसी भी विनियम के अनुसार की जाएगी।

   1.10 महाविद्यालयों को दी गई स्वायत्तता, संस्थागत स्तर पर है और आंशिक नहीं है तथा महाविद्यालयों द्वारा स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर के सभी स्तरों पर पेशकश किए जा रहे कार्यक्रमों को कवर करेगी। स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के बाद महाविद्यालय द्वारा आरंभ किए गए पाठ्यक्रम स्वत ही स्वायत्तता के दायरे में आ जाएंगे।

   1.11 पीएच.डी. कार्यक्रमों को समय–समय पर इस संबंध में अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुरूप कड़ाई से चलाया जाएगा।

1.12 इन विनियमों के खंड 7 के अनुसार प्रारंभ में पांच अथवा दस वर्ष की अवधि के लिए स्वायत्त दर्जा प्रदान किया जाएगा।

1.13 इन विनियमों के खंड 8 के अनुसार स्वायत्तता का विस्तार आगे पांच अथवा दस वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा।

2. पात्रता

2.1 किसी भी विषय के संबद्ध अथवा संघटक महाविद्यालय, चाहे शासकीय हो, सहायता प्राप्त, आंशिक रूप से सहायता प्राप्त, अथवा गैर–सहायता प्राप्त/ स्व–वित्तपोषित हों, वे इसके लिए पात्र हैं, बशर्ते वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत सम्मिलित हों।

2.2 महाविद्यालय कम से कम 10 वर्ष से अस्तित्व में होना चाहिए।

2.3 महाविद्यालय को एनएएसी; अथवा कम से कम तीन कार्यक्रमों के लिए एनबीए द्वारा; अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पैनल में शामिल मान्यताप्राप्त एजेंसी से प्रत्यायित होना चाहिए। तथापि, यदि महाविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की संख्या तीन से कम है, तो प्रत्येक पात्र कार्यक्रम, एनबीए मानदंडों के अनुसार प्रत्यायित होना चाहिए। प्रत्यायन की स्थिति आवेदन के समय कम से कम एक वर्ष के लिए वैध होनी चाहिए।
घटक महाविद्यालयों को स्वतंत्र प्रत्यायन प्रक्रिया से भी गुजरेंगे।

2.4 आयोग किसी महाविद्यालय, यदि वह निम्नलिखित बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में कार्यक्रमों की पेशकश करता है, तो उसे इन विनियमों की खंड 6.2 और 6.3 से छूट प्रदान कर सकता है:

- विशिष्ट विधा(ओं), उदाहरण के लिए, विशेष शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली, योग, रक्षा अध्ययन
- देश की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करना
- भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में लगे हुए हैं
- पर्यावरण का संरक्षण
- कौशल विकास, खेल–कूद, भाषाओं को समर्पित हैं
- आयोग द्वारा निर्धारित कोई अन्य विधा/ क्षेत्र।

3. स्वायत्त दर्जा प्रदान किया जानाः

3.1 स्वायत्त बनने की मंशा रखने वाले और इन विनियमों की खंड 6 के अनुसार पात्रता को पूरा करने वाले महाविद्यालयों को वर्ष के दौरान कभी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
तथापि, स्वायत्तता प्रदान करने वाले/ स्वायत्तता के विस्तार संबंधी प्रस्तावों के मामले में, जो पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और इन विनियमों की अधिसूचना से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन हैं, किसी नए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन विनियमों के अनुसार ऐसे सभी लंबित प्रस्तावों पर इस शर्त के अध्यधीन विचार करेगा कि प्रत्यायन का दर्जा इन विनियमों की अधिसूचना के समय छह माह के लिए वैध हो अथवा यदि प्रत्यायन की वैधता छह माह से कम है तो पुनर्प्रत्यायन के लिए आवेदन किया हो।

3.2 मूल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पोर्टल पर स्वायत्त दर्जे के लिए महाविद्यालय के आवेदन की जांच करेगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पोर्टल पर आवेदन जमा करने की तिथि से 30 कार्य दिवसों के भीतर कारणों/ औचित्य के साथ अपनी सिफारिशें देगा। यदि मूल विश्वविद्यालय 30 कार्य दिवसों के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पोर्टल पर उत्तर नहीं देता है, तो यह माना जाएगा कि मूल विश्वविद्यालय को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवेदन को संसाधित करने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

3.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्थायी समिति, स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय के आवेदन की जांच करेगी। स्थायी समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा और इसके निर्णय की जानकारी, मूल विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को दी जाएगी।

3.4 प्रारंभ में, यदि महाविद्यालय, एनएएसी द्वारा मान्यता प्राप्त है अथवा कम से कम तीन कार्यक्रमों के लिए एनबीए द्वारा प्रत्यायित है; अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पैनल में शामिल प्रत्यायन एजेंसी से प्रत्यायित है, तो स्वायत्त दर्जा शिक्षा सत्र आरंभ होने से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। तथापि, यदि महाविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की संख्या तीन से कम है, तो प्रत्येक पात्र कार्यक्रम, एनबीए मानदंडों के अनुसार प्रत्यायित होना चाहिए। आवेदन जमा करते समय प्रत्यायन की स्थिति कम से कम एक वर्ष के लिए वैध होनी चाहिए;

3.5 प्रारंभ में, स्वायत्त दर्जा, शिक्षा सत्र के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा, यदि महाविद्यालय, एनएएसी द्वारा न्यूनतम ''ए'' ग्रेड (एनएएसी के 4–प्वॉइंट स्केल पर 3.01 और उससे अधिक अंक के साथ) अथवा एनबीए द्वारा कम से कम तीन कार्यक्रम(मों) के लिए प्रत्यायित हो, जिसमें व्यक्तिगत रूप से 675 के न्यूनतम अंक हों अथवा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पैनलबद्ध प्रत्यायन एजेंसी से संबंधित प्रत्यायन ग्रेड/ अंक प्राप्त किए हों। तथापि, यदि महाविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की संख्या तीन से कम है, तो एनबीए मानदंडों के अनुसार प्रत्येक पात्र कार्यक्रम को 675 अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए। आवेदन जमा करते समय प्रत्यायन का दर्जा कम से कम एक वर्ष के लिए वैध होना चाहिए;

3.6 यदि स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए किसी महाविद्यालय का आवेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किसी भी कारण से अस्वीकार कर दिया जाता है, तो महाविद्यालय, पूर्व के आवेदन की अस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पोर्टल पर पुनः आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

3.7 कोई स्वायत्त महाविद्यालय, मूल विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालयों के पूर्व अनुमोदन से, स्वायत्त महाविद्यालयों के समान निकाय द्वारा चलाए जा रहे अन्य स्वायत्त महाविद्यालय(यों)/ विश्वविद्यालय(यों) के साथ विलय कर सकता है।

4. स्वायत्त दर्जे का विस्तार

4.1 यदि किसी स्वायत्त महाविद्यालय के पास एनएएसी द्वारा प्रत्यायन प्राप्त है; अथवा कम से कम तीन कार्यक्रम(मों) के लिए एनबीए से प्रत्यायन है; अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– पेनलबद्ध प्रत्यायन एजेंसी से प्रत्यायन है; (यदि महाविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की संख्या तीन से कम है, तो प्रत्येक पात्र कार्यक्रम को एनबीए मानदंडों के अनुसार प्रत्यायित होना चाहिए) स्वायत्तता अवधि के पूरा होने के अंतिम दिन, महाविद्यालय अगले पांच वर्षों के लिए स्वायत्त दर्जे के विस्तार के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि महाविद्यालय ने नीचे खंड 8.3 में विनिर्धारित प्रक्रिया का पालन किया हो। महाविद्यालय, स्वायत्तता अवधि के पूरा होने से कम से कम तीन माह पूर्व, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पोर्टल पर स्वायत्त दर्जे के विस्तार के लिए आवेदन करेगा। स्वायत्त महाविद्यालय, स्वायत्त दर्जे के विस्तार के संबंध में अपने आवेदन के बारे में मूल विश्वविद्यालय को भी सूचित करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थायी समिति, स्वायत्त दर्जे के विस्तार के लिए स्वायत्त महाविद्यालय के आवेदन की जांच करेगी। स्थायी समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा और इसके निर्णय की सूचना मूल विश्वविद्यालय और स्वायत्त महाविद्यालय को दी जाएगी।

4.2 यदि किसी स्वायत्त महाविद्यालय के पास स्वायत्तता अवधि के पूरा होने के अंतिम दिन, एनएएसी के 4–प्वॉइंट स्केल पर 3.01 और उससे अधिक के अंक के साथ न्यूनतम "ए" ग्रेड के साथ एनएएसी प्रत्यायन है अथवा एनबीए द्वारा कम से कम तीन कार्यक्रमों के लिए व्यक्तिगत रूप से 675 के न्यूनतम प्राप्तांक के साथ अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पैनलबद्ध प्रत्यायन एजेंसी से तदनुरूप प्रत्यायन ग्रेड/ अंक हैं (यदि महाविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की संख्या तीन से कम है, तो एनबीए मानदंडों के अनुसार पात्र कार्यक्रमों में से प्रत्येक को 675 अथवा अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए), तो महाविद्यालय अगले दस वर्षों के लिए स्वायत्त दर्जे के विस्तार के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि महाविद्यालय ने नीचे खंड 8.3 में विनिर्धारित प्रक्रिया का पालन किया हो। महाविद्यालय स्वायत्त दर्जे के पूर्ण होने से कम से कम तीन माह पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पोर्टल पर स्वायत्त दर्जे के विस्तार के लिए आवेदन करेगा। स्वायत्त महाविद्यालय, स्वायत्त दर्जे के विस्तार के लिए अपने आवेदन के बारे में मूल विश्वविद्यालय को भी सूचित करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थायी समिति, स्वायत्त दर्जे के विस्तार के लिए स्वायत्त महाविद्यालय के आवेदन की जांच करेगी। स्थायी समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा और इसके निर्णय की सूचना मूल विश्वविद्यालय और स्वायत्त महाविद्यालय को दी जाएगी।

4.3 स्वायत्त महाविद्यालयों को प्रत्यायन अवधि के चक्र की समाप्ति से छह माह पूर्व, पुनर्प्रत्यायन के लिए आवेदन करना आवश्यक है जैसा कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद/एनबीए / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्यायन एजेंसी द्वारा जारी प्रत्यायन प्रमाणपत्र में उल्लेख है। स्वायत्त महाविद्यालयों के लिए, जिन्होंने प्रत्यायन अवधि के चक्र की समाप्ति से छह माह पूर्व पुनः प्रत्यायन के लिए आवेदन किया है, यदि मान्यता प्रदान करने वाले निकाय की ओर से मान्यता प्रक्रिया में विलम्ब होता है, तो लगातार दो प्रत्यायन के बीच की विलम्ब की अवधि को माफ कर दिया जाएगा। जिन स्वायत्त महाविद्यालयों ने प्रत्यायन अवधि समाप्त होने से छह माह पूर्व पुनर्प्रत्यायन के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें अंतिम प्रत्यायन चक्र के अंत से एक वर्ष के भीतर प्रत्यायन प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर स्वायत्तता स्वतः ही वापस ले ली जाती है।

4.4 यदि कोई स्वायत्त महाविद्यालय खंड 8.1, 8.2 और 8.3 के अनुसार के अनुसार अपेक्षित प्रत्यायन ग्रेड/ अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, तो ऐसे महाविद्यालय की स्वायत्तता स्वतः ही वापस ले जी जाती है, और स्वायत्त दर्जे को वापस लेने के बाद स्वायत्तता पद्धति के तहत कोई नया दाखिला नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मूल विश्वविद्यालय और/ अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से किसी पत्राचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह महाविद्यालय का उत्तरदायित्व होगा की वह स्वायत्तता दर्जे को वापस लेने के संबंध में मूल विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित करे। तथापि, स्वायत्तता अवधि के दौरान दाखिला पाने वाले छात्रों के लिए, स्वायत्त दर्जे

के तहत नामांकित छात्रों के अंतिम बैच के उत्तीर्ण होने के बाद ही इस प्रकार से दर्जे को वापस लिया जाना प्रभावी होगा।

4.5 ऐसे महाविद्यालय जिनकी स्वायत्तता वापस ले ली गई है, वे, स्वायत्तता वापस लेने की प्रभावी तिथि से एक वर्ष पश्चात्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पोर्टल पर नई स्वायत्तता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

5. स्वायत्त महाविद्यालयों की निगरानी

5.1 महाविद्यालय की नियमित निगरानी के लिए स्वायत्त महाविद्यालय में आईक्यूएसी स्थापित किया जाएगा। आईक्यूएसी में एक बाह्य सहकर्मी दल होगा, जिसमें दो अथवा दो से अधिक सदस्य शामिल होंगे जो कम से कम आचार्य के पद के प्रतिष्ठित शिक्षाविद होंगे। स्वायत्त महाविद्यालय के प्रदर्शन के बारे में रिपोर्ट को महाविद्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में भी रखा जाएगा। बाह्य सहकर्मी समीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा।

5.2 स्वयं अथवा आईक्यूएसी की बाह्य सहकर्मी दल द्वारा प्रतिकूल रिपोर्ट के मामले में अथवा कोई जानकारी/ शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करके निरीक्षण कर सकता है और अधिसूचना के माध्यम से और मौखिक आदेश पारित करके प्रबंधन को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद महाविद्यालय के स्वायत्त दर्जे को रद्द कर सकता है।

5.3 स्वायत्त महाविद्यालय, बिना किसी विलंब के, उसके द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी, पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क, योग्यता और विशिष्ट पहचान के साथ संकाय का विवरण, प्रवेश प्रक्रिया, संगत बुनियादी ढांचे का विवरण, स्वायत्त महाविद्यालय की अनुसंधान गतिविधियों के साथ–साथ नामांकित पीएच.डी. छात्र, यदि कोई हों तो, नामांकन की तिथि, विषय और पर्यवेक्षक के विवरण को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

5.4 स्वायत्त महाविद्यालय, समय–समय पर अधिसूचित विभिन्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों में यथा अधिदेशित विभिन्न समितियों/ प्रकोष्ठों के गठन को भी अपनी वेबसाइट पर डालेगा। स्वायत्त महाविद्यालय, नियमित रूप से संविधानिक निकायों की बैठकें आयोजित करेगा और बैठकों के कार्यवृत्त को महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

5.5 स्वायत्त महाविद्यालय ऐसे वेब पोर्टलों पर ऐसी जानकारी भी अपलोड करेगा जो आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं।

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक, 25 राज्यों में 118 विश्वविद्यालयों में 903 स्वायत्त महाविद्यालय मौजूद हैं।

5.4 मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी)

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में शिक्षण के उच्च मानदण्ड बनाए रखने के लिए वर्ष 1986–87 में अकादमिक स्टॉफ कॉलेज की योजना आरंभ की गई थी। वर्तमान में, देशभर में 66 एचआरडीसी केन्द्र (पूर्व में पीएससी के नाम से जाना जाता था) हैं। इस प्रकार से स्थापित ऐसे केन्द्र, नए नियुक्त हुए सहायक आचार्य के लिए चार सप्ताह का विशेषरूप से तैयार किया गया अभिविन्यास कार्यक्रम तथा सेवारत शिक्षकों के लिए तीन सप्ताह के पुनष्चर्या पाठ्यक्रम जिसे अब एफआईपी (गुरू दक्षता) के नाम से जाना जाता है, आयोजित कर रहे हैं।

एचआरडीसी अनुभाग ने 66 एचआरडीसी में से 50 एचआरडीसी को अनुदान मंजूर किया है। वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 और 2022–23 के लिए टीएसए के खातों का निपटान नहीं करने/ खातों के परिचालन नहीं करने के कारण शेष 16 एचआरडीसी को अनुदान जारी नहीं किया जा सका।

लगभग 95311 शिक्षक–प्रतिभागियों ने 66 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एचआरडीसी द्वारा संचालित कार्यक्रमों/ पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया है।

संकाय प्रेरण कार्यक्रम (गुरु दक्षता) के पाठ्यक्रमों का आवंटन। वर्ष 2022–23 के लिए 66 मानव संसाधन विकास केंद्रों (एचआरडीसी) हेतु पुनष्चर्या पाठ्यक्रम, अल्पकालिक कार्यक्रम, कार्यशालाएं और अन्य। इस संबंध में, दिनांक 28 मार्च, 2022 को स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई थी।

वर्ष 2022–23 के लिए 50 एचआरडीसी को 32,86,21,758/– रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

5.5 मानवाधिकार और मूल्यों की शिक्षा (एचआरवीई)

मानव अधिकार अपने आप में लक्ष्य के साथ–साथ साधन भी हैं। वे प्राप्त किए जाने वाले मानकों के संदर्भ में 'लक्ष्य' हैं और 'साधन' हैं क्योंकि वे लोगों को अधिकारों का उपयोग करने और अधिकारों का आनंद लेने हेतु सक्षम और सशक्त बनाते हैं। यह शैक्षिक जांच का एक क्षेत्र भी है और साथ ही समाज के सदस्यों के रूप में मनुष्यों के रोजमर्रा के जीवन के अनुभव का एक भाग भी है।

तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1985 में विश्वविद्यालय क्षेत्र में मानवाधिकार शिक्षा की योजना आरंभ की। तब से, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र को आर्थिक रूप से और साथ ही मानव अधिकारों और मूल्यों और मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की गई है। मानव अधिकार शिक्षा योजना के तीन घटक हैं:

(i) मानवाधिकार और कर्तव्य (ii) मानवाधिकार और मूल्य (iii) मानवाधिकार और मानव विकास।

लाभार्थियों की संख्या (विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षकों, छात्रों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आदि) सहित लक्षित समूह का कवरेज

कुल 612 (विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों) को संगोष्ठियों, कार्यशाला, परिसंवाद, नैतिकता को बढ़ावा देने, स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, 'आधारभूत' (फाउंडेशन) पाठ्यक्रम, स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहायता से वित्तपोषित किया गया था।

ग्यारहवीं और बारहवीं योजनाओं के लेखाओं (लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों) का निपटान, संस्थाओं से प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र और व्यय के विवरण के आधार पर किया जा रहा है। जहां भी लागू हो, प्रतिदाय भी मांगा जा रहा है।

आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय/ समाधान

आयोग ने दिनांक 10 मई, 2013 को हुई अपनी बैठक में मानवाधिकार शिक्षा योजना को जीडीए के साथ समूहीबद्ध किया।

5.6 राजभाषा का संवर्धन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में यह विनिर्धारित किया गया है कि संगठन के प्रत्येक क्रियाकलाप/ योजना/ कार्यक्रम, इसकी निष्पादन उपलब्धियों और उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए नीति निर्माण के संबंध में संगठन की वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवर्ष तैयार की जाए है। वार्षिक रिपोर्ट की हिंदी के साथ–साथ अंग्रेजी में प्रतियां शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से संसद में रखी जाती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक कार्यकलाप/योजना/कार्यक्रम के संबंध में प्रत्येक वर्ष संगठन की वार्षिक रिपोर्ट, उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए इसकी निष्पादन उपलब्धियों और नीति निर्माण के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार की जाती हैं और शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से संसद में प्रस्तुत की जाती हैं। इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2022–2023 (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023) के लिए दी गई वार्षिक रिपोर्ट की जानकारी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा अनुभाग द्वारा हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है और हिंदी के प्रचार–प्रसार एवं अधिकाधिक प्रयोग के लिए समय–समय पर निदेश जारी किए जाते हैं। गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के आदेशों के अनुसार, आयोग द्वारा सहायता प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी प्रकोष्ठ की स्थापना तथा हिन्दी के प्रचार–प्रसार हेतु केन्द्रीय/ सम/ राज्य विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभागों की स्थापना एवं उन्नयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

- केन्द्रीय विश्वविद्यालय में हिन्दी प्रकोष्ठ की स्थापना तथा केन्द्रीय/ सम/ राज्य विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग की स्थापना और उन्नयन के लिए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को 25 लाख रुपये और कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि को 12.50 लाख रुपये का अनुदान जारी करके खातों का निपटान किया गया।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत जारी दस्तावेजों (सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचना, नियम, समझौते, अनुबंध, निविदा सूचना, संसदीय प्रश्न आदि) का हिंदी अनुवाद किया गया है।
- वर्ष 2022–2023 में तीन अधिकारियों को हिंदी प्रवीणता प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था और तीनों अधिकारियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की। इन तीनों अधिकारियों को एकमुश्त 10,000/– रुपये (केवल दस हजार रुपये) की प्रोत्साहन राशि दी गई एकमुश्त वेतन वृद्धि का भुगतान का गया।
- आयोग के विभिन्न अनुभागों से अनुवाद के लिए प्राप्त सामग्री का हिंदी में अनुवाद का कार्य राजभाषा अनुभाग द्वारा किया गया है।

वार्षिक लेखा, 2021–22 के साथ–साथ प्रशासनिक निविदा सूचनाएँ, प्रशासन द्वारा निर्धारित विभिन्न अवकाशों के प्रारुप (अर्जित अवकाश/आकस्मिक अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश/चिकित्सा अवकाश नकदीकरण, कार्यभार ग्रहण, त्यागपत्र इत्यादि), सूचना के अधिकार संबंधी जानकारी एवं पत्र, प्रशासनिक कार्यालय आदेश, ज्ञापन, स्थानान्तरण, तैनातियां, सेवानिवृत्तियां, अनुशासनात्मक कार्रवाइयों संबंधी आदेश, अर्द्धशासकीय पत्र तथा अनुभागों द्वारा प्राप्त विज्ञापन, परिपत्र और आयोग में सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चिकित्सा आपूर्ति औषधि प्रपत्र, उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय विनियम, 2022 (दूसरा संशोधन)।

- वर्ष 2022 के दौरान आयोग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए निबंध, हिंदी कम्प्यूटर टंकण, टिप्पण और प्रारूपण, स्व–रचित कविताएं और वाद–विवाद जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को क्रमषः 4,000 रुपये, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये और 1,000 रुपये के नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।
- दिनांक 16 से 30 सितंबर, 2022 तक हिंदी पखवाड़ा (पाक्षिक) और दिनांक 29 सितंबर, 2022 को हिंदी दिवस (हाइब्रिड पद्धति से) का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के आयोजन और पुरस्कार वितरण के लिए कुल 1,10,000/– रुपये (केवल एक लाख दस हजार रुपय) व्यय किए गए।
- वर्ष के दौरान, दिनांक 29 अगस्त, 2022 और 16 जनवरी, 2023 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) की वर्चुअल पद्धति से दो बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।
- दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित छमाही प्रगति रिपोर्ट को नगर राजभाषा कार्यन्वयन समिति को प्रेषित किया गया।
- गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम 2022–2023 के अनुसार, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज एक साथ द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं और जारी करते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि हिंदी संस्करण अंग्रेजी से ऊपर रहे।
- शिक्षा मंत्रालय में, राजभाषा अधिनियम/ नियमों के तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन के लिए जांच सूचियों के सृजन/ सुदृढ़ीकरण के लिए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निरीक्षण समिति द्वारा 03 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया।

वर्ष 2022–23 के दौरान योजनाओं/ कार्यक्रमों के संदर्भ में आयोग के महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/ संकल्प

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग की स्थापना एवं उन्नयन के लिए पूर्व में विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान प्रदान किया गया था तथा जिन विश्वविद्यालयों ने सहायता राशि का व्यय पूर्ण नहीं किया है, उनसे अव्ययित राशि वापस लेने के लिए अनुस्मारक जारी किए गए थे।

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2022–2023 में दिए गए निदेशों के अनुपालन का हर संभव प्रयास किया गया है।

वेबिनार

वेबिनार के माध्यम से आयोग के राजभाषा अनुभाग द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें और चार कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

ऑनलाइन कार्यशाला/ कार्यक्रम

वर्ष 2022–2023 के दौरान, दिनांक 28 अप्रैल, 2022, 06 सितम्बर, 2022, 22 दिसम्बर, 2022 और 24 मार्च, 2023 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें हाइब्रिड माध्यम से आयोजित की गई।

5.7 द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार की ओर से भारत और अन्य देशों के बीच विभिन्न सहयोगात्मक शैक्षिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अमेरिका, ब्रिटेन, इजरायल, नारवे और न्यूजीलैण्ड जैसे देशों के साथ संयुक्त शोध कार्यक्रम चला रहा है तथा आयोग ने स्टाईपेन्डीयम हंगेरिकम, अमेरिका में पोस्ट डॉक्टोरल शोध हेतु रमन अध्येतावृत्ति, परियोजना आधारित कार्मिक विनिमय कार्यक्रम में छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति तथा शोध कार्यक्रमों के माध्यम से विद्वानों को शोध क्षमता को प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है।

तालिका 5.7 : वर्ष 2022–23 के दौरान (दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक) विभिन्न कार्यक्रमों पर किए व्यय का ब्योरा निम्नवत हैः

योजना का नाम	किया गया व्यय (लाख रुपये में)
सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम के तहत भाषा के शिक्षकों के वेतन की प्रतिपूर्ति	31.72
भारत–इज़राइल संयुक्त शोध कार्यक्रम (आईएसएफ)	0
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– यूकेआईईआरई विषयगत भागीदारियां	0
उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत–जर्मनी भागीदारियां (आईजीपी)	121.99
रमन अध्येतावृत्तियां (प्रतिपूर्ति)	3.98
भारत–नार्वे सहयोग कार्यक्रम (प्रतिपूर्ति)	0
स्टाईपेंडियम हंगरीकम छात्रवृत्ति कार्यक्रम	14.45
भारत–अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल (प्रतिपूर्ति)	0
कुल व्यय	172.14

रेखाचित्र 5.7 : वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय सांस्कृतिक और शैक्षिक विनियम कार्यक्रमों पर हुआ व्यय (लाख रुपये में)

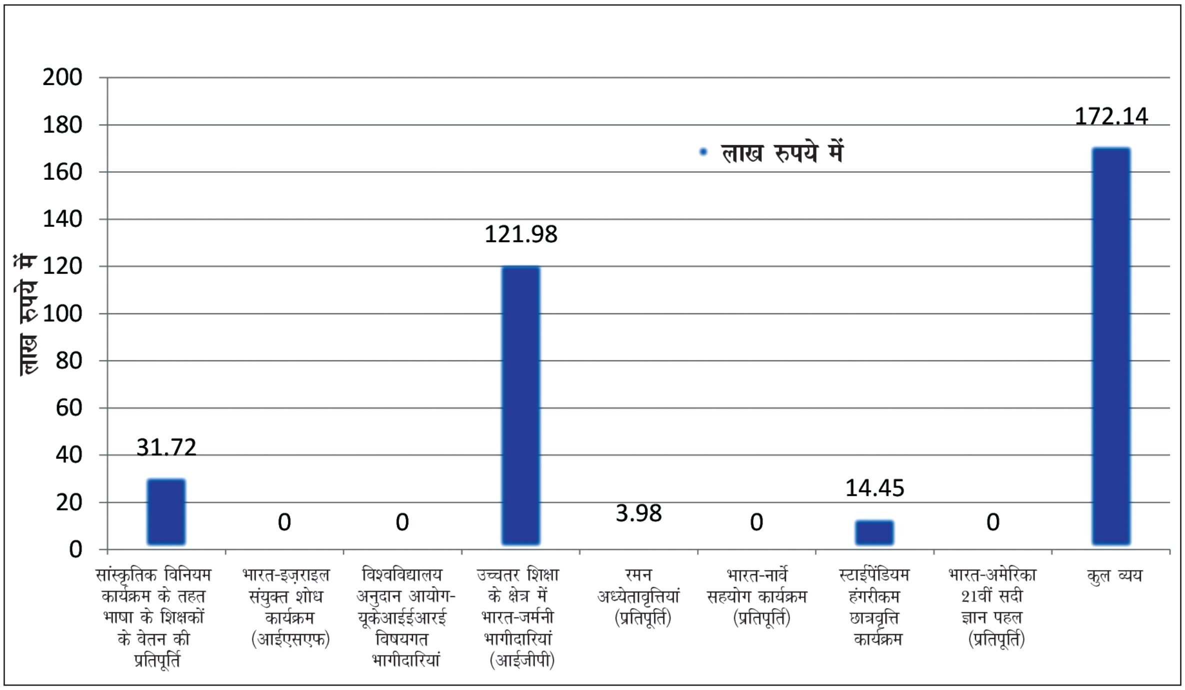

5.7 (i): संयुक्त शोध कार्यक्रम

5.7 (i) (क): भारत–इज़राइल संयुक्त शोध कार्यक्रम :

संयुक्त शोध कार्यक्रम का उद्देश्य इज़राइली और भारत के वैज्ञानिकों के बीच शोध सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) और इज़राइल विज्ञान फॉउडेषन (आईएसएफ) के बीच हुए एक सहयोग समझौते के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और भारतीय और इज़राइल सरकार द्वारा दो वित्तपोषण एजेंसियों के माध्यम से, जिनमें से प्रत्येक अपने संबंधित विनियमों के अनुरूप अपने वैज्ञानिकों को वित्तपोषित करती है, के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। यह कार्यक्रम सभी विधाओं के लिए खुला है।

अब तक, इस कार्यक्रम के तहत 43 परियोजनाएं अवार्ड की गई हैं।

5.7 (i) (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– यूकेआईईआरई विषयगत भागीदारियां

'ब्रिटेन इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव' (यूकेआईईआरआई) को दोनों देशों के बीच शैक्षिक संपर्क को बढ़ाने के उद्देश्य से अप्रैल, 2006 में आरंभ किया गया था।

यूकेआईईआरआई (वर्ष 2006–2011) के चरण–I के अंतर्गत वर्ष 2009 के दौरान भारत में एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें दोनों देशों के 14 उच्चतर शिक्षा संस्थानों ने भाग लिया था। कार्यशाला के आयोजन पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया गया था।

दिनांक 16 अगस्त, 2011 को यूकेआईईआरआई के चरण–II के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। विषयगत भागीदारी के तहत एक संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया।

चरण–II (वर्ष 2011–2016) के तहत, कुल 61 परियोजनाएं अवार्ड की गई थी।

चरण–III (वर्ष 2016–2021) के तहत, कुल 43 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं अवार्ड की गई थी।

यूकेआईईआरआई चरण–III के अंतर्गत, भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए उच्चतर शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था। यह कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित किया गया था और दूसरा चरण मार्च, 2022 में संपन्न हुआ था। यूके के प्रशिक्षकों द्वारा 100 से अधिक भारतीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 'ब्रिटिश काउंसिल' और 'एडवांस एचई', यूके द्वारा लागू किया गया था। चूंकि यह कार्यक्रम ऑनलाइन किया गया था, इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ा।

5.7 (i) (ग) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत–जर्मनी भागीदारियां (आईजीपी) :

द्वितीय भारत–जर्मनी अंतर्शासकीय परामर्श के अवसर पर बर्लिन में दिनांक 11 अप्रैल, 2013 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब, शिक्षा मंत्रालय), भारत और फैडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन एण्ड रिसर्च, जर्मनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों पक्ष उच्चतर शिक्षा में भारत–जर्मन साझेदारी (आईजीपी) नामक नए वित्तपोषण कार्यक्रम पर सहमत थे। इस कार्यक्रम की अवधारणा और वित्तीय तथा संगठनात्मक प्रशासन का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा डीएएडी पर है।

मंत्रालयों के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन और और आशय की संयुक्त घोषणा के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.), भारत और जर्मन शैक्षिक आदान–प्रदान सेवा (डीएएडी), जर्मनी के बीच उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत–जर्मन भागीदारी (आईजीपी) पर दिनांक 05 अक्तूबर, 2015 को एक समझौता किया गया। प्रथम चरण में दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2020, जिसे बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2020 कर दिया गया था, के चार वर्ष की परियोजना अवधि के लिए 08 संस्थागत भागीदारियां अवार्ड की गई थी।

दूसरे चरण में दिनांक 01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2024, तक की चार वर्ष की परियोजना अवधि के लिए 09 संस्थागत भागीदारियां अवार्ड की गई थी।

वर्ष 2022–23 के दौरान उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत–जर्मनी भागीदारियों पर **121.99 लाख रुपये की राशि व्यय** हुई थी।

5.7 (i) (घ) : परियोजना आधारित व्यैक्तिक आदान–प्रदान कार्यक्रम (पीपीपी):

जर्मन शैक्षणिक विनिमय सेवा (डीएएडी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ने नई दिल्ली में शोध छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है, जो मुख्य रूप से मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सहयोगात्मक शोध परियोजनाओं में भाग लेंगे। युवा पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट वैज्ञानिकों और शोध छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

5.7 (i) (ङ) : भारत– अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल :

शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्धित भारत– अमेरिका कार्यनीतिक भागीदारी को तैयार करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि स्वरूप वर्ष 2009 में भारत–अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल की घोषणा की गई थी। इसके कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, वि.अ.आ. ने भारत–अमेरिका 21वीं सदी ज्ञान पहल के अंतर्गत एक खुली प्रतियोगिता की घोषणा की है और वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) और 12ख के अंतर्गत मान्यताप्राप्त संस्थानों तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से निम्नलिखित क्षेत्रों में संयुक्त शोध हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

- ऊर्जा अध्ययन
- सतत् विकास
- जलवायु परिवर्तन
- पर्यावरणीय अध्ययन
- शिक्षा और शैक्षणिक सुधार,
- सामुदायिक विकास और नवोन्मेष

5.7 (ii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां और विद्वानों का आदान–प्रदान

5.7 (ii) (क) संयुक्त राज्य अमेरिका में पोस्ट डॉक्टोरल शोध के लिए रमन अध्येतावृत्तियां

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उभरते हुए क्षेत्रों में उन्नत तकनीक और प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक शोध प्रशिक्षण के लिए युवा भारतीय शोधकर्त्ताओं और सभी विषयों के शिक्षकों को सुनहरा अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इन अध्येतावृत्तियों की पेशकश की है जिससे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उनकी शोध क्षमता और उच्चतर शिक्षा में उनके योगदान को और बढाया जा सके और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ दीर्घकालिक संबंधों को विकसित किया जा सके।

वर्ष 2022–23 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में पोस्ट डॉक्टोरल शोध के लिए रमन अध्येतावृत्तियों पर **3.98 लाख रुपये की राशि का व्यय** हुआ।

5.7 (ii) (ख) स्टाईपेंडियम हंगरीकम छात्रवृत्ति कार्यक्रम

दिनांक 19 नवंबर, 2014 को हंगरी के 'ह्यूमन कैपेसिटिज' मंत्रालय और भारत गणराज्य के शिक्षा मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित भारत–हंगरी शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हंगरी में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट संबंधी अध्ययन करने के लिए भारतीय छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए। इस करार के तहत हंगरी की सरकार 200 भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराती है, और उनके अध्ययन की समाप्ति उपरांत उनकी हवाई यात्रा हेतु व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत हंगेरियन छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा 173 भारतीय छात्रों का चयन किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से भारत सरकार हंगरी के छात्रों के लिए 35 छात्रवृत्तियों की पेशकश करता है।

वर्ष 2022–23 के दौरान स्टाईपेंडियम हंगरीकम छात्रवृत्ति कार्यक्रम पर **14.45 लाख रुपये की राशि का व्यय** हुआ।

5.7 (ii) (ग) भारत–बुल्गारिया सीईपी

सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के अनुसार, चार विद्वानों ''सेंट क्लिमेंट ओहरीडस्कीः सोफिया यूनिवर्सिटी'' तथा ''सेंट साइरिल तथा सेंट मेथोडियस'' विश्वविद्यालय वेलिको तुरनोवो द्वारा आयोजित बुल्गारिया भाषा और संस्कृति में अंतराष्ट्रीय सगोष्ठी में भागीदारी करने के लिए नामांकित किया गया था।

5.7 (ii) (घ) इंडो –नारवीयन सहयोग कार्यक्रम. (आईएनसीपी)

उच्चतर शिक्षा और शोध के क्षेत्र में भारत–नार्वे सहयोग कार्यक्रम (आईएनसीपी) एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत और नार्वे के बीच उच्चतर शिक्षा के संपर्कों को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम दिनांक 14 फरवरी, 2014 को भारत और नार्वे के बीच हस्ताक्षरित उच्चतर शिक्षा में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत तथा शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु नार्वे केंद्र (एसआईयू) के बीच शैक्षणिक सहयोग संबंधी करार पर आधारित है।

आईएनसीपी का वित्तपोषण संयुक्त रूप से भारत के विदेश मंत्रालय (एमएफए), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत और एसआईयू, नार्वे के द्वारा समान अनुदान के माध्यम से किया जाता है। वि.अ.आ., भारत और एसआईयू, नार्वे इस कार्यक्रम हेतु कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

आईएनसीपी के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत और एसआईयू, नार्वे ने संयुक्त शोध परियोजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए तथा वर्ष 2014 में 3 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2017 तक के लिए 13 परियोजनाओं का चयन किया, जिसे 31 दिसम्बर, 2018 तक बढ़ा दिया गया था।

5.7 (iii) विदेशी भाषा के शिक्षक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोगात्मक कार्यक्रम हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाओं को पढ़ाने के लिए विदेशी भाषा के शिक्षकों को नियुक्त करने का प्रावधान है। विश्वविद्यालयों में इनकी नियुक्ति संबंधित

देश के मिशन और संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श से किया जाता है। किसी विश्वविद्यालय में भाषा संबंधी शिक्षक की नियुक्ति करते समय सामान्यतया यह सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त विश्वविद्यालय में विदेशी भाषाओं के अध्यापन के लिए उपर्युक्त अवसंरचना मौजूद हो।

शिक्षा आदान–प्रदान योजना (ईईपी) और सतत् शिक्षा योजना (सीईपी) के अनुसार देश में विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विदेशी भाषा के 22 विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति को अनुमोदित किया गया है।

जर्मन – 3	स्पेनिष– 10	पश्तो – 1	बुलगारियाई – 1	चेक – 1
पुर्तगाली –2	हंगेरियाई – 1	क्रोएशियाई – 1	रोमानियन – 1	पोलिष – 1

5.7 (iv) एनईपी, 2020 और उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण

एनईपी, 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप और भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में प्रयास करने के लिए, विअआ ने कुछ पहल की हैं जो इस प्रकार हैं:

अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़े कार्यालय:

संस्थागत स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय की स्थापना से उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में प्रभावी दृष्टिकोणों को सुगम और प्रचालित किया जा सकेगा। यह कार्यालय विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिनमें असोमित से निम्नवत शामिल होगें

- विदेशी छात्रों का स्वागत और सहायता करने से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करना ।
- विदेशी संस्थानों के साथ सभी सहयोगात्म क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए एकल बिंदु संपर्क।
- विदेशी छात्रों और प्रायोजक एजेंसी के बीच एक संपर्क निकाय के रूप में कार्य करना ।
- सभी मामलों में विदेशी छात्रों की शिकायतों को दूर करना ।
- एफआरआरओ/ ई–एफआरआरओ के साथ विदेशी छात्र के पंजीकरण के लिए एकल बिंदु संपर्क।
- साथी छात्रों के साथ अंतरराष्ट्रीय छात्रों की नेटवर्किंग की सुविधा ।
- विदेशी छात्रों को नए सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल होने और भारत में अपने प्रवास को आरामदायक और समृद्ध बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करना ।
- संस्थान की शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के समेकन के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करना।
- भावी विदेशी छात्रों के बीच प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी का प्रसार करना ।
- विदेशों में ब्रांड निर्माण अभियान के लिए प्रचार गतिविधियों और प्रभावी दृष्टिकोण की अवधारणा और शामिल होना।
- ट्विनिंग व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय छात्रों की चिंता को दूर करना ।
- अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए संस्था स्तर की रणनीतियों का कार्यान्वयन और निगरानी ।
- रिकॉर्ड बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित जानकारी का प्रसार करना।
- पूर्व छात्रों सहित विदेशी छात्रों का डेटाबेस बनाए रखना और उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर सर्वेक्षण करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय मामले के कार्यालय की स्थापना के लिए सभी विश्वविद्यालयों को पहले ही आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

अब तक, 167 विश्वविद्यालयों ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय स्थापित किए हैं।

पूर्व छात्र संपर्क प्रकोष्ठः

विदेशी मूल के पूर्व छात्रों के साथ–साथ विदेशों में रहने वाले पूर्व भारतीय छात्र विदेशों में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों के ब्रांड निर्माण और भारत को एक वैश्विक अध्ययन केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को पूर्व छात्रों के लिए फिर से जुड़ने, ब्रांड निर्माण के लिए उपयुक्त माध्यम तैयार करने और उनके योगदान को उचित मान्यता देने के लिए एक संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। ''एलुमनी कनेक्ट'' भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों को पूर्व छात्रों (विदेशी मूल के और विदेशों में रहने वाले भारतीयों) के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पूर्व छात्रों के साथ निरंतर जुड़ाव बनाए रखने के लिए, उच्चतर शिक्षा संस्थान अनेक क्रियाकलापों का संचालन कर सकते हैं, जैसे:

- पूर्व छात्र प्रकोष्ठ स्थापित करना और विदेशों में रहने वाले पूर्व छात्रों (भारतीय और विदेशी दोनों) का एक व्यापक डेटाबेस का रखरखाव करना।
- संस्थान की नवीनतम पहल को पूर्व छात्रों के साथ साझा करना ।
- पूर्व छात्रों के साथ वर्चुअल रूप से जुड़ना और उन्हें सम्मेलनों/ वेबिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना ।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व छात्रों के बीच नेटवर्किंग मिलन समारोह।
- विदेशों में इसके प्रसार के लिए संस्थान, कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों के बारे में ब्रोषर, पैम्फलेट और अन्य विज्ञापन सामग्री प्रदान करना ।
- पूर्व छात्रों की मदद से सामुदायिक सेवा क्रियाकलापों में शामिल होना।
- ब्रांड तैयार करने के कार्य के साथ–साथ संस्थान के समग्र विकास में सहायता के लिए प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों को सम्मानित करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूर्व छात्र संपर्क प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को पहले ही आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। अब तक, 164 विश्वविद्यालयों ने पूर्व छात्र संपर्क प्रकोष्ठ किया है।

संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री पर विनियम :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में सिफारिश की गई है कि ''भारतीय संस्थानों और वैश्विक संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग और छात्र आदान–प्रदान को विशेष प्रयासों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। विदेशी विश्वविद्यालयों में प्राप्त क्रेडिट को डिग्री प्रदान करने के लिए प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान की आवश्यकताओं के अनुरूप, जहां उचित हो, की अनुमति दी जाएगी।

एनईपी, 2020 के अनुरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग) विनियम, 2022 को अनुमोदन प्रदान किया है।

विनियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- एक ''संयुक्त डिग्री कार्यक्रम'' के लिए, पाठ्यक्रम को सहयोगी भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाएगा और कार्यक्रम के पूरा होने पर; भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान और सहयोगी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा एकल प्रमाणपत्र के साथ डिग्री प्रदान की जाती है।
- छात्रों को भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में से प्रत्येक से कुल क्रेडिट का कम से कम 30 प्रतिशत अर्जित करना होगा। भारतीय छात्रों द्वारा विदेशी संस्थानों से अर्जित क्रेडिट और विदेशी छात्रों द्वारा भारतीय संस्थानों से अर्जित क्रेडिट, अध्ययन के पारंपरिक तरीके से प्राप्त किए जाएंगे।
- किसी संस्थान में पाठ्यक्रम(मों) के लिए अर्जित क्रेडिट, दोनों संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की गई डिग्री में गिना जाएगा।
- ''दोहरी डिग्री कार्यक्रम'' एक ऐसा कार्यक्रम होगा जिसे भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से समान विधा/ विषय क्षेत्रों और समान स्तर पर तैयार और पेशकश किया जाएगा। ऐसे कार्यक्रम के लिए डिग्री को दोनों संस्थानों की डिग्री संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने पर भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा अलग–अलग और एक साथ प्रदान की जाएगी। इसे किसी भी तरह से अलग–अलग विधाओं/ विषय क्षेत्रों और/ अथवा स्तरों एक साथ चलाई जा रही, दोहरी–डिग्री कार्यक्रम नहीं माना जाएगा।
- छात्रों को भारतीय संस्थान से कुल क्रेडिट का कम से कम 30 प्रतिशत अर्जित करना होगा। विदेशी संस्थानों से भारतीय छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट और भारतीय संस्थानों से विदेशी छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट, अध्ययन के पारंपरिक तरीके से प्राप्त किए जाएंगे।
- किसी संस्थान में पाठ्यक्रम(मों) के लिए अर्जित क्रेडिट को दोनों संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री के लिए गिना जाएगा।
- भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान इन विनियमों के तहत ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों: –
  - कोई भी मान्यता प्राप्त भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) अथवा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा आवेदन के समय 4–बिंदु पैमाने पर 3.01 के न्यूनतम प्राप्तांक के साथ प्रत्यायित है, अथवा जो आवेदन के समय टॉइम्स हॉयर एजुकेशन अथवा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 1000 संस्थानों में शामिल हैं अथवा जो आवेदन के समय राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) की विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल हैं।

- आवेदन के समय टॉइम्स हॉयर एजुकेशन अथवा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 1000 में शामिल कोई भी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान।

5.8 राष्ट्रीय शिक्षण परीक्षा (एनईटी) : शिक्षण तथा शोध हेतु मानव संसाधन विकास

मानविकी (इनमें भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं), योग, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान तथा पर्यावरणीय विज्ञान जैसे अनेक विषयों में शिक्षण और शोध में प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए सहायक आचार्य और कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ) की पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा अर्थात् राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है। सामान्यतः, यह परीक्षा वर्ष में दो बार, अर्थात्: जून और दिसम्बर माह में 83 विषयों में, पत्र–I के अलावा, आयोजित की जाती है जिसमें परीक्षार्थी के सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, तर्क विश्लेषण, शिक्षण अभिवृत्ति और शोध के लिए रूझान की जांच करने के लिए देशभर में फैले अनेक शहरों में की जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ने शोध के क्षेत्र में व्यापक समतुलनीयता के साथ–साथ वैधता और विश्वसनीयता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने हेतु कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए वर्ष 1984 से नेट परीक्षा का आयोजन कर रहा है। देश में एक समान शिक्षण तथा शोध के मानदंड बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति, 1986 के माध्यम से परिकल्पना की थी कि ''व्याख्याता के पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को पूरा करने वाले केवल ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने इस प्रयोजनार्थ विशेषरूप से आयोजित की गई एक वृहद परीक्षा को उत्तीर्ण किया हो, ही व्याख्याता के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।'' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायक आचार्य/व्याख्याता के रूप में नियुक्ति हेतु अर्हता परीक्षा को विकसित करने के संबंध में इस मुद्दे पर शिक्षाविदों तथा शैक्षणिक प्रशासकों जैसे राज्य शिक्षा सचिवों के साथ व्यापक चर्चा की। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उसके द्वारा पहले ही आयोजित की जा रही जेआरएफ की परीक्षा के साथ जोड़ दिया तथा दिनांक 24 दिसम्बर, 1989 को कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति तथा व्याख्याता हेतु प्रथम राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– नेट) भाषाओं सहित मानविकी के तहत आने वाले विषयों, सामाजिक विज्ञान तथा कुछ विज्ञान विषयों में आयोजित की। साथ ही, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने आधारभूत विज्ञान विषयों के तहत आने वाले विषयों के लिए दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 को जेआरएफ तथा व्याख्याता हेतु पात्रता परीक्षा, सीएसआईआर–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परीक्षा आयोजित की। उसी समय से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट तथा संयुक्त सीएसआईआर– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परीक्षा को वर्ष में दो बार जून तथा दिसम्बर के माह में आयोजित किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2014 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा स्वयं आयोजित की। तत्पश्चात्, दिसम्बर, 2014 से जुलाई, 2018 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट की परीक्षा को आयोजित करने का कार्य केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ऑउटसोर्स कर दिया गया है। तत्पश्चात् विअआ–नेट को आयोजित करने का कार्य, भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) को सौंपा गया था। परिणामस्वरूप, दिसम्बर, 2018 में आयोजित विअआ–नेट परीक्षा को एनटीए द्वारा आयोजित किया गया था।

सीएसआईआर–विअआ परीक्षा को सीएसआईआर के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर माह में विज्ञान के 5 मुख्य विषयों अर्थात् रसायन विज्ञान; पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान, जीवन विज्ञान, गणित विज्ञान और शारीरिक विज्ञान विषयों में आयोजित किया जा रहा है।

ऐसे प्रत्याशी, जो शोध करना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अध्येतावृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे या तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट अथवा सीएसआईआर– वि.अ.आ. संयुक्त परीक्षा के तहत कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) परीक्षा में बैठ सकते हैं। उच्च मेरिट वाले प्रत्याशी जो वि.अ.आ.–नेट परीक्षा में जे.आर.एफ. परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य भी कर सकते हैं। वे देशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु भी पात्र हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा के माध्यम से 3200 से अधिक कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियां तथा प्रत्येक सी.एस.आर.आई.–वि.अ.आ. संयुक्त नेट परीक्षा के माध्यम से लगभग 1500 अभ्यर्थियां (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आधारभूत विज्ञान शोध ब्यूरो की 300 अध्येतावृत्तियों सहित) प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होती है।

5.8 (i) वि.अ.आ.– नेट परीक्षा में निष्पादन

वि.अ.आ.–नेट परीक्षा के तहत व्याख्याता एवं कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ) परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाने वाले, परीक्षा में बैठने वाले और सफल हुए अभ्यर्थियों का संक्षिप्त ब्योरा निम्नवत तालिका–5.8 (i) में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 5.8 (i): वर्ष 2022–23 के दौरान विअआ–नेट की दिसंबर 2022 की परीक्षा में पंजीकृत, परीक्षा में बैठे तथा उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या

<table>
<tr><th colspan="5">विअआ– नेट दिसंबर, 2022</th></tr>
<tr><th rowspan="2">किया गया आवेदन</th><th colspan="3">अभ्यर्थियों की संख्या</th><th rowspan="2">परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों में से प्रतिशत</th></tr>
<tr><th>पंजीकृत</th><th>परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी</th><th>उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी</th></tr>
<tr><td>केवल सहायक– आचार्य</td><td rowspan="2">8,34,537</td><td rowspan="2">5,46,679</td><td>39,070</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>जे.आर.एफ. और सहायक– आचार्य दोनों</td><td>4,847</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>8,34,537</td><td>5,46,679</td><td>43,917</td><td>8.03 प्रतिशत</td></tr>
</table>

5.8 (i) (क) : वंचित श्रेणियों को उपलब्ध कराई गई छूट/ रियायतें

भारत सरकार की नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समाज के वंचित वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए अनेकानेक उपाय कर रहा है। उन्हें अनेकानेक छूट और रियायतें प्रदान की जा रही हैं। चूंकि अब, विअआ– नेट परीक्षा का आयोजन, राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी को सौंप दिया गया है, यह निम्नवत तरीकों से समाज के वंचित वर्गों को लगातार पूर्ण सहायता उपलब्ध करवा रहा है:

(i) **शुल्क में उपलब्ध कराई गई छूट:** जबकि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1150/– रुपये है, वहीं भारत सरकार की सूची के अनुरूप अन्य पिछड़ा वर्ग के असम्पन्न वर्गों के उम्मीदवारों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यह केवल 600/– रुपये है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, ट्रांसजेंडरों और शारीरिक रूप से निशक्त (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल 325/– रुपये नाममात्र शुल्क देना होता है।

(ii) **जे0आर0एफ0 के लिए आयु में उपलब्ध कराई गई छूट:** सामान्य श्रेणी के लिए जेआरएफ परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/ ट्रांसजेंडरों/ शारीरिक रूप से निशक्त श्रेणी और महिला आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है।

➤ **नेट हेतु पात्रता की शर्तों में उपलब्ध कराई गई छूट :**

1.	सामान्य अभ्यर्थी (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित)	निष्णात उपाधि में 55 प्रतिशत अंक (बिना पूर्णांकित किए)
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) शारीरिक रूप से निशक्त/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी	निश्णांत उपाधि में 50 प्रतिशत अंक (बिना पूर्णांकित किए)

➤ **विअआ– नेट हेतु अर्हता मानदण्ड में उपलब्ध कराई गई छूट:** अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से परिणाम तैयार करने हेतु विचार किये जाने के लिए प्रश्न पत्र– I और II में अलग–अलग नीचे दिये गये न्यूनतम अंक प्राप्त करने होते हैं जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

श्रेणी	न्यूनतम कुल प्रतिशत
सामान्य श्रेणी (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित)	40 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/शारीरिक रूप से निशक्त/ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी)	35 प्रतिशत

जैसा की यहां स्पष्ट है, नेट परीक्षा हेतु अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक रूप से निशक्त श्रेणी के व्यक्तियों हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंक सामान्य श्रेणी के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंकों से कम है। इसके अलावा, जेआरएफ के

साथ– साथ सहायक आचार्य हेतु पात्रता के लिए स्लॉट आबंटित करने हेतु आयोजित सीएसआईआर– वि.अ.आ. परीक्षा के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति को लागू किया गया है। समान विषयों में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए विषयवार 'कट– ऑफ' अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ शारीरिक रूप से निशक्त/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) श्रेणियों मे सबसे कम है।

5.8 (i) (ख) सशस्त्र बलों के लिए कर्मियों हेतु व्यवस्था

कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) हेतु आवेदन करने के लिए, सशस्त्र सेनाओं में सेवा कर चुके अभ्यर्थियों को 05 वर्ष तक की छूट उपलब्ध कराई जाती है, जोकि संबंधित विअआ– नेट के माह के प्रथम दिन तक सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा की अवधि के अध्यधीन है।

5.8 (i) (ग) : विअआ– नेट में नए विषयों को आरंभ किया जाना

क्रम संख्या	विअआ– नेट में नए विषय	टिप्पणियां
1.	भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस)	आयोग ने दिनांक 19 अप्रैल, 2022 को आयोजित अपनी 557वीं बैठक में आईकेएस को विअआ– नेट की विषय सूची में शामिल करने का निर्णय लिया था। आईकेएस में प्रथम विअआ– नेट परीक्षा, दिसंबर 2022 के विअआ– नेट से आरंभ हुई थी।
2.	आतिथ्य तथा होटल प्रबंधन	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति ने पाठ्यक्रम तैयार किया है। तथापि, इसे अनुमोदन के लिए आयोग की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना है।
3.	आपदा प्रबंधन	विअआ– नेट में आपदा प्रबंधन को एक अलग शैक्षणिक विधा के रूप में शामिल करने के लिए कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय ने पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

5.8 (ii) संयुक्त सी.एस.आई.आर.– वि.अ.आ. नेट परीक्षा

सीआईएसआर– वि.अ.आ. संयुक्त परीक्षा को प्रत्येक वर्ष में दो बार अर्थात् जून तथा दिसम्बर माह में सीआईएसआर द्वारा आयोजित किया जाती है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) द्वारा जेआरएफ और व्याख्याता/ सहायक आचार्य, दोनों के लिए पात्र घोषित अभ्यर्थियों में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के तहत 1500 जेआरएफ अवार्ड किए जाते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से कतिपय संख्या में अभ्यर्थियों को व्याख्याता/ सहायक आचार्य के पद के लिए पात्र घोषित करता है।

तालिका 5.8 (ii) (क) : उन मुख्य विज्ञान विषयों को दर्शाती है जिसमें सीएसआईआर द्वारा संयुक्त सीएसआईआर– वि.अ.आ.– नेट परीक्षा आयोजित की जाती है तथा तालिका 5.7(ii) (ख) जे.आर.एफ. के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या तथा संयुक्त सीआईएसआर–वि.अ.आ. नेट के माध्यम से व्याख्याता हेतु पात्रता को दर्शाता है।

तालिका 5.8 (ii) (क) : संयुक्त सी0एस0आई0आर0– वि.अ.आ. नेट के तहत शामिल विज्ञान के विषयों की सूची

क्रम संख्या	विषय
	रसायन विज्ञान
	पृथ्वी, वायुमण्डल, महासागर एवं ग्रह विज्ञान
	जीव विज्ञान
	गणित विज्ञान
	शरीर विज्ञान

तालिका 5.8 (ii) (ख) : सी.एस.आई.आर.– वि.अ.आ. संयुक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों का निष्पादन

सीएसआईआर– वि.अ.आ. संयुक्त परीक्षा	परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या	
	वि.अ.आ. जे.आर.एफ.	सहायक आचार्य हेतु पात्रता (जे.आर.एफ. सहित)
दिसम्बर, 2021 और जून, 2022 (एक साथ आयोजन)	3300	7336

स्रोतः सीएसआईआर से प्राप्त डाटा

*जेआरएफ के लिए आंकड़े भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जेआरएफ स्लॉट आबंटन के कारण 3000 अधिक है।

5.8 (iii) सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजन हेतु विअआ– नेट के पात्र अभ्यर्थियों की मांग

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, वि.अ.आ.– नेट को प्रतिभा के पूल के एक प्रामाणिक स्रोत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है; इसे भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जा रहा है। अनेक प्रमुख सरकारी निकायों ने विभिन्न विषयों में अपने अधिकारियों की भर्ती के लिए वि.अ.आ.– नेट प्राप्तांक का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संपर्क किया है। वर्ष 2021–22 में भी, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) से प्रशासनिक, प्रबंधकीय, विधिक और वित्तीय पदों के लिए अपनी भर्ती प्रक्रिया में नेट प्राप्तांक का उपयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। कुल मिलाकर, निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपनी भर्ती प्रक्रिया में विअआ के प्राप्तांक का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संपर्क किया है। वे निम्नवत हैं:

- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)
- तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी)
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीएल)
- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीएल)
- राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर लिमिटेड (आरसीएफएल)
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)
- भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)
- राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)
- पावर सिस्टम ऑपरेषन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीओएसओसीओ)
- राष्ट्रीय पन विद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी)
- राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद (एनएमडीसी)
- न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल)
- नार्थ ईस्ट्रन इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनईईपीसीओ)
- दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी), कोलकाता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पहले ही इस संबंध में अपना डॉटा साझा करने की इच्छा व्यक्त कर चुका है और साथ ही समय–समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनके अनुरोध पर जानकारी उपलब्ध कराता है।

5.8 (iv) राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)

राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार की दिनांक 22 जुलाई, 1988 की अधिसूचना के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकारों को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट), जिन्हें पूर्व में राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस.एल.ई.टी.) कहा जाता था तथा अब **राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)** के नाम से जाना जाता है, को आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है, जिन्हें एक निर्धारित अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित किया गया है। एस.ई.टी. का पैटर्न भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा के समान है।

तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) ने दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को आयोजित अपनी 561वीं बैठक में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चिह्नित की गई राज्य नोडल एजेंसियों को विअआ से प्रत्यायन प्राप्त किए बिना, राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी) आयोजित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

तथापि, एसईटी परीक्षा आयोजित करते समय, नोडल एसईटी एजेंसियां, अर्हता मानदंडों और विअआ–नेट के पैटर्न पर एसईटी के परिणाम घोशित करने की प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगी। इसके अलावा, एसईटी विषयों का नामकरण और पाठ्यक्रम विअआ–नेट/ संयुक्त सीएसआईआर– विअआ परीक्षा के समान होगा। साथ ही, प्रश्न पत्रों की संरचना विअआ–नेट/ संयुक्त सीएसआईआर–विअआ परीक्षा के लिए यथा विहित होगा।

सारांश

- मानविकी (इनमें भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं), योग, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान तथा पर्यावरणीय विज्ञान जैसे अनेक विषयों में शिक्षण और शोध में प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए सहायक आचार्य और कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ) की पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा अर्थात् राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा वर्ष में दो बार, सामान्यतः जून और दिसम्बर माह में 83 विषयों में आयोजित की जाती है। दिसंबर, 2022 की विअआ– नेट परीक्षा में कुल मिलाकर 5,46,679 अभ्यर्थी बैठे थे, जिनमें से 43,917 (8.03 प्रतिशत) उत्तीर्ण हुए।
- दिसंबर, 2021 के स्लॉट को जून, 2022 की संयुक्त सीएसआईआर– विअआ परीक्षा के साथ विलय कर दिया गया।
- तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) ने दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को आयोजित अपनी 561वीं बैठक में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चिह्नित की गई राज्य नोडल एजेंसियों को विअआ से प्रत्यायन प्राप्त किए बिना, राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी) आयोजित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

5.9 यात्रा अनुदान

यात्रा अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत मान्यताप्राप्त राज्य विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षकों तथा महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्षों एवं कुलपतियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रदान किया जाता है। योजना का उद्देश्य विदेशी शिक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्रों को प्रस्तुत करने तथा उन देशों में उच्चतर शिक्षा की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, यह सुविधा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के स्थायी शिक्षकों को वर्ष में अनुमोदित कुल मामलों की 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के साथ उपलब्ध है। शिक्षा अधिकारी/ अवर सचिव के स्तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारी तथा आयोग के सदस्य इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। महाविद्यालय के शिक्षक/ महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा उनकी अधिवर्शिता की आयु है तथा कुलपतियों एवं आयोग के सदस्य के मामले में, उन्हें पद पर कार्यरत होना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 ख के तहत सूचीबद्ध महाविद्यालय के स्थायी शिक्षकों और पुस्तकाध्यक्षों को तीन वर्ष की अवधि में एक बार यात्रा, पंजीकरण शुल्क, प्रति दिवस भत्ता और वीजा शुल्क आदि के लिए शतप्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 ख के तहत सम्मिलित राज्य विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, आयोग के सदस्यों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) के महाविद्यालय के शिक्षकों को दो वर्ष की अवधि में एक बार शतप्रतिषत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यात्रा अनुदान योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन को सम्मेलन के आरंभ होने से दो माह पूर्व सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाने वाले पत्र और सम्मेलन के आयोजकों से स्वीकृति पत्र सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।

उक्त योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष द्वारा गठित यात्रा अनुदान समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। विषय विशेषज्ञ की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विचार किया जाता है।

वर्ष 2022–23 के दौरान लाभार्थियों की संख्या और किए गए व्यय का ब्योरा निम्नवत हैः

वर्श	लाभार्थियों की संख्या						व्यय (लाख़ रुपये में)
	कुलपति	महाविद्यालय के शिक्षक / पुस्तकालय अध्यक्ष	आयोग के सदस्यगण / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारी	महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
2022.2023	.	37	-	11	07	02	39.55

5.10 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (गगग) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्त निकायों के रूप में वर्ष 1984 से अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आईयूसी) की स्थापना की है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे शोधकर्ताओं के लाभ के लिए केन्द्रीय रूप से अत्याधुनिक उपस्कर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें जो समान्यतः लागत कारक के कारण कई विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुख्यतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे 09 केन्द्र स्थापित किए हैं। 'इन्टर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर' (आईयूएसी), नई दिल्ली (जो कि पूर्व में इस नाम से जाना जाता था) नाभिकीय विज्ञान केन्द्र, सन् 1984 में स्थापित किया जाने वाला इस तरह का पहला केन्द्र था। इन अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं :

- ➢ जो विश्वविद्यालय आधारभूत अवसंरचना तथा अन्य निवेशों में भारी पूंजी लगाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सामान्य अत्याधुनिक केन्द्रीयकृत उपस्कर तथा सुविधाएं सुविधाएं / सेवाएं उपलब्ध कराना।
- ➢ सम्पूर्ण देश में शिक्षकों तथा शोधकर्ताओं को सर्वोत्तम पद्धतियां तथा विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।
- ➢ शोधकर्ताओं तथा शिक्षण संकायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य आधुनिक उपस्कर, अत्याधुनिक उत्कृष्ट पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'कंसोर्टियम फॉर एजूकेशनल कम्यूनीकेशन' (सी.ई.सी), नई दिल्ली में मार्गदर्शन एवं समन्वय द्वारा विश्वविद्यालयों में स्थापित, विभिन्न मीडिया केन्द्रों के माध्यम से एक हजार से भी अधिक शैक्षिक फिल्में तथा कार्यक्रम तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। देश में दूरदर्शन से दिनांक 15 अगस्त, 1984 को प्रथम देशव्यापी कक्षा (सी.डब्ल्यू.सी.आर.) कार्यक्रम प्रसारित हुआ था।

अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की सूची तथा उनके विशिष्ट उद्देश्य, नीचे तालिका में दिए गए हैंः–

तालिका 5.10 (क): अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की सूची तथा उनके विशिष्ट उद्देश्य

क्रम सख्या	केन्द्रों का नाम	स्थापना का वर्ष	उद्देश्य
1	अंतर्विश्वविद्यालय ऐक्सीलरेटर केन्द्र, (आईयूएसी)	1984	ऐक्सीलरेटर परक शोध
2	अंतर्विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी केन्द्र, पुणे– 411007	1988	खगोल विज्ञान में शोध के लिए अत्याधुनिक यंत्रीकरण
3	वि.अ.आ.–डीएई, वैज्ञानिक अनुसंधान कंसोर्टियम, इंदौर– 452001	1989	आणविक ऊर्जा विभाग की सुविधाओं का उपयोग
4	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु– 560010	1994	उच्चतर शिक्षा के सरकारी तथा निजी संस्थानों का मूल्यांकन तथा प्रत्यायन करना
5	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (इनफ्लिबनेट) गांधीनगर	1991	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों की नेटवर्किंग
6	शैक्षिक संचार कंसोर्टियम, अरूण आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली–110067	1993	टेलीविजन के माध्यम से देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम प्रसारित करना। वर्तमान में, देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 21 शैक्षणिक मीडिया शोध केन्द्र स्थापित हैं।
7	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र–अध्यापक शिक्षा, काकीनाड़ा	2013	साधारण रूप से शिक्षा में तथा विशेष रूप से अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में नए ज्ञान का सृजन कर अध्यापक शिक्षा के ज्ञान आधार को सुदृढ़ करना।
8	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र–अध्यापक शिक्षा, वाराणसी	2014	

क्रम सख्या	केन्द्रों का नाम	स्थापना का वर्ष	उद्देश्य
9	योग विज्ञान हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	2018	योग शिक्षा में नए ज्ञान के सृजन के माध्यम से योग के ज्ञान और योग विज्ञान को सुदृढ़ करना, पाठ्यचर्या का तुलनात्मक अध्ययन और योग के लाभ तथा इसकी पद्धति का प्रसार करना।

तालिका 5.10 (ख) : वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आईयूसी/ ईएमएमआरसी/ एनएफसी को जारी किए गए अनुदानों का ब्योरा

(लाख रुपये में)

क्रम सख्या	केन्द्र का नाम	शीर्ष 36	शीर्ष 31	शीर्ष 35	कुल
1.	आईयूसी				
क)	सीईसी, नई दिल्ली	70681	65952	5500	142133
ख)	नैक, बेंगलुरु	127368	14342	5000	146710
ग)	आईयूएसी, नई दिल्ली	346840	281540	152500	780880
घ)	आईयूसीएए, पुणे	231027	259500	150000	640527
ङ)	इनफ्लिबनेट, गांधी नगर	82200	49700	0	131900
च)	विअआ– डीएई– सीएसआर, इंदौर	255450	106700	184800	546950
छ)	आईयूसी– टीई, बीएचयू, वाराणसी	7400	27000	52000	86400
ज)	योगिक विज्ञान हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	1000	0	0	1000
2.	ईएमएमआरसी	402508	120224	0	522732
3.	एनएफसी	19641	35844	0	55485
	कुल	**1544115**	**960802**	**549800**	**3054717**

रेखाचित्र 5.10 (ख) : वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आईयूसी/ ईएमएमआरसी/ एनएफसी को जारी किए गए अनुदान (लाख रुपये में)

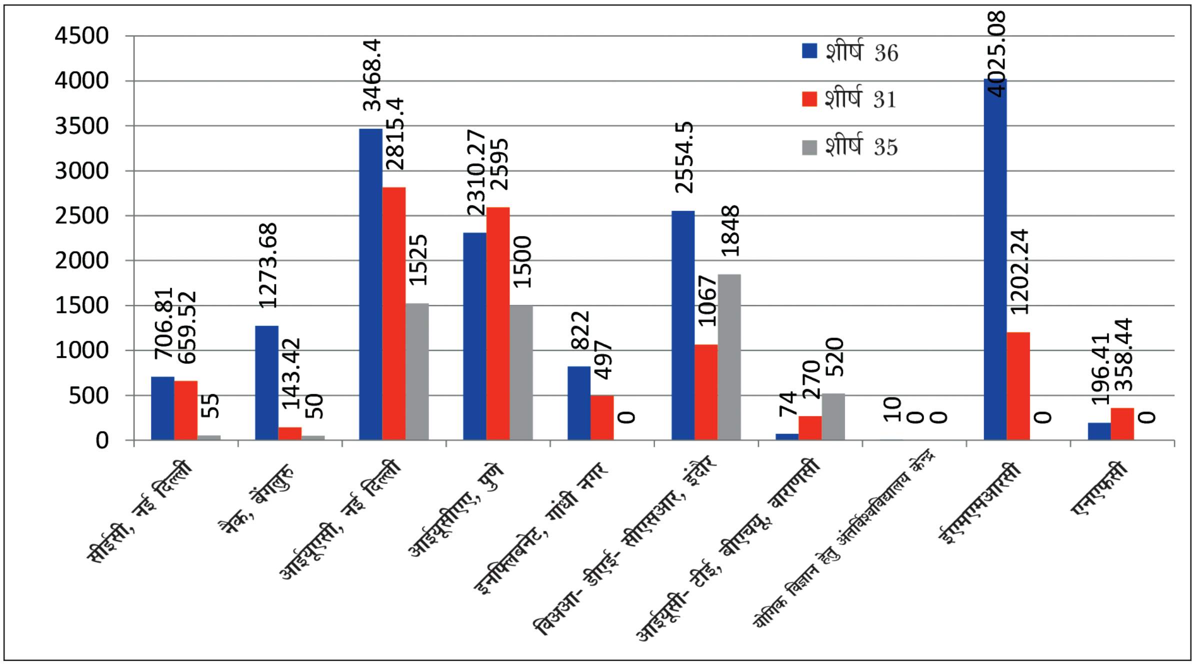

विभिन्न अन्तर्विश्वविद्यालय केंद्रों की प्रमुख विशेषताएं

5.10 (ख) (i) कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन (सीईसी), नई दिल्ली

कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन (सीईसी) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (गगग) के तहत 26 मई, 1993 को स्थापित एक अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इसे शैक्षिक मल्टीमीडिया सामग्री विकसित करने और टेलीविजन, रेडियो, सीईसी गुरुकुल, वेब पोर्टलों और ऑफलाइन पद्धति सहित विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से इसके प्रसार के द्वारा उच्चतर शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अधिदेशित है। गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक डिजिटल विषयवस्तु को तैयार करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण और तकनीकी जनशक्ति के साथ देशभर में स्थित कंसोर्टियम सदस्यों के रूप में इसके 21 शैक्षिक मल्टीमीडिया अनुसंधान केंद्र (ईएमआरसी) हैं।

ईएमआरसी की अवस्थिति

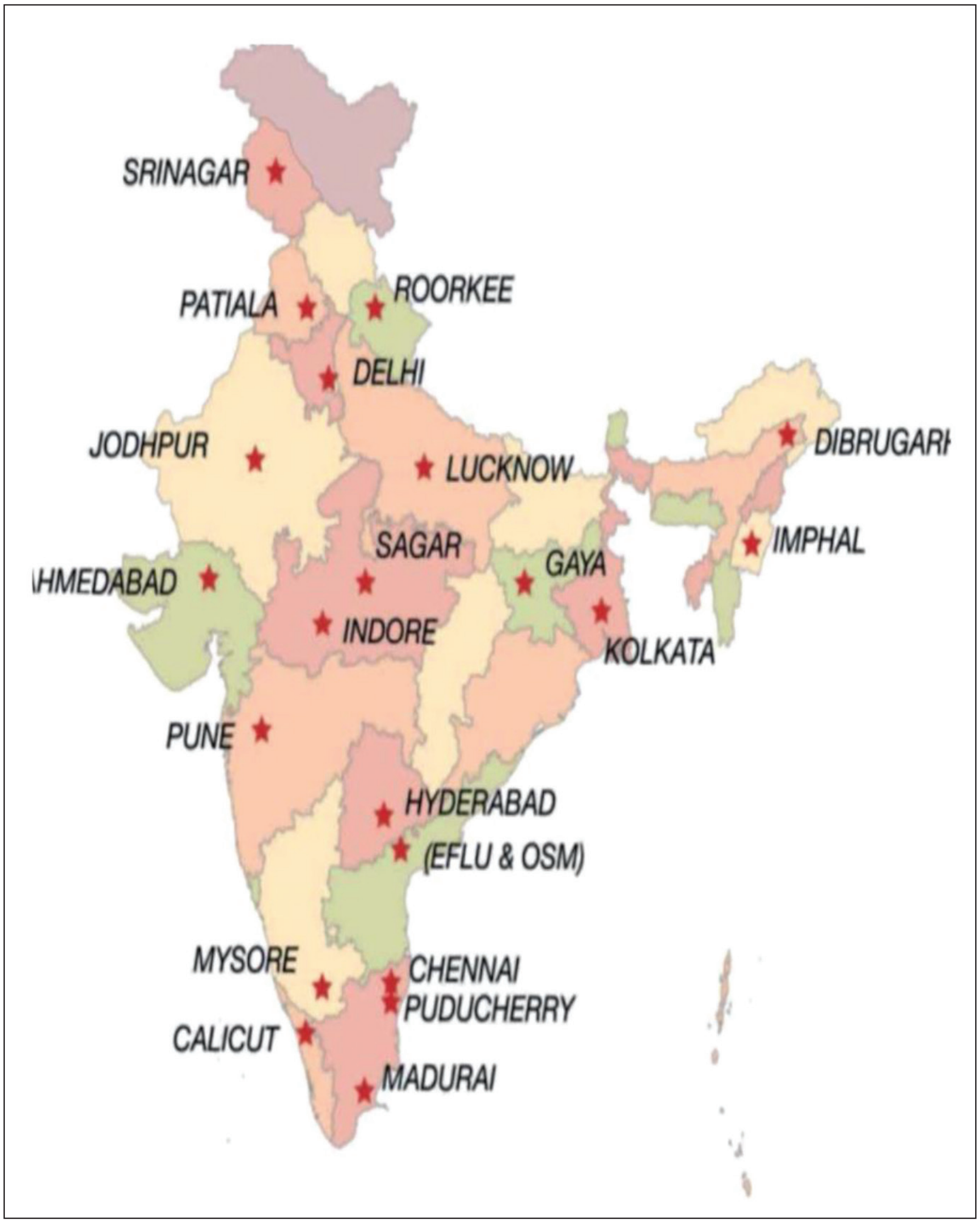

सीईसी के प्रमुख बल दिए जाने वाले क्षेत्र तीन प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं–

क. फिल्म निर्माण'
ख. प्रचार– प्रसार
ग. आईसीटी परिवेश तैयार करना

बल दिए जाने वाले क्षेत्र :

ग्रंथालय : शैक्षणिक विषयवस्तु का भंडारण और रखरखाव

प्रोडक्षन : गुरूकुल सीधा प्रसारण, सीईसी यूटयूब चैनल पर विषयवस्तु को अपलोड करना।

पूर्वावलोकनः शैक्षणिक कार्यक्रमों की विषयवस्तु का वैधीकरण।

शैक्षणिक वीडियो :

सीईसी तथा इसका मीडिंग केन्द्र, दो प्रकार के शैक्षणिक वीडियो यथा पाठ्यचर्या आधारित तथा विषय को समृद्ध बनाने (अनुपूरक शिक्षण हेतु) हेतु कार्यक्रमों को तैयार करने का कार्य करते हैं। यह कार्यक्रम चार विधाओं में विभिन्न विषयों को कवर करते हैंः–

1. भाषा/ साहित्य/ कला और संस्कृति
2. सामाजिक विज्ञान
3. प्रबंधन तथा अन्य पेशेवर विषय
4. प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान

सीईसी के पास अंग्रेजी और हिंदी में विभिन्न शीर्षकों, विषयों पर लगभग 43663 शैक्षणिक वीडियो के ज्ञान का भण्डार उपलब्ध है। इसके अलावा, जैसा कि सीईसी मीडिया केन्द्र से प्राप्त हुए विभिन्न विषयों तथा शीर्षकों पर 1827 वीडियो कार्यक्रमों को भी इस वर्ष जोड़ा गया। वीडियो कार्यक्रमों के संपूर्ण संग्रह को डिजिटाईज किया जा रहा है ताकि वीडियो कार्यक्रम को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और डिजिटल पद्धति से चलाया जा सके ताकि यह लंबे समय तक चले तथा सुवाह्य हो।

वीडियो कार्यक्रमों का पूर्वावलोकनः

सीईसी और इसके मीडिया केंद्रों द्वारा निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और विषयवस्तु को प्रमाणित करने के लिए एक पूर्वावलोकन प्रक्रिया से गुजरते हैं। पूर्वावलोकन प्रक्रिया, मूल रूप से वृहद और सूक्ष्म स्तरों पर विषयवस्तु का विश्लेषण करने की एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें वैचारिक स्पष्टता का विश्लेषण, सामग्री का प्रमाणीकरण और कार्यक्रमों की समग्र संरचना और वीडियो और ऑडियो गुणवत्ता के संबंध में तकनीकी पर्याप्तता का विश्लेषण शामिल है। पूर्वावलोकन समिति, शैक्षिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन करती है और सिफारिश करती है कि क्या कार्यक्रमों को स्वीकार किया जा सकता है अथवा उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। कुछ मामलों में, मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण कार्यक्रमों को अस्वीकार कर दिया जाता है। तैयार किए गए कार्यक्रमों की प्रस्तुति, कैप्शन/ ग्राफिक्स में त्रुटियों को नोट किया जाता है और उन्हें जन साधारण के बीच जारी करने से पहले ठीक किया जाता है।

गुरुकुल लाइव ट्रांसमिशन के तहत एमओओसी के लिए कमी वाले क्षेत्रों के तहत विकसित कार्यक्रमः –

गुरुकुल ट्रांसमिशन को जनवरी, 2019 में व्यास उच्चतर शिक्षा चैनल को 'लाइव फीड' प्रदान करने और 'स्वयं प्रभा' डीटीएच चैनलों के माध्यम से प्रसारित करने के लिए अन्यत्र उपयोग के लिए सीधे प्रसारण वाले कार्यक्रमों को पुनः तैयार करने के विचार के साथ पुनर्जीवित किया गया था। आगे इस बात पर भी सहमति बनी की शिक्षा समिति द्वारा चिह्नित कमियों के क्षेत्रों पर एक श्रृंखला तैयार की जाए। तदनुसार, सॉफ्टवेयर इकाई ने नीचे दिए गए विषय में छह पाठ्यक्रम (वीडियो क्वाड्रंट) विकसित किए हैंः

क्रम संख्या	शीर्षक	विषय	प्रस्तावित व्याख्यान	पूर्ण किए गए
1.	भारत का इतिहास 1752-1857	इतिहास	30	30
2.	'जेंडर इन हिस्ट्री' 1500-1950	इतिहास	14	14
3.	वाणिज्य निवेश के मूलतत्व	वाणिज्य	34	34
4.	C++ प्रोग्रामिंग का परिचय	गणित	32	32
5.	भारतीय कला का परिचय	इतिहास	30	24
6.	लोकप्रिय संस्कृति का बोध	इतिहास	40	30

सीईसी गुरुकुल सीधा प्रसारण व्याख्यान :

प्रख्यात विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सीईसी के लाइव व्याख्यानों का व्यास चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता हैं और लोकप्रिय वीडियो नेटवर्किंग साइट– यूट्यूब पर सीईसी यूट्यूब चैनल के रूप में भी उपलब्ध हैं। सीधे प्रसारण वाले व्याख्यान, कला और साहित्य, प्रबंधन और व्यावसायिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्रों में प्रसारित किए जाते हैं। व्याख्यान, उभरते ज्ञान के क्षेत्रों, विषयों के मूल सिद्धांतों और कॅरियर अभिविन्यास पर आधारित हैं। देश के विभिन्न भागों के शिक्षार्थी व्याख्यान के दौरान उपलब्ध कराए गए ई–मेल और 'निशुल्क' दूरभाश नंबर के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

विभिन्न अन्य कार्यक्रम (क्रियाकलाप/ बैठकें/ प्रशिक्षण):

- शिक्षा वर्ष 2022 में, सॉफ्टवेयर इकाई ने सांकेतिक भाषा भाषांतरकार के साथ एक कार्यक्रम नामतः 'प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति' आरंभ किया और सांकेतिक भाषा के साथ लगभग 70 कार्यक्रमों का योगदान दिया।
- डॉ. अस्मिता बख्शी और सुश्री दिषा अवतार, शिक्षा समन्वयक, ने दिनांक 17 दिसंबर, 2022 को पंजाबी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन कार्यशाला यथा ''एमओओसी ऑनलाइन पाठ्यक्रम और मुक्त शैक्षिक उपाय'' में संसाधक के रूप में भाग लिया।
- अपर निदेशक सीईसी ने दिनांक 21 से 22 नवंबर, 2022 तक आयोजित छठे राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन में भाग लिया।
- सीईसी द्वारा संघ के क्रियाकलापों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं पर चर्चा करने और विकसित करने के लिए 103वीं समन्वय समिति का आयोजन किया गया था। यह बैठक दिनांक 27 और 28 अक्तूबर, 2022 को ईएमआरसी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और इंदौर में आयोजित की गई थी।
- दिनांक 14 से 30 सितंबर, 2022 के बीच हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसके दौरान निबंध लेखन प्रतियोगिता, बिना तैयारी के भाषण और संपूर्ण वर्ष हिंदी भाषा में किए गए कार्यों संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कर्मचारियों ने इन सभी कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न श्रेणियों में नकद पुरस्कार प्राप्त हुए। सीईसी, नियमित रूप से निर्धारित प्रारूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को त्रैमासिक हिंदी रिपोर्ट भी भेजता है।
- निदेशक सीईसी और अपर निदेशक सीईसी ने दिनांक 26 सितंबर, 2022 को एमओओसी परियोजना के लिए विषयवस्तु साझा करने में सहयोग करने के लिए मंडवी योजना के तहत सीईसी और डीएचई, गोवा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए डीएचई, गोवा कार्यालय का दौरा किया।
- योग संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने और लोगों को जागरूक करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त निदेशों के अनुसार, सीईसी ने अपने गुरुकुल व्याख्यानों के सीधे प्रसारण के माध्यम से 21 अप्रैल, 2022 से 21 जून, 2022 के दौरान योग विज्ञान का अभ्यास करते हुए योग विज्ञान के लिए तीन माह समर्पित किए।

सीईसी द्वारा विषयवस्तु साझा करने और संबद्ध सदस्यता के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों / संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए:

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय/ संस्थान जिसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए	दिनांक
	उच्चतर शिक्षा निदेशालय, गोवा	26 सितम्बर, 2022

विपणन और ब्रांड निर्माण

सीईसी की विषयवस्तु की पहुंच बढ़ाने और छात्रों और कामकाजी पेशेवरों और अन्य हितधारकों के बीच संगठन के कार्यों और क्रियाकलापों से संबंधित जागरूकता का प्रसार करने के लिए, नियमित सोशल मीडिया पोस्ट तैयार किए और अद्यतन किए जा रहे हैं। यह पोस्ट, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सीईसी के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं।

इन सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से, सीईसी लगभग 11 सीईसी स्वयं प्रभा डीटीएच चैनलों और व्यास चैनल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीईसी द्वारा संचालित किए जा रहे विभिन्न 'स्वयं एमओओसी' पाठ्यक्रमों के बारे में प्रवेश मार्गदर्शन, उनके परिणाम और अन्य संबंधित जानकारी भी सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से अधिसूचित की जाती है।

सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से छात्रों और कामकाजी पेशेवरों को शिक्षित करने के लिए सीईसी के पास उपलब्ध डिजिटल विषयवस्तु से संबंधित नियमित ब्रांडिंग तैयार करने संबंधी कवायद, विभिन्न अंतरालों पर किए जा रहे हैं।

सीईसी न्यूजलेटर

प्रत्येक माह, सीईसी सीईसी न्यूजलेटर में विभिन्न विषयों पर चुनिंदा प्रतिष्ठित शिक्षाविदों द्वारा लिखे गए लेख प्रकाशित करता है। न्यूजलेटर दोनों सीईसी और इसके 22 शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्रों (ईएमआरसी) द्वारा प्रत्येक माह आयोजित कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। सीईसी न्यूजलेटर हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप से प्रकाशित होता है, और यह प्रख्यात उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा शीर्ष सरकारी संगठनों के बीच व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है।

मीडिया केन्द्रों की सूची निम्नवत हैः–

1. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर गुजरात विश्वविद्यालय, गुरु नानक भवन नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009
2. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, सेंट जेवियर्स महाविद्यालय, 50, सर्कस एवेन्यू, कोलकाता– 700017
3. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, इंग्लिश एंड फॉरेन लेग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद–500017
4. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग संकाय परिसर, जोधपुर–342001
5. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, पालकलाई नगर, मदुरै
6. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखिंड, पुणे–411007
7. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, द्वितीय तल, ओस्मानिया विश्वविद्यालय ग्रंथागार भवन, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद–500007
8. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ए.बी. रोड, भंवरकुआं इंदौर–452001
9. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, महाविद्यालय ऑफ इंजीनियरिंग, अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई–600025
10. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर–570006
11. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इंफाल–795003
12. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला–147002
13. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, आईआईटी, रूड़की, रूड़की–247667 (उत्तर प्रदेश)
14. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर–190006 (जम्मू और कश्मीर)
15. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, जनसंचार विभाग, कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट–673635
16. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर–470003 (मध्य प्रदेश)
17. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर (एमसीआरसी), जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
18. एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क एंड सोशल साइंसेज (एनआईएसडब्ल्यूएएसएस), 3, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर–751023, ओडिशा (अकार्यशील)
19. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय डिब्रूगढ़, असम, 786004
20. मगध विश्वविद्यालय बोधगया, बिहार– 824234.
21. बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्याविहार, रायबरेली रोड, लखनऊ–226005 (उत्तर प्रदेश)
22. ईएमएमआरसी, पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी– 605014

36, 31 और 35 शीर्ष के अंतर्गत केंद्र को जारी कुल अनुदान = 1421.33 लाख रुपये

5.10 (ख) (ii) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक), बेंगलुरु :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 और कार्रवाई कार्यक्रम (पीओए), 1992 के निष्कर्ष के रूप में, दिनांक 16 सितंबर, 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 की धारा 12 गगग के तहत की गई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है।

नैक अपनी सामान्य परिषद् (जीसी) और कार्यकारी समिति (ईसी) के माध्यम से कार्य करता है, जहां उच्चतर शिक्षा प्रणाली के एक छोटे से भाग के शैक्षिक प्रशासकों, नीति निर्माताओं और वरिष्ठ शिक्षाविद्ों का प्रतिनिधित्व होता है। विअआ के अध्यक्ष नैक के जीसी के अध्यक्ष होते हैं और ईसी के अध्यक्ष एक प्रख्यात शिक्षाविद् होते हैं, जो सामान्य परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। निदेशक नैक के अकादमिक और कार्यकारी प्रमुख होते हैं, और सामान्य परिषद् और कार्यकारी समिति दोनों के सदस्य– सचिव भी होते हैं। नैक के पास अपने विभिन्न कार्यों को शुरू करने के लिए सलाहकारों का पूरक कोर स्टॉफ होता है।

नैक का दर्षन दंडात्मक या आलोचनात्मक होने की बजाय सुधारात्मक और सक्षमकारी है, ताकि उच्चतर शिक्षा संस्थानों के सभी निर्वाचन क्षेत्रों को अपने संसाधनों, अवसरों और क्षमताओं को अधिकतम करने के लिए समर्थ किया जा सके।

(i) विजन

आत्म और बाह्य गुणवत्ता मूल्यांकन, संवर्धन और जीविका पहल के संयोजन के माध्यम से भारत में उच्चतर शिक्षा के परिभाशित तत्व को गुणवत्तापूर्ण बनाना।

(ii) मिशन

- ✓ उच्चतर शिक्षा अथवा उनकी इकाइयों के संस्थानों या विशिष्ट अकादमिक कार्यक्रमों या परियोजनाओं के आवधिक मूल्यांकन और उन्हें मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था करना;
- ✓ उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षण–अधिगम और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक परिवेश को प्रोत्साहित करना;
- ✓ उच्चतर शिक्षा में आत्म–मूल्यांकन, जवाबदेही, स्वायत्तता और नवाचारों को प्रोत्साहित करना;
- ✓ गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान अध्ययन, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना, और
- ✓ गुणवत्ता मूल्यांकन, संवर्धन और सततता के लिए उच्चतर शिक्षा के अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करना।

(iii) मूल्यगत ढांचा

देश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच निम्नलिखित मौलिक मूल्यों को बढ़ावा देनाः

- राष्ट्रीय विकास में योगदान
- छात्रों के बीच वैश्विक दक्षताओं को बढ़ावा देना
- छात्रों के बीच एक मूल्यगत प्रणाली का निर्माण
- प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना
- उत्कृष्टता के लिए प्रत्यनशील रहना

(iv) बल दिए जाने वाले क्षेत्र और उद्देश्यः

एनएएसी का मुख्य एजेंडा, उच्चतर शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों अथवा उनकी एक अथवा एक से अधिक इकाइयों, अर्थात् विभागों, विद्यालयों, संस्थानों, कार्यक्रमों आदि का आकलन और प्रत्यायन करना है।

(v) मूल्यांकन और प्रत्यायन का मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं:

क) उच्चतर शिक्षा के ग्रेड संस्थान और उनके कार्यक्रम;

ख) इन संस्थानों में शैक्षिक परिवेश और शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता को उत्प्रेरित करना;

ग) संस्थानों को उनके शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करना;

घ) उपर्युक्त उद्देश्य के लिए काम कर रहे संस्थानों के सभी पहलुओं में आवश्यक परिवर्तनों, नवाचारों और सुधारों को बढ़ावा देना;

ङ) उच्चतर शिक्षा में नवाचारों, आत्म–मूल्यांकन और जवाबदेही को प्रोत्साहित करना।

(vi) अपने अधिदेश को पूर्ण करने के लिए एनएएसी निम्नलिखित कदम उठा रहा हैः

क) मूल्यांकन की तकनीकों और तौर–तरीकों से प्राप्त अनुभव के प्रकाष में उनकी समय–समय पर समीक्षा करें और जब भी आवश्यक समझा जाए, संशोधन और अद्यतन करें;

ख) मूल्यांकन और ग्रेडिंग के परिणामों को संबंधित संस्थान को सुधारात्मक कार्रवाई, त्रुटि सुधार और आत्म–सुधार के लिए उपयुक्त रूप और पद्धति से संप्रेषित करें;

ग) संस्थानों को स्व–मूल्यांकन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं, तकनीकों और तौर–तरीकों को विकसित करने में मदद करना और प्रोत्साहित करना;

घ) शैक्षिक संस्थानों, कार्यक्रमों आदि की आयोजना और मूल्यांकन में अनुसंधान अध्ययन आरंभ करना;

ङ) संसाधनों के इष्टतम उपयोग और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के चिह्नित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना;

च) एनएएसी समान स्वरूप के कार्य में लगे भारतीय और विदेशी संस्थानों के साथ सहयोग कर सकता है और अनुरोध किए जाने पर विदेशों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन भी कर सकता है।

(vii) प्रमुख घटनाएं–

शैक्षिक क्रियाकलाप– एनएएसी के कार्यक्रम :

क्रम संख्या	कार्यक्रम का विवरण	दिनांक
1.	मानविकी पुस्तिका के संबंध में विशेषज्ञों के साथ पहली ऑनलाइन बैठक	09 जून, 20220
2.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश में एनएएसी जागरूकता कार्यक्रम	17 जून, 2022
3.	एमईआरआईटीई परियोजना के संबंध में विश्व बैंक और शिक्षा मंत्रालय के साथ एनएएसी की वर्चुअल बैठक	20 जून, 2022
4.	एचबीटीयू, कानपुर में एक दिवसीय नैक जागरूकता कार्यशाला	21 जून, 2022
5.	विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की विशेषज्ञ समिति की बैठक	23 जून, 2022
6.	मानविकी पुस्तिका के प्रारूप के बारे में विशेषज्ञों के साथ दूसरी ऑनलाइन बैठक	28 जून, 2022
7.	दिनांक 12 जुलाई, 2022 को हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल, श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा ''हिमाचल प्रदेश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों का राज्य स्तरीय विश्लेषण'' पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम तथा दिनांक 13 जुलाई, 2022 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में एनएएसी जागरूकता कार्यक्रम।	12 और 13 जुलाई, 2022
8.	लोक शिक्षण उच्चतर शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के संयुक्त निदेशक,	03 अगस्त, 2022
9.	मानविकी (विश्वविद्यालयों) के लिए पुस्तिका के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन हितधारकों की बैठक	03 अगस्त, 2022
10.	आजादी का अमृत महोत्सव की पूर्व संध्या पर ''स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में न्याय की अवधारणा" पर व्याख्यान का आयोजन किया गया	18 अगस्त, 2022
11.	मानविकी पुस्तिका के संबंध में विशेषज्ञों के साथ तीसरी ऑनलाइन परामर्शदात्री बैठक	25 अगस्त, 2022
12.	कर्नाटक के कलबुर्गी में एनएएसी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया	29 अगस्त, 2022
13.	एनईपी 2020 के आलोक में संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए संस्कृत को पुनर्जीवित करना	30 अगस्त, 2022
14.	उच्चतर शिक्षा विभागए उत्तराखंड के सहयोग से कुमाऊं विश्वविद्यालयए नैनीताल में नैक जागरूकता कार्यक्रम (एनएपी)	8 सितम्बर, 2022
15.	दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा (हिंदी) सम्मेलन सूरत, गुजरात में दीन दयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित किया गया	14 से 15 सितम्बर, 2022
16.	गुजरात राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की बैठक	16 सितम्बर, 2022
17.	उत्तरी क्षेत्र के उच्चतर शिक्षा अधिकारियों के साथ अंतर्क्रियात्मक बैठक	18 से 19 अक्तूबर, 2022
18.	पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा विभाग में एनएपी	27 सितम्बर, 2022
19.	दक्षिणी क्षेत्र राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के प्रमुखों/ समन्वयकों / सदस्यों / उच्चतर शिक्षा विभागों के अधिकारियों की एक दिवसीय ऑफ़लाइन बैठक	30 सितम्बर, 2022
20.	रानी चेनम्मा विश्वविद्यालय बेलगावी में एनएपी	07 अक्तूबर, 2022
21.	जगत गुरु नानक देव पंजाब राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब में गुरु नानक देव विश्वविद्यालयए अमृतसर में एनएपी	15 और 16 अक्तूबर, 2022
22.	नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, मेघालय में उत्तर–पूर्व के महाविद्यालयों के प्राचार्यों, आईक्यूएसी समन्वयकों और स्टॉफ सदस्यों के साथ हैंडहोल्डिंग बैठक	01 नवम्बर, 2022
23.	नए सूचीबद्ध डीवीवी भागीदारों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	02 और 03 नवम्बर, 2022
24.	पश्चिमी क्षेत्र के उच्चतर शिक्षा अधिकारियों के साथ अंतर्क्रियात्मक बैठक	04 नवम्बर, 2022
25.	''अनेक एजेंसियों द्वारा मान्यता/ प्रत्यायन और रैंकिंग की वर्तमान प्रणाली को तर्कसंगत बनाने'' के लिए हितधारकों की परामर्श बैठक।	07 नवम्बर, 2022
26.	पूर्वी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के उच्चतर शिक्षा अधिकारियों के साथ अंतर्क्रियात्मक बैठकें आयोजित की	10 नवम्बर, 2022
27.	''मध्यप्रदेश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के राज्य स्तरीय विश्लेषण'' पुस्तक के विमोचन के संबंध में मध्यप्रदेश के माननीय राज्यपाल के साथ बैठक	11 नवम्बर, 2022
28.	उच्चतर शिक्षा में वैश्विक पद्धतियों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति की बैठक में प्रस्तुति	12 नवम्बर, 2022 और 25 नवम्बर, 2022

29.	नई दिल्ली में ''भारत@100 : भावी राष्ट्र निर्माण" विषय पर सकारात्मकता में नेतृत्व पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन	18 नवम्बर, 2022
30.	एआईसीटीई के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर दामोदर आचार्य द्वारा ''तकनीकी शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020''	28 नवम्बर, 2022
31.	गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के साथ उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए भारत नेट ब्रॉडबैंड कनेक्षन के कार्यान्वयन पर बैठक	29 नवम्बर, 2022
32.	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधी नगर, गुजरात के आईक्यूएसी और स्टॉफ के सदस्यों के लिए हैंडहोल्डिंग कार्यक्रम	30 नवम्बर, 2022
33.	प्रोफेसर वीएस प्रसाद, पूर्व निदेशक, एनएएसी द्वारा ''उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासनः अनुभवों और अपेक्षाओं पर विचार''	12 दिसम्बर, 2022
34.	''विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लिंग से संबद्ध मामलों में उन्नति को उत्प्रेरित करना" विषय पर कार्यक्रम	27 दिसम्बर, 2022

(viii) नए घटनाक्रमः

क) हितधारकों की सुविधा के लिए एनएएसी की एक नई वेबसाइट जारी की गई थी जिसे केल्ट्रॉन द्वारा डिजाइन किया गया था और एनआईसी सर्वर पर होस्ट किया गया था। वेब–आधारित पोर्टल, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को नई पद्धति के अनुसार वेबसाइट पर उपलब्ध एचईआई पोर्टल लिंक के माध्यम से आईआईक्यूए और ऑनलाइन एसएसआर के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा प्रदान करता है।

ख) एमओई डैशबोर्ड

शिक्षा मंत्रालय के साथ कार्य की दैंनदिन प्रगति को अद्यतन करने और साझा करने के लिए, एक डैशबोर्ड डिजाइन किया गया था और शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा किया गया था। यह डैशबोर्ड, गतिषील डैशबोर्ड है और आईआईक्यूए, एसएसआर, डीवीवी, पीयर टीम विजिट और परिणाम जैसे विभिन्न क्रियाकलापों की समवर्ती कार्य की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। डैशबोर्ड, मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए एनएएसी के साथ 'एंड–टू–एंड' कार्य स्थिति को कवर करता है।

ग) डीवीवी को सुव्यवस्थित करना

डेटा वैधकरण और सत्यापन, आरएएफ केंद्र का मुख्य कार्य है और यह संस्थान की गुणवत्ता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण घटक है। डीवीवी की प्रक्रिया अच्छी तरह से सुव्यवस्थित और स्थिर है। मानक संचालन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जाता है और मैट्रिक्स के बोध और दस्तावेजों को साझा करने के बीच की खाई को पाटने के लिए वेबसाइट पर होस्ट किया जाता है। इसके माध्यम से, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि संस्थान के डेटा को सत्यापित करने वाले डीवीवी भागीदार और डेटा प्रदान करने वाली संस्थान, एनएएसी द्वारा उपलब्ध कराई गई मैट्रिक्स के साथ सहमत हों।

घ) अपीलों पर कार्यवाही करने के लिए तंत्र

अपीलों को संसाधित करने की कार्यविधि को अंतिम रूप दिया गया और कार्यान्वित किया गया। अपीलों को भी प्रारंभ से अंत तक आईसीटी सक्षम बनाया जा रहा है। किसी भी क्षुब्ध संस्थान को निर्धारित समय के भीतर अपील करने के लिए सक्षम बनाया गया है। अपील समिति, की जाने वाली कार्यवाही का सुझाव दे सकती है और इसे ऑनलाइन पद्धति से लागू किया जा सकता है। अपील के अंतिम परिणाम के बारे में भी संस्थान को जानकारी दी जाती है। 400 से अधिक अपीलों को ऑनलाइन पद्धति से संसाधित किया गया है।

ङ) एनएएसी 'वीडियो ट्यूटोरियल'

डिजिटल आरएएफ को प्राप्त करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों का मार्गदर्शन एक बड़ी चुनौती थी। दूर–दराज के क्षेत्रों में स्थित उच्चतर शिक्षा संस्थानों की डिजिटल साक्षरता, एनएएसी के लिए चिंता का विषय था। इसे दूर करने के लिए, मूल्यांकन और प्रत्यायन की प्रक्रिया में संस्थानों को चरण–दर–चरण मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 'वीडियो ट्यूटोरियल' तैयार किए गए थे और उसी में पोर्टलों की जानकारी भी प्रदान की गई थी। इन वीडियो को अकादमिक कर्मचारियों द्वारा संगठन के भीतर तैयार किया गया था। यह संस्थानों के लिए राहत की बात साबित हुई है और उन्हें पोर्टल की झलक देते हुए प्रारंभ से अंत तक उनका मार्गदर्शन करता है, और यहां सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। ये वीडियो विस्तृत हैं और संस्थान द्वारा डॉउनलोड और उपयोग किए जाने के लिए एनएएसी की वेबसाइट पर होस्ट किए गए हैं।

च) अवसंरचनात्मक विकास और अवसंरचना का आधुनिकीकरण

- 05 किलोवाट हीट पंप के साथ 500 लीटर दाबित सौर पानी के हीटर के साथ सौर गर्म पानी प्रणाली और 11.5 किलोवाट हीट पंप के साथ 1000 लीटर दाबित सौर पानी के हीटर का डिजाइन, आपूर्ति, संस्थापना और उसे प्रारंभ करना। एनएएसी परिसर में मौजूदा लाइट फिक्स्चर को एलईडी लाइटिंग और एलईडी स्ट्रिप लाइटिंग के साथ बदलना। परिसर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कार्यालय प्रवेश उद्यान क्षेत्र में एलईडी स्ट्रिप लाइटिंग का काम किया गया था।
- बेंगलुरु विश्वविद्यालय से नई आवंटित 5 एकड़ भूमि पर परिसर की दीवार का निर्माण।
- जैव–विविधता पार्क का निर्माणः जैव विविधता पार्क में, बारिष के पानी और जमीन से अपवाह पानी को संग्रहित करने के लिए तालाब का निर्माण किया गया। यह जैव विविधता पार्क का पहला भाग है। इसके अलावा, हम पार्क के चारों ओर एक पैदल पथ, 'चेन लिंक फेंसिंग', पथ प्रकाश और बैठने के स्थान की योजना बना रहे हैं।
- अतिरिक्त पांच एकड़ भूमि पर आईसीटी ब्लॉक का निर्माणः इस कार्य में एकल तल वाले भवन, पार्किंग क्षेत्र, नालियों सहित सतही सड़कों, वर्षा जल संचयन गड्ढों, विद्युतीकरण कार्यों आदि का निर्माण शामिल है। अब, एजेंसी ने छत के स्लैब को डाला है और 'सालिड ब्लॉक' चिनाई का काम प्रगति पर है।
- एनएएसी के लिए अतिरिक्त भवन प्रमाणन :
  दिनांक 19 अगस्त 2022 को एनएएसी के प्रशासनिक भवन को आईजीबीसी को प्लेटिनम रेटिंग मिली।

(ix) बजट घोषणा/मंत्रिमंडल के निर्णयों का कार्यान्वयन :

जैसा कि दिनांक 29 जुलाई, 2020 को भारत के माननीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी–2020) को अनुमोदित किया गया था, एनएएसी की सभी नियम पुस्तिकाओं में भारत में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए एनईपी तैयारी से संबंधित जानकारी शामिल की गई है।

इसके अतिरिक्त, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के अनुरोध पर नियमावलियों में निर्वाचक साक्षरता क्लब (ईएलसी) की तैयारी को भी शामिल किया गया है।

शीर्ष 36, 31 और 35 के तहत केंद्र को जारी किया गया कुल अनुदान = 1467.10 लाख रुपये

5.10 (ख) (iii) अंतर्विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र– नई दिल्ली

अंतर्विश्वविदयालय त्वरक केंद्र (आईयूएसी) का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए विश्वविद्यालयी प्रणाली के भीतर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी अनुसंधान के लिए संभावनाएं पैदा करने के लिए अग्रणी त्वरण आधारित अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना है। केंद्र की त्वरक प्रणालियों और प्रायोगिक सुविधाओं का उपयोग कई विश्वविद्यालयों द्वारा नाभिकीय भौतिकी, पदार्थ विज्ञान, परमाणु भौतिकी, विकिरण जीव विज्ञान, विकिरण भौतिकी और त्वरक मास स्पेक्ट्रोमेट्री के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए किया जाता है जिससे अधिक प्रभाव वाले लेख और पीएचडी शोध प्रबंध के प्रकाशन संभव हो।

- **नए घटनाक्रम**

आईयूएसी की एक भावी त्वरक सुविधा– कॉम्पेक्ट टीएचजेड–फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर सुविधा, में सघन टीएचजेड विकिरण तथा इलेक्ट्रॉन बीम सुविधा आरंभ करना और उसका परीक्षणः

- **आईयूएसी की एक भावी त्वरक सुविधा– कॉम्पेक्ट टीएचजेड–फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर सुविधा**

प्रमुख घटनाएंः कॉपर फोटोकैथोड से ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन बीम ̗ 1.3 एमवी (अनुमानित) प्रदर्शित किया गया था। यह पहली बार है जब आईयूएसी में फोटो–इलेक्ट्रॉन बीम का उत्पादन किया गया था।

नए विकासः

1. उच्च ऊर्जा वाले सर्क्युलेटर के साथ उच्च ऊर्जा वाली आरएफ प्रणाली की स्थापना पूरी हो गई थी।
2. 'अनडयुलेटर' चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र माप सफलतापूर्वक किया गया था।
3. 'अनडयुलेटर' को आरंभ किए जाने के बाद प्रथम मुड़ने वाले चुंबक के अंत तक बीमलाइन।

- **आईयूएसी में डाटा अधिग्रहण प्रणाली :**

1. आईयूएसी में सभी प्रमुख प्रायोगिक प्रणालियों (आईएनजीए, एनएएनडी, एचआईआरए, जीपीएससी, एचवाईआरए, एलईआईबीएफ और परमाणु भौतिकी) के डेटा अधिग्रहण प्रणालियों को सीएएमएसी से कॉम्पैक्ट उच्च घनत्व वीएमई आधारित डेटा अधिग्रहण प्रणाली में उन्नयन करना।

मुख्य विशेषताएं:

क) अनुकूलित सुविधाओं के साथ स्वदेशी रूप से विकसित वीएमई नियंत्रक 'रोज'।

ख) स्वदेशी रूप से विकसित वीएमई इवेंट आइडेंटिफायर मॉड्यूल 'वीजीईएम'।

2. आईयूएसी में भारतीय राष्ट्रीय गामा सरणी (आईएनजीए) में 'क्लोवर गामा डिटेक्टरों' का 'सिमुलेषन' अध्ययन। इस सुविधा में तीन प्रकाशन हैं।

- **राष्ट्रीय भूकालानुक्रमिक सुविधा :**

इस परियोजना का उद्देश्य आईयूएसी में एक व्यापक भूकालानुक्रमिक सुविधा विकसित करना है जो उच्चतम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक लक्षण वर्णन सहित भूकालानुक्रमिक उद्देश्यों के लिए गुणवत्तापरक आइसोटोपिक डेटा का मापन संभव करेगा। आईयूएसी में समर्पित भूकालानुक्रमिक सुविधा भारतीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के शोधकर्ताओं को पृथ्वी विज्ञान से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने में समर्थ बनाएगी।

1.7 : त्वरक आधारित आयन बीम विश्लेषण सुविधा पर एमवी (5एसडीएच– 2) पेलेट:

'रदरफोर्ड बैकस्कैटरिंग स्पेक्ट्रोमेट्री' (आरबीएस), 'चैनलिंग', 'आरबीएस' अनुनाद, 'इलास्टिक रिकॉइल डिटेक्षन एनालिसिस' (ईआरडीए) मापन हेतु त्वरक पर 1.7 एमवी पेलेट निरंतर संचालन में है। वर्ष 2022 में, दिसंबर, 2022 तक कुल 816 आईबीए मापन किए गए थे, 20 विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, और संस्थानों के 35 उपयोगकर्ता जुड़े थे। उपरोक्त सुविधा का उपयोग कर सम्मेलन की कार्यवाहियों सहित लगभग 15 प्रकाशन प्रकाशित हुए।

➤ **शैक्षिक क्रियाकलाप**

आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रम:

(i) पीएचडी शिक्षण कार्यक्रम

(ii) विज्ञान निष्णात अभिविन्यास कार्यक्रम

(iii) विज्ञान स्नातक (भौतिकी) छात्रों का 'समर' कार्यक्रम

(iv) राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यशाला

(v) परिचय कार्यक्रम, विद्यालय, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सम्मेलन

(vi) आईयूएसी का स्थापना दिवस

➤ **विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास किया गया**

परमाण्विक भौतिकी :

पिछले 03 दषकों में आईयूएसी में परमाणु भौतिकी अनुसंधान पर समीक्षा दिसंबर, 2022 में स्प्रिंगर नेचर द्वारा यूरोपीय भौतिक जर्नल ए (ईपीजेए) में प्रकाशित।

(i) जीडीए और आईएनजीए– जीडीए, आईएनजीए प्रायोगिक प्रणालियों का उपयोग करके दस प्रयोग किए गए थे।

आईयूएसी सुविधाओं का उपयोग करने वाले विद्वानों के पीएचडी शोध प्रबंध के पूरा होने के अलावा, इस वर्ष परमाणु संरचना प्रयोगों का उपयोग करके किए गए प्रयोगों से लगभग 10 अंतर्राष्ट्रीय जर्नल के साथ सम्प्रेषणों की जानकारी दी गई थी।

(ii) एचआईआरए और एचवाईआरए: तीन प्रयोग और एक सुविधा परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया;

नए प्रस्तावों, आंकड़ों के विश्लेषण, 8 प्रकाशनों, पीएचडी पूर्ण करने आदि के लिए शोध विद्वानों की सहायता की।

स्वदेशी रूप से विकसित कोड का उपयोग करके वीएमई– आधारित प्रणालियों में एचआईआरए और एचवाईआरए डेटा अधिग्रहण का उन्नयन।

युवा शोधार्थियों के लिए ''एचआईआरए/ एचवाईआरए उपयोग'' पर एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया।

''रिकॉइल सेपरेटर के साथ भौतिकी'' विषय पर दो दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें विदेश से आठ वक्ता थे।

(iii) एनएएनडी/ जीपीएससी, डिटेक्टर,

जीपीएससी में दो उपयोगकर्ता प्रयोग,

एनएएनडी प्रयोगों पर कार्यशाला आयोजित की गई,

त्वरक– आधारित भौतिकी प्रयोगों के लिए डिटेक्टरों और संबद्ध उपकरण पर 'स्कूल कम वर्कषाप' आयोजित की गई,

अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में तीन प्रकाशन,

'टाईम ऑफ फ्लाईट' मापन कार्य के लिए एमसीपी डिटेक्टर प्रणाली का अभिकल्पन कार्य पूर्ण हुआ।

- **भौतिक विज्ञान समूह :** भौतिक विज्ञान समूह, विभिन्न विश्वविद्यालयों से बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करना जारी रख रहा है;:

  अंतरराष्ट्रीय सहकर्मी–समीक्षा पत्रिकाओं में लगभग 100 प्रकाशन;
  154 पालियों में 46 उपयोगकर्ता प्रयोग किए गए;
  इसरो के लिए 23 पालियों में जीपीएससी बीम लाइन में 'लो फ्लूएंस रेडियेषन' की अपेक्षा वाले तीन प्रयोग किए गए;
  आईजीसीएआर कलपक्कम के लिए 'वन रन';
  उपयोगकर्ताओं के लिए ़ 1300 नमूने का ऑफलाइन लक्षण वर्णन;

  कार्यशाला/ सम्मेलनः–
  'इन–सिलिकॉन क्वांटम मॉडलिंग स्टडीज' पर उच्च स्तरीय कार्यशाला (आईएसक्यूएमएस 2022)
  भौतिक विज्ञान में 'आयन–बीम' पर 'स्कूल';
  आईयूएसी में सातवां अंतर्राष्ट्रीय आईबीएमईसी– 2022 सम्मेलन।
- **परमाणु और आणविक भौतिकीः** 'न्यूट्रल बीम' सुविधा की संस्थापना संबंधी कार्य पूर्ण हुआ।
- **सुपरकंडक्टिंग लीनियर एक्सेलेरेटर (एलआईएनएसी) और सुपरकंडक्टिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी (एसआरएफ) संबंधी कार्यः** इन तकनीकों को 'एलआईएनएसी क्रायोमॉड्यूल' संख्या 03 में कुछ क्यूडब्ल्यूआर पर सफलतापूर्वक लागू किया गया था। क्रायोमॉड्यूल से अनुमानित निष्पादन सुधार लगभग 25 प्रतिशत होने की आशा है। अतिरिक्त क्यूडब्ल्यूआर निर्माण कार्य बहुत बेहतर तरीके से प्रगति कर रहा है और सभी 'बेयर नाइओबियम क्यूडब्ल्यूआर' पूर्ण हो गए हैं।
- **उच्च करंट इंजेक्टरः–** आईयूएसी में उच्च करंट इंजेक्टर (एचसीआई) परियोजना को मौजूदा सुपरकंडक्टिंग 'एलआईएनएसी' के वैकल्पिक 'इंजेक्टर' के रूप में योजनाबद्ध किया गया था जो वर्तमान में 15 एमवी पेलेट्रॉन के बूस्टर के रूप में कार्य करता है। 'सुपर कंडक्टिंग लीनियर एक्सेलेरेटर' की अंतिम 'आरएफ कैविटी' से 'इंजेक्षन प्वाइंट' तक बीमलाइन की संस्थापना का कार्य प्रगति पर है।

15 यूडी पेलेट्रॉन एक्सेलेरेटरः उपयोगकर्ताओं को 'बीमटाइम' की 300 पालियां दी गईं।

25 विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थानों के तीस (30) प्रयोग करने वाले समूहों ने इस सुविधा का उपयोग किया है।

'नेगेटिव आयन बीम' सुविधा (एनआईबीएफ) : 15 उपयोगकर्ता प्रयोग किए गए, नई 'बीम' विकसित की गई।

अंतरराष्ट्रीय सहकर्मी–समीक्षा पत्रिकाओं में बारह प्रकाशन।

शीर्ष 36, 31 और 35 के तहत केंद्र को जारी कुल अनुदान = 7808.80 लाख रुपये

5.10 (ख) (iv) इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजीक्स (आईयूसीएए), पुणे

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (गगग) के अन्तर्गत पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिजीक्स (आईयूसीएए) की स्थापना वर्ष 1988 में उत्कृष्टता के स्वायत्त केन्द्र के रूप में की थी।

आईयूसीएए की स्थापना के उद्देश्य :–

- खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी (ए.एंड.ए) के क्षेत्र में अपनी तरह के गहन शोध करना और भारतीय विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता के केन्द्र स्थापित करना।
- भारतीय विश्वविद्यालयों में सक्रिय समूहों के संकेन्द्रण को बढ़ावा देना और विकास करना।
- भारत और पड़ोसी देशों में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी (ए.एंड.ए) कार्यों में क्षेत्र स्टेशन और संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना और सामान्य मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना ।

उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आईयूसीएए ने अनके कार्यक्रम तैयार किए हैं, उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

(क) ए.एंड.ए. में मूलभूत शोध।

(ख) स्नातकोत्तर छात्रों के लिए ए.एंड.ए. का शिक्षण।

(ग) नई पहलः आईयूसीएए –सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय (एसपीपीयू) संयुक्त विज्ञान निष्णात भौतिकी के साथ खगोल भौतिकी कार्यक्रम– इसे समकालीन खगोल भौतिकी के क्षेत्र में अध्ययन कार्य आरंभ करने के लिए छात्रों को तैयार करने हेतु खगोल भौतिकी में एक सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम होने की परिकल्पना की गई है।

(घ) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रों के लिए 'वेकेशन स्टूडेंटस् प्रोग्राम' और ग्रीष्मकालीन विद्यालय।

(ङ) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

(च) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकों के लिए एसोशिएटशिप कार्यक्रम।

(छ) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के लिए विजिटर कार्यक्रम।

(ज) विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में 'आईयूसीएए सेंटर फॉर एस्ट्रोनामी रिसर्च एंड डेवलपमेंट' (आईसीएआरडी)।

(झ) आईयूसीएए में और इसके बाहर विद्यालयों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करना।

(ञ) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संकायों तथा छात्रों के लिए आईयूसीएए गिरवाली प्रयोगशाला का प्रचालन करना।

(ट) भागीदारी के माध्यम से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और छात्रों के लिए दक्षिण अफ्रीका लार्ज टेलीस्कोप (एसएएलटी) तक पहुंच।

(ठ) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, विद्यालय छात्रों और आम जनता के लिए व्यापक जन पहुंच कार्यक्रम।

(ड) ए.एंड.ए. में राष्ट्रीय वृहद परियोजनाओं में अग्रणी भूमिका निभाना :

   (i) विज्ञान और 'लेजर इंटरफरोमेट्रिक ग्रेवीटशनल–वेव आबजर्वेटरी' (एलआईजीओ) में कम्प्यूटिंग– भारत।

   (ii) तीस मीटर टेलीस्कोप।

   (iii) 'स्क्वेयर किलोमीटर अरे– इंडिया'।

(ढ़) इसरों के वैज्ञानिक कार्यकलापों में अग्रणी भूमिका और विश्वविद्यालय प्रयोक्ता इंटरफेस :

   (i) एस्ट्रोसैट– 2015 में प्रक्षेपित बहुद्देशीय खगोलीय उपग्रह।

   (ii) आदित्य–एल1–सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में वेधशाला में प्रक्षेपित किया जाएगा।

(ण) प्रचालन डाटा केन्द्रः आईयूसीएए शैक्षिक और विश्वविद्यालय एसोशियेट्स के उपयोग के लिए उच्च निष्पादन वाले कम्प्यूटिंग सुविधाएं।

(त) शिक्षा हेतु खगोल केन्द्रः शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के तहत (शिक्षक एवं शिक्षण योजना पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटीएस) के तहत)

(थ) 'प्रीसिशन एंड क्वेंटम मेज़रमेंट लेबोरेटरी'।

(द) 'पुणे नालेज क्लस्टर'।

(ध) रूबिन एलएससटी (वीरा सी. रूबिन प्रयोगशाला– अंतरिक्ष और समय का पुरातन काल का सर्वेक्षण।

आईयूसीएए शिक्षक तथा अभ्यागत एसोशिएट तथा उनके द्वारा किए गए प्रकाशन :

वर्ष	आईयूसीएए शिक्षकों की संख्या	आईयूसीएए शिक्षकों द्वारा किए गए प्रकाशन	अभ्यागत एसोशिएटों की संख्या	अभ्यागत एसोशिएटों द्वारा किए गए प्रकाशनों की संख्या
2022	116	210	217	410

- आयोजित किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/ कार्यशालाओं और अन्य बैठकों की संख्याः

  आईयूसीएए में कार्यशालाएंः 7 (हाइब्रिड पद्धति से)

  आईयूसीएए के बाहर कार्यशालाएंः 15 (हाइब्रिड पद्धति से)

शीर्ष 36, 31 और 35 मद के तहत केंद्र को जारी कुल अनुदान = 6405.27 लाख रुपये

5.10 (ख) (v) सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क (इनफ्लिबनेट) केन्द्र, गांधी नगर

सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क (इंफ्लिबनेट), की स्थापना दिनांक 27 फरवरी, 1991 को आईयूसीएए की परियोजना के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) के एक स्वतंत्र, स्वायत्त अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी) के रूप में हुई जो कि गुजरात के इन्फोसिटी में स्थित हैं। वर्ष 1991 में इसकी स्थापना से लेकर दिनाक 16 मई, 1996 तक, जब इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्णरूपेण अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र का दर्जा प्राप्त किया, तब तक यह आईयूसीएए, पुणे की एक परियोजना थी। इस केन्द्र के मुख्य क्रियाकलापों में अकादमिक ग्रंथालय एवं सूचना केन्द्रों का आधुनिकीकरण, करना शामिल है जिससे जानकारी के अंतरण तथा पहुंच, छात्रवृत्तियों, ज्ञान अर्जन, तथा शैक्षिक क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जा सके। यह केन्द्र, देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान और विकास संस्थानों में स्थित विभिन्न पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों के साथ, नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से एक नोडल ऐजन्सी के रूप में कार्य करता है।

परिषद (जीसी) केंद्र का एक शीर्ष निकाय है जिसकी अध्यक्षता इसके अध्यक्ष अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पदेन अध्यक्ष करते हैं। शासी बोर्ड (जीबी) केंद्र के नियमों और उपनियमों के अनुसार इंफ्लिबनेट के मामलों का प्रबंधन, प्रशासन, निर्देशन नियंत्रित करता है। वित्त समिति निम्नवत विषय पर शासी बोर्ड को सिफारिशें करती है (i) केंद्र के बजट प्रस्तावों पर; (ii) लेखापरीक्षित लेखाओं की संवीक्षा और वार्षिक लेखापरीक्षित रिपोर्ट पर उत्तर; (iii) स्वीकृत और अतिरिक्त पदों का अनुमोदन; और (iv) कोई अन्य मामला जिस पर बोर्ड इसकी सिफारिशें आमंत्रित करता है। अपने परिभाषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, केंद्र प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों को नियुक्त करता है, वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मी, ज्यादातर पुस्तकालय और सूचना विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में योग्यता रखते हैं। दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक, एक निदेशक की अध्यक्षता वाले केंद्र में 30 वैज्ञानिक और तकनीकी, और 16 प्रशासनिक और सहायक कर्मचारी काम कर रहे हैं। केंद्र में उपलब्ध सभी वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति को केंद्र की कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न कार्य समूहों में बांटा गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान केंद्र में इन कार्यात्मक समूहों द्वारा की गई प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी क्रियाकलाप/ पहलों को संक्षेप में नीचे दिया गया हैः

- **प्रमुख पहल**

  समकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी एक प्रेरक बल है। केन्द्र ने अपने मिशन और उद्देश्यों के आधार पर संपूर्ण देश में शैक्षिक समुदाय के लाभ हेतु अनेक पहल की हैं। केंद्र द्वारा की गई सभी प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी पहलों को मोटे–तौर पर निम्नानुसार अनेक श्रेणियों में समूहबद्ध किया जा सकता है :

- **विश्वविद्यालय ग्रंथालयों का स्वचालन**

  यह केन्द्र विश्वविद्यालयों को विभिन्न तरीकों से ग्रंथालयों के स्वचालन में सक्रिय रूप से मदद करता है। इन्फ्लिबनेट केन्द्र ने ग्रंथालय स्वचालन के संबंध में 166 विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो विश्वविद्यालयों को उनके ग्रंथालय में उपलब्ध ग्रंथालय की सूची के अभिलेखों का इनफ्लिबनेट केन्द्र के यूनियन कैटलॉग इन्डकैट में योगदान करने में सक्षम बनाता है।

- **इन्डकैटः भारतीय विश्वविद्यालय का यूनियन कैटलॉगः**

  इन्डकैट में भारतीय विश्वविद्यालयों के ग्रंथालयों में उपलब्ध पुस्तकों, सीरियलों तथा पीएचडी शोध प्रबंधों का यूनियन कैटलॉग शामिल है। इसमें 223 विश्वविद्यालयों के ग्रंथालयों से 2,06,68,310 पुस्तकों, 238 विश्वविद्यालय हेतु 36,912 विशिष्ट जर्नल के संबंध में धारिता जानकारी तथा 238 विश्वविद्यालयों से 4,43,869 ग्रंथालय सूची के रूप में 455 विश्वविद्यालयों के शोध प्रबंधों के रिकार्ड अंतर्विश्ट हैं। ओसीएसः ऑनलाइन कॉपी–कैटलॉग सिस्टम में 47 विश्वविद्यालयों के 31559 रिकॉर्ड शामिल हैं।

(i) **गुजकैट (ऑनलाइन यूनियन कैटेलॉग ऑफ गुजरात कॉलेज) :** सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र द्वारा विकसित गुजकैट (ऑनलाइन यूनियन कैटेलॉग ऑफ गुजरात कॉलेज) को दिनांक 22 सितंबर, 2021 को गुजरात सरकार के उच्चतर शिक्षा निदेशक, श्री नागराजन द्वारा ऑनलाइन रूप से आरंभ किया गया। इसमें गुजरात के 39 महाविद्यालय के पुस्तकालयों के 7,10,556 रिकॉर्ड शामिल हैं।

- **सॉफ्टवेयर विकास : एसओयूएल 2.0 और 3.0 (एकीकृत पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर)**

  सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, केन्द्र में ही तैयार किए गए एसओयूएल (विश्वविद्यालयी पुस्तकालयों के लिए सॉफ्टवेयर) सॉफ्टवेयर के माध्यम से पुस्तकालयों के स्वचालन की दिशा में योगदान देता है। एसओयूएल को देश भर में कुल 4995 स्थानों पर संस्थापित किया गया है। वर्ष 2021 में, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र ने एसओयूएल का नया संस्करण विकसित किया गया, जो कि एसओयूएल 3.0 है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के माननीय अध्यक्ष,

प्रोफेसर डी. पी. सिंह, और सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र के शासी निकाय के माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2021 को ऑनलाइन पद्धति से आरंभ किया गया था। रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान, देश में संस्थानों के लिए 843 एसओयूएल सस्थापना की गईं।

- **मुक्त पहुंच, मुक्त डेटा पहल, और साहित्यिक चोरी का पता लगाने का सॉफ्टवेयर (पीडीएस)**

  i. **शोधगंगा (भारतीय शोध प्रबंध और शोध निबंध का एक भंडार) :** केन्द्र ने एक पूर्ण–पाठ शोध प्रबंध के भंडार का विकास और अनुरक्षण किया है जिसे भारतीय शोध प्रबंध का भंडार– शोधगंगा के नाम से जाना जाता है। इस पर वर्तमान में, 4.10 लाख पूर्ण–पाठ के शोध प्रबंध होस्ट किए गए हैं जिनका 627 संस्थानों द्वारा योगदान दिया गया है और 31 दिसम्बर, 2022 तक 758 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ष 2022 के दौरान, 115 (71 विश्वविद्यालय, 44 आईएनआई/सीएफटीआई) ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और 77,358 शोध प्रबंध, शोधगंगा में अपलोड किए गए।

  ii. **शोधगंगोत्री (चल रही भारतीय शोध का एक भंडार) :** शोधगंगोत्री, किए जा रहे अनुसंधान कार्य का एक भंडार है जिसमें 115 संस्थानों द्वारा प्रदत्त कुल 9,774 सार संग्रह/वृहद– लघु शोध परियोजनाएं (एमआरपी)/ 'पोस्ट डाक्टोरल फेलोषिप' (पीडीएफ)/ 'एमिरेटस फेलोशिप' होस्ट किए गए हैं।

  iii. **शोधशुद्धि– साहित्यिक चोरी का पता लगाने का सॉफ्टवेयर (पीडीएस):** भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, केन्द्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई), राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्विश्वविद्यालयों (आईयूसी) सहित सभी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को साहित्यिक चोरी का पता लगाने का सॉफ्टवेयर (पीडीएस) उपलब्ध कराने के लिए पहल की गई। इनफिल्बनेट केन्द्र, शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में इस परियोजना/ पहल को निष्पादित करने के लिए एक नोडल एजेन्सी है। कुल 1086 विश्वविद्यालयों को साहित्यिक चोरी रोधी सॉफ्टवेयर– 'ओरिजिनल (पूर्व में उर्कुंड)' तक पहुंच प्रदान की गई थी। वर्ष 2019 से एमओई योजना– शोधशुद्धि के तहत 13,63,56 उपयोगकर्ता सृजित किए गए, साहित्यिक चोरी की जांच के लिए कुल 27,59,934 दस्तावेजों को स्कैन किया गया और वर्ष 2022 के दौरान 14,547 उपयोगकर्ता जोड़े गए और 9,54,829 दस्तावेजों को स्कैन किया गया।

  iv. **आईसीएसएसआर डेटा सेवा–** भारतीय समाजिक विज्ञान डेटा रिपोजिटरीः यह परियोजना, भारतीय समाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा वर्ष 2015 में सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र को सौंपी गई थी, जो एनएडीए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अनुकूलित मंच पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के 147 डेटासेट होस्ट करती है। यह अनुसंधान समुदाय में काफी लोकप्रिय रहा है और इसमें 53 लाख से अधिक संसाधन डॉउनलोड हैं और कुल 5,593 पंजीकरण हैं। इसके अलावा, केंद्र ने "आर" भाषा का उपयोग करके "आईसीएसएसआर डेटा एनालिटिक टूल" नामक एक डेटा विश्लेषणात्मक साधन विकसित किया है जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन डेटासेट में उपलब्ध यूनिट–स्तरीय डेटा का पता लगाने और अभिकल्पित करने की सुविधा प्रदान करता है।

  v. **आईआर@इंफ्लिबनेटः** केंद्र ने डीस्पेस नामक ओपनसोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आईआर/इंफ्लिबनेट नामक एक संस्थागत रिपॉजिटरी स्थापित की है, जो कि *http://ir.inflibnet.ac.in/* पर उपलब्ध है। 'कैलिबर' और 'प्लानर' की कार्यवाहियों में प्रकाशित पत्रों को रिपॉजिटरी में अपलोड किया जाता है। रिपॉजिटरी में पाठ्यक्रम सामग्री, समाचार पत्र की कतरन आदि भी शामिल हैं। रिपॉजिटरी में 1,904 पूर्ण पाठ लेख हैं।

  vi. **एक सेवा के रूप में आईआरः** इनफ्लिबनेट केंद्र, संस्थागत रिपॉजिटरी के सृजन और रखरखाव की प्रक्रिया में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सहायता कर रहा है। केंद्र, डीस्पेस, लिनक्स, पर्ल, जावा, अपाचे टॉमकैट, पोस्ट ग्रेएसक्यूएल, माईएसक्यूएल आदि जैसे 'ओपन–सोर्स सॉफ्टवेयर' में स्व–विकसित विशेषज्ञता का उपयोग कर रहा है। इस पहल के तहत, केंद्र ने विभिन्न संस्थानों के लिए संस्थागत रिपॉजिटरी संस्थापित, कॉन्फिगर, आवश्यकता के अनुसार तैयार और होस्ट की है।

  vii. **इंफोपोर्टः (भारतीय विद्ववतापूर्ण इंटरनेट संसाधनों के लिए एक 'सब्जेक्ट गेटवे') :** इंफोपोर्ट को पोर्टल में इंटरनेट संसाधन के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने और उपयोगकर्ताओं को इस तक पहुंच बनाने हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। 'इन्फोपोर्ट' डेवी डेसीमल क्लासिफिकेशन (डीडीसी) योजना के माध्यम से इंटरनेट संसाधनों की ब्राउजिंग को समर्थन प्रदान करता है। उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया के आधार पर 'सब्जेक्ट गेटवे' की कई विशेषताओं और कार्यक्षमताओं को बढ़ाया गया और पोर्टल में अतिरिक्त इंटरनेट संसाधन जोड़े गए। इंटरफेस पर 1,742 ई–संसाधनों उपलब्ध हैं।

viii. **नेशनल रिसर्च डेटा रिपॉजिटरी (एनआरडीआर) :** नेशनल रिसर्च डेटा रिपॉजिटरी (एनआरडीआर) की संपूर्ण देश से अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा तैयार किए गए अनुसंधान डेटासेट से एक अनुसंधान डेटा रिपॉजिटरी बनाने की परिकल्पना की गई है। संकाय और अनुसंधानकर्ताओं द्वारा सृजित अनुसंधान डेटा को एनआरडीआर में जमा करने पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (बिंदु संख्या 24.4 (ग)) ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित करती है और डिजिटल रिपॉजिटरी को तैयार किए जाने पर बल देती है। केंद्र ने एनआरडीआर का एक प्रायोगिक 'इंस्टान्स' विकसित किया है और आधिकारिक तौर पर आरंभ किए जाते ही इसे अकादमिक समुदाय को उपलब्ध कराया जाएगा।

ix. **शोध– चक्रः** शोध–चक्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) के मार्गदर्शन में सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (इनफ्लिबनेट) केंद्र की एक पहल है ताकि अकादमिक समुदाय को उनके शोध जीवन चक्र के दौरान मदद मिल सके। शोध–चक्र शोधकर्ता, गाईड/ पर्यवेक्षक और विश्वविद्यालय को एक शोधार्थी के अनुसंधान जीवनचक्र का प्रबंधन करने के लिए एक अद्वितीय स्थान प्रदान करता है। यह एक डिजिटल कार्यक्षेत्र के रूप में काम करेगा जिसमें शोधकर्ता अपने शोध कार्य को एकत्रित, संग्रहीत, व्यवस्थित और उद्धृत कर सकते हैं। शोध–चक्र शोधकर्ताओं को अपनी प्रोफाइल बनाने और अपनी प्राथमिकताओं का प्रबंधन करने में मदद करेगा। पोर्टल का उपयोग करने की प्रक्रिया, विश्वविद्यालय और इनफ्लिबनेट केंद्र के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ शुरू होती है। विश्वविद्यालय/संस्थान को शोधकर्ता और पर्यवेक्षक की वैध जानकारी प्रदान करनी होगी। इसके अलावा, शोधकर्ता, सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं और शोध–चक्र की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह प्रणाली शोधकर्ताओं, पर्यवेक्षकों और विश्वविद्यालयों के लिए 'लॉगिन क्रेडेंशियल' का सृजन करेगी। इस अवधि के दौरान, कुल 73 विश्वविद्यालयों ने शोध चक्र का उपयोग करने के लिए इनफ्लिबनेट केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और विभिन्न विश्वविद्यालयों में 06 सामान्य और 07 विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और कुल 180 और 190 प्रतिभागियों ने क्रमषः प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

- **पुस्तकालय कंसोर्टियम और इसके उप– उत्पाद**

(i) **ई–शोधसिंधुः** ई–शोधसिंधु, जिसे वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था, 390 से अधिक संस्थानों को 10,000 से अधिक ई–जर्नल और 1,99,500 से अधिक ई–पुस्तकों तथा 6 लाख से अधिक ई–पुस्तकों (एनडीएलआई के माध्यम से) का पहुंच प्रदान करता है, जिसमें विश्वविद्यालय, केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थान शामिल हैं। एनएलआईएसटी ई–शोधसिंधु का एक महाविद्यालय घटक है, जो 3,800 से अधिक महाविद्यालयों में फैले 6.7 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को 6,500 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक जर्नलों और 1,99,500 से अधिक ई–पुस्तकों का पहुंच प्रदान करता है।

(ii) **इंफीस्टैटः** इंफीस्टैट्स, जो वर्ष 2015 में आरंभ किए गए ई–शोधसिंधु का एक उप–उत्पाद है, ई–शोधसिंधु के अंतर्गत सदस्य संस्थानों को उपलब्ध कराए गए ई–संसाधनों के उपयोग संबंधी आंकड़ों की निगरानी और मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है।

(iii) **'इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेषन' (इंफेड):** सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र द्वारा वर्ष 2017 में पूर्ण रूप से आरंभ किया गया आईएनएफईडी ई–शोधसिंधु के अंतर्गत शामिल किए गए संस्थानों में उपयोगकर्ताओं को ई–संसाधनों तक ऑफ–कैंपस पहुंच प्रदान करता है। वर्तमान में, 222 से अधिक संस्थानों ने आईएएफईडी में शामिल होने के लिए सदस्यता पर हस्ताक्षर किए हैं, और 166 से अधिक संस्थान सक्रिय रूप से सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, कुल 43 प्रकाषक आईएनएफईडी में शामिल हुए हैं।

(iv) **जे–गेट प्लसः** जे–गेटप्लस/ई–शोधसिंधु जर्नल साहित्य का एक वर्चुअल पुस्तकालय है, जिसे ई–शोधसिंधु के सदस्य संस्थानों के लिए एक अनुकूलित ई–जर्नल लेख अभिगम गेट– वे और डेटाबेस समाधान के रूप में तैयार किया गया है। यह कंसोर्टियम के अंतर्गत सदस्यताप्राप्त ई–जर्नलों के साथ–साथ सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र के विनिर्दिष्ट आईएलएल केंद्रों के रूप में नामित 25 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों द्वारा सदस्यता प्राप्त ई–पत्रिकाओं तक लेख– स्तर की पहुंच प्रदान करता है।

- **ई– ज्ञान अर्जन, विषयवस्तु का विकास और एमओओसी**

(i) **ई–पीजी पाठशाला :** वर्ष 2012 में आरंभ होकर इनफ्लिबनेट सेंटर ने विअआ द्वारा निष्पादित आईसीटी (एनएमई–आईसीटी) के माध्यम से अपने राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत एक एमओई पहल ई–पीजी पाठशाला को सफलतापूर्वक पूरा किया है। वर्तमान में, केन्द्र पोर्टल का रखरखाव कर रहा है। इसके अलावा, केन्द्र ई– पुस्तकों को ई– पीजी पाठशाला विषयवस्तु से प्राप्त कर रहा है जिसमें 700 से अधिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित 23000 से अधिक माड्यूल हैं।

(ii) विद्या–मित्र : विद्या–मित्र परियोजना को इनफ्लिबनेट केन्द्र को मई, 2014 में सौंपी गई थी। यह एनएमई–आईसीटी, शिक्षा मंत्रालय के तहत विकसित सभी ई–विषयवस्तु पोर्टल का एक समेकित ई–विषयवस्तु पोर्टल है। विद्या–मित्र, 66,000 से अधिक वीडियो (स्व– ज्ञान अर्जन/ ई– अनुशिक्षण) तथा 44,000 से अधिक ई– विषयवस्तु को होस्ट करता है। जबकि, यह परियोजना पूर्ण हो चुकी है, इनफ्लिबनेट केन्द्र अनुरोध के आधार पर देशभर के भारतीय संस्थानों के संकाय सदस्यों/ शिक्षाविदों द्वारा विकसित ई–विषयवस्तु के लिए निशुल्क होस्टिंग सेवा प्रदान कर रहा है।

(iii) स्वयंः वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु) : इनफ्लिबनेट केंद्र दिनांक 09 जुलाई, 2017 को आरंभ किए गए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एमओओसी के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी है। केंद्र, विअआ के मार्गदर्शन से इस परियोजना का निष्पादन कर रहा है। इनफ्लिबनेट की प्रमुख भूमिका सभी पाठ्यक्रम समन्वयकों के लिए निधियों का संवितरण करना (वर्ष 2021 के सत्र से पूर्व), पाठ्यक्रम प्रस्तावों के लिए एक 'वेब इंटरफेस' का विकास करना है और यह विअआ– एमओओसी के लिए एक समर्पित पोर्टल है। पोर्टल, 'स्वयं' समन्वयकों, मेंटरों, स्नातकोत्तर–पाठ्यक्रमों के अद्यतन, कार्यशाला विवरण आदि की जानकारी के लिए एक डैशबोर्ड प्रदान करता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, विअआ– एमओओसी पोर्टल पर विषयवस्तु सृजन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति को जोड़ा गया था।

(vi) स्वयं–प्रभा : एनएमईआईसीटी के अंतर्गत एक शिक्षा मंत्रालय की परियोजना, 'स्वयं–प्रभा' की परिकल्पना 24x7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित 34 डीटीएच चैनलों के समूह के रूप में की गई है। इनफ्लिबनेट केंद्र ने सभी चैनलों के लिए वीडियो संग्रह सहित स्वयं प्रभा पोर्टल और इसकी होस्टिंग के विकास और रखरखाव का कार्य जारी रखा है। विद्यालयी शिक्षा के लिए 12 चैनल निर्धारित किए गए हैं तथा शेष चैनल उच्चतर शिक्षा (एचई) को समर्पित हैं। उक्त रिपोर्टाधीन अवधि में कुल सब्सक्राइबरों की संख्या 87,630 तथा (एचई चैनलों के लिए) 9,511,642 व्यू प्राप्त हुए।

(v) इनफ्लिबनेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (आईएलएमएस) : इनफ्लिबनेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (आईएलएमएस) देशभर में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा है। यह सेवा सभी केंद्रीय, राज्य और सम विश्वविद्यालयों को दी जा रही है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं पाठ्यक्रम तैयार करना, नामांकन, 'एसाइनमेंट' (गृह कार्य) और मूल्यांकन, चर्चा हेतु प्लेटफार्म आदि हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इनफ्लिबनेट केन्द्र ने देश के 28 संस्थानों के लिए निशुल्क आईएलएमएस सेवा आरंभ की। इसके अलावा, रिपोजिटरी में 1000 से अधिक पाठ्यक्रमों को जोड़ा गया।

- **एनबीए और एनएएसी के लिए संस्थानों की रैंकिंग और प्रत्यायन कार्य**

(i) इंडिया रैंकिंग 2022 (एनआईआरएफ): इनफ्लिबनेट केंद्र, एनबीए के मार्गदर्शन में अपनी स्थापना के बाद से एनआईआरएफ की वार्षिक क्रियाकलाप को निष्पादित कर रहा है। केंद्र ने एनआईआरएफ के अनेक मॉड्यूल विकसित किए हैं जैसे 'डेटा कैप्चरिंग सिस्टम', 'प्रतिक्रिया प्रणाली' और 'रैंकिंग मॉड्यूल' के साथ साथ अनुसंधान डेटा समावेशन आदि। केंद्र, एनआईआरएफ वेब पोर्टल के विकास के लिए उत्तरदायी था, जिसमें डेटा कैप्चरिंग सिस्टम, 'परसेप्षन कैप्चरिंग सिस्टम', प्रतिक्रिया प्रणाली और रैंकिंग प्लेटफॉर्म शामिल थे। केंद्र ने प्रकाशनों, उद्धरणों, पेटेंटों और अत्यधिक उद्धृत पत्रों पर डेटा भी उपलब्ध कराया और सत्यापित किया। 'नेशनल इंस्टीट्यूषनल रैंकिंग फ्रेमवर्क' (एनआईआरएफ) के तहत वर्ष 2016 में 'इंडिया रैंकिंग' का पहला संस्करण शुरू किया गया था। केंद्र ने एनआईआरएफ परियोजना को जारी रखा है और रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, ''राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क'' (एनआईआरएफ) के तहत 'इंडिया रैंकिंग 2020'के अपने 7वें अभ्यास को निष्पादित किया। माननीय शिक्षा मंत्री, श्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा 15 जुलाई, 2012 को 'इंडिया रैंकिंग 2022' जारी किया गया।

(ii) ई–एनबीएः प्रत्यायन कार्य प्रवाह प्रबंधन प्रणाली (एडब्ल्यूएमएस): प्रत्यायन कार्यप्रवाह प्रबंधन प्रणाली' (एडब्ल्यूएमएस) नामक यह परियोजना तकनीकी संस्थान के कार्यक्रम के प्रत्यायन से संबंधित है। यह केंद्र वर्ष 2018 से राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रदान की गई जरूरतों के आधार पर तकनीकी संस्थानों के लिए प्रत्यायन कार्यप्रवाह प्रबंधन प्रणाली का एक पूर्ण ऑनलाइन मंच विकसित करने के कार्य में जुटा हुआ है।

(iii) अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन्स् ऑन इनोवेशन एचीवमेंट (एआरआईआईए): एआरआईआईए, शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है ताकि देश में सभी बड़े उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को छात्र और संकाय के मध्य ''नवोन्मेष और उद्यमिता विकास'' से संबंधित सूचकों पर प्रणालीगत रूप से रैंक किया जा सके। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, इनफ्लिबनेट ने माननीय उप शिक्षा राज्य मंत्री, डॉ. सुभाष सरकार द्वारा 29 दिसम्बर, 2021 को शुभारंभ किए गए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन्स् ऑन इनोवेशन एचीवमेंट (एआरआईआईए) फ्रेमवर्क के तीसरे चरण के अभ्यास को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। यह केन्द्र एआरआईआईए परियोजना का तकनीकी भागीदार है तथा उसने इसके लिए एआईसीटीई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(iv) **एनएएसी:** एनएएसी ने प्रत्यायित किए जाने वाले संस्थानों के लिए प्रकाशन, साईटेषन, एच–इंडेक्स तथा अन्य संबंधित पुस्तकों के आंकड़ों को उपलब्ध कराने का कार्य नवम्बर, 2017 में सौंपा है।

- **विद्वान तथा भारतीय शोध सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईआरआईएनएस)**

(i) **विद्वान:** एनएमई–आईसीटी.विद्वान द्वारा मई, 2014 में परियोजना कार्य इन्फ्लिबनेट को सौंपा गया था, विद्वान में 14,997 से अधिक शिक्षण संस्थानों में कार्यरत 1,55,828 संकाय सदस्यों तथा भारतीय वैज्ञानिकों के विस्तृत प्रोफाइल मौजूद है। 'विद्वान' परियोजना ने विभिन्न स्रोतों से 21.14 लाख प्रकाशन 'मेटाडाटा' प्राप्त किए हैं और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 46,598 प्रोफाइल सृजित किए गए थे/ विद्वान में जोड़े गए थे।

(ii) **भारतीय शोध सूचना नेटवर्क प्रणाली (आईआरआईएनएस):** वर्ष 2018 में एनएमईआईसीटी के द्वितीय चरण के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा परियोजना को इनफ्लिबनेट को सौंपा गया। आईआरआईएनएस एक वेब आधारित शोध सूचना प्रबंधन (आरआईएम) सेवा है जिसे भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उपलब्ध कराया जाता है। आईआरआईएनएस शैक्षणिक, अनुसंधान और विकास संगठनों तथा संकाय सदस्यों, वैज्ञानकों को विद्वतापूर्ण सम्प्रेषण क्रियाकलापों को एकत्रित करने, प्रबंधन करने तथा प्रदर्शन करने की सुविधा प्रदान करता है तथा विद्वतापूर्ण नेटवर्क सृजित करने का अवसर प्रदान करता है। इस परियोजना के माध्यम से इनफ्लिबनेट ने 661 'आईआरआईएनएस इन्सटेंसें' का सृजन किया है तथा 105,405 संकाय सदस्यों को जोड़ा है। इस परियोजना ने विभिन्न स्रोतों से 13.45 लाख प्रकाशन मेटाडाटा को पुनः प्राप्त किया है और रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 179 लाख 'साईटेशन' प्राप्त की हैं और और रिपोर्ट की गई अवधि तक 56.09 लाख ऑल्टमेट्रिक्स उल्लेख प्राप्त किए। और, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, 283 'इन्सटेंसिज' सृजित किए गए, जहां संकाय सदस्यों की 38,763 संख्या जुड़ी, और 4,83,707 की संख्या में प्रकाशनों के मेटाडेटा की पुनर्प्राप्त की गई।

- **इनफ्लिबनेट की वेबसाइट विकास तथा रखरखाव**

केन्द्र अंग्रेजी हिन्दी में अपनी वृहद वेबसाइट का रखरखाव करता है जो ***https:// www.inflibnet.ac.in/.*** पर उपलब्ध है। केंद्र, अपनी वेबसाइट के माध्यम से और साथ ही अपनी व्यक्तिगत सेवाओं और उत्पादों की वेबसाइटों के माध्यम से शैक्षिक समुदाय को अपनी सेवाओं और संसाधनों तक संगठित और संरचित पहुंच प्रदान करने के लिए वेब प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। वेब 2.0 की विशेषताएं तथा कार्यकरण में विकी, ब्लॉग, चैट तथा चर्चा संबंधी मंच, आरएसएस फीड आदि हैं, जिन्हें वेबसाइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा, केंद्र एक ही स्थान पर नियमों और विनियमों, कार्यालय परिपत्रों और सूचनाओं, समितियों के विवरण, छुट्टियों और प्रस्तुतियों आदि की सूची जैसे विभिन्न आधिकारिक दस्तावेजों को संग्रहीत करने और आसान पहुंच के लिए एक इंट्रानेट पोर्टल रखरखाव करता है और एक आईएचआरएमएस मॉड्यूल (इनफ्लिबनेट मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली), एक वेब–आधारित इंटरफेस जो नियमित प्रशासनिक क्रियाकलापों की सुविधा प्रदान करता है।

- **शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित 'वेब एप्लीकेशन' परियोजनाएं**

केंद्र ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न क्रियाकलापों/ पहल, जैसे पीएमएमएमएनएमटीटी, ईबीएसबी, फिट इंडिया और उन्नत भारत अभियान के लिए अनेक वेब पोर्टल विकसित किए हैं।

(i) **पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग (पीएमएमएमएनएमटीटी):** पीएमएमएमएनएमटीटी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक योजना है। योजना का उद्देश्य 1,00,000 से अधिक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षण, शिक्षकों को तैयार करना, पेशेवर विकास, पाठ्यचर्या को तैयार करना, मूल्यांकन को तैयार करना और उसका विकास करने से संबंधित सभी मुद्दों को व्यापक रूप से समाधान करके विद्यालयी और उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इनफ्लिबनेट केन्द्र, वेब और तकनीकी विकास सहायता प्रदान कर रहा है।

(ii) **एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) :** केंद्र ने विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के विवरण को होस्ट करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम आदि शामिल हैं। ईबीएसबी को सभी भारतीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच एक सुदृढ़ तथा ढांचागत संबंध के माध्यम से राज्यों के बीच वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने हेतु तैयार किया गया है। उच्चतर शिक्षा संस्थान, विभिन्न मंत्रालय तथा अन्य सरकारी ऐजन्सियां अलग–अलग क्रियाकलापों में डाटा उपलब्ध करवा रहे हैं।

(iii) **फिट इंडिया:** शिक्षा मंत्रालय ने 'फिट–इंडिया पोर्टल' के डिजाइन, विकास और रखरखाव का कार्य इनफ्लिबनेट केन्द्र को सौंपा। केंद्र ने इसके लिए एक समर्पित प्लेटफार्म विकसित किया है।

(iv) **उन्नत भारत अभियान:** केंद्र ने संस्थानों के लिए एक ऑनलाइन आवेदन विकसित किया है जिसके माध्यम से संस्थान यूबीए में शामिल हो सकते हैं और गांवों और योजनाओं के लाभ का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा, 'स्कोर मॉड्यूल' सहित 'एडमिन डैशबोर्ड' इनफ्लिबनेट केन्द्र द्वारा तैयार किया गया था।

- **ई–गवर्नेंस@विआआ**

इनफ्लिबनेट केंद्र, अनेक भारतीय संस्थानों/ विश्वविद्यालयों की वेबसाइट, जो कि केंद्र को संस्थान की सौंपी गई परियोजना के एक भाग के रूप में उनके विकास, प्रबंधन और होस्टिंग तक उनका रखरखाव करता है।

(i) **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइटः** विआआ ने अपनी वेबसाइट के विकास और रखरखाव का उत्तरदायित्व, इनफ्लिबनेट सेंटर को सौंपा है, जिसमें इसकी विभिन्न योजनाओं का स्वचालन, अनुदान प्रबंधन प्रणाली और ई–छात्रवृत्ति–अध्येतावृत्ति, अवार्ड रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम (ई–एसएआरटी) आदि शामिल हैं।

(ii) **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– योजनाओं का स्वचालनः** इनफ्लिबनेट केंद्र ने अपनी छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, यात्रा सहायता, सामान्य विकास सहायता, महिला छात्रावास, स्वायत्त और विरासत संस्थानों, दूरस्थ शिक्षा आदि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए 30 से अधिक वेब सेवाएं विकसित की हैं।

(iii) **दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो –विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए वेब पोर्टल** : इनफ्लिबनेट केंद्र ने दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो –विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग –डीईबी क्रियाकलापों को स्वचालित करना है। केंद्र ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग –डीईबी क्रियाकलापों जैसे प्रस्ताव आमंत्रित करने, ऑनलाइन बैठकों, 'वर्चुअल' दौरे आदि को स्वचालित कर दिया है।

- **अन्य शैक्षणिक परियोजनाएं**

(i) **स्टडी इन इंडियाः** स्टडी इन इंडिया, भारत में अध्ययन करने के इच्छुक विदेशी छात्रों हेतु डिजाइन किया गया एक वेब पोर्टल है। यह ऐसी जानकारियां उपलब्ध कराता है जो किसी व्यक्ति को देश में भारतीय शिक्षा संस्थानों के बारे में जानने, उन्हें अपने अध्ययन को आयोजनाबद्ध करने, भारत में किस प्रकार तथा कहां ठहरें यह जानने, किस प्रकार के कार्यक्रम योजनाबद्ध किए गए हैं, आवेदन प्रक्रिया आदि को प्लॉन करने में मदद करता है। पोर्टल का मुख्य भाग 'इंस्टीट्यूट लॉगिन' है (जहां संस्थान विदेशी छात्रों को अपनी सीटें विदेशी छात्रों को निर्दिष्ट कर सकते हैं) तथा छात्र लॉगिन (जहां पंजीकृत छात्र विकल्प को चुनने, मॉक काउसिलिंग तथा अंतिम काउंसिलिंग सहित विकल्प को चुनने में भागीदारी कर सकते हैं)। केन्द्र ने स्टडी इन इंडिया के वार्षिक अभ्यास को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है।

(ii) **राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) :** इनफ्लिबनेट केन्द्र, एनटीए को वेबसाइट विकास और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। पोर्टल प्लेटफॉर्म की सुविधा देता है जो ''परीक्षा प्रेक्षक'', ''प्रशिक्षण अभ्यास केंद्र'', आदि की पूरी प्रशासनिक और प्रबंधन प्रक्रिया को स्वचालित करता है।

(iii) **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय):** केंद्र ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल निर्मित करने हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को, किसी भी कार्यालय में गए बिना, देश में कहीं से भी डिजिटल रूप से प्रमाणपत्र और पहचानपत्र के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है। इसमें छात्रवृत्ति/ स्वास्थ्य योजना सहित ''गरिमागृह'' मॉड्यूल को जोड़ा गया था। इस अवधि के दौरान कुल 26 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

(iv) **भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू), नई दिल्ली के लिए वेब पोर्टलः** इनफ्लिबनेट केंद्र ने भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) के लिए एक क्रियाकलाप पोर्टल विकसित किया है। एआईयू पोर्टल, भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ विदेशी उपाधि की समानता को पूरी तरह से स्वचालित करने के संदर्भ में अपने सदस्यों को मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करता है। केंद्र ने एआईयू हितधारक प्रबंधन, राष्ट्रीय और एआईयू सहयोग पोर्टल की सुविधा के लिए प्रत्येक सदस्य विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ विभाग/ संकाय की पहचान करने, विदेशी उपाधि/ पीजीडीएम/ डॉक्टरेट उपाधि की समानता, अंतर्राष्ट्रीय छात्र पोर्टल, खेल कार्यक्रम आदि जैसे अनेक मॉड्यूल विकसित किए हैं।

(v) **भारतीय विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को तकनीकी सेवाएं–** इनफ्लिबनेट केंद्र विभिन्न विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को वेबसाइट विकास, वेब एप्लीकेशन (अर्थात् भर्ती प्रणाली, प्रवेश प्रणाली, आदि) सहित अनेक तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रहा है। कुछ हितध ारक, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर; जगत गुरु नानक देव पंजाब राज्य मुक्त विश्वविद्यालय (जेजीएनडीपीएसओयू), पटियाला; श्री अनिरुद्धदेव खेल विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़; चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, गांधीनगर; सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर, इंटर–यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ टीचर एजुकेशन, वाराणसी; और दून विश्वविद्यालय, देहरादून शामिल हैं।

(vi) **आईएसबीएनः** उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 11 अगस्त, 2022 को इनफ्लिबनेट सेंटर, गांधीनगर को आईएसबीएन के आवंटन और इसकी वेबसाइट के दैनदिन रखरखाव के लिए एक नई वेबसाइट के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका कार्य चरण– वार तरीके से किया जाएगा, अर्थात,

(i) पुराने पोर्टल के डेटा की पुनर्प्राप्ति और इसकी पुराने स्वरूप में लाना,
(ii) आवेदक की ओर सें नए पोर्टल का विकास,
(iii) प्रशासन की ओर/ विभाग की ओर से नए पोर्टल का विकास और
(iv) पुराने पोर्टल के डेटा को नए विकसित पोर्टल में एकीकृत करना। इस अवधि के दौरान, पोर्टल पर कुल 11,156 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत थे, आईएसबीएन नंबर जारी करने के लिए 18,721 आवेदन प्राप्त हुए और प्रकाषकों, लेखकों और संगोष्ठियों को उनके शीर्षकों के समक्ष 2,79,608 आईएसबीएन नंबर जारी किए गए।

- **मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और परामर्श**

  केंद्र के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में काम करने वाले पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पेशेवरों को आईसीटी के उपयोग में प्रशिक्षण प्रदान करना है। अपनी स्थापना के बाद से, इनफ्लिबनेट केंद्र, विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, अर्थात् संगठन के भीतर और 'ऑफ–साइट' कार्यशालाओं, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। इस अवधि के दौरान, केंद्र ने सोल 3.0 के संचालन पर क्रमशः 10 ऑनलाइन/ ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम और विभिन्न अनुसंधान से संबंधित विषयों पर 09 ऑफलाइन विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें कुल 642 प्रतिभागियों ने भाग लिया, 04 वेबिनार (1184 प्रतिभागी), ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर 26 प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध–चक्र पर 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम (270 प्रतिभागी) आयोजित किए।

  बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) वाराणसी के सहयोग से इनफ्लिबनेट केन्द्र द्वारा बीएचयू में ''अगली पीढ़ी के अकादमिक परिदृश्य के लिए पुस्तकालयों में डिजिटल परिवर्तन की कल्पना'' विषय पर 13वें अंतर्राष्ट्रीय 'कैलिबर' का आयोजन किया गया था, जहां कुल 445 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

शीर्ष 36, 31 और 35 के तहत केंद्र को जारी जारी किया गया कुल अनुदान = 1319.00 लाख रुपये

5.10 (ख) (vi) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विअआ–डीएई संघ (विअआ– डीएई सीएसआर), इंदौर

(I) केन्द्र और संगठनात्मक ढ़ांचे के बारे में

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विअआ–डीएई कंसोर्टियम, इसके बाद इसे कंसोर्टियम कहा जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। कंसोर्टियम के इंदौर, मुंबई, कोलकाता में तीन केंद्र हैं, और आईजीसीएआर, कल्पक्कम में एक नोड है, जिसका मुख्यालय इंदौर में स्थित है। अनुसंधान कार्यक्रम इंजीनियरों (संख्या में 41), तकनीकी कर्मचारियों (संख्या में 45) और पीएचडी छात्रों की मदद से चलाया जाता है। प्रत्येक केंद्र की अध्यक्षता एक केंद्र निदेशक द्वारा की जाती है और कंसोर्टियम का समग्ररूप से प्रमुख, निदेशक होता है।

(II) बल दिया जाने वाला क्षेत्र और उद्देश्य

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विअआ–परमाणु ऊर्जा विभाग संकाय को परमाणु ऊर्जा विभाग के 'महत्वपूर्ण विज्ञान' की सुविधाओं को विश्वविद्यालय प्रणाली में शोधकर्ताओं हेतु उपलब्ध कराने का अधिदेश है। ये तीन सुविधाएं बार्क, मुंबई में ध्रुव रिएक्टर, कोलकाता में वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन और आरआरसीएटी, इंदौर में इंडस सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत हैं। हाल ही में, कलपक्कम में एक नोड भी स्थापित किया गया है, जहां आईजीसीएआर सुविधाओं की संदर्भ में सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में सुविधाएं स्थापित की गई हैं। एक 'लो एनर्जी हैवी ऑयन आधारित एक्सलरेटर' को वीईसीसी, कोलकाता में भी उपलब्ध कराया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग की सुविधाओं के अलावा, संकाय ने अत्यधिक परिश्कृत और उन्नत अनुसंधान सुविधाओं की भी स्थापना की है और विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को कम तापमान और उच्च चुंबकीय क्षेत्र सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश में एक विशिष्ट स्थान बनाया है। संघ के अनुसंधान क्रियाकलाप, 'प्रोब' के साथ–साथ 'मल्टीपल थर्मोडायनामिक पारामीटर स्पेस' में जीवित और निर्जीव दोनों पदार्थों की जांच के लिए एक साधन के रूप में विकिरण का उपयोग करने पर केंद्रित हैं।

(III) प्रमुख कार्यक्रम/ नवीन घटनाक्रम

डीएई मेगा सुविधाओं के साथ–साथ संस्थान के भीतर सुविधाओं तक पहुंच एक दीर्घकालिक (3 वर्षीय) सहयोगात्मक अनुसंधान योजनाओं (सीआरएस) के माध्यम से प्रदान की जाती है, जो ज्यादातर परियोजना कर्मचारियों की सहायता से प्रदान की जाती है। इसके अलावा, अल्पकालिक प्रयोगों के लिए संस्थान के भीतर सुविधाओं तक पहुंच भी उपलब्ध है। दोनों क्रियाकलापों को हाल ही में विकसित सीएसआर उपयोगकर्ता पोर्टल (*www.csruserportal.com*) के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।

कंसोर्टियम कर्मचारियों द्वारा विकसित और प्रबंधित उपयोगकर्ता पोर्टल (*www.csruserportal.com*) अब पूरी तरह से चालू है। वर्ष 2022 के अंत तक लगभग 5000 शोधकर्ताओं ने पोर्टल पर पंजीकरण किया है। पोर्टल पर एक ही खाते का उपयोग करके, शोधकर्ता अब अपने प्रस्तावों, डेटा और 'विजिट' का प्रबंधन कर सकते हैं।

डीएई संस्थानों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से कंसोर्टियम ने विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की क्षमताओं पर बल देने के लिए जागरूकता कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन किया। नए सीआरएस प्रस्तावों को आमंत्रित करने से पूर्व, सितंबर, 2022 में 6 ऑनलाइन कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। वर्ष 2021 में आयोजित पिछली कार्यशालाओं के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में (600) सीआरएस प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। संबंधित केंद्रों की उपयोगकर्ता समितियों द्वारा प्रस्तावों की समीक्षा के बाद, वर्ष 2022 में लगभग 300 प्रस्ताव।

वर्ष 2022 के अंत तक, 435 दीर्घकालिक सीआरएस सक्रिय थे और संपूर्ण भारत के शोधकर्ताओं के लिए लगभग 1373 प्रयोग सफलतापूर्वक किए गए थे। सीआरएस के साथ–साथ 'संगठन के भीतर' अनुसंधान के परिणामस्वरूप निकलने वाली प्रतिष्ठित सहकर्मी–समीक्षा अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में लगभग 400 प्रकाषन थे। हमारे संकाय और छात्रों को उनके कार्य के लिए अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं जैसे, एमआरएसआई पदक, सर्वश्रेष्ठ शोध प्रबंध पुरस्कार, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, आदि।

इंदौर केंद्र द्वारा इंडस–II, आरआरसीएटी और इंदौर में 1500 ईवी से 9000 ईवी ऊर्जा सीमा में प्रस्तावित एक नई 'बीम लाइन' वित्तपोषण के लिए विचाराधीन है।

शीर्ष 36, 31 और 35 के तहत केंद्र को जारी किया गया कुल अनुदान = 5469.50 लाख रुपये

5.10 (ख) (vii) अध्यापक शिक्षण हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय(आईयूसी–टीई, बीएचयू), वाराणसी

अध्यापक शिक्षण हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (आईयूसी) की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) द्वारा इसके अधिनियम (1956 की संख्या 3) और विनियम (संस्थानों की स्थापना और रखरखाव), 1985 की धारा 12 (गगग) के तहत की गई थी। अध्यापक शिक्षण हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (आईयूसी) की नींव दिनांक 25 दिसंबर, 2014 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने रखी थी।

अध्यापक शिक्षण हेतु अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र की नींव रखते हुए, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात पर बल देकर कहा कि सबसे अधिक युवा आबादी वाले देश के रूप में भारत को ''गुणवत्ता वाले शिक्षकों'' को विकसित करने का सपना देखना चाहिए क्योंकि विश्वभर में अच्छे शिक्षकों की भारी मांग है। उन्होंने स्पष्ट रूप से नारा दिया कि ''अच्छी शिक्षा– अच्छे शिक्षक''। इसलिए, आईयूसीटीई इसे अपने आदर्श वाक्य के रूप में अपनाता है और स्वयं को ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध करता है जहां न केवल विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों की तैयार करने, प्रवेशन और सतत् व्यावसायिक उत्थान के विभिन्न पहलुओं से संबंधित नीतिगत ढांचा विकसित किया जाता है, बल्कि शिक्षकों के लिए नवीनतम तकनीकी–शैक्षणिक हस्तक्षेप भी विकसित किए जाते हैं और उन्हें विश्वस्तरीय शिक्षक बनने में मदद करने के लिए प्रसारित किया जाता है।

प्रमुख क्षेत्रों के लिए लक्ष्यः–

1. उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानकः

''शिक्षक वास्तव में हमारे बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं – और इसलिए, हमारे राष्ट्र का भविष्य। इस महान भूमिका के कारण भारत में शिक्षक, समाज का सबसे सम्मानित सदस्य था। केवल सबसे बेहतर और सबसे विद्वान ही शिक्षक बन पाए। अध्यापक शिक्षा, भर्ती, तैनाती, सेवा शर्तों और शिक्षकों के सशक्तिकरण की गुणवत्ता वहां नहीं है जहां इसे होना चाहिए, और परिणामस्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और प्रेरणा वांछित मानकों तक नहीं पहुंच पाती है। शिक्षकों के लिए उच्च सम्मान और शिक्षण पेषे की उच्च दर्जे को बहाल किया जाना चाहिए ताकि शिक्षण पेशें में प्रवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को प्रेरित किया जा सके।'' (पैरा 5.1, एनईपी– 2020)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ने शिक्षकों के गुणवत्ता आश्वासन और शिक्षण– ज्ञान अर्जन प्रक्रिया के लिए दो महत्वपूर्ण सिफारिशें दी हैंः प) प्रत्येक शिक्षक के लिए अनिवार्य 50 घंटे के सतत् पेशेवर विकास (सीपीडी) का प्रावधान (पैरा 5.15, एनईपी–2020), (पप) वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक (एनपीएसटी) के एक सामान्य सेट का विकास (पैरा 5.20, एनईपी–2020)। इन प्रावधानों की तत्काल आवश्यकता महसूस की जा रही थी क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृश्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वभर के बड़ी संख्या में देशों ने यह सुनिश्चित किया है कि उनके शिक्षकों को लगातार अद्यतन किया जाए और उनकी युवा पीढ़ी के भविष्य को आकार देने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्य और शैक्षणिक क्षमता हो। विश्वभर में विभिन्न देशों ने सुनिश्चित किया है कि

सक्षम लोग शिक्षण पेषे में प्रवेश करें। इसी प्रकार, उन्होंने नियमित अंतराल पर अपने शिक्षकों के लिए अनुकूल कार्य परिस्थितियां, शैक्षणिक विकास के अवसर और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार किए हैं।

एनईपी–2020 की दृष्टि और विचार, इस एनपीएसटी में सम्मिलित किए जा सकते हैं और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के लिए नया मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। एनईपी–2020 की भावना को एनपीएसटी में बनाए रखा जाना चाहिए। तथापि, एनसीटीई ने विद्यालयी शिक्षा के लिए प्रारंभिक मसौदा एनपीएसटी तैयार किया है, लेकिन उच्चतर शिक्षा संकाय के लिए आज तक कोई पेशेवर मानक नहीं हैं। इसलिए, यह एक नई चुनौती है और आईयूसीटीई ऐसी पहल आरंभ करने मंशा रखता है जो आईयूसीटीई के विजन (अल्पकालिक लक्ष्य–पृष्ठ संख्या 16 बिंदु संख्या 14–17, और दीर्घकालिक लक्ष्य– पृष्ठ संख्या 17, बिंदु संख्या 7–9, 16 और 17) के साथ मेल खाते हैं।

2. गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों और शिक्षण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचाः

एनईपी–2020 में, राष्ट्र को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में विकसित करने में शिक्षकों की केंद्रीय भूमिका पर अनेक बार बल दिया गया है। माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माननीय अध्यक्ष, एनईपी–2020 समिति के माननीय सदस्यों और अन्य हितधारकों ने शिक्षकों के क्षमता निर्माण और विद्यालयी शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक के विस्तार में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर बार–बार बल दिया है। उदाहरण के लिए, विद्यालयों के शिक्षकों को तैयार करने में सुधार करने के लिए, एनसीटीई द्वारा एनसीईआरटी (एनईपी–2020, पैरा 5.28) के परामर्श से अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2021 विकसित करने का प्रस्ताव है। उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में, इस प्रकार के एक गुणवत्तायुक्त पाठ्यक्रम ढांचे की कमी महसूस होती है।

तथापि, वर्तमान में उच्चतर शिक्षा के लिए सेवा–पूर्व शिक्षक तैयार करने की कोई प्रणाली/ अवधारणा नहीं है, फिर भी, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों की सेवा में रहते हुए सतत् रूप से शिक्षा/ व्यावसायिक विकास वर्ष 1950 से प्राथमिकता रही है और एनईपी–2020 के माध्यम से भी इसकी जोरदार वकालत की गई है। वास्तव में, यह भी आईयूसीटीई के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इसलिए, ''उच्चतर शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों और शिक्षण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे'' का विकास और उच्चतर शिक्षा में शिक्षकों के सेवाकालीन सतत् व्यावसायिक उत्थान के लिए इसे लागू करना एक और महत्वपूर्ण बल दिया जाने वाला क्षेत्र है (अल्पकालिक लक्ष्य–पृष्ठ संख्या 15, बिंदु संख्या 6 तथा दीर्घकालिक लक्ष्य– पृष्ठ संख्या 17, बिंदु संख्या 16, 21)। आईयूसीटीई, इस प्रकार की पहल में अग्रणी भूमिका निभाने और इसके अभिकल्पन और कार्यान्वयन संबंधी पहलुओं में अन्य हितधारकों के साथ मिलकर सूक्ष्मता से कार्य करने के लिए तैयार है।

3. प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियाँः

एनईपी–2020 में भारतीय ज्ञान प्रणालियों, भाषाओं, संस्कृति और मूल्यों पर काफी बल दिया गया है। उच्चतर शिक्षा, मानव के साथ–साथ सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे व्यक्ति में सामाजिक और नैतिक जागरूकता, चरित्र, नैतिक, संवैधानिक और सत्य के वैश्विक मानव मूल्यों (सत्य), धार्मिक आचरण (धर्म), शांति (षांति), प्रेम (प्रेम), अहिंसा (अहिंसा), बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, जीवन कौशल, सेवा हेतु शिक्षा/सेवा और समुदायों में भागीदारी की सीख (एनईपी–2020 का पैरा 11.8) विकसित करने में सक्षम बनाना चाहिए। इसलिए, गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा, सहकारी समुदायों को विकसित करने, उन्हें प्रसन्न रखने, एकजुट, सुसंस्कृत, उत्पादक, अभिनव, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र विकसित करने में योगदान देती है। समग्र शिक्षा का उद्देश्य, मानव की सभी क्षमताओं – बौद्धिक, कलात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक को एकीकृत पद्धति से विकसित करना होगा।

आईयूसीटीई इस दिषा में प्रतिबद्ध है और उसने अपने दृष्टि पत्र (मूलतत्व, अल्पकालिक लक्ष्य–पृष्ठ संख्या 15 का बिंदु 1) में इस जनादेश को निर्धारित किया हैः इसे लागू करने के लिए आईयूसीटीई प्रस्ताव करता हैः (कं) शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए मॉड्यूल का विकास करना ताकि वे औपचारिक उच्चतर शिक्षा के शैक्षिक पाठ्यक्रम में भारतीय पारंपरिक ज्ञान और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दे सकें; और (ख) उक्त प्रशिक्षण मॉड्यूलों का विकास करने के लिए हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों और ज्ञान–परंपरा से समग्र और अनेकानेक–विधाओं में ज्ञान अर्जन परंपराओं का पता लगाने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं की शुरूआत करना।

4. सतत् पेशेवर विकास और अंतर्राष्ट्रीयकरणः

एनईपी–2020 उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास पर बल देती है। यह प्रस्तावित है कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए सेवा में रहते हुए सतत् पेशेवर विकास, मौजूदा संस्थागत व्यवस्था और चल रही पहल के माध्यम से जारी रहेगा; गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समृद्ध शिक्षण– ज्ञान अर्जन प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्हें सुदृढ़ बनाया जाएगा और विस्तार किया जाएगा (एनईपी–2020 का पैरा 15.10)। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने स्वयं के पेशेवर विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 50 घंटे के सीपीडी अवसर में भाग ले (एनईपी–2020 का पैरा 5.15)।

उपर्युक्त के आलोक में, आईयूसीटीई, शिक्षकों और शिक्षक के अध्यापकों के लिए सतत् पेशेवर विकास हेतु कार्यक्रमों/ पाठ्यक्रमों को उपयुक्त सुझावों के साथ तैयार कर सकता है ताकि संकाय को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ, प्रेरित और सक्षम संकाय बनने के लिए सक्रिय बनाया जा सके, प्रेरित किया जा सके और उनका उत्साहवर्धन किया जा सके (अल्पकालिक लक्ष्य–पृष्ठ संख्या 16 का बिंदु 14 तथा दीर्घकालिक लक्ष्य – पृष्ठ संख्या 17, बिंदु संख्या 7, 9)। एनईपी–2020 शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की भी पक्ष समर्थन करता है। अपने अधिदेश के भाग के रूप में और अपने विजन दस्तावेज के अनुरूप, आईयूसीटीई, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्वस्तर पर मान्यताप्राप्त वैश्विक निकायों जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक, आदि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकता है और साझेदारी कर सकता है (अल्पकालिक लक्ष्य–पृष्ठ संख्या 15 का बिंदु 11, और दीर्घकालिक लक्ष्य– पृष्ठ संख्या 17 का बिंदु संख्या 14)। इसके अतिरिक्त, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के साथ आईयूसीटीई के सहयोग को सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

5. प्रवेश स्तर पर संकाय का सुदृढ़ीकरणः

एनईपी–2020 सिफारिश करती है कि सभी नए पीएचडी प्रवेशकर्ता, चाहे वे किसी भी विषय के हों, को अपनी डॉक्टरेट प्रशिक्षण अवधि के दौरान अपने चुने हुए पीएचडी विषय से संबंधित शिक्षण/ शिक्षा/ अध्यापन/ लेखन में क्रेडिट–आधारित पाठ्यक्रम लेना अपेक्षित होगा। अध्यापन पद्धतियों, पाठ्यक्रम तैयार करने, विश्वसनीय मूल्यांकन प्रणाली और सम्प्रेषण कौशल जल्द ही सुनिश्चित किया जाएगा क्योंकि अनेक शोध विद्वान अपने चुने हुए विषयों के संकाय अथवा जन प्रतिनिधि/ संचारक बन जाएंगे। पीएचडी छात्रों के पास शिक्षण सहायकों और अन्य माध्यमों के जरिए से एकत्रित किए गए वास्तविक शिक्षण अनुभव की न्यूनतम संख्या भी होगी। देश भर के विश्वविद्यालयों में पीएचडी कार्यक्रमों को इस उद्देश्य के लिए पुनः उन्मुख किया जाएगा (एनईपी–2020 का पैरा 15.9)।

एक प्रमुख बल दिया जाने वाला क्षेत्र अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में संगत पूरक और अनुपूरक कौशल विकास पहल के रूप में हो सकता है, जिससे बहु–विषयक पहलुओं के साथ अध्यापक शिक्षा तैयारी कार्यक्रमों को समृद्ध बनाया जा सकता है।

आईयूसीटीई ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आरंभ में ''उच्चतर शिक्षा में आईसीटी एकीकरण'' और ''उच्चतर शिक्षा के लिए सहकारी और सहयोगी अध्यापन'' जैसे कुछ अन्य ऐच्छिक विषयों को शामिल करते हुए तीन माह की अवधि के लिए युवा संकाय सदस्यों हेतु प्रवेश स्तर पर अध्यापन में शिक्षण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने का प्रस्ताव किया है। यह उन्हें शिक्षण– ज्ञान अर्जन के विभिन्न सामान्य पहलुओं, शैक्षणिक तकनीकों और शिक्षण तथा ज्ञान अर्जन की पद्धतियों, अनुदेशात्मक पद्धतियों, मूल्यांकन और मूल्यांकन तकनीकों, आईसीटी सक्षमकारी अध्यापन और ज्ञान अर्जन की दिशा में उन्मुख करेगा, और उन्हें विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों, अभिशासन और प्रशासन के मूल ज्ञान से सुसज्जित करेगा जो आईयूसीटीई के दृष्टिकोण के अनुरूप है (अल्पकालिक लक्ष्य–पृष्ठ संख्या 15 का बिंदु 13)।

6. शिक्षा में प्रौद्योगिकी

क. डिजिटल विषयवस्तु, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, प्रौद्योगिकी मंच, डिजिटल अवसंरचना और क्षमता निर्माण

एनईपी–2020 ने विद्यालयी और उच्चतर शिक्षा दोनों की ई–शिक्षा आवश्यकताओं की जांच के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के भीतर डिजिटल बुनियादी ढांचे, डिजिटल विषयवस्तु और क्षमता निर्माण के निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए स्वयं/ दीक्षा जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के उपयोग के संबंध में बहुत बल दिया गया है ताकि कम समय के भीतर बड़ी संख्या में शिक्षकों को मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जा सकें (एनईपी–2020 का पैरा 23.6)। ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा की एक और महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा के ओडीएल पद्धति को सुदृढ़ करना है, जो इस पहलू में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ''शिक्षकों को प्रभावी ऑनलाइन शिक्षक होने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता होती है। यह नहीं माना जा सकता है कि एक पारंपरिक कक्षा में एक अच्छा शिक्षक स्वतः ही एक ऑनलाइन कक्षा में एक अच्छा शिक्षक साबित होगा। इसके अलावा, जब तक ऑनलाइन शिक्षा को अनुभवात्मक और क्रियाकलाप–आधारित शिक्षा के साथ मिश्रित नहीं किया जाता है, तब तक यह ज्ञान अर्जन के सामाजिक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक आयामों (एनईपी–2020 का पैरा 24.3) पर सीमित ध्यान के साथ एक स्क्रीन–आधारित शिक्षा बन जाएगी। ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल रिपॉजिटरी, अनुसंधान के लिए वित्तपोषण, छात्रों के लिए बेहतर सेवाएं, एमओओसी की क्रेडिट–आधारित मान्यता आदि जैसे अनुशंसित उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाएंगे कि यह उच्चतम गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों के समतुल्य हैं।

उपर्युक्त के आलोक में, आईयूसीटीई अध्यापक शिक्षा के लिए आदर्श पाठ्यक्रम (अल्पकालिक लक्ष्य– पृष्ठ संख्या 15, बिंदु 10 और दीर्घकालिक लक्ष्य– पृष्ठ संख्या 17, बिंदु संख्या 13) विकसित कर सकता है ताकि ऑनलाइन शिक्षा को सुदृढ़ किया जा सके और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में समर्पित इकाई के साथ तालमेल किया जा सके जिससे शिक्षकों और अध्यापक शिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा सके जिससे विविध छात्रों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

ख. राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ)

राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) ज्ञान अर्जन, मूल्यांकन, आयोजना और प्रशासन का विस्तार करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान–प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के लिए बनाया जाएगा। शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उचित समेकन, कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार, शिक्षक पेशेवर विकास का समर्थन करने, वंचित समूहों के लिए शिक्षा की पहुंच बढ़ाने और शैक्षिक आयोजना, प्रशासन और प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए किया जाएगा।

अध्यापक शिक्षा के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में आईयूसीटीई, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) का एक मुख्य और अभिन्न सदस्य बनकर अपनी भूमिका निभा सकता है, विशेषरूप से शिक्षक पेशेवर विकास (सेवा के दौरान पेशेवर विकास) का समर्थन करने के लिए (अल्पकालिक लक्ष्य–पृष्ठ संख्या 15, बिंदु 8 और 9 और दीर्घकालिक लक्ष्य– पृष्ठ संख्या 17, बिंदु संख्या 10 और 12)।

शिक्षा में प्रौद्योगिकी पर उपर्युक्त कार्यक्रम की परिकल्पना, एनईपी–2020 की सिफारिशों और आईयूसीटीई के विजन दस्तावेज के आलोक में की गई है। स्थायी परिसर में एक बार केंद्र का डिजिटल बुनियादी ढांचा स्थापित होने के बाद इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा सकते हैं।

मुख्य धटनाएं

- आईयूसीटीई की भविष्य के शैक्षणिक क्रियाकलापों और कार्यात्मक योजना पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 07 अप्रैल, 2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी।
- दिनांक 26 अप्रैल, 2022 को ''योग का महत्व एवं उपयोग'' विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- ''योग के मूलधर तत्व एवं दैनिक जीवन में उनका उपयोग'' विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किया गया था, जिसके मुख्य वक्ता– काय चिकित्सा विभाग, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय और अस्पताल के विभागाध्यक्ष, डॉ. कमलेश कुमार द्विवेदी थे।
- दिनांक 14 मई, 2022 को ''योग की शिक्षा एवं शिक्षा में योग'' विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसके मुख्य वक्ता, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के श्री अवनेश जी भटनागर थे।
- दिनांक 18 मई, 2022 को ''जीवन शैली से जुड़े विकारों की रोकथाम और प्रबंधन में आहार, विहार और योग की भूमिका'' पर एक ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसके मुख्य वक्ता– प्रोफेसर ओमप्रकाश सिंह, प्रमुख, काय चिकित्सा, आयुर्वेदिक संकाय, आई.एम.एस., बी.एच.यू., वाराणसी थे।
- दिनांक 02 जून, 2022 को ''योग द्वारा तनाव प्रबंधन'' विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया जिसके मुख्य वक्ता प्रसिद्ध योग शिक्षक, डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह थे।
- दिनांक 03 जून, 2022 को ''पर्यावरण संरक्षण एवं योग के आधारभूत तत्व'' विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया'', जिसके मुख्य वक्ता– श्री कृष्ण मोहन और डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह थे।
- दिनांक 05 जून, 2022 को ''विश्व पर्यावरण दिवस'' पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य वक्ता– पद्मश्री, चंद्रशेखर सिंह, महंत कौशलेंद्र गिरि महाराज थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से वृक्षारोपण किया।
- दिनांक 06 जून, 2022 को ''नाथयोगः लोकप्रिय योगी शिक्षा'' पर ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसके मुख्य वक्ता प्रोफेसर रविशंकर सिंह थे।
- दिनांक 18 से 20 जून, 2022 तक डॉ. राज कुमार मिश्रा ''योग'', प्रशिक्षक द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- दिनांक 21 जून, 2022 को ''मानवता के लिए योग'' विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, कुलपति, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, प्रो. हरेराम त्रिपाठी, कुलपति, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, प्रो. हरीश चंद्र सिंह राठौर, पूर्व कुलपति, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया, बिहार थे।
- दिनांक 22 जून, 2022 को प्रोफेसर जे.एस. राजपूत की अध्यक्षता में ''आचार्यत्व'' विषय पर प्रमुख वक्ता पदम भूशण, प्रो वषिष्ठ त्रिपाठी और डॉ. कृष्ण गोपाल द्वारा व्याख्यान आयोजित किया गया था।
- दिनांक 07 से 09 जुलाई, 2022 को अखिल भारतीय शिक्षा समागम में सक्रिय रूप से भाग लिया। दिनांक 11 अगस्त, 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ''राष्ट्र निर्माण में ''शिक्षकों की भूमिका'' पर व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के श्री दिवाकर जी थे।
- दिनांक 13 अगस्त, 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ''विभजन की विभीषिका'', विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया जिसमें मुख्य वक्ता श्री रामशीष, (प्रज्ञाप्रवाह, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड) थे।

- दिनांक 04.09.2022 को शिक्षक दिवस पर ''बदलते परिवेश में शिक्षा की भूमिका'' विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉ. शिव कुमार, (अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान) और प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, कुलपति, महात्मा गांधी काषी विद्यापीठ, वाराणसी थे।
- दिनांक 22 अक्तूबर, 2022 को ''लोक मंथन 2022 पर बातचीत'' कार्यक्रम आयोजित किया गया और अनेक गण्यमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार और मत प्रकट किए।
- शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर के विभिन्न स्थायी पदों की भर्ती नवंबर और दिसंबर, 2022 में आयोजित की गई थी।
- वित्त समिति की छठी बैठक दिनांक 26 मई, 2022 को प्रातः 10 बजे, एलडी गेस्ट हाउस, बीएचयू में आयोजित की गई।
- आम निकाय की आठवीं बैठक, दिनांक 27 मई, 2022 को प्रातः 10 बजे, एलडी गेस्ट हाउस, बीएचयू में आयोजित की गई।
- आम निकाय की 9वीं बैठक, दिनांक 16 दिसंबर, 2022 को प्रातः 10 बजे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

शीर्ष 36, 31 और 35 के तहत केंद्र को जारी जारी किया गया कुल अनुदान = 864.00 लाख रुपये

5.10 (ख) (viii) इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज (आईयूसी– वाईएस), बेंगलुरु

इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज (आईयूसीवाईएस) को दिनांक 27 जुलाई, 2018 को कर्नाटक सरकार सोसाइटी अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत किया गया था। अभिलेखों के अनुसार, आईयूसीवाईएस का पता राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), पोस्ट बॉक्स नम्बर 1075, नगर भवी, राजेश्वरी नगर, बेंगलुरु –560072 है। संगम अनुच्छेद और नियमों को तैयार किया गया था। आईयूसी–वाईएस का मूल उद्देश्य भारत के भीतर और बाहर दोनों में योग विज्ञान के क्षेत्र में लगे हुए संस्थानों, शिक्षकों और छात्रों के हितों की सेवा के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना है।

बल दिए जाने वाले क्षेत्र और उद्देश्य :

i. योग विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करना।
ii. योग के शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के लिए संसाधन पुस्तकों का विकास करना।
iii. योग शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना, और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए निरंतर पेशेवर शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन करना।
iv. योग शिक्षा के क्षेत्र में संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन करना।
v. देश में योग के विकास और वृद्धि के लिए एक आधार के रूप में कार्य करना और अन्य संस्थानों का मार्गदर्शन करना।
vi. जब कभी भी आवश्यक हो, आईयूसी– वाईएस के क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना करना।

भूमि से संबंधित मुद्देः

कर्नाटक सरकार द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2020 के आदेश संख्या ईडी/21/यूबीवी/2020 के तहत निर्णय लिया गया, कर्नाटक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 3(4) के तहत ज्ञान भारती कैंपस, बेंगलुरु के बेंगलुरु विश्वविद्यालय परिसर के भीतर 15 एकड़ तक भूमि को योगिक विज्ञान अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी–वाईएस), बेंगलुरु को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई थी।

आईयूसी–वाईएस को भूमि के आवंटन को एक वकील द्वारा कर्नाटक माननीय उच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आवंटित भूमि, बायो–पार्क के अंतर्गत आती है जिसमें पूरी तरह से विकसित पेड़ हैं। यह मामला दिनांक 11 जनवरी, 2021 से निर्णय हेतु लंबित था और अंत में दिनांक 03 अगस्त, 2022 को रिट याचिका संख्या 681/2021 को याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में किसी गुण नहीं होने के कारण खारिज कर दी गई थी।

तथापि, दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 को आयोजित सिंडिकेट (बेंगलुरु विश्वविद्यालय) की विशेष बैठक में आईयूसी–वाईएस को आवंटित भूमि को वापस लेने और स्वीकार्य ब्याज के साथ ग्राह्य ब्याज सहित बयाना राशि की वापसी के साथ–साथ पट्टा विलेख को रद्द करने हेतु लिए गए निर्णय के अनुरूप भूमि मुद्दे के संबंध में घटनाक्रम में बदलाव हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस – 2022 को मनाने के लिए वेबिनार/कार्यशालाएंः

दिनांक 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए दिनांक 08 अप्रैल 2022 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों/ कुल सचिवों को परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें उनके संबंधित विश्वविद्यालय/ संस्थान में वेबिनार/ कार्यशाला/ प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए कहा गया था। लगभग

150 विश्वविद्यालयों/ संस्थानों से संपर्क किया गया, जिनमें से सैंतीस (37) विश्वविद्यालयों/ संस्थानों ने अनुरोध का उत्तर दिया और अप्रैल, मई, जून और जुलाई 2022 के दौरान विश्वविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन/ ऑफलाइन पद्धति के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए। 34,07,700/– रुपये संस्वीकृत किये गए और 29 विश्वविद्यालयों ने अपनी रिपोर्ट और उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए । रुपये की राशि. 29,25,140/– रुपये जारी किए गए। शेष आठ विश्वविद्यालयों/ संस्थानों ने अभी तक अपनी रिपोर्ट और उपयोग प्रमाणपत्र जमा नहीं किए हैं।

शीर्ष 36 के तहत केंद्र को जारी जारी किया गया कुल अनुदान = 10.00 लाख रुपये

5.11 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र (एनएफसी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 04 राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र स्थापित किए हैं, जो निम्नवत हैं

1. क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई
2. वेस्ट्रन रीजनल इन्स्ट्रूमेन्टेशन सेन्टर (डब्ल्यूआरआईसी), मुंबई
3. इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ एडवांस स्टडीज (आईआईएएस), शिमला
4. एमएसटी राडार सेन्टर, एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरूपति

5.11 (i) क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर, चेन्नई

केन्द्र के बारे में:

विजन

अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई, उच्च तकनीकी ज्ञान, पेशेवर कौशल और नैतिक मूल्यों के साथ पेशेवरों को तैयार करके एक विश्वस्तरीय संस्थान बनने हेतु प्रयासरत है। संस्थान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षण और परामर्श के क्षेत्र में छात्रों को मुख्य योग्यता और तकनीकी कौशल से सुसज्जित करके उच्च गुणवत्तायुक्त जनशक्ति उपलब्ध करवाकर उनके आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में योगदान देने के लिए उद्योग और समुदाय हेतु एक पसंदीदा भागीदार बनने के लिए तत्पर है।

'क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर' के बारे में:

- क्रिस्टल ग्रोथ सेंटर की स्थापना वर्ष 1982 में अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान और विकास के माध्यम से विभिन्न तकनीकी अनुप्रयोगों के लिए क्रिस्टलीय सामग्री विकसित करने हेतु एक अंतर्विषयी स्वायत्त केंद्र के रूप में की गई थी।
- प्रतिष्ठित और मेहनती संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और महान योगदान के परिणामस्वरूप वर्ष 1990 में क्रिस्टल विकास हेतु सीजीसीः विअआ– एयू सुविधा की स्थापना हुई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्रिस्टल विकास के लिए सीजीसीः विअआ– एयू सुविधा का समर्थन करना जारी रखता है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/ विश्वविद्यालयों में कार्यरत शोधकर्ता/ संकाय सदस्य, केन्द्र के संकाय/ अनुसंधानकर्ताओं के सक्षम मार्गदर्शन में अपनी विशिष्ट रुचि के क्षेत्रों में शोध कार्यकलाप करते हैं।
- केंद्र ने एआईसीटीई, बीआरएनएस, सीएसआईआर, डीएई, डीओई, डीआरडीओ, डीएसटी, इसरो, आईयूएसी, आईयूसी– डीएईएफ, एमएनईएस, विअआ, तमिलनाडु सरकार, आईसीटीपी– इटली, यूरोपीय संघ आदि जैसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा सहायता प्राप्त अनेक प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध परियोजनाओं को लागू किया है।
- केंद्र का अधिदेश, 'आगंतुक कार्यक्रम' के तहत संपूर्ण भारत के शोधकर्ताओं के अनुसंधान हितों को बढ़ावा देना भी है। यह केन्द्र, अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए लगातार अनेक राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/ कार्यशालाओं/ पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों/ संगोष्ठियों/ परिसंवादों का आयोजन भी करता रहा है।
- 250 से अधिक छात्रों ने केंद्र से अपनी पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की है और वर्तमान में भारत और विदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, चीन, आदि जैसे देशों में विश्वविद्यालयों/ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में बेहतर तरीके से नियोजित हैं। राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान क्रियाकलाप किए जाते हैं। केंद्र में लगभग सभी प्रसिद्ध क्रिस्टल विकास तकनीकों से क्रिस्टल और क्रिस्टलीय पतली फिल्मों के विकास के लिए आवश्यक अत्याधुनिक सुविधाएं हैं।
- क्रिस्टल ग्रोथ सेंटर ने दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को सीजीसीः विअआ– एयू, क्रिस्टल ग्रोथ हेतु राष्ट्रीय सुविधा और स्थापना दिवस (क्रिस्टल विकास में उत्कृष्टता के 33 वर्ष) के रजत जयंती वर्ष (2015) को मनाया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्यक्रम को सहायता प्रदान की और रजत जयंती स्मारिका के विमोचन में योगदान दिया।

बल दिया जाने वाला क्षेत्र और उद्देश्य :

अनुसंधान के प्रमुख बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में अर्धचालक, लेजर और गैर–लाइनर ऑप्टिकल सामग्री, फेरोइलेक्ट्रिक्स, बायोमैटेरियल्स, नैनो सामग्री, स्पिनट्रॉनिक सामग्री, विकिरण डिटेक्टरों, सौर सेल के लिए पतली फिल्में, ऊर्जा के लिए सामग्री, पर्यावरण, फोटो उत्प्रेरक और कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर, क्रिस्टल विकास के औद्योगिक अनुप्रयोगों के क्रिस्टल विकास पहलू हैं।

उद्देश्य (अनुसंधान/ शैक्षणिक क्रियाकलाप):

- अनुसंधान क्रियाकलापों का लगातार उन्नयन करना और क्रिस्टल विकास और लक्षण वर्णन के लिए संगत अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में योगदान करना।
- क्रिस्टल विकास प्रौद्योगिकी संबंधी औद्योगिक आवश्यकताओं को पाटने का लक्ष्य रखना।
- क्रिस्टल विकास के से जुड़ी जनशक्ति प्रशिक्षण को सुकार बनाना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में एक अग्रणी अनुसंधान केंद्र के रूप में दर्जे को बनाए रखना।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आधार विकसित करना।
- समाज की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा प्रदान करना।

नवीन घटनाक्रम :–

केंद्र की वैज्ञानिक उपलब्धियां:–

I. गैलियम ऑक्साइड (जीए2ओ3) एकल क्रिस्टल (शुद्ध और मिश्रित) तैयार किया गया और अनुकूलित प्रौद्योगिकी के साथ उपकरण विकास प्राप्त किया गया।

II. जैव–खनिज विकसित किए गए, हड्डी प्रतिस्थापन और जल उपचार अनुप्रयोगों के लिए जैव–सामग्री विकसित की गई।

III. जल उपचार, ऊर्जा संचयन के साथ–साथ ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों के लिए ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल सामग्री विकसित की।

बजट घोषणा/ मंत्रिमंडल के निर्णयों का कार्यान्वयन:–

'क्रिस्टल ग्रोथ सेंटर' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर की गई घोषणाओं और दिए गए निदेशों को निष्ठापूर्वक कार्यान्वित करता आ रहा है।

5.11 (ii) वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईसी), मुम्बई

वेस्टर्न रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (डब्ल्यूआरआईसी), मुंबई एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मुंबई विश्वविद्यालय के सहयोग से संपूर्ण देश में चार क्षेत्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (आरआईसी) और यूनिवर्सिटी साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर (यूएसआईसी) स्थापित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के व्यापक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वित्तपोषित है।

(क) संगठनात्मक ढ़ांचा :

वर्ष 1981 से, डब्ल्यूआरआईसी एक शासी परिषद के साथ एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति, पदेन अध्यक्ष हैं। वर्तमान में, डब्ल्यूआरआईसी भारत का एकमात्र क्षेत्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन केन्द्र है और जिसे अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा **इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए राष्ट्रीय सुविधा केंद्र** के रूप में मान्यता दी गई है।

डब्ल्यूआरआईसी का प्रमुख उत्तरदायित्व देश के विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योगों के सहयोग से इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलाप करना है।

(ख) अनुसंधान, डिजाइन और विकास (आरडी एंड डी):

केंद्र के पास आधुनिक आरडी एंड डी सुविधाएं और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता है। यह उद्योग, अनुसंधान और विकास संस्थानों और सरकारी संगठनों के साथ परियोजनाओं और सहयोगी क्रियाकलाप करता है। केंद्र उद्योगों को परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है।

(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम :

डब्ल्यूआरआईसी ने विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों और संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशालाएं आयोजित की। इसके परिणामस्वरूप डब्ल्यूआरआईसी और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच एक सुदृढ़ अंतर्संबध स्थापित हआ है जिसने सभी को लाभान्वित किया है।

(घ) उपकरणों का परीक्षण और अंशांकन :

डब्ल्यूआरआईसी में विभिन्न प्रकार के अंशांकन मानक उपकरण हैं जिनका उपयोग शैक्षिक संस्थानों, सरकारी संगठनों और उद्योगों से विभिन्न उपकरणों के अंशांकन के लिए किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के लिए, अंशांकन के लिए प्राप्त 66 उपकरणों में से, 62 उपकरणों का अंशांकन किया गया था और 04 उपकरणों को उपयोगकर्ताओं को वापस कर दिया गया था क्योंकि उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी।

(ङ) उपकरणों की मरम्मत और अनुरक्षण :

डब्ल्यूआरआईसी देश के विभिन्न महाविद्यालयों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों को प्रयोगशाला के इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत, विश्लेषणात्मक और ऑप्टिकल उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव करने में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 20 उपकरणों की मरम्मत की गई।

(च) 'ऑप्टिकल एंड ग्लॉस ब्लोइंग' :

डब्ल्यूआरआईसी, मुंबई विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विभागों की प्रयोगशाला सूक्ष्मदर्शी, अन्य ऑप्टिकल उपकरणों के निर्माण कार्य और मरम्मत/ रखरखाव करने में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान इन उपकरणों की मरम्मत की गई।

(छ) पुस्तकालय और सूचना सेवा :

इस समय, पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या 4539 है। डब्ल्यूआरआईसी कर्मचारियों के अलावा, पुस्तकालय सुविधाओं का उपयोग परियोजना से जुड़े छात्रों और अन्य लोगों द्वारा किया गया था।

'इंटरनेट कनेक्टिविटी' स्थापित की गई है और स्टॉफ सदस्यों और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है। यह अनेक पूर्ण–पाठ पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करता है, इसलिए, उनके पास सौर पैनल, सौर सेल फोटोवोल्टिक, सोलर सिम्युलेटर, इलेक्ट्रॉनिक घटकों, उपकरणों के सर्किट आदि के बारे में नवीनतम दस्तावेज और आवश्यकता आधारित जानकारी है।

(ज) विश्लेषणात्मक इंस्ट्रूमेंटेशन प्रयोगशाला :

डब्ल्यूआरआईसी में एक विश्लेषणात्मक इंस्ट्रूमेंटेशन प्रयोगशाला है, जो शोध से जुड़े विद्वानों और शिक्षकों के लिए उनके शोध कार्य हेतु निशुल्क अथवा अत्यंत नाममात्र शुल्क पर उपलब्ध है। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के साथ–साथ पीएच.डी., एम.फिल. और विज्ञान निष्णात उपाधि हेतु अध्ययनरत शोधार्थी इन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं।

(झ) यांत्रिक कार्यशाला :

यांत्रिक कार्यशाला में पारंपरिक यांत्रिक के साथ–साथ दो सीएनसी मशीनें भी हैं जिनका उपयोग केंद्र द्वारा आरंभ की गई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक विभिन्न यांत्रिक घटकों को बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, केंद्र द्वारा मरम्मत और रखरखाव, अंशांकन, प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक अनेक विशेष यांत्रिक घटकों को संगठन के भीतर डिजाइन और निर्मित किया गया था।

(ञ) जिन क्षेत्रों पर बल दिया गया उनके निम्नवत उद्देश्य हैः

I. इंस्ट्रूमेंटेशन कार्यक्रमों के लिए आवश्यक सुविधाएं सृजित करने के लिए संसाधन केंद्र।
II. इंस्ट्रूमेंटेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रेरणास्रोत के रूप में कार्य करना।
III. शिक्षण और अनुसंधान की सुविधा के लिए नए शिक्षण उपकरणों का डिजाइन और विकास करना।
IV. इंस्ट्रूमेंटेशन की मरम्मत और रखरखाव सहित विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
V. शिक्षा, अनुसंधान और उद्योगों के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन में अनुसंधान और विकास करना।

अपनी स्थापना के बाद से केंद्र के क्रियाकलापों का समग्र रूप से ध्यान, इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में अनुसंधान, रखरखाव, परीक्षण और मापन सेवाएं प्रदान करके भारतीय विश्वविद्यालयों में पर्याप्त, स्व– सहायक बुनियादी ढांचे का सृजन करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रयासों को आगे बढ़ाने पर रहा है।

डब्ल्यूआरआईसी के प्रमुख क्रियाकलाप निम्नवत हैं :

i. अनुसंधान, अभिकल्पन और विकास (आरडी एंड डी):–

केंद्र के पास आधुनिक आरडी एंड डी सुविधाएं और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता है। यह उद्योग, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और सरकारी संगठनों के साथ परियोजना संबंधी और सहयोगात्मक क्रियाकलाप करता है।

ii. प्रशिक्षण और शिक्षा प्रभाग (टीईडी) :–

डब्ल्यूआरआईसी देश में महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के विभागों के शिक्षकों और तकनीकी कर्मचारियों के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। हम राज्य के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यहां अपनाई गई कार्यनीति के तहत एक प्रमुख महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय विभाग/ सम विश्वविद्यालय की पहचान और चयन करना है। उनके निकट के महाविद्यालयों और उनके आसपास के अन्य शैक्षिक संस्थानों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने काम नहीं कर रहे प्रयोगशाला उपकरणों को लाएं, जिन्हें डब्ल्यूआरआईसी तकनीकी कर्मचारियों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों द्वारा मरम्मत की जाती है। इस प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रतिभागियों को प्रयोगशाला उपकरणों की बुनियादी मरम्मत और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह शिक्षकों और तकनीशियनों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उपकरणों को संभालने में उनके समक्ष आ रही समस्याओं को दूर करने में उनकी मदद करता है।

क्षेत्रीय/ अखिल भारतीय स्तर पर प्रमुख शैक्षणिक क्रियाकलाप :–

- यूएसआईसी कर्मचारियों के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम।
- विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के शिक्षकों और प्रयोगशाला के कर्मचारियों के लिए आवश्यकता आधारित अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- महाविद्यालयों के उन शिक्षकों के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिनके संस्थान विज्ञान स्नातक डिग्री स्तर पर इंस्ट्रूमेंटेशन के व्यावसायिक विषय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना का कार्यान्वयन कर रहे हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कॅरियर उन्नति संबंधी मानदंडों को पूरा करने के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के यूएसआईसी अधिकारियों/ शिक्षकों के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

रखरखाव शिविर :

रखरखाव शिविर एक पहुंच प्रदान करने वाला और एक उच्च निष्पादन वाला क्रियाकलाप है जिसे वर्ष 2004–05 के दौरान आरंभ किया गया था। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य महाविद्यालयों में जाकर मरम्मत और रखरखाव सेवाएं प्रदान करना है, जिससे क्रियाकलाप की प्रभावकारिता को अधिकतम बनाया जा सके। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महाविद्यालयों में रखरखाव की संस्कृति और उपकरणों और उनकी समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह कार्यक्रम मुंबई और उसके आसपास के विभिन्न महाविद्यालयों के लिए सस्ती लागत पर पेशेवर सेवाएं प्रदान करते हैं।

रखरखाव शिविर के दौरान प्रयोगशाला उपकरणों जैसे सीआरओ, पावर सप्लाई, पीएच मीटर, कोलोरोमीटर, रोटारोड, एनाल्जेसिया मीटर, सो निकेटर वाटर बाथ और अत्याधुनिक उपकरण जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर, एफटीआईआर, एएएस, एचपीएलसी आदि की मरम्मत की गई। (इन उपकरणों की लागत लगभग 45 लाख रुपये है)।

डब्ल्यूआरआईसी इन रखरखाव शिविरों के लिए नाममात्र शुल्क लेता है।
रखरखाव शिविरों की प्रभावकारिता

डब्ल्यूआरआईसी विभिन्न महाविद्यालयों में रखरखाव शिविरों का आयोजन करता है। हम संपूर्ण महाविद्यालय के प्रयोगशाला उपकरण ों का निरीक्षण करते हैं और मामूली लागत पर खराब उपकरणों की मरम्मत करते हैं। हम महाविद्यालयों को मरम्मत नहीं किए जा सकने योग्य उपकरणों को प्रयोग से हटाने में सहायता करते हैं।

80.00 लाख रुपये मूल्य के कुल 219 उपकरणों की मरम्मत की गई। इस प्रकार, वर्ष 2022 के दौरान उल्लिखित महाविद्यालयों के लिए 20.00 लाख रुपये की बचत हुई।

शीर्ष 36, 31 और 35 मद के तहत केंद्र को जारी कुल अनुदान = 550.35 लाख रुपये।

5.11 (iii): भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), शिमला

i. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

अंतर्विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), शिमला तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) तथा संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के साथ ही जनवरी, 1991 में हुई थी। अपने स्थापना के 57वें वर्ष में छात्रवृत्ति के क्षेत्र में उच्च शोध एवं विद्वतापूर्ण चिंतन–मनन में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। इसमें 35 अध्येताओं का आवासीय समुदाय है जिनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के अनुसंधान में जुटा है परन्तु वहीं वे समुदाय के अकादमिक जीवन में सक्रियतापूर्वक भाग लेते हैं। अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र के एसोसियेटों को संपूर्ण देश भर के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से चुना जाता है और वे इस अकादमिक परिवेश से लाभान्वित होने के साथ–साथ वे यहां के अंतर्विधा संस्कृति से काफी कुछ सीखते हैं।

ii. उद्देश्य :

केन्द्र के शैक्षणिक कार्यक्रम में तीन बुनियादी घटक होते हैंः (i) एसोशिएटशिप की योजना (ii) देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान संगोष्ठियों का आयोजन, और (iii) शिमला में संस्थान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर अध्ययन सप्ताह आयोजित करना।

iii. आईयूसी एसोशिएट 2022–23 :

वर्ष 2022–23 के दौरान, संपूर्ण देश से अर्थात् 104 विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक अर्थात् 42 महिलाएं (सामान्य श्रेणी से 3, अन्य पिछड़ा वर्ग से 06, अनुसूचित जाति से 01 तथा अनुसूचित जनजाति से 04) तथा 62 पुरूष (सामान्य श्रेणी से 46, अन्य पिछड़ा वर्ग से 09, अनुसूचित जाति से 01 तथा अनुसूचित जनजाति से 06) ने एक माह के लिए आईयूसी एसोशिएट के रूप में संस्थान का दौरा किया। सभी एसोशिएट, जिन्होंने संस्थान का दौरा किया, आईयूसी कार्यक्रम की अत्यधिक सराहना कर रहे थे, जैसा कि उनकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट है। आईआईएएस, एसोशिएट को पर्याप्त पुस्तकालय सुविधाओं के साथ एक शान्त एवं प्राकृतिक शैक्षिक परिवेश, सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक विद्वानों के साथ संपर्क करने का सुअवसर उपलब्ध कराता है तथा एसोशिएट अपने शिक्षण वृत्ति को जारी रखने के लिए बौद्धिक रूप से स्फूर्त होकर संस्थान से प्रस्थान करते हैं। एसोशिएट ने इस अवधि का उपयोग (क) अध्ययन को पूरा करने में करते हैं जिससे वे पिछले कुछ समय से जुडे रहे हों; (ख) वाचस्पति शोध की समीक्षा करने में व्यतीत करते हैं; (ग) संस्थान के ग्रंथागार में वाचन क्षमता को प्राप्त करने में; (घ) एक पत्र लिखने के लिए उपयोग करते है जिसे वे अपने सहयोगियों के समक्ष प्रस्तुत करें; (ङ) संस्थान के अध्येताओं तथा यदा–कदा देश–विदेश से आने वाले विशिष्ट विद्वानों के साथ बातचीत करने में सार्थक ढ़ंग से समय व्यतीत करते हैं।

एसोशिएट, संस्थान के नियमित क्रियाकलाप के रूप में होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भी भाग लेते हैं। एसोशिएट जो संस्थान का दौरा करते हैं उन्हें अपनी पसंद के एक विषय पर संस्थान के अकादमिक समुदाय के समक्ष प्रस्तुति देनी होती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान का दौरा करने वाले 104 आईयूसी एसोशिएट ने अपनी प्रस्तुतियां दी।

iv. प्राधिकारी :

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के निदेशक, केंद्र के भी निदेशक हैं। केंद्र में एक शिक्षा समिति है जिसके निदेशक इसके अध्यक्ष हैं, जो सभी शैक्षिक मामलों पर परामर्श देती है। देश के विभिन्न भागों से विभिन्न विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षाविदों से मिलकर बनी समिति वर्ष में कम से एक बार बैठक करती है। केंद्र की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, समन्वय समिति है जिसमें विअआ के अध्यक्ष इसके सभापति तथा आईआईएएस के निदेशक इसके सह–अध्यक्ष हैं।

5.11 (iv) एमएसटी राडार अनुप्रयोगों हेतु विअआ–एसवीयू केन्द्र, तिरूपति

केन्द्र का उद्देश्य वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक राडार तथा अन्य यंत्र सुविधाओं के संभावित उपयोग के प्रति वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करना तथा एम.एस.टी. राडार सुविधा के उपयोग के प्रति मेधावी युवा शोधकर्ताओं को एमएसटी राडार, लीडार तथा एनएआरएल, गदांकी में भी मौजूद अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आकर्षित करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) ने एसवी विश्वविद्यालय, तिरूपति में वि.अ.आ.–एसयूवी केन्द्र की स्थापना की है जो देश की विश्वविद्यालयी प्रणाली में एक सामान्य प्लेटफार्म के रूप में कार्य कर सके ताकि वैज्ञानिक ज्ञान का आदान–प्रदान किया जा सके और यह केन्द्र वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे वैज्ञानिक तथा शोधकर्ताओं की पहुंच में हो।

उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएंः

- विअआ–एसवीयू केन्द्र वायुमंडलीय विज्ञान में क्षेत्र में कार्यरत भारतीय विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।
- विअआ–एसवीयू केन्द्र शोध और मौलिक अभिकलनात्मक कार्य और ऐसे शोध करने के लिए अन्य सहायता हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
- विअआ–एसवीयू केन्द्र जो वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में आदान–प्रदान के दौरों के लिए मंच की पेशकश करता है, ताकि भारतीय वायुमंडलीय वैज्ञानिक समुदाय ऐसे सहयोग से लाभान्वित हो सके।
- विअआ–एसवीयू केन्द्र वायुमंडलीय भौतिकी के बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में अनेक चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए स्नातकोत्तर छात्रों और शोध अध्यवेत्ताओं के प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करता है।
- विअआ–एसवीयू केन्द्र, एमएसटी राडार और इन सुविधाओं के अवस्थिति के विशेष संदर्भ में अन्य एमएसटी राडार और सह–स्थानिक उपकरण सुविधाओं का उपयोग करते हुए वायुमंडलीय गतिकी के क्षेत्र में प्रायोगिक कार्यक्रम का समन्वय करने में सहायता करता है।
- विअआ–एसवीयू केन्द्र विशेषकर एमएसटी राडार और अन्य सहस्थिति सुविधाओं से प्राप्त बड़ी मात्रा में संसाधित डॉटा में से वायुमंडलीय विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़े व्यापक राष्ट्रीय डाटा/अभिलेख को सुव्यवस्थित करता है।
- विअआ–एसवीयू केन्द्र भारतीय आक्षांश पर मध्य वायुमंडल के लिए मॉडल तैयार करने और उसे अद्यतन करने में सहायता करता है। परिणामस्वरूप, ऐसे मॉडलों और डाटा के प्रयोग से आईएमडी और अन्य संबंधित राष्ट्रीय संगठनों को पूर्वानुमान और भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती है।

नए घटनाक्रम :–

- ➢ 'बाउंडरी लेयर आल्टीट्यूड', 'एरोसोल' का ऊर्ध्वाधर संवितरण और 'सिरस 8 बादलों में दैनिक परिवर्तनशीलता को समझने के लिए माइक्रो पल्स लिडार (एमपीएल) अवलोकन।
- ➢ एसवीयू उल्का रडार मापन का उपयोग करके आईसीओएन अंतरिक्ष यान पर नासा मिशन एमआईजीएचटीआई का वैधीकरण।

शोध को प्रोत्साहन

अध्याय 6

6.1 शिक्षकों के लिए वृहद शोध परियोजनाएं
6.2 शोध अवार्ड/शोध वैज्ञानिक
6.3 पोस्ट– डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ
6.4 शोध अध्येतावृत्तियाँ (एम.फिल./पीएच.डी. हेतु)
6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां
6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियां
6.7 विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध (बीएसआर) कार्यक्रम (आधारभूत वैज्ञानिक शोध को सुदृढ़ करना)

6.1 शिक्षकों के लिए वृहद शोध परियोजनाएं

शोध, जिज्ञासु मन को जीवंत और ज्ञान को अद्यतन रखता है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक को तीन मूल कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है–शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार। इस प्रकार, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं से लैस विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, शोधकर्ताओं के लिए प्रमुख प्रशिक्षण आधार हैं। सत्तर के दशक के बाद से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) तथा 12 (ख) के तहत सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में स्थायी, नियमित, कार्यरत/ सेवानिवृत्त शिक्षकों के शोध प्रस्तावों को वित्तीय सहायता प्रदान करता आ रहा है। वृहद शोध परियोजना कार्यक्रम उन्हें उनकी नियमित नौकरी अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् विशिष्ट विषय क्षेत्रों में गहन और सूक्ष्मता से शोध अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। व्यक्तिगत तौर पर किसी शिक्षक अथवा शिक्षक के समूह अथवा समग्ररूप से किसी विभाग द्वारा शोध परियोजना को आरंभ किया जा सकता है। इसे सत्तर वर्ष की आयु के किसी सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा भी आरंभ किया जा सकता है, बशर्ते कि आवेदन करने के समय प्रार्थी की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं हो। अंतर्विधायी शोध और अंतर्संस्थागत सहयोगात्मक शोध को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

परियोजनाओं का चयन :

शिक्षकों से ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का इस उद्देश्य के लिए गठित विषय विशेषज्ञों की एक छानबीन समिति द्वारा पूर्व मूल्यांकन किया जाता है। विषय विशेषज्ञ समिति प्रस्ताव के गुणावगुण, नवीनता और व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए संबंधित शिक्षक के साथ एक आमुख चर्चा के माध्यम से लघुसूचीबद्ध किए गए प्रस्तावों का पुनः मूल्यांकन करती है। ऐसे क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करने हेतु बल दिया जो केवल एक ही विधा और विषय तक सीमित नहीं हों जैसे स्वास्थ्य, जरा चिकित्सा, पर्यावरण, जैव प्रौद्योगिकी, तनाव प्रबंधन, विश्व व्यापार संगठन और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव, विज्ञान का इतिहास, एशियाई दर्शन, रक्षा और सामरिक अध्ययन जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा मामले, बीमा और बैंकिंग और कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं, जिनकी पहचान विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी।

सहायता की प्रमात्रा

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, भेषजी, कृषि आदि सहित विज्ञान में वृहद शोध परियोजना – 20.00 लाख रुपये

मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषाओं, साहित्य, कला, कानून और संबद्ध विषयों में वृहद शोध परियोजनाए – 15.00 लाख रुपये

एक वृहद शोध परियोजना के लिए प्रदान की गई सहायता में उपस्कर, पुस्तकें और पत्रिकाएं, रसायन और उपभोज्य वस्तुएं, आकस्मिकताएं, यात्रा और क्षेत्र कार्य, किराए पर सेवाएं प्राप्त करना, परियोजना अध्येताओं को अध्येतावृत्ति और परियोजना के लिए आवश्यक अन्य मदों हेतु वित्तपोषण शामिल है।

वर्ष 2022–23 के दौरान 120 लाभार्थियों को 1.28 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की गई।

तालिका 6.1: वर्ष 2022–23 के दौरान वृहद शोध परियोजना के लिए जारी किए गए अनुदान का ब्योरा
01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023

(करोड़ रुपये में)

विषय	कुल लाभार्थी	अनुदान सहायता सामान्य (31)			पूंजीगत परिसम्पत्तियां (35)			एनईआर सामान्य (31)			एनईआर पूंजीगत (35)			कुल
		सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
मानविकी विज्ञान (एचआरपी)	38	0.39	0.026	..	..	..	..	0.005	..	0.002	..	..	..	0.42
विज्ञान अनुसंधान (एसआर)	82	0.82	0.016	..	..	..	..	0.025	..	..	..	..	..	0.86
कुल	**120**	**1.21**	**0.042**	**..**	**..**	**..**	**..**	**0.03**	**..**	**0.002**	**..**	**..**	**..**	**1.28**

6.2 शोध अवार्ड/ शोध वैज्ञानिक

शोध अवार्ड :

शोध अवार्ड की योजना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में कार्यरत डॉक्टोरल उपाधि धारक स्थायी शिक्षकों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में बिना कोई शोध मार्गदर्शन प्राप्त किए दो वर्ष की अवधि तक शोध कार्य हेतु अवसर प्रदान करना है जिसे अपवाद स्वरूप किन्हीं मामलों में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी की सभी विधाओं के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष 100 स्लाटों पर चयन किया जाता है।

वर्ष 2022–23 के दौरान 0.24 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई।

वर्ष 2022–23 के दौरान इस योजना को 'सेवारत संकाय सदस्यों के लिए शोध अनुदान' के रूप में पुनः आरंभ की गई थी। केवल पुराने मामलों का ही निपटान किया जा रहा है।

शोध वैज्ञानिक :

शोध वैज्ञानिक योजना को मूल रूप से वर्ष 1983 में आरंभ किया गया था ताकि इसका लक्ष्य, विशिष्ट योग्यता वाले तथा विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान, अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी एवं मानविकी तथा समाज विज्ञान में तीन स्तरों पर उच्च गुणवत्तायुक्त शोध कार्य को बढ़ावा दिया जा सके।

क). शोध वैज्ञानिक 'क' (व्याख्याता)

ख). शोध वैज्ञानिक 'ख' (उपाचार्य)

ग). शोध वैज्ञानिक 'ग' (आचार्य)

योजना को अब बंद कर दिया गया है। केवल पुराने मामलों का ही निपटान किया जा रहा है।

वर्ष 2022–23 के दौरान 4.95 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

6.3 पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

6.3(i): अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

योजना का उद्देश्य, डॉक्टोरल (वाचस्पति) उपाधि धारक तथा शोध पत्र प्रकाशित करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में उच्च शोध करने के लिए सुविधा प्रदान करना है ताकि वे अपने चुने हुए क्षेत्रों में उच्च शोध कर सकें। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष कुल 100 स्लॉट उपलब्ध हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान, इस योजना को नई आरंभ की गई योजना यथा ''डॉ एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति'' के साथ विलय कर दिया गया है। केवल पुराने मामलों का निपटान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में 2.05 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

6.3(ii) महिलाओं के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां

इस योजना का उद्देश्य पीएच.डी उपाधि धारक बेरोजगार महिलाएं, जो पूर्णकालीन आधार पर विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में पोस्ट–डाक्टोरल शोध करने की इच्छुक हैं, उन्हें शोध कार्य का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष कुल 100 स्लॉट उपलब्ध हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान, इस योजना को नई आरंभ की गई योजना यथा ''डॉ एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति'' के साथ विलय कर दिया गया है। केवल पुराने मामलों का निपटान किया जा रहा है।

वर्ष 2022–23 के दौरान 2.34 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

6.3 (iii) भाषाओं सहित मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति

इस योजना का उद्देश्य संगत विषयों में पी.एच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को मानविकी और सामाजिक विज्ञान सहित भाषाओं में उन्नत अध्ययन और शोध कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 200 स्लॉट उपलब्ध हैं। इस योजना को नई आरंभ की गई योजना यथा ''डॉ एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति'' के साथ विलय कर दिया गया है। केवल पुराने मामलों का निपटान किया जा रहा है।

वर्ष 2022–23 के दौरान 2.21 लाख रुपये का व्यय हुआ।

6.3 (iv): डॉ. डी. एस. कोठारी पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

इस योजना के तहत मूलभूत विज्ञान/ चिकित्सा/ अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी में पोस्ट डॉक्टोरल शोध करने के लिए शोध अध्येताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं। चयन प्रक्रिया वर्ष भर चलती रहती है। अध्येतावृत्ति की अवधि 3 (तीन) वर्ष है।

दिनांक 28 जनवरी, 2021 तक प्राप्त आवेदनों पर चयन करने के लिए विचार किया गया है, और परिणाम सितंबर, 2021 में घोषित किया गया था; उसके बाद, योजना के तहत कोई नया चयन नहीं किया गया। इस योजना को नई आरंभ की गई योजना यथा ''डॉ एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति'' के साथ विलय कर दिया गया है। केवल पुराने मामलों का निपटान किया जा रहा है।

वर्ष 2022–23 के दौरान 506 पीडीएफ को 25.99 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

6.3 (v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति

राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्ति के निकट प्रतिभाशाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षकों द्वारा बुनियादी विज्ञान अनुसंधान में अनुसंधान योगदान को जारी रखने के लिए एक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति योजना'' आरंभ की है। योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के पश्चात् तीन अतिरिक्त वर्षों तक सार्थक शोध कार्य जारी रखना तथा युवा शोधकर्ताओं एवं पीएच.डी. छात्रों के लिए निगरानीकर्ता की भूमिका निभाना है।

कार्यकाल

अध्येतावृत्ति का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा 68 वर्ष की आयु, इनमे जो भी पहले हो, है।

वित्तीय सहायता :

योजना के तहत 50,000/–रुपये प्रतिमाह (पेंशन और/ अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अलावा) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और 5,00,000/–रुपये प्रतिवर्ष (वार्षिक आधार पर) का शोध अनुदान प्रदान किया जाएगा।

अनुसंधान अनुदान का उपयोग उपकरणों, कंप्यूटर/ लैपटॉप, प्रिंटर, रसायनों, कांच के बर्तन और उपभोग्य सामग्री, आकस्मिक राशि, परियोजना/ तकनीकी सहायक की सेवाएं प्राप्त करना, क्षेत्र कार्य, यात्रा (भारत के भीतर) आदि की खरीद के लिए किया जा सकता है। आवश्यकता के आधार पर, अध्येता इन शीर्षों के तहत राशि की प्रमात्रा का निर्धारण कर सकता है। अनुदान का उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने और फर्नीचर की खरीद के लिए नहीं किया जा सकता है।

अवार्ड प्राप्तकर्ता को अध्येतावृत्ति में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय के साथ–साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक वचनपत्र निष्पादित करना होगा और वह समय–समय पर इस अध्येतावृत्ति से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा और द्विवार्षिक प्रगति रिपोर्ट भेजेगा।

दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक 78 बीएसआर संकाय अध्येताओं को 6.01 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

6.3 (vi) एमेरिटस अध्येतावृत्ति :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सत्तर वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके द्वारा उनकी विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्र में सक्रिय शोध कार्य करने का अवसर अवसर प्रदान करना है। इस अध्येतावृत्ति हेतु पात्रता, शिक्षक द्वारा उसके सेवाकाल में किए गए शोध और प्रकाशन के कार्य की गुणवत्ता पर आधारित है। इस योजना के तहत किसी भी एक समय के आधार पर विज्ञान विषय के लिए 100 और मानविकी, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं के लिए 100 स्लॉट हैं (कुल 200 स्लॉट हैं)। **वर्ष 2022–23 के दौरान 1766/–लाख रुपये का व्यय हुआ।**

वर्ष 2022–23 के दौरान, इस योजना को ''सेवानिवृत्त संकाय सदस्य हेतु अध्येतावृत्ति'' योजना के रूप में पुनः आरंभ किया गया है। केवल पुराने मामलों का निपटान किया जा रहा है।

सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों हेतु अध्येतावृत्ति (एमेरिटस अध्येतावृत्ति)

अध्येतावृत्ति का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/ महाविद्यालयों, जिन्हें इसके पश्चात् ''संस्थान'' कहा जाएगा, के सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों को अपने क्षेत्र में अनुसंधान करने के अवसर प्रदान करना है। आचार्य/ सह आचार्यों के स्तर पर कार्यरत संकाय सदस्य (जो छह माह के भीतर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं अथवा पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं) इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। अध्येतावृत्ति का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो, है।

वित्तीय सहायता :

अध्येतावृत्ति	50,000/– प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक राशि	50,000/– प्रति वर्ष की दर से

यह योजना सितंबर, 2022 में आरंभ की गई थी और ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। वर्ष 2022–23 के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है।

6.4 शोध अध्येतावृत्तियाँ (एम.फिल./पीएच.डी हेतु)

6.4 (i) विज्ञान, मानविकी तथा समाज विज्ञान विषयों में कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियाँ (जेआरएफ)

इस योजना का उद्देश्य ऐसे विद्वानों को उच्च अध्ययन तथा शोध आरंभ करने का अवसर प्रदान करना है जिससे उन्हें भाषाओं सहित विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में एम.फिल./ पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त हो सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे अभ्यर्थियों को जेआरएफ प्रदान करता है जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट/ जेआरएफ) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग –सीएसआईआर संयुक्त परीक्षा, जिसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) द्वारा आयोजित किया जाता है, उत्तीर्ण की है। अध्येतावृत्ति की कुल अवधि पांच वर्ष की है।

दिनांक 01 जनवरी, 2019 से जेआरएफ/ एसआरएफ अध्येतावृत्ति को क्रमशः 25,000/– से बढ़ाकर 31,000/– रुपये तथा 28,000/– से बढ़ाकर 35,000/– रुपये कर दिया गया है। अन्य निबंधन और शर्तें, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुरूप हैं। अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत है:

अध्येतावृत्ति	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 31,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 35,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से	जेआरएफ (दो वर्षों के लिए) एसआरएफ (तीन वर्षों के लिए)
आकस्मिक राशि क	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिक राशि ख	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान
सहचर/ 'रीडर' सहायता	शारीरिक रूप से निशक्त और दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के मामले में 2,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से।	
मकान किराया भत्ता	भारत सरकार के नियमों के अनुरूप।	

योजना के प्रभाव :–

1. समाज के कमजोर वर्गों को शोध हेतु अवसर उपलब्ध कराना।
2. सभी विधाएं जैसे विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान आदि योजना के तहत कवर हैं।
3. शोध के समग्र आयाम का समाधान किया गया और इसका उद्देश्य योजना के तहत अभ्यास आधारित शोध करना है।
4. स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के संदर्भ में शोध की उपयुक्तता और संगतता को योजना के तहत अंगीकार किया जा रहा है।

योजना के तहत वर्ष 2022 के दौरान भुगतान किए गए अनुदानों का ब्योरा निम्नवत हैः–

क्रम संख्या	वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)	उपलब्ध स्लॉटों की संख्या (प्रतिवर्ष)
1.	2022–23	1206.21	9,400

वर्ष 2022–23 के दौरान विज्ञान, मानविकी तथा समाजिक विज्ञान विषयों में कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति के तहत 1206.21 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। जेआरएफ के तहत प्रतिवर्ष 9400 स्लॉट हैं। वर्तमान में, कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति के तहत 34,782 (लगभग) लाभार्थी एम.फिल. ⁄ पीएच.डी. कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिसम्बर, 2012 से (विअआ नेट जेआरएफ योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी) तथा दिसम्बर, 2013 से (विअआ– सीएसआईआर संयुक्त परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों) तथा दिनांक 01 जुलाई, 2016 से पिछले मामलों में जेआरएफ तथा एसआरएफ को सीधे ही, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) योजना के माध्यम से अध्येतावृत्ति संवितरण का भुगतान करता है।

वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नवत उपलब्धियां रहीं हैंः–

क. सभी जेआरएफ ⁄ एसआरएफ अध्येताओं को अध्येतावृत्ति का भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पद्धति के माध्यम से किया जा रहा है।

ख. वर्ष 2022–23 के दौरान 30,335 जेआरएफ ⁄ एसआरएफ विद्वानों को 1206.21 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है।

ग. पोर्टल पर मासिक भुगतान प्रणाली आरंभ की गई है।

घ. देश में कोविड–19 की स्थिति के कारण, जेआरएफ अवार्ड पत्र की वैधता को बढ़ाने के लिए दिनांक 29 मार्च, .2022 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था।

ङ अभ्यर्थियों को शिकायतों का समाधान करने के लिए एक समर्पित विकल्प उपलब्ध कराया गया है जिसमें उनके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रवृत्ति पोर्टल लॉगिन में शिकायत करने तथा की गई शिकायतों की स्थिति जानने के लिए एक समर्पित विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

च. जेआरएफ से एसआरएफ के स्तर में उन्नयन करने के लिए गठित समिति में बाह्य्य विशेषज्ञ को सम्मिलित करना सुनिश्चित करने के संबंध में दिनांक 27 जनवरी, 2023 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था।

6.4(ii) अनुसूचित जाति (अ.जा.) के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृतियां

इस योजना का उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालय ⁄ संस्थान ⁄ महाविद्यालय में पूर्णकालिक ⁄ नियमित आधार पर एमफिल ⁄ पीएचडी का अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जाति के चयनित अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

पात्रता :

अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति से संबंद्ध होना चाहिए था और उसने स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

चयन, अभ्यर्थियों के गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा। अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन भरने के समय अभ्यर्थी को एमफिल ⁄ पीएचडी के लिए पंजीकृत होना जरूरी है। चयन वर्ष 2018–19 से चयन के लिए सीबीएसई ⁄ एनटीए– विअआ– नेट ⁄ सीएसआईआर– नेट परीक्षा की उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है।

वित्तीय सहायताः

अध्येतावृत्ति	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 31,000 ⁄ – रुपये प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 35,000 ⁄ – रुपये प्रतिमाह की दर से	जेआरएफ (दो वर्षों के लिए) एसआरएफ (तीन वर्षों के लिए)
आकस्मिक राशि क	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000 ⁄ – रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500 ⁄ – रुपये प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान

आकस्मिक राशि ख	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान
मकान किराया भत्ता	भारत सरकार के नियमों के अनुरूप।	

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस योजना को सितंबर, 2022 तक ही लागू किया है। दिनांक 01 अक्तूबर, .2022 से इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को वापस कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सितम्बर माह तक 3132 हितधारकों को 69.24 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

6.4 (iii) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् (1) बौद्ध (2) ईसाई (3) जैन (4) मुस्लिम (5) पारसी और (6) सिक्ख के चयनित अभ्यर्थियों को देश में विश्वविद्यालय/ संस्थान्/ महाविद्यालय में पूर्णकालिक/ नियमित आधार पर एमफिल/पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। प्रत्येक वर्ष 1000 स्लॉट हैं।

वित्तीय सहायता :

अध्येतावृत्ति	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 31,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 35,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से	जेआरएफ (दो वर्षों के लिए) एसआरएफ (तीन वर्षों के लिए)
आकस्मिक राशि क	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान
आकस्मिक राशि ख	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25,000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से	विज्ञान
मकान किराया भत्ता	भारत सरकार के नियमों के अनुरूप।	

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस योजना को सितंबर, 2022 तक ही लागू किया है। दिनांक 01 अक्तूबर, .2022 से इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को वापस कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सितम्बर माह तक 2145 हितधारकों को 49.79 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

6.4 (iv): सामाजिक विज्ञान में शोध हेतु स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका अध्येतावृत्ति

वर्ष 2014–15 में आरंभ की गई यह योजना ऐसी एकल बालिकाओं पर लागू होती है, जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में सामाजिक विज्ञान में नियमित, पूर्णकालिक पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश लिया है। इस योजना का उद्देश्य समाज में एकल बालिकाओं को बढ़ावा देना, महिलाओं के पक्ष में लिंगानुपात बढ़ाना और समाज में छोटे परिवार के आदर्श को बढ़ावा देना है। अब तक, वार्षिक रूप से प्रदान की जाने वाली अध्येतावृत्तियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इसलिए, सभी पात्र आवेदक अनुसंधान करने के लिए अध्येतावृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे पीएचडी उपाधि प्राप्त कर सकें। योजना को वर्ष 2022 में ''एकल बालिका हेतु सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले अध्येतावृत्ति'' के रूप में पुनः आरंभ किया गया है। केवल पुराने मामलों का ही निपटान किया जा रहा है।

रिपार्टाधीन वर्ष के दौरान 187 लाभार्थियों को 6.15 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

6.4 (v) : विज्ञान में प्रतिभावान छात्रों हेतु बी.एस.आर. अध्येतावृत्ति (आरएफएसएमएस)

इस योजना का उद्देश्य विज्ञान में पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिये उच्च अध्ययन तथा शोध आरंभ करने हेतु प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अवसर उपलब्ध कराना है। अध्येतावृत्ति की अवधि 5 वर्ष थी। बीएसआर अध्येतावृत्ति को वर्ष 2016 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– नेट जेआरएफ अध्येतावृत्ति के साथ आमेलित कर दिया गया है।

वर्ष 2022–23 के दौरान 75 जेआरएफ/ एसआरएफ अभ्यर्थियों को 0.55 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6.5 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

6.5 (i) पेशेवर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

समाज के वंचित वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को पेशेवर पाठयक्रमों में स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन का अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को वर्ष 2011–12 से आरंभ किया गया है।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर इन छात्रवृत्तियों की अवधि दो/ तीन वर्ष है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रत्याशियों के लिए स्लॉटों की संख्या प्रतिवर्ष 1000 है।

वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है :–

एम.टेक. छात्र	78,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से
अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम	47,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से

यह योजना वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाला गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, आकलन वर्ष 2022–23 के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 1212 लाभार्थियों को 9.45 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

6.5 (ii) एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :

इस योजना के उद्देश्य गैर–पेशेवर पाठ्यक्रमों में एकमात्र बालिका संतान की स्नातकोत्तर शिक्षा को सहायता प्रदान करना, महिलाओं के पक्ष में लिंग अनुपात को बढ़ाना तथा समाज में छोटे परिवार के मानदण्ड के महत्व को पहचान प्रदान करना हैं।

यह योजना स्नातकोत्तर शिक्षा सत्र 2006–07 से आरंभ की गई थी। अपने माता–पिता की एकल बालिका और जिसने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नियमित, पूर्णकालिक निष्णात पाठ्यक्रम (गैर–व्यावसायिक पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त किया है, छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। छात्रवृत्ति, पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए उपलब्ध है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय 30 वर्ष की आयु तक की छात्राएं पात्र हैं। चूंकि यह एक प्रोत्साहन योजना है इसलिए, प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। सभी पात्र आवेदक बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।

वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत हैः–

विवरण	छात्रवृत्ति की दर
छात्रवृत्ति	36,200/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से

योजना को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाला गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, आकलन वर्ष 2022–23 के लिए चयन प्रक्रिया आरंभ की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 3839 लाभार्थियों को 13.90 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई थी।

6.5 (iii) स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति

इस छात्रवृत्ति को वर्ष 2006–07 में प्रतिभा को बढ़ावा देने और उसे पोषित करने तथा स्नातकपूर्व स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने तथा स्नातकोत्तर अध्ययन को जारी रखने के व्यापक उद्देश्य के साथ आरंभ किया गया था। स्नातकपूर्व स्तर पर प्रथम तथा द्वितीय रैंक धारक जिन्हें किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त हुआ है वे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। यह योजना ऐसे छात्रों पर लागू होती है, जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य/ सम विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय नियमित, पूर्णकालिक निष्णात उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त हुआ है और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय उनकी आयु 30 वर्ष से कम हो। प्रत्येक वर्ष 3000 छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है।

वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत हैः–

विवरण	छात्रवृत्ति की दर
छात्रवृत्ति	37,200/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से

योजना को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाला गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, आंकलन वर्ष 2022–23 के लिए चयन प्रक्रिया आरंभ की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 1564 लाभार्थियों को 5.81 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई थी।

6.5 (iv) गेट/जी.पी.ए.टी. अर्हता प्राप्त एम.ई/एम.टेक./एम.फार्मा. छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति

योजना का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी शिक्षा को जारी रखने हेतु प्रतिभावान स्नातक उपाधि धारक युवा छात्रों को आकर्षित करने में मदद करना है। गेट/जी.पी.ए.टी. अर्हता प्राप्त करने वाले छात्र, पूर्णकालिक/ नियमित आधार पर भारत में विश्वविद्यालय/ संस्थान/ महाविद्यालय में एम.ई/एम.टेक./एम.फार्मा. अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। छात्रवृत्ति को वर्ष 2016–17 में आरंभ किया गया था।

वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत हैः–

विवरण	छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति की अवधि
छात्रवृत्ति (गेट/जी.पी.ए.टी. में 60 प्रतिशत से अधिक अंक)	12,400/– रुपये प्रतिमाह की दर से	केवल दो वर्ष
छात्रवृत्ति (प्रथम सेमेस्टर में 60 प्रतिशत से कम अंक)	1,550/– रुपये प्रतिमाह की दर से	

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 1100 लाभार्थियों को 10.43 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

6.5 (v) राधाकृष्णन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्ति

इन अध्येतावृत्तियों का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में भाषाओं सहित विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करना है। केवल बेरोजगार अभ्यर्थी, जिन्हें पीएचडी उपाधि प्राप्त की है, वे योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं। 900 स्लॉट हैं, और अध्येतावृत्ति की अवधि तीन वर्ष है।

वित्तीय सहायता :–

अध्येतावृत्ति	50,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक राशि	50,000/– रुपये प्रति वर्ष की दर से
सहचर/ 'रीडर' सहायता	शारीरिक रूप से निशक्त (शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्ति) के लिए 3,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से (निर्धारित)

यह योजना सितंबर, 2022 में आरंभ की गई थी और ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। वर्ष 2022–23 के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है।

6.6 स्नातकपूर्व छात्रवृत्तियां

6.6 (i) उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए "ईशान उदय" नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना

मानव संसाधन मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तर–पूर्व क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विशेष रुचि ली है। जीईआर में वृद्धि करने तथा उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उत्तर–पूर्व क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षा सत्र 2014–15 से इस योजना को आरंभ किया गया था। योजना आरंभ करने से पूर्व, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य सरकार, केन्द्र तथा उत्तर–पूर्व क्षेत्र के राज्य विश्वविद्यालयों, मानव संसाधन मंत्रालय उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय, उत्तर–पूर्व परिषद्, शिलांग तथा अन्य हितधारकों के साथ व्यापक रूप से परामर्श किया गया था।

इस योजना के तहत, प्रत्येक वर्ष 10,000 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता मुहैया करवाने की व्यवस्था है। एनईआर के अधिवास वाले छात्र, जिन्होंने बारहवीं कक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा, पूर्वोत्तर में स्थिति किसी विद्यालय से किसी भी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण की है तथा जिन्होंने सामान्य उपाधि कार्यक्रम, चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा पाठ्यक्रम (जिसमें समेकित पाठ्यक्रम भी शामिल हैं) सहित तकनीकी तथा पेशेवर पाठयक्रमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/संस्थानों, अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय महत्व के संस्थान/संस्थान, जो पूर्वोत्तर में अथवा पूर्वोत्तर से इतर अन्य राज्यों स्थित हों, में प्रवेश प्राप्त किया है वे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। यह योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी के माता–पिता की वार्षिक आय प्रतिवर्ष 4.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नवत है:–

क्रम संख्या	ब्योरा	दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 से प्रभावी छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति की अवधि
1.	सामान्य उपाधि कार्यक्रम	54,000/– रुपये प्रति वर्ष की दर से	स्नातकपूर्व कार्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए
2.	तकनीकी तथा पेशेवर पाठयक्रम (जिसमें चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा पाठ्यक्रम शामिल हैं)	78,000/– रुपये प्रति वर्ष की दर से	

योजना को वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाला गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, आंकलन वर्ष 2022–23 के लिए चयन प्रक्रिया आरंभ की गई थी। योग्यता क्रम सूची की घोषणा अभी की जानी है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 25131 लाभार्थियों को 142.43 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई थी।

6.7 विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध (बीएसआर) कार्यक्रम (मूलभूत वैज्ञानिक शोध का सुदृढीकरण)

6.7 (i) फैकल्टी रीचार्ज प्रोग्राम (एफआरपी)

'ऑपरेशन फैकल्टी रीचार्ज' को वर्ष 2011 में आरंभ किया गया है जिसके तहत सहायक आचार्य/ सह आचार्यों / आचार्य के विभिन्न स्तरों पर संकाय के पदों का सृजन किया गया है जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन द्वारा भरा जाना था। केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों में संकाय के पद उपलब्ध कराए जाएंगे। संकाय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय– समय पर यथा अनुमोदित, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के समतुल्य परिलब्धियां प्राप्त होंगी।

संकायों अर्थात् आचार्य/ सहायक आचार्य/ सह–आचार्य की नियुक्ति का कार्यकाल प्रारंभ में 05 वर्ष है जिसे सहकर्मी समीक्षा (पीयर–रीव्यू) के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिए अधिवर्षिता की आयु की प्राप्ति तक बढ़ाया जा सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दिनांक 02 सितम्बर, 2016 को आयोजित बैठक में आयोग ने मूलभूत वैज्ञानिक शोध की योजना के तहत भविष्य से एफआरपी कार्यक्रम को वापस लेने का संकल्प लिया गया।

वर्तमान में, योजना के तहत चयनित कुल 373 संकायों में से 145 संकाय कार्यरत हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संकाय पुनर्भरण कार्यक्रम के तहत कार्य कर रहे संकायों के कार्यकाल को बढ़ाने और उनकी पदोन्नति के लिए नवंबर, 2022 में चयन समिति की ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से 149 संकाय सदस्यों का एक सहकर्मी समीक्षा मूल्यांकन आयोजित किया। आयोग ने दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 को आयोजित अपनी 564वीं बैठक में चयन समिति की सिफारिशों को अनुमोदन प्रदान किया। तदनुसार, 147 संकायों का कार्यकाल बढ़ाया गया; 147 संकायों में से, 135 संकायों को भी अगले उच्च स्तर पर पदोन्नत किया गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान, 149 संकायों को कुल 47.99 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

6.7 (ii) भर्ती हुए नए संकाय सदस्यों हेतु 'स्टार्ट–अप' अनुदान

ऐसे सभी शिक्षक जो मूलभूत विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकायों में स्थायी पद के समक्ष सहायक आचार्य के पद नव–नियुक्त हुए हैं, वे योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। सहायक प्रोफेसर को विभाग/ विश्वविद्यालय में पद धारण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन करना चाहिए। शोध अनुदान का उद्देश्य विश्वविद्यालयों के नियमित रूप से नियुक्त संकाय सदस्यों को अपने क्षेत्र में अनुसंधान करने के अवसर प्रदान करना है। चयन संपूर्ण वर्ष किया जाता है। इस योजना की अवधि दो वर्ष है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता 10.00 लाख रुपये है।

दिनांक 28 जनवरी, 2022 तक प्राप्त आवेदनों पर चयन के लिए विचार किया गया है, और परिणाम सितंबर, 2021 में घोषित किया गया था और उसके बाद, योजना के तहत कोई नया चयन नहीं किया गया था।

वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के 161 संकाय सदस्यों को 9.12 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6.7 (iii) बीएसआर कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को 'मिड करियर अवार्ड'

योजना का उद्देश्य नियमित रूप से नियुक्त शिक्षकों को उनके विशिष्ट क्षेत्रों में शोध को जारी रखने के लिए अवसर उपलब्ध करवाना है। ऐसे आवेदक जिनकी विश्वविद्यालय में आवेदन जमा करने की तिथि से तीन वर्ष की सेवा शेष हो, वे इसके लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। चयन संपूर्ण वर्ष किया जाता है। इस योजना की अवधि दो वर्ष है जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता 10.00 लाख रुपये है।

दिनांक 28 जनवरी, 2021 तक प्राप्त आवेदनों पर चयन के लिए विचार किया गया है और परिणाम सितंबर, 2021 में घोषित किया गया था। उसके बाद, योजना के तहत कोई नया चयन नहीं किया गया था।

वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में अनुसंधान कार्य कर रहे 17 शिक्षकों को 0.76 करोड़ रुपए जारी किए गए।

6.7 (iv) सेवारत संकाय सदस्यों के लिए शोध अनुदान

इस योजना का उद्देश्य नियमित रूप से नियुक्त संकाय सदस्यों को अपने क्षेत्र में अनुसंधान करने के अवसर प्रदान करना है। 50 वर्ष की आयु तक के संकाय सदस्य, जिनकी विश्वविद्यालय में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा शेष है, वे इस योजना के तहत पात्र हैं। अध्येतावृत्ति का कार्यकाल दो वर्ष है और इसमें 200 स्लॉट हैं अथवा, जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों को 10.00 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यह योजना सितंबर, 2022 में आरंभ की गई थी और ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। वर्ष 2022–23 के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है।

6.7 (v) नव नियुक्त संकाय सदस्यों के लिए डॉ. डी. एस. कोठारी शोध अनुदान

शोध अनुदान का उद्देश्य विश्वविद्यालयों/ सस्थानों/ महाविद्यालयों (जिन्हें इसके पश्चात् ''संस्थान'' कहा जाएगा) के नियमित रूप से नियुक्त संकाय सदस्यों सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों को उनके क्षेत्र में अनुसंधान करने के अवसर प्रदान करना है। विश्वविद्यालय में स्थायी पदों के समक्ष, सहायक आचार्य के स्तर पर नए नियुक्त हुए सभी शिक्षक, योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। योजना के तहत 132 स्लॉट हैं तथा अध्येतावृत्ति का कार्यकाल दो वर्ष है। चयनित अभ्यर्थियों को 10 लाख रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

योजना को सितम्बर, 2022 में आरंभ किया गया था और ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। वर्ष 2022–23 के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है।

लिंग तथा सामाजिक समानता

अध्याय 7

7.1 भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास

7.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग (सम्पन्न वर्ग के अलावा), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक तथा निशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम

7.1 भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययनों का विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की बढती भागीदारी प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता में, अनेक पहल की हैं जैसे:

i. भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्रों के विकास के लिए योजना।

ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015।

iii. शिक्षण संस्थानों में 'जेंडर चौंपियंस' के लिए दिशानिर्देश।

iv. महिलाओं से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण और यौन उत्पीड़न के लिए निशुल्क नंबर 1800111656

महिला अध्ययन के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययन हेतु केन्द्रों और प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है। केन्द्रों/प्रकोष्ठों को लिंग समानता, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, बालिकाओं की शिक्षा, जनसंख्या से जुड़े मुद्दों, मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों, सामाजिक शोषण आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान, पाठ्यक्रम विकसित करने और प्रशिक्षण के आयोजन और विस्तार कार्य करना अपेक्षित होता है। इन क्रियाकलापों के माध्यम से न केवल सामाजिक जागरूकता और परिवर्तन बल्कि शैक्षणिक विकास में भी योगदान देने की आशा की जाती है।

- वर्तमान में, ''भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययन के विकास'' योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 159 महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
- दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आबंटित निधि तथा महिला अध्ययन हेतु उसके उपयोग का ब्योरा निम्नानुसार हैः–

आबंटित बजट	01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 के दौरान महिला अध्ययन अनुभाग द्वारा जारी अनुदान
वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 12.00 करोड़ रुपये	10.57 करोड़ रुपये (अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक)
जारी की गई राशि का कुल योग	10.57 करोड़ रुपये (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 के दौरान)

लाभार्थियों की संख्या	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय
52	42	10

योजना का उद्देश्य :

(i) शिक्षण, अनुसंधान और क्षेत्र कार्रवाई के माध्यम से महिला अध्ययन के विस्तार के लिए महिला अध्ययन केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ii) सामाजिक परिवर्तन, विकास की प्रक्रियाओं और शोषण पर नारीवादी दृष्टिकोण को उजागर करके समाज के बोध को बढ़ाने के लिए अंतर्अनुशासनात्मक दृष्टिकोण और सैद्धांतिक समझ को बढ़ावा देना।

(iii) क्षेत्र कार्रवाई कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्रीय वास्तविकता के साथ निरंतर अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करना।

7.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग (सम्पन्न वर्ग के अलावा), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक छात्रों तथा निशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम

7.2 (i) विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में शिक्षक के पदों पर नियुक्ति तथा दाखिले के मामले में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार और अनुसूचित जाति/ जनजाति आयोग द्वारा समय–समय पर दिए गए सुझावों के आलोक में उच्चतर शिक्षा के स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु निरंतर और विशेष प्रयास कर रहा है। इन उपायों में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा पेशकश किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों का आरक्षण, शिक्षण और शिक्षणेत्तर पदों पर भर्ती में आरक्षण, छात्रावासों, छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्ति, उपचारात्मक पाठ्यक्रमों में सीटों का प्रावधान, जनजातीय क्षेत्रों में महाविद्यालयों को विशेष सहायता आदि शामिल हैं।

केन्द्रीय शिक्षा संस्थान अधिनियम, 2006 के अनुसार, प्रवेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 75 प्रतिशत आरक्षण है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्चतर शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करते हैं और संस्थानों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के एक निश्चित प्रतिशत को दाखिले में नामांकित करने को अनिवार्य बनाते हैं। अधिनियम के निरंतर कार्यान्वयन के लिए प्रयास किए जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 के पत्र सं 1–5/2006 (एससीटी) के माध्यम से वर्ष 2012 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 31 के अनुसार अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2012 को अग्रेषित किया है।

दिनांक 07 मार्च, 2019 के केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (शिक्षक के पदों पर आरक्षण) अध्यादेश को भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय तथा मानव संसाधन विभाग मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा दिनांक 07 मार्च, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेश के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 07 मार्च, 2019 के मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.38–II/2018–सीयू.वी के साथ–साथ केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (शिक्षक के संवर्ग पर आरक्षण) अध्यादेश, 2019 के संबंध में दिनांक 07 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या 1013 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 07 मार्च, 2019 और दिनांक 08 मार्च, 2019 के पत्रांक संख्या एफ.1–5/2006 (एससीटी) के माध्यम से अग्रेषित किया, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि किसी केन्द्रीय शिक्षा संस्थान में शिक्षक के संवर्ग में संस्वीकृत संख्या में सीधी भर्ती में पदों पर इस पद्धति से, निम्नवत सीमा के अनुसार आरक्षण होगा जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्थाप. (आरईएस) में विनिर्दिष्ट है, नामतः

(क) अनुसूचित जातियों के लिए पंद्रह प्रतिशत आरक्षण।

(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण।

(ग) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समय–समय पर सभी केन्द्रीय/ राज्य/ सम विश्वविद्यालयों और सहायता अनुदान प्राप्त संस्थानों को (i) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सरकार की शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए अनुदेश जारी किए हैं। (ii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96– स्थापना (आरईएस.) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आरक्षण रोस्टर का प्रदर्शन। (iii) शिक्षण और शिक्षणेत्तर पदों में इन श्रेणियों की शेष चिह्नित बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरना। इस कार्यालय के दिनांक 12 जून, 2023 और 14 जुलाई, 2023 के पत्र संख्या 1–8/2014 (एससीटी) के माध्यम से पत्र जारी किए गए हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान, 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 75 राज्य विश्वविद्यालयों और 26 सम विश्वविद्यालयों (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12ख के तहत) द्वारा शिक्षण, शिक्षणेत्तर पदों, छात्रों के प्रवेश और छात्रावास में निवास करने वाले विद्यार्थियों के संबंध में प्रस्तुत की गई जानकारी निम्नानुसार है:

तालिका 7.2 (i) (क) वर्ष 2022–23 के लिए शिक्षण कर्मचारियों का ब्योरा

केंद्रीय विश्वविद्यालय											
			भरे गए पदों की श्रेणीवार स्थिति						*कुल में से		
पद का नाम	आंकडे उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	संस्वीकृत पदों की संख्या	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
सहायक आचार्य	37	8512	4175	805	391	1247	114	6732	146	660	516
सह आचार्य		3757	1730	147	40	117	6	2040	14	187	81
आचार्य		1838	970	59	15	40	4	1088	9	70	31
कुल		**14107**	**6875**	**1011**	**446**	**1404**	**124**	**9860**	**169**	**917**	**628**

राज्य विश्वविद्यालय											
			भरे गए पदों की श्रेणीवार स्थिति						*कुल में से		
पद का नाम	आंकडे उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	संस्वीकृत पदों की संख्या	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
सहायक आचार्य	75	5853	2717	655	238	934	10	4554	20	438	161
सह आचार्य		2355	703	113	34	239	3	1092	1	86	41
आचार्य		1307	598	61	15	127	3	804	2	125	33
कुल		**9515**	**4018**	**829**	**287**	**1300**	**16**	**6450**	**23**	**649**	**235**

सम विश्वविद्यालय											
			भरे गए पदों की श्रेणीवार स्थिति						*कुल में से		
पद का नाम	आंकडे उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	पदों की संख्या	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
सहायक आचार्य	17	7177	2481	641	85	3472	1	6680	25	164	484
सह आचार्य		2338	960	145	23	1035	0	2163	5	36	110
आचार्य		1575	612	68	9	759	0	1448	2	25	56
कुल		**11090**	**4053**	**854**	**117**	**5266**	**1**	**10291**	**32**	**225**	**650**

तालिका 7.2 (i) (ख) वर्ष 2022–23 के लिए शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का ब्योरा

केन्द्रीय विश्वविद्यालय											
			भरे गए पदों की श्रेणीवार स्थिति						*कुल में से		
पद का नाम	आंकडे उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	संस्वीकृत पदों की संख्या	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
समूह–क	37	1623	786	46	33	64	0	929	12	203	67
समूह–ख		7255	3039	431	218	541	71	4300	27	880	220
समूह–ग		18166	6709	678	546	1100	49	9082	143	3114	578
समूह–घ		596	227	12	118	22	16	395	5	1	219
कुल		**27640**	**10761**	**1167**	**915**	**1727**	**136**	**14706**	**187**	**4198**	**1084**

राज्य विश्वविद्यालय											
पद का नाम	आंकडे उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	संस्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की श्रेणीवार स्थिति						*कुल में से		
			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
समूह–क	75	5216	2011	136	45	118	1	2311	6	496	306
समूह–ख		3281	2213	282	60	697	5	3257	40	818	62
समूह–ग		11005	4199	993	328	2591	51	8162	174	532	605
समूह–घ		7927	2487	528	239	597	166	4017	33	108	40
कुल		**27429**	**10910**	**1939**	**672**	**4003**	**223**	**17747**	**253**	**1954**	**1013**

सम विश्वविद्यालय											
पद का नाम	आंकडे उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	संस्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की श्रेणीवार स्थिति						*कुल में से		
			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल'	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
समूह–क	17	2408	1337	279	134	582	8	2340	19	133	224
समूह–ख		3400	1515	536	97	1198	12	3358	11	130	246
समूह–ग		6703	1357	1940	208	2827	19	6351	32	290	379
समूह–घ		4850	2057	1170	165	1374	37	4803	29	188	220
कुल		**17361**	**6266**	**3925**	**604**	**5981**	**76**	**16852**	**91**	**741**	**1069**

तालिका 7.2 (i) (ग) शिक्षा सत्र 2022–23 के दौरान सभी पाठ्यक्रमों में दाखिला पाने वाले छात्र (प्रवेश का प्रथम वर्ष)

केन्द्रीय विश्वविद्यालय														
विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम	आंकडे उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	कुल दाखिले / छात्र दाखिला (अनुमोदित)	कुल सीटों के समक्ष दाखिला पाने वाले छात्र (प्रथम वर्ष)	रिक्त, यदि कोई हों तो	दाखिल किए गए छात्रों की श्रेणीवार स्थिति						*कुल में से		
					सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
स्नातकपूर्व	37	105535	90809	14553	44487	12238	5018	23071	6517	91331	1150	6810	1101
स्नातकोत्तर		56328	46462	9445	20282	4497	8746	11207	2588	47320	512	5871	3588
एम.फिल.		628	366	214	116	61	48	135	38	398	0	7	17
पीएच.डी.		9323	7226	2613	2830	825	1819	2082	423	7979	70	644	1130
डिप्लोमा / प्रमाणपत्र		29005	16091	13069	12206	727	514	2299	287	16033	104	5549	60
कुल		**200819**	**160954**	**39894**	**79921**	**18348**	**16145**	**38794**	**9853**	**163061**	**1836**	**18881**	**5896**

राज्य विश्वविद्यालय													
विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम	आंकडे उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	कुल सीटें / छात्र दाखिला (अनुमोदित)	कुल सीटों के समक्ष दाखिला पाने वाले छात्र (प्रथम वर्ष)	रिक्त, यदि कोई हों तो	दाखिल किए गए छात्रों की श्रेणीवार स्थिति						*कुल में से		
					सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
स्नातकपूर्व	75	361339	387754	89581	207703	50584	31798	160452	9879	460416	7842	21507	10917
स्नातकोत्तर		121733	130986	27046	48856	17899	10687	52260	3360	133062	1190	8933	4149
एम.फिल.		97	93	4	21	73	5	214	6	319	0	28	2
पीएच.डी.		11055	4898	4892	2607	596	224	1546	110	5083	23	414	81
डिप्लोमा / प्रमाणपत्र		60729	73188	5202	36355	8691	5851	24601	3442	78940	159	1244	1952
कुल		**554953**	**596919**	**126725**	**295542**	**77843**	**48565**	**239073**	**16797**	**677820**	**9214**	**32126**	**17101**

सम विश्वविद्यालय													
विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम	आंकडे उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	कुल सीटें/ छात्र दाखिला (अनुमोदित)	कुल सीटों के समक्ष दाखिला पाने वाले छात्र (प्रथम वर्ष)	रिक्त, यदि कोई हों तो	दाखिल किए गए छात्रों की श्रेणीवार स्थिति						*कुल में से		
					सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
स्नातकपूर्व	17	50113	44469	5208	16441	4326	1717	20943	1417	44844	49	2681	2460
स्नातकोत्तर		14441	12378	2175	4395	1391	525	5866	457	12634	18	667	706
एम.फिल.		15	12	3	9	0	0	3	0	12	0	1	6
पीएच.डी.		3961	2723	394	1169	194	29	1387	33	2812	7	116	205
डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र		2515	1836	1045	1100	173	41	436	73	1823	4	37	92
कुल		71045	61418	8825	23114	6084	2312	28635	1980	62125	78	3502	3469

छात्रावास (वर्ष 2022–23)

केन्द्रीय विश्वविद्यालय											
आंकडे उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	छात्रावासों की संख्या	कुल सीटों की क्षमता	छात्रावासों में निवास करने वाले छात्रों की संख्या						*कुल में से		
			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
37	444	77902	27673	7204	8208	21164	6323	70572	1091	14834	3268

राज्य विश्वविद्यालय											
आंकडे उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	छात्रावासों की संख्या	कुल सीटों की क्षमता	छात्रावासों में निवास करने वाले छात्रों की संख्या						*कुल में से		
			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
75	338	68524	19560	7337	3864	19392	1606	50153	296	6292	729

सम विश्वविद्यालय											
आंकडे उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या	छात्रावासों की संख्या	कुल सीटों की क्षमता	छात्रावासों में निवास करने वाले छात्रों की संख्या						*कुल में से		
			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल*	शारीरिक रूप से निशक्त	मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक समुदाय
17	191	68443	25134	4221	5509	17784	630	53278	37	1140	1095

7.2(ii) भारत सरकार के दिनांक 04 जनवरी, 2013 के पत्र संख्या 43011/153/2010–स्थाप. (आरईएस) के माध्यम से प्रत्येक संस्थान में **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ** की स्थापना करना अधिदेशित है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 08 जून, 2015 के अर्ध शासकीय पत्र संख्या एफ.1–5/2006(एससीटी) के माध्यम से सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित सम विश्वविद्यालयों से पदों तथा सेवाओं और अन्य संबंधित कार्यों के लिए आरक्षण के आदेशों के प्रवर्तन हेतु विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित करने हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों का अनुपालन करने का अनुरोध किया। आयोग ने दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को आयोजित 535वीं बैठक में ऐसे नए गठित केन्द्रीय वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ मौजूद नहीं है, वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित करने का संकल्प लिया। प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए आयोग ने शिक्षणेत्तर पदों को अनुमोदित किया है।

7.2 (iii) जनजाति उप योजना (टीएसपी) तथा अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दिनांक 08 फरवरी, 2018 को आयोजित 529वीं बैठक में अनुमोदन उपरांत कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए थे। मानव संसाधन मंत्रालय, परिणामी कदम के रूप में एससीएसपी और टीएसपी के लिए 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की सीमा तक निधियां चिह्नित करता है, एक परिणामी कदम के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह निगरानी करनी चाहिए की एससीएसपी और टीएसपी के लिए जिस सीमा तक निधियां चिह्नित की गई है, उनका कहीं अन्यत्र विपथन नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, एससीएसपी और टीएसपी निधियों के लिए एक पृथक अनुमोदन पत्र जारी किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रत्येक तीन घटकों अर्थात् सामान्य श्रेणी, एससीएसपी और टीएसपी के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ– साथ वर्ष के दौरान उपयोग की गई निधियों तथा अगले वित्तीय वर्ष में ले जाया जाने वाला अव्ययित शेष दर्शाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु निधियों के प्रबंधन के लिए पृथक बैंक खाते भी खोले हैं।

7.2(iv) जातिगत भेदभाव का निवारण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को परामर्श दिया है कि वेः

1. कर्मचारियों/ संकाय सदस्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के साथ उनके सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव का कोई कृत्य करने से बचना चाहिए।
2. विश्वविद्यालय/ संस्थान/ महाविद्यालय को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों द्वारा जातिगत भेदभाव की ऐसी शिकायतों को अपलोड करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक पृष्ठ अपलोड करना चाहिए और कुल सचिव/ प्राचार्य कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ एक शिकायत रजिस्टर का रखरखाव करना चाहिए। यदि प्राधिकरणों के ध्यान में ऐसी कोई घटना आती है तो, तुरंत ही चूककर्ता अधिकारी/ संकाय के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।
3. विश्वविद्यालय/ संस्थान को यह सुनिश्चित करना चाहिए की कोई भी कर्मचारी/ संकाय सदस्य किसी समुदाय अथवा श्रेणी के विरूद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं करे।
4. विश्वविद्यालय, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ पिछड़ा वर्ग के छात्रों/ शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए एक समिति का गठन करे।

वर्ष 2021–22 और 2022–23 के दौरान 665 उच्चतर शिक्षा संस्थानों से जानकारी प्राप्त हुई है।

7.2 (v) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग)/ अल्पसंख्यकों हेतु अनुशिक्षणः

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में विशेष अनुशिक्षण योजनाओं के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों के लिए सामाजिक समानता तथा सामाजिक आर्थिक उत्थान की दिश में योगदान दे रहा है। सभी संबंधित विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं, **यथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु उपचारात्मक अनुशिक्षण/ सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं/ नेट का अनुशिक्षण, समान अवसर प्रकोष्ठ और शारीरिक रूप से निशक्त योजनाओं** को जारी रखने के बारे में सूचित किया जाता है, जिन्हें दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के कार्यालय ज्ञापन एफ. संख्या 1–8/ 2018 (सीपीपी II) के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

7.2 (vi) सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशन की नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापनाः

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक बहिष्करण के मुद्दे पर शोध को सहायता प्रदान करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि अर्थात वर्ष 2006–07 के दौरान सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केंद्रों की स्थापना नामक एक नई योजना आरंभ की थी, जिसका सैद्धांतिक और नीतिगत महत्व है। ऐसे केंद्रों की स्थापना की आवश्यकता यह देखते हुए महसूस की गई थी कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कुछ समुदायों को विकास का लाभ लेने के मामले में प्रणालीगत बहिष्कार का अनुभव होता है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं –

- जातिगत/ नृजातीय/ और धर्म के आधार पर भेदभाव, बहिष्करण और समावेशन की अवधारणा को समझना।
- भेदभाव और बहिष्करण के स्वरूप और आयामों की समझ विकसित करना।
- भेदभाव, बहिष्करण और समावेशन की जांच करना और उसकी तय में मौजूद चुनौतियों को समझना।
- वास्तविक स्तर पर भेदभाव के बोध को विकसित करना।

- इन समूहों के अधिकारों की रक्षा और बहिष्करण और भेदभाव की समस्या को समाप्त करने के लिए नीतियां तैयार करना।

  देश भर के विश्वविद्यालयों में 35 केन्द्र स्थापित किए गए।

  केंद्रों के प्राथमिक कार्य निम्नवत हैं –

- कला निष्णात और एम.फिल. स्तरों पर शिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ करना, जिससे सामाजिक बहिष्करण अध्ययनों में पूर्ण एम.फिल उपाधि और यहां तक कि सामाजिक बहिष्करण अध्ययन में कला निष्णात उपाधि कार्यक्रमों की संभावना बढ़ जाती है।
- एम.फिल और पीएच.डी. पर्यवेक्षण आरंभ करना।
- सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के साथ अनुभवजन्य अध्ययन करना और तुलनात्मक अध्ययन और नीतिगत/ कार्यक्रम मूल्यांकन के लिए समय श्रृंखला डेटा बैंक तैयार करना।
- सरकारी एजेंसियों द्वारा सृजित सामाजिक–आर्थिक आंकड़ों के आधार पर कड़ाई से व्यापक विश्लेषण करना।
- सामाजिक बहिष्करण के विषय पर सम्मेलनों, संगोष्ठियों और परिसंवाद का आयोजन।
- संकाय और छात्रों के शोध निष्कर्षों को नियमित रूप से प्रकाशित करना।
- प्रख्यात विद्वानों द्वारा इस विषय पर सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित करना।
- अभ्यागत संकाय को आमंत्रित करने के एक सक्रिय कार्यक्रम के माध्यम से अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्वानों, विशेषरूप से युवा विद्वानों तक पहुंच बनाना।
- सामाजिक बहिष्करण का मुकाबला करने में लगे नागरिक समाज संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना।
- राजनीतिक नेताओं, सांसदों, सरकारी अधिकारियों, मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं और मीडिया व्यक्तित्वों के लिए अल्पकालिक अभिविन्यास पाठ्यक्रम आरंभ करना।

पात्रता

- योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता ऐसे विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराई जाएगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) अथवा धारा 3 के दायरे में आते हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हैं।
- विश्वविद्यालय को पीएफएमएस पोर्टल के तहत पंजीकृत होना चाहिए और एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त होना चाहिए।

यह योजना वर्ष 2023–24 के दौरान जारी रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल को 1,20,50,109/– रुपये की राशि जारी की गई है।

7.2 (vii) निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

भारत का संविधान सभी व्यक्तियों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और निशक्त व्यक्तियों सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज को अंतिर्निहित रूप से अधिदेशित करता है। हाल के वर्षों में, निशक्त व्यक्तियों के प्रति समाज की धारणा में व्यापक और सकारात्मक बदलाव हुए हैं। यह महसूस किया गया है कि अधिकांश निशक्त व्यक्ति, यदि उनके पास समान अवसर हों और पुनर्वास के उपायों तक प्रभावी पहुंच हो, तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवनयापन कर सकते हैं।

निशक्त व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 इंगित करता है कि निशक्त व्यक्तियों की शिक्षा के प्रत्येक स्तर तक पहुंच होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में, देश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है और निशक्त व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें विशेष शिक्षा क्रियाकलापों में शामिल कर रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर समस्त विश्वविद्यालयों और सम–विश्वविद्यालयों को समस्त नीति–विषयक निर्णयों से अवगत कराया जाता रहा है जिनमें कि निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए दाखिले एवं रोज़गार के संबंध में भारत सरकार द्वारा विहित आरक्षण नीतियाँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस विषय में आयोग के स्तर पर जो भी निर्णय लिए गए हैं तथा जो दिशानिर्देश जारी हुए हैं, उन्हें भी कार्यान्वयन के लिए समस्त विश्वविद्यालयों को जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा, सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 2006 को भी विश्वविद्यालयों को परिपत्र द्वारा प्रेषित कर दिया गया था तथा उनसे अनुरोध किया था कि वे उनमें शामिल प्रावधानों का कड़ाई के साथ अनुपालन करें।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में आरक्षण– सरकार से सहायता प्राप्तकर्ता उच्चतर शिक्षा के सभी सरकारी संस्थान और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों निर्धारित निशक्तता वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कम से कम **पांच** प्रतिशत सीटों को आरक्षित करेंगे।

आरक्षण– प्रत्येक संवैधानिक सरकार, प्रत्येक सरकारी प्रतिशठान में प्रत्येक पद के प्रत्येक समूह में संवर्ग की संख्या में कुल रिक्तियों का कम से कम **चार** प्रतिशत रिक्तियों को निर्धारित निशक्तता वाले दिव्यांग व्यक्तियों से भरेगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को निदेश जारी किया है कि वे दिनांक 14 फरवरी, 2020 और दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के अर्ध–शासकीय पत्र संख्या एफ. 6–1/2018 (एससीटी) के माध्यम से डब्ल्यूपीसी संख्या 292/2006 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के आदेशों के अनुपालन में अपने विश्वविद्यालय/संघटक तथा संबद्ध महाविद्यालयों में निम्नवत सिफारिशें के अनुपालन हेतु सभी संस्थानों को अनुदेश जारी किए हैं।

क) निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 32 का अनुपालन करे तथा प्रत्येक वर्ष इसके अनुपालन की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जानकारी दें। "इस उद्देश्य के लिए, वे प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक पाठ्यक्रम में भर्ती किए गए निशक्त व्यक्तियों की संख्या की सूची मुख्य आयुक्त और/अथवा राज्य आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे (जैसा भी मामला हो)। मुख्य आयुक्त के साथ–साथ राज्य आयुक्त का भी यह कर्तव्य होगा कि वे जांच करें कि क्या इन शिक्षण संस्थानों ने उपरोक्त बाध्यता को पूरा किया है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जैसा कि निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 89 के साथ–साथ अन्य उपबंधों के अंतर्गत व्यवस्था की गई है उन दोषी संस्थाओं के विरुद्ध उचित परिणामी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

ख) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विकसित निशक्त व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त निर्मित परिवेश तैयार करने के लिए सुसंगत दिशानिर्देशों और स्थान संबंधी मानकों को अपनाना जिन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक इमारतों के लिए पहुंच मानकों के रूप में अधिसूचित किया गया है। विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध महाविद्यालय, समयबद्ध तरीके से लागू की जाने वाली विस्तृत पहुंच कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे।

ग) शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों और अभिभावकों को शामिल करते हुए एक आंतरिक समिति का गठन करना जो निशक्त व्यक्तियों की दिन–प्रतिदिन की जरूरतों का ध्यान रखने के साथ ही साथ योजनाओं का कार्यान्वयन करे।

घ) महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समान अवसर प्रकोष्ठ का समुचित संचालन सुनिश्चित करना।

तालिका 7.2 (vii) : वर्ष 2020–21 से 2022–23 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)

वर्ष 2020–21 से 2022–23 के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थानों में निशक्त व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)									
उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संख्या	पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रवेश पाने वाले छात्र				संकाय की भर्ती (कार्यरत शिक्षण कर्मचारियों की संख्या)		शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती (कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या)		शारीरिक रूप से निशक्त छात्रों को उपलब्ध कराई गई अध्येतावृत्तियां/छात्रवृत्तियां
	प्रवेश पाने वाले छात्रों की कुल संख्या		शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति		कुल	शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति	कुल	शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति	
	वर्ष		पुरूष	महिलाएं					
269	2020.21	327858	4282	4945	11803	527	18849	165	20234
	2021.22	334367	5656	6757	11102	513	18278	143	5229
	2022.23	1336842	9805	9026	32563	789	47201	462	15731

इस संबंध में मार्च, 2023 तक 269 उच्चतर शिक्षा संस्थानों से जानकारी प्राप्त हो चुकी है।

सुगम्य भारत अभियान (एक्ससेबल इंडिया कैम्पेन) की स्थितिः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुगम्य भारत अभियान की निगरानी के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के दिनांक 19.10.2019 के पत्र संख्या (एफ.सं. 18–15/2019–यू1(ए) के पत्राचार के संदर्भ में दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 का पत्र सं.एफ.6–11/2015 (एससीटी) जारी किया, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों से अनुरोध किया गया कि वे स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त 'यूनिसेक्स' सुलभ शौचालयों के निर्माण और रेट्रोफिटिंग भवन, ब्रेल में उत्कीर्णित अनुदेश के साथ लिफ्टों की संख्या और हैंडरेल वाले रैंप के संबंध में प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। जानकारी निम्नानुसार दी गई हैः–

तालिका 7.2 (viii): दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार सुगम्य भारत अभियान की स्थिति

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार सुगम्य भारत अभियान के संबंध में अवस्थिति टिप्पण	
आंकड़े प्रस्तुत करने वाले विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या	505
'यूनीसेक्स' शौचालयों की संख्या	7872
'रेटरोफिटिंग' किए गए भवनों की संख्या	1493
संस्थापित की गई लिफ्टों की संख्या	4308
ऐसी लिफ्टों की संख्या जिनमें ब्रेल अक्षरों में अनुदेश लिखे गए हों	2162
हैंडरेल वाले रैम्पों की संख्या	2604

विश्वविद्यालय = **313**

महाविद्यालय = **192**

कुल = **505**

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निशक्त व्यक्तियों से संबंधित नए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं जिनका नाम, उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों हेतु सुगम्यता संबंधी दिशानिर्देश और मानक हैं। दिनांक 12 जुलाई, 2022 को, इन दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था और इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को दिनांक 12 जुलाई, 2022 के पत्र संख्या एफ. संख्या 6–11/ 2021 (एससीटी/ समीक्षा– सुगम्यता दिशानिर्देश) जारी किए गए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निशक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए योजनाएं/ स्कीमें भी कार्यान्वित कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में रोजगार और दाखिले में निशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करनी है।

निम्नलिखित योजनाओं के तहत उन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध है जो धारा 2 (च) के दायरे में आते हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हैं।

दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. संख्या 1–8/2016 (सीपीपी–II) के अनुसार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में निशक्त व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित योजनाओं को भी दिनांक 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

7.2 (viii) (क) विशेष आवश्यकताओं वाले निशक्त व्यक्तियों हेतु उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन)

मूल रूप से इस योजना का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में एक परिवेश तैयार करना है ताकि निशक्त व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा ज्ञान अर्जन के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। निशक्त व्यक्तियों की सक्षमता के बारे में जागरूकता पैदा करना, विनिर्माण का उद्देश्य पहुंच में सुधार करना, शिक्षण अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उपस्कर का क्रय करना, इस योजना के तहत सहायता की बृहद श्रेणियां हैं।

7.2 (viii) (ख) दृष्टिबाधित शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता:

योजना को दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को रीडर तथा शिक्षण और अधिगम उपकरणों की सहायता से तथा ब्रेल पुस्तकें, रिकार्ड की हुई सामग्री आदि के क्रय हेतु रीडर भत्ते तथा निधियां उपलब्ध करवा कर शिक्षण तथा शोध कार्य जारी रखने के लिए तैयार करना तथा ऐसे दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को शिक्षण, ज्ञान अर्जन तथा शोध हेतु विभिन्न सहायक उपकरणों का उपयोग कर आत्मनिर्भर बनने में सहायता प्रदान करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना है।

7.2 (ix) अन्य पिछड़ा वर्ग

शिक्षणेत्तर पद :

भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली, से दिनांक 22 अक्तूबर, 1993 को एक पत्र संख्या 36012/22/93–स्थापना (एससीटी) प्राप्त हुआ था।

विश्वविद्यालयों के सभी कुल सचिवों से अनुरोध किया गया था कि इस कार्यालय के दिनांक 21 अप्रैल, 1994 के पत्र संख्या एफ. 1–4/94 (एससीटी) को सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को अब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के उपरोक्त पत्र में अंतर्विष्ट निदेशों के अनुरूप लागू किया जाए। यह भी अनुरोध किया गया कि उक्त पत्र की विषयवस्तु को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित करते हुए सभी संबद्ध महाविद्यालयों के ध्यान में लाई जाए।

शिक्षण पदः

आयोग ने अपनी दिनांक 27 दिसंबर, 2006 को हुई बैठक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा, केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों में व्याख्याता के स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को लागू करने को मंजूरी देने का निर्णय लिया, जिसे माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09 अक्तूबर, 2006 के पत्र संख्या एफ. 22–1/98–यू.5 के माध्यम से विधिवतरूप से शिक्षा मंत्रालय द्वारा सिफारिश की गई थी।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालय संस्थानों और राज्य विश्वविद्यालयों के सभी 'कुल सचिवों से इस कार्यालय के क्रमशः दिनांक 24 जनवरी, 2007, 2007, 25 जनवरी, 2007 और 26 सितम्बर, 2007 के पत्र संख्या एफ.1–9/94(एससीटी) के माध्यम से अनुरोध किया गया था । भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा, अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में तत्काल प्रभाव से व्याख्याता के स्तर पर शिक्षण पद भरने हेतु भारत सरकार की आरक्षण नीति को लागू करें। सभी राज्य विश्वविद्यालयों को यह भी सूचित किया गया था कि राज्य के भीतर कार्यरत संबद्ध/संघटक महाविद्यालय और अन्य संस्थान संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत का अनुसरण कर सकते हैं।

सभी राज्य सरकारों को इस कार्यालय के दिनांक 23 अक्तूबर, 2007 के पत्र संख्या एफ 1–4/94 (एससीटी/ओबीसी) के माध्यम से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा, उपरोक्त पत्रों में अंतर्विश्ट निदेशों के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालय संस्थान, राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध/संघटक महाविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने की कार्रवाई आरंभ करे।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय शिक्षण संस्थानों (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के दिनांक 07 मार्च, 2019 के पत्र संख्या एफ 38–11/2018–सीयू.वी के साथ दिनांक 07 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या 1013 की एक प्रति सभी अनुदान–सहायता विश्वविद्यालयों को भेजी है।

दिनांक 07 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या सां. आ. 1013 :– केंद्रीय शिक्षण संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश 13) की धारा 3 की उप–धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा निर्दिष्ट करती है कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के (आरई) दिनांक 02 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्थापना (आरईएस) में निर्दिष्ट पद्धति से एक केंद्रीय शिक्षण संस्थान में शिक्षक संवर्ग में स्वीकृत संख्या में सीधी भर्ती में पदों पर निम्नवत सीमा तक आरक्षण होगाः

(क) अनुसूचित जातियों के लिए पंद्रह प्रतिशत।

(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए साढ़े सात प्रतिशत, और

(ग) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सत्ताईस प्रतिशत।

7.2 (x) दाखिला

शिक्षा मंत्रालय के निदेशानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 33 के अनुसार अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय शिक्षण संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2012 को दिनांक 19 नवम्बर, 2012 के पत्र संख्या एफ.1–5/2006 (एससीटी) के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों को भेज दिया है। उपरोक्त अधिनियम के पैरा 3 के अनुसार, अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुमेय संख्या में से नीति के अनुसार, अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत सीटें, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जानी हैं।

"विनिर्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र" का अर्थ है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और असम के जनजातीय क्षेत्रों वाला एक ऐसा क्षेत्र जिसका संविधान की छठी अनुसूचित में उल्लेख किया गया हैः केंद्रीय शिक्षा संस्थानों के संबंध में "राज्य सीटों" का अर्थ है, ऐसी सीटें, अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुमेय संख्या में से, यदि कोई हो, जिन्हें राज्य के सबसे पात्र छात्रों में से भरा जाना निर्धारित किया गया है, जहां ऐसा संस्थान स्थित है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय, संसद के एक अधिनियम और संविधियों और उसके तहत तैयार किए गए अध्यादेशों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन है। प्रवेश सहित सभी प्रशासनिक अकादमिक निर्णय, विश्वविद्यालयों द्वारा अपने सांविधिक निकायों के

अनुमोदन के साथ लिए जाते हैं। यह विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि वह भारत सरकार की आरक्षण नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सभी केन्द्रीय/ राज्य/ सम विश्वविद्यालयों और अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों को (i) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ शारीरिक रूप से निशक्त/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन करने (ii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02 जुलाई, 1997 के अर्धशासकीय पत्र संख्या 36012/2/96–स्थापना (आरक्षण) में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आरक्षण रोस्टर का प्रदर्शित करने, और (iii) इन श्रेणियों के शेष चिन्हित बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर पदों को भरने के लिए समय–समय पर अनुदेश जारी करता।

7.2 (xi) उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत के संविधान के एक सौ तीनवें संशोधन के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को तत्काल लागू करने और उसका अनुपालन करने के संबंध में सभी विश्वविद्यालयों और सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को सूचित किया। यह भी अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंधों को इस तरह से लागू किया जाए कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान, शिक्षा वर्ष 2020–21 तथा उसके बाद से आरंभ हो गया है।

अध्याय 8

प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा

8.1 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र

8.2 भारतीय युग प्रवर्तक समाज चिंतक

8.1 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र

आयोग ने वर्ष 1963 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रमों को आंरभ किया। पिछले पांच दशकों में यह अपनी विशेषताओं तथा सीमाओं के साथ उभरा कर आगे आया है। यह केन्द्र निम्नवत मुख्य उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं;

क. क्षेत्रों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत विशिष्टियों के संपूर्ण बोध को बढ़ावा देना;

ख. उपनिवेशवाद के बाद के समाज के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र अध्ययनों के वैकल्पिक प्रतिमानों को बढ़ावा देना;

ग. क्षेत्र और अन्य मुद्दों के संबंध में भारतीय परिप्रेक्ष्य में योगदान देना;

घ. विशेषरूप से देश के आर्थिक, कार्यनीतिक तथा राजनीतिक हितों में नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया करवाना;

ङ विश्व के क्षेत्रों के ज्ञान को बौद्धिक विधाओं का मुख्य अंग बनाना;

च अंतर्क्षेत्रीय तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए शोध करना।

इस योजना के तहत पांच वर्ष की अवधि के लिए सहायता उपलब्ध है।

8.1(क) परियोजना पद्धतिः निम्नलिखित मदों के तहत अधिकतम सहायता शतप्रतिशत आधार पर होगी।

अनावर्ती अनुदान	
कार्यालय उपस्कर और कार्यालय फर्नीचर	1.50 लाख रुपये
पुस्तकें और जर्नल	3.00 लाख रुपये
क्षेत्र कार्य (छात्रों के लिए 25 प्रतिशत)	2.50 लाख रुपये
संगोष्ठियां/ परिसंवाद/ सम्मेलन	3.00 लाख रुपये
प्रकाशन	2.00 लाख रुपये
अभ्यागत संकाय	2.00 लाख रुपये
प्रचालनात्मक व्यय	1.00 लाख रुपये
कुल	15.00 लाख रुपये

आवर्ती अनुदानः– एक संकाय स्थिति, (उपाचार्य/व्याख्याता/दस्तावेजीकरण अधिकारी) दो अनुसंधान एसोसियेट अथवा परियोजना एसोसियेट और अथवा परियोजना अध्येता (आरए/पीएएंडपीएफ के लिए वेतन तथा अन्य निबंधन और शर्तें वहीं रहेंगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बड़ी परियोजना स्कीमों के लिए भी लागू हैं)

8.1(ख) वर्ष 2022–23 के दौरान मौजूदा क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों को निम्नानुसार अनुदान उपलब्ध कराया जाएगाः

तालिका 8.1(ख) निम्नलिखित मदों के तहत अधिकतम सहायता शतप्रतिषत आधार पर होगीः

अनावर्ती	(लाख रुपये में)		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
भवन (नवीकरण / विस्तार हेतु)	10.00	8.00	5.00
कार्यालय उपस्कर और कार्यालय फर्नीचर	4.00	4.00	3.00
पुस्तकें और जर्नल	5.00	3.00	2.00
क्षेत्र कार्य (छात्रों के लिए 25 प्रतिशत)	15.00	10.00	4.00
संगोष्ठियां / परिसंवाद / सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां / संकाय परियोजना	10.00	5.00	4.00
अभ्यागत संकाय	6.00	4.00	3.00
प्रचालनात्मक व्यय और आकस्मिताएं	5.00	3.00	2.00
प्रकाशन	5.00	3.00	2.00
कुल	**60.00**	**40.00**	**25.00**

आवर्ती अनुदानः– (1) संकाय पदः एक उपाचार्य, एक व्याख्याता, एक दस्तावेजीकरण अधिकारी

(2) दो अनुसंधान एसोसियेट अथवा परियोजना एसोसियेट अथवा / परियोजना अध्येता (आरए / पीएएंडपीएफ के लिए वेतन तथा अन्य निबंधन और षर्तें वहीं रहेंगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बड़ी परियोजना स्कीमों के लिए भी लागू हैं)।

8.2 भारतीय युग प्रवर्तक समाजिक चिंतकों पर विशेष अध्ययन

भारत में अनेक बुद्धिजीवी और महान नेता हुए हैं जिन्होंने अपने क्रान्तिकारी और उत्कृष्ट विचारों और कार्यों से न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने नवीन स्वदेशी विचार विकसित किए तथा भारत को सांस्कृतिक तथा सदाचारी देश की पहचान प्रदान की है। शिक्षकों और विद्यार्थियों को उनके विचारों और कार्यों से परिचित करवाने और अध्ययन शोध और क्षेत्र आधारित विस्तार सेवा कार्यक्रमों के सृजनात्मक कार्यों में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। भारत के युग प्रवर्तक सामाजिक चिंतक (विशेष अध्ययन) योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1983 में आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन महान विचारकों और सामाजिक चिंतकों के विचारों और कार्यक्रमों से संबंधित अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थानों में गांधीवाद, नेहरू, डॉ, अंबेडकर, बौद्ध, डॉ जाकिर हुसैन, पंडित मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी अध्ययन आदि के क्षेत्रों में विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय युग प्रवर्तक समाजिक चिंतक योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में 394 अध्ययन केंद्र स्थापित हैं। भारत के महान सामाजिक विचारकों के विचारों और धारणा से शिक्षकों और छात्रों को परिचित कराने के लिए, विभिन्न विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में स्तर –1 में 60.00 लाख और स्तर– 2 में 40.00 लाख और स्तर– 3 में 25.00 लाख रुपये के विभिन्न अनुदानों में 394 अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान इस योजना के तहत कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी गई थी।

अध्याय 9

सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) का समेकन

9.1 ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ/ई–कार्यालय/ विअआ वेबसाइट
9.2 ऑनलाइन ज्ञानअर्जन के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि
9.3 राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी)
9.4 एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी)
9.5 ई– समाधान

9.1 ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ/ई–कार्यालय/ विअआ वेबसाइट

9.1 (i) ई– गवर्नेंस प्रकोष्ठ

ई– गवर्नेंस प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 2019 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के कार्यालय में इनफ्लिबनेट सेंटर (विअआ का एक आईयूसी) की मदद से की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ई–गवर्नेंस की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ में समर्पित तकनीकी कर्मचारियों का दल नियुक्त किया गया है। कार्य परिवेश को पारदर्शी और कागज़रहित बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न योजनाओं और क्रियाकलापों के तहत एचईआई से ऑनलाइन आवेदन और जानकारी आमंत्रित करने के लिए वेब–पोर्टल और वेब–एप्लीकेशन तैयार किए गए हैं। एमआईएस रिपोर्ट सृजित करने के प्रावधान के साथ वेब–पोर्टल सफलतापूर्वक चालू हैं:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)– 2020 के लिए जानकारीप्रद पृष्ठ
- आनलॉइन ई– शपथ पोर्टल
- विअआ ई– सेवा पोर्टल
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आगंतुक पास – एप्लीकेशन
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बैठक प्रबंधन प्रणाली
- एफआरपी – ऑनलाइन साक्षात्कार पोर्टल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ई–अभिशासन प्रकोष्ठ की मदद से वर्चुअल पद्धति के माध्यम से विभिन्न बैठकें/ संगोष्ठियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

9.1 (ii) ई–कार्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में एक सरलीकृत, त्वरित, प्रभावी और पारदर्शी कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के 'ई–ऑफिस प्रीमियम संस्करण' सॉफ्टवेयर को एनआईसी की मदद से लागू किया गया है।

एनआईसी (ई–नोटिंग सहित) के ई–ऑफिस मॉड्यूल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से 'ई–ऑफिस' प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है।

ई–नोटिंग, ई–फाइलिंग आदि सहित 'ई–ऑफिस' सुविधा के सभी मॉड्यूल, विअआ के कार्यालय में पूरी तरह कार्यात्मक हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारी घर से काम (डब्ल्यूएफएच) करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके अथवा अपने आधार कार्ड नंबर के माध्यम से *https://sacess.nic.in* पर ई–ऑफिस पोर्टल पर पंजीकरण करके ई–ऑफिस सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। एनआईसी ईमेल सेवाओं को विअआ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी सक्रिय कर दिया गया है।

9.1 (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य, अंतिम उपयोगकर्ताओं/ हितधारकों के साथ विभिन्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करना है। साथ ही, हितधारक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेब पोर्टलों के माध्यम से विश्वविद्यालय की रिपोर्टों, योजनाओं के लिए प्रस्ताव, छात्रवृत्ति/ अध्येतावृत्ति/ नौकरी आदि के लिए आवेदन करने सहित अपनी विभिन्न जानकारी प्रस्तुत/ अपलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट को नियमित आधार पर अद्यतन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक नई वेबसाइट विकसित की जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विअआ की वेबसाइट को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल, जानकारीप्रद और क्रियाशील बनाने के लिए इसे पुनः डिजाइन कर रहा है। सभी जानकारियों को हितधारकों के स्वरूप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है जैसे कि छात्र, संकाय और विश्वविद्यालय। इससे जानकारी प्राप्त करने में सुलभता होगी। यह अनुभाग एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने की व्यवस्था के साथ–साथ विभिन्न पोर्टलों के काम को भी संभाल रहा है:

9.1 (iii) (क) विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल (यूएएमपी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल समय–समय पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा किए गए कार्यक्रमों/ गतिविधियों के लिए 'एक स्थान पर सब समाधान' पोर्टल के रूप में कार्य कर रहा है। यह पोर्टल विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रमों/ गतिविधियों का विवरण अपलोड करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे विअआ के विश्वविद्यालय पोर्टल के लिए विअआ द्वारा उपलब्ध कराए किए गए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ इस पोर्टल पर लॉगिन करें। इसके अलावा, विश्वविद्यालय नियमित रूप से इस पोर्टल पर अपने संपर्क विवरण अद्यतन कर सकते हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से की गई कार्रवाई रिपोर्ट एकत्रित की है:

- I. उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन।
- II. 'उच्चतर शिक्षा संस्थान 2.0 में 'मूल्य प्रवाह– मानव मूल्यों और पेशेवर नैतिकता का समावेश' के मसौदे पर सुझाव।
- III. उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के लिए डिजिटल स्वच्छता की मूल तत्वों पर मसौदा पुस्तिका के संबंध में हितधारकों से प्रतिक्रिया/ विचार/ सुझाव आमंत्रित करना।
- IV. क्रेडिट योजना के साथ–साथ स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर के लिए साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम के प्रारूप पाठ्यक्रम पर हितधारकों से प्रतिक्रिया/ विचार / सुझाव आमंत्रित करना।
- V. परीक्षा पर चर्चा 2022
- VI. उच्चतर शिक्षा संस्थानों/ अनुसंधान संस्थानों में संकाय और शोधकर्ताओं के साथ अनुसंधान शिक्षुता के लिए मसौदा दिशानिर्देशों पर हितधारकों से प्रतिक्रिया/ विचार / सुझाव आमंत्रित करना।
- VII. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022– माहवार (अप्रैल से जून 2022) विस्तृत क्रियाकलाप संबंधी योजना।
- VIII. आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) –2022 का उत्सव– उच्चतर शिक्षा संस्थानों में आयोजित कार्यक्रमों/ क्रियाकलाप का विवरण।
- IX. अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष (आईवाईओएम)– 2022
- X. सुगम्य भारत अभियान (सुगम्य भारत अभियान)– विश्वविद्यालय।
- XI. हर घर तिरंगा– आजादी का अमृत महोत्सव के लिए क्रियाकलाप योजना।
- XII. कोविड टीकाकरण/ अमृत महोत्सव।
- XIII. हर घर तिरंगा कार्यक्रम– आजादी का अमृत महोत्सव मनाने हेतु किए गए क्रियाकलाप।
- XIV. शिक्षक पर्व (शिक्षक दिवस) मनाने हेतु किए गए क्रियाकलाप।
- XV. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशिष्ट ज्ञान अर्जन से जुड़ी अक्षमता (एसएलडी) से ग्रसित दिव्यांगजनों के शिक्षण के लिए शैक्षणिक पहलुओं पर 'क्रेडिट'–आधारित पाठ्यक्रमों हेतु प्रारूप दिशानिर्देशों पर हितधारकों से प्रतिक्रिया/ विचार / सुझाव आमंत्रित किए।
- XVI. वर्ष 2022–23 के लिए साइबर जागरुक दिवस (सीजेडी) मनाया गया।
- XVII. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का मनाया गया।
- XVIII. 'एकता दिवस' मनाने हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई।
- XIX. अपने संबंधित संस्थानों में 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' की नियुक्ति हेतु कार्रवाई की गई।
- XX. वाराणसी में दिनांक 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक काशी तमिल समागम (केटीएस) मनाया गया।
- XXI. भारतीय भाषा दिवस आयोजित किया गया।
- XXII. 'वीर बाल दिवस–आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा कार्रवाई की गई।
- XXIII. जी–20 विश्वविद्यालय संपर्क कार्यक्रम का आयोजन।

XXIV. स्नातकपूर्व स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के लिए प्रारूप दिशानिर्देशों और पाठ्यचर्या ढांचे पर टिप्पणियां/ सुझाव/ प्रतिक्रिया मांगी गई।

XXV. दिनांक 25 फरवरी, 2023 को शिक्षा और कौशल क्षेत्र के लिए वेबिनार के पूर्ण सत्र का आयोजन किया गया।

XXVI. अधिसंख्य सीटों के सृजन से लाभान्वित हुए बच्चों की स्थिति।

XXVII. उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) को समान अवसर प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों के प्रारूप पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रतिक्रिया/ सुझाव आमंत्रित किए गए।

XXVIII. पर्यावरण (एलआईएफई) मिशन के लिए पंच प्राण और जीवन शैली।

9.2 ऑनलाइन ज्ञानअर्जन के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि

9.2 (i) स्नातकोत्तर विषयों के लिए पाठ्यचर्या ई–विषयवस्तु को तैयार करना (*https://epgp.inflibnet.ac.in/*)

ई–पीजी पाठशाला : सूचना संचार प्रौद्योगिकी (एनएमई–आईसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को किसी भी समय, कहीं भी, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सभी शिक्षार्थियों के लाभ के लिए शिक्षण और ज्ञानअर्जन की प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है।

ई–पीजी पाठशाला नामक इस पहल के तहत सामाजिक विज्ञान, कला, ललित कला और मानविकी, प्राकृतिक और गणितीय विज्ञान, भाषा विज्ञान और भाषाओं की सभी विधाओं और विभिन्न विषयों में विकसित की जा रही सामग्री उच्च गुणवत्ता, पाठ्यक्रम आधारित, अन्योन्यक्रियात्मक स्वरूप की है। यह सभी के पहुंच हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध है और इसे इन्फिलबनेट के सर्वर पर होस्ट किया गया है।

परियोजना के उद्देश्य निम्नवत थे:

i. महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विषय विशेषज्ञों से विशेषज्ञता प्राप्त कर स्नातकोत्तर स्तर पर 700 से अधिक पाठ्यक्रमों में ई–सामग्री विकसित करना।

ii. ई–सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया में विषय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देना।

iii. उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण और ज्ञानअर्जन की प्रक्रिया को सहायता प्रदान करने तथा अनुपूर्ति करने एवं औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रदाता पद्धतियों का उपयोग करके छात्रों और सहपाठियों के लिए ई–सामग्री उपलब्ध कराना; और

iv. छात्रों और सहपाठियों के बीच ई– विषयवस्तु के उपयोग को बढ़ावा देना।

ई–पीजी पाठशाला, शिक्षकों और छात्रों के लाभ के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु उच्च गुणवत्ता वाली ई–सामग्री प्रदान करता है। यह विभिन्न प्रकार की असमानताओं जैसे अमीर/गरीब, शहरी/ग्रामीण, जाति और धर्म आधारित असमानताओं, भौगोलिक असमानताओं, क्षेत्रीय असमानताओं आदि का समाधान करता है। मिश्रित शिक्षा पद्धति के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा ई–पीजी पाठशाला सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।

अब तक विकसित ई–विषयवस्तु की स्थिति तालिका में नीचे दी गई है और ई–पीजी पाठशाला परियोजना दिनांक 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त हो गई है

क्रम संख्या	पीआई/ विषयवस्तु का ब्योरा	संख्या
1	पत्र (पाठ्यक्रमों) की संख्या जिनमें ई– विषयवस्तु का विकास किया जा रहा था।	778
2	सर्वर पर अपलोड की गई स्टैटिक विषयवस्तु की संख्या	23425
3	अपलोड की गई वीडियो/ स्व– शिक्षण सामग्रियों की संख्या	23953
4	शैक्षिक विशेषज्ञों की संख्या	5000 से अधिक

ई– विषयवस्तु मुक्त रूप से विश्वभर में पहुंच के लिए उपलब्ध है।

ई–पीजी पाठ्शाला वेबसाइट पर अंतर्राष्ट्रीय विजिटरों सहित विजिटरों की कुल संख्या लगभग 10344586 विजिटर थी। **अंतर्राष्ट्रीय विजिटरों का ब्योरा (वीडियो तक पहुंच बनाने वाले) नीचे दिया गया है:– अमेरिका** से 196924 विजिटर, **यूके** से 52,843 विजिटर, **आस्ट्रेलिया** से 18,493 विजिटर, **रूस** से 16,639 विजिटर, **पाकिस्तान** से 298,251 विजिटर, **यूएई** से 11,059 विजिटर, **चीन** से 2861 विजिटर, **न्यूजीलैंड** से 2914 विजिटर, **जापान** से 9,437 विजिटर, **जर्मनी** से 26259 विजिटर। **इन सबके अलावा,** यूटयूब उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 6878038 रही।

वर्ष 2022–23 के दौरान परियोजना पर कुल **28,02,100–/ रुपये (अट्ठाइस लाख दो हजार एक सौ रुपये)** का व्यय हुआ है।

9.2 (ii) 'स्वयं प्लेटफार्म' के लिए वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (*www.swayam.gov.in*)

सरकार ने स्वयं पोर्टल भी आरंभ किया है जोकि संचार और सूचना प्रौद्योगिकीयों (आईसीटी) का उपयोग कर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक समेकित प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से, किसी भी छात्र के लिए देश में सर्वोत्तम शिक्षकों द्वारा पेशकश किए गए 'वर्चुअल' पाठयक्रमों में शामिल होना संभव होगा जिसमें वह शिक्षक से बातचीत कर सकता है, परीक्षा दे सकता है, शैक्षिक 'क्रेडिट' अर्जित कर सकता है तथा उन्हें अपने शैक्षिक रिकार्ड में अंतरित कर सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 'स्वयं' के तहत मुख्य उपलब्धियां निम्नवत हैं:

1. 'स्वयं' प्लेटफार्म के माध्यम से पेशकश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट अंतरण स्वीकार करने के लिए दो सौ नवासी (289) विश्वविद्यालय 'ऑनबोर्ड' हो गए हैं।
2. 'अंतिम मील कनेक्टिविटी' को एक संभावना बनाने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ सहयोग किया है ताकि देश भर में 'कॉमन सर्विस सेंटर' (सीएससी) और 'स्पेशल पर्पज व्हीकल' (एसपीवी) केंद्रों के साथ अपने ई–संसाधनों को एकीकृत किया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय ने एनईपी–2020 के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दिनांक 29 जुलाई 2022 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ई–संसाधन पोर्टल (*https://ugceresources.in/*) आरंभ किया। यह पोर्टल ग्राम पंचायतों में एमईआईटीवाई केंद्रों के 2.5 लाख सीएससी/ एसपीवी और देश भर में पांच लाख से अधिक सीएससी/ एसपीवी केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को डिजिटल ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। ई–संसाधनों में निम्नवत शामिल हैं:
   - 08 भारतीय भाषाओं (हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल) में 27 एमओओसी।
   - गैर–प्रौद्योगिकी संग्रहीत एमओओसी (135 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, 243 स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम)
   - ईपीजी पाठशाला (67 स्नातकोत्तर विषयों में ई– विषयवस्तु)।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ई–संसाधन के इस एकल पोर्टल के माध्यम से, शिक्षार्थी देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के संकाय सदस्यों द्वारा विकसित किए गए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, ललित कला और मानविकी, प्राकृतिक और गणितीय विज्ञान, भाषा विज्ञान और भाषाओं के सभी विधाओं के विभिन्न विषयों में उच्च गुणवत्ता, पाठ्यक्रम– आधारित, अंतः क्रियात्मक, ऑनलाइन ई– विषयवस्तु को देख सकते हैं। अनुवादित पाठ्यक्रम, भाषा से जुड़ी बाधाओं का समाधान करते हैं, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देते हैं और मातृभाषा में सीखने का लचीलापन प्रदान करते हैं।

04 लाख छात्रों/ शिक्षार्थियों/ संकाय सदस्यों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ई–संसाधन पोर्टल (*https://ugceresources. in*) पर लॉग–इन किया।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'स्वय' प्लेटफॉर्म के लिए 'आर्कटिक/ पोलर स्टडीज' पर एमओओसी के विकास हेतु विषय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। उक्त समिति की सिफारिश पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 12 अप्रैल, 2022 को भारत की आर्कटिक नीति (आईएपी) के छह स्तंभों पर एमओओसी के विकास के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) का विज्ञापन दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ईओआई के प्रत्युत्तर में, 92 एमओओसी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति के दो सदस्यों ने 37 प्रस्तावों को लघुसूचीबद्ध किया, जिनका विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनः अवलोकन किया गया और विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुति देने और आमने– सामने बातचीत के लिए दस प्रस्ताव आमंत्रित किए गए, जिसके आधार पर विशेषज्ञ समिति ने 'स्वयं' प्लेटफॉर्म पर एमओओसी के विकसित करने के लिए 04 प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया है। 'आर्कटिक/ पोलर' अध्ययनों में पाठ्यक्रमों, नौकरियों और अनुसंधान के अवसरों की उपलब्धता के बारे में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरूकता पैदा करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 09 दिसंबर, 2022 को ''भारत की आर्कटिक नीतिः लक्ष्य और अवसर'' विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 'स्वयं' से संबंधित मल्टीमीडिया कार्यों के लिए एजेंसियों/ विक्रेताओं को एक और वर्ष अर्थात् 08 मार्च, 2023 से 07 मार्च, 2024 तक दर अनुबंध आधार पर अनुबंध को बढ़ाया।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 6 फरवरी 2023 को जनवरी, 2023 सेमेस्टर के लिए 'स्वयं' प्लेटफॉर्म हेतु 04 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एमओओसी आरंभ किए। इन एमओओसी में निम्नवत सम्मिलित हैं:
   i. भारतीय बौद्ध धर्म का इतिहास– चार 'क्रेडिट'
   ii. अभिधम्म (पाली), चार 'क्रेडिट' के लिए,
   iii. बौद्ध दर्शन, चार 'क्रेडिट' के लिए,
   iv. सामुदायिक जुड़ाव और सामाजिक उत्तदायित्व, दो क्रेडिट

इन पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए दिनांक 15 जनवरी, 2023 को छात्रों/ आजीवन शिक्षार्थियों/ कामकाजी पेशेवरों के लिए पंजीकरण खोला गया था, और पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2023 थी। बौद्ध संस्कृति और पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के पुनरुद्धार पर बौद्ध अध्ययन के लिए पहले तीन एमओओसी के विकास की सिफारिश दिनांक 31 अगस्त और 29 अक्तूबर, 2020 को मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिवों की समिति (सीओएस) की बैठक में की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर गेशे नगावांग समतेन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। बौद्ध अध्ययन पाठ्यक्रम, प्रो. समतेन के समन्वय में विकसित किए गए हैं और केंद्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी, इन एमओओसी के लिए मेजबान विश्वविद्यालय है। जिन छात्रों ने विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/ महाविद्यालयों में नामांकन किया है, वे इस पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 'स्वयं' विनियम, 2021 के अनुसार 'क्रेडिट' अंतरण का लाभ उठा सकते हैं। इस 'क्रेडिट' अंतरण के लिए मेजबान विश्वविद्यालय, केंद्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान (सीआईएचटीएस), सारनाथ, वाराणसी होगा। विकसित किया गया चौथा एमओओसी सामुदायिक जुड़ाव और सामाजिक उत्तरदायित्व है, जो देश में 'उन्नत भारत अभियान' (यूबीए) के भाग के रूप में एनईपी 2020 की एक प्रमुख सिफारिश है। दयालबाग शैक्षिक संस्थान, आगरा, इस एमओओसी के लिए मेजबान विश्वविद्यालय है। दिसंबर, 2022 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत 2.0 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के संबंध हेतु दिशानिर्देश जारी किए। चूंकि दिशानिर्देशों में दो 'क्रेडिट' वाले सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व के पाठ्यक्रम को पढ़ाने की सिफारिश की गई है, इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूबीए के अंतर्गत समुदाय आधारित सहभागिता अनुसधान (सीबीपीआर) के लिए 'मास्टर ट्रेनर्स' (एमटी) के रूप में संकाय के क्षमता निर्माण के लिए सात क्षेत्रीय केंद्रों की पहचान की है। इसके लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 27 जनवरी और 15 फरवरी, 2022 को सात केंद्रों से नामित संकाय सदस्यों के लिए दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और अप्रैल से जुलाई, 2022 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सात क्षेत्रीय केंद्रों में से प्रत्येक में तीन दिवसीय आमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विषय विशेषज्ञ समूह (एसईजी) संसाधन व्यक्तियों की देखरेख में आयोजित किया और स्थानीय संसाधकों द्वारा सहायता प्रदान की गई।

वर्ष 2022–23 के दौरान परियोजना ('स्वयं' के लिए एमओओसी) के लिए कुल 1,62,27,889.62 रुपये (एक करोड़ बासठ लाख सत्ताईस हजार आठ सौ नवासी रुपये और बासठ पैसे मात्र) का व्यय किया गया था।

9.3 राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी)

राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार (एनएडी), शिक्षा मंत्रालय (एमओई) की एक स्थायी योजना है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) द्वारा एकल डिपॉजिटरी डिजीलॉकर के माध्यम से लागू किया जाता है। यह एक डिजिटल प्रारूप में अकादमिक संस्थानों (विश्वविद्यालयों, आईएनआई, विद्यालय बोर्ड, आदि) द्वारा दर्ज किए गए शैक्षणिक अवार्डों (डिग्री, अंक तालिका, आदि) का एक ऑनलाइन भंडार है। यह छात्रों को किसी भी समय, कहीं भी बिना किसी वास्तविक इंटरफेस के उपाधियों के मूल जारीकर्ताओं से सीधे डिजिटल प्रारूप में प्रामाणिक दस्तावेज/ प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

उपलब्धियां और पहल

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एनएडी प्रकोष्ठ का संचालन विअआ– एनएडी प्रकोष्ठ, सॉउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, बेनिटो जुआरेज मार्ग, नई दिल्ली–110021 से कर रहा है।
- प्रकोष्ठ के लिए विनिर्दिष्ट कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है जिसमें एक सिस्टम एनालिस्ट और एक डेटा एनालिस्ट शामिल हैं। एनएडी से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए वेबसाइट में एक विनिर्दिष्ट ईमेल प्रदान किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राधिकृत किया जाएगा कि वह डिजीलॉकर, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सहयोग से एनएडी को एक स्थायी योजना और एनएडी के एकल निकाय के रूप में बिना किसी उपयोग प्रभार को उद्ग्रहित किए कार्यान्वित करे।
- सभी शैक्षिक संस्थाओं से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी वेबसाइट पर एनएडी का हाइपरलिंक सृजित करें और उनसे एनएडी के कार्यान्वयन के लिए एनएडी प्रकोष्ठ स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

- एनएडी पर डेटा को पंजीकृत और अपलोड करने के बारे में संस्थानों का नियमित रूप से टेलीफोन पर और यदि आवश्यक हो, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मार्गदर्शन करना। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपराह्न 2.30 बजे से 5.30 बजे के बीच सीधे शामिल होने के लिए सहायता लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- डिजीलॉकर के साथ पंजीकृत सभी शैक्षणिक संस्थानों ने एनएडी के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है, जिसका संपर्क हेतु विवरण (ईमेल और मोबाइल फोन) डिपॉजिटरी के पास उपलब्ध है।
- विश्वविद्यालयों (केंद्रीय, राज्य, सम और निजी) की सूची समय–समय पर डिजीलॉकर को प्रदान की गई है।
- एनएडी प्रकोष्ठ, समय–समय पर सभी विश्वविद्यालयों को छात्रों का अधिकतम डेटा अपलोड करने के लिए अनुरोध करता है।
- एनएडी प्रकोष्ठ ने मंत्रालय को मासिक अवस्थिति रिपोर्ट भेज दी है।

एनएडी की प्रगति के संबंध में डाटा:

डिजिलॉकर के साथ एनएडी की स्थिति

क्रम संख्या	विवरण	01 अप्रैल, 2022	31 मार्च, 2023
1	ऑनबोर्ड हुए शैक्षणिक संस्थानों की संख्या	1488	1937
2	दर्ज किए गए शैक्षिक उपाधियों की संख्या	7.25 करोड़	12.94 करोड़
3	सत्यापन प्राप्त करने वाले पंजीकृत निकायों की संख्या	1501	1960

9.4 एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी):

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)– 2020 में एक ऐसी प्रणाली बनाने के लिए कई सुधारों का प्रस्ताव किया गया है जो 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षी लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में, सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लचीले और अभिनव पाठ्यक्रम में अनेक प्रवेश/ निकास विकल्पों के प्रावधान के साथ क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम शामिल होंगे। नीति, एक 'अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (एबीसी) की स्थापना की सिफारिश करती है, जो विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा ताकि अर्जित क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए उच्चतर शिक्षा संस्थानों से डिग्री प्रदान की जा सके।

एनईपी–2020 में यथा परिकल्पित 'अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (एबीसी) उचित ''क्रेडिट अंतरण'' प्रणाली के साथ देश में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छात्रों के पाठ्यक्रम ढांचे और अंतःविषय/ बहु–विषयक और शैक्षणिक गतिशीलता के लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सुविधा होगी। यह छात्रों को डिग्री/ डिप्लोमा/ स्नातकोत्तर –डिप्लोमा आदि प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं का ज्ञान अर्जन का मार्ग चुनने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक प्रणाली होगी, जो बहु प्रवेश– बहु निकासों के सिद्धांत के साथ–साथ किसी भी समय, कहीं भी और किसी भी स्तर पर ज्ञान अर्जन के सिद्धांत पर काम करेगा। एबीसी, उच्चतर शिक्षा की अनेक विधाओं के एकीकरण को सक्षम बनाएगा, जिससे रचनात्मकता, नवाचार, उच्च स्तर के चिंतन और महत्वपूर्ण विश्लेषण सहितज्ञान अर्जन के वांछित परिणाम प्राप्त होंगे।

एबीसी, प्रत्येक छात्र को डिजिटल रूप में एक विशिष्ट/ व्यक्तिगत शैक्षणिक बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करेगा। प्रत्येक खाताधारक को एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी। एबीसी के प्रमुख कार्यों में एबीसी योजना के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों का पंजीकरण करना और छात्रों के शैक्षणिक खातों को खोलना, बंद करना और सत्यापन, क्रेडिट सत्यापन, क्रेडिट संचय, छात्रों का क्रेडिट अंतरण/ मोचन और हितधारकों में एबीसी को प्रचार– प्रसार करना है।

एबीसी अपने स्वयं डिग्री प्रदान करने वाला संगठन नहीं होगा। उपाधि प्रदान करने की सांविधिक शक्ति उन पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों के पास निहित रहेगी जिन्होंने एबीसी के साथ पंजीकरण कराया है। किसी भी स्नातकपूर्व/ स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने अथवा पीएचडी कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम से जुड़ी कार्य संबंधी आवश्यकताओं हेतु 'क्रेडिट' अपेक्षाओं के साथ– साथ अध्ययन के अनिवार्य घटकों को संबंधित विश्वविद्यालयों अथवा एबीसी योजना में भाग लेने वाले स्वायत्त संस्थानों द्वारा परिभाषित किया जाएगा। यह योजना उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय अथवा इसके द्वारा नामित एमओई के तहत एक स्वायत्त/ सांविधिक निकाय के समग्र पर्यवेक्षण के तहत कार्यान्वित की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी सहायता, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के एनईजीडी (राष्ट्रीय ई–अभिशासन प्रभाग) द्वारा प्रदान की जाएगी। यह मौजूदा डिजीलॉकर प्रणाली का लाभ उठाएगा। एबीसी पोर्टल (***https://www.abc.gov.in/***) छात्रों और विश्वविद्यालयों दोनों के पंजीकरण के लिए खुला है।

इस छात्र– केंद्रित सुविधा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, यह आवश्यक है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, अपने संवैधानिक प्राधिकरणों के अनुमोदन/ मौजूदा अध्यादेशों के संशोधन के साथ, एबीसी से पंजीकरण करें और विश्वविद्यालय स्तर पर एबीसी कार्यक्रम के विकास और संचालन की निगरानी करें। इस संबंध में, एबीसी ने निम्नानुसार एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की हैः

- दिनांक 29 दिसंबर, 2022 को केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और आईआईटी के निदेशकों के साथ बैठक।
- जनवरी, 2023 में, एनएडी के संयुक्त सचिव महोदय तथा एसओ महोदया और दिल्ली विश्वविद्यालय के 'डीन ऑफ एग्जामिनेशन' के साथ एनएडी तथा एबीसी डेटा अपलोडिंग के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठक की।
- एबीसी डेटा अपलोडिंग के संबंध में दिनांक 24 जनवरी, 2023 से 31 जनवरी, 2023 तक **सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों** के साथ समीक्षा बैठक निर्धारित की गई है।
- बिहार और गुजरात के सभी कुल सचिव/ परीक्षा नियंत्रक/ राज्य, निजी और सम विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारी के साथ दिनांक 14 फरवरी, 2023 को प्रातः 11:00 बजे, एबीसी के लिए डेटा ('क्रेडिट' डेटा) अपलोड करने और एबीसी में छात्रों की थोक में पहचान बनाने के संबंध में बैठक निर्धारित की गई है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार एबीसी का दर्जा

ऑनबोर्ड किए गए संस्थान	आईडी तैयार की गई
1182	लगभग 84 लाख

9.5 ई–समाधान

आधिकारिक तौर पर, **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ई–समाधान पोर्टल** दिनांक 05 सितंबर, 2022 को मौजूदा छात्र शिकायत निवारण पोर्टल के स्थान पर आरंभ किया गया था, जिसमें विभिन्न हितधारकों के कुछ मुद्दे और चिंताएं शामिल हैं। एकल खिड़की प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण, हितधारक विभिन्न स्थानों पर अनेक शिकायतें/ परिवाद दर्ज कर रहे थे। इसके कारण, निवारण तंत्र धीमी गति से चल रहा था, जो हितधारकों के लिए और चिंताएं पैदा कर रहा था। उपर्युक्त मुद्दों का समाधान करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ''ई–समाधान ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और निगरानी प्रणाली'' (*https://samadhaan.ugc.ac.in/*) लेकर आया। यह हितधारकों के लिए शिकायतों/ प्रतिक्रियाओं/ प्रश्नों का आवेदन करने और उनकी पहचान करने के लिए एक डिजिटल मंच है। यह मंच शिकायतों के निवारण के लिए एक समयबद्ध तंत्र सुनिश्चित करता है।

''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ई–समाधानः एक कदम आगेः हितधारकों को सेवा'' (*https://samadhaan.ugc.ac.in/*) जो निम्नानुसार होगाः

- पोर्टल पर अपनी शिकायतों/ परिवाद को दर्ज करने के लिए सभी हितधारकों के लिए एक एकल खिड़की प्रणाली, जो 'माउस' के एक क्लिक पर साथ 24x7 उपलब्ध होगी। हितधारकों द्वारा उनके सामना की जाने वाली किसी भी समस्या पर शिकायत दर्ज करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर 24x7 एक निशुल्क नंबर 1800–111–656 भी उपलब्ध रहेगा।
- उपयोगकर्ता, मेल आईडी की मदद से/ निशुल्क नम्बर पर एक फोन काल करके एक सरल प्रक्रिया का पालन करके फोन कॉल करके शिकायत दर्ज करने में सक्षम होगा।
- शिकायत दर्ज की जाती है, और एक डॉकेट नंबर आवंटित किया जाएगा, जो स्वचालित रूप से संबंधित ब्यूरो प्रमुख के एकाउंट में दिखाई देगा।
- संबंधित ब्यूरो, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित समय के भीतर मुद्दों का समाधान करेगाः

क्रम संख्या	विषयवस्तु	उत्तर देने के लिए अधिकतम समय
	रैगिंग / लिंग संबंधी मुद्दे	मौजूदा मानदंडों के अनुसार (24X7 हेल्पलाइन नम्बर 1800–180–5522) ई मेलः helpline@antiragging.in वेबसाइटः https://www.antiragging.in/
	छात्रों से जुड़े मामले	20 कार्य दिवस
	शिक्षण / शिक्षणेत्तर मामले	15 कार्य दिवस
	विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / कोई अन्य मामला	20 कार्य दिवस

वर्तमान में, मार्च, 2023 तक कुल 7328 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 4657 शिकायतों को बंद कर दिया गया था, 1947 शिकायतों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया गया था, और शेष शिकायतों पर कार्रवाई चल रही है।

दिनांक 05 सितम्बर, 2022 से 31 मार्च, .2023 तक ई–समाधान पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का माह–वार विवरण निम्नानुसार हैः

क्रम संख्या	माह	कुल मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या	बंद किए गए मामलों की संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थानों को भेजे गए मामले
1	सितम्बर	720	10	509	91
2	अक्तूबर	1261	85	894	187
3	नवम्बर	1181	24	654	437
4	दिसम्बर	1295	14	767	414
5	जनवरी	1008	31	670	266
6	फरवरी	821	27	535	228
7	मार्च	1042	36	628	324
	कुल	**7328**	**227**	**4657**	**1947**

अध्याय 10

कौशल विकास संबंधी पहल

10.1 राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढ़ांचा
10.2 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रशिक्षुता/ शिक्षुता समामेलित उपाधि कार्यक्रम प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश

10.1 राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढ़ांचा (एनएसक्यूएफ)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एनएसक्यूएफ के अंतर्गत तीन योजनाओं अर्थात् सामुदायिक महाविद्यालय, बी.वोक. उपाधि कार्यक्रम और दीन दयाल उपाध्याय ज्ञान अर्जन तथा कौशलयुक्त मानव सक्षमताओं तथा आजीविका केन्द्र (कौशल) को कार्यान्वित कर रहा है।

चूंकि ये तीनों योजनाएं एक समान उद्देश्य की पूर्ति करती हैं और समान उद्देश्यों को साझा करती हैं, इसलिए वर्ष 2019 में उनका **राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढ़ांचा (एनएसक्यूएफ)** के तहत विलय कर दिया गया है और राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढ़ांचा (एनएसक्यूएफ) के तहत कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग–अलग दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढ़ांचा (एनएसक्यूएफ) एक सक्षमता आधारित ढांचा है जो ज्ञान, कौशल और योग्यता की एक श्रृंखला के अनुसार योग्यता को क्रमबद्ध करता है। एनएसक्यूएफ के स्तर को एक से दस तक वर्गीकृत किया गया है, ज्ञानअर्जन परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किए गए हैं, जिन्हें शिक्षार्थी को को धारण करना होगा चाहे वह औपचारिक, गैर–औपचारिक या अनौपचारिक ज्ञानअर्जन के माध्यम से प्राप्त किया जाए अथवा अथवा नहीं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढ़ांचा (एनएसक्यूएफ) के तहत प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, उच्च डिप्लोमा, बी.वोक., एम.वोक. तथा पीएचडी के स्तर पर कौशल पाठ्यक्रमों की पेशकश करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सुविधा प्रदान कर रहा है। यह पूर्णकालिक क्रेडिट आधारित माड्यूलर कार्यक्रम हैं कौशल तथा सामान्य शिक्षा घटकों के लिए 'क्रेडिटों' को जोड़ा जाने की अनुमति है ताकि बहु–निकास तथा प्रवेश को सक्षम बनाया जा सके। यह कार्यक्रम न केवल रोजगार के मुद्दे का समाधान करते हैं बल्कि शिक्षा जगत और उद्योग के बीच संपर्क भी तैयार करते हैं।

तालिका 10.1: कौशल विकास केन्द्रों की संख्या (विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय)

योजना का नाम	संस्थानों की संख्या
सामुदायिक महाविद्यालय	188
बी.वोक. उपाधि कार्यक्रम	289
दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र	68
कुल	545
राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढ़ांचा (एनएसक्यूएफ) (पाठ्यक्रमों को बिना किसी आबंटन के अनुमोदित किया गया है)	1560 (वर्ष 2019–20 में 352 और वर्ष 2020–21 में 1208)

तालिका 10.1 (i): वर्ष 2022–23 के दौरा हुआ योजना–वार व्यय

योजना का नाम	(करोड़ रुपये में)
सामुदायिक महाविद्यालय	3.36
बी.वोक. उपाधि कार्यक्रम	7.16
दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र	1.18
कुल	**11.70**

रेखाचित्र 10.1 (i) : वर्ष 2022–23 के दौरान हुआ योजना–वार व्यय

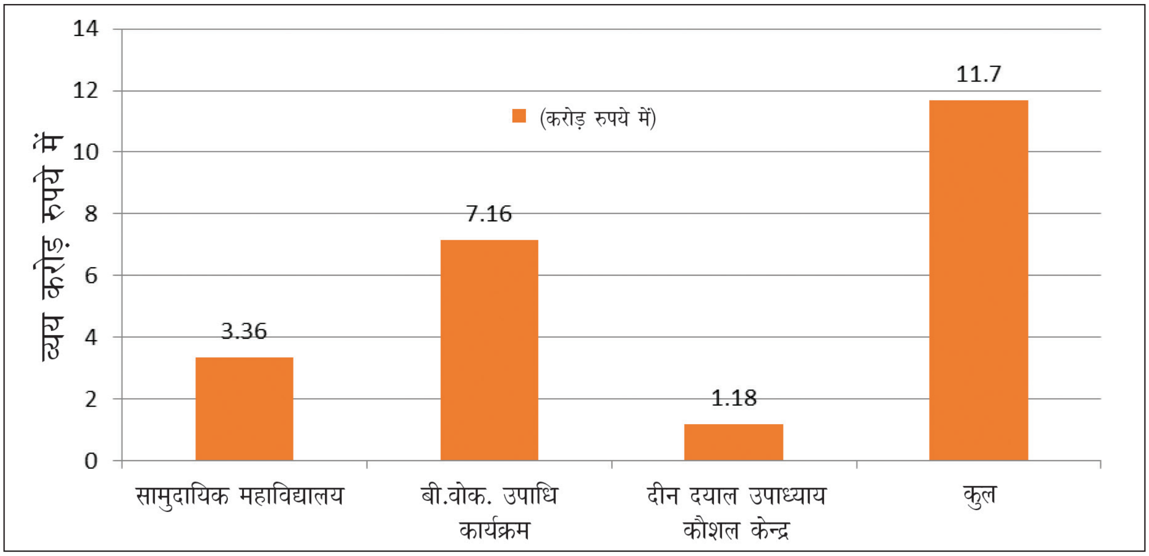

10.2 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रशिक्षुता/ शिक्षुता समामेलित उपाधि कार्यक्रम हेतु दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य उपाधि के विद्यार्थियों की नियोजनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षुता/ शिक्षुता एम्बेडेड उपाधि कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए दिशानिर्देश भी अधिसूचित किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट सभी विधाओं में किसी भी स्नातक उपाधि कार्यक्रम में प्रशिक्षुता/ शिक्षुता को समामेलित करने के लिए पात्र हैं।

अध्याय 11

मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन और ऑनलाइन माध्यम से ज्ञानअर्जन

11.1 मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

11.2 ऑनलाइन माध्यम से ज्ञान अर्जन

11.3 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

11.1 मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन

योजनाओं/ कार्यक्रमों के संदर्भ में वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग के महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/संकल्प

I. डीईबी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा वर्ष 2022–23 के दौरान सितंबर, 2022 से आरंभ होने वाले शिक्षा सत्र (जुलाई– अगस्त, 2022 से संशोधित) और उसके बाद से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पद्धति और अथवा ऑनलाइन पद्धति के तहत कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए मान्यता प्राप्त करने हेतु पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल 15 मई, 2022 से 31 मई, 2022 तक खोला गया था।

II. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– डीईबी द्वारा शिक्षा वर्ष 2022–23 के लिए ओडीएल कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए 72 उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई थी, जोकि निम्नानुसार हैं:

तालिका 11.1 (क) मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन पद्धति के तहत कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सूची

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
केन्दीय विश्वविद्यालय		
1.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	अरुणाचल प्रदेश
2.	तेजपुर विश्वविद्यालय	असम
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	दिल्ली
4.	जामिया मिलिया इस्लामिया	दिल्ली
5.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	महाराष्ट्र
6.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	पुदुचेरी
7.	द इंग्लिश एण्ड फारेन लेंग्वेज यूनीवर्सिटी	तेलंगाना
8.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	तेलंगाना
9.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश
राज्य विश्वविद्यालय		
10.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय	आन्ध्र प्रदेश
11.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालयम	आन्ध्र प्रदेश
12.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	असम
13.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	चंडीगढ़
14.	गुरू जम्भेश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	हरियाणा
15.	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय	हरियाणा
16.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	हिमाचल प्रदेश

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
17.	कश्मीर विश्वविद्यालय	जम्मू और कश्मीर
18.	मैसूर विश्वविद्यालय	कर्नाटक
19.	कालीकट विश्वविद्यालय	केरल
20.	केरल विश्वविद्यालय	केरल
21.	जीवाजी विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश
22.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट	मध्य प्रदेश
23.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश
24.	श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय	महाराष्ट्र
25.	शिवाजी विश्वविद्यालय	महाराष्ट्र
26.	मुंबई विश्वविद्यालय	महाराष्ट्र
27.	कविकुलगुरू कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय	महाराष्ट्र
28.	पंजाबी विश्वविद्यालय	पंजाब
29.	अन्ना विश्वविद्यालय	तमिलनाडु
30.	भारतीदासन विश्वविद्यालय	तमिलनाडु
31.	मनोमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय	तमिलनाडु
32.	मद्रास विश्वविद्यालय	तमिलनाडु
33.	ककातिया विश्वविद्यालय	तेलंगाना
34.	रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय	पष्चिम बंगाल
35.	कल्याणी विश्वविद्यालय	पष्चिम बंगाल
36.	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी	पष्चिम बंगाल
37.	बुर्दवान विश्वविद्यालय	पष्चिम बंगाल
राज्य मुक्त विश्वविद्यालय		
38.	कृष्णकान्त हान्डीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	असम
39.	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय	बिहार
40.	पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय	छत्तीसगढ
41.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय	गुजरात
42.	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	कर्नाटक
43.	श्रीनारायणगुरू मुक्त विश्वविद्यालय	केरल
44.	मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश
45.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय	महाराष्ट्र
46.	ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	ओडिशा
47.	जगतगुरु नानक देव पंजाब राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	पंजाब
48.	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय	राजस्थान
49.	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय	तमिलनाडु
50.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय	तेलंगाना
51.	यू. पी. राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश
52.	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	उत्तराखण्ड
53.	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय	पष्चिम बंगाल

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
सम विश्वविद्यालय संस्थान		
54.	विज्ञान फॉऊडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलाजी एंड रिसर्च	आंध्र प्रदेश
55.	जामिया हमदर्द	दिल्ली
56.	जैन (सम विश्वविद्यालय)	कर्नाटक
57.	स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान	कर्नाटक
58.	पद्मश्री डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, मुंबई	महाराष्ट्र
59.	जैन विश्व भारती संस्थान	राजस्थान
60.	बी. एस. अब्दुर रहमान क्रेसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलाजी	तमिलनाडु
61.	कालासलिंगम् एकेडमी ऑफ हॉयर एजूकेशन	तमिलनाडु
62.	सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलाजी	तमिलनाडु
63.	आईसीएफएआई फॉऊडेशन फॉर हॉयर एजूकेशन	तेलंगाना
64.	ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी	उत्तराखण्ड
65.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पापुलेशन साइंस	महाराष्ट्र
निजी विश्वविद्यालय		
66.	शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉयोटेक्नोलॉजी एंड मेनेजमेंट साइंस	हिमाचल प्रदेश
67.	चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी	पंजाब
68.	लवली प्रोफेषनल यूनिवर्सिटी	पंजाब
69.	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय,	राजस्थान
70.	एमिटी यूनिवर्सिटी	उत्तर प्रदेश
71.	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश
72.	युनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, देहरादून	उत्तराखण्ड

- आयोग के निर्णय के आधार पर, डीईबी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जनवरी–फरवरी, 2023 शिक्षा सत्र के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पद्धति के तहत कार्यक्रमों की पेशकश करने के इच्छुक श्रेणी–1 के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के आवेदन को संसाधित किया। तदनुसार, श्रेणी–I के आठ उच्चतर शिक्षा संस्थानों को जनवरी–फरवरी, 2023 से आरंभ होने वाले शिक्षा सत्रों के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश का अनुपालन करते हुए पाया गया है। ब्यौरा निम्नानुसार है

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
राज्य विश्वविद्यालय		
1.	आंध्र विश्वविद्यालय	आंध्र प्रदेश
2.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	हरियाणा
3.	उत्कल विश्वविद्यालय	ओडिशा
4.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय	पंजाब
5.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	तेलंगाना
सम विश्वविद्यालय		
6.	भारती विद्यापीठ	महाराष्ट्र
7.	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजूकेषन एंड रिसर्च	महाराष्ट्र
8.	एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलाजी	तमिलनाडु

11.2 ऑनलाइन माध्यम से ज्ञानअर्जन

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के तहत विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार ऑनलाइन पद्धति से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए केवल तीन उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई है। मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों के नाम तालिका 11.2 (क) में नीचे दिए गए हैं।

तालिका 11.2 (क) ऑनलाइन पद्धति से कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सूची

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थानों के नाम	राज्य
निजी विश्वविद्यालय		
1.	जी. एल. ए. विश्वविद्यालय*	उत्तर प्रदेश
2.	एमिटी यूनिवर्सिटी*	उत्तर प्रदेश
सम विश्वविद्यालय		
3.	मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज	हरियाणा

* उच्चतर शिक्षा संस्थान, ऑनलाइन पद्धति से कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु पात्र हैं।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ ज्ञानअर्जन कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के विनियम 3(ख)(क) के तहत विनिर्धारित उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम आरंभ करने हेतु पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अधिसूचित विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक शपथपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। चार उपबंधों अर्थात् उच्चतर शिक्षा संस्थानों की पात्रता मानदंड, ऑनलाइन पद्धति के तहत पेशकश किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों की स्वीकार्यता, उपाधियों की विनिर्दिष्टता, 2014 और इसके संशोधन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना का अनुपालन और, जहां कहीं भी लागू हो, विनियामक प्राधिकरणों का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना, का अनुपालन सुनिष्चित करना। तदनुसार, विश्वविद्यालय 68 उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) (जिन्होंने शपथ पत्र जमा कर दिया है और जो ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु पात्र हैं और जो उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करते हुए पाए गए हैं) की एक सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सूची तालिका 11.2 (ख) में दी गई है।

तालिका 11.2 (ख): ऑनलाइन काय्रक्रमों की पेशकश करने हेतु पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सूची

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
1.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	दिल्ली
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया	दिल्ली
3.	मिजोरम विश्वविद्यालय	मिजोरम
4.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश
राज्य विश्वविद्यालय		
5.	आंध्र विश्वविद्यालय	आंध्र प्रदेश
6.	गुजरात विश्वविद्यालय	गुजरात
7.	डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय	गुजरात
8.	महर्शि दयानंद विश्वविद्यालय	हरियाणा
9.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	हरियाणा
10.	गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	हरियाणा
11.	जम्मू विश्वविद्यालय	जम्मू और कश्मीर

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
12.	मैसूर विश्वविद्यालय	कर्नाटक
13.	कुवेम्पु विश्वविद्यालय	कर्नाटक
14.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	केरल
15.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	मध्य प्रदेश
16.	मुंबई विश्वविद्यालय	महाराष्ट्र
17.	डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	महाराष्ट्र
18.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय	पंजाब
19.	मद्रास विश्वविद्यालय	तमिलनाडु
20.	भरथियार विश्वविद्यालय	तमिलनाडु
21.	अलगप्पा विश्वविद्यालय	तमिलनाडु
22.	पेरियार विश्वविद्यालय	तमिलनाडु
23.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	तमिलनाडु
24.	भारतीदासन विश्वविद्यालय	तमिलनाडु
25.	अन्ना विश्वविद्यालय	तमिलनाडु
निजी विश्वविद्यालय		
26.	ओ. पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी	हरियाणा
27.	शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉयोटेक्नोलॉजी एंड मेनेजमेंट साइंस	हिमाचल प्रदेश
28.	लवली प्रोफेषनल यूनिवर्सिटी	पंजाब
29.	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय	पंजाब
30.	चितकारा विश्वविद्यालय	पंजाब
31.	मनिपाल विश्वविद्यालय	राजस्थान
32.	मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	राजस्थान
33.	विवेकानंद ग्लोबल यूनीवर्सिटी	राजस्थान
34.	शिव नादर विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश
35.	एमिटी यूनिवर्सिटी**	उत्तर प्रदेश
36.	गलगोटिया विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश
37.	जी. एल. ए. विश्वविद्यालय**	उत्तर प्रदेश
38.	युनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, देहरादून	उत्तराखण्ड
39.	उत्तरांचल विश्वविद्यालय	उत्तराखण्ड
सम विश्वविद्यालय		
40.	विज्ञान फॉऊडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलाजी एंड रिसर्च	आंध्र प्रदेश
41.	कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेषन	आंध्र प्रदेश
42.	जामिया हमदर्द, दिल्ली	दिल्ली
43.	महर्षि मारकंडेष्वर	हरियाणा
44.	मनिपाल एकेडमी ऑफ हॉयर एजूकेशन	कर्नाटक
45.	जे. एस. एस. अकेडमी ऑफ हॉयर एजूकेशन एंड रिसर्च	कर्नाटक
46.	येनेपोया (सम विश्वविद्यालय)	कर्नाटक
47.	जैन (सम विश्वविद्यालय)	कर्नाटक

क्रम संख्या	उच्चतर शिक्षा संस्थान का नाम	राज्य
48.	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	महाराष्ट्र
49.	डॉ. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ	महाराष्ट्र
50.	भारती विद्यापीठ	महाराष्ट्र
51.	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल	महाराष्ट्र
52.	पद्मश्री डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ	महाराष्ट्र
53.	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल टेक्नॉलाजी	ओडिशा
54.	बनस्थली विश्वविद्यालय	राजस्थान
55.	बी. एस. अब्दुर रहमान क्रेसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलाजी	तमिलनाडु
56.	कालासलिंगम् एकेडमी ऑफ हॉयर एजूकेशन	तमिलनाडु
57.	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी	तमिलनाडु
58.	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हॉयर एजूकेशन एंड रिसर्च	तमिलनाडु
59.	अमृता विश्व विद्यापीठम	तमिलनाडु
60.	एस. आर. एम. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान	तमिलनाडु
61.	सत्यभामा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान	तमिलनाडु
62.	शणमुघा कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी	तमिलनाडु
63.	डॉ. एम. जी. आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान	तमिलनाडु
64.	हिंदुस्तान प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान (एचआईटीएस)	तमिलनाडु
65.	आईसीएफएआई फाउंडेशन ऑफ हॉयर एजूकेशन	तेलंगाना
66.	दयाल बाग शैक्षिक संस्थान	उत्तर प्रदेश
67.	ग्राफिक एरा	उत्तराखण्ड
68.	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजूकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट	पश्चिम बंगाल

** उच्चतर शिक्षा संस्थान, ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने हेतु भी पात्र हैं

11.3 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

वर्ष 2022–23 के दौरान योजना/ कार्यक्रम के निष्कर्षों/ आवंटित अनुदानों, जारी अनुदानों के संक्षिप्त विवरण के साथ– साथ लाभार्थियों की संख्या (विश्वविद्यालयों, महाविद्यालय, शिक्षकों, छात्रों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, आदि) नीचे उल्लिखित है:

डीईबी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाठ्यक्रम सामग्री के विकास, नई प्रौद्योगिकी के विकास और उसके अनुप्रयोग, एमओओसी के विकास, डिजिटलीकरण, आईसीटी और गुणवत्ता आश्वासन उपायों, नेटवर्किंग आदि को सहायता प्रदान करने के लिए 9 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को 9.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

तालिका 11.3: वर्ष 2022–23 के लिए राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को संस्वीकृत अनुदानों का ब्योरा

क्रम संख्या	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का नाम	राज्य	वर्ष 2022–23 के लिए संस्वीकृत अनुदान (करोड़ रुपये में)
1.	पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ	1.00
2.	ओड़िशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, संबलपुर, ओड़िशा	ओड़िशा	1.00
3.	कृष्णा कांत हांडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम	असम	1.00

क्रम संख्या	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का नाम	राज्य	वर्ष 2022–23 के लिए संस्वीकृत अनुदान (करोड़ रुपये में)
4.	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखंड	उत्तराखंड	1.00
5.	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	1.00
6.	यू. पी. राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	1.00
7.	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना, बिहार	बिहार	1.00
8.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय (वाईसीएमओयू), नासिक, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	1.00
9.	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय (टीएनओयू),चेन्नई, तमिलनाडु	तमिलनाडु	1.00

अन्य पहलः–

i. राजपत्र में अधिसूचित विनियम

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ओडीएल कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) द्वितीय संशोधन विनियम, 2022 को दिनांक 18 जुलाई, 2022 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

ii. हितधारकों की जानकारी के लिए डीईबी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए थेः

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ओडीएल कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के अनुसार दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने में पेरियार विश्वविद्यालय, तमिलनाडु द्वारा उल्लंघन के संबंध में दिनांक 27 मई, 2022 की सार्वजनिक सूचना एफ. संख्या 42–7/2020 (डीईबी–IV)।
- अन्नामलाई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु द्वारा दिनांक 24.05.2022 की पत्राचार संख्या डीडीई/एस/577 (क)/ 2022 गलत और भ्रामक के संबंध में दिनांक 01 जून, 2022 की सार्वजनिक सूचना एफ. संख्या 1–2/2015 (डीईबी–III)।
- छात्रों द्वारा ओडीएल और/ अथवा ऑनलाइन पद्धति के तहत पेश किए गए कार्यक्रमों के लिए नामांकन से पूर्व बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में दिनांक 23 अगस्त, 2022 को सार्वजनिक सूचना एफ. संख्या 1–14/2022 (डीईबी) जारी की गई।
- पारंपरिक पद्धति के माध्यम से प्राप्त की गई उपाधियों की ओडीएल और/ अथवा ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से प्राप्त डिग्री की के साथ समतुल्यता के संबंध में दिनांक 02 सितंबर, 2022 की सार्वजनिक सूचना एफ. संख्या 3–5/2022 (डीईबी– III)।
- शिकायतों के समाधान के लिए ई–समाधान पोर्टल को अपनाने के मद्देनजर ऑनलाइन शिकायत कार्यवाही प्रणाली (सीएचएम) पोर्टल को बंद करने के संबंध में दिनांक 20 मार्च, 2023 की सार्वजनिक सूचना एफ संख्या 12–1/2022 (डीईबी– IV) पीटी. एफएल.।

iii. ओडीएल पद्धति के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश के संबंध में आयोग का निर्णय के कार्यान्वयन के लिए श्रेणी– I के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए दिनांक 11 जनवरी, 2023 को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

iv. ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ओडीएल कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के उपबंधों के बारे में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की जागरूकता के लिए दिनांक 25 मई, 2022 को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

v. उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के लाभ के लिए दिनांक 24 नवंबर 2022 को मान्यता प्राप्त/ पात्र उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) के लिए डिजी लॉकर पोर्टल के माध्यम से छात्र अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) आईडी के सृजन के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई/प्रदर्शित की गई।

vi. मान्यता प्राप्त/ पात्र उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) के लिए डिजी लॉकर पोर्टल के माध्यम से छात्र अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) आईडी के सृजन के लिए एक समीक्षा बैठक दिनांक 09 जनवरी, 2023 को आयोजित की गई थी।

vii. दिनांक 13 मार्च, 2023 को एनएएसी, बेंगलुरु के सहयोग से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 और इसके संशोधनों के अनुरूप मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा उपयुक्त एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए एक 'हैंड होल्डिंग' कार्यक्रम/ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

अध्याय 12

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–गुणवत्ता अधिदेश– शैक्षिक क्रियाकलाप संबंधी पहल

12.1 ज्ञानअर्जन परिणाम आधारित पाठ्यचर्या ढांचा (एलओसीएफ)

12.2 मूल्यांकन सुधार

12.3 छात्रों के लिए जीवन कौशल

12.4 भारतीय विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्विधा शोध हेतु योजना (स्ट्राइड)

12.5 शैक्षिक शोध और आचार हेतु संघ (केयर)

12.6 ''परामर्श''–अप्रत्यायित संस्थानों का मार्गदर्शक बनना

12.7 पर्यावरण शिक्षा के लिए दिशानिर्देश और पाठ्यचर्या ढांचा

12.8 छात्रों की प्रगति की निगरानी करना और पूर्व छात्र नेटवर्क

12.9 गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी)

12.1 ज्ञानअर्जन परिणाम आधारित पाठ्यचर्या ढांचा (एलओसीएफ)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विषेशज्ञों के साथ परामर्ष करने के बाद ज्ञानअर्जन परिणाम आधारित पाठ्यचर्या ढांचा पर एक दस्तावेज तैयार किया है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ज्ञानअर्जन परिणाम आधारित दृश्टिकोण का मूल आधार किसी विधा के लिए परिभाषित कार्यक्रम अधिगम परिणामों और अकादमिक मानकों के साथ किसी विधा की पाठ्यचर्या को संरेखित करना है। यह एक छात्र केंद्रित ज्ञानअर्जन पद्धति है। एलओसीएफ का उद्देश्य, छात्रों को ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण से सुसज्जित करना है। एलओसीएफ पर आधारित 31 विषयों में नए पाठ्यक्रम को विकसित कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि विश्वविद्यालयों को पाठयक्रम को संशोधित करने की सुविधा प्रदान की जा सके।

स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या और क्रेडिट ढ़ांचे की अधिसूचना के बाद, एलओसीएफ को नए सिरे से विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोशणा के बाद कार्यक्रम की अवधि, पाठ्यचर्या सामग्री और ज्ञान अर्जन परिणाम परिवर्तित हो गए हैं।

12.2 मूल्यांकन सुधार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली का इस प्रकार पुनरुद्धार करने के लिए मूल्यांकन सुधार शुरू किए हैं ताकि सतत् मूल्यांकन के साथ मूल्यांकन चालित ज्ञानअर्जन को बढ़ावा दिया जा सके। यह परिकल्पना की गई है कि विशयवार ज्ञानअर्जन परिणामों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करके वर्तमान प्रणाली को पूर्ण पुनःढ़ांचाबद्ध करने का प्रयास किया जा सकता है।

एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली, मौजूदा मूल्यांकन प्रणाली की षुचिता और प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। जब तक मूल्यांकन, छात्रों के प्रदर्शन के सर्वोत्तम पहचानकर्ता के रूप में तैयार नहीं किए जाते हैं, तब तक छात्र, अवधारणाओं को सीखने और समझने हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं करेंगे।

यह अनिवार्य है कि किसी शैक्षिक संस्थान में एक सुदृढ़ परंतु लचीली मूल्यांकन प्रणाली हो, जो कि एनईपी 2020 उद्देश्यों के अनुरूप भी हो। मूल्यांकन के संदर्भ में इन उद्देश्यों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

1. सतत् और व्यापक मूल्यांकन
2. मानदंड–आधारित ग्रेडिंग प्रणाली
3. ज्ञान अर्जन निष्कर्ष आधारित शिक्षा और मूल्यांकन

एनईपी 2020 में प्रस्ताव किया गया है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च स्तरीय परीक्षाओं की बजाय निरंतर और व्यापक मूल्यांकन को अपनाना चाहिए। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, एक एकल ऊर्ध्वाधर मूल्यांकन पद्धति की बजाय क्षैतिज मूल्यांकन पद्धति को

अपनाता है। इसका उपयोग छात्रों के समग्र विकास का आकलन करने के लिए किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण विचार, समस्या सुलझाने की क्षमता, ज्ञान का सही अनुप्रयोग और नैतिकता का पालन।

तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''अभिनव शैक्षणिक पद्धति और मूल्यांकन सुधार'' विकसित किए, और उन्हें दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित किया गया।

12.3 छात्रों के लिए जीवन संबंधी कौशल (जीवन कौशल)

पृष्ठभूमिः– उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आरंभ की गई गुणवत्ता अधिदेश पहलों में से एक छात्रों को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना है। नए पेशेवरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल, ज्ञान, मूल्यों और नैतिकता के साथ नियोजयोग्य, असाधारण प्रदर्शन करने वाले स्नातकों के लिए देश में बहुत बड़ी मांग है। गैर–तकनीकी स्नातक शिक्षा में जीवन कौशल पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति की मदद से, वर्ष 2018 में जीवन संबंधी कौशल (जीवन कौशल) के संबंध में एक पाठ्यक्रम विकसित किया है। इस पाठ्यक्रम को एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस पाठ्यचर्या को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए जीवन संबंधी कौशल (जीवन कौशल) संबंधी पाठ्यचर्या के लिए ''सुविधाप्रदाता'' दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं। ''जीवन कौशल पर प्रारूप पाठ्यक्रम (जीवन कौशल) 2.0'' और ''जीवन कौशल पाठ्यक्रम (जीवन कौशल) के लिए सुविधाप्रदाताओं हेतु प्रारूप दिशानिर्देश'' को दिनांक 24 फरवरी, 2023 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे ताकि शिक्षकों, छात्रों, शोधकर्ताओं और संबंधित क्षेत्र में शामिल व्यक्तियों सहित हितधारकों से दिनाक 10 मार्च, .2023 तक विचार/ सुझाव प्राप्त किए जा सकें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया और सुझावों को शामिल करने की प्रक्रिया में है, और इन्हें अंतिम रूप दिए जाने के बाद, इसे अनुमोदन के लिए आयोग के समक्ष रखा जाएगा।

12.4 भारतीय विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्विधा शोध हेतु योजना (स्ट्राइड)

स्ट्राइड योजना के मुख्य उद्देश्यः

1. युवा प्रतिभाओं की पहचान करना, अनुसंधान संस्कृति को सुदृढ़ करना, क्षमता का निर्माण करना, नवाचार को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय विकास के लिए प्रासंगिक अंतर्विधा अनुसंधान को सहायता प्रदान करना और समाज के समग्र कल्याण को बढ़ावा देना।
2. मानविकी और मानव विज्ञान तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली में चिह्नित बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में उच्च प्रभाव राष्ट्रीय नेटवर्क परियोजनाओं का वित्तपोषण करना है।

योजना को दिनांक 31 मार्च, 2023 से बंद कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 2.17 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किए गए। लाभ प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों की संख्या 14 है।

12.5 शैक्षिक शोध और आचार हेतु संघ (केयर)

विअआ–केयर– भारतीय शिक्षा क्षेत्र के लिए एक गुणवत्ता अधिदेशः

अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी शैक्षणिक विधाओं में उच्च गुणवत्ता वाले शोध के वैश्विक मानकों की बराबरी करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विअआ) अपने ''गुणवत्ता अधिदेश'' के माध्यम से भारतीय शिक्षा जगत को प्रोत्साहित और सशक्त बनाने हेतु आकांक्षी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 28 नवंबर, 2018 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था जिसमें इसके अधिदेश की पूर्ति करने के लिए शैक्षिक शोध और आचार (केयर) के लिए एक समर्पित संघ की स्थापना की घोषणा की गई थी।

विअआ–केयर का उद्देश्यः

- भारतीय विश्वविद्यालयों में गुणवत्तायुक्त अनुसंधान तथा शैक्षिक अखंडता के साथ–साथ प्रकाशन आचारनीति को बढ़ावा देना।
- प्रतिष्ठित जर्नलों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों को बढ़ावा देना, जो उच्च वैश्विक रैंकिंग प्राप्त करने में मदद करेंगे तथा और अनुसंधान और शिक्षा की गुणवत्ता में समग्र सुधार करना।
- अच्छी गुणवत्ता वाले जर्नलों की पहचान के लिए एक पद्धति और कार्यप्रणाली विकसित करना।

- 'प्रीडेटरी'/ संदिग्ध/घटिया जर्नलों में प्रकाशनों को रोकना, जो भारतीय शिक्षा जगत की साख पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और छवि को धूमिल करते हैं।
- विभिन्न शैक्षणिक मूल्यांकनों के लिए 'विअआ– केयर रेफरेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल' (विअआ– केयर सूची) तैयार करना तथा उसका रखाखाव करना।

विअआ– केयर सूची की आवश्यकता :

1. शोध प्रकाशनों की विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक व्यक्ति, संस्थान और पूरे राष्ट्र की शैक्षणिक छवि का प्रतिनिधित्व करता है।
2. प्रतिश्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों की संख्या, विभिन्न शैक्षणिक उद्देश्यों जैसे संस्थागत रैंकिंग, नियुक्तियों, संकाय सदस्यों की पदोन्नति, अकादमिक समितियों की सदस्यता, अनुसंधान उपाधियां प्रदान करने आदि के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत संकेतकों में से एक है।
3. 'प्रीडेटरी'/ संदिग्ध/घटिया जर्नलों की समस्या संपूर्ण विष्व में चिंता का गंभीर कारण बन गई है।
4. भारत में खराब गुणवत्ता वाले जर्नलों में प्रकाशित शोध लेखों का प्रतिशत अधिक बताया गया है, जिससे इसकी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
5. संदिग्ध/घटिया जर्नलों में प्रकाशन, छवि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे दीर्घकालिक शैक्षणिक क्षति होती है और किसी व्यक्ति, संस्थान और राष्ट्र की छवि धूमिल होती है।

विअआ– केयर सूची का क्षेत्राधिकारः

- विअआ– केयर ने ''गुणवत्तायुक्त जर्नलों की विअआ– केयर संदर्भ सूची'' (विअआ– केयर सूची) तैयार करने का उत्तरदायित्व लिया है।
- भारतीय जर्नलों की एक सूची, विशेषरूप से कला, मानविकी, भाषा, संस्कृति और भारतीय ज्ञान प्रणालियों की विधाओं से तैयार की जा रही है और त्रैमासिक रूप से अद्यतन की जा रही है (विअआ– केयर ग्रुप I)।
- विअआ– केयर सूची में विश्वस्तर पर स्वीकृत सभी डेटाबेस, जैसे स्कोपस (स्रोत सूची) अथवा वेब ऑफ साइंस (कला और मानविकी उद्धरण सूचकांक स्रोत प्रकाशन, विज्ञान उद्धरण सूचकांक विस्तारित स्रोत प्रकाशन, सामाजिक विज्ञान उद्धरण सूचकांक स्रोत प्रकाशन) में अनुक्रमित सभी विधाओं के जर्नलों को शामिल किया गया है।
  इन जर्नलों पर सभी शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए विचार किया जाएगा। स्कोपस और/ अथवा वेब ऑफ साइंस में अनुक्रमित पत्रिकाएं विअआ– केयर सूची समूह II का भाग हैं।

विअआ– केयर परियोजना का विस्तार :

इस परियोजना को मार्च, 2024 तक बढ़ाया गया है (अप्रैल, 2023 की सार्वजनिक सूचना संख्या एफ.न.1–8/2016 (सीपीपी–II)

विअआ– केयर सूचीः जारी और अद्यतन किया जाना :

वर्ष 2022–23 के लिए विअआ– केयर सूची निम्नवत तिथियों पर त्रैमासिक रूप से प्रकाशित की गई थी।

- दिनांक 01 मार्च 2022 – 12वीं तिमाही।
- दिनांक 12 जुलाई 2022 – 13वीं तिमाही।
- दिनांक 03 जनवरी 2023 – 14 वीं और 15वीं तिमाही।
- दिनांक 01 अप्रैल 2023 – 16वीं तिमाही।

शक्तिप्राप्त समिति की बैठकें:

शक्तिप्राप्त समिति और विअआ– केयर के नोडल अधिकारियों की छह ऑनलाइन बैठकें आयोजित की गईं।

वित्तीय अनुदानः

इस वर्ष, एसपीपीयू में विअआ– केयर प्रकोष्ठ जर्नल विश्लेषण और चार क्षेत्रीय विअआ– केयर विश्वविद्यालयों को वित्तीय अनुदान जारी किया गया था। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय द्वारा 'आचारनीति' के प्रकाशन हेतु केन्द्र को दो वर्षों 2021–2023 के लिए 50,00,000 रुपये का कुल अनुदान और प्रत्येक क्षेत्रीय विश्वविद्यालय के लिए 5,00,000 रुपये का अनुदान जारी किया गया।

'केयर' विश्वविद्यालयः

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र)
- एम. एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय, वडोदरा (पश्चिमी क्षेत्र)

- हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद (दक्षिणी क्षेत्र)
- तेजपुर विश्वविद्यालय, असम (पूर्वी क्षेत्र)

1. विअआ– केयर में जर्नलों की कुल संख्याः 1003

(i) विषय–वार पात्र प्राप्त जर्नल :–

विशय	जर्नलों की संख्या
कला और मानविकी	384
बहु विधा	38
विज्ञान	269
सामाजिक विज्ञान	312
कुल	1003

(i) भाषाओं के जर्नल

क्रम संख्या	जर्नलों की भाषा	कुल जर्नल
1	आसमिया	7
2	बांग्ला	17
3	गुजराती	8
4	हिंदी	115
5	कन्नड़	7
6	कोंकणी	1
7	मैथिली	1
8	मलयालम	13
9	मराठी	33
10	पाली	1
11	प्राकृत	1
12	पंजाबी	13
13	राजस्थानी	1
14	संस्कृत	41
15	सिन्धी	1
16	तमिल	11
17	तेलूगू	8
18	उर्दू	38
	कुल	**317**

2. सम्मिलित किए गए तथा अद्यतन किए गए प्रिंट जर्नलों की विषयवस्तु की तालिका (टीओसी) : 185 में से 181

3. क्लोन किए गए जर्नल

क्लोन किए गए जर्नल	जर्नलों की संख्या
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– केयर समूह I	48
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– केयर समूह II	62
कुल	110

12.6 परामर्श– अप्रत्यायित संस्थानों का मार्गदर्शन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''परामर्श''– अप्रत्यायित संस्थानों का मार्गदर्शन करने के लिए एक नई पहल, योजना लागू की है ताकि वे वर्ष 2022 तक प्रत्यायन प्राप्त कर सकें। विअआ ने पात्र संस्थानों अर्थात् जिनका एनएएसी प्राप्तांक 3.26 और उससे अधिक है, उनसे प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मार्गदर्शक संस्थान को 30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी भी संस्थान का मार्गदर्शन किए जाने के मामले में, मार्गदर्शक संस्थान को 2 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गैर–मान्यता प्राप्त संस्थानों को प्रेरित करने के लिए उनके द्वारा आरंभ किए गए अभिनव कदमों, प्रदर्शन के अपेक्षित स्तरों की तुलना में प्रमुख संकेतकों पर मार्गदर्शक संस्थानों का प्रदर्शन स्तर, और मान्यता प्राप्त संस्थानों की संख्या और उनके प्राप्तांक के आधार पर मार्गदर्शक संस्थानों के प्रदर्शन परिणामों पर विचार करेगा। 167 संस्थानों की पहचान मार्गदर्शक संस्थानों के रूप में की गई है।

12.7 पर्यावरण शिक्षा के लिए दिशानिर्देश और पाठ्यचर्या ढांचा

पर्यावरण शिक्षा

ग्लासगो में यूएनएफसीसीसी सीओपी 26 वैश्विक नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय वक्तव्य में, माननीय प्रधानमंत्री का मंत्र 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली' था और उन्होंने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करने पर भी बल दिया।

- दिनांक 20 अक्तूबर, 2022 को, प्रधानमंत्री ने मिशन एलआईएफई (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) आरंभ किया, जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। एलआईएफई (लॉइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए ''विचारहीन और विनाशकारी उपभोग की बजाय सावधानीपूर्वक और समझदारी से उपयोग'' के लिए भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जन अभियान है। एलआईएफई, मिस्र में सीओपी 27 का एक 'कवर पृष्ठ मद भी था।
- एलआईएफई, प्राचीन भारतीय परंपराओं और संरक्षण और संयम के मूल्यों के आधार पर जीवन जीने के स्वस्थकर और टिकाऊ तरीके का प्रचार करने के लिए भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का भाग है।
- एलआईएफई, भारतीय परंपराओं और प्रकृति के लिए प्रेम को भी उजागर करता है और व्यक्तियों तथा समुदाय के व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए इसका सहारा भी लेता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में मिशन लाइफ की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए क्रियाकलापः–

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 02 नवंबर, 2022 को पंच प्राण और पर्यावरण के लिए जीवन शैली (एलआईएफई) अभियान के संबंध में सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को एक पत्र लिखा, जिसमें सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों से एलआईएफई आंदोलन में भाग लेने का अनुरोध किया गया।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 27 दिसंबर, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों से वन विभाग के समन्वय से अपने संस्थान में 'नगर वन/ वाटिकाएं विकसित करने का अनुरोध किया।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 21 मार्च, 2023 को सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा यूएनडीपी के साथ एलआईएफई– पर्यावरण के लिए जीवन शैली विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 08 फरवरी, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से दिनांक 22 फरवरी, 2023 तक ***https: //uamp.ugc. ac.in//*** पर पर्यावरण शिक्षा के प्रारूप दिशानिर्देशों पर सभी हितधारकों से टिप्पणियां/ सुझाव/ प्रतिक्रिया आमंत्रित की है।

12.8 छात्रों की प्रगति की निगरानी करना और पूर्व छात्र नेटवर्क

छात्रों की प्रगति की निगरानी– आयोग ने अपनी 550वीं बैठक में छात्रों के पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत उनकी प्रगति की निगरानी करने के लिए ''छात्र वृत्ति प्रगति तथा पूर्व–छात्र नेटवर्क'' संबंधी रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

पूर्व छात्र कनेक्ट प्रकोष्ठ :

विदेशी मूल के पूर्व छात्रों के साथ– साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय पूर्व छात्र, विदेशों में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों के ब्रांड निर्माण और भारत को एक वैश्विक अध्ययन का गंतव्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को पूर्व छात्रों के लिए फिर से जुड़ने, ब्रांड निर्माण के लिए उपयुक्त साधन तैयार करने और उनके योगदान को उचित

मान्यता देने के लिए एक संस्कृति तैयार करने की आवश्यकता है। ''पूर्व–छात्र संपर्क'' भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों को पूर्व छात्रों (विदेशी मूल और विदेशों में रहने वाले भारतीयों) के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पूर्व छात्रों के साथ निरंतर जुड़ाव बनाए रखने के लिए, उच्चतर शिक्षा संस्थान अनेक क्रियाकलाप कर सकते हैं, जैसेः

- एक पूर्व छात्र प्रकोष्ठ स्थापित करें और विदेशों में रहने वाले पूर्व छात्रों का एक विस्तृत डेटाबेस बनाए रखें (दोनों, भारतीय और विदेशी छात्र)।
- संस्था की नवीनतम पहल के बारे में पूर्व छात्रों के साथ जानकारी साझा करें।
- पूर्व छात्रों के साथ 'वर्चुअल' तरीके से जुड़ें और उन्हें सम्मेलनों/ वेबिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ– साथ पूर्व छात्रों का नेटवर्किंग के माध्यम से मिलन।
- विदेशों में इसके प्रसार के लिए संस्थान, इसके कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के बारे में ब्रोषर, पैम्फलेट और अन्य विज्ञापन सामग्री प्रदान करना।
- पूर्व छात्रों की मदद से सामुदायिक सेवा से जुड़े क्रियाकलापों में जुड़ना।
- ब्रांड निर्माण की गतिविधियों के साथ– साथ संस्थान के समग्र विकास में सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों को सम्मानित करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूर्व छात्र संपर्क प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए सभी विश्वविद्यालयों को पहले ही आवष्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। अब तक, 164 विश्वविद्यालयों ने पूर्व छात्र संपर्क प्रकोष्ठ की स्थापना की है।

12.9 गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

एनईपी 2020 के प्रमुख सुधारों में से एक को प्रभावी बनाने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक कार्यक्रमों में बहु प्रवेश और निकास के लिए दिशानिर्देश विकसित किए और दिनांक 29 जुलाई, 2021 को उन्हें अधिसूचित किए। यह प्रणाली शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रमाणन विकल्प प्रदान करती है और 'क्रेडिट' मान्यता की औपचारिक प्रणाली के माध्यम से डिग्री प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) के बीच अथवा भीतर निर्बाध छात्र अंतरण, क्रेडिट संचय, क्रेडिट अंतरण और क्रेडिट मोचन। का मार्ग प्रशस्त करती है। शैक्षिक कार्यक्रमों में लचीलापन, शिक्षार्थियों को अवार्ड के किसी भी स्तर के बाद रोजगार की तलाश करने और अपनी योग्यता को उन्नयन करने के लिए और जब भी संभव हो, वापस शिक्षा में शामिल होने में सक्षम बनाएगा। बहु प्रवेश और निकास विकल्पों के लाभ यह है कि यह बीच में शिक्षा छोड़ने की दर को कम करते हैं और उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सुधार करते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएं) विनियम

पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानकों और प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया गया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 07 नवंबर, 2022 को नए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2022 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया। यह नए नियम, शोध विद्वानों को सुप्रशिक्षित शोधकर्ता और जिज्ञासु खोजकर्ता बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किए गए हैं।

स्नातकपूर्व कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या ढांचा और क्रेडिट प्रणाली

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 इस बात को इंगित करती है कि गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य बेहतर, विचारशील, बेहतर रूप से विकसित और रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना है। इस प्रकार की सक्षमताओं को प्राप्त करने का तरीका, केवल समग्र और बहु विषयक शिक्षा के माध्यम से है जिसमें छात्रों को अपनी शिक्षा को आकार देने की स्वतंत्रता प्राप्त हो।

एनईपी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली को संशोधित किया है और स्नातक कार्यक्रमों के लिए एक नया पाठ्यक्रम और 'क्रेडिट' ढांचा विकसित किया है। यह ढांचा एनईपी की सिफारिशों जैसे कि पुनर्गठित उपाधि कार्यक्रम, बहु प्रवेश और निर्गम, एकल वृहद, दोहरी वृहद, बहु अंतर्विधा विकल्पों के साथ लचीले डिग्री विकल्प, और अकादमिक विषयों के साथ– साथ नियोजनीयता कौशल के साथ तैयार पाठ्यक्रम, को दर्शाता है

मसौदा रूपरेखा को प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक किया गया था और जानकारी के लिए आईआईटी, आईआईएसईआर, एनआईटी, आईआईएम, वैधानिक परिषदों और उद्योग निकायों के साथ साझा किया गया था। इस प्रकार प्राप्त जानकारी के आधार पर, ढांचे को संशोधित किया गया और संशोधित ढ़ांचे को ई– परिचालन के माध्यम से आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया और अनुमोदित किया गया था। स्नातकपूर्व कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या और 'क्रेडिट' ढ़ांचे को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर 12 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित किया गया था।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहु–विषयक संस्थानों में बदलने के लिए दिशानिर्देश

जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पना की गई है, उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) का सारतत्व, विद्वानों और सह–पाठियों के जीवंत समुदायों का निर्माण करना, विधाओं के बीच क्षतिकारक अंतरालों को समाप्त करता है और छात्रों को बेहतर तरह से विकसित व्यक्ति बनने हेतु सक्षम बनाता है। तथापि, देश में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की एक बड़ी संख्या या तो एकल विधा संस्थान या कठोर विषय संबंधी दायरे के साथ बहु– विशयक संस्थान हैं। इसलिए, एनईपी 2020 द्वारा सुझाई गई समय सीमा के भीतर उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहु– विषयक संस्थानों में बदलना एक चुनौती है।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहु–विषयक संस्थानों में बदलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रोफेसर आर. पी. तिवारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने एक बहु– विषयक संस्थान की विशेषताओं को अंगीकार करने के लिए संस्थानों के बीच सहयोग, विलय और 'क्लस्टरिंग' जैसे अनेक तरीकों का सुझाव दिया है। दिशानिर्देशों को दिनांक 02 सितम्बर, 2022 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 (भारत)

www.ugc.ac.in